सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय



वार्षिक रिपोर्ट

2019-20



भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची

अध्याय - 1 गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-5
अध्याय - 2 आंतरिक सुरक्षा	6-28
अध्याय - 3 सीमा प्रबंधन	29-48
अध्याय - 4 केन्द्र–राज्य संबंध	49-53
अध्याय - 5 देश में अपराध का परिदृश्य	54-61
अध्याय - 6 मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता	62-69
अध्याय - 7 संघ राज्य क्षेत्र	70-113
अध्याय - 8 पुलिस बल	114-152
अध्याय - 9 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान	153-179
अध्याय - 10 आपदा प्रबंधन	180-200
अध्याय - 11 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	201-214
अध्याय - 12 प्रमुख पहलें और स्कीमें	215-236
अध्याय - 13 विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	237-256
अध्याय - 14 **महिला सुरक्षा**	257-273
अध्याय - 15 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग	274-289
अध्याय - 16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	290-306
अध्याय - 17 विविध विषय	307-321
अनुलग्नक (I-XIX)	323-363

अध्याय-1

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र–राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II–"राज्य सूची" की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी को साझा करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों, अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक–I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक–II** में दिया गया है।

1.3 गृह मंत्रालय के विद्यमान प्रभागों/विभागों की सूची और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

प्रशासन प्रभाग

1.4 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना तथा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के मध्य कार्य का आबंटन करना है। प्रशासन प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों के लिए नोडल प्रभाग भी है। यह प्रभाग सचिवालय सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–I (बीएम–I) प्रभाग

1.5 बीएम–I प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं के सशक्तिकरण, वहां पर पुलिस व्यवस्था और चौकसी करने से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार की सीमाओं पर सीमा बाड़, सीमा सड़क, सीमा फ्लड लाइट तथा सीमा रक्षक बलों की सीमा चौकियों इत्यादि से जुड़े अवसंरचनागत कार्यों के सृजन और सुधार के द्वारा भू–सीमाओं का प्रबंधन करना सम्मिलित है। बीएम–I प्रभाग "सीमा अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीबीआई)" से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन–II (बीएम–II) प्रभाग

1.6 बीएम–II प्रभाग सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों

को देखता है। बीएडीपी केंद्रीय प्रायोजित एक मुख्य स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है। तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तटीय सुरक्षा स्कीम का क्रियान्वयन विविध चरणों में किया जाता है। बीएम–II प्रभाग एलपीएआई के स्थापना मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इसे देश की भूमि सीमाओं में एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण, विकास और अनुरक्षण करने तथा साथ ही आईसीपी के विकास हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।

समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सीआईसी) प्रभाग

1.7 सीआईसी प्रभाग (समन्वय विंग) मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामलों, लोक शिकायतों (पीजी), अदालती मामलों की निगरानी, राजभाषा, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, वेबसाइट प्रबंधन, रिकार्ड प्रतिधारण समय–सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर–वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, ई–समीक्षा के मामले, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार तथा साथ ही मंत्रालय की उपलब्धियों संबंधी विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत/प्रकाशित करने इत्यादि से संबंधित कार्यों को देखता है।

1.8 इस प्रभाग का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग सुरक्षा सहयोग से संबंधित करारों/संधियों को अंतिम रूप प्रदान करने/उन पर वार्ता करने, स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार और द्विपक्षीय पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। यह सार्क, बिम्सटेक, आसियान, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि से जुड़े कार्यों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में एक केंद्र बिंदु है। यह प्रभाग दूसरे देशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू/करारों तथा गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर पर अन्य द्विपक्षीय वार्ताओं/बैठकों के संबंध में सुरक्षा स्वीकृतियों के मामलों का समन्वय भी करता है।

केंद्र–राज्य (सीएस) प्रभाग

1.9 सीएस प्रभाग केन्द्र–राज्य संबंधों का कार्य देखता है, जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की क्रियाशीलता, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों के सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर नजर रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

1.10 सीएस प्रभाग में पब्लिक सेक्शन भारत रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पूर्वता अधिपत्र, शौर्य पुरस्कारों की अशोक चक्र श्रृंखला, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय सम्प्रतीक इत्यादि से जुड़े कार्यों को देखता है।

साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग

1.11 सीआईएस प्रभाग की स्थापना देश में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के संबंध में बढ़ती चिंताओं का समाधान करने के लिए अक्टूबर, 2017 में की गई थी। सीआईएस प्रभाग सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशानिर्देश (एनआईएसपीजी) का क्रियान्वयन करने, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की आईटी अवसंरचना की साइबर सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन, देश में साइबर अपराधों से निपटने हेतु समन्वय स्थापित करने, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने से संबंधित स्कीम, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(आई4सी) स्कीम, साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विधिसम्मत इंटरसेप्शन और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (एनएटीजीआरआईडी) से संबंधित मामलों/कार्यों को देखता है।

आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग

1.12 आतंकवाद–रोधी एवं कट्टरवाद–रोधी (सीटीसीआर) प्रभाग आतंकवाद, कट्टरवाद को रोकने/कट्टरवाद को समाप्त करने, आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने इत्यादि से संबंधित नीतिगत एवं ऑपरेशनल मुद्दों तथा साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के प्रशासनिक, वित्तीय और सांविधिक मामलों को देखता है।

आपदा प्रबंधन (डीएम) प्रभाग

1.13 डीएम प्रभाग का दायित्व प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए विधायन, नीति निर्माण, क्षमता निर्माण, रोकथाम, न्यूनीकरण, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.14 वित्त प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण एवं निगरानी और वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों को देखना है।

विदेशी विषयक प्रभाग

1.15 विदेशी विषयक प्रभाग वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास (एफएफआर) प्रभाग

1.16 एफएफआर प्रभाग, "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम" और पुराना पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुये लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

आंतरिक सुरक्षा (आईएस) प्रभाग

1.17 आंतरिक सुरक्षा प्रभाग आंतरिक सुरक्षा, कानून–व्यवस्था, पंजाब से जुड़े मामलों; मानव अधिकारों की सुरक्षा; राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द, अयोध्या, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना; हथियार और विस्फोटक पदार्थ; परियोजनाओं एवं प्रस्तावों की सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति तथा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मामलों को देखता है।

1.18 आंतरिक सुरक्षा प्रभाग प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, इंटरपोल, मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आतंकवाद/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और सीमा पार गोलीबारी एवं भारतीय क्षेत्र में माइन/इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोट से पीड़ित हुये आम नागरिक/उनके परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता स्कीम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग

1.19 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर विभाग का भी पुनर्गठन किया गया है तथा इसका नाम बदलकर अब जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग रखा गया है।

1.20 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों, जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद से निपटने के मामलों और साथ ही भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को विशेष रूप से आवंटित विषयों/मामलों के संबंध में समन्वय के कार्य को देखता है। यह विभाग जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में

भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों और व्यक्तिगत लाभार्थी केंद्रित स्कीमों तथा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय करता है।

न्यायिक विंग

1.21 न्यायिक विंग, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के तत्कालीन शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिकाओं से संबंधित मामलों को भी देखता है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभाग

1.22 एलडब्ल्यूई प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर पुलिस व्यवस्था में सुधार करना और प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान–विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप विकास संबंधी कार्रवाई करना है। यह प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर (एनई) प्रभाग

1.23 एनई प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को देखता है, जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस–I (पी–I) प्रभाग

1.24 पुलिस–I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, सराहनीय/विशिष्ट सेवा तथा वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

पुलिस–II (पी–II) प्रभाग

1.25 पुलिस–II प्रभाग, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण (पीएम) प्रभाग

1.26 पीएम प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रभाग

1.27 यूटी प्रभाग, नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सभी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के "अरूणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (एजीएमयूटी) संवर्ग" तथा साथ ही "दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)"/दिल्ली–अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी उत्तरदायी है।

महिला सुरक्षा (डब्ल्यूएस) प्रभाग

1.28 यह प्रभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए नीति निर्माण करने, आयोजन करने, समन्वय करने और परियोजनाओं/स्कीमों को तैयार कर उनका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि देश के भीतर महिला सुरक्षा के उपायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तथा न्याय के समग्र रूप से त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से और साथ ही महिलाओं हेतु एक सुरक्षित वातावरण बना कर उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग जेल सुधार और संबंधित विषयों के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना तथा फॉरेंसिक विज्ञान और अपराध एवं आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में एक सहायक ईको–सिस्टम तैयार करना शामिल है।

*****

अध्याय-2

आंतरिक सुरक्षा

2.1 देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का वर्गीकरण मौटे तौर पर निम्नानुसार किया जा सकता है :–

(क) देश के भीतरी भाग में आतंकवाद।

(ख) कतिपय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह।

(घ) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद (ब्यौरा अध्याय 15 में दिया गया है)

2.2 वर्ष के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में रही। भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने पर उपयुक्त प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर मुख्य फोकस जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने, पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में सुधार करने, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने और देश में भीतरी भाग में शांति बनाए रखने पर रहा। यद्यपि जम्मू और कश्मीर के संबंध में ब्यौरा अध्याय–15 में दिया गया है, लेकिन (क), (ख) और (ग) के संबंध में सुरक्षा स्थिति निम्नानुसार है :

2.3 आतंकवाद से निपटने हेतु क्षमता निर्माण

(क) यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में राज्य सुरक्षा बल सबसे पहले कार्रवाई करने वाले संगठन होते हैं, सरकार ने आसूचना जुटाने, आतंकवादी घटनाओं पर कारवाई करने और आतंकवादी मामलों के अन्वेषण में राज्य बलों की क्षमता संवर्धन के लिए कार्यक्रम तैयार किये हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित 43 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2,255 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(ख) आतंकवादी कृत्यों में लिप्त आतंकवादी संगठनों अथवा व्यक्तियों के नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की क्रमशः पहली और चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान सरकार ने जमात–उल–मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (जेएमबी) अथवा जमात–उल–मुजाहिद्दीन इंडिया अथवा जमात–उल–मुजाहिद्दीन हिन्दुस्तान और इसके स्वरूप के सभी संगठनों के नामों को आंतकवादी संगठनों के रूप में शामिल किया है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2019–20 के दौरान चार व्यक्तियों यथा मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जाकिर–उर–रहमान लखवी और दाउद इब्राहिम कासकर को आतंकवादियों के रूप में यूएपीए की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध किया है। इन व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहले से ही वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है।

(ग) गृह मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और ब्रिक्स जैसे विदेशी राष्ट्रों के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के बारे में संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां

2.4 देश की सुरक्षा, शांति और लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले सभी कट्टरपंथी संगठनों अथवा समूहों की गतिविधियों पर विधि प्रवर्तन एजेंसियों की हमेशा नजर रहती है और जहां कहीं भी जरूरी होता है, कानून के तहत कार्रवाई की जाती है।

2.5 द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया

(सिमी), द जमात–ए–इस्लामी, जम्मू एंड कश्मीर (जेईएल) और जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मो. यासीन मलिक समूह) (जेकेएलएफ–वाई) को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के तहत भारत के राजपत्र की क्रमशः दिनांक 31.01.2019, 28.02.2019 और 22.03.2019 की अधिसूचनाओं के द्वारा विधिविरूद्ध संगठन घोषित किया गया था। विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण ने अपने दिनांक 29.07.2019, 27.08.2019 और 20.09.2019 की रिपोर्ट/आदेश के द्वारा इसे उचित ठहराया है। इन्हें विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः दिनांक 27.08.2019, 30.08.2019 और 25.09.2019 को भारत के राजपत्र की अधिसूचना में प्रकाशित किया गया था।

आंतरिक सुरक्षा को सु ढ़ बनाने हेतु संस्थाएं

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)

2.6 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का गठन एनआईए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी के रूप में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों सहित आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक प्रमुख जांच एजेंसी है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुम्बई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनआईए की कुल 49 विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं। एनआईए ने अपने गठन से लेकर दिनांक 31.12.2019 तक, 304 (वर्ष 2019–20 में 62 मामले) मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 227 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए हैं। 60 मामलों में विचारण पूरा हो गया है, जिनमें से 54 मामलों में दोषसिद्धि की गई है।

बहु–एजेंसी केंद्र (एमएसी)

2.7 बहु–एजेंसी केंद्र (एमएसी) ने अपनी स्थापना से लेकर दिनांक 30.11.2019 तक, एमएसी मंच के माध्यम से 3,42,054 इनपुट साझा किये हैं।

2.8 वर्ष 2019 में एमएसी, नई दिल्ली में इसके अधिदेश के अनुसरण में 611 दैनिक नोडल अधिकारी बैठकें, फोकस समूह बैठकें, सीमापार आतंकवाद और पूर्वोत्तर में विद्रोह से संबंधित मुद्दों पर बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सहायक बहु एजेंसी केंद्र (एसएमएसी) में 711 बैठकें आयोजित की गईं।

2.9 एमएसी ने जून 2012 में एमएसी–एसएमएसी–राज्य एसबी नेटवर्क पर खतरा प्रबंधन तंत्र (टीएमएस) के साथ एक समेकित राष्ट्रीय मेमोरी बैंक (एनएमबी) भी शुरू किया था। एनएमबी को सीटी सूचनाओं पर एक वर्गीकृत इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे सीटी मामलों से संबंधित आंकड़ों के एक संग्रह केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जो पूरे देश में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए सुलभ है। अब तक आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित मामलों पर स्टेकहोल्डरों द्वारा विश्लेषण की सुविधा के लिए आईआर, पत्र–पत्रिकाओं, डोज़ियर्स, घटना की रिपोर्टों आदि के रूप में एनएमबी में 19803 आंकड़े अपलोड किये गए हैं।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड)

2.10 नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसी संस्था के रूप में की गई है, जो देश की आतंकवाद–रोधी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से अनुमोदित प्रयोक्ता एजेंसियों (सुरक्षा/विधि प्रवर्तन) को नामोद्दिष्ट डाटा प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करेगी। परियोजना को वर्ष 2012 में अनुमोदित किया गया था और नेटग्रिड परियोजना के मुख्य घटकों के कार्यान्वयन हेतु कुल 1,002.97 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। बेंगलुरू में सिविल निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और दिल्ली में सिविल अवसंरचना कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल)

2.11 गृह मंत्रालय में आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम सेल (सीएफटी सेल) आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) से संबंधित नीतिगत मामलों को देखता है।

2.12 देश के भीतर जाली भारतीय करेंसी नोटों के प्रचलन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र/राज्यों की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान–प्रदान हेतु गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्वय केंद्र (एफसीओआरडी) कार्य कर रहा है। दिनांक 31.12.2019 तक एफसीओआरडी की कुल 36 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें एफआईसीएन के खतरे से निपटने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों एवं अन्य एजेंसियों ने भाग लिया।

2.13 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधीन आतंक वित्तपोषण एवं जाली करेंसी सेल (टीएफएफसी) कार्य कर रही है। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, एनआईए ने वर्ष 2009 से आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित कुल 54 मामले एवं एफआईसीएन से संबंधित 51 मामले दर्ज किये हैं। एनआईए द्वारा जांचे गये एफआईसीएन मामलों में से एक मामले में एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक पड़ोसी संप्रभु देश एफआईसीएन के परिचालन में शामिल है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान एवं खतरा पहुंचाना तथा लोगों में आतंक के प्रति भय पैदा करना भी है।

2.14 भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान, भारत और बांग्लादेश के बीच दिनांक 06.06.2015 को जाली करेंसी नोटों की तस्करी तथा प्रचलन को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन के अधिदेश के तहत, इस संबंध में प्रगति की समीक्षा के लिए भारत और बांग्लादेश में बारी–बारी से संयुक्त कार्य बल की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। एमओयू के अंतर्गत फरवरी, 2016 में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर हस्ताक्षर किये गए, जिसमें सूचना के आदान–प्रदान, आसूचना इनपुट एवं जांच सुरागों को साझा करने, एफआईसीएन व्यापार के सभी पहलुओं पर डाटाबेस रखने, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, दोनों देश के केन्द्रीय बैंकों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने और दोनों देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने इत्यादि के लिए नोडल संपर्क स्थल स्थापित करना शामिल है।

2.15 भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो एक अंतर–सरकारी निकाय है, का एक सदस्य है, जो आतंकवाद के वित्तपोषण, धनशोधन का सामना करने आदि के संबंध में सिफारिशें करता है। गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने की नीति और इस संबंध में कानूनी तंत्र की प्रभावकारिता की स्थिति के संबंध में देश में हुई प्रगति को प्रस्तुत करने के लिए एफएटीएफ की प्लेनरी एवं कार्यकारी समूह की बैठकों में भाग लेता है। भारत यूरेशियन ग्रुप ऑन काम्बेटिंग मनी लांड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (ईएजी) तथा एशिया पेसेफिक ग्रुप ऑन मनी लांड्रिंग (एपीजी), जो एफएटीएफ की तरह के क्षेत्रीय निकाय हैं, का भी सदस्य है तथा गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने से संबंधित मुद्दों के बारे में भारत की स्थिति को रेखांकित करने के लिए उनके विचार–विमर्श में भाग लेता है। भारत एंटी–मनी लांड्रिंग एंड कॉम्बेटिंग दि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (एसजीएएमएल–सीएफटी) से संबंधित बिम्स्टेक उप–समूह की बैठक में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा

2.16 आतंकवादी और उग्रवादी समूहों से खतरे के कारण उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा एक परिवर्तनशील स्थिति है, इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर उनकी सुरक्षा

संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के नापाक मंसूबों को प्रभावी तरीके से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि देश में सुरक्षा, लोक व्यवस्था और शान्ति बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.17 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके आवागमन के बारे में भी लगातार सचेत किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवश्यकतानुसार, नियमित रूप से परामर्शी–पत्र भेजे जाते हैं। उन्हें ऐसी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए सुसज्जित करने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.18 गृह मंत्रालय द्वारा येलो बुक (निजी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश) का संशोधित एवं अद्यतन संस्करण फरवरी, 2019 में जारी किया गया था।

विमानपत्तन सुरक्षा/दिल्ली मेट्रो सुरक्षा

2.19 विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति, विमान पत्तनों पर बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा कार्मिकों की पर्याप्त तैनाती पर ध्यान दिया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो (आईबी), सीआईएसएफ और अन्य संगठनों के साथ परामर्श करके एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया है। विमान पत्तनों के लिए आतंकवाद–रोधी आकस्मिक योजना (सीटीसीपी) तैयार की गई है तथा इसे क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

2.20 सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो के लिए एक ठोस सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए सरकार का ष्टिकोण एवं कार्य योजना

2.21 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। भारत सरकार ने सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करके तथा साथ ही सुशासन को बढ़ावा देकर वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) विद्रोह से निपटने के लिए एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इसे हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने के क्षेत्रों में बहु–आयामी रणनीति अपनाई गई है।

2.22 सुरक्षा संबंधी उपायों में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रदान करना, भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी, 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण'(एमपीएफ योजना) की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति, विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत राज्यों की विशेष खुफिया शाखाओं/विशेष बलों को सुदृढ़ बनाना और पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाना, एलडब्ल्यूई–रोधी ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, अंतर–राज्य समन्वय की सुविधा देना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और नागरिक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

2.23 इसके साथ ही, विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है। भारत सरकार ने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी अवसंरचना में सुधार और कौशल उन्नयन आदि के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विशेष रूप से व्यक्तियों और समुदायों को

स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) आबंटित करने से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। आगे और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उन सार्वजनिक अवसंरचनाओं और सेवाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है जो कि सर्वाधिक प्रभावित एलडब्ल्यूई जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत तत्काल प्रकृति के होते हैं।

2.24 इसके पीछे यह विचारधारा है कि वामपंथी उग्रवाद के खतरे से ठोस ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि की जाए।

2.25 सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना के ठोस कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश भर में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। गत छः वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के साथ–साथ वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक विस्तार में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। एलडब्ल्यूई हिंसा में गिरावट का सिलसिला वर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 2019 में भी जारी रहा। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2019 में हिंसक घटनाओं में कुल 41% की कमी (1136 से घटकर 670) हुई है और एलडब्ल्यूई से संबंधित मौतों में 49% की कमी (397 से घटकर 202) हुई है। वर्ष 2018 की तुलना में, वर्ष 2019 में हिंसा की घटनाओं में 19% की कमी (833 से घटकर 670) हुई एवं मौतों में 15% (240 से घटकर 202) की कमी आई। सुरक्षा बलों की मौत में 22% (67 से घटकर 52) कमी आई है और मारे गए वामपंथी उग्रवादी कॉडरों की संख्या 35% (225 से घटकर 145) घटी है। साथ ही, भारत सरकार की विकासोन्मुखी पहलों के कारण वामपंथी उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा है और मुख्य धारा में लौटे हैं।

2.26 वर्ष 2019 में, 263 घटनाओं और 77 मौतों के साथ छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहा, इसके बाद झारखंड (200 घटनाएं और 54 मौतें), महाराष्ट्र (66 घटनाएं और 34 मौतें), बिहार (62 घटनाएं और 17 मौतें) और ओडिशा (45 घटनाएं और 11 मौतें) का स्थान आता है।

2.27 वामपंथी उग्रवाद के परिदृश्य में सुधार का श्रेय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी और उनकी क्षमता में वृद्धि, प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर अभियान की रणनीति तथा विकास योजनाओं की बेहतर निगरानी को दिया जा सकता है। एलडब्ल्यूई हिंसा की स्थिति का राज्य–वार विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:–

वर्ष 2010 से 2019 के दौरान एलडब्ल्यूई हिंसा की राज्य–वार स्थिति (अनंतिम)

राज्य	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020 दिनांक 31.3.2020 तक	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आंध्र प्रदेश	100	24	54	9	67	13	28	7	18	4	35	8	17	6	26	7	12	3	18	5	2	0
बिहार	307	97	316	63	166	44	177	69	163	32	110	17	129	28	99	22	59	15	62	17	5	0
छतीसगढ़	625	343	465	204	370	109	355	111	328	112	466	101	395	107	373	130	392	153	263	77	94	42
झारखंड	501	157	517	182	480	163	387	152	384	103	310	56	323	85	251	56	205	43	200	54	45	8
मध्य प्रदेश	7	1	8	0	11	0	1	0	3	0	0	0	12	2	3	1	4	0	5	2	4	0
महाराष्ट्र	94	45	109	54	134	41	71	19	70	28	55	18	73	23	69	16	75	12	66	34	9	1
ओडिशा	218	79	192	53	171	45	101	35	103	26	92	28	86	27	81	29	75	12	45	11	15	4

तेलंगाना	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	8	4	14	5	11	2	7	0	5	2	11	2	8	2	0	0
उत्तर प्रदेश	6	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	350	258	92	45	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्य	5	0	6	1	8	0	7	0	8	0	10	0	6	0	1	0	0	0	3	0	1	0
कुल	2213	1005	1760	611	1415	415	1136	397	1091	310	1089	230	1048	278	908	263	833	240	670	202	175	55

2.28 वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में भी काफी कमी आ रही है। वर्ष 2019 में 9 राज्यों के 61 जिलों के 241 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013 में 9 राज्यों के 58 जिलों के 291 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी उग्रवाद के संबंध में हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हिंसा को मात्र 30 जिलों तक उल्लेखनीय रूप से सीमित कर दिया गया है जो 83% वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) संबंधी हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं। देश में विभिन्न वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) संगठनों में सीपीआई (माओवादी) सर्वाधिक प्रभावी बना हुआ है और कुल वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा की घटनाओं तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में इसका योगदान 87% से अधिक है। सीपीआई (माओवादी) अंतर–राज्यीय सीमाओं के साथ–साथ नए क्षेत्र में बिना किसी उल्लेखनीय सफलता के अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

2.29 अधिकांश राज्यों में माओवादियों के बैकफुट पर आने के लिए बाध्य हो जाने से वर्तमान समय इस खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक सुअवसर है।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विशेष उपाय

2.30 **सीपीआई (माओवादी) पर प्रतिबंधः** सीपीआई (माओवादी), जो हिंसा/हताहत होने की अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को इसके सभी गुटों और अग्रणी संगठनों के साथ विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

2.31 **आसूचना तंत्र को सु ढ़ करनाः** वामपंथी उग्रवाद संबंधी गतिविधियों की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए, केन्द्र और राज्य स्तर पर आसूचना एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करने और उसका उन्नयन करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें 24X7 आधार पर केन्द्रीय स्तर पर मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) और राज्य स्तर पर राज्य मल्टी एजेंसी सेंटर (एसएमएसी) के माध्यम से आसूचना साझा करना शामिल है। आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में जगदलपुर एवं गया में संयुक्त कमांड और नियंत्रण केन्द्र की स्थापना करना, तकनीकी और मानवीय आसूचना को सुदृढ़ करना, सुरक्षा बलों, जिला पुलिस और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, वास्तविक समय पर आसूचना के सृजन पर बल देना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में राज्य आसूचना ब्यूरो (एसआईबी) का सृजन/सुदृढ़ीकरण करना इत्यादि शामिल है, जिसके लिए विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

2.32 **बेहतर अंतर–राज्य समन्वयः** सीपीआई (माओवादी) काडरों की कार्रवाई का क्षेत्र केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए, अनेक पहलुओं के संबंध में विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर–राज्य समन्वय आवश्यक है। इसलिए, भारत सरकार ने अंतर–राज्यीय बैठकों में सुधार और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीमावर्ती जिलों के बीच पारस्परिक बातचीत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2.33 **इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की समस्या का सामना करनाः** वामपंथी

उग्रवाद–रोधी कार्य में सुरक्षा बलों के हताहत होने का कारण ज्यादातर आईईडी है। गृह मंत्रालय सीएपीएफ एवं राज्य पुलिस बलों को उनके आईईडी–रोधी क्षमता निर्माण प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। आईईडी के प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्फोटकों/आईईडी/बारूदी सुरंगों से संबंधित मुद्दों' पर एक मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) तैयार की है और इसे सभी स्टेकहोल्डरों को परिचालित किया है।

2.34 **इंडिया रिजर्व (आईआर)/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी):** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को मुख्यतः उनके स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और विशेष रूप से एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में राज्यों को समर्थ बनाने के लिए भी इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित 10 राज्यों को 56 इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर की गई हैं, जिनमें से 45 गठित हो गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों, बिहार (01), छत्तीसगढ़ (02), झारखंड (02), मध्य प्रदेश (01), ओडिशा (03) और पश्चिम बंगाल (01) में 10 नई स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) के गठन की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी एसआईआरबी गठित कर ली हैं। इस मंत्रालय ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर एसआईआरबी के इंजीनियरी घटकों को एसआईआरबी के सुरक्षा घटकों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

2.35 **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की स्कीमें:** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना: भारत सरकार वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा में जान गंवाने वाले आम नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह–भुगतान, सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, पुलिस कार्मिकों के बीमा, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों को मुआवजे, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों तथा प्रचार सामग्री इत्यादि पर होने वाले सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करती है। परिव्यय में वृद्धि के साथ स्कीम को और सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा, सुरक्षा बलों की अशक्तता तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा जैसी नई मदों को पहली बार स्कीम में शामिल किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से निपटने में, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों की क्षमता में वृद्धि होगी। वर्ष 2019–20 में 367.26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस): राज्यों की राज्य आसूचना शाखाओं (एसआईबी) और विशेष बलों के सशक्तीकरण के लिए तथा प्रति पुलिस स्टेशन 2.5 करोड़ रुपये की दर से 250 पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाने के कार्य के लिए वर्ष 2017 में अनुमोदित की गई स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के लिए 604 करोड़ रुपये (60%) के केंद्रीय अंश और 402 करोड़ रुपये के राज्य अंश के साथ कुल 1006.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। वर्ष 2019–20 में 102.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) सुरक्षित पुलिस स्टेशन स्कीम: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 80:20 (केन्द्र अंश : राज्य अंश) के आधार पर 2.00 करोड़ रुपए प्रति पुलिस स्टेशन की दर से 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु वर्ष 2010 में अनुमोदित की गई स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, 399 सुरक्षित पुलिस

स्टेशनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और शेष एक का निर्माण पूरा होने वाला है।

(घ) नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी): इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच दूरी को पाटना है। वर्ष 2019–20 में सीएपीएफ को 20 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।

(ङ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए): इस स्कीम के तहत, राज्यों को ऐसी सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में उन महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं, जो आकस्मिक प्रकृति की हैं और जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों को 2148.24 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019–20 में 973.24 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(च) वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता की स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस): यह स्कीम 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) रोधी अभियानों के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान की गई एयर लिफ्ट सेवा से संबंधित बिलों के भुगतान और सीएपीएफ को अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सीएपीएफ/केंद्रीय एजेंसियों को इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। चालू वित्त वर्ष 2019–20 में "वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता स्कीम (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस)" के लिए सहायता के तहत 109 करोड़ रु. और "नक्सल प्रबंधन हेतु सहायता (एएनएम)" के तहत 34.07 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

निगरानी तंत्र

2.36 गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री, गृह सचिव एवं विशेष सचिव/अपर सचिव के स्तर पर वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की नियमित आधार पर मानीटरिंग करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समूह भी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और वीडियो कांफ्रेंसों के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति और वहां चल रही विकास संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है।

2.37 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू की जा रही स्कीमें/पहलें:

(क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों में तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्कूलों, डिस्पेंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूरसंचार लाइनों, पेय जल परियोजनाओं, पानी/वर्षा के जल संचयन के ढांचों, लघु सिंचाई नहरों, ऊर्जा के गैर–पंरपरागत स्रोतों, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, ग्रामीण सड़कों संबंधी 14 श्रेणियों की अवसंरचना के सृजन हेतु अधिकतम 40 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध कराने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन की सीमा बढ़ायी है। सामान्य अनुमोदन की वैधता को 31.12.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) भारत सरकार 8 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 34 जिलों में सड़क सम्पर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 26.02.2009 से सड़क आवश्यकता योजना–I (आरआरपी–I) को कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में 8,673 करोड़ रुपये की लागत से 5,422 किमी. सड़क और 08 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण की

परिकल्पना की गई है। दिनांक 31.03.2020 तक 4,902 किमी. सड़कों और 04 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए दिनांक 28.12.2016 को "वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना" (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अनुमोदित की है। इस परियोजना को प्रायोजित करने वाला मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इस परियोजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 44 जिलों में 11,725 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5,412 किमी. सड़कों तथा 126 पुलों/क्रॉस ड्रेनेज के निर्माण/उन्नयन की परिकल्पना की गई है। 9,238 किमी. के लिए स्वीकृति पहले ही संसूचित कर दी गई है, जिसमें से अभी (दिनांक 31.03.2020) तक 1,785 किमी. सड़कों के कार्य को पूरा कर लिया गया है।

(घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के मुद्दों के निराकरण के लिए, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावरों की स्थापना की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, चरण–I में 2,335 मोबाइल टावर चालू कर दिए गए हैं और परियोजना के चरण–II में 4,072 मोबाइल टावरों की स्थापना किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया गया है। 2,217 मोबाइल टावरों की निविदा जारी किया जाना प्रक्रियाधीन हैं।

(ङ) 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधान के तहत 10 एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों और समुदाय को 16,04,570 स्वामित्व विलेख वितरित किए गए हैं, ताकि उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा वन भूमि पर उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

(च) भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन और युवाओं को रोजगार प्रदान करने से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 02 स्कीमें नामतः '47 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में कौशल विकास' और 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)' को कार्यान्वित कर रही है। कौशल विकास स्कीम में 47 जिलों में एक–एक आईटीआई तथा 34 जिलों में दो–दो कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) के निर्माण/स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(छ) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्वाधिक एलडब्ल्यूई प्रभावित उन जिलों में 7 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) और 6 नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोले हैं, जहां केवीएस/जेएनवी नहीं थे। 04 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) मंजूर किए गए हैं, जिन्हें शीघ्र ही खोला जाएगा।

2.38 भारत सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए समग्र रूप से खतरों का समाधान करती रहती है और इसके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले क्षेत्रों में हिंसा में लगातार गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में काफी कमी देखी गई है। तथापि, यह स्पष्ट है कि माओवादी विकास की कमी जैसे मूल कारणों का सार्थक हल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेल, पुलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, संचार सुविधाओं आदि को अपना निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को कायम रखने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हाशिए पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश के एलडब्ल्यूई प्रभाव वाले अनेक भागों में दशकों से विकास की प्रक्रिया थम गई है। सभ्य समाज और मीडिया द्वारा इस तथ्य को स्वीकार

किये जाने की आवश्यकता है कि माओवादियों पर हिंसा का रास्ता छोड़ने और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का दबाव बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा तथा आकांक्षाएं माओवादी विचारधारा से काफी अलग हैं। भारत सरकार ऊपर बताए गए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से एलडब्लूई की समस्या को समाप्त करने के प्रति आशावादी है।

पूर्वोत्तर

2.39 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। यह क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से विविधतापूर्ण है, जिसमें पृथक भाषा, बोली और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान वाले 200 से अधिक जातीय समूह निवास करते हैं। यह क्षेत्र देश के 7.97% भू–भाग में फैला है और इसमें राष्ट्रीय आबादी का लगभग 3.78% हिस्सा निवास करता है। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में बेसिक आंकड़े निम्नानुसार हैं:

राज्य	क्षेत्र (वर्ग किमी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	जनसंख्या का घनत्व
अरुणाचल प्रदेश	83,743	13,83,727	17
असम	78,438	3,12,05,576	398
मणिपुर	22,327	28,55,794	115
मेघालय	22,429	29,66,889	132
मिजोरम	21,081	10,97,206	52
नागालैंड	16,579	19,78,502	119
सिक्किम	7,096	6,10,577	86
त्रिपुरा	10,486	36,73,917	350
कुल पूर्वोत्तर	2,62,179	4,57,72,188	173
अखिल भारतीय	32,87,263	1,21,08,54,977	382

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विवरण निम्नानुसार है–

राज्य	अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ (किमी. में)					
	चीन	म्यांमार	बांग्लादेश	भूटान	नेपाल	कुल
अरुणाचल प्रदेश	1,126	520	-	217	-	1,863
असम	-	-	263	267	-	530
मणिपुर	-	398	-	-	-	398
मेघालय	-	-	443	-	-	443

मिजोरम	-	510	318	-	-	828
नागालैंड	-	215	-	-	-	215
सिक्किम	220	-	-	32	99	351
त्रिपुरा	-	-	856	-	-	856
कुल	**1,346**	**1,643**	**1,880**	**516**	**99**	**5,484**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति

2.40 पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में वर्ष 2014 से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। क्षेत्र में पिछले छह वर्षों में विद्रोह की घटनाओं में 70%, सुरक्षा बलों कार्मिकों के हताहत होने की संख्या में 78% और नागरिकों की मौतों में 80% की भारी गिरावट देखी गई है। विद्रोह की घटनाओं में गिरावट का रुख वर्ष 2019 में जारी रहा। वर्ष 1997 से पिछले दो दशकों के दौरान वर्ष 2019 में विद्रोह की घटनाओं और नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की मौतों में गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में विद्रोह की घटनाओं में 12% की गिरावट दर्ज की गई है (2018:252, 2019:223)। इसी प्रकार, वर्ष 2019 में सुरक्षा बलों की मौतों में 71% (2018–14, 2019–4) और नागरिकों की मौतों में 9% (2018–23, 2019–21) की बड़ी गिरावट हुई है। वर्ष 2019 में पूरे क्षेत्र में विद्रोह विरोधी ऑपरेशनों में 12 उग्रवादी मारे गए, 936 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए और 312 हथियार बरामद किए गए। वर्ष 2019 में पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी संगठनों के कुल 158 काडरों ने 67 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया और वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। वर्ष 2009 से संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	सरेंडर किए गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहृत व्यक्ति
2009	1297	571	2162	42	264	1109	420	1357	230
2010	773	247	2213	20	94	846	351	1057	214
2011	627	114	2141	32	70	491	381	973	250
2012	1025	222	2145	14	97	1195	612	1244	329
2013	732	138	1712	18	107	640	416	1180	307
2014	824	181	1934	20	212	965	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108

2.41 जबकि त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में लगभग कोई उग्रवाद नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं की संख्या में वर्ष 2018 की समान अवधि की तुलना में मेघालय में 87%, असम में 39%, अरुणाचल प्रदेश में 3% और मणिपुर में 1% की कमी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान हिंसा का राज्य–वार विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश

2.42 अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई सक्रिय स्वदेशी विद्रोही समूह नहीं है। यह राज्य तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) (एनएससीएन/ईशाक–मूइवा, एनएससीएन/खापलांग, एनएससीएन/रिफॉर्मेशन और एनएससीएन/नियोपाव कोन्यान्क–किटोवी) के नागालैंड आधारित यूजी दलों के नागा विद्रोहियों की छिट–पुट आतंकवादी गतिविधियों के अलावा असम आधारित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)/स्वतंत्र और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)/साओराइगवरा की गतिविधियों से भी प्रभावित है। राज्य के असम एवं म्यांमार की सीमा वाले क्षेत्रों में शरण एवं अस्थायी आवास के लिए एनडीएफबी (एस) एवं यूएलएफए (I) के कैडर आते जाते रहते हैं।

2.43 वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिंसक घटनाओं में लगभग 3% की कमी आई है [2018:37, 2019:36]। वर्ष 2019 में सुरक्षा बलों द्वारा चलाये गये विद्रोह–विरोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप 2 काडर/विद्रोही मारे गए, 106 विद्रोही गिरफ्तार किए गए और 44 हथियार बरामद हुए। वर्ष 2019 के दौरान, नागा विद्रोही समूह राज्य में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे [एनएससीएन/आईएम–8, एनएससीएन/के–16, एनएससीएन/आर–11]। वर्ष 2019 में राज्य में अपहरण के 34 मामले सामने आए हैं।

असम

2.44 वर्तमान में, असम राज्य में सक्रिय मुख्य उग्रवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (स्वतंत्र), (उल्फा–I) हैं। उल्फा और एनडीएफबी को विधि–विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत गैर–कानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (केपीएलटी) भी असम के करबी आँगलोंग जिले में सक्रिय है। उल्फा (वार्ता समर्थक) तथा करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ) भारत सरकार और/अथवा असम सरकार के साथ कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते के अधीन हैं।

2.45 असम में वर्ष 2019 में विद्रोह संबंधी घटनाओं में वर्ष 2018 की तुलना में 39% की कमी हुई है [2018–28, 2019–17] तथा राज्य में हिंसक घटनाओं में किसी सुरक्षा कार्मिक और आम नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है। वर्ष 2019 में राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा 131 काडरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 85 हथियार बरामद हुए हैं और उग्रवादी संगठनों के कुल 49 कैडरों ने 22 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। वर्ष 2019 के दौरान करबी समूह 10 हिसंक घटनाओं में शामिल था और राज्य में लगभग 59% विद्रोह संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था।

2.46 दिसम्बर, 2014 में एनडीएफबी/साओराइगवरा समूह द्वारा असम के सोनितपुर, कोकराझार और चिरांग जिलों में आदिवासियों की बर्बर हत्या के बाद, निरंतर चलाए गए व्रिदोह–रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप दिनांक 23.12.2014 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान एनडीएफबी/एस के 1192 काडरों/सम्पर्क व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया तथा 63 काडर मारे गए।

2.47 दिनांक 27 जनवरी, 2020 को एनडीएफबी के गुटों और सिविल संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या समाप्त हो गई । समझौते के बाद एनडीएफबी के 1,615 काडरों ने अपने हथियार डाल दिए।

मणिपुर

2.48 मणिपुर राज्य मेइतेई, नागा, कुकी, जोमी, हमार और मुस्लिम यूजी समूहों की गतिविधियों के कारण विद्रोह से प्रभावित है। वर्ष 2019 में, इस क्षेत्र में हुई हिंसा की कुल

घटनाओं (समग्र पूर्वोत्तर : 223, मणिपुर : 126) में लगभग 57% हिस्सेदारी के साथ मणिपुर सबसे हिंसक राज्य रहा। तथापि, वर्ष 2019 में मणिपुर में विद्रोह संबंधी घटनाओं में वर्ष 2018 की तुलना में कमी आई (2018:127, 2019:126) है। वर्ष 2019 में राज्य में किसी सुरक्षा कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में विद्रोह–रोधी अभियानों में 9 उग्रवादी मारे गए, 476 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए तथा 92 हथियार बरामद किए गए। मेईतेई विद्रोह राज्य में 60% हिसंक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था।

मेघालय

2.49 मेघालय राज्य वर्ष 2010–11 से गारो उग्रवाद का सामना कर रहा है। राज्य में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह "गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)", एक गारो उग्रवादी समूह और "हनियुरटेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)", एक खासी उग्रवादी समूह हैं। वर्ष 2019 में राज्य में सुरक्षा स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्य में वर्ष 2019 में हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2018 की तुलना में 87% की कमी देखी गई (2018–15, 2019–2) और सुरक्षा बल काफी हद तक उग्रवादी समूहों की हिंसक गतिविधियों पर काबू पाने में सक्षम रहे। वर्ष 2019 में राज्य में किसी सुरक्षा कार्मिक की मृत्यु नहीं हुई है और कोई अपहरण/व्यपहरण नहीं हुआ। वर्ष 2019 में सिविलियनों की मौतों की संख्या में 2018 की तुलना में 75% की कमी आई (2018:4, 2019:1)।

नागालैंड

2.50 नागालैंड राज्य में सक्रिय मुख्य विद्रोही समूह "नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन)" के घटक हैं, जो वर्ष 1975 के शिलांग समझौते के असफल होने के बाद वर्ष 1980 में अस्तित्व में आए। इन विद्रोही समूहों में टीएच. मुइवाह के नेतृत्व में एनएससीएन (आईएम), नेओपाओ कोन्याक–किटोवी के नेतृत्व में एनएससीएन(के), एनएससीएन/एनके और वाई. वांगटिन कोन्याक के नेतृत्व में एनएससीएन/आर शामिल हैं। खांगो के नेतृत्व में एनएससीएन/के (अर्थात एनएससीएन/के–खांगो गुट) का विभाजित गुट सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ और उसने दिनांक 15.04.2019 को एक वर्ष के लिए एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यद्यपि, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर कदम उठाए गए हैं, तथापि, एनएससीएन के समूहों का हिंसा और अन्य हिंसक/ गैर–कानूनी गतिविधियों में शामिल होना जारी है, जिससे राज्य में सामान्य जन–जीवन प्रभावित हो रहा है।

2.51 वर्ष 2019 में नागालैंड राज्य में उग्रवाद की 42 घटनाएं सूचित की गई हैं। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद–रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप राज्य में 1 कैडर/आतंकवादी मारा गया, 217 कैडर गिरफ्तार किए गए और 74 हथियार बरामद हुए। वर्ष 2019 के दौरान एनएससीएन/आईएम राज्य में विद्रोह की 50% घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में 50% की कमी आई है (2018 : 6, 2019 : 3) तथा अपहरण/व्यपहरण के मामलों में 22% की कमी आई है (2018 : 63, 2019 : 49)।

त्रिपुरा

2.52 त्रिपुरा राज्य में माहौल शांतिपूर्ण रहा। वर्ष 2016 के बाद से हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। प्रमुख यूजी संगठनों, जैसे कि "नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा/ विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)" और "ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)" की गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया है। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और श्री साबिर कुमार देबबर्मा (एनएलएफटी/एसडी) के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विपरा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर दिनांक 10.08.2019 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार, एनएलएफटी (एसडी) हिंसा के मार्ग को छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 13.8.2019 को आयोजित एक समर्पण समारोह में 44 हथियारों के साथ 88 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया।

सिक्किम और मिजोरम

2.53 सिक्किम राज्य उग्रवादी घटनाओं से पूर्णतः मुक्त है और मिजोरम राज्य में वर्ष 2019 में हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सिक्किम राज्य के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) हेतु राष्ट्रपति की अधिसूचना संख्या एसओ 3675 (अ) दिनांक 9.10.2019 को जारी की गई।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.54 अलग–अलग जातीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता/बातचीत करने के लिए एक नीति पर कार्रवाई कर रही है, जो हिंसा छोड़ने, हथियार त्यागने को तैयार हैं और भारत के संविधान के ढांचे के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक संगठन सरकार से वार्ता करने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कार्रवाई स्थगन (एसओओ) समझौते किए हैं तथा उनमें से कुछ संगठनों ने समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर हस्ताक्षर किए हैं और कुछ समूहों ने स्वयं का विघटन कर लिया है। जो संगठन वार्ता नहीं कर रहे हैं, उन पर विद्रोह–रोधी कार्रवाई के माध्यम से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सैन्य बलों और राज्य पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

2.55 कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही/उग्रवादी समूहों की अवैध एवं गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, एसआरई स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता, इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी, यूएपीए के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हो रहे गैर–कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध, सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) के तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों/राज्यों को "अशांत क्षेत्र" घोषित करना और एकीकृत कमांड संरचना के लिए अधिसूचना जारी करना आदि शामिल हैं।

2.56 भारत सरकार, राज्य सरकारों, सुरक्षा बलों और संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों वाले संयुक्त निगरानी समूहों द्वारा इन विद्रोही दलों से संबंधित सम्मत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

2.57 पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोही समूहों द्वारा अपहरण, जबरन धन वसूली, हत्या, सशस्त्र काडरों की भर्ती और प्रशिक्षण तथा अवसंरचनात्मक संस्थापनाओं पर विस्फोट और हमलों जैसी अवैध और गैर–कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, विधि–विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 17 विद्रोही संगठनों को "विधि–विरुद्ध संगठन" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है। वर्ष 2019 के दौरान उल्फा, एनडीएफबी और एचएनएलसी पर प्रतिबन्ध 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विधि विरूद्ध एसोसिएशन/आतंकवादी संगठनों की सूची **अनुलग्नक**–IV में दी गई है।

2.58 पूर्वोत्तर में सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए, सम्पूर्ण नागालैंड, असम और मणिपुर राज्य (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र के अलावा) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 [एएफएसपीए] के अधीन हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के कारण, दिनांक 31.03.2018 से मेघालय से एएफएसपीए हटा लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में, एएफएसपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों की संख्या कम हो गई है जो कि असम की सीमा से लगे 16 पुलिस स्टेशनों/आउट पोस्ट्स से घटकर 04 पुलिस स्टेशनों और तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग के तीन जिलों में रह गए। मणिपुर एवं असम को 'अशांत क्षेत्र" घोषित करने के लिए अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई हैं।

2.59 केन्द्र सरकार ने विद्रोह रोधी कार्रवाई करने और असुरक्षित संस्थाओं तथा संस्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तैनात किए हैं। नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा चौकसी कार्यों के लिए

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 447 कंपनियां तैनात की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह–रोधी अभियानों के लिए सीएपीएफ की 556 कंपनियों और 12 कमांड बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन (कोबरा) दलों को तैनात किया गया है।

2.60 भारत सरकार विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों का संवर्धन और उन्नयन करने के लिए उनकी मदद कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 61 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) की मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें असम, मणिपुर और त्रिपुरा में प्रत्येक के लिए 11 बटालियनें, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रत्येक के लिए 7, मेघालय के लिए 6, मिजोरम के लिए 5 और सिक्किम के लिए 3 बटालियनें शामिल हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में शांति प्रक्रिया की स्थिति

2.61 भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता कर रही है। भारत सरकार के प्रतिनिधि/वार्ताकार श्री आर.एन. रवि नागा विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं।

(i) असम

- उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के साथ वार्ता जारी है। संगठन के साथ अभियान स्थगन (एसओओ) दिनांक 03.09.2011 से वैध है और अनिश्चित काल तक जारी है।
- 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए दिनांक 27 नवरी, 2020 को नई दिल्ली में एनडीएफबी (प्रोग्रेसिव), एनडीएफबी (आरडी), एनडीएफबी (एस) और एबीएसयू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के बाद, एनडीएफबी के 1615 काडरों ने दिनांक 30 जनवरी, 2020 को अपने हथियार डाल दिए।

(ii) त्रिपुरा

- दिनांक 10 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के बाद 88 काडरों ने 44 हथियारों के साथ आत्मपसमर्पण कर दिया।

(iii) मणिपुर

- दो महासंघों (यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट [यूपीएफ]–8 और कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन [केएनओ]–15) के नेतृत्व में कुल 23 यूजी संगठन वर्तमान में अगस्त, 2008 से भारत सरकार के साथ कारवाई स्थगन (एसओओ) के अधीन हैं। केएनओ और यूपीएफ के साथ एसओओ समझौता दिनांक 31.08.2020 तक वैध है। इन समूहों के साथ राजनीतिक वार्ता जून, 2016 में शुरू हुई।

(iv) नागालैंड

- नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (नियोपाओ कोनयाक–किटोवी) [एनएससीएन/एनके] और एनएससीएन (रिफॉर्मेशन) के साथ हस्ताक्षर किए गए युद्धविराम समझौते को दिनांक 27.10.2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। एनएससीएन (इसाक–मुइवा) ने अनिश्चित काल के लिए एक युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। एनएससीएन (आई/एम) के साथ दिनांक 03.08.2015 को एक फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गये थे। एनएससीएन/के–खांगो के नये सृजित समूह के साथ युद्धविराम समझौते पर दिनांक 15.04.2019 को हस्ताक्षर किये गये, जो दिनांक 14.10.2020 तक के लिए वैध है।

पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी योजना

2.62 गृह मंत्रालय भ्रमित युवाओं और उन खूंखार उग्रवादियों को, जो उग्रवाद में भटक गए हैं और बाद में उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, उससे छुटकारा दिलाने के लिए दिनांक 01.01.1998 से पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण–सह–पुनर्वास संबंधी एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरेंडर करने वाले उग्रवादी दोबारा उग्रवाद में शामिल होने के लिए आकृष्ट न हों। इस योजना को छः पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम और मिजोरम को छोड़कर) के लिए दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया है। संशोधित नीति के अंतर्गत, आत्मसमर्पणकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगेः–

(क) प्रत्येक सरेंडर करने वाले को 4 लाख रूपए का तत्काल अनुदान, जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में सरेंडर करने वालों के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग सरेंडर करने वालों द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय सम्पार्श्विक प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ख) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक सरेंडर करने वालों को प्रतिमाह 6,000 रुपये वजीफे का भुगतान;

(ग) उग्रवादियों द्वारा सरेंडर किए गए हथियारों/गोलाबारूद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन;

(घ) सरेंडर करने वालों को स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(ङ) पुनर्वास कैंपों के निर्माण के लिए निधियां;

(च) पूर्वोत्तर राज्यों को सरेंडर करने वालों के पुनर्वास पर हुए कुल व्यय के 90% की प्रतिपूर्ति एसआरई स्कीम के तहत की जाएगी।

2.63 सरकार की इस नीति के अनुसरण में, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के कई काडर सरेंडर करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। विगत छः वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में किये गए सरेंडर संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

राज्य	2014	2015	2016	2017	2018	2019
अरुणाचल प्रदेश	7	3	4	3	2	2
असम	102	30	15	13	13	49
मणिपुर	80	4	0	74	0	0
मेघालय	733	78	205	37	19	1
मिजोरम	3	0	0	0	114	0
नागालैंड	0	13	16	2	0	16
त्रिपुरा	40	15	27	1	13	90
योग	965	143	267	130	161	158

सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति

2.64 केन्द्र सरकार वर्ष 1995 से आतंकवाद/विद्रोह से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए एक स्कीम का

कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, निधि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में होगी और इसके अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा संबंधी मदों पर पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है, जिसमें इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सीएपीएफ/सेना को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं निःशुल्क राहत, अभियानों में पीओएल (पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट) पर किए गए खर्च का 75%, पुलिस कार्मिकों के निकटतम परिजनों को 100% अनुग्रह राशि, सुरक्षा के उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे समूहों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर किया गया व्यय तथा आत्मसमर्पण करने वाले आंतकवादियों एवं उनके पुनर्वास पर किया गया व्यय शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एसआरई स्कीम की व्यापक समीक्षा दिनांक 01.04.2018 को की गई थी और इसमें निम्नलिखित संशोधन किये गए थेः–

(क) होमगार्ड के लिए मजदूरी 150 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई।

(ख) ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) के लिए मानदेय प्रति माह 1,500 रुपये से दोगुना करके 3,000 रुपये कर दिया गया।

(ग) प्रत्येक एसओओ काडर के लिए निर्धारित शिविर के अनुरक्षण का खर्च प्रति माह 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया।

(घ) उग्रवादी हिंसा में मारे गए/घायल व्यक्ति के लिए बढ़ाई गई अनुग्रह राशिः

(i) आम नागरिक की मौत होने पर–1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये

(ii) पुलिस कर्मियों की मौत होने पर–3 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये

(iii) पुलिस कर्मी को स्थायी विकलांगता होने पर–75,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये

(ङ) एसओओ कॉडरों के रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए प्रावधान।

गत सात वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान एसआरई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.65 चूंकि, कुछ पूर्वोत्तर राज्य विद्रोह और आतंकवाद से प्रभावित हैं, इसलिए विद्रोह का सामना करने के लिए क्षेत्र में सेना और अन्य केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की निरंतर आवश्यकता है। स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए, सेना और केन्द्रीय अर्धसैनिक बल सिविक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, चिकित्सा शिविरों के आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी–मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी/विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ की जाती हैं। विगत सात वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** में दिया गया है।

विज्ञापन एवं प्रचार

2.66 पूर्वोत्तर की विशिष्ट समस्याओं यथा आंतकवाद, घुसपैठ और परायेपन की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय क्षेत्र में शांति के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों को उजागर करने और यह बताने के उद्देश्य से कि "शांति से लाभ होता है", पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञापन और प्रचार की एक स्कीम का कार्यान्वयन करता

है। इस स्कीम के तहत, नेहरू युवक केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के तत्वावधान में, पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के शेष भारत के दौरे और शेष भारत से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण, पूर्वोत्तर से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता आदि सहित विभिन्न पहलें की जाती हैं। विगत सात वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय किया गया है:–

वित्त वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2012-13	6.00
2013-14	2.00
2014-15	3.00
2015-16	2.96
2016-17	2.00
2017-18	2.90
2018-19	2.76
2019-20	3.00

अन्य मुद्दे :

ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास

2.67 मिजोरम के पश्चिमी हिस्से में अक्तूबर 1997 में जातीय हिंसा के कारण, वर्ष 1997–1998 में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार उत्तरी त्रिपुरा को प्रवासित हुए। लगभग 30,000 ब्रू प्रवासियों (5000 परिवारों) को उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छः राहत शिविरों में शरण दी गई थी।

2.68 ब्रू परिवारों के पुनर्वास/प्रत्यावर्तन के लिए दिनांक 31.12.2019 तक त्रिपुरा सरकार को लगभग 382.94 करोड़ रुपये और मिजोरम सरकार को 218.90 करोड़ रुपये जारी किये गए। ब्रू लोगों का प्रत्यावर्तन वर्ष 2010 में शुरू हुआ और वर्ष 2014 तक लगभग 1,662 ब्रू परिवारों (8,573 लोगों) को छः बैचों में प्रत्यावर्तित किया गया तथा मिजोरम में बसाया गया।

2.69 दिनांक 03.07.2018 को, 5,407 ब्रू परिवारों, जिसमें त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 32,876 व्यक्ति शामिल हैं, के प्रत्यावर्तन के लिए भारत सरकार, मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार तथा मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके परिणामस्वरूप, ब्रू परिवारों को दी जा रही वित्तीय सहायता को काफी हद तक बढ़ा दिया गया था और समझौते के अंतर्गत दिनांक 30.11.2019 तक 1,369 व्यक्तियों सहित 328 परिवार मिजोरम को लौटाए गए थे। ब्रू परिवारों की एक सतत् मांग रही है कि उनकी सुरक्षा के प्रति आशकांओं पर विचार करते हुए उन्हें त्रिपुरा में बसाया जाए।

2.70 ब्रू परिवारों की मांग को ध्यान में रखते हुए और लंबे समय से ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लंबित मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए, नई दिल्ली में दिनांक 16.01.2020 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस नए समझौते के अनुसार, ब्रू प्रवासियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और त्रिपुरा में उनके पुनर्वास और सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ के पैकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता/मदद दी जाएगी। पुनः बसाए गए प्रत्येक परिवार को 4 लाख रूपये की सावधि जमा, दो साल के लिए प्रति माह 5,000/– रूपये नकद सहायता, दो साल के लिए निःशुल्क राशन, 1.5 लाख रूपये की आवास सहायता के अलावा, प्रत्येक परिवार को त्रिपुरा में घर के निर्माण के लिए 30X40 वर्ग फुट भूखंड भी दिया जाएगा।

2.71 विगत सात वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्रू प्रवासियों के लिए मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार को पुनर्वास योजनाओं (सहायता–अनुदान) पर हुए व्यय/इनके लिए जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	त्रिपुरा	मिजोरम
2012-13	18.15	7.87
2013-14	10.46	--
2014-15	35.00	4.70
2015-16	30.00	5.00
2016-17	22.26	7.50
2017-18	25.14	16.50
2018-19	45.17	50.00
2019-20	28.38	100.00

पूर्वोत्तर में हेलीक प्टर सेवा

2.72 दूर–दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और शेष भारत के साथ इन क्षेत्रों को हवाई सेवा मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय की सब्सिडी से नॉन–प्लान स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित की जा रही हैं। सब्सिडी का भाग यात्रियों से प्राप्त राशि का समायोजन करने के बाद परिचालन लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में संचालित की जा रही हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा निर्धारित की गई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

पूर्वोत्तर राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन डबल इंजन	480
अरुणाचल प्रदेश	पहला एमआई-172 दूसरा एमआई-172 बेल 412 इंजन	960 1200 1300
सिक्किम	बेल -407 [सिंगल/डबल इंजन]	1200
मेघालय	डॉफिन [डबल इंजन]	720
नागालैंड	डॉफिन [डबल इंजन] 2 हेलीकॉप्टर	1200
मिजोरम	डॉफिन [डबल इंजन] 2 हेलीकॉप्टर	1200
मणिपुर	डॉफिन [डबल इंजन]	744

2.73 विगत सात वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं पर हुए व्यय/इसके लिए जारी की गई निधि का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	व्यय/जारी निधि (करोड़ रु. में)
2012-13	25.00
2013-14	38.08
2014-15	53.41
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00

महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा

2.74 देश में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा के आधार पर, उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा मानकों और आवश्यकता के बारे में आवधिक रूप से परामर्श प्रदान करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के बारे में प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/मंत्रालयों के साथ तत्काल साझा किया जाता है। संगठनों/मंत्रालयों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, कतिपय महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ को तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के सुरक्षा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है और उनके खतरे की संभावना को देखते हुए तथा व्यापक सीमा में महत्वपूर्ण संस्थापनाओं को शामिल करने के लिए उन्हें क, ख और ग की बजाय क, ख, ग, घ एवं ङ के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। अब महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की संख्या बढ़कर 777 हो गई है।

धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा

2.75 देश में धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, किसी विशिष्ट खतरे की सूचना प्राप्त होने या सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसी धार्मिक पीठों/स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक एडवाइजरी और चेतावनियां जारी की जाती हैं।

हथियारों और गोला–बारूद का विनियमन

2.76 **छोटे हथियारों और गोला–बारूद के विनिर्माण से संबंधित लाइसेंस** : निजी क्षेत्र में 12.7 मिमी. कैलिबर तक के छोटे हथियारों और गोला–बारूद के विनिर्माण के लिए 32 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 4 लाइसेंस (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान) जारी किए गए हैं ।

2.77 **निषिद्ध बोर वाले व्यक्तिगत लाइसेंसः** गृह मंत्रालय द्वारा निषिद्ध बोर वाले 23 व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किए गए हैं (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान)।

2.78 **जारी अधिसूचनाः** कूर्ग जाति के किसी भी व्यक्ति और कूर्ग में प्रत्येक जुम्मा टेन्युर धारक के लिए दी गई छूट से संबंधित का.आ.3872(अ) दिनांक 29 अक्तूबर, 2019 को प्रकाशित किया गया।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019

2.79 हथियारों और गोला–बारूद से संबंधित कानून को मजबूत करने और संशोधित करने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया गया था। आयुध अधिनियम, 1959 और उसके तहत बनाए गए नियम हथियारों और गोला–बारूद को हासिल करने, उसे अपने पास रखने, उसके उपयोग, विनिर्माण, हस्तांतरण, बिक्री, परिवहन, निर्यात और आयात को विनियमित करते हैं तथा साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा को विनियमित करते हैं ताकि अवैध हथियारों और उनके कारण होने वाली हिंसा पर अंकुश लगाया जा सके।

2.80 विधि प्रवर्तन एजेंसियां इस ओर इशारा करती हैं कि अवैध हथियारों को रखने और दांडिक अपराधों को अंजाम देने के बीच संबंध बढ़ता जा रहा है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, पिछले कुछ वर्षों के दौरान अवैध आग्नेयास्त्रों की मारक शक्ति और परिष्करण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अवैध हथियारों की सीमा पार से तस्करी, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं और इस प्रकार तस्करी किए गए अवैध हथियारों के उपयोग को रोकना भी चिंता का एक मुख्य कारण बन गया है। अवैध आग्नेयास्त्रों के प्रयोग द्वारा किए जाने वाले अपराधों अथवा उससे जुड़े अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और कानून के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए, आयुध अधिनियम, 1959 में उचित संशोधन करके मौजूदा विधायी ढांचे को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता थी। इसी के साथ, व्यक्तियों और खिलाड़ियों द्वारा हथियारों के उपयोग के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को तर्कसंगत और सुविधाजनक बनाने की भी आवश्यकता थी।

2.81 उपर्युक्त उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए, दिनांक 14.12.2019 के का.आ. 4462 (अ) के माध्यम से आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 को दिनांक 14.12.2019 से अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं –

(क) पुलिस अथवा सशस्त्र बलों से हथियार छीनने, संगठित अपराध सिंडिकेट में लिप्त होने, विदेश में बने तस्करी किए गए आग्नेयास्त्रों अथवा प्रतिबंधित हथियारों और गोला–बारूद सहित अवैध तस्करी, बिना सोचे–समझे अथवा लापरवाही से हथियारों के इस्तेमाल अथवा हर्षोल्लास में फायरिंग द्वारा मानव जीवन को खतरे में डालने आदि जैसे नए अपराधों को परिभाषित करना और उनके लिए दंड निर्धारित करना।

(ख) हथियारों के अवैध निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण आदि; प्रतिबंधित हथियारों अथवा प्रतिबंधित गोला–बारूद को अवैध तरीके से हासिल करने, अपने पास रखने अथवा लेकर चलने; तथा आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, आयात, निर्यात आदि जैसे मौजूदा अपराधों के लिए सजा में वृद्धि करना।

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों की संख्या को दो तक सीमित करना; हथियारों के लाइसेंस की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करना और हथियार लाइसेंस को इसके इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की सुविधा शुरू करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी

2.82 प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में कंपनियों, बोलीदाताओं और व्यक्यिों को लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का उद्देश्य आर्थिक खतरों सहित संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन करना तथा प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम का मूल्यांकन करना है। इसका उद्देश्य एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने और दूसरी ओर देश में व्यापार को सुगम बनाने एवं निवेश को बढ़ावा देने के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और दिनांक 25.06.2018 के दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए सुरक्षा मंजूरी प्रक्रिया पर संशोधित दिशानिर्देशों का एक नया सेट (मार्च, 2019) जारी किया। सुरक्षा मंजूरी प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह मंत्रालय में अधिकारियों की समिति की बैठक होती है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान सुरक्षा मंजूरी से संबंधित 590 प्रस्तावों का निपटान किया गया।

करतारपुर साहिब क रिडोर का संचालन

2.83 सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के प्रस्ताव को दिनांक 22.11.2018 को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पूरे वर्ष में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करने के लिए तीर्थयात्रियों को सुगम और सहज मार्ग उपलब्ध कराने हेतु करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खोला जाना शामिल है।

2.84 करतारपुर साहिब कॉरिडोर को डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ,

एकीकृत विकास परियोजना के रूप में बनाया गया है। इस संबंध में दिनांक 24.10.2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का प्रयोग करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए दिनांक 24.10.2019 को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।

2.85 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 09.11.2019 को यात्री टर्मिनल भवन, डेरा बाबा नानक का उद्घाटन किया और गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर की यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया।

सिख जत्थे की पाकिस्तान यात्रा

2.86 प्रत्येक वर्ष सिख जत्थे चार अवसरों जैसे कि अप्रैल में बैसाखी, जून में गुरु अर्जुन देवजी शहादत दिवस, जून में महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और अक्तूबर/नवंबर में गुरु नानक देवजी के जन्मदिन पर पाकिस्तान में गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं। यह यात्रा धार्मिक पीठों की यात्रा के संबंध में दिनांक 14.09.1974 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत की जाती है। वर्ष 2019–2020 के दौरान बैसाखी, महाराजा रणजीत सिंह की बरसी और गुरु नानक देवजी के जन्मदिवस के अवसर पर 5,011 तीर्थयात्रियों ने पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा की।

सिख फ र जस्टिस (एसएफजे) पर प्रतिबंध

2.87 सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत दिनांक 10.07.2019 की अधिसूचना के द्वारा गैरकानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने दिनांक 07.08.2019 की अधिसूचना के द्वारा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।

वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन

2.88 54वें वार्षिक डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन का आयोजन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे में दिनांक 6–8 दिसंबर, 2019 को किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 6 दिसम्बर, 2019 को किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने 7–8 दिसंबर, 2019 को सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों तथा पुलिस व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

मानवीय आधार पर निधियां जारी करना

2.89 गृह मंत्रालय ''आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा और सीमा पार से फायरिंग और भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ित के परिवार के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम'' नामक एक केंद्रीय स्कीम का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा (एलडब्यूलई)/सीमा पार से गोलीबारी और बारूदी सुरंग/आईईडी के धमाकों के पीड़ित आम नागरिकों के परिवारों के भरण–पोषण और जीविका के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में उक्त योजना दिनांक 01.04.2008 से तथा वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के संबंध में दिनांक 22.06.2009 से प्रभावी है। सीमा पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू–भाग पर बारूदी सुरंग/आईईडी धमाकों से पीड़ित आम नागरिकों के लिए यह योजना दिनांक 24.08.2016 से लागू की गई। दिनांक 24.08.2016 को अथवा उसके बाद घटित हुये मामलों के लिए वित्तीय सहायता को दिनांक 24.08.2016 से 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता के रूप में निःशुल्क सहायता प्रदान करना है। विदेशी नागरिक और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी दिनांक 01.04.2008 से उक्त स्कीम के अंतर्गत पात्र/शामिल हैं।

2.90 चूंकि वित्तीय सहायता अंतरिम राहत प्रकृति की है, इसलिए केंद्रीय स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त

करने में लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा स्कीम को अधिक प्रभावी, सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए, स्कीम के दिशानिर्देशों को दिनांक 03.10.2019 से संशोधित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

क) पहले वित्तीय सहायता की पूरी राशि तीन वर्ष की लॉक–इन अवधि के लिए सावधि जमा में रखी जाती थी और लॉक–इन अवधि की शर्त अनिवार्य थी। इस शर्त में संशोधन किया गया है। अब, सहायता राशि के 50% का भुगतान पीड़ित/लाभार्थी के बचत बैंक खाते में किया जाएगा और शेष 50% राशि तीन साल की लॉक–इन अवधि के लिए सावधि जमा खाते में डाल दी जाएगी। कुछ परिस्थितियों जैसे कि आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा, पहली गृह संपत्ति के निर्माण, महंगे चिकित्सा उपचार के तहत अथवा समय–समय पर निर्धारित किये अनुसार, सावधि जमा की इस राशि को लॉक–इन अवधि की समाप्ति से पहले निकाला जा सकता है।

ख) पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थी इस शर्त पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था कि उसे अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा के आधार पर स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान नहीं की गई है। इस शर्त को हटा दिया गया है।

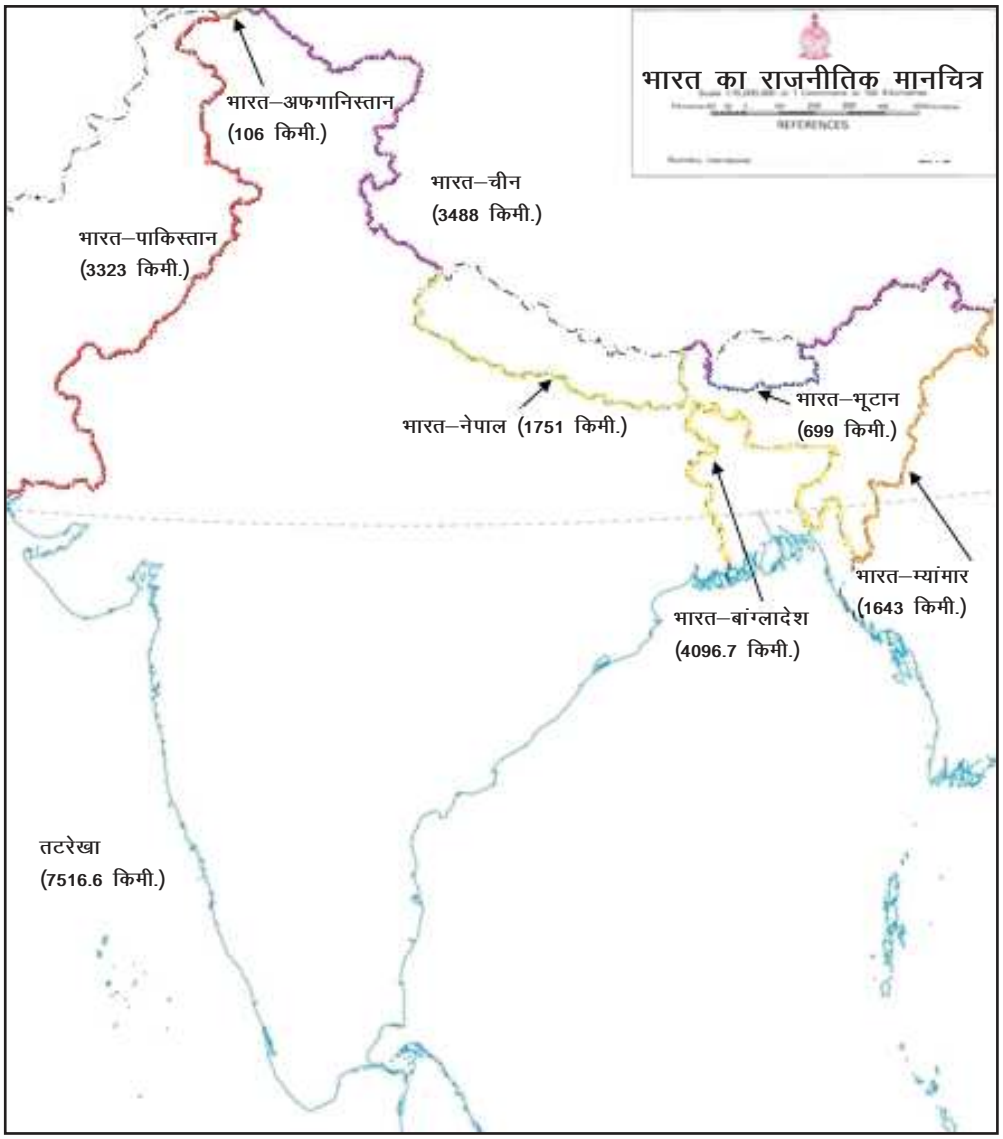
ग) यह स्पष्ट किया गया है कि एसआरई जिले/राज्य केंद्रीय स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अलावा एसआरई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। जम्मू और कश्मीर के मामले में, वित्तीय सहायता जम्मू, कश्मीर और लद्दाख प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14.06.2018 के पत्र संख्या 16016/4/2017–के–वी द्वारा शासित होगी।

2.91 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज बैंक द्वारा तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाता है। लॉक–इन अवधि के समाप्त होने के बाद, मूलधन की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में अंतरित कर दी जाती है। पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधी को सहायता का भुगतान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। केंद्र सरकार 70% राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल और शेष 30% राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान गृह मंत्रालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा शाखा से लेखा–परीक्षा सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात करती है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत 1.17 करोड़ रूपये की राशि (दिनांक 31.12.2019 तक) की प्रतिपूर्ति की गई है।

*****

अध्याय-3

सीमा प्रबंधन



अन्तर्राष्ट्रीय भू-सीमा

(स्रोत: भारतीय सर्वेक्षण)

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू–सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू–सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है:–

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	15,106.7

3.2 अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सीमा चौकियों (बीओपी)/कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) जैसी अवसंरचना के सृजन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

सीमा प्रबंधन का उद्देश्य

3.3 देश–विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने तथा इसके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय एवं ठोस कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.4 देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में, सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा कई पहलें की गई हैं। इनमें भारत–पाकिस्तान, भारत–बांग्लादेश, भारत–चीन, भारत–नेपाल, भारत–भूटान और भारत–म्यांमार सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सीमा चौकियों/कंपनी ऑपरेटिंग बेस तथा सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास करना और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में विभाग द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए गए हैं।

3.5 सीमाओं पर बलों की तैनाती **'एक सीमा, एक सीमा रक्षक बल (बीजीएफ)'** के सिद्धांत पर आधारित है। तदनुसार, प्रत्येक सीमा की जिम्मेदारी निम्नानुसार एक विशेष सीमा रक्षक बल को सौंपी गई है:–

- बांग्लादेश तथा पाकिस्तान सीमाएं – सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)
- चीन सीमा – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.)
- नेपाल तथा भूटान सीमाएं – सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.)
- म्यांमार सीमा – असम राइफल्स

इसके अतिरिक्त:

- भारतीय सेना बीएसएफ के साथ पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा (एलओसी) तथा आईटीबीपी के साथ चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगी भू–सीमाओं की रक्षा करती है।
- भारतीय नौ सेना समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय तटरक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित भारत के सीमांतर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

3.6 सीमा प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और पद्धतियां एक सीमा से दूसरी सीमा के लिए अलग–अलग हैं, जो सुरक्षा के प्रत्यक्ष ज्ञान तथा पड़ोसी देश के साथ संबंध पर आधारित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन

भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी)

3.7 भारत की तरफ से भारत–बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी अधिक है और सीमा तक खेती की जाती है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.8 सीमा चौकियां (बीओपी) सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मुख्य कार्य स्थल हैं। ये विशेष दायित्व क्षेत्र वाली सभी सुविधाओं से युक्त रक्षा चौकियां हैं, जो समस्त भू–सीमाओं पर अविच्छिन्न रूप से स्थापित की गई हैं। अन्य बातों के साथ–साथ, इन सीमा चौकियों का उद्देश्य घुसपैठ/अतिक्रमण तथा सीमा के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त सीमा–पार के अपराधियों, घुसपैठियों तथा विरोधी तत्वों को रोकने के लिए बल की उपयुक्त मौजूदगी मुहैया कराना है। प्रत्येक सीमा चौकी को आवास की सुविधा, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराई जाती है। वर्तमान में, भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पास 1,062 सीमा चौकियां हैं।

3.9 सरकार द्वारा भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) तथा भारत–बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर 422 कम्पोजिट बीओपी के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदन प्रदान किया गया है। 422 कम्पोजिट बीओपी में से, 326 कम्पोजिट बीओपी का निर्माण भारत–बांग्लादेश सीमा पर किया जाना है।



भारत–बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकी

(स्रोतः बीएसएफ)

बाड़ लगाना

3.10 भारत–बांग्लादेश सीमा के पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इस सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया है।

3.11 भारत–बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है

और सीमा पार की अवैध गतिविधियों तथा बांग्लादेश से भारत में हो रहे अवैध आप्रवासन पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। सीमा पार से अवैध आप्रवासन और राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों सहित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने सहित बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत–बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096.7 किमी. है, जिसमें से लगभग 3063.24 किमी. सीमा भौतिक बाड़ से कवर की गई है और शेष लगभग 1033.46 किमी. सीमा भौतिक और गैर–भौतिक अवरोधों से कवर की जाएगी। सभी चालू कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूरे किए जाएंगे। जिन हिस्सों पर भौतिक बाड़ संभव नहीं है, उन हिस्सों को प्रौद्योगिकीय समाधान द्वारा कवर किया जाएगा। इसके अलावा, पुराने डिजाइन की बाड़ को नए डिजाइन की बाड़ से बदले जाने की योजना बनाई गई है, जिसमें एंटी–कट, एंटी–रस्ट और एंटी–क्लाइंब फीचर्स शामिल हैं। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि–अधिग्रहण के मामले लंबित होने और सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।



भारत–बांग्लादेश सीमा पर नई डिजाइन की बाड़

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ व्यापक एकी त सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)

3.12 जिन क्षेत्रों में भौतिक बाड़ संभव नहीं है, भारत सरकार ने उस क्षेत्र को व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के रूप में गैर–भौतिक अवरोधों के साथ कवर करने की पहल की है। सीआईबीएमएस के अंतर्गत जनशक्ति, सेंसर, नेटवर्क, खुफिया और कमान एवं नियंत्रण के समाधान का एकीकरण किया जाना शामिल है, ताकि पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच स्थितिजन्य जानकारी प्रदान करने में सुधार हो सके, तत्काल एवं सुविज्ञ निर्णय लिए जा सकें और सम्मुख आने वाली परिस्थितियों के अनुरूप

त्वरित कार्रवाई की जा सके। चरण–I के अंतर्गत, भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ धुबरी, असम में 61 किमी. लंबी नदी सीमा के साथ एक पायलट परियोजना लागू की गई है। परियोजना के चरण–। के मूल्यांकन के पश्चात, सीआईबीएमएस के चरण–।। और चरण–।।। को बाद में अन्य क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।



धुबरी (असम) में सीआईबीएमएस परियोजना

(स्रोतः बीएसएफ)

सड़कें

3.13 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल के बेहतर संचार और परिचालनात्मक आवाजाही के लिए, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है। अब तक 4,223.04 किमी. की स्वीकृत लंबाई में से 3,697 किमी. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया है।



भारत–बांग्लादेश सीमा पर सड़क

(स्रोतः बीएसएफ)

तेज रोशनी की व्यवस्था (फ्लडलाइटिंग)

3.14 सरकार ने भारत–बांग्लादेश सीमा पर तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था करने का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। सीमा पर कुल 2698.6 किमी. की लंबाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से लगभग 2411.263 किमी. में यह कार्य पूरा हो गया है।



भारत–बांग्लादेश सीमा पर फ्लडलाइट

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत–पाकिस्तान सीमा (आईपीबी)

3.15 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. भू–सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साथ लगी हुई है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण, इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

सीमा चौकियां (बीओपी)

3.16 वर्तमान में, भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की 659 बीओपी मौजूद हैं। भारत–पाकिस्तान सीमा पर 93 कम्पोजिट बीओपी के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कम्पोजिट बीओपी का निर्माण किए जाने से भारत–पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के आवास, संभार तंत्र संबंधी सहायता तथा युद्ध संबंधी कार्यों के लिए सम्पूर्ण आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होगी। 90 बीओपी में निर्माण से संबंधित गतिविधियां पूरी हो गई हैं और शेष 3 बीओपी में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, भारत–पाकिस्तान सीमा पर 18 तटीय सीमा चौकियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है और कार्य प्रगति पर है।



भारत–पाकिस्तान सीमा पर सीमा चौकी

(स्रोतः बीएसएफ)

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.17 भारत–पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा–पार अपराधों के प्रयास को रोकने के लिए, भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2043.76 किमी. क्षेत्र में तेज रोशनी (फ्लडलाइट) की व्यवस्था करने की मंजूरी प्रदान की है। भारत–पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था के लिए 2043.76 किमी. क्षेत्र की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 1983.76 किमी. क्षेत्र में यह कार्य पूरा हो गया है।

बाड़ लगाना

3.18 भारत–पाकिस्तान सीमा के पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने 2069.046 किमी. बाड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 2021.886 किमी. बाड़ संबंधी कार्य पूरा हो गया है।



भारत–पाकिस्तान सीमा पर बाड़ एवं तेज रोशनी की व्यवस्था

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत–पाकिस्तान सीमा के साथ व्यापक एकी त सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)

3.19 भौतिक या गैर–भौतिक अवरोधों के माध्यम से भारत–पाकिस्तान सीमा को कवर करने के लिए भारत सरकार की पहल के भाग के रूप में, जिस क्षेत्र में भौतिक बाड़ संभव नहीं है, उसे व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के रूप में गैर–भौतिक अवरोधों के माध्यम से कवर किया जाएगा। चरण–। में, भारत–पाकिस्तान सीमा पर जम्मू में पांच किमी. प्रत्येक के दो हिस्सों पर एक पायलट परियोजना लागू की गई है। चरण–।। और चरण–।।। में, सीबाईबीएमएस को अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।





जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में सीआईबीएमएस परियोजना

(स्रोतः बीएसएफ)

भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी)

3.20 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिजोरम (510 किमी.) ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। भारत–म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। 1,643 किमी. में से 1,472 किमी. के सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। भारत–म्यांमार सीमा पर दो असीमांकित भाग हैं:–

(क) अरुणाचल प्रदेश का लोहित उप–क्षेत्र– 136 किमी.

(ख) मणिपुर में कबाऊ घाटी– 35 किमी.

3.21 भारत और म्यांमार के बीच सीमा संबंधी सभी मुद्दों की विस्तृत ढंग से जांच करने/उन पर विचार–विमर्श करने के लिए एक संयुक्त सीमा कार्य दल (जेबीडब्ल्यूजी) मौजूद है। जेबीडब्ल्यूजी के अधिदेश में मणिपुर सेक्टर में 09 अनिर्धारित सीमा पिलरों (बीपी) के निर्धारण के बारे में विचार–विमर्श, 10 मीटर 'निर्माण रहित क्षेत्र' के भीतर निर्माण, अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में सीमा पिलर 186 से आगे सीमा के सीमांकन और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक तौर पर सहमत अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

3.22 भारत–म्यांमार के बीच एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) विद्यमान है। एफएमआर के अंतर्गत, पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो भारत का नागरिक है अथवा म्यांमार का नागरिक है और जो भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) के किसी भी ओर 16 किमी. के भीतर किसी क्षेत्र का निवासी है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बॉर्डर पास (एक वर्ष की वैधता वाला) प्रस्तुत करने पर आईएमबी पार कर सकता है और प्रत्येक यात्रा के दौरान दो सप्ताह तक रह सकता है।

भारत–चीन सीमा

3.23 भारत–चीन सीमा पर पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत–चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। भारत–चीन सीमा पर सीमा रक्षक बल (बॉर्डर गॉर्डिंग फोर्स) के रूप में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को तैनात किया गया है।

भारत–नेपाल सीमा

3.24 भारत और नेपाल की 1,751 किमी. खुली सीमा है। अवैध एवं राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग को रोकना तथा इस सीमा की सुरक्षा में सुधार करना मुख्य चुनौतियां हैं। इस सीमा पर सीमा रक्षक बल (बीजीएफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 34 बटालियनें तैनात की गई हैं।

3.25 सीमा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक चिंता वाले मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुकर बनाने के लिए, भारत और नेपाल की सरकारों ने गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के स्तर पर सीमा जिला समन्वय समितियों का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराधों, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय/स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.26 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने भारत–नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड (173 किमी.), उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में 1,377 किमी. सामरिक सड़क के निर्माण एवं अपग्रेडेशन का अनुमोदन प्रदान किया है। भारत–नेपाल सीमा पर 253.87 किमी. सड़क का कार्य पूरा हो गया है।

भारत–भूटान सीमा

3.27 699 किमी. लम्बी भारत–भूटान सीमा पर सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा रक्षक बल के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 19 बटालियनें तैनात की गई हैं।

3.28 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में सचिव स्तरीय भारत–भूटान ग्रुप के रूप में एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। खुली सीमाओं का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले तत्वों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.29 भारत सरकार ने 313 किमी. लम्बी सीमा सड़क के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

3.30 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएडीपी का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप स्थित दूर–दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना और उन्हें

खुशहाल बनाना तथा केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों के संयोजन तथा सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाओं पर स्थित 16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 111 सीमावर्ती जिलों के 396 सीमावर्ती ब्लॉक आते हैं। बीएडीपी मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। बीएडीपी की वित्तपोषण पद्धति (अन्य कोर सीएसएस की भांति) 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), 2 हिमालय क्षेत्र के राज्यों (अर्थात् हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 (केंद्र का हिस्साः राज्य का हिस्सा) के अनुपात में है और 6 अन्य राज्यों (अर्थात् बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के लिए 60:40 के अनुपात में है। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (बिना विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र) के मामले में केंद्र का हिस्सा 100% है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए प्रदान की जाती हैं।



गाँवः मावलिन्नांग, ब्ल कः पाइनुर्सला, जिलाः पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय) में बिजली और पानी के कनेक्शन सहित पर्यटक सूचना केंद्र का निर्माण, समापन का वर्षः 2019–20

(स्रोतः मेघालय राज्य सरकार)

बीएडीपी के दिशानिर्देश

3.31 अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी. की दूरी के भीतर स्थित सभी गांव इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बीएडीपी के अंतर्गत किए जा रहे कार्य/परियोजनाएं, सड़क, पुल के निर्माण, पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियों जैसे कि सामाजिक अवसंरचना के निर्माण, क्षमता संवर्धन और कौशल विकास तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए शौचालयों के निर्माण, शिक्षा, खेल–कूद संबंधी गतिविधियों, ग्रामीण पर्यटन/सीमा पर्यटन के संवर्धन आदि से संबंधित हैं।



गांव लालपानी, ब्ल कः मावसिनराम, जिलाः पूर्वी खासी हिल्स (मेघालय) में लालपानी एल.पी. स्कूल के लिए अतिरिक्त स्कूल भवन का निर्माण, समापन का वर्षः 2019–20

(स्रोतः मेघालय राज्य सरकार)

बीएडीपी के तहत वित्तपोषण प्रणाली

3.32 बीएडीपी के दिशानिर्देशों (जून, 2015) के अनुसार, वार्षिक बजटीय आबंटनों को दो घटकों में बांटा जाता है अर्थात (i) कुल आबंटन का 40% सिक्किम सहित आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है और (ii) कुल आवंटन का शेष 60% अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमा वाले 8 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (i) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, (ii) सीमावर्ती ब्लॉकों की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लाकों के क्षेत्रफल के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। पहाड़ी, रेगिस्तानी और कच्छ का रण क्षेत्रों को 15% वेटेज दिया जाता है।



राजस्थान में एन.एच.–25 पर उतर्बा से देवलगढ़ तक मिसिंग लिंक रोड का निर्माण, पूर्ण होने की तिथिः 02.03.2019

(स्रोतः राजस्थान राज्य सरकार)

बीएडीपी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह और प्रगति

3.33 वर्ष 2019–20 में, बीएडीपी का बजटीय आबंटन 824.94 करोड़ रु. है। विगत चार वित्तीय वर्षों (वर्ष 2015–16 से 2018–19) और चालू वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान बीएडीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान बीएडीपी के तहत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	2015-16	2016-17 (केंद्रीय अंश)	2017-18 (केंद्रीय अंश)	2018-19 (केंद्रीय अंश)	2019-20 (केंद्रीय अंश) दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार
		जारी	जारी	जारी	जारी	जारी
1.	अरुणाचल प्रदेश	89.96	108.97	154.14	80.87	42.15
2.	असम	30.66	34.05	56.00	49.50	63.30
3.	बिहार	60.65	46.00	46.00	32.20	51.09
4.	गुजरात	33.08	38.00	31.72	56.23	14.00
5.	हिमाचल प्रदेश	23.10	31.00	35.00	25.95	17.58
6.	जम्मू और कश्मीर **	130.11	190.39	198.89	84.00	69.24
7.	लद्दाख **					
8.	मणिपुर	22.00	30.76	27.56	20.34	14.93
9.	मेघालय	27.31	36.67	36.56	22.69	16.02
10.	मिजोरम	38.62	46.00	46.00	32.20	30.96
11.	नागालैंड	29.10	32.15	40.04	33.96	9.69
12.	पंजाब	38.12	27.98	28.00	33.08	24.72
13.	राजस्थान	158.39	123.72	116.00	81.20	38.53
14.	सिक्किम	20.00	25.00	28.01	27.50	20.98
15.	त्रिपुरा	50.57	70.89	65.07	49.70	44.64
16.	उत्तर प्रदेश	48.59	38.00	38.00	26.60	0.00
17.	उत्तराखंड	27.95	27.08	31.00	29.20	25.62
18.	पश्चिम बंगाल	161.79	108.32	122.00	85.40	115.21
	कुल जोड़	**990.00**	**1015.00**	**1100.00**	**770.62**	**598.66**

** जम्मू और कश्मीर राज्य को अब दो संघ राज्य क्षेत्रों, यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है।



गाँवः अमजालोंग, ब्ल कः दवकी जिलाः पश्चिम जैंतिया हिल्स (मेघालय) में बास्केटब ल कोर्ट का निर्माण, समापन का वर्षः 2019–20

(स्रोतः मेघालय राज्य सरकार)

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.34 भारत की तटरेखा 7516.6 किमी. है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। निम्नलिखित नौ राज्य तथा चार संघ राज्य क्षेत्र तट पर स्थित हैंः–

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी.में)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	280.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्र प्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.40
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमण और दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुदुचेरी	47.60
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

समुद्री एवं तटीय सुरक्षा ढांचा

3.35 भारतीय नौ सेना को समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसमें तटीय और अपतटीय सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौ सेना की सहायता भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस और अन्य केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा की जाती है। आईसीजी को तटीय पुलिस द्वारा गश्त लगाए जाने वाले क्षेत्रों सहित सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है।

आईसीजी के महानिदेशक को कमांडर तटीय कमांड के रूप में पदनामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस)

3.36 सीमा प्रबंधन विभाग, तटीय क्षेत्रों, विशेष रुप से तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बल की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से चरणों में तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है।

3.37 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।) 6 वर्षों की अवधि में 646 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2005–06 से कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस), 97 जांच चौकियां, 58 आउटपोस्ट, 30 बैरक, 204 इन्टरसेप्टर नौकाएं, 153 जीपें, 312 मोटर साइकिलें और 10 रिजिड इनफ्लेटेबल नौकाएं (आरआईबी) उपलब्ध कराई गई थीं।

3.38 तटीय सुरक्षा योजना (चरण–।।) दिनांक 26.11.2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के पश्चात तेजी से बदलते हुए तटीय सुरक्षा परिदृश्य एवं उसके बाद तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए संवेदनशीलता/कमी संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में तैयार की गई है, जिसमें तटीय सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) द्वारा 1579.91 करोड़ रुपए के परिव्यय से तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस) (चरण–।।) अनुमोदित की गई है और दिनांक 31.03.2020 तक कार्यान्वित की जाएगी। चरण–।। के अन्तर्गत, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 131 सीपीएस, 60 जेटी, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र, 150 नौकाएं (12 टन), 75 विशेष श्रेणी की नौकाएं/आरआईबी, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें उपलब्ध कराई जानी हैं। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित घटकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	नौकाएं/जलयान		जेटी की संख्या	चार पहिया वाले वाहन	मोटर साइकिलें
			12 टन	अन्य			
1	गुजरात	12	21	10(5 टन)	5	12	24
2	महाराष्ट्र	7	14		3	7	14
3	गोवा	4	4		2	4	8
4	कर्नाटक	4	12		2	4	8
5	केरल	10	20		4	10	20
6	तमिलनाडु	30	0	20 (19 मी.)	12	30	60
7	आंध्र प्रदेश	15	30		7	15	30
8	ओडिशा	13	26		5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7		4	8	16
10	दमण एवं दीव	2	4		2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12 आर आई बी	2	3	6
12	पुदुचेरी	3	6		2	3	6
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20# 10 एमओसी		10 एलवी 23 आरआईबी	10	20	20
	कुल	**131**	**150**	**75**	**60**	**131**	**242**

एमओसी– समुद्री परिचालन केन्द्र, एलवी–बड़े जलयान, आरआईबी– रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट,
– विद्यमान तटीय पुलिस स्टेशनों का स्तरोन्नयन किया जाएगा।

3.39 तटीय सुरक्षा योजना चरण–।। के तहत, 127 तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस) कार्यशील कर दिए गए हैं, 33 जेटी का निर्माण किया गया है, 10 समुद्री परिचालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, 131 चार पहिया वाले वाहन और 242 मोटर साइकिलें खरीदी गई हैं।

3.40 सीएसएस–।। का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार कार्यान्वयन निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (#)	तटीय पुलिस स्टेशन (सीपीएस)				जेटी		चार पहिया वाले वाहन		दो पहिया वाले वाहन		समुद्री परिचालन केंद्र		
		स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित	निर्माण जारी	स्वीकृत	निर्मित/उन्नत की गई	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	खरीदे गए	स्वीकृत	कार्यशील	निर्मित
1	गुजरात	12	12	11	1	5	0	12	12	24	24	0	0	0
2	महाराष्ट्र*	7	7	4	0	3	14	7	7	14	14	0	0	0
3	गोवा	4	4	1	2	2	2	4	4	8	8	0	0	0
4	कर्नाटक	4	4	4	0	2	0	4	4	8	8	0	0	0
5	केरल	10	10	10	0	4	2	10	10	20	20	0	0	0
6	तमिलनाडु	30	27	30	0	12	0	30	30	60	60	0	0	0
7	आंध्र प्रदेश	15	15	15	0	7	0	15	15	30	30	0	0	0
8	ओडिशा	13	13	11	2	5	2	13	13	26	26	0	0	0
9	पश्चिम बंगाल	8	8	6	2	4	0	8	8	16	16	0	0	0
10	दमण एवं दीव	2	1	2	0	2	2	2	2	4	4	0	0	0
11	पुदुचेरी	3	3	1	1	2	2	3	3	6	6	0	0	0
12	लक्षद्वीप	3	3	1	2	2	1	3	3	6	6	0	0	0
13	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	20	20	20	0	10	8	20	20	20	20	10	10	1
	कुल	131	127	116	10	60	33	131	131	242	242	10	10	1

(*)–महाराष्ट्र राज्य सरकार नई जेटी का निर्माण करने के बजाय इंजन कक्षों, नौकाओं के कार्मिकों के लिए परिचालन कक्षों का निर्माण करके महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड (एमएमबी) की 14 जेटी का उन्नयन कर रही है।

तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य पहलें

सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी)

3.41 भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) समुद्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता लाने हेतु मछुआरों के लिए सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित कर रहा है। सामुदायिक विचार–विमर्श कार्यक्रम (सीआईपी) मछुआरा समुदाय को विद्यमान सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने और सूचना के संग्रहण के लिए उन्हें "आंख और कान" के रुप में विकसित करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं।

मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र

3.42 केंद्रीय मात्स्यिकी विभाग द्वारा मछुआरों को मछुआरा बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि समुद्र (सीमान्तर्गत जल क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन और खुले समुद्र) में जाने वाले सभी समुद्री मछुआरों को दिनांक 13.03.2019 को अथवा उसके पश्चात मुद्रित किये गये क्यूआर समर्थित स्पष्ट फोटोयुक्त आधार कार्ड साथ में रखना चाहिए।

जलयानों/नौकाओं का पता लगाना

3.43 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी जलयानों पर अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिक आइडेंटीफिकेशन सिस्टम (एआईएस) उपकरण लगा होना अपेक्षित है। तथापि, 20 मीटर से कम लम्बाई वाली नौकाओं के लिए, वर्तमान में उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक तंत्र मौजूद नहीं है। सचिव (बीएम) की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर, सभी तटीय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन की दृष्टि से तमिलनाडु और गुजरात (प्रत्येक में 500 टर्मिनल) और पुदुचेरी (50 टर्मिनल) में पंजीकृत उप–20 मीटर वाले मत्स्यन जलयानों में 1050 सैटेलाइट आधारित ट्रांसपोंडर्स लगाने के लिए प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (पीओसी) परियोजना पूरी हो चुकी है। समुद्र से होने वाले खतरे के प्रति राष्ट्रीय समुद्री और तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस) की दिनांक 23.09.2019 को हुई 17वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, जिसमें समिति ने यह सिफारिश की है कि "मात्स्यिकी विभाग राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यन क्षेत्र (विनियमन एवं प्रबंधन) विधेयक, 2019 में उप– 20 मीटर वाली मत्स्यन नौकाओं में अनिवार्य रूप से ट्रांसपोंडर लगाने से संबंधित प्रावधान करे और प्राथमिकता के आधार पर इसको अंतिम रूप देने के कार्य में तेजी लाए।"

3.44 इसके पश्चात, मात्स्यिकी विभाग ने 'विभिन्न श्रेणी के समुद्री मत्स्यन जलयानों के लिए उपलब्ध/विकसित विभिन्न ट्रैकिंग/संचार उपकरणों की सटीकता की जांच' हेतु एक 'विशेषज्ञ समिति' गठित की थी और उक्त 'विशेषज्ञ समिति' की सिफारिशों पर चर्चा एवं कार्रवाई करने के लिए दिनांक 11.11.2019 को एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की जा चुकी है।

छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा

3.45 तटीय राज्यों में 227 छोटे बंदरगाह हैं। सभी स्टेकहोल्डरों को दिनांक 11.03.2016 को छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में 'दिशानिर्देशों का सार संग्रह' जारी किया गया था। इसमें विभिन्न सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण करने के लिए छोटे बंदरगाहों पर आवश्यक समझी गई आधारभूत सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने संबंधित छोटे बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) के अनुरूप बनाने का अनुरोध भी किया है।

सिंगल प्वाइंट मूरिंग की सुरक्षा

3.46 सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) तट से दूर स्थित एक लोडिंग स्थान है, जो गैस अथवा तरल उत्पादों को चढ़ाने या उतारने वाले टैंकरों के लिए मूरिंग प्वाइंट और अन्तर–संपर्क के रूप में कार्य करता है। तट से विभिन्न दूरियों पर 26 एसपीएम कार्यशील हैं। एसपीएम की सुरक्षा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की है, जिसे सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है।

तटीय मानचित्रण

3.47 तटीय मानचित्रण तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण

की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तटीय मानचित्रण सूचना को मानचित्र में रखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें तटीय पुलिस स्टेशनों, स्थानीय पुलिस स्टेशनों, आसूचना ढांचे, मछली उतारने के स्थानों, मछली पकड़ने वाले गांवों, बंदरगाहों, सीमा–शुल्क जांच चौकियों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बम निष्क्रियकरण सुविधाओं आदि का महत्वपूर्ण ब्यौरा और स्थान शामिल है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दमण एवं दीव, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय मानचित्रण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लक्षद्वीप इस कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

नेशनल एकेडमी अ फ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी)

3.48 भारत सरकार ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना करने का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है। जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में एकेडमी के अस्थायी कैम्पस ने दिनांक 29.10.2018 से कार्य करना शुरू कर दिया है। 147 तटरक्षक पुलिस/कस्टम कार्मिकों वाले तीन बैचों ने मेरिन पुलिस फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लिया है। एनएसीपी के स्थायी कैम्पस की स्थापना हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।

एकी त जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

3.49 भारतीय भूमि–पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) की स्थापना भारतीय भूमि–पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत दिनांक 01.03.2012 को की गई थी। यह सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रुप में कार्य करता है, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व होता है। एलपीएआई अपने कार्य में संबंधित राज्य सरकारों और भारत की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स जैसे सीमा रक्षक बलों (बीजीएफ) को भी शामिल करता है।

3.50 एलपीएआई बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय भू–सीमाओं के नामित स्थानों पर यात्रियों और सामानों की सीमा पार आवाजाही के लिए वेयरहाउस, जांच शेड, पार्किंग स्थल, धर्म–कांटा आदि जैसी "सिंगल विंडो" अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता है। एलपीएआई यह कार्य विद्यमान भू–सीमा शुल्क केन्द्रों पर एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करके करता है। आईसीपी द्वारा एक एकीकृत परिसर के अंदर व्यक्तियों, वाहनों और सामानों के सुचारू सीमा पार आवागमन के लिए संप्रभु और गैर–संप्रभु कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगा। इसके लिए, आईसीपी द्वारा प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

(क) यात्री टर्मिनल भवन

(ख) 24 घंटे बिजली आपूर्ति– विद्युत सबस्टेशन–डीजी सेट–पावर बैक–अप

(ग) कार्गो निरीक्षण शेड

(घ) संगरोध ब्लॉक

(ङ) बैंक

(च) बैगेज/ह्यूमन बॉडी एक्स–रे स्कैनर्स

(छ) आइसोलेशन बे

(ज) कैफेटेरिया

(झ) मुद्रा विनिमय

(ञ) कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग

(ट) वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज

(ठ) खुले हुये माल के लिए सीन

(ड) धर्म कांटा

(ढ़) सुरक्षित और रोशनीदार परिसर/सीसीटीवी/पीए सिस्टम/फायर अलार्म सिस्टम

(ण) यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए पार्किंग स्थान

(त) अन्य सार्वजनिक सुविधाएं।

आईसीपी, यद्यपि एक एकल परिसर (सिंगल कॉम्प्लेक्स) है, फिर भी आयात और निर्यात संबंधी कार्य करने के लिए इसे यात्री सुविधा क्षेत्र और कारगो क्षेत्र में बांट दिया गया है।

3.51 चरण–I के तहत आईसीपी की स्थिति

क्र. सं.	स्थान	राज्य	सीमा	स्थिति
1	अटारी	पंजाब	पाकिस्तान	दिनांक 13.04.2012 को कार्यशील किया गया
2	अगरतला	त्रिपुरा	बाग्लादेश	दिनांक 17.11.2013 को कार्यशील किया गया
3	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	बांग्लादेश	दिनांक 12.02.2016 को कार्यशील किया गया
4	रक्सौल	बिहार	नेपाल	दिनांक 03.06.2016 को कार्यशील किया गया
5	जोगबनी	बिहार	नेपाल	दिनांक 15.11.2016 को कार्यशील किया गया
6	मोरेह	मणिपुर	म्यांमार	दिनांक 04.01.2019 को कार्यशील किया गया
7	दवकी	मेघालय	बांग्लादेश	निर्माणाधीन

अतिरिक्त आईसीपी का विकास

3.52 सीमा पर सुरक्षा में और अधिक सुधार करने तथा संबंधित पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने और उसमें सुधार लाने के लिए निम्नलिखित 13 स्थानों की पहचान एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) के विकास के लिए की गई है:–

क्र.सं.	आईसीपी का स्थान	राज्य	जिला	सीमा
1.	रुपैडिहा	उत्तर प्रदेश	बहराइच	नेपाल
2.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज	नेपाल
3.	सुतारकंडी	असम	करीमगंज	बांग्लादेश
4.	घोजाडंगा	पश्चिम बंगाल	नार्थ 24 परगना	बांग्लादेश
5.	चंग्रबंधा	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	बांग्लादेश
6.	फुलबाड़ी	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	बांग्लादेश
7.	जयगांव	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	भूटान
8.	पानीटंकी	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग	नेपाल
9.	महदीपुर	पश्चिम बंगाल	मालदा	बांग्लादेश
10.	हिली	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दीनाजपुर	बांग्लादेश

11.	बनबासा	उत्तराखंड	चम्पावत	नेपाल
12.	कवरपुइछुआ	मिजोरम	लुंगलेई	बांग्लादेश
13.	भीटामोड़	बिहार	सीतामढ़ी	नेपाल

3.53 भारत सरकार ने भारत–नेपाल सीमा के साथ सुनौली, रूपैडीहा (दोनों उत्तर प्रदेश में) में और भारत–बांग्लादेश सीमा के साथ सुतारकंडी (असम) में तीन आईसीपी स्थापित किए जाने तथा आईसीपी पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन के विकास का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, हिली, चंग्रबंधा, कवरपुइछुआ, जयगांव, पानीटंकी, घोजाडंगा, बनबासा, महदीपुर, फुलबाड़ी और भीटामोड़ में 10 आईसीपी विकसित करने के लिए एलपीएआई द्वारा भूमि के अधिग्रहण और विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट (डीईआर) तैयार करने हेतु भी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।

(क) **आईसीपी रुपैडिहा (भारत–नेपाल सीमा):** 144 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यह एलपीएआई के कब्जे में है, जिसने इसकी चाहरदीवारी का निर्माण कर दिया है। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है और विकास संबंधी कार्य की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) **आईसीपी सुतारकंडी (भारत–नेपाल सीमा):** एलपीएआई ने 3.38 एकड़ भूमि के साथ सीमा व्यापार केंद्र (बीटीसी) को असम राज्य सरकार से दिनांक 28.06.2019 को अपने अधिकार में ले लिया है। मौजूदा सुविधाओं में कुछ संशोधन करने के पश्चात, आईसीपी को आंशिक रूप से कार्यशील कर दिया गया है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और आईसीपी के विकास की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) **आईसीपी सुनौली (भारत–नेपाल सीमा):** 117 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

(घ) **यात्री टर्मिनल भवन (पीटीबी) पेट्रापोल:** पीटीबी पेट्रापोल के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है और विकास संबंधी कार्य की प्रक्रिया चल रही है।

3.54 डेरा बाबा नानक, करतारपुर साहिब क रिडोर, जिला गुरदासपुर, पंजाब में आईसीपी का विकास

(क) भारत तथा विदेशों में भव्य और शानदार तरीके से सिखों के पहले गुरू, श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के भारत सरकार के निर्णय के भाग के रूप में, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, एक समर्पित वीजा रहित कॉरिडोर और गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर (पाकिस्तान), जहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन बनाने का निर्णय लिया गया था।

(ख) एलपीएआई, जिसे इस परियोजना का कार्य सौंपा गया था, ने गुरूद्वारा करतारपुर साहिब (पाकिस्तान) के लिए प्रतिदिन लगभग 5000 तीर्थयात्रियों के सुगम आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर (पंजाब) में 21,650 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में एक अत्याधुनिक पूर्ण–रूपेण वातानुकूलित यात्री टर्मिनल भवन परिसर का विकास किया है।

(ग) यात्री टर्मिनल भवन, एकीकृत जांच चौकी, डेरा बाबा नानक की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(i) 2000 तीर्थयात्रियों के बैठने के लिए अंदर पर्याप्त स्थान।

(ii) वीआईपी लॉन्ज, सीसीटीवी निगरानी के साथ

ठोस सुरक्षा प्रणाली और पीए प्रणाली जैसी सुविधाएं।

(iii) प्रतिदिन 5000 तीर्थयात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए 54 आप्रवासन काउंटर और 12 सीमा शुल्क काउंटर।

(iv) सुरक्षा काउंटरों और जन सुविधाओं सहित विशाल प्रवेश द्वार।

(v) 10 बसों, 250 कारों तथा 250 दुपहिया वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल।

(घ) यात्री टर्मिनल भवन, आईसीपी, डेरा बाबा नानक का उद्घाटन दिनांक 09.11.2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और माननीय प्रधानमंत्री ने गुरूद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर (पाकिस्तान) जाने वाले 550 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को भी रवाना किया।

*****

अध्याय-4 केन्द्र–राज्य संबंध

अंतर–राज्य परिषद

4.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में इसकी संवैधानिक इकाइयों के बीच नीतियों और उनके कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) का गठन वर्ष 1990 में दिनांक 28.05.1990 के एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किया गया था।

4.2 आईएससी को ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार विमर्श करने, जिनमें कुछ अथवा सभी राज्यों अथवा केंद्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल हैं तथा उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। यह परिषद के अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लाये जाने वाले राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी विचार–विमर्श करती है।

4.3 माननीय प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल और परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट रैंक के छह मंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं। संघ सरकार के अन्य मंत्रियों को कार्यसूची के आधार पर अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। आईएससी का पिछला पुनर्गठन दिनांक 09.08.2019 को किया गया था।

4.4 परिषद सचिवालय आईएससी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/आईएससी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

अंतर–राज्य परिषद की बैठकें

4.5 अब तक आईएससी की 11 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अंतर–राज्य परिषद की 11वीं बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं और परिषद के समक्ष विचारार्थ आने वाले सभी मामलों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा सर्वसम्मति के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। परिषद को संविधान के अनुच्छेद 263 के खंड (क) में परिकल्पित दायित्व नामतः **''राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने''** नहीं सौंपा गया है।

केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग

4.6 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र–राज्य संबंधों पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2010 को भारत सरकार को प्रस्तुत की थी।

4.7 दिनांक 16.07.2016 को आयोजित अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थायी समिति द्वारा दिनांक 09.04.2017, 25.11.2017 और 25.05.2018 को आयोजित अपनी बैठकों में सभी खंडों में दी गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है।

अंतर–राज्य परिषद की स्थायी समिति

4.8 परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर सतत परामर्श और कार्रवाई के लिए वर्ष 1996 में अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति का गठन किया गया था। माननीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, जिसमें चार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सात मुख्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अंतर–राज्य परिषद (आईएससी) की स्थायी समिति के गठन के समय से लेकर अब तक इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 09.08.2019 को किया गया था।

क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका और कार्य

4.9 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित पांच क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय के रूप में हैं, जिनका गठन अंतर–राज्य तथा क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने, संतुलित सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र–राज्य संबंध बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री और दो मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, इसमें प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से दो सदस्य होते हैं।

4.10 प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। मुद्दों को निपटाने अथवा क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरंभिक कार्य करने हेतु स्थायी समितियों की बैठकें समय–समय पर आयोजित की जाती हैं।

4.11 नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों में शामिल किए जाते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों और स्थायी समितियों की बैठकें

4.12 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 126 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 64 बैठकें हो चुकी हैं ।

क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

4.13 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, की 24वीं बैठक दिनांक 22 अगस्त, 2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में, पणजी, गोवा में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में से कुछ 'सबके लिए आवासः 2022' के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों/एजेंसियों की अधिशेष भूमि उपलब्ध कराना; आधार से संबंधित मुद्दे; खुले समुद्र (हाई सी) में जाने वाले समुद्री मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए यूआईडीएआई डाटाबेस के प्रयोग; पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम के कार्यान्वयन; महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की शीघ्रता से जांच; बैंक शाखाओं/पोस्टल बैंकिंग सुविधाओं से गांवों को कवर करने संबंधी मुद्दे; रोड ओवर ब्रिजों (आरओबी) की लागत बांटने हेतु सहमति; गुजरात राज्य में बारमेर रिफाइनरी परियोजना के लिए प्रस्तावित क्रूड ऑयल टर्मिनल (सीओटी) हेतु भूमि का आबंटन आदि से संबंधित थे।



गोवा में दिनांक 22.08.2019 को आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक

(स्रोतः आईएससीएस)

4.14 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल हैं, की 29वीं बैठक दिनांक 20.09.2019 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में से कुछ पानी और बिजली के बंटवारे; पड़ोसी राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण; राजस्थान में हरिके बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी के प्रदूषण; महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की शीघ्रता से जाँच; बैंक शाखाओं/पोस्टल बैंकिंग सुविधाओं से गांवों को कवर करने संबंधी मुद्दे; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन; कंपनसेटरी अफारेस्ट्रैशन (सीए) और नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) का भुगतान; चंडीगढ़ में रिंग रोड का निर्माण; हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच अंतर राज्य सीमा विवाद; भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पूर्णकालिक सदस्य; पंजाब वित्तीय निगम और पंजाब राज्य औद्योगिक निगम से तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी न्यासों का बकाया प्राप्त न होने आदि से संबंधित थे।



चंडीगढ़ में दिनांक 20.09.2019 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक

(स्रोतः आईएससीएस)

स्थायी समिति की बैठकें

4.15 दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक दिनांक 27 सितंबर, 2019 को तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में चेन्नई में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में से कुछ पुदुचेरी एयरपोर्ट के विकास; मछली पकड़ने के अधिकारों पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों के बीच पुलिकट लेक विवाद; एक्वाकल्चर झींगा निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों की जाँच; पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता; महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की शीघ्रता से जाँच; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन; खुले समुद्र (हाई सी) में जाने वाले समुद्री मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए यूआईडीएआई डेटाबेस के प्रयोग; मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे की भूमि को स्थायी आधार पर हस्तांतरित करने की नीति की समीक्षा और रेलवे लाइनों/भूमि को क्रॉस करने की अनुमति; संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु सूचना को अंतर–राज्य आधार पर साझा करना; तमिलनाडु के मछुआरों को सभी तटीय राज्यों के क्षेत्रीय जलीय इलाके में आने–जाने (क्रूज) और बेसिक जरूरतों जैसे ईंधन, भोजन, जल और बर्फ के लिए मत्स्य बोटों के लिए उपलब्ध बर्थिंग सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति देना; एंटी–माइक्रोबिअल प्रतिरोधकता की रोकथाम; पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को तमिलनाडु से रेत की आपूर्ति तथा विदेश से रेत आयात करने की अनुमति; प्रचुर मात्रा में समुद्री संसाधनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पोर्ट ब्लेयर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात जांच एजेंसी के डेस्क कार्यालय खोलना/स्थापित करना; तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली बोटों द्वारा आंध्र प्रदेश के जलीय इलाके में बिना अनुमति प्रवेश करने और अवैध मछली पकड़ने तथा आंध्र प्रदेश राज्य में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कारागार संस्थान अर्थात राष्ट्रीय कारागार अकादमी की स्थापना के मामले आदि से संबंधित थे।



चेन्नई में दिनांक 27.09.2019 को आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की 11वीं बैठक

(स्रोतः आईएससीएस)



रायपुर में दिनांक 11.10.2019 को आयोजित केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की 13वीं बैठक

(स्रोतः आईएससीएस)

4.16 केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक दिनांक 11.10.2019 को छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में से कुछ खाद्यान्नों के भंडारण; वन संबंधी मंजूरी से संबंधित मुद्दे; मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत प्राप्त मोटे अनाज को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने; भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में घोषित करने; एनएसएपी (पेंशन) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित "स्टेट कैप" का संशोधन; अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए अंतर राज्य समन्वय बैठक आयोजित करने; छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण; महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की शीघ्रता से जाँच; पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन; रेलवे परियोजनाओं के लिए राज्यों में रेलवे लाइन के दोहरीकरण/नई लाइन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास आदि से संबंधित थे।

4.17 पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 11वीं बैठक दिनांक 23.10.2019 को बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पटना में आयोजित की गई थी। बैठक में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में से कुछ बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा अपर महानंदा जल स्कीम पर हस्ताक्षरित समझौते के तहत फूलबाड़ी बांध पर पानी के बंटवारे; बागडोगरा हवाई अड्डे के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण; कालाहांडी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पीरियोडिक ओवरहालिंग वर्कशॉप की स्थापना; बिहार में शराबबंदी नीति के कार्यान्वयन; बिहार और झारखंड के बीच पेंशन देयता का निर्धारण; कोयला ब्लॉकों से संबंधित मामले; धुले कोयले पर रॉयल्टी; महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की शीघ्रता से जाँच; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन; कोयला खदानों के विकास में बाधाओं; खुले समुद्र (हाई सी) में जाने वाले मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के प्रयोग; पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में रेलवे लाइन के दोहरीकरण/विस्तार/नई लाइन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण और वन संबंधी मंजूरी आदि से संबंधित थे।



पटना में दिनांक 23.10.2019 को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की 11वीं बैठक

(स्रोतः आईएससीएस)

*****

अध्याय-5 देश में अपराध का परिदृश्य

5.1 "क्राइम इन इंडिया" के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित वार्षिक आंकड़े 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। यह ब्यूरो केवल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधिक मामलों को वार्षिक आधार पर एकत्रित, मिलान, संकलित और प्रकाशित करता है। यह आंकड़े पुलिस स्टेशन/जिला स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस द्वारा दर्ज किए जाते हैं। ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपराध के आंकड़ों की गणना के लिए "प्रिंसिपल ऑफेंस रूल" का अनुसरण करता है। इस प्रकार, एक एफआईआर मामले में दर्ज किए गए अनेक अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (जिसमें कठोरतम दंड मिले) को गणना की इकाई के रूप में लिया जाता है।

क. अपराध की प्रवृत्ति का विश्लेषण

क) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) से संबंधित अपराध

अपराध शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
आईपीसी	29,75,711	30,62,579	31,32,954	233.6	237.7	236.7
एसएलएल	18,55,804	19,44,465	19,41,680	145.7	150.9	146.7
कुल	48,31,515	50,07,044	50,74,634	379.3	388.6	383.5

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.2 वर्ष 2018 में कुल 50,74,634 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत 31,32,954 अपराध तथा विशेष एवं स्थानीय कानून (एसएलएल) के अंतर्गत 19,41,680 अपराध शामिल हैं, जो वर्ष 2017 के मुकाबले 1.33% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2018 के दौरान, आईपीसी के अंतर्गत अपराधों में 2.3% और एसएलएल के अंतर्गत अपराधों में 0.1% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी का प्रतिशत हिस्सा 61.7% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 38.3% था।

ख) मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध

5.3 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के कुल 10,40,046 मामले दर्ज हुए थे, जो वर्ष 2018 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों का 33.2% है। इन अपराधों के अधिकतर मामलों का कारण चोट लगना (5,30,076 मामले) रहा अर्थात 51.0% और इसके बाद लापरवाही से मौत होना है (1,44,031 मामले) तथा अपहरण एवं व्यहपहरण के मामलों (1,05,734 मामले) का प्रतिशत क्रमशः 13.8% और 10.2% रहा।

ग) लोक शांति के विरुद्ध अपराध

5.4 वर्ष 2018 के दौरान लोक शांति के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के कुल 76,851 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से दंगों के मामलों का प्रतिशत कुल ऐसे मामलों का 75.2% है।

घ) हिंसक अपराध

अपराध के शीर्ष	अपराध की घटना			अपराध दर *		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
हत्या	30,450	28,653	29,017	2.4	2.2	2.2
अपहरण और व्यपहरण	88,008	95,893	1,05,734	6.9	7.4	8.0
कुल हिंसक अपराध	4,29,299	4,26,825	4,28,134	33.7	33.1	32.4

* अपराध दरः अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध की घटनाओं के आधार पर की जाती है।

(स्रोतः एनसीआरबी)

ङ) हिंसक अपराध– हत्या

5.5 वर्ष 2018 के दौरान हत्या के कुल 29,017 मामले दर्ज किये गए थे, जिसमें वर्ष 2017 (28,653 मामले) की तुलना में 1.3% की वृद्धि देखी गई। हत्याओं के इन मामलों के मकसद सबसे अधिक विवाद (9,623 मामले) और तत्पश्चात व्यक्तिगत प्रतिशोध या शत्रुता (3,875 मामले) और लाभ अर्जन (2,995 मामले) रहे।

च) हिंसक अपराध – अपहरण और व्यपहरण

5.6 वर्ष 2018 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 1,05,734 मामले दर्ज किए गए। कुल 1,05,536 व्यक्तियों (24,665 पुरुष और 80,871 महिलाएं) का अपहरण अथवा व्यपहरण किया गया। 39,546 पीड़ितों को अपहरित समझे गए श्रेणी के तहत सूचित किया गया था। इसके अलावा, कुल 92,137 अपहरित अथवा व्यपहरित लोग (22,755 पुरुष और 69,382 महिलाएं) बरामद किए गए, जिनमें से 91,709 व्यक्ति जीवित और 428 मृत बरामद किए गए।

छ) पुलिस और न्यायालय द्वारा आईपीसी मामलों का निपटान

क्रम संख्या	आईपीसी के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज-शीटिंग की दर	विचारण हेतु संपूर्ण मामले	दोष सिद्ध हुये कुल मामले	दोष सिद्धि की दर
1	हत्या	49,891	84.2	2,21,250	7,512	41.4
2	बलात्कार	47,139	85.3	1,56,327	4,708	27.2
3	अपहरण और व्यपहरण	1,69,790	38.1	2,28,319	4,973	29.2
4	दंगे	91,799	85.4	4,97,909	5,299	18.8

5	चोट (मामूली एवं गंभीर चोट)	6,80,868	89.4	24,96,541	69,404	32.6
6.	कुल आईपीसी अपराध	43,84,601	68.1	1,21,06,309	6,38,955	50.0

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.7 देश में कुल 43,84,601 मामले (12,49,725 पुराने + 31,32,954 नए + 1,922 पुनः खोले गए) जांच के लिए दर्ज हुए हैं। वर्ष 2018 के दौरान, 68.1% की चार्ज–शीटिंग दर के साथ 21,38,710 मामलों में आरोप–पत्र सौंपे गए थे। पुलिस द्वारा 31,42,538 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत तक 12,39,923 मामले जांच के लिए लंबित थे। वर्ष के दौरान देश में कुल 1,21,06,309 मामले (99,67,599 पुराने + 21,38,710 नए) विचारण (ट्रायल) हेतु दर्ज किये गए। वर्ष 2018 के दौरान, 12,77,011 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 50.0% दोष सिद्धि दर के साथ 6,38,955 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त अथवा खारिज हो गए।

ज) पुलिस और न्यायालय द्वारा एसएलएल मामलों का निपटान

क्रम संख्या	एसएलएल के तहत अपराध शीर्ष	जांच के लिए कुल मामले	चार्ज-शीटिंग की	विचारण हेतु संपूर्ण मामले	दोष सिद्ध हुये कुल मामले	दोष सिद्धि की दर
1.	आबकारी अधिनियम	3,13,978	97.5	8,05,301	1,69,218	84.7
2.	स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	90,637	97.5	2,34,897	28,333	74.4
3.	आयुध अधिनियम	78,367	98.7	4,01,628	27,226	68.3
4.	कुल एसएलएल अपराध	23,72,334	92.2	80,51,021	11,36,680	81.8

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.8 जांच के लिए कुल मामले 23,72,334 (4,30,500 पुराने + 19,41,680 नए + 154 पुनः खोले गए) दर्ज हुए। वर्ष 2018 के दौरान, 92.2% चार्ज–शीटिंग दर के साथ 18,12,730 मामलों में आरोप पत्र सौंपे गए। पुलिस द्वारा 19,65,735 मामलों का निपटारा किया गया और वर्ष के अंत में 4,06,373 मामले जांच के लिए लंबित थे। देश में वर्ष के दौरान विचारण (ट्रायल) हेतु कुल 80,51,021 (62,38,291 पुराने + 18,12,730 नए) मामले दर्ज हुए। वर्ष 2018 के दौरान, 13,89,104 मामलों में विचारण (ट्रायल) पूरा हो गया है और 81.8% दोष सिद्धि दर के साथ 11,36,680 मामलों में दोष सिद्ध हुआ है तथा शेष दोषमुक्त अथवा खारिज हो गए।

झ) गिरफ्तारी, दोष सिद्धि और दोषमुक्ति

5.9 वर्ष 2018 के दौरान आईपीसी के तहत अपराधों में कुल 33,15,033 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 35,75,644 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिए गए, 8,64,686 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 11,63,112 व्यक्तियों को बरी किया गया अथवा उन्हें छोड़

दिया गया। वर्ष 2018 के दौरान एसएलएल के तहत अपराधों में कुल 21,93,157 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 23,84,982 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिया गया, 14,22,151 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और 3,41,085 व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया अथवा उन्हें छोड़ दिया गया।

ख. समाज के कमजोर वर्ग

क) महिलाओं के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016 -2017	2017-2018
3,38,954	3,59,849	3,78,277	55.2	57.9	58.8	6.2%	5.1%

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनायें दर्ज की गई थीः

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामले
पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	1,03,272
महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	89,097
अपहरण और व्यपहरण	72,751
बलात्कार	33,356

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.10 महिलाएँ भी कई सामान्य अपराधों जैसे कि हत्या, डकैती, धोखाधड़ी आदि की शिकार होती हैं। विशेष रूप से केवल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध' के रूप में जाना जाता है। तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में वर्ष 2017 की तुलना में 5.1% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज किये जाने, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी परामर्शों के माध्यम से पुलिस को संवेदनशील बनाए जाने और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप हुई है। वर्ष 2018 के दौरान महिलाओं के प्रति आईपीसी अपराधों का अनुपात रिपोर्ट किए गए कुल आईपीसी अपराधों का 10.3% है। वर्ष 2018 में महिलाओं के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख महिला जनसंख्या पर 50.3 थी।

5.11 महिलाओं के प्रति अपराध में सबसे अधिक मामले 'पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (31.9%) के तहत दर्ज किये गए, इसके बाद 'महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से उन पर हमला करने' (27.6%), 'महिलाओं का अपहरण और व्यपहरण' (22.5%) और 'बलात्कार' (10.3%) के तहत दर्ज किये गए।

ख) बच्चों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016 - 2017	2017 - 2018
1,06,958	1,29,032	1,41,764	24.0	28.9	31.8	20.6%	9.9%

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों में अपराध की अधिक घटनाएं होने की सूचना मिली:

अपराध का शीर्ष	कुल मामलों की रिपोर्ट
अपहरण और व्यपहरण	62,668
पोक्सो अधिनियम, 2012	39,827

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.12 इस तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2018 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 1,41,764 मामले दर्ज किए गए थे। प्रतिशत के संदर्भ में, वर्ष 2018 के दौरान 'बच्चों के विरुद्ध अपराध' के संबंध में प्रमुखता वाले शीर्षों में 'अपहरण और व्यपहरण' (44.2%) तथा 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले' (28.1%), जिनमें बाल बलात्कार के मामले भी निहित हैं, शामिल हैं। वर्ष 2018 के दौरान बच्चों की प्रत्येक एक लाख की आबादी पर बच्चों के प्रति अपराध की दर 31.8 देखी गई।

ग) कानून के विरुद्ध चलने वाले किशोर

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016- 2017	2017- 2018
35,849	33,606	31,591	-6.3%	-6.3%

(स्रोतः एनसीआरबी)

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अपराध की अधिकतर घटनायें सूचित की गई :

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामले
चोरी	8,332
चोटें	5,640
सेंधमारी	1,999
बलात्कार	1,547

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.13 वर्ष 2018 के दौरान 31,591 मामलों में कुल 38,256 किशोर पकड़े गए थे, जिनमें से 35,380 किशोरों को आईपीसी के मामलों के तहत और 2,876 किशोरों को एसएलएल के मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

वर्ष 2018 के दौरान कानून के विरुद्ध चलने वाले अधिकांश किशोर, जिन्हें आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया है, 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु सीमा के बीच (75.5%), (38,256 में से 28,694) थे।

घ) अनुसूचित जाति (एससी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016- 2017	2017- 2018
40,801	43,203	42,793	20.3	21.5	21.3	5.9%	-0.9%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.14 अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एससी आबादी पर 21.3 देखी गई।

ङ) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016- 2017	2017- 2018
6,568	7,125	6,528	6.3	6.8	6.3	8.5%	-8.4%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.15 उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2018 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध/अत्याचार के कुल 6,528 मामले/अत्याचार दर्ज हुए थे। अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध की दर प्रति एक लाख एसटी जनसंख्या पर 6.3 देखी गई थी।

च) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

अपराध की घटना			अपराध दर			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016- 2017	2017- 2018
21,410	22,727	24,349	20.6	21.9	23.4	6.2%	7.1%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.16 वर्ष 2018 के दौरान देश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराधों के कुल 24,349 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2018 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के साथ मामूली चोट, चोरी एवं छीना–झपटी और जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी प्रमुख अपराध थे।

अपराध की अधिकतर घटनायें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन दर्ज की गईः

अपराध के शीर्ष	कुल दर्ज मामले
मामूली चोटें	5,347
चोरी और छीना-झपटी	4,390
जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी	2,154

(स्रोतः एनसीआरबी)

ग. आर्थिक अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016 – 2017	2017 – 2018
1,43,524	1,48,972	1,56,268	3.8%	4.9%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.17 वर्ष 2018 के दौरान आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणी यथा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, नकल एवं जालसाजी, ठगी एवं धोखाधड़ी में से अधिकतम 1,34,546 मामले जालसाजी और ठगी एवं धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिसके बाद विश्वास का आपराधिक उल्लंघन (20,456 मामले) और नकल (1,266 मामले) के मामले हुए हैं।

घ. साइबर अपराध

अपराध की घटना			प्रतिशत भिन्नता	
2016	2017	2018	2016 – 2017	2017 – 2018
12,317	21,796	27,248	77.0%	25.0%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.18 वर्ष 2018 के दौरान, कंप्यूटर संबंधित अपराधों के अंतर्गत साइबर अपराध के 51.9% मामले (27,248 मामलों में से 14,141) दर्ज किए गए, उसके बाद 12.3% (3,353 मामले) मामले धोखाधड़ी और 7.5% (2,051 मामले) मामले ठगी से संबंधित थे।

ङ. संपत्ति के लिए अपराध

5.19 वर्ष 2018 के दौरान, संपत्ति के लिए किये गए अपराधों के तहत कुल 8,02,372 मामले (कुल आईपीसी अपराधों का 25.6%) दर्ज हुए, जिसमें चोरी (6,25,441 मामले) के मामले तथा सेंधमारी (99,940 मामले) के मामले क्रमशः 82.0% और 13.1% रहे।

वर्ष	2016	2017	2018
चोरी की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	9,733	5,002	5,227
बरामद की गई संपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)	1,459	1,296	1,849
चोरी की गई संपत्ति की प्रतिशत वसूली	15.0%	25.9%	35.4%

(स्रोतः एनसीआरबी)

5.20 वर्ष 2018 के दौरान, 5,227 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की चोरी हुई और 1,849 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्तियां वसूली गई, जो कि चोरी की गई संपत्तियों की 35.4% रिकवरी है। वर्ष 2018 के दौरान, कुल चोरी (6,25,441 मामले) में से, 2,33,727 मामले (38.3%) ऑटो वाहन चोरी के मामलों से संबंधित थे। वर्ष 2018 के दौरान, आवासीय परिसरों में संपत्ति अपराधों के 2,44,271 मामले हुए। यद्यपि, 18,418 मामलों के साथ लूटपाट के अधिकतर मामले सड़क मार्गों पर हुए।

च. लापता हुए व्यक्ति

5.21 वर्ष 2018 में कुल 6,46,282 व्यक्ति (2,60,998 पुरुष, 3,84,685 महिलाएँ और 599 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2018 के दौरान, कुल लापता व्यक्तियों में से वर्ष के अंत तक कुल 3,32,754 व्यक्तियों (1,22,384 पुरुष, 2,09,852 महिलाएं और 518 ट्रांसजेंडर) का पता लगा लिया गया था।

5.22 वर्ष 2018 में कुल 1,15,656 बच्चे (37,543 बालक, 77,952 बालिकाएं और 161 ट्रांसजेंडर) लापता हुए थे (पिछले वर्षों से लापता सहित)। वर्ष 2018 के दौरान, इस वर्ष के अंत तक कुल 71,176 बच्चों (22,239 बालक, 48,787 बालिकाएं और 150 ट्रांसजेंडर) का पता लगाया गया था।

छ. आयुध अधिनियम के तहत जब्ती

5.23 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत कुल 78,367 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 74,877 हथियारों को जब्त किया गया। इसमें से 71,135 हथियार बिना लाइसेंस वाले और 3,742 हथियार लाइसेंस युक्त थे। वर्ष 2018 के दौरान कुल 1,08,444 गोलाबारूद जब्त किए गए थे।

ज. मादक पदार्थों की जब्ती

5.24 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2018 के दौरान मादक पदार्थों की जब्ती के कुल 49,450 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 60,156 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

*****

अध्याय-6 मानव अधिकार और राष्ट्रीय एकता

भाग– I

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)

6.1 भारत के संविधान में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों से यह भी अपेक्षित है कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण सुनिश्चित करें ताकि समाज के सभी वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए एक समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। देश के सिविल और आपराधिक कानूनों में भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के तंत्र मौजूद हैं और वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है। मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 जो दिनांक 02.08.2019 से प्रभावी हुआ है, के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानद सदस्य अब निम्नानुसार हैं:–

(क) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।

(ख) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

(ग) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।

(घ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग।

(ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(च) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।

(छ) नि:शक्त व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त।

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। एनएचआरसी का एक मुख्य कार्य शिकायतें प्राप्त करना और लोक सेवकों द्वारा जानबूझकर/भूल–चूक अथवा लापरवाही से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच–पड़ताल शुरू करना है, ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोका जा सके।

6.4 वर्ष 2019–20 के लिए एनएचआरसी का बजटीय अनुमान 50.80 करोड़ रु. है। दिनांक 31.12.2019 तक, गृह मंत्रालय द्वारा 38.10 करोड़ रु. की राशि की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से वर्ष 2018–19 के अव्ययित शेष के रूप में 3.42 करोड़ रु. को समायोजित करने के पश्चात 34.68 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

6.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 10.10.2019 के आदेश के तहत एनएचआरसी में 25 अतिरिक्त पद सृजित किए हैं।

शिकायतों का निपटान

6.6 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 54,871 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एनएचआरसी ने 54,781 मामलों का निपटान किया और इसमें पूर्व वर्ष से अग्रेषित किये गये मामले भी सम्मिलित थे। एनएचआरसी ने 3,557 मामले निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग (एसएचआरसी) को भी

हस्तांतरित किए। उक्त अवधि के दौरान, एनएचआरसी ने 292 मामलों में (लगभग) 9.16 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की।

मामलों की जांच–पड़ताल

6.7 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, एनएचआरसी के जांच प्रभाग ने न्यायिक हिरासत में मौतों के 3,338 मामलों, पुलिस हिरासत में मौंतों के 244 मामलों सहित कुल मिलाकर 3,582 मामलों और तथ्य का पता लगाने वाले 1,387 मामलों का निपटान किया। एनएचआरसी ने पुलिस मुठभेड़ में मौंतों के 344 मामलों का भी निपटान किया तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 44 मामलों की मौके पर जांच की।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है। एनएचआरसी ने बैंकॉक, न्यूयार्क, कतर, नेपाल, जिनेवा, मंगोलिया और कोरिया में आयोजित 8 बैठकों/ कार्यशालाओं/ सेमिनारों में भाग लिया। एनएचआरसी ने नेपाल के शिष्टमंडल, ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली और लावासिया जापान के शिष्टमंडल के साथ भी वार्ता की।

मुख्य समूह

6.9 एनएचआरसी में विभिन्न मानव अधिकार संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाले ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा निकायों के प्रतिनिधियों वाले प्रमुख समूह और विशेषज्ञ समूह निहित हैं, जो इन समूहों के सदस्यों के रूप में अवैतनिक क्षमता में सेवा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से तैयार होते हैं। ये समूह एनएचआरसी को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करते हैं। इसमें निशक्तता और वृद्ध व्यक्ति, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, व्यापार संबंधी वातावरण और मानव अधिकार, भोजन का अधिकार, समलैंगिक, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और मध्यलिंगी (एलजीबीटीआई) महिलाओं, बच्चों, बंधुआ मजदूर आदि से संबंधित प्रमुख समूह कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने एनएचआरसी के सदस्यों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की हैं और विचार–विमर्श किया है।

एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों के दौरे

6.10 एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदकों ने झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, चंडीगढ़, गोवा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और मणिपुर का दौरा किया।

बंधुआ मजदूरी/अनुसंधान इकाई के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं

6.11 विभिन्न विषय क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। इन विषय क्षेत्रों में जेलों में और पुलिस हिरासत में मौतों की प्रवृत्ति और स्वरूपः ऐसी मौतों की उच्चतर घटनाओं वाले कम–से–कम चार राज्यों को शामिल करके किया गया एक प्रायोगिक अनुसंधान; व्यवसाय और मानव अधिकार – पद्धति का गहन अध्ययन; मानव अधिकारों के संदर्भ में बाल मजदूरी से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; घरेलू कामगारों की संवेदनशीलता, विधिक संरक्षण और कार्य करने की परिस्थितियां; प्रवासी कामगारों के सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार; बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की भूमिका; महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार– चुनौतियां और उपचार; तेजाब हमले के पीड़ितों और दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्मिलन और पुनर्वास तथा उनकी न्याय के लिए पहुंच; कार्यस्थलों पर निम्न–मजदूरी वाली महिला कामगारों सहित महिलाओं का यौन शोषण; ट्रॉन्सजेंडर की समावेशिता, सामाजिक मुद्दें और ट्रॉन्सजेंडर की विधिक चुनौतियां; प्रवास, बंधुआ मजदूरी और दुर्व्यापार का अंतर–विभाजन; रिहा किए गए कैदियों का पुनर्मिलन आदि शामिल हैं। यह आयोग मानव अधिकारों (अधिनियम की धारा 12(छ)) के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है। तदनुसार, आयोग ने विभिन्न विशिष्ट विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं चलाने/अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, एनजीओ (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 अथवा

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 अथवा किसी पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत) आदि से वर्ष 2019 में अनुसंधान परियोजनाओं हेतु "अभिरूचि प्रकटीकरण" आमंत्रित किये हैं। "अभिरूचि प्रकटीकरण" को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था तथा राष्ट्रीय विधिक स्कूलों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, आईआईएम और आईआईटी को पत्र भी भेजे गए थे। प्रस्तावों की अंतिम समय–सीमा दिनांक 15.06.2019 थी। प्रवासी कामगारों के सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, मानव अधिकारों के संदर्भ में बाल मजदूरी से संबंधित मुद्दें और चुनौतियां, जेलों में और पुलिस हिरासत में मौंतों की प्रवृत्ति और स्वरूप आदि विषयगत क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों में से सात प्रस्ताव चुने गए थे।

जेलों में स्थितियां

6.12 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(ग) के प्रावधान के तहत एनएचआरसी, कैदियों के निवास करने के हालातों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण वाली ऐसी किसी भी जेल अथवा अन्य संस्थान का दौरा कर सकता है, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से निरुद्ध अथवा बंद किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संपर्क अधिकारियों द्वारा 14 जेलों के दौरे किए गए, जिनमें से एनएचआरसी के समक्ष 9 रिपोर्टें प्रस्तुत की गई और इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी गई।

''भोजन और पोषण के अधिकार'' पर ओपन हाउस परिचर्चा

6.13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने तथा इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रभावशाली कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और मौजूदा कमियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12.04.2019 को आयोग में "भोजन और पोषण के अधिकार" विषय पर एक ओपन हाउस परिचर्चा आयोजित की गई। इस 'ओपन हाउस परिचर्चा' की अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एच.एल. दत्तू द्वारा की गई और इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.14 वर्ष 2019–20 के दौरान (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक), 54 संस्थानों ने मानव अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर एनएचआरसी द्वारा प्रायोजित 68 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 46 विद्यार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना "समर इंटर्नशिप कार्यक्रम 2019" सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, 238 विद्यार्थियों को एनएचआरसी के साथ अल्पावधि इंटर्नशिप करने का अवसर दिया गया था। विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के विद्यार्थियों के विभिन्न शिष्टमंडलों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों/अधिकारियों कुल मिलाकर 349 व्यक्तियों ने भी एनएचआरसी का दौरा किया और उन्हें उनके इस दौरों के दौरान आयोग के कार्यकरण और मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई है।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

6.15 एनएचआरसी महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता के कारण उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए सभी विषय क्षेत्रों में अपने कार्यों के दौरान इसे महत्व प्रदान करता है। महिलाओं के मानव अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता "महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने संबंधी 1979 समझौता (सीईडीएडब्ल्यू)" है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के 185 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। इसी प्रकार, बच्चों के मानव अधिकारों के संबंध में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता, "बाल अधिकार संबंधी 1989 समझौता (सीआरसी)" है। सीईडीएडब्ल्यू को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में अनुसमर्थित किया गया, जबकि सीआरसी को वर्ष 1992 में अनुसमर्थित किया गया था। सीआरसी और सीईडीएडब्ल्यू अनुसमर्थित होने के पश्चात, इसके प्रावधान भारत सरकार द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जाने वाली अनेक नीतियों, कानूनों, स्कीमों और कार्यक्रमों में दर्शाए जाते हैं।

6.16 महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संबंध में एनएचआरसी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

(क) इन – हाउस जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम

आयोग ने एनएचआरसी कर्मचारियों के लिए एक इन – हाउस जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में दिनांक 01.05.2019 और 02.05.2019 को एनएचआरसी मुख्यालय में आयोजित किया था। यह कार्यक्रम श्रीमती जयश्री वेलंकर, निदेशक, जागोरी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले व्यक्तियों को जेंडर से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूक करना, उन्हें जेंडर के साथ पक्षपात करने के प्रति सजग बनाने में मदद करना, उन्हें जेंडर से जुड़े मुद्दों के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर–व्यक्तिगत झगड़ों का निपटान करने में मदद करना और उन्हें कार्यस्थल पर सकारात्मक ढंग से कार्य करने तथा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना हैं।

इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से निम्नलिखित विषयों में बांटा गया थाः

(i) जेंडर और सेक्स : एक सामाजिक संरचना

(ii) पितृसत्तात्मकताः जाति, वर्ग, आयु और धर्म से प्रभावित

(iii) प्रजनन श्रमः अवैतनिक घरेलू/देखभाल संबंधी कार्य

(iv) दैहिक प्रताड़ना करने वाला समाज और सामाजिक संस्थान

(v) मानव अधिकार और महिलाओं का अधिकार।

(ख) महिलाओं से संबंधित कोर समूह की दूसरी बैठक।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करने के लिए आयोग में दिनांक 25.10.2019 को महिलाओं से संबंधित प्रमुख समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई;

(i) गिरता हुआ लिंग अनुपातः चुनौतियां और उपचार

(ii) कामकाजी महिलाओं के कार्य–जीवन का संतुलनः मुद्दे और चुनौतियां।

इस बैठक की अध्यक्षता माननीय सदस्य, श्रीमती ज्योतिका कालरा और सह अध्यक्षता श्री जयदीप गोविंद, महासचिव, एनएचआरसी द्वारा की गई थी। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/ संगठन के प्रतिनिधियों सहित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ग) किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम, यौन अपराधों से बाल सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम तथा पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा आदि पर टीआईएसएस, मुम्बई के सहयोग से दिनांक 17.12.2019 को पश्चिम क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय सदस्य, श्रीमती ज्योतिका कालरा और सह अध्यक्षता श्री जयदीप गोविंद, महासचिव, एनएचआरसी द्वारा की गई थी। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसी आरपीडी) से संबंधित उपसमिति की बैठक

6.17 सामंजस्य की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए सीमा की समीक्षा करने तथा यूएनसीआरपीडी और दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के बीच वैधानिक अंतरों का पता लगाने तथा साथ ही इसके संबंध में सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित की है। डॉ. डी.एम. मुले, सदस्य एनएचआरसी की

अध्यक्षता वाली उप–समिति, जिसमें दो क्षेत्रीय विशेषज्ञ– श्री पी.के. पिंचा, विशेष प्रतिवेदक, एनएचआरसी और श्री राजीव रतूड़ी, एनएचआरसी, कोर समूह के सदस्य शामिल थे, ने दिनांक 09.05.2019 को आयोग में आयोजित एक बैठक में रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान किया है। इस बैठक में, उप–समिति के सदस्यों के साथ–साथ दिव्यांग अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदि के विशेष आमंत्रित व्यक्तियों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था।

घरेलू कामगारों के मानव अधिकारों पर क्षेत्रीय सम्मेलनः मुद्दे और चुनौतियां

6.18 एनएचआरसी ने आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे के सहयोग से दिनांक 30.08.2019 को आईएलएस लॉ कॉलेज, पुणे के परिसरों में 'घरेलू कामगारों के मानव अधिकारः मुद्दों और चुनौतियों' विषय पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के माध्यम से, आयोग ने घरेलू कामगारों के मुद्दों को और सभ्य कार्य के प्रति उनके अधिकारों को मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य बनाया है। यह सम्मेलन डॉ. डी.एम. मुले, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के नौ राज्यों (अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) को कवर किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के श्रम विभागों, राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी), घरेलू कामगारों की यूनियनों, सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और उपर्युक्त क्षेत्रों के घरेलू कामगारों के साथ–साथ आईएलएस विधि कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

विषयात्मक मानव अधिकार मुद्दों पर बुकलेट

6.19 आयोग ने मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी) के सहयोग से विधिक नियम, कानून में उपचार की प्राप्ति, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, दांडिक न्याय प्रणाली, बाल श्रम और बाल विवाह तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सभाओं और सम्मेलन जैसे विभिन्न विषयात्मक मानव अधिकार मुद्दों पर बुकलेट तैयार कर उनका विमोचन किया। इनका विमोचन माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी द्वारा किया गया था।

एनएचआरसी अंग्रेजी पत्रिका

6.20 समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी साक्षरता फैलाने और इन विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग वर्ष 2002 से वार्षिक तौर पर एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित कर रहा है। यह विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर सूचना, ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक महत्वपूर्ण टूल है। एनएचआरसी अंग्रेजी पत्रिका 2019 के संपादकीय बोर्ड की पहली बैठक दिनांक 25.06.2019 को आयोग में आयोजित की गई थी। एनएचआरसी अंग्रेजी पत्रिका के संपादकीय बोर्ड की दूसरी बैठक दिनांक 16.10.2019 को आयोजित की गई थी। इस पत्रिका का विमोचन मानव अधिकार दिवस के अवसर पर अर्थात् दिनांक 10.12.2019 को किया गया।

एनएचआरसी स्थापना दिवस

6.21 आयोग प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2019 में, आयोग ने पूरे वर्षभर मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया। श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम, 2019 के दौरान मुख्य अतिथि थे।

साम्प्रदायिक सद्भाव

6.22 केंद्र सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव संबंधी दिशानिर्देशों को जारी किया गया है, जिनमें, अन्य के साथ–साथ साम्प्रदायिक हिंसा से उत्पन्न होने वाले हालातों से निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य संभाव्य

साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम करने के लिए पूर्ण सर्तकता बनाए रखना, सावधानीपूर्ण योजना बनाना और पूर्वोपाय करना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूक बनाने के लिए इन दिशानिर्देशों की समय–समय पर पुनरावृत्ति की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को उनके अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने में सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार समय–समय पर साम्प्रदायिक हिंसा को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में आसूचना साझा करने, चेतावनी संदेश भेजने, परामर्शी–पत्र जारी करने जैसे विभिन्न उपाय करती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर, केंद्र सरकार विशेष तौर पर ऐसे हालातों से निपटने के लिए गठित कंपोजिट रेपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करती है।

6.23 दिनांक 31.10.2019 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ एकता दिवस मनाया गया।

6.24 पहली बार, देशभर से पुलिस बल की भागीदारी के साथ दिनांक 31.10.2019 को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवाडिया, गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आयोजित की गई।

6.25 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को बढ़ावा देने तथा देश में एक राष्ट्र की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नागरिकों द्वारा अथक और निःस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों को सम्मान देने के लिए, भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार नाम से एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अवार्ड की संस्थापना की है।

नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मनी

6.26 नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मनी (एनएफसीएच) गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता, जातिवाद, एथनिक या आतंकी हिंसा के कारण अनाथ/ निराश्रित हुए बच्चों/युवाओं को उनके पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना है। फाउंडेशन की दिनांक 01.04.2019 से 31.01.2020 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित है:

(i) **परियोजना 'असिस्ट'**: यह फाउंडेशन की फ्लेगशिप स्कीम है, जिसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर सम्प्रदायिक, जातिवादी, इथनिक या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित बच्चों और युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान, दिनांक 31.01.2020 की स्थिति के अनुसार 1.55 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना के तहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु 70 नए मामले स्वीकृत हुए तथा 804 मामलों का नवीनीकरण किया गया।

(ii) **साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह एवं झंडा दिवस और मेरे भारत को जानो–2019–20**: फाउंडेशन ने भारत को जानो कार्यक्रम के साथ–साथ साम्प्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और झंडा दिवस का दिनांक 19 से 25 नवम्बर, 2019 तक आयोजन किया। झंडा दिवस सोमवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को मनाया गया। जम्मू और कश्मीर, गुजरात, असम, बिहार तथा छत्तीसगढ़ से 22 बच्चों के साथ–साथ इन राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। 'न्यू इंडिया संकल्प' कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन, दिल्ली और आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) **अतिरिक्त गतिविधियां**: इस अवधि के दौरान अतिरिक्ति गतिविधियों के तहत फाउंडेशन की कुछ गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

- लोगों की भागीदारी से पश्चिम बंगाल आधारित संगठन एनएफसीएच ने 'रीच' परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 24.07.2019 को "समाज के बड़े भाग में साम्प्रदायिक सदभाव बढ़ाने के लिए स्कूल कार्यक्रम" का आयोजन किया।

- एनएफसीएच द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से 13.09.2019 को 'इन्टरफेथ डायलॉग इन इंडियाः कंसर्न्स एण्ड चैलेंजिज' विषय पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया।

- फाउंडेशन ने "सेकुलरिज्म, स्टेट एंड इंटरफेथ डायलॉग" विषय पर दिनांक 24.09.2019 से 25.09.2019 तक को क्राइस्ट, यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

- "इंटरफेथ डायलॉग एंड एजूकेशन इन इंडियाः कंसर्न्स एंड चैलेंजिज" विषय पर दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को आरएसपी कॉलेज, झरिया, धनबाद में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

- फाउंडेशन ने इंडियन माइनोरिटीज इकोनोमिक डेवलपमेंट एजेंसी (आईएमईडीए) के सहयोग से "इंटरफेथ डायलॉग–प्रमोटिंग अंडरस्टेंडिंग एंड इंक्लूजन" विषय पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2019 को मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

- एनएफसीएच ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के सहयोग से "इंटरफेथ डायलॉग ऑन कम्यूनल हारमनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन" विषय पर दिनांक 15–16 अक्टूबर, 2019 को थिरूवरूर, तमिलनाडु में दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेन्स एवं सिम्पोजियम का आयोजन किया।

- एनएफसीएच के सहयोग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात द्वारा "इंटर–फेथ डायलॉग, कम्यूनल हारमनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन" विषय पर दो दिवसीय एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का दिनांक 5–6 नवम्बर, 2019 को गांधीनगर में आयोजन किया गया।

- फाउंडेशन ने नड फाउंडेशन, नई दिल्ली को, मल्टीसिटी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल की सीरीज "म्यूजिक फार हारमनी" का आयोजन दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में, 21 सितम्बर, 2019 को नैनीताल में, 15 नवम्बर, 2019 को पुदुचेरी में तथा 30 नवम्बर, 2019 – 1 दिसम्बर, 2019 तक कोलकाता में करने में सहयोग किया।

- एनएफसीएच ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से "असिस्ट" परियोजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए 'मेरे भारत को जानो' विषय पर कार्यक्रम का दिनांक 6 – 10 जनवरी, 2020 तक बेंगलुरु में आयोजन किया।

- फाउंडेशन द्वारा "इंटरफेथ डायलॉग" विषय पर एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 23 जनवरी, 2020 को इंडियन ग्रासलेंड एंड फोडर रिसर्च सेंटर ऑडिटोरियम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी में किया गया।

भाग–II

अयोध्या विवाद का समाधान

6.27 भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच–सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद पर लंबे समय से लंबित वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या

10866–10867 और अन्य जुड़े मामलों में 9 नवंबर, 2019 को अपना फैसला दे दिया है।

6.28 उपरोक्त निर्णयों में निहित निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने "अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993" की धारा 6 और 7 के तहत एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत अयोध्या अधिनियम की धारा 6 के तहत न्यासी बोर्ड सहित एक ट्रस्ट की स्थापना किए जाने की परिकल्पना की गई है तथा साथ ही ट्रस्ट के प्रबंधन, मंदिर के निर्माण समेत ट्रस्टियों की शक्तियों और सभी आवश्यक, आकस्मिक एवं अनुपूरक मामलों हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

6.29 तदनुसार, "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" नामक एक नया ट्रस्ट 5 फरवरी, 2020 को एक स्वायत्तशासी और अखण्डीनीय ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। अयोध्या अधिनियम के तहत अधिग्रहित शेष भूमि के साथ–साथ आंतरिक और बाहरी प्रांगण को अयोध्या अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है।

6.30 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उसी समय केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके मस्जिद के निर्माण और साथ ही अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में एक उपयुक्त स्थान पर 5 एकड़ का एक भूखंड आवंटित किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस आवंटन को स्वीकार कर लिया है।

*****

अध्याय-7 संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1 संघ राज्य क्षेत्र आठ हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, जम्मू और कष्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) हैं। इन आठ संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर की विधायिका और मंत्रिपरिषद हैं, जबकि शेष संघ राज्य क्षेत्र बिना विधायिका वाले हैं।

7.2 छः संघ राज्य क्षेत्रों यथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग किमी. और वर्ष 2011 की जनगणना के अंनतिम आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,83,714 है। नए गठित दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की जनसंख्या क्रमशः 1,22,67,013 और 2,74,289 है। संघ राज्य क्षेत्र–वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है। बजट विवरण **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है।

संवैधानिक स्थिति

7.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग– I। में विनिर्दिष्ट हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन, गृह मंत्रालय विधायन, वित्त और बजट, उप–राज्यपालों (एलजी) और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

7.4 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया, जिसके द्वारा नियत दिन अर्थात् 31 अक्तूबर, 2019 से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों नामतः विधायिका के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा बिना विधायिका के लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया।

7.5 इसके अतिरिक्त, दिनांक 09.12.2019 को दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया, जिसके फलस्वरूप, नव गठित संघ राज्य क्षेत्र नामतः ''दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव'' दिनांक 26.01.2020 को अस्तित्व में आया।

7.6 प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में प्रशासकों को उप–राज्यपालों के रूप में पदनामित किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर–संपर्क (इंटरफेस)

7.7 बिना विधायिका वाले पांचों संघ राज्य क्षेत्रों– अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण एवं दीव, दादरा और नगर हवेली, लद्दाख तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एचएमएसी)/प्रशासक की सलाहकार समिति (एएसी) एक मंच के रूप में है। एचएमएसी की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा एएसी के अध्यक्ष सबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होते हैं। अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ संसद सदस्य और संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों और नगर पालिका परिषद)

के निर्वाचित सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रस्तावना

7.8 अनुच्छेद 239कक को शामिल करके 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के पारित होने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अस्तित्व में आया। इसकी 70 सदस्यों वाली एक विधान सभा है।

7.9 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल 11 राजस्व जिले हैं।

अर्थव्यवस्था

7.10 दिल्ली ने जो आर्थिक प्रगति हासिल की है, वह राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। वर्ष 2018–19 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017–18 में 3,28,985/– रुपये की तुलना में 3,65,529/– रुपये अनुमानित है, जो 11.11% की वृद्धि को दर्शाता है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2018–19 में मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 7,79,652/– करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.98% की वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक रूप में, दिल्ली के जीएसडीपी में वृद्धि राष्ट्रीय स्तर के 6.8% के मुकाबले 8.61% अनुमानित है। वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान 4.10% था।

शिक्षा

7.11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) छात्राओं के कल्याण के प्रति केंद्रित कई उपायों को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में उनके नामांकन और निरंतरता को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।

- शिक्षा निदेशालय के अधीन 1,031 स्कूलों में से, 430 बालिका विद्यालय और 193 सह–शिक्षा विद्यालय हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कुल 8,09,440 बालिकाएं पढ़ती हैं। इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 20,281 महिला शिक्षिकाएं हैं।

- 146 स्कूलों में प्रमुख स्थानों पर 7000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी प्रकार की आपात स्थितियों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सभी स्कूलों में आपात प्रतिक्रिया दलों का गठन किया गया है।

- कक्षा VI से XII में पढ़ रही सभी लड़कियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन दिए जाते हैं। छात्राओं को प्रतिमाह 7.60 लाख सेनेटरी नैपकिन दिए जाते हैं।

- अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए, स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में एडमिशन के लिए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु 7.5% सीटें आरक्षित हैं।

- वित्तीय सहायता योजना के तहत (वर्ष 2019–20 के दौरान), दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे नेत्रहीन बच्चों को लिपिक (स्क्राइब) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें नेत्रहीन छात्रों को मैन्युएंसिस/स्क्राइब की सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रति छात्र 1000/– रुपये की दर से प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्री–स्कूल स्तर से बारहवीं कक्षा तक के 11,344 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को प्रति वर्ष 600/– रुपये प्रति विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की दर से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से टॉप–अप छात्रवृत्ति का संवितरण भी किया गया है।

7.12 स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य देखभाल सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। 6 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों सहित

कुल 36 मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पताल हैं। इसके अलावा, 183 एलोपैथिक डिस्पेंसरियां, 341 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और 24 पॉलिक्लिनिक दिल्ली के नागरिकों को निवारक और उपचारी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा, 94 पॉलिक्लिनिक (मौजूदा औषधालयों की रिमॉडलिंग के बाद) खोलने का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- वर्तमान में दो नए अस्पतालों अर्थात अंबेडकर नगर और बुराड़ी का 90% से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो गया है। द्वारका, मादीपुर, विकासपुरी, ज्वालापुरी और सिरसपुर में नये अस्पतालों की मंजूरी भी प्रदान की गई है।

- आम जनता के लिए निःशुल्क उपचार/सर्जरी/निदान की स्कीम के तहत ऐसी सेवाएं, जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं, वे निर्धारित निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए 'दिल्ली आरोग्य कोष' से भुगतान जारी किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाने वाले रोगियों को सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

- सेवाएं प्रदान किए जाने की निगरानी और पर्यवेक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं।

7.13 कल्याण

- सरकार ने समाज के हाशिये वाले और कमजोर वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। सरकार विपत्ति में पड़ी महिलाओं को दिल्ली पेंशन स्कीम के माध्यम से 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार, गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए तथा अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए भी 30,000 रुपये के एक बारगी अनुदान का भुगतान किया जाता है। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनके पास जीवनयापन का कोई जरिया नहीं है। 60–69 वर्ष की आयु वर्ग के बीच वाले व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है तथा अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह और प्रदान किए जाते हैं। 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगता पेंशन स्कीम के माध्यम से, दिव्यांग व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम के तहत, लाभार्थी को 20,000 रुपये की एक बारगी सहायता प्रदान की जाती है।

7.14 श्रमिक

- श्रमिकों के कल्याण के लिए, दिल्ली में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें एक वर्ष में दो बार अर्थात अप्रैल और अक्तूबर के महीने के दौरान संशोधित और अधिसूचित की जाती हैं। न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान संशोधित दरें अकुशल कामगारों के लिए 14,842/– रुपये प्रति माह, अर्ध–कुशल कामगारों के लिए 16,341/– रुपये प्रति माह तथा कुशल कामगारों के लिए 17,991/– रुपये प्रति माह हैं।

7.15 शहरी विकास

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 29.10.2019 की अधिसूचना फाइल सं. 1(1) सीयूसीसी/सीएलएम/डीडीए/19 पार्ट–1 के माध्यम से जारी विनियमों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 की अधिसूचनाओं के फलस्वरूप, माननीय उप–राज्यापाल, दिल्ली के अनुमोदन से दिल्ली के मौजूदा शहरीकृत गावों में उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत कवर होने

वाली अनधिकृत कालोनियों (समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियों को छोड़कर) की सीमाओं के अंदर आने वाली निजी कृषि भूमि के संबंध में, संबंधित अदालतों से दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत सभी मामलों को वापस लेने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है।

7.16 स्वच्छता एवं जल–आपूर्ति

- शहर की पानी की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जल उत्पादन 910 एमजीडी के स्तर पर बरकरार रखा गया है। अनधिकृत कॉलोनियों में बेहतर जल–आपूर्ति के लिए, अनधिकृत कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल–आपूर्ति का नेटवर्क प्रदान किया जा रहा है। 1,798 अनधिकृत कॉलोनियों में से, 1,471 कॉलोनियों में पाइप द्वारा जल–आपूर्ति नेटवर्क का विस्तार किया गया है और 443 कालोनियों में सीवरेज की सुविधा प्रदान की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाकर 607 एमजीडी किया गया है और लगभग 500 एमजीडी सीवेज को ट्रीट किया जा रहा है।

- यमुना की सफाई के लिए, इंटरसेप्टर सीवर की नवोन्मेषी परियोजना 97% तक पूरी हो चुकी है और लगभग 123 एमजीडी अपशिष्ट जल को नालियों से निकाला गया है और अब सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों में इसे ट्रीट किया जा रहा है।

- दिल्ली के भूजल स्तर के घटने की भरपाई करने के लिए, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण (आईएंडएफसी) विभाग ने केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, एनजीटी की प्रधान समिति तथा माननीय एनजीटी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैंक सं. 16 एवं 17, पल्ला के समीप यमुना बाढ़ क्षेत्र में उथले जलाशय के निर्माण की एक नवोन्मेषी प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस प्रायोगिक परियोजना की आधार शिला दिनांक 09.08.2019 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई। शुरूआत में परियोजना का लक्ष्य 34 एकड़ भूमि को कवर करना था। मानसून से पूर्व, विभाग 17.60 एकड़ क्षेत्र में उथले जलाशय का निर्माण करने में सफल हुआ।

7.17 ऊर्जा

- इस वर्ष दिल्ली में विद्युत की रिकार्ड मांग को पूरा किया गया। दिनांक 02 जुलाई, 2019 को, शहर की अधिकतम विद्युत मांग 7409 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो राष्ट्रीय राजधानी के इतिहास में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मांग है। विद्युत कटौती 0.5% से कम हो गई है। दिल्ली में सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का कार्य 153.48 मेगावाट तक हो गया है।

- उजाला स्कीम के अंतर्गत, दिल्ली में उपभोक्ताओं को 1.05 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही, विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा किफायती एलईडी लाइट फिटिंग्स से बदला गया है।

7.18 परिवहन

- दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन कंपनी है। डीटीसी 437 शहरी मार्गों और 8 एनसीआर मार्गों पर 3,762 बसों का संचालन करती है। इसके दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 34.38 लाख है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में 9 क्लस्टरों में 2,109 क्लस्टर बसें चल रही हैं, जिनकी दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 11.83 लाख है। सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्डों (वन) को लागू किया गया है। महिला सुरक्षा और संरक्षा के लिए डीटीसी बसों में 7,431 मार्शल और क्लस्टर बसों में 2,809 मार्शल तैनात किए गए हैं। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी वीडियो निगरानी प्रणाली लगाई गई है।

- एनसीआर तक विस्तार सहित दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क 348 किमी. है। वर्तमान में, मेट्रो का दैनिक उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या 49.53 लाख प्रति दिन है। चरण–।।। में, मयूर विहार पॉकेट–। से त्रिलोकपुरी तक के स्ट्रेच को सितम्बर, 2020 तक पूरा करना निर्धारित है और ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार दिसम्बर, 2020 तक पूरा करना निर्धारित है।

7.19 अवसंरचना

- विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए, विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमएलएएलएडीएस) के अंतर्गत, चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 795.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3,839 कार्यों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत, चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 654.12 करोड़ रुपये की राशि के कुल 1,688 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

7.20 कल्याण

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने द्वारका, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी और सावधा घेवड़ा में पात्र जे.जे. वासियों के पुनर्वास के लिए गंदी बस्ती वासियों हेतु बहु–मंजिला आवासीय यूनिटों का निर्माण शुरू किया है। 10,684 ईडब्ल्यूएस घरों का निर्माण पूरा हो गया है और 2,090 यूनिटों पर कब्जा मिल चुका है। 212 डब्ल्यूसी सीटों वाले 08 नए शौचालय परिसरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 1,483 सीटों वाले 34 जन सुविधा परिसरों के नवीकरण/उन्नयन का काम पूरा हो गया है। पोर्टेबल शौचालयों के उपलब्ध स्टॉक में 40 पोर्टेबल शौचालय जोड़े गए हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, 186 जे.जे. ***बस्तियों*** में 2,91,927 वर्ग मी. सीसी पेवमेंट तथा 81.57 किमी. नालियां उपलब्ध कराई गई हैं। डीयूएसआईबी सामाजिक उपभोग खंड के अंतर्गत सेवाओं के एकीकृत पैकेज के प्रावधान के लिए बस्ती विकास केंद्रों (बीवीके) के रूप में जे.जे. **बस्तियों** में बिल्ट–अप स्पेस भी उपलब्ध करा रहा है। 06 बीवीके का निर्माण हो चुका है। 15 बीवीके/सी/हॉल का उन्नयन किया गया है।

7.21 पहलें और उपलब्धियां

- पुनर्विकास हेतु औद्योगिक क्लस्टर के रूप में एक नए औद्योगिक हब की स्थापना के लिए, रणहौला क्षेत्र को पुनर्विकास हेतु अधिसूचित किया गया है।

- व्यवसाय करने में सरलता लाने के सुधारों के तहत, राजस्व विभाग ने पिछले 30 वर्षों के पंजीकरण विलेखों की ई–टाइटल खोज के कार्य को सुकर बनाते हुए संपत्तियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। छः लाख विलेखों वाले प्रासंगिक रिकार्डों को डिजिटाइज किया गया है। संपत्ति के पंजीकरण के पश्चात राजस्व रिकार्डों में दाखिल–खारिज की ऑटो इनिशिएशन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष के दौरान राजस्व विभाग के ई–जिला पोर्टल में 32 नई सेवाओं को जोड़ा गया है।

7.22 पर्यावरण

- शहर के पर्यावरण में सुधार करने और प्रदूषण को रोकने के लिए, कई कार्रवाइयां की गई हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की सतत निगरानी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का कार्यान्वयन, पौधारोपण अभियान, उद्योगों को पीएनजी का उपयोग करने हेतु सब्सिडी प्रदान करना, भोजनालयों को कोयला आधारित तंदूरों को गैस आधारित तंदूरों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। दिल्ली के खतरनाक कचरे के निपटान के लिए, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फेसिलिटी (टीएसडीएफ) की स्थापना हेतु बवाना में 14 एकड़ भूमि की पहचान की गई है।

- प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में, दिल्ली में सभी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयत्रों को बंद कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस

7.23 दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत नफरी 91,962 कार्मिकों की है और इसके प्रमुख पुलिस आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता 10 विशेष पुलिस आयुक्त, 20 संयुक्त पुलिस आयुक्त, 20 अपर पुलिस आयुक्त और 108 पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त करते हैं। दिल्ली पुलिस को 6 रेंजों, 15 जिलों और 209 पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, यातायात प्रबंधन, आसूचना जुटाने और आतंकवाद से निपटने, वीआईपी सुरक्षा, सशस्त्र रिजर्व और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जैसी अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विशेष इकाइयां भी मौजूद हैं।

7.24 दिल्ली पुलिस शहर में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के अपने अधिदेश के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ–साथ अति संवेदनशील समूहों जैसे – महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, स्मार्ट पुलिस व्यवस्था, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, जन हितैषी, जवाबदेह और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, आतंकवाद–रोधी उपाय, यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा शामिल हैं।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

अपराध के लिए जिम्मेदार कारक

7.25 दिल्ली में अपराध को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में अन्य बातों के साथ–साथ, इसकी जनसंख्या का आकार और विषम प्रकृति, आय में असमानता/बेरोजगारी/कम रोजगार, उपभोक्तावाद/भौतिकवाद, सामाजिक–आर्थिक असंतुलन, अनियोजित शहरीकरण, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, शहरी गुमनामी और सुस्त परिवार नियंत्रण, सीमा पार से तथा विस्तारित एनसीआर क्षेत्र के भीतरी इलाकों से आपराधिक तत्वों की असानी से पहुंच/भागने के साधन शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 3,01,085 आईपीसी मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2018–19 की इसी अवधि में यह संख्या 2,50,719 थी।

अपराध को नियंत्रित करने की रणनीति

7.26 अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में, अन्य बातों के साथ–साथ, घटना की अधिक संभावना वाले स्थानों का अपराध मानचित्रण और चिन्हित किया जाना, चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डायनेमिक तैनाती, सक्रिय अपराधियों को चिन्हित किया जाना, कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करना, सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी में वृद्धि, जिला पुलिस उपायुक्तों/अपर पुलिस उपायुक्तों द्वारा सामूहिक गश्त, स्थानीय पुलिस, पीसीआर स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस द्वारा एकीकृत गश्त, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के खिलाफ कार्रवाई, दिल्ली में आग्नेय अस्त्रों के आपूर्ति मार्गों को खत्म करना तथा *जन संपर्क* और अन्य समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक–केंद्रित पुलिस व्यवस्था शामिल है। कुल दर्ज आईपीसी अपराधों की तुलना में दर्ज जघन्य अपराधों का प्रतिशत घटा है तथा यह वर्ष 2015 में 5.85%, 2016 में 3.93%, 2017 में 2.79%, 2018 में 2.27% और 2019 में 1.72% रहा। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल जघन्य अपराधों में 8.84%, डकैती में 40.00%, हत्या के प्रयास में 7.94%, लूटपाट में 19.97% और फिरौती के लिए अपहरण में 21.05% की कमी आई। झपटमारी और चोरी की घटनाओं में भी कमी आई है।

महिलाएं

7.27 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामलों में 11.86% तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामलों में 17.36% की कमी आई है। बलात्कार के 98.11% मामलों में, अभियुक्त पीड़ित के जानकार (परिचित, रिश्तेदार आदि) थे। शहर में अंधेरे हिस्सों के बारे में सिविक एजेंसियों को सूचित करने और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) को

महिला कर्मचारियों को उनके घर वापस छोड़ते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निदेश देने जैसे उपायों से भी महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामलों में 94.97%, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में 87.50% तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामलों में 78.99% की उच्च निराकरण दर हासिल की है। वर्ष 2019 में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के विरूद्ध की गई सख्त कार्रवाई के दौरान, 64,234 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

7.28 महिलाओं की सलामती तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा पहलों नामतः महिलाओं के लिए एंटी–स्टॉकिंग सेवाएं, हिम्मत प्लस ऐप, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के साथ विचार–विमर्श के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत विशेष पुलिस आयुक्त/महिला सुरक्षा को दिल्ली पुलिस में वर्ष 2019–20 में जारी रखा गया है।

बच्चे

7.29 अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा बच्चों के लापता होने के पीछे के कारणों का विश्लेषण किए जाने से यह पता चला कि अधिकतर मामलों में घर में माता–पिता द्वारा डांटे जाने के बाद, शैक्षणिक दबाव के कारण, अपना रास्ता भटक जाने, किसी के साथ भाग जाने, आदि के कारण बच्चे लापता हो जाते हैं। शहर में बच्चों के अपहरण अथवा बच्चों द्वारा भीख मांगने के पीछे कोई संगठित गिरोह लिप्त नहीं पाए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल–।। तथा ऑपरेशन मुस्कान–।। स्कीम के तहत किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में 5,102 बच्चों, वर्ष 2018 के दौरान 4,650 बच्चों और वर्ष 2019 (31 दिसम्बर तक) में 4,311 बच्चों को ढूंढ़ा गया तथा उनके परिवारों से मिलाया गया। पिछले वर्ष में समान अवधि के दौरान 6,541 की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 में 6,355 बच्चों के लापता होने की जानकारी मिली। ''पहचान'' स्कीम को वर्ष 2019 में भी जारी रखा गया तथा डाटा बैंक रखने के लिए इस स्कीम के तहत अब तक 1,94,277 बच्चों का फोटो खींचा गया जिनका उपयोग बच्चों के लापता हो जाने की दशा में उन्हें ढूंढ़ने के लिए किया जा सकता है।

वरिष्ठ नागरिक

7.30 वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बीट अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों से नियमित रूप से संपर्क करते हैं/उनसे जाकर मिलते हैं तथा वरिष्ठ नागरिकों के घरों की सुरक्षा जांच भी की जाती है। अब तक 36,505 सुरक्षा जांच भी की गई हैं तथा 5,78,559 वरिष्ठ नागरिकों के घरों के दौरे किए गए और 4,60,649 वरिष्ठ नागरिकों से दूरभाष द्वारा संपर्क किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 4,347 वरिष्ठ नागरिकों का नया नामांकन किया गया। अब तक, 23,469 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने सीनियर सिटिजन मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है जो कि पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों से जोड़ती है तथा इसमें आपातकालीन कॉलों के लिए एसओएस बटन भी है।

पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा

7.31 दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की सलामती तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों में, अन्य बातों के साथ–साथ, पूर्वोत्तर के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ नामोदिदष्ट अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) की नियमित बैठकें तथा हेल्पलाइन सं. 1093 पर प्राप्त कॉलों की मॉनीटरिंग शामिल है। संयुक्त पुलिस आयुक्त/महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) द्वारा "दिल्ली पुलिस फॉर नार्थ ईस्ट फॉल्कस" नामक फेसबुक पेज का रख–रखाव किया जाता है, जिसे अभी तक 1.78 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा विजिट किया गया है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलें

7.32 दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई सामुदायिक

पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों में अड़ोस–पड़ोस में निगरानी स्कीम, व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों तथा अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को शामिल करते हुए आंख और कान स्कीम, अपराध की रोकथाम के लिए गार्डों और चौकीदारों को शामिल करते हुए प्रहरी स्कीम, अपराध की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सिविल सोसाइटी को शामिल करते हुए पुलिस मित्र, जन भागीदारी के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करते हुए निगेहबान, लड़कियों/महिलाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण हेतु सशक्ति, स्कूल/कॉलेज जाने वाले आयु वर्ग के पीड़ितों द्वारा अपराधों को रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्भीक, शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए व्यस्त क्षेत्रों में सादे पोशाक में महिला अधिकारियों की तैनाती हेतु शिष्टाचार, असुरक्षित क्षेत्रों में बच्चों के फोटोग्राफों के डाटाबेस के रख–रखाव के लिए पहचान, कतिपय निर्धारित यातायात उल्लंघनों की सूचना देने के लिए नागरिकों को अधिकार प्रदान करने हेतु ट्रैफिक सेंटिनल स्कीम और युवाओं तथा लाभवंचित बच्चों की ऊर्जा को दिशा प्रदान करने के लिए खेलकूद गतिविधियां, पेंटिग कार्यशालाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि आयोजित करने के लिए युवा स्कीम शामिल हैं। युवा के तहत, दिल्ली पुलिस ने अब कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियन से प्रधानमंत्री की "कौशल विकास योजना" के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से कार्य करना शुरू किया है।

आतंक–रोधी उपायों से संबंधित स्कीमें

7.33 दिल्ली पुलिस ने विगत कुछ वर्षों में कई आतंक–रोधी उपाय किए हैं, जिनमें किराएदारों का गहन सत्यापन, पुरानी कार के डीलरों तथा साइबर कैफे की जांच, अतिथि गृहों की जांच, तेज गति से अपराधियों के भाग जाने को रोकने के लिए आवधिक औचक जांच तथा ऐसे क्षेत्रों, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, में निवारक उपाय के रूप में पुलिस की अधिक मौजूदगी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का विशेष सेल आतंक–रोधी अभियानों को शुरू करने के अलावा आतंक–रोधी आसूचना एकत्र करने, उसका मिलान करने और उसका प्रसार करने में निरंतर अलर्ट पर रहता है। एक संपूर्ण महिला एसडब्ल्यूएटी टीम का गठन किया गया तथा महिला कमांडोज को प्रशिक्षित किया गया। टीम घोर अपराधियों से निपटने तथा आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रति समर्पित है। शहर में आतंक–रोधी बैकअप में वृद्धि करने के लिए 30 'पराक्रम' कमांडो वाहन तैनात किए गए थे। ये सभी 'पराक्रम' वैनें जीपीआरएस से युक्त हैं तथा पूरी–दिल्लीं में वायरलेस संचार से लैस हैं।

अधिकारी–उन्मुख पुलिस व्यवस्था मॉडल

7.34 दिल्ली पुलिस ने दिनांक 12.04.2017 को अपने दो पुलिस स्टेशनों–पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तथा मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में अधिकारी–उन्मुख पुलिस व्यवस्था मॉडल का विशिष्ट प्रयोग शुरू किया था और यह वर्ष 2019 में जारी रहा। इस मॉडल में, प्रदर्शनकारियों के सामने अधिकारी और महिला पुलिस आगे रहते हैं तथा दंगा–रोधी प्लाटून, एक फॉल बैक कंटिजेंसी विकल्प होते हैं। इस कदम से, इस वर्ष टकराव की स्थितियों को अधिकतर शुरूआत में ही समाप्त कर दिया गया।

अवधारणा प्रबंधन

7.35 पुलिस के प्रति लोक अवधारणा में और सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस ने पुलिस स्टेशनों में जन सुविधा अधिकारियों (पीएफओ) की अपनी स्कीम को जारी रखा है। इस अभिनव प्रयास में, सुप्रशिक्षित तथा सुविज्ञ पुलिस अधिकारी (पुरूष तथा महिला) पुलिस स्टेशन के प्रारंभिक संपर्क केन्द्र पर तैनात होते हैं और इन्हें जन सुविधा अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। ये जन सुविधा अधिकारी विशेष रूप से डिजाइन की गई सिविलियन पोशाक में होते हैं ताकि सुचारू इंटरफेस और सुविधा में वर्दी का खौफ अवरोध न बने। पार्कों, तंग गलियों तथा सहायक–गलियों, को–ऑपरेटिव सोसाइटियों आदि की गश्त के लिए 'ग्रीन' पहल के रूप में, दिल्ली पुलिस ने अपनी मौजूदा मोटर साइकिल तथा पीसीआर गश्तों की कमी को पूरा करने के लिए साइकिल गश्तों को जारी रखा। दिल्ली पुलिस तथा एनडीएमसी के संयुक्त प्रयास से दो "फेसिलिटेशन कियॉस्क (सुविधा सेवा)", जिसमें से एक एम्स में तथा दूसरा खान मार्किट

नई दिल्ली में है, ने कार्य करना जारी रखा। यात्रियों तथा मुसाफिरों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.02.2019 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंट्रैरक्टिव पैनलों के साथ ऐसा ही एक अन्य जन सुविधा कियॉस्क लगाया गया है। ये कियॉस्क कई अन्य सेवा प्रदान करने के प्रोफार्मा अर्थात किराएदार तथा नौकर के सत्यापन फार्म आदि के साथ–साथ चोरी, वाहन चोरी, मोबाइल/सामान खोने आदि के संबंध में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हैं। मॉलखाना को डिजिटाइज करने की परियोजना अन्य जिलों द्वारा भी कार्यान्वित की जा रही है।

मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के विरूद्ध कार्रवाई

7.36 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के विरूद्ध की गई ठोस कार्रवाई के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में स्वापक पदार्थ बरामद किए गए। मादक पदार्थों का दुर्व्यापार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा नागरिकों के लिए मादक पदार्थों के दुरूपयोग के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए सभी जिलों में मादक पदार्थ–रोधी दस्ते गठित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 712 मामले दर्ज किए गए तथा 909 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 48.586 कि.ग्रा. चरस, 5447.532 कि.ग्रा. गांजा, 662.845 कि.ग्रा. स्मैक/हेरोइन, 1696.660 कि.ग्रा. पोस्त के डोडे तथा 0.791 कि.ग्रा. कोकीन बरामद की गई।

अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्रवाई

7.37 वर्ष 2019 के दौरान सभी बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज को जोड़ने तथा अवैध आग्नेयास्त्रों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृखंला, ट्रांजिट मार्ग, दुर्व्यापार के तरीके, वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा विनिर्माण के स्रोत को उजागर करने के प्रयास किए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 3,078 अवैध आग्नेयास्त्र तथा 9,697 गोला–बारूद बरामद किए गए और आयुध अधिनियम के तहत 3,642 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति को रोकने के लिए, लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र डीलरों के रिकार्डों की भी जांच की जा रही है।

जाली करेंसी

7.38 दिल्ली पुलिस ने जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के विरूद्ध एक अभियान शुरू किया है तथा इस अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा शुल्क विभाग और आसूचना ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों को भी शामिल किया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एफआईसीएन के 41 मामले दर्ज किए गए तथा 2.90 करोड़ रुपये (लगभग) बरामद किए गए।

डिजिटल पहलें

7.39 अब तक शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों में, ई–मोटर व्हीकल थेफ्ट ऐप, प्रॉपर्टी थेफ्ट ऐप, लास्ट रिपोर्ट ऐप, विपत्ति में पड़ी महिलाओं के लिए हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ऐप, सीनियर सिटीजन ऐप, जनता से यातायात संबंधी सूचना साझा करने तथा बेहतर यातायात प्रबंधन में जन भागीदारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मोबाइल ऐप, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, तत्पर–वन टच ऐप और साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में नागरिकों के साथ एहतियाती सम्प्रेषण करने तथा पीड़ितों के लिए जवाबदेह साइबर अपराध रिपोर्टिंग तंत्र की व्यवस्था करने के लिए आनलाइन साइबर सुरक्षा वेबसाइट शामिल हैं। नई स्कीमों में, दिल्ली पुलिस द्वारा ऑनलाइन ई–हथियार लाइसेंसिंग प्रणाली, आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस–112)– आपातकालीन सेवाओं अर्थात पुलिस, अग्निशमन और एंबुलेंस के लिए एकल आपातकालीन नम्बर और प्रखर–शहर में अधिक अपराध वाले स्थानों पर गश्त हेतु स्ट्रीट अपराध गश्त वैन शुरू की गई हैं।

पुलिस प्रशिक्षण

7.40 दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षण विंग में एक प्रशिक्षण कॉलेज, 03 प्रशिक्षण स्कूल, एक विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था हेतु अकादमी (एएसपी) शामिल हैं। अभनपुरा, अलवर, राजस्थान में एक लांग रेंज वेपन फायरिंग रेंज विकसित की गई है। प्रशिक्षण

विंग विभिन्न राज्यों और अन्य एजेंसियों के कार्मिकों को नियमित रूप से बेसिक/पदोन्नति/ विशेषीकृत पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (पीटीएस) द्वारका में केवल महिला प्रशिक्षुओं हेतु 250 की क्षमता को शामिल करते हुए इसके सभी छः केंद्रों की मौजूदा प्रशिक्षण क्षमता लगभग 6,000 है। इस अवधि के दौरान, 262 सेवाकालीन/विशेषीकृत पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 6,995 पुलिस कार्मिकों ने भाग लिया। उपर्युक्त के अलावा, 6,931 प्रशिक्षुओं के लिए बेसिक/इंडक्शन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 1,851 पुलिस कार्मिकों के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। पीटीएस–द्वारका में साइबर प्रशिक्षण प्रभाग ने साइबर फॉरेंसिक तथा अन्वेषण पर 06 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 102 अधिकारियों ने भाग लिया तथा बैंक धोखाधड़ी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषण और अन्वेषण पर 08 पाठ्यक्रमों में 207 अधिकारियों ने भाग लिया। स्मार्ट पुलिस व्यवस्था हेतु अकादमी चाणक्यपुरी में स्थित है, जो दिल्ली पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा इसने 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 257 अधिकारियों ने भाग लिया।

7.41 एसटीसी में थाना प्रभारियों तथा निरीक्षकों के लिए एक विशेष सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम आयोजित किया गया। 03 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें दिल्ली पुलिस के 80 निरीक्षकों ने भाग लिया। इसके अलावा, स्टाफ के लिए जन सुविधा डेस्क अधिकारियों हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम, जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशालाओं, सक्रिय पुलिस व्यवस्था तथा पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्तियों, समाज के पिछड़े वर्गों, महिलाओं तथा बच्चों संबंधी मुद्दों पर सेंसिटाइजेशन कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। पुलिस कार्मिकों को दिव्यांगजनों/दृष्टिहीन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए पाँच अर्ध दिवसीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। योग को सभी बेसिक तथा पदोन्नति पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षुओं के लिए आउटडोर प्रशिक्षण का एक अनिवार्य भाग बनाया गया है।

7.42 डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, द्वारका में निपुण–ईईएलएम (ई–लर्निंग प्रबंधन प्रणाली) शुरू की गई है, जिससे दिल्ली पुलिस कार्मिकों द्वारा ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना संभव होता है और पुलिस द्वारा अपने ही स्थान पर कभी भी/कहीं भी जानकारी और ज्ञान के दोतरफा आदान–प्रदान हेतु सहयोग संभव होता है। इसके अलावा, डिजिटल पोर्टल का उपयोग जानकारी के आदान–प्रदान और बहु विकल्प प्रश्नों (एमसीक्यू) के माध्यम से विशिष्ट विषयों के बारे में स्वयं अपने ज्ञान के परीक्षण के लिए भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के ऑनलाइन अध्ययन हेतु इस वेब पोर्टल पर वीडियो/ऑडियो व्याख्यानों सहित कुल 34 पाठ्यक्रम अपलोड किए गए हैं और अब तक निपुण वेब पोर्टल में दिल्ली पुलिस के कुल 26,185 कार्मिकों ने नामांकन/पंजीकरण कराया है।

कल्याण

7.43 दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी द्वारा दिल्ली पुलिस के कार्मिकों तथा उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं। दिल्ली पुलिस की अन्य कल्याण स्कीमों में दिल्ली पुलिस सुविधा कोष तथा विपत्ति सहायता कोष शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस कल्याण स्कीम तथा दिल्ली पुलिस शहीद निधि में मिला दिया गया है।

भूमि तथा भवन

7.44 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान (दिनांक 01.04.2019 से 31.10.2019 तक), 03 भवन परियोजनाओं अर्थात (जयसिंह रोड पर नया पुलिस मुख्यालय भवन, ग्रेटर कैलाश में पुलिस स्टेशन और 28 स्टॉफ क्वार्टर तथा सेक्टर–09, द्वारका में 172 स्टॉफ क्वार्टर) को पूरा किया गया है। डीडीए द्वारा दिल्ली पुलिस को पुलिस स्टेशन राज पार्क के निर्माण हेतु 01 भूखंड आवंटित किया गया है और दिल्ली पुलिस ने सेक्टर–20 द्वारका में पुलिस चौकी (पीपी) तथा ककरोला गांव और सेक्टर 16–बी द्वारका में पुलिस चौकी के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से 02 भूखंडों का कब्जा प्राप्त कर लिया है। 01 परियोजना अर्थात पीटीएस–I/झड़ौदा कला में निर्माण

कार्य (क्लास रूम और बैरक) शुरू हो गया है। 09 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 19 परियोजनाएं योजना/निविदा के चरण में हैं।

बजट

7.45 पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय आबंटन और व्यय निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

लेखा-शीर्ष	अंतिम आबंटन 2018-19	वास्तविक व्यय 2018-19	बजट अनुमान 2019-20	व्यय दिनांक 31.12.2019 तक
निर्देशन तथा प्रशासन	7287.39	7277.83	7468.99	6020.42
स्कीमें	566.01	565.99	412.78	234.26
महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्कीमें (निर्भया निधि से वित्तपोषित)	6.41	6.27	11.09	6.78

दिल्ली यातायात पुलिस

7.46 सड़क पर यातायात के सुचारू प्रवाह तथा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शुरू की गई पहलों में, अन्य बातों के साथ–साथ, गैंट्री/केंटीलीवर माउंटेड ऑटोमैटिक ओवर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन कैमरों तथा रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी), ट्राईपोड माउंटेड पोर्टेबल स्पीड रडार गनों की खरीद और संस्थापना, ई–चालान प्रणाली का कार्यान्वयन, यातायात उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के पंजीकृत मालिकों को एसएमएस के माध्यम से नोटिस जारी करना, नए यातायात सिग्नलों एवं ब्लिंकरों की संस्थापना शामिल है। प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करके दिल्ली यातायात पुलिस की इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) परियोजना पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी गई है।

7.47 वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

- आपातकालीन सेवाओं अर्थात पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस के लिए ईआरएसएस–112 (आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली), एक एकल आपातकालीन नम्बर की शुरूआत।
- प्रायोगिक परियोजना के रूप में 10 पुलिस स्टेशनों में पहले से ही स्थापित 10 सीसीटीवी प्रणालियों के अलावा 180 पुलिस स्टेशनों और 53 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की गई।
- नागरिकों को सुरक्षा और 24X7 सुविधा प्रदान करने के लिए "तत्पर" ऐप शुरू की गई।
- डीडीए द्वारा दिल्ली पुलिस को पुलिस स्टेशन राज पार्क के निर्माण हेतु 01 भू–खंड आवंटित किया गया है और दिल्ली पुलिस ने सेक्टर–20 द्वारका में पुलिस चौकी (पीपी) तथा ककरोला गांव और सेक्टर 16–बी द्वारका में पुलिस चौकी के लिए डीडीए से 02 भूखंडों का कब्जा प्राप्त कर लिया है।
- 09 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 19 परियोजनाएं योजना/निविदा के चरण में हैं।

दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) अधिनियम दिनांक 09.12.2019 को अधिसूचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नव

गठित संघ राज्य क्षेत्र नामतः "दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव" दिनांक 26.01.2020 को अस्तित्व में आया।

I. दमण एवं दीव

क्षेत्रफल, जनसंख्या और अवस्थान

7.48 दमण एवं दीव में दो जिले हैं, अर्थात् दमण एवं दीव। इसका कुल क्षेत्रफल 112 वर्ग किलोमीटर है (दमण 72 वर्ग किलोमीटर और दीव 40 वर्ग किलोमीटर)। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,43,247 थी (दमण–1,91,173 और दीव – 52,074)। दोनों जिले भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय दमन में है।

7.49 दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 100% अनुदान प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र को 1,645.22 करोड़ रू. की निधि आबंटित की गई थी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निधि आबंटन में से 1,643.51 करोड़ रू. (99.00%) खर्च किए हैं। वर्ष 2019–20 के लिए निधि आबंटन 1,918.48 करोड़ रू. है। राजस्व के मामले में, वर्ष 2018–19 के दौरान, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र का कर संग्रहण 830.86 करोड़ रू. (लगभग) था।

7.50 प्रमुख विकास परियोजनाएँ

- 47.03 करोड़ रुपये की लागत से वरकुंड, नानी दमण में इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 22.70 करोड़ रुपये की लागत से दमण जिले में काचीगाम, अंबावाड़ी, दमनवाड़ा और रिंगनवाड़ा में सरकारी प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मारवाड़ अस्पताल का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 300 बिस्तरों वाले अस्पताल में उन्नयन प्रक्रियाधीन है।
- 71.13 करोड़ रुपये और 32.97 करोड़ रुपये की लागत से क्रमशः दमण जिले में विभिन्न प्रमुख और अन्य जिला सड़कों का सुधार और सौंदर्यीकरण तथा छपली शेरी बीच और मोती दमण फोर्ट फ्रंट का विकास कार्य प्रगति पर है।
- 35.00 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श ग्राम योजना के तहत सड़क का सुदृढ़ीकरण, सुधार और नया निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.51 विकास अवसंरचना संबंधी प्रमुख पहलें

(i) संघ राज्य क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों की पहचान आदर्श मॉडल ग्राम पंचायतों (दमण मॉडल ग्राम पंचायत) के रूप में की गई है।

(ii) 10.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोलाक नदी पर दो लेन वाले पुल का निर्माण।

(iii) 55.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नानी दमण में वाणिज्यिक हवाई अड्डा टर्मिनल भवन का निर्माण।

(iv) 62.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नानी दमण में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत विभिन्न प्रमुख जिला और अन्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, उनका सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने की मंजूरी दी गई है।

(v) 34.08 करोड़ रुपये की लागत से दमण में राष्ट्रीय राजमार्ग 848 (लगभग 9.91 किमी.) को चौड़ा और सुदृढ़ करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(vi) 15.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दमण जिले में दमण देवका सड़क से टर्मिनल बिल्डिंग तक एप्रोच मार्ग का निर्माण।

(vii) 4.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एकीकृत ग्रामीण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विकास संबंधी कार्य की निविदा जारी की गई है।

7.52 **पुलों का निर्माण**

- 38.96 करोड़ रुपये की लागत से दमणगंगा नदी पर नानी दमण में काचीगाम को मोती दमण में जरी से जोड़ने वाले पुल का निर्माण पूरा किया गया।
- 17.14 करोड़ रुपये की लागत से दमण में जम्पोर सी फ्रंट पर अतिरिक्त पुल का निर्माण पूरा किया गया।
- 3.39 करोड़ रुपये की लागत से दमण दाभेल मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर वर्कुंद में नए पुल का निर्माण पूरा किया गया।

7.53 **भवनों का निर्माण**

- 20.59 करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा एनेक्सर सर्किट हाउस में नए सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण पूरा किया गया।
- 3.38 करोड़ रुपये की लागत से मोती दमण में दमण जिले के लिए आदिवासी संस्कृति केंद्र का निर्माण पूरा किया गया।
- 3.66 करोड़ रुपये की लागत से दमण टाउन के लिए भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक और पीएमएवाई (शहरी) के तहत 39 आवासीय इकाइयां पूरी की गई हैं।
- अफोर्डेबल रेंटल स्मार्ट हाउसिंग (स्पर्श) को बढ़ावा देने के लिए पहले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को पूरा किया गया और दिनांक 08.10.2019 को दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 230 कामगारों को प्रति माह 300/– रुपये की रियायती दर पर बुनियादी आवश्यक सुविधाओं सहित आवास प्रदान किए गए।



अफोर्डेबल रेंटल स्मार्ट हाउसिंग (स्पर्श) के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर संसद सदस्य के साथ दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

विद्युत

7.54 नवीकरणीय ऊर्जा

- 233 सरकारी और अर्ध–सरकारी भवनों में 4.279 एमडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पीवी लगाए गए हैं। 16.309 मेगावाट क्षमता की वर्तमान संस्थापना से प्रति वर्ष 23,680 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो गया है।

- उजाला योजना के तहत दिसम्बर, 2019 तक 2,07,803 एलईडी बल्ब, 15,642 एलईडी ट्यूबलाइटें और 1,372 एनर्जी पंखे वितरित किए गए हैं। इससे 10.2 करोड़ रुपये की बचत हुई और 21,087 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ।

शिक्षा

7.55 बेहतर शिक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। नामांकन बढ़ाने के लिए 'शाला प्रवेशोत्सव' की शुरुआत की गई है ताकि बच्चों के नामांकन में वृद्धि की जा सके। 6 वर्ष के आयु वर्ग में 1,780 बच्चों को नामांकित किया गया। डिजिटल लर्निंग के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए और कमजोर छात्रों का आकलन करने और उन्हें सलाह देने के लिए 'मिशन विद्या' की स्थापना की गई। अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 'आहार'– मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) के तहत केंद्रीय रसोई भी संचालन में है। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल लाभान्वित हुए हैं। 'तिथि भोजन' मध्याह्न भोजन योजना के पूरक के रूप में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक पहल है।

7.56 स्वास्थ्य

- दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत प्रमुख उपलब्धि है। 50% सीटें संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव के लिए आरक्षित हैं। छात्रों के लिए आगे अवसर सुनिश्चित करने हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।

- 20 उप–केंद्रों और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नयन किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, 5.00 लाख रुपये की कवरेज तक स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के मानदेय की अतिरिक्त राशि को क्रमशः 3000/– रुपये से बढ़ाकर 4500/– रुपये और 1500/– रुपये से बढ़ाकर 2250/– रुपये कर दिया है।

- दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उन सभी शिशुओं के लिए "आशा– ए क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर" शुरू किया है, जो अपने बायलॉजिकल माता–पिता द्वारा त्याग दिए जाते हैं और बाल तस्करी का शिकार हो सकते हैं। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के 4,242 बच्चों और 3,369 गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ मिला।

- 'अन्नप्राशन' की शुरूआत 6 महीने पूरे करने वाले बच्चों को पूरक आहार को बढ़ावा देने की पहल के रूप में की गई थी। 'स्वाभिमान' योजना का उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया आदि की समस्या से निपटना है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को हर महीने 8.5 किलोग्राम 'घर का राशन' दिया जाता है।

7.57 पुरस्कार

वर्ष 2018–19 के दौरान दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पोषण अभियान के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- क्षमता निर्माण (आईएलए), अभिसरण और व्यवहार परिवर्तन तथा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में उत्कृष्टता पुरस्कार।

- आईसीडीएस, दमन को ब्लॉक लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया।
- आशा / एएनएम / एडब्ल्यूडब्ल्यू / एडब्ल्यूएच और एलएस समूह को फील्ड कार्यकर्ता पुरस्कार।



दमण एवं दीव प्रशासन के अधिकारी माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.58 **पर्यटन**

- संघ राज्य क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संवर्धन और विनियमन हेतु वाटर स्पोर्ट्स दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया।



दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.59 **पुलिस**

- "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" परियोजना के तहत साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके दिनांक 31.03.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

- संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली (एनईआरएस) को शुरू किया गया है और यह पूरी तरह क्रियाशील है।

7.60 **जिला पंचायत**

- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई– ग्रामीण) के तहत, 15 लाभार्थियों की पहचान की गई थी, जिसमें से 13 लाभार्थियों को चरण–। के दौरान पीएमएवाई आवास आबंटित किए गए थे। 342 और लाभार्थियों को चरण–।। के तहत कवर किया जाएगा।

7.61 **स्वच्छ भारत मिशन**

- दिनांक 01.06.2019 को दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन (जी) आईईसी अभियान – 2019 शुरू किया गया। जन आंदोलन और विभिन्न स्वच्छता अभियानों, जागरूकता अभियानों और आईईसी अभियान के माध्यम से प्लास्टिक श्रमदान के लिए अधिकतम संख्या में भागीदारी के लक्ष्य के साथ दिनांक 11.09.2019 को दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में 'स्वच्छता ही सेवा – 2019' अभियान शुरू किया गया।

- "स्वच्छ सुंदर शौचालय अभियान" के तहत अच्छे प्रदर्शन के लिए दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 को जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तृतीय स्थान प्रदान किया गया।

- पाँच पहल क्षेत्रों के साथ परिसंपत्ति निर्माण और संचार अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान शुरू किया गया।

7.62 **कृषि**

- लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने तथा किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 5,294 किसानों को प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता किस्तों में जारी की गई।

7.63 **मत्स्य पालन**

- पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी एजेंसी (पीएमएसए) द्वारा पकड़े गए 18 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

- समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत 8,224 मछुआरों का बीमा किया गया।

7.64 **उद्योग**

- व्यापार करने में आसानी के तहत, विभिन्न विनियामक मंजूरियां प्राप्त करने और साथ ही विभिन्न विभागों का वित्तीय प्रोत्साहन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में निवेशकों के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना शुरू की गई है। वर्ष 2019 के दौरान, 187 में से 97 सुधारों को मंजूरी दी गई।

II दादरा और नगर हवेली

7.65 दादरा और नगर हवेली भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र में 65 गाँव, 05 जनगणना नगर, 01 नगरपालिका परिषद, 01 जिला पंचायत और 20 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और इसकी आबादी 3,43,709 (1,93,760 पुरुष और 1,49,949 महिलाएँ) है। दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है और इसमें दो एन्क्लेव शामिल हैं यथा (1) दादरा और (2) नगर हवेली। यह संघ राज्य क्षेत्र गुजरात के वलसाड जिले और महाराष्ट्र के पालघर जिले से घिरा हुआ है।

प्रशासन

7.66 दादरा और नगर हवेली में केवल एक जिला और *तालुका* है। तथापि, राजस्व प्रशासन के प्रयोजन के लिए, सभी गांवों/कस्बों को 20 पटेलाद में विभाजित किया गया है। इस संघ राज्य क्षेत्र का कोई विधानमंडल नहीं है। प्रशासक, प्रशासन के प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिए प्रशासक के सलाहकार, वित्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर होते हैं। पंचायती राज प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए, निर्वाचित सदस्यों को शामिल करके 20 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं। इसके अलावा, सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक जिला पंचायत तथा 15 वार्डों को मिलाकर एक नगरपालिका परिषद गठित की गई है। इस संघ राज्य क्षेत्र को लोक सभा की एक सीट आबंटित की गई है, जो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है।

अर्थव्यवस्था

7.67 राजस्वः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 589.25 करोड़ रु. की राजस्व प्राप्तियां संग्रह कीं (दिनांक 31.12.2019 तक)।

7.68 आबंटन और व्ययः वर्ष 2019–20 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र को 1184.89 करोड़ रु. की निधि आबंटित की गई, जिसमें से 805.94 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं (दिनांक 31.12.2019 तक)।

वित्तीय योजनाएं

7.69 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 1,26,130 खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई) के तहत 32,061 खाते और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 57,415 खाते खोले गए (दिनांक 31.12.2019 तक)।

सेक्टोरल विकास

7.70 पुलः 33.54 करोड़ रु. की लागत से गुनसा–बिलधारी पर हाई लेवल पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 54.72 करोड़ रु. की लागत से कौंछा में हाई लेवल पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

7.71 कनेक्टिविटीः 57.13 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण (जीएच, एचए और एबी हिस्से) (प्रथम चरण) (4.30 किमी.) (एफ से जी हिस्सा), डंडुलफालिया से सिलवासा किलवानी मुख्य सड़क तक सिलवासा और अमली शहर के लिए रिंग रोड का निर्माण (डी से ई हिस्सा), समरवानी से डंडुलफालिया जंक्शन (2.50 किमी) तक रिंग रोड (बी से सी से डी तक के हिस्से) का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

7.72 **भवन**

(i) 139.23 करोड़ रुपये की लागत से दादरा एवं नगर हवेली में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध भवन का निर्माण, (ii) 82.49 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल का मल्टी–स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (450 बिस्तर वाले) (एमईपी सेवाएं) के रूप में उन्नयन और विस्तार, (iii) 48.24 करोड़ रुपये की लागत से मोरखल, फालंडी, मसात, सुरंगी, खेरड़ी और सिंदोनी में हाई स्कूल भवन का निर्माण, (iv) 12.50 करोड़ रुपये की लागत से दापड़ा में वरिष्ठ नागरिक और बाल गृह तथा दापड़ा में महिला और बालिका गृह का निर्माण, (v) 54.08 करोड़ रुपये की लागत से जंडचौक और तोकरहाड़ा, सिलवासा में स्कूलों का उन्नयन, (vi) 8.45 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली में पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण और (vii) 14.72 करोड़ रुपये की लागत से मंडोनी अंबोली, खंधा और खानवेल में छात्रावास भवन का निर्माण शुरू किया गया है।

7.73 **स्वास्थ्य**

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :

- नमो मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, दादरा और नगर हवेली के लिए 150 मेडिकल सीटों के नामांकन के लिए प्रवेश शुरू हुआ। प्रथम वर्ष का बैच दिनांक 01.9.2019 को शुरू हुआ।

- 28 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को कार्यशील बनाया गया।
- संघ राज्य क्षेत्र में ई–आरोग्य, क्लाउड आधारित हेल्थकेयर ईको–सिस्टम शुरू किया गया है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावी ढंग से अपनी सेवा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करेगा। ई–आरोग्य को संघ राज्य क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यान्वित किया गया है। ई–आरोग्य प्रणाली में इन–पेशेंट सेवाओं के तहत कुल 31,345 मरीजों का इलाज किया गया और आउट–पेशेंट सेवाओं के तहत 8,64,783 मरीजों का इलाज किया गया।
- औद्योगिक, भवन और अन्य निर्माण कामगारों को डोर–टू–डोर सेवाएं प्रदान करने के लिए "श्रम योगी स्वास्थ्य सेवा" नामक "मोबाइल स्वास्थ्य वैन" संचालन में हैं, जो ई–आरोग्य में पंजीकरण, चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करते हैं।



मोबाइल स्वास्थ्य वैन– "श्रम योगी स्वास्थ्य सेवा"

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.74 वर्ष 2019–2020 के दौरान शुरू की गई नई परियोजनाएँ

- 135.16 करोड़ रुपये की लागत से सिलवासा नरोली रोड पर शहीद चौक से अथल नरोली एट्रेंस गेट (जांच चौकी) के बीच तथा पिपरिया से शहीद चौक और फिर आगे समरवानी तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनों के उन्नयन, जनोपयोगी सुविधाओं के प्रबंधन और लैंडस्केपिंग कार्य सहित सड़कों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण शुरू किया गया है।
- 21.12 करोड़ रुपये की लागत से दादरा और नगर हवेली के विभिन्न स्थानों पर 20.55 किमी. (ओडीआर और एमडीआर) सड़क को चौड़ा करने, सुदृढ़ीकरण और अन्य अवसंरचना के विकास का कार्य (सीआरएफ योजना के तहत) शुरू किया गया है।

- 76.98 करोड़ रुपये की लागत से राखोली, दापड़ा, किलवानी और रंधा पटेलाद डब्ल्यूडी–II (डब्ल्यूटीपी, राइजिंग मेन, पंपिंग मशीनरी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क) (13 एमएल) के लिए एकीकृत जल प्रबंधन योजना और 74.88 करोड़ रुपये की लागत से खानवेल, रुडाना, अंबोली, सुरंगी और खेरडी पटेलाद डब्ल्यूडी–III (डब्ल्यूटीपी, पंपिंग मशीनरी, राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क) (12 एमएलडी) के लिए एकीकृत जल प्रबंधन योजना से संबंधित परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

7.75 ग्रामीण विकास

जल शक्ति अभियानः जल संरक्षण के उद्देश्य से, दिनांक 01.07.2019 को संघ राज्य क्षेत्र में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया। जल संरक्षण और संचयन के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी गांवों और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।





संघ राज्य क्षेत्र में जल शक्ति अभियान

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.76 शहरी विकास

- पीएमएवाई के तहत लगभग 607 घरों का निर्माण शुरू किया गया है और पीएमएवाई के बीएलसी घटक के तहत चरण–I परियोजना में 71 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन–शहरी के तहत सार्वजनिक शौचालय के रूप में सिलवासा में दो ई–शौचालय स्थापित किए गए हैं।

- प्रत्येक पीएमएवाई(यू) लाभार्थी को भारत सरकार की योजनाओं, जिनमें *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना* और *जल शक्ति अभियान* तथा विकास मिशन शामिल हैं, के साथ जोड़ने के लिए सिलवासा नगरपालिका परिषद ने *प्रधानमंत्री आवास योजना* के लाभार्थियों के लिए *अंगीकार* अभियान शुरू किया ताकि उनके जीवन के स्तर में सुधार किया जा सके।

7.77 शिक्षा

- मध्याह्न भोजन योजना के तहत दैनिक आधार पर 1,00,000 की क्षमता के साथ अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा केंद्रीकृत रसोई का संचालन किया जाता है। दादरा और नगर हवेली के 280 स्कूलों और दमण के 67 स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को पका–पकाया गर्म भोजन परोसा जाता है। दमण तथा दादरा और नगर हवेली के कक्षा–I से VIII तक के लगभग 57,000 छात्र मध्य ह्न भोजन योजना के तहत केंद्रीकृत रसोई के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं।



अथल में केंद्रीकृत रसोई

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 93 स्कूलों के स्थानों पर 'शाला प्रवेशोत्सव' आयोजित किये, जिनमें 6–7 स्कूलों ने सह–मेजबान के रूप में भाग लिया। शैक्षणिक वर्ष 2019–2020 के लिए कुल 3,986 छात्रों ने नामांकन कराया।



शाला प्रवेशोत्सव 2019

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.78 संघ राज्य क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) का उपयोग कम करना

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक पहल की है कि संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी प्लास्टिक बैग के उपयोग को हतोत्साहित करने सहित जीरो वेस्ट सिटी में परिवर्तित हो जाए। दादरा और नगर हवेली सिलवासा नगरपालिका परिषद सॉलिड

वेस्ट (हैंडलिंग एवं मैनेजमेंट) उप–नियम, 2018 को सिलवासा नगरपालिका परिषद (एसएमसी) क्षेत्र में लागू किया गया है, जिसमें 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग, पेट बोतलों, थर्माकॉल, पीओपी, प्लास्टिक स्ट्रॉ आदि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध शामिल है।

- प्लास्टिक कचरे को रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) में बदलने के लिए प्लास्टिक श्रेडिंग मशीन लगाई गई है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने और आरडीएफ का उपयोग करने के लिए अधिकृत रिसाइकलर्स और सीमेंट उद्योग के साथ समझौता किया गया है। दादरा और नगर हवेली प्रतिदिन लगभग 60 टन पेट बोतलों, 3.5 टन प्लास्टिक जंबो बैग, 1.5 टन पाइप और 1.5 टन घरेलू वस्तुओं को रिसाइकिल करके समाज में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देता है।

7.79 **नई पहलें**

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 01.09.2019 को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया, जिसके दौरान विभिन्न विकास परियोजनाएँ शुरू की गईं:

- पैरा मेडिकल संस्थान की आधारशिला रखी गई।
- संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति शुरू की।
- संघ राज्य क्षेत्र में 01 युवा छात्रावास, 20 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया।
- संघ राज्य क्षेत्र में पोषण माह और अन्नप्राशन का उद्घाटन किया। लॉन्च के समय लाभार्थियों को अन्नप्राशन किट दी गई, जिसमें जानकारीपूर्ण पुस्तिका के साथ विभिन्न आकारों के कटोरे, चम्मच, *लपरी*, फल शामिल हैं। कुल 645 लाभार्थियों को किट दी गई।
- पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण कामगारों को प्रति व्यक्ति 5 रुपये की नाममात्र की राशि पर पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान करने हेतु कामगारों के लिए श्रम योगी प्रसाद योजना का उद्घाटन किया।
- 1000 दिवसीय ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नेंस प्रकाशन को लॉच किया।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने छात्रों को लैपटॉप और स्टेथोस्कोप देकर नमो मेडिकल कॉलेज के नए नामांकित पहले बैच को बधाई और शुभकामनाएं दीं।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ और उद्घाटन की झलक

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.80 उपलब्धियां / पुरस्कार

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को "स्वच्छ सुंदर शौचालय अभियान" के तहत अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.06.2019 को चौथा स्थान प्रदान किया गया।

- स्वच्छ भारत पुरस्कार –2019 के तहत दुधनी ग्राम पंचायत ने स्वच्छग्राही पुरस्कार प्राप्त किया।
- जिला अस्पताल श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा के लिए कायाकल्प हेतु राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार और उप–जिला अस्पताल, खानवेल ने राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के तहत तृतीयक देखभाल अस्पताल श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।





संघ राज्य क्षेत्र ने राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार के तहत तृतीय केयर अस्पताल श्रेणी के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

पोषण अभियान के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु समग्र उत्कृष्टता के लिए समूह IV में पहला स्थान हासिल करने पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.08.2019 को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को पोषण अभियान के तहत पुरस्कृत किया गया।





स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2019 में संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

7.81 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ी द्वीपसमूह–मंडल प्रणाली है, जिसमें लगभग 836 द्वीप, पहाड़ियां तथा टापू हैं और उनमें से केवल 31 द्वीप बसावट वाले हैं। ये द्वीपसमूह कोलकाता से 1,255 किमी. तथा चेन्नई से 1,190 किमी. दूर स्थित हैं। उक्त द्वीप "ब्लैक वॉटर प्रिजन" अथवा *"काला पानी"* के नाम से कुख्यात थे। मूल रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियों का निवास स्थान रहे हैं। आदिम जनजातियों के हितों का संरक्षण करने तथा उस भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से तथा विशेष रूप से केवल यही जनजातियां निवास करती हैं, को आरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजातियों का संरक्षण) विनियम, 1956 प्रख्यापित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छः अनुसूचित जनजातियां हैं यथा ग्रेट अंडमानीज, ओंगेस, जार्वास, सेंटीनेलीज, शोम्पेंस तथा निकोबारीज। निकोबारीज को छोड़कर अन्य जनजातियों को विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पोत परिवहन

7.82 पोत परिवहन, द्वीपवासियों की जीवन–रेखा है। सभी चार सेक्टरों यथा मेनलैंड–आइलैंड, इंटर–आइलैंड, फोरशोर एवं हार्बर सेक्टर में पोत परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 25 जलयानों के अधिग्रहण की योजना बनाई गई है। 1200 यात्री वाले दो जलयानों की आपूर्ति वर्ष 2020 के अंत तक होने की संभावना है और 500 यात्री वाले दो जलयानों की आपूर्ति वित्त वर्ष 2019–20 में होने की संभावना है। 38.00 करोड़ रुपये की लागत से एम.वी. राजहंस और एम.वी. नरकोंडम के बदले दो हाई स्पीड जलयानों के अधिग्रहण का कार्य भी प्रक्रियाधीन है। बंदरगाह क्षेत्र के लिए ऑर्डर किए गए 150 यात्री वाले चार जलयानों की आपूर्ति पहले ही हो गई है।

परिवहन

7.83 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के नागरिकों को कारगर, सस्ती और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए, राज्य परिवहन सेवा (एसटीएस) पूरे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपनी 15 इकाइयों में 284 बसों के बेड़े का संचालन कर रही है।

बिजली

7.84 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 59.5 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए 121.72 मेगावाट की संस्थापित क्षमता तथा 334.57 मेगा यूनिट (एमयू) के वार्षिक उत्पादन के साथ सभी प्रमुख द्वीपों के लगभग 1,33,990 उपभाक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहा है। कुल संस्थापित क्षमता में से, केवल 11.40 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के माध्यम से है, जिसमें 5.25 मेगावाट क्षमता के छोटे हाइड्रो संयंत्र तथा 6.15 एमडब्यूपी क्षमता के सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है – 15 सरकारी भवनों पर 1 एमडब्ल्यूपी कनेक्टेड रूफटॉफ सोलर पीवी संयंत्र लगाए गए हैं और 39 सरकारी भवनों पर 3.15 एमडब्ल्यूपी ग्रिड इंटरऐक्टिव रूफटॉफ सोलर पीवी संयंत्र लगाए गए हैं। मौजूदा आईसीएल बल्बों को बदलने के लिए प्रति उपभोक्ता 4 की दर से 1 लाख घरेलू उपभोक्तओं को 4.00 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। एलईडी से बदलने के परिणामस्वनरूप अधिकतम मांग में 7–8% की कमी आई है।

स्वास्थ्य

7.85 एक सु–विकसित सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से पूरे द्वीपसमूह में निःशुल्क उपचारात्मक, निवारक, पुनर्वास और सहायक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। गराचरमा प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का जिला अस्पताल में उन्नयन, 50 बिस्तर वाले जुंगलीघाट आयुष अस्पताल परिसर का निर्माण, मौजूदा स्वराज द्वीप पीएचसी भवन का दो मंजिला भवन के रूप में निर्माण और रामनगर– II में उप–केंद्र का निर्माण तथा पिलोपंजा का कार्य प्रगति पर है।

शिक्षा

7.86 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में

461 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 45 पूर्व–प्राथमिक स्कूलों सहित 118 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू तथा बंगाली है। द्वीपसमूह में एक–एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विधि कॉलेज और सामुदायिक कॉलेज तथा 4 डिग्री कॉलेज और 2 डिप्लोमा पॉलीटेक्निक हैं। 10 स्कूलों ने कक्षा 12 में तथा 40 स्कूलों ने कक्षा 10 में 100% परिणाम हासिल किया है।

कृषि

7.87 कृषि के तहत उपलब्ध 45,794 हेक्टेयर भूमि में से 70% बागान की फसलों, मसालों और बागवानी फसलों के अंतर्गत है। इस संघ राज्य क्षेत्र की कृषि जलवायु की स्थिति ऐसी फसलों की खेती के अनुकूल है। फसलों की पैदावार हेतु चार योजनाओं अर्थात (i) उच्च पैदावार कार्यक्रम के तहत किसानों को सहायता, (ii) बागवानी फसलों और उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता, (iii) प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम (आईटी और प्रदर्शन) तथा (iv) निर्देशन और प्रशासन को क्रियान्वित करने के लिए 44.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का आबंटन किया गया है।

7.88 निम्नलिखित मृदा संरक्षण योजनाएं शुरू करने के लिए 4.83 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है:

- मृदा संरक्षण कार्य और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण।
- परती भूमि और जल निकासी में सुधार।

पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं

7.89 पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं 01 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, 09 पशु चिकित्सा अस्पतालों, 12 पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों, 55 पशु चिकित्सा उप–डिस्पेंसरियों तथा 15 मोबाइल पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। 34 उप–केंद्रों और 17 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य का उपयोग करके कृत्रिम गर्भाधान द्वारा स्थानीय साधारण और कम उत्पादक गायों/मवेशियों के स्तर को सुधारना।

पर्यटन

7.90 पर्यटकों के लिए स्वच्छ और किफायती ठहरने का स्थान उपलब्ध कराने तथा भारतीय रीति–रिवाजों, परंपरा और भारतीय भोजन का अनुभव कराने के लिए, 48 होम स्टे संचालन में हैं। लाइट एंड साउंड शो के लिए ई–टिकटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। रॉस एंड स्मिथ द्वीप, शहीद द्वीप (नील द्वीप), लांग द्वीप और एविस द्वीप का समग्र विकास चल रहा है। एयरपोर्ट, सेल्युलर जेल, स्वराज द्वीप और आईपी एंड टी निदेशालय भवन में पर्यटक सूचना केंद्र कार्य कर रहे हैं।

पुलिस

7.91 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस के तहत 24 पुलिस स्टेशन, 22 सीमा चौकियां, 12 जारवा संरक्षण चौकियां, 06 लुक आउट चौकियां, 24 अग्निशमन स्टेशन, 27 पुलिस रेडियो स्टेशन, 03 वीएचएफ और 24 एचएफ रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबीएन) सहित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या 5,078 है।

7.92 कानून और व्यवस्था की स्थिति अब तक स्थिर और शांतिपूर्ण बनी हुई है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 409 आईपीसी मामले सूचित किए गए।

7.93 ट्रैफिक यूनिट ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, अन्य संस्थानों और पंचायतों में 50 सड़क सुरक्षा जागरूकता कक्षाएं आयोजित की हैं। इन जागरूकता कक्षाओं से 6,500 छात्र और आम जनता लाभान्वित हुई है।

वन

7.94 इस संघ राज्य क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किमी. है जिसमें से 86.93% वन क्षेत्र के रूप में दर्ज है। ईको–रिस्टोरेशन वर्किंग सर्किल के तहत 4750.60 हेक्टेयर क्षेत्र और प्लांटेशन रिक्लेमेशन वर्किंग सर्किल के तहत 759.90 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधा रोपण किया गया है। इसके अलावा, दिसम्बर, 2019 तक कुल 59.2 किलोमीटर में एवेन्यू प्लांटेशन और 32.5 हेक्टेयर में मैंग्रोव प्लांटेशन भी लगाए गए हैं।

मत्स्य पालन

7.95 लगभग 1,962 किमी. की तटीय लम्बाई, लगभग 35,000 वर्ग किमी. के महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रफल और 6,00,000 वर्ग किमी. के एक्सक्लूसिव इकॉनमिक जोन (ईईजेड) को देखते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का कुल मछली उत्पादन 22492 मीट्रिक टन है, जिसमें समुद्री क्षेत्र से योगदान 22351 मीट्रिक टन और अंतर्देशीय क्षेत्र से योगदान 141 मीट्रिक टन है।

7.96 भारतीय मेजर कार्प्स के सीड प्रोडक्शन हेतु हापा ब्रीडिंग के बजाय आईसीएआर–सीआईएफए द्वारा विकसित पोर्टेबल चाइनीज हैचरी को शुरू किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, फिश सीड फार्म, नयागांव में 14.00 लाख फिश सीड का उत्पादन किया गया और उंगली के बराबर आकार का होने तक पालने के बाद 6.00 लाख फ्रेशवाटर फिश सीडों को वर्ष 2019–20 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 1103 मत्स्य पालकों में वितरित किया गया।

उद्योग

7.97 मुख्य भूमि से दूरी तथा इसकी नाजुक पारिस्थितिकी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी तथा कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में पूरे द्वीपसमूह से 119 व्यक्तियों को व्यवसायों यथा बेंत तथा बांस, बढ़ईगिरी, सामान्य इंजीनियरिंग, सिलाई तथा पोशाक निर्माण और कॉयर उत्पाद में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 98 व्यक्तियों को सिलाई तथा पोशाक निर्माण, कागज के थैलों के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 54 ओंगे परिवारों और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 12 महिलाओं को बांस, नारियल के खोल और ड्रिफ्टवुड आधारित हस्तशिल्प और कढ़ाई कार्यों में अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" के तहत 47 उम्मीदवारों ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

7.98 ग्रामीण विकास

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 2,846 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की मंजूरी प्रदान की गई और 962 को पूरा किया गया। 93 सामुदायिक स्वच्छता परिसर स्वीकृत किए गए और 28 पूरे हो चुके हैं। 430.01 लाख रुपये का व्यय हुआ है। द्वीपों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर फोकस करते हुए दिनांक 11.09.2019 से 27.10.2019 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाया गया



स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)



मनरेगा

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा):** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, परिवारों को 432 जॉब कार्ड जारी किए गए, 1,74,049 व्यक्ति–दिवस का कार्य सृजित किया गया, जिनमें से 1,01,496 महिलाओं के लिए और 18,226 अनुसूचित जनजातियों के लिए थे।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी):** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 1,002 घरों को मंजूरी दी गई और 243 घरों को पूरा किया गया। 88.20 लाख रुपये का व्यय किया गया।

- **दीन दयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम):** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 191 स्वयं सहायता समूहों और 09 ग्राम संगठनों का गठन किया गया। 75.13 लाख रुपये का व्यय किया गया।

सामाजिक कल्याण

7.99 दिव्यांगता भत्ता योजना के तहत 3,693 लाभार्थियों को 2,500/– रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिल रही है। विभिन्न प्रकार की अशक्तता वाले 198 बच्चों को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विध मल्टीपल डिसेबिलिटीज (एनआईईपीएमडी), चेन्नई के विस्तार केंद्र के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक उपचार प्रदान किया गया, जो इन द्वीपों में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) के नाम से कार्यशील है और इसे दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरएस) के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। 84 सरकारी बसों को भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 'एक्सेस फ्री' बनाया गया है। निःशुल्क बस पास की योजना के माध्यम 1,111 *दिव्यांगजन* लाभान्वित हुए। दिनांक 31.12.2019 तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3,050 यूनीक दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) बनाए गए हैं।

जनजातीय कल्याण

7.100 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छः आदिम जनजातियां निवास करती हैं जिनकी जनसंख्या 28,530 (वर्ष 2011 की जनगणना) है, जिसमें से 1,009 (दिनांक 08.11.2019 की स्थिति के अनुसार) 'विशेष संरक्षण योग्य जनजातीय समूह' से हैं। जनजातीय उप–योजना संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके तैयार और कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2019–20 में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए 251.22 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

7.101 ओन्गे ने बागवानी गतिविधियों में भाग लिया और डुगोंग क्रीक में विकसित सब्जी बागान में विभिन्न सब्जियों जैसे भिंडी, बैगन, बीन्स, टमाटर आदि के पौधे लगाए। पोषण माह कार्यक्रम के तहत जारवाओं के बीच केले के फूल का उपभोग करने, सहजन की फली लगाने तथा भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने आदि के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओन्गे और अंडमानी बस्ती में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जारवा जनजाति के बीच स्वास्थ्य की जांच करने के लिए छः जारवा (महिलाओं) को प्रशिक्षित किया गया।

श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

7.102 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम) योजना दिनांक 05.03.2019 को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में शुरू की गई और दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 1574 व्यक्तियों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (लघु व्यापारी और स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्ति) के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है और अब तक 53 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।



दिनांक 05.03.2019 को पीएमएसवाईएम योजना का शुभारंभ

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

आपदा प्रबंधन

7.103 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को सीज्मिक जोन– V के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चौबीसों घंटे (24X7) निगरानी, घटनाओं, खतरों और सभी प्रकार की आपदाओं, चाहे वे भूवैज्ञानिक आपदाएं हों या हाइड्रो–मौसम संबंधी आपदाएं हों, के लिए घटनाओं के विश्लेषण और प्रसार के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) की स्थापना की गई है। 09 (नौ) आपातकालीन संचालन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। लगभग सभी आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) में पर्याप्त एसएटी फोन लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। आपातकालीन संचालन केंद्रों में निगरानी और स्वचालित सुनामी चेतावनी प्रणाली के लिए एसईओसी और ईओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न स्थानों पर 36 सुनामी सायरन (मैनुअल रूप से संचालित) स्थापित किए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न स्थानों पर इसरो के 12 स्वचालित मौसम केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

7.104 **अन्य गतिविधियाँ / उपलब्धियाँ**

- अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग के संबंध में दिनांक 5 सितंबर, 2019 को अधिसूचना संख्या 186 जारी की है। आम जनता, छात्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और उन्हें प्लास्टिक के ग्रीन विकल्प प्रदान करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों के संबंध में एक प्रदर्शनी "उद्भव– एक नई शुरुआत" का आयोजन किया गया।

- "स्वछता ही सेवा–2019" अभियान के दौरान 150 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया और आगे निपटान हेतु पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (पीबीएमसी) को सौंपा गया। खरीदारी के लिए जाते समय कपड़े के थैलों का उपयोग करने के संदेश के साथ 8000 से अधिक कपड़े के थैले जनता के बीच वितरित किए गए।

पुदुचेरी

7.105 पुदुचेरी विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र है।

इसमें चार क्षेत्र नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल हैं जो भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से पृथक हैं।

अर्थव्यवस्था

7.106 नए आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर वर्ष 2018–19 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का त्वरित अनुमान वर्तमान कीमतों पर 36,656.44 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष (2017–18) के 32,215.20 करोड़ रुपये के जीएसडीपी अनुमान से तुलना करने पर 13.78%की वृद्धि दर को दर्शाता है।

7.107 वर्ष 2018–19 के लिए पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय का त्वरित अनुमान वर्तमान कीमतों पर 2,20,461 रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष (2017–18) के 1,97,999 रुपये के अनुमान से तुलना करने पर 11.34% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

7.108 नए आधार वर्ष 2011–12 के आधार पर वर्ष 2019–20 में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अग्रिम अनुमान वर्तमान कीमतों पर 40,801.74 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष (2018–19) के 36,656.44 करोड़ रुपये (त्वरित अनुमान) के जीएसडीपी अनुमानों से तुलना करने पर 11.31% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

7.109 वर्ष 2019–20 के लिए पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान वर्तमान कीमतों पर 2,36,591 रुपये अनुमानित है। यह विगत वर्ष 2018–19 के 2,20,461 रुपये (त्वरित अनुमान) की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करने पर 8.29% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

7.110 पुदुचेरी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई प्रमुख विकास परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

कृषि

7.111 "फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी" योजना के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र में 15,652 किसानों को सब्सिडाइज्ड लागत पर आवश्यक कृषि इनपुट वितरित किए गए, जिसमें सामान्य किसानों के लिए 118.00 लाख रुपये और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 67.30 लाख रुपये की राशि खर्च हुई।

7.112 पुदुचेरी क्षेत्र के धान उत्पादकों के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 4,822 सामान्य किसानों को 169 लाख रुपये और 532 अनुसूचित जाति के किसानों को 13 लाख रुपये की बैक–एंडेड इनवेस्टमेंट सब्सिडी प्रदान की गई।

7.113 फसल बीमा योजना अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुदुचेरी, कराईकल और यानम क्षेत्रों में लागू की जा रही है। पुदुचेरी क्षेत्र में 4294.13 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 4,997 किसानों, कराईकल क्षेत्र में 4878.55 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 4,803 किसानों और यानम क्षेत्र में 231.27 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 473 किसानों को फसल बीमा योजना में नामांकित किया गया है।

7.114 दो विनियमित बाजारों, जिसमें से एक थट्टनचावडी (पुदुचेरी) में और दूसरा कराईकल क्षेत्र में एकमात्र बाजार है, को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–एनएएम) परियोजना के तहत एकीकृत किया गया है। काले चने, हरे चने और थिनाई जैसी फसलों के लिए मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बोली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पोर्टल में 92 लाइसेंसधारी व्यापारियों और 8,500 किसानों को पंजीकृत किया गया है।

7.115 प्रधानमंत्री–किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना के तहत, 7,193 लघु और सीमांत जोत वाले किसान तीन समान किस्तों में देय 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता से लाभान्वित हुए।

बिजली

7.116 किसी भी बिल संग्रह केंद्र पर बिजली की खपत के प्रभार के भुगतान के लिए दिनांक 27.06.2019 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

7.117 बिजली विभाग, पुदुचेरी ने 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ नई दिल्ली में दिनांक 24.10.2019 को बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।

7.118 दो 22 केवी (किलो–वोल्ट)/315 केवीए (किलो–वोल्ट–एम्पियर) के डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए गए, 737 एचटी वेज कनेक्टर संस्थापित किए गए और 84.78 करोड़ रुपये की लागत से 19 एड–ऑन रिंग मेन यूनिट को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड केबल सिस्टम में बदलने का कार्य चल रहा है।

7.119 पुदुचेरी क्षेत्र के नगरीय इलाकों में 21.63 करोड़ रुपये की लागत से 22 केवी/315 केवीए के 4 (चार) डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर, कराईकल क्षेत्र के नगरीय इलाकों में 11 केवी/200 केवीए के 4 (चार) डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर और यानम क्षेत्र के नगरीय इलाकों में 11 केवी/200 केवीए के 2 (दो) डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए गए। यानम क्षेत्र में 17,646 सिंगल–फेज एलपीआरएफ मीटर और 615 थ्री–फेज लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी (एलपीआरएफ) मीटर और माहे क्षेत्र में 999 सिंगल–फेज एलपीआरएफ मीटर लगाए गए। माहे और यानम क्षेत्रों में रूफटॉप सौर पैनल संस्थापित किए गए।

7.120 "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" संबंधी स्कीम के तहत, पुदुचेरी क्षेत्र में 10 डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर चालू किए गए। पुदुचेरी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 8,019 सिंगल–फेज एलपीआरएफ मीटर संस्थापित किए गए। इसके अलावा, 20.05 करोड़ रुपए की लागत से कराईकल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 2,850 सिंगल–फेज एलपीआरएफ मीटर और 80 थ्री–फेज एलपीआरएफ मीटर लगाए गए।

7.121 230/110 केवी बाहौर सब–स्टेशन में 110 केवी आईनॉक्स फीडर के पुराने कंट्रोल और रिले पैनलों और 230 केवी बाहौर–कराईकल फीडर को नए सब–स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम पैनल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 230/110 केवी बाहौर ऑटो सब–स्टेशन पर पावर ट्रांसफॉर्मर–। और 110 केवी बस प्रोटेक्शन कंट्रोल और रिले पैनलों को प्रतिस्थापित करने का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, बाहौर 230 केवी सब–स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर 2 के संबंध में कंट्रोल और रिले पैनलों को 10.56 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 23.07.2019 को सफलतापूर्वक चालू किया गया।

मत्स्य पालन

7.122 61 दिन के प्रतिबंध (बैन) की अवधि के दौरान पुदुचेरी, कराईकल तथा यानम क्षेत्र में 19,290 परिवारों को 1060.95 लाख रुपये की प्रतिबंध राहत सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 52 दिन के प्रतिबंध की अवधि के दौरान माहे क्षेत्र में 640 परिवारों को 30.02 लाख रुपये वितरित किए गए। चुने गए 1,504 नए लाभार्थियों सहित 8,231 वृद्ध मछुआरों को 510.75 लाख रुपये की वृद्धावस्था पेंशन मंजूर की गई और मार्च, 2019 से इसका भुगतान किया गया।

7.123 चालू वित्त वर्ष के दौरान 47 पंजीकृत यांत्रिक बोट ऑपरेटरों द्वारा अपनी बोटों का बीमा कराने के लिए चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के लिए 3.02 लाख रुपये की 75% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की गई।

7.124 भारत सरकार ने सितम्बर, 2019 के दौरान वर्ष 2018–2019 के लिए बैकलॉग दावों के निपटान हेतु 4,667 लाभार्थियों को शामिल करते हुए "मछुआरों हेतु सेविंग–कम–रिलीफ" स्कीम के तहत 1.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की है।

स्वास्थ्य

7.125 गरीबों के लिए पांडिचेरी मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा उच्च संस्थानों में विशेष उपचार का लाभ उठाने वाले बीपीएल परिवारों के 219 लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

7.126 सरकारी मेडिकल कॉलेज, पुदुचेरी में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से फिलिप्स प्रोडिवा 1.5टी एमआरआई स्कैन संस्थापित किया गया है और इसने जून, 2019 से काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, पुदुचेरी में 1.73 करोड़ रुपए की लागत से वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी जून, 2019 से कार्य कर रही है।

7.127 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिनांक 25.07.2019 से मेसर्स स्टार हेल्थ एंड

एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में लागू की जा रही है। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत रोटावायरस वैक्सीन को भी दिनांक 29.08.2019 से शुरू किया गया है।

7.128 बाहरी रोगी फीडबैक कार्यक्रम "मेरा अस्पताल (माई हॉस्पीटल)" को राजीव गांधी सरकारी महिला और बाल अस्पताल, पुदुचेरी में शुरू किया गया है और मासिक स्कोर को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जो लगभग 77–78% है।

लोक निर्माण कार्य

7.129 1.83 करोड़ रुपये की लागत से पुदुचेरी में पूर्णनकुप्पम के पास चुन्नमबार में समुद्र तट का विकास (सिविल वर्क) शुरू किया गया है।

7.130 28.98 करोड़ रुपये की लागत से पुदुचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 45ए पर किमी. 33/000 पर रोड ओवर ब्रिज के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण किया जा रहा है।

7.131 5.00 करोड़ रुपये की लागत से सराडंबल नगर, एलापिल्लैचावडी, पुदुचेरी में स्विमिंग पूल का निर्माण शुरू किया गया है।

7.132 12.00 करोड़ रुपये की लागत से विलियानुर, पुदुचेरी में 50 बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल का निर्माण शुरू किया गया है, जो प्रगति पर है। यह कार्य अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा।

7.133 2.77 करोड़ रुपये की लागत से आरसी.2 (राष्ट्रीय राजमार्ग 45ए) पांडिचेरी से नल्लवडू रोड तक – कुड्डलोर रोड से अरियनकुप्पम कम्यून, पुदुचेरी में नल्लवडु गाँव तक सड़क सुधार का कार्य शुरू किया गया है। सड़क की लंबाई 2300 मी. है।

7.134 14.41 करोड़ रुपये की लागत से पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में सीआरएफ 2016–17 के तहत यानम में बालयोगी ब्रिज के पास कनकलापेटा फ्लड बैंक रोड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–216 के गुरेमपेटा जंक्शन से सड़क का सुधार किया जा रहा है, जो पूरा होने वाला है। सड़क की लंबाई 16.375 किमी. है।



यानम क्षेत्र में शुरू किया गया सड़क सुधार कार्य

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

ग्रामीण विकास

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

7.135 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 1.45 करोड़ रुपये की लगत से 10,285 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक 22,720 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

7.136 वर्ष 2019–20 के दौरान, परिवारों को 49,212 जॉब कार्ड जारी किए गए। 5,66,000 व्यक्ति–दिवस का कार्य सृजित किया गया, जिसमें से 4,91,061 (86.76%) व्यक्ति–दिवस महिलाओं द्वारा थे।

समाज कल्याण

7.137 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' के तहत, 1,259 दिव्यांग व्यक्तियों को 3,000/–रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 37.77 लाख रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की गई।

7.138 एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन के तहत, 28 सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों में बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, पुदुचेरी द्वारा सिविल कार्य किया जाएगा।

पर्यटन

7.139 चिन्ना वीरमपट्टिनम (पुदुचेरी) में ईडन बीच, जो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा चुने गए तेरह समुद्र तटों में से एक है, को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा समुद्र तट (बीच) की सफाई तथा संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से मूलभूत अवसंरचना का विकास करने के लिए चुना गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पायलट परियोजना के रूप में इस बीच को एमओईएफएंडसीसी का "ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन" मिला है। इस सर्टिफिकेशन से चिन्ना वीरमपट्टिनम बीच पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल अस्थायी संरचनाओं का निर्माण होगा, जो पूरी तरह से मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना के भाग के रूप में, चिन्ना वीरमपट्टिनम पर निर्धारित बीच से चुनमबर पैराडाइज बीच तक 3 वर्ग किमी. के क्षेत्र को "नो प्लास्टिक जोन" के रूप में अधिसूचित किया गया है, जहाँ पर्यटकों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग करना प्रतिबंधित है। बीच पर शुरू की जाने वाली विभिन्न बुनियादी सुविधाओं में छोटे पैमाने वाले रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, अपशिष्ट प्रबंधन, मॉड्यूलर शौचालय और पर्यटकों के लिए चेंजिंग रूम शामिल हैं।

नगर तथा ग्राम आयोजना

7.140 एएमआरयूटी योजना के तहत कराईकल, माहे और यानम क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली–आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शदाता को कार्य आदेश जारी किए गए हैं। पुदुचेरी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजना अधिसूचित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, 37.42 करोड़ रुपये की लागत से 891 घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, 3,349 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 1,811 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। 'अंगकार' अभियान सहित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों (50 बैच) के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के ब्यौरे का प्रसार, मकान निर्माण संबंधी तकनीकी और वित्तीय पहलुओं के संबंध में क्षमता का निर्माण है।

महिला तथा बाल विकास

7.141 इस शर्त के अधीन कि माता–पिता परिवार नियोजन को अपनाएंगे, एक अथवा दो बालिका वाले परिवार के लिए प्रोत्साहन की स्कीम के तहत 15,000 रुपये प्रत्येक की दर से 400 बालिकाओं के नाम पर 60 लाख रुपये की राशि जमा की गई।

7.142 एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के तहत 27,776 बच्चे और 9,803 माताएं लाभान्वित हुईं तथा 11.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

7.143 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आईसीडीएस परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) स्कीम कार्यान्वित की जाती है। 2,397 गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में 5,000/– रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

लक्षद्वीप

7.144 लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीपसमूह और चट्टानों से युक्त एक द्वीप पुंज है, जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का यह सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र अपने एकमात्र कोरल द्वीपसमूह श्रृंखला के लिए जाना जाता है। कुल 32 वर्ग कि.मी. के भू–क्षेत्रफल वाले ये खूबसूरत और अप्रदूषित द्वीपसमूह लगभग 4,200 वर्ग कि.मी. प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। कुल 36 द्वीप (3 चट्टानें और 6 जलमग्न रेतीले तट) हैं, जिनमें से 10 बसावट वाले हैं तथा केरल के पश्चिमी तट से 220 से 440 कि.मी. की दूरी तक अरब सागर में फैले हुए हैं। समस्त देशी आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कॉयर की रस्सियां बनाना है।

7.145 इन द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और द्वीपों में भ्रमण करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुमति अपेक्षित होती है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती है। वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान प्रशासन की उपलब्धियों, गतिविधियों और महत्वपूर्ण नीतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

परिवहन/सेवा क्षेत्र

बंदरगाह

7.146 पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रत्येक जलयान में 2000 सिलेंडरों की क्षमता वाले 3 एलपीजी सिलेंडर कैरियर जलयानों के लिए मंजूरी दी है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र तकनीकी परामर्शदाता, मेसर्स शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) द्वारा अंतिम रूप दी गई निविदा के अनुसार, प्रति जलयान 25.00 करोड़ रुपये और जीएसटी की कुल लागत से 2 + 1 (वैकल्पिक) आधार पर इन जलयानों के अधिग्रहण के लिए जलयान निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7.147 पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2018 को एक 700 एमटी ऑयल टैंकर के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है और इसे दिनांक 01.10.2019 को लॉन्च किया गया है। जलयान की डिलीवरी दिनांक 28.01.2020 को होने की संभावना है। जलयान का अधिग्रहण थोक में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए किया जा रहा है। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 26.2.2019 को 600 मीट्रिक टन मल्टीपर्पज कार्गो वेसल के अधिग्रहण के लिए मंजूरी की सूचना दे दी है।

सेवा क्षेत्र

बिजली

7.148 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, भारत सरकार की एजेंसी ईईएसएल (एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) से लक्षद्वीप में स्मार्ट मीटर परियोजना का कार्यान्वयन शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

लोक निर्माण कार्य

7.149 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अंद्रोथ द्वीप, किल्तन द्वीप और कलपेनी द्वीप (भूतल– चरण–I) में सिविल स्टेशनों (भूतल), कलपेनी, अंद्रोथ और कवारत्ती में ओपन स्टेज, कलपेनी में ट्रांजिट आवास, किल्तन में डाक बंगले (भूतल), कवारत्ती में पीडब्ल्यूडी सिविल सब डिवीजन के लिए नई इमारत और पानी की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से संबंधित सिविल कार्यों को पूरा कर लिया है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कलपेनी (6), मिनिकॉय (4), कवारत्ती (13)

में 23 टाइप II क्वार्टरों और कवारत्ती में 1 टाइप III क्वार्टर के सिविल कार्य भी पूरे किए हैं।

आयोजना, सांख्यिकी और कराधान

7.150 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंध में आवधिक प्रकाशन "बेसिक स्टेटिस्टिक्स 2018" पूरा कर लिया गया है और इसे जारी का दिया गया है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण दोनों द्वीपवासियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रृंखला के लिए बाजार सर्वेक्षण शुरू किया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

कृषि

7.151 प्रशासन ने "परम्परागत कृषि विकास योजना" (पीकेवीवाई) के तहत पूरे लक्षद्वीप को जैविक क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव किया है और चयनित क्षेत्रीय परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए हैं। प्रशासन ने द्वीपों के समग्र विकास के एक भाग के रूप में बंगाराम में जैविक कृषि प्रथा का कार्यान्वयन शुरू किया है।

7.152 प्रशासन ने केंद्रीय क्षेत्र की नई फ्लैगशिप स्कीम "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" शुरू की है और 1,661 लाभार्थियों को कवर किया है।

7.153 प्रशासन ने जनता को 29,700 फल के पौधे वितरित किए हैं; ओखी चक्रवात के पीड़ितों को 100 क्लाइम्बिंग डिवाइस, 500 तिरपाल तथा किसानों को कृषि उपकरणों का वितरण किया गया, जिन पर 40.00 लाख रुपये की लागत आई है। प्रशासन ने ओखी चक्रवात के पीड़ितों को राज्य शीर्ष के तहत 133.00 लाख रुपये के अलावा, नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के तहत मुआवजा पैकेज के रूप में 62.00 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की है। प्रशासन ने अंद्रोथ, कलपेनी, कदमत और मिनिकॉय द्वीप में नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) की योजना के तहत क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की भी स्थापना की है।

मत्स्य पालन

7.154 मत्स्य पालन के तहत लक्षद्वीप में निर्यात व्यापार को सुविधाजनक बनाने के एक भाग के रूप में, प्रशासन ने निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोच्चि की मदद से अगाती द्वीप में एक डेस्क कार्यालय खोला है।

पर्यावरण और वन

7.155 प्रशासन ने दिनांक 15.08.2019 को लक्षद्वीप मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (एलएमपीबी) के तहत कवारत्ती में लक्षद्वीप मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के साथ, आईएनएस द्वीप रक्षक, नौसेना मुख्यालय में स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान के तहत, द्वितीय राज्य स्तरीय वनमहोत्सव 2019 का आयोजन भी किया गया। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियमित सफाई कार्यक्रम के लिए ग्राम द्वीप पंचायतों को अनुदान सहायता (जीआईए) के रूप में 200 लाख रुपये की राशि जारी की है।

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

7.156 शिक्षा के क्षेत्र में दिनांक 31.12.2019 तक प्रशासन की उपलब्धियां / विकासात्मक उपाय निम्नानुसार हैं: –

- लक्षद्वीप के विभिन्न स्कूलों में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड की परीक्षा आयोजित की गई और कक्षा V, VIII, IX, X और XII के 4,392 छात्रों ने इसमें भाग लिया। लक्षद्वीप प्रशासन ने शैक्षणिक विषयों के लिए नियम और विनियम तैयार किए हैं तथा यह सुनिश्चित किया है कि कक्षा 1 से 10 के लिए स्कूल बैग का वजन भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार है।

- डॉ. अब्दुल हकीम, सहायक हेडमास्टर (एएचएम), शहीद जवान मुत्थुकोया मेमोरियल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दिनांक 05.09.2019 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 प्राप्त किया।

- लक्षद्वीप के सभी 10 द्वीपों में अक्टूबर 2019 के दौरान द्वीप स्तरीय स्कूल उत्सव (शास्त्र मेला) आयोजित किया गया। विभिन्न द्वीपों और मेनलैंड में अध्ययन कर रहे 11,341 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 4.78 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

- समग्र शिक्षा की विभिन्न पहलों के तहत स्कूली और अध्यापक शिक्षा अर्थात पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक तक की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा परियोजना अनुमोदन बोर्ड, लक्षद्वीप ने (वर्ष 2019–20 के लिए) 904.4 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी है।

खाद्य और सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

7.157 लक्षद्वीप में एलपीजी वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित मानदंडों के तहत आवश्यक अवसंरचना वर्तमान में केवल पांच द्वीपों नामतः कवारत्ती, मिनिकॉय, अमीनी, कदमत और अंद्रोथ में उपलब्ध है। कलपेनी, किल्तन, अगाती, चेतलत और बितरा द्वीप में एलपीजी गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा है।

7.158 प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं (चावल, चीनी और मिट्टी के तेल) की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है और लक्षद्वीप के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। नई चीनी नीति पीडीएस चीनी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एएवाई श्रेणियों के लिए 13.50 रुपये की दर से जारी 1 किलो/परिवार/माह के पैमाने तक सीमित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं

7.159 प्रशासन दिनांक 01.03.2019 से लक्षद्वीप के निवासियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम से 12,527 परिवारों (राशन कार्ड) के लगभग 45,000 ऐसे व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, जिनकी पारिवारिक आय 5.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है। अब, स्वास्थ्य विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (द्वीप सुरक्षा) का आयुष्मान भारत– पीएमजेएवाई के साथ विलय करने की प्रक्रिया में है।

7.160 प्रशासन पीपीपी (सार्वजनिक–निजी–भागीदारी) मॉडल के तहत प्रमुख चार द्वीपों नामतः कवारत्ती, मिनिकॉय, अंद्रोथ और अमीनी में बेसिक/कोर विशेषज्ञता सेवाओं को कार्यान्वित कर रहा है। प्रशासन ने इंदिरा गांधी अस्पताल (आईजीएच), कवारत्ती में एक कीमोथेरेपी केंद्र स्थापित किया है।

समाज कल्याण और जनजातीय मामले

7.161 संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के 2,678 लाभार्थी और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के 343 लाभार्थी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर, 2019 तक संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के पेंशन लाभार्थियों को 3,45,98,000/– रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की पेंशन के वितरण हेतु 3.86 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

7.162 प्रशासन ने 3–18 वर्ष की आयु समूह वाले दिव्यांग बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कवारत्ती, कदमत और अंद्रोथ में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डे केयर सेंटर (डीसीसी) की स्थापना की है। इसके अलावा, प्रशासन अमीनी, अगाती और मिनिकॉय द्वीपों में नए डे केयर सेंटर खोलने की योजना बना रहा है।

7.163 प्रशासन ने अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से अधिकार सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट उत्सव (विशेष कार्यक्रम) के आयोजन हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान 17.63 लाख रुपये की राशि जारी की है। इसी प्रकार, प्रशासन ने वर्ष 2019–20 के दौरान 6.50 लाख रुपये की राशि जारी की है और 21 अगस्त, 1 अक्तूबर तथा 3 दिसंबर को क्रमशः विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वृद्धावस्था दिवस और दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया।

7.164 लक्षद्वीप के हाजियों के लिए कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने हेतु प्रशासन लक्षद्वीप हज समिति को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019–20 के

दौरान हज समिति को 15 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

महिला एवं बाल विकास

7.165 सभी द्वीपों में नौ सिलाई इकाइयां काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रशासन ने 15 से 21 अक्तूबर, 2019 तक हस्तशिल्प प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसी प्रकार, प्रत्येक तीन माह में, बीस स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सितंबर 2019 के माह को राष्ट्रीय पोषण माह–2019 के रूप में मनाया गया।



ईसीसीई दिवस समारोह



पोषण किट का वितरण



ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस समारोह

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था क्षेत्र

पुलिस

7.166 लक्षद्वीप पुलिस इस संघ राज्य क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना को लागू करने के लिए नोडल विभाग है। लक्षद्वीप पुलिस ने दिनांक 01.08.2019 से सीधे कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) पर एफआईआर दर्ज

करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप रियल टाइम आधार पर पंजीकरण हो रहा है और अब कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) से तैयार रिपोर्टें (एफआईआर) अदालत में प्रस्तुत की जा रही हैं। पूर्ण कागज रहित प्रणाली के लक्ष्य की दिशा में, लक्षद्वीप पुलिस विभाग दिनांक 01.11.2019 से ई–ऑफिस मॉड्यूल भी लागू कर रहा है।

7.167 दिनांक 22–23 जनवरी, 2019 और 12–13 नवंबर, 2019 को एक संयुक्त राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास "सी विजिल –2019" सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

मानव संसाधन और आईटी क्षेत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

7.168 प्रशासन ने जैविक/बायो–डिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए स्वच्छ पर्यावरण–अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक समाधान विकसित करने के उद्देश्य से लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य घरों तथा संस्थानों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करना है ताकि एलपीजी और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके और साथ ही बायोगैस उत्पादन के बाद बायो–डिग्रेडेबल कचरे से समुदाय को जैविक उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।



फ्लैमिंग स्टोव



मिनिकाय में फिक्स्ड डोम दीनबंधु फैरो सीमेंट मॉडल बायोगैस संयंत्र (2एम^3)

(स्रोत : यूटी प्रशासन)

7.169 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत कल्पेनी द्वीप में 1एम^3 के 26 और 2एम^3 के 3 बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। लाभार्थियों को बायोगैस सौंपने का औपचारिक उद्घाटन दिनांक 22.10.2019 को हुआ था।

7.170 एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) चरण– II को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लक्षद्वीप को नोडल एजेंसी और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) के रूप में नामित किया गया है। प्रस्तावित परियोजनाओं को सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (एसआईसीओएम)/ विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अनुमान की कुल लागत में 20% वित्तीय योगदान की प्रतिबद्धता करेगी। विभाग ने प्रस्तावित परियोजनाओं को लागू करने के लिए "लक्षद्वीप

एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसायटी" (एलआईसीओएमएस) नामक एक सोसायटी का गठन और पंजीकरण किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

7.171 प्रशासन ने नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे लक्षद्वीप में स्थानीय ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के स्वामित्व और संचालन वाले कुल 18 साझा सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए हैं। आधार नामांकन, जीएसटी के तहत विक्रेताओं के पंजीकरण और अन्य विभाग विशिष्ट सेवाओं जैसी सेवाओं को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) को सौंप दिया गया है। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना को शुरू किये जाने पर, इसकी सभी सेवाओं को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) को सौंप दिया जाएगा।

पर्यटन

7.172 कदमत और मिनिकॉय द्वीप में पर्यटक कॉटेजों और वाटर विलॉज के साथ ईको–टूरिज्म रिसॉर्टों की स्थापना के लिए प्रशासन ने आरएफक्यू, (रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन) मंगाई हैं। कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीप में ईको–टूरिज्म रिसॉर्टों और वाटर विलॉज की स्थापना के लिए रैपिड एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) पूरा हो गया है। इसके अलावा, प्रशासन ने लक्षद्वीप में सी–प्लेन सेवाओं के संचालन के लिए अभिव्यक्ति की रुचि (ईओआई) आमंत्रित की है।

खेल और युवा मामले

7.173 प्रशासन ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए जून 2019 माह के दौरान लक्षद्वीप के मूल निवासियों के लिए कवारत्ती में एक फुटबॉल अकादमी (आवासीय) की स्थापना की है।

ग्रामीण विकास

7.174 प्रशासन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) नामक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

7.175 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) राज्य स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) योजना के तहत क्लस्टर के रूप विकसित किये जाने के लिए अमीनी द्वीप का चयन किया है। माननीय संसद सदस्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत विकास के लिए किल्तन गांव का चयन किया है।

चंडीगढ़

7.176 चंडीगढ़, "द सिटी ब्यूटीफुल" को देश के सबसे अधिक स्वच्छ, हरे–भरे, सुरक्षित तथा सर्वोत्तम योजनाबद्ध शहर के रूप में जाना जाता है। प्रशासन अपने निवासियों के लिए अवसंरचना और जीवन के स्तर में सुधार के लिए अथक प्रयास करता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं/सेवाओं में सुधार करने के लिए अनेक गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू की हैं :–

सूचना प्रौद्योगिकी

7.177 प्रारंभिक स्तर पर सभी छात्रों के अध्ययन के परिणामों की उपलब्धि और शिक्षकों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए दिनांक 05.10.2018 को प्रोजेक्ट **"फीनिक्स"** शुरू किया गया था। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ (एसपीआईसी) की मदद से मोबाइल एप्लिकेशन को चालू किया गया है।

7.178 नागरिकों को नागरिक हितैषी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 02.07.2019 को संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में **"ऑनलाइन आगंतुक पास प्रणाली"** शुरू की है। नागरिक अब अपने घर में बैठे–बैठे उन अधिकारियों से ऑनलाइन एप्वांइटमेंट ले सकते हैं, जिनका कार्यालय सचिवालय भवन में है। फाइलों को रियल टाइम के आधार पर ट्रैक करने के लिए संघ राज्य

क्षेत्र सचिवालय में ई–ऑफिस आधारित "फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम" भी शुरू किया गया है।

7.179 विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं तथा उन्हें लागू किया गया है। इनमें ई–कैंपस सोल्यूशन, केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली के कार्यान्वयन, आवासीय तथा वाणिज्यिक संपत्ति कर की गणना के लिए नए मॉड्यूल और गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटीज (जीआरआईआईडी), चंडीगढ़ के क्लीनिक, स्कूल और कॉलेज सेक्शन के लिए एकीकृत वेब आधारित सोल्यूशन शामिल हैं।

7.180 देश भर के सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–सेवाओं के बारे में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए ई–डिस्ट्रिक्ट की 12 सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस), जो एक ऑनलाइन तंत्र है, के साथ एकीकृत किया गया था। यह प्रणाली नागरिकों को सेवाओं का ऑनलाइन फीडबैक देने की सुविधा प्रदान करती है। इन सेवाओं में जिला कलेक्टर (डीसी) कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्र और परमिट तथा समाज कल्याण विभाग की सेवाएं शामिल हैं।

हरित पहलें: वन तथा वन्यजीव

7.181 चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने नागरिकों को एक स्वच्छ तथा हरा–भरा शहर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं :

वृक्षारोपण गतिविधियाँ

7.182 दिसम्बर, 2019 में जारी भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आईएसएफआर–2019 के अनुसार चंडीगढ़ शहर में कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% वन और ग्रीन कवर के तहत है। 'ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2019–20' के अनुसार, सभी ग्रीनिंग एजेंसियों के लिए 2,52,000 पौधों के रोपण के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए लोगों की भागीदारी हेतु चंडीगढ़ के नागरिकों, गैर–सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों आदि को निःशुल्क पौधे वितरित किए जाते हैं।



पंजाब के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक, माननीय श्री वी.पी. सिंह बदनोर दिनांक 09.07.2019 को वन महोत्सव का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

कानून और व्यवस्था

7.183 चंडीगढ़ पुलिस को 'स्मार्ट पुलिस' बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा व्यापक कदम उठाए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा संस्थानों में लड़कियों/महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम 'स्वयं' का गठन किया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं/महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। वर्ष 2019 के दौरान, कुल 212 आत्मरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 28,453 बालिकाओं/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

7.184 महिलाओं द्वारा पुलिस से मदद मांगे जाने की स्थिति में, चंडीगढ़ प्रशासन ने रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा महिला पुलिस अधिकारी के साथ चंडीगढ़ पुलिस पीसीआर/वाहन द्वारा मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2019 के दौरान, कुल 85 महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए सभी पुलिस थानों में महिला पुलिस कार्मिकों के साथ चौबीसों घंटे महिला डेस्क संचालित हैं। विपत्ति में पड़ी महिलाओं तथा बच्चों की सहायता के लिए महिला तथा बाल हेल्पलाइन सं. (1091 – टोल फ्री) चौबीसों घंटे कार्य करती है। आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने तथा लड़कियों को सहायता मुहैया कराने के लिए महिला पुलिस कार्मिकों सहित महिला पीसीआर वाहन लड़कियों के कॉलेज/स्कूलों के पास मौजूद रहते हैं। वर्ष 2019 के दौरान, निःशुल्क टोल फ्री नम्बर पर कुल 76 कॉल प्राप्त हुईं और तद्नुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न की पीड़िता को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता आदि हेतु परामर्श देने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस की महिला एवं बाल सहायता यूनिट में रेप क्राइसिस इंटरवेंशन केंद्र स्थापित किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों, कॉलोनियों और अन्य प्राइवेट/सरकारी संस्थानों में समय–समय पर लड़कियों/महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2019 के दौरान, चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कुल 91 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 12,646 बालिकाओं/ महिलाओं ने भाग लिया। इसके अलावा, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में महिला और बाल सहायता इकाई में विशेष फर्नीचर, खिलौनों, गेम्स और पोस्टरों से सजी दीवारों सहित एक चाइल्ड फ्रेंडली कमरा बनाया गया है। जब बच्चों के माता–पिता पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श करने तथा बातचीत करने में व्यस्त रहते हैं, तब बच्चों की देखभाल के लिए सिविल कपड़ों में एक महिला पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाता है।

इंजीनियरिंग

7.185 चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में कई निर्माण कार्य शुरू किए हैं:

- 48.00 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम मलोया (पॉकेट नंबर 1), मलोया (पॉकेट नंबर 2), रायपुर कलां और रायपुर कलां, चरण–III में, प्रत्येक में एक–एक की दर से, चार सरकारी हाई स्कूलों का निर्माण।
- पंजाब के माननीय राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा दिनांक 05.11.2019 को 8.00 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में एक नए खेल परिसर का उद्घाटन किया गया।
- शहरी विकास के तहत, 23.50 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर 194 किलोमीटर के नए साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा किया गया।



सेक्टर 39, चंडीगढ़ में खेल परिसर

(स्रोतः यूटी प्रशासन)

7.186 **2019–20 के दौरान शुरू की गई परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:**

- 70.00 करोड़ रुपये की लागत से प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–9–डी, चंडीगढ़ में नए सचिवालय भवन का निर्माण।
- 47.00 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड कॉम्प्लेक्स, धनास में 192 टाइप–।। मकानों का निर्माण।
- 36.00 करोड़ रुपये की लागत से चंडीगढ़ आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स, धनास में 144 टाइप–II मकानों का निर्माण।
- 36.41 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परिचालन (पायलट प्रोजेक्ट) हेतु एन.एस.जी.एम. के तहत स्मार्ट ग्रिड का कार्यान्वयन।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

7.187 कुल 85 (48 सीएसएस + 37 यूटीएस) डीबीटी योजनाएं हैं, जिनके तहत लाभार्थियों को सामान के साथ–साथ नकद धनराशि के रूप में निधियां अंतरित की जाती हैं। कुल 2.01 लाख लाभार्थियों को 100% पीएफएमएस आधार बेस्ड डीबीटी के माध्यम से 80.78 करोड़ रुपये (दिनांक 31.12.2019 तक) की राशि अंतरित की गई। 2,56,695 लाभार्थियों को सब्सिडी वितरित की गई, जो 'पहल' (एलपीजी सब्सिडी) के तहत 100% आधार सीडेड हैं।

जीईएम के माध्यम से खरीदः

7.188 सभी खरीद आदेश/सेवाएं, जो जीईएम पर उपलब्ध हैं, केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं।

भविष्य पोर्टल–पेंशन संबंधी मामलों पर ऑनलाइन कार्रवाई

7.189 भविष्य पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है और चंडीगढ़ प्रशासन ने सेवानिवृत्त हो चुके/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए उसी को अपनाने में रूचि दिखाई है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

7.190 भारत सरकार ने नीति आयोग द्वारा जारी

'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' रिपोर्ट में सभी संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान पर रखा है।

आधार नामांकन

7.191 सभी लाभ उन्मुख योजनाओं के तहत भुगतान 100% आधार बेस्ड पेंमेंट ब्रिज के माध्यम से है। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार चंडीगढ़ में आधार नामांकन 99.2% है।

वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रगति

7.192 दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2.51 लाख लाभार्थी, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 74,454 लाभार्थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,28,208 लाभार्थी और अटल पेंशन योजना के तहत 22,800 लाभार्थी हैं।

शिक्षा

7.193 चंडीगढ़ न केवल इस क्षेत्र के छात्रों के लिए अपितु पड़ोसी राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए भी शिक्षा का केंद्र बन गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के सरकारी और साथ ही साथ सरकारी सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित कॉलेजों के लिए कॉमन जॉइंट ऑनलाइन एडमिशन प्रॉस्पेक्टस और कॉमन जॉइंट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल भारत सरकार के "डिजिटल इंडिया" मिशन के अनुसरण में की गई है ताकि उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया में पारदर्शिता और साख सुनिश्चित की जा सके तथा प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अकादमिक सुधार एजेंडे को लागू किया जा सके।

7.194 **उपलब्धियां**

- नीति आयोग द्वारा दिनांक 30.09.2019 को जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक–2019 रैंकिंग में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने 82.9% के समग्र स्कोर के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

- संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 70 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 1000 में से 841 अंक हासिल किए और प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा फरवरी 2019 में घोषित) में शीर्ष स्थान हासिल किया।

- संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा संचालित 'अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए)' में भागीदारी हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चयनित एकमात्र प्रशासनिक क्षेत्र (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) है।

7.195 **समग्र शिक्षा के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रथाएँ**

- कुल 1.03 करोड़ रुपये की लागत से 36 सरकारी स्कूलों में 36 विज्ञान और ज्ञान पार्क विकसित किए गए हैं तथा ऐसे 20 और पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

- चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीआरईएसटी) के सहयोग से 81 सरकारी स्कूलों में 3005 किलोवाट की समग्र क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। ये स्कूल प्रति वर्ष 3.9 एमयू लाख यूनिट्स किलोवाट पैदा कर रहे हैं, जिससे स्कूलों के बिजली के बिल में काफी कमी आई है।

- सभी सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बालिका प्रसाधन कक्षों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसीनरेटर मशीनें लगाई गई हैं, जिससे युवावस्था तक पहुँचने पर किशोरियों के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है।

- प्रारंभिक स्तर पर सभी छात्रों के अध्ययन के परिणामों की उपलब्धि और शिक्षकों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए शुरू की गई 'फोनिक्स' परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने वर्ष 2019–20 के लिए अपने समग्र शिक्षा संबंधी परियोजना अनुमोदन बोर्ड में 1.00 करोड़ रुपये की निधियां आबंटित की हैं।

स्वास्थ्य तथा सफाई

7.196 चंडीगढ़ में स्वास्थ्य अवसंरचना तीन स्तरीय प्रणाली का पालन करती है जिसमें 16 उप केंद्रों और 39 सिविल डिस्पेंसरियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाती है, द्वितीय देखभाल एसडीएच मनीमाजरा तथा सीएच सेक्टर 22, चंडीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा तृतीयक देखभाल एक जिला अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज तथा स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

7.197 उपलब्धियां

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के तहत निजी अस्पतालों को पैनलीकृत करने के लिए ऑनलाइन हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट सिस्टम कार्यान्वित किया गया।
- चंडीगढ़ की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से ऑनलाइन सिविल जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली कार्यान्वित की गई।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के तहत ऑनलाइन लाभार्थी पहचान और ट्रांजैक्शन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन।
- दो स्वास्थ्य सुविधाओं अर्थात सीएच 45 और सीएच 22 चंडीगढ़ को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की पांच सितारा रेटिंग की श्रेणी में रखा गया है।
- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 80 बिस्तरों वाले, केंद्रीय वातानुकूलित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एमएचआई) को कार्यशील बनाया गया है।

7.198 चंडीगढ़ प्रशासन ने *'मेरा अस्पताल'* के ऑनलाइन आवेदन के लिए दो शहरी अस्पतालों (जीएमएसएच, सेक्टर 16 और सीएच सेक्टर, 45) में रोगी की संतुष्टि के लिए रोगी की प्रतिक्रिया को स्वीकार करने *हेतु मेरा अस्पताल* एप्लीकेशन को लागू किया।



(स्रोतः यूटी प्रशासन)

चंडीगढ़ को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

7.199 **पोषण पुरस्कार 2019**

- एएनएम को 50,000/– रुपये के प्रोत्साहन के साथ पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ अभिसरण के लिए पुरस्कार।
- पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ अभिसरण के लिए राज्य पुरस्कार। यह पुरस्कार दिनांक 06.09.2019 को प्रदान किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा

7.200 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, कुल 4.627 एमडब्ल्यूपी एसपीवी बिजली संयंत्रों को संस्थापित किया गया है, जिससे सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल संस्थापित क्षमता 33 एमडब्ल्यूपी हो गई है, जिसमें से चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ की सरकारी इमारतों/स्थलों पर 19 एमडब्ल्यू की समग्र क्षमता वाले रूफटॉप एसपीवी पावर प्लांट संस्थापित किये हैं और बाकी लगभग 14 एमडब्ल्यू निजी आवासीय भवनों सहित निजी क्षेत्र की इमारतों के तहत संस्थापित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं: –

- बिल्डिंग उप–कानूनों में संशोधन, जिसमें 500 वर्ग गज से ऊपर की सभी इमारतों के लिए एसपीवी पावर प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है।
- सरकारी अस्पताल, सेक्टर–16 में 20 केडब्ल्यूपी (48 किलोवाट) थर्मल प्रौद्योगिकी पावर प्लांट संस्थापित किया गया है, जो गर्म पानी प्रदान करता है और साथ ही बिजली भी पैदा करता है। यह अनूठी विशेषताओं वाला है और भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली प्रणाली है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म www.solarchandigarh.com शुरू किया गया है, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक निश्चित समय के भीतर व्यापार में आसानी होती है और पारदर्शिता आती है।
- चंडीगढ़ ने 23.4 एमयू सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक) जो 16146 मीट्रिक टन सीओ$_2$ की कमी के बराबर है।

पर्यावरण

चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गईं:

7.201 पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 27.09.2019 की अधिसूचना के माध्यम से किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, व्यापारी, फेरीवाला या रेहड़ीवाले आदि सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लेट, कप, ग्लास कटोरे इत्यादि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री, परिवहन, आपूर्ति अथवा उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। "सिंगल–यूज प्लास्टिक (एसयूपी) और थर्मोकोल आइटम" पर सचित्र गाइड बुक और पैम्फ़लेट/लीफलेट्स के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) का कम से कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पशुपालन और मत्स्य पालन

7.202 बड़े जानवरों के लिए चार पशु चिकित्सा अस्पताल हैं, जो सेक्टर–38, मनीमाजरा, हल्लोमाजरा और धनास में स्थित हैं, पालतू जानवरों के लिए एक पशु चिकित्सा अस्पताल सेक्टर–22 में और सेक्टर–38 में एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के साथ–साथ विभिन्न गांवों में नौ पशु चिकित्सा उप–केंद्र हैं, जो पशुपालन विभाग, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

7.203 ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों, जहां पशु चिकित्सा संस्थान नहीं हैं, में मोबाइल पशु एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सुखना लेक और अन्य वाटर बॉडीज में स्टॉक

करने के लिए 8 लाख फिश सीड का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल किया गया।

परिवहन

7.204 चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने बस डिपो को आधुनिकीकृत करने के लिए ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनें, नाइट्रोजन जनरेटिंग मशीन, एयर कंप्रेशर, डीजल जनरेटिंग सेट, लेथ मशीन, फ्यूल इंजेक्शन टेस्ट बेंच, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, टायर रिट्रीटिंग प्लांट का प्रापण किया है, जिन्हें संस्थापित करके चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, रास्ते में खराब हो जाने वाली बसों की मरम्मत के लिए डिपो के बेड़े में एक रिलीफ एंड रिकवरी वैन शामिल की गई है।

7.205 विश्व बैंक–जीईएफ सहायता प्राप्त ईएससीबीएस परियोजना के तहत इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) को लागू करने के लिए चुने गए चार शहरों में से एक के रूप में चंडीगढ़ को चुना गया है।

समाज कल्याण

7.206 समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति समुदाय की उन विधवा/निराश्रित महिलाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 20,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिनकी पारिवारिक आय 24,000/– रुपये प्रति वर्ष तक है। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों, जो मोटर युक्त वाहनों के मालिक हैं, को पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जा रही है तथा वे पेट्रोल/डीजल खरीदने पर 40 लीटर प्रति माह तक के वास्तविक खर्च पर 50% सब्सिडी के पात्र हैं।

7.207 सहायक उपस्करों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता से संबंधित स्कीम के तहत, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु उनकी गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए सहायक उपस्करों/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'अपनी बेटी, अपना धन' स्कीम का लक्ष्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विषम महिला–पुरुष अनुपात में सुधार करना है। इस स्कीम में उन माता–पिताओं के लिए "बाल कैरियर योजना" में बालिका संतान के नाम 5000/– रुपये की राशि का निवेश किया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 60,000/– रुपये तक है। विधवाओं/निराश्रित महिलाओं के आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत, विधवा पेंशन लाभार्थियों के 18 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों तक के लिए 1000/– रूपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है। 11,382 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार 1040.69 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन स्कीम के तहत, 7,812 लाभार्थियों को विधवा पेंशन मिल रही है तथा 689.23 लाख रुपये का व्यय हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पेंशन स्कीम के तहत, 4,015 लाभार्थी दिव्यांगता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और 527.01 लाख रुपये का व्यय हुआ है। ऐसे व्यक्ति, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये तक है, इस स्कीम के तहत लाभ हेतु पात्र हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत, 450 आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं तथा दिनांक 31.12.2019 तक 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के बीच के 47,941 बच्चों और साथ ही साथ 6,468 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पंजीकृत किया गया है। किशोर लड़कियों हेतु स्कीम (एसएजी) के तहत 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बीच की किशोर लड़कियों (स्कूल न जाने वाली) को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम

7.208 चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम का गठन वर्ष 1979 के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही गरीब अनुसूचित जातियों का आर्थिक उत्थान करना है। वर्ष के दौरान, निगम द्वारा 160 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किया गया और 155 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। वर्ष के दौरान, 2000 उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कवर किया गया है।

*****

अध्याय-8

पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केंद्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, प्रशिक्षण, संवर्ग के आबंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपी एनपीए), हैदराबाद

8.2 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्व स्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको (i) भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और (ii) पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र के तौर पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।

बेसिक कोर्स

8.3 71 (नियमित भर्ती) (2018 बैच) के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी/डॉ. मारी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद/ रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिडाडे (आरसीवीपी) नोरोनहा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल में 15 सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 17.12.2018 से 05.10.2019 तक बेसिक कोर्स में ट्रेनिंग प्राप्त की थी। सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में बेसिक ट्रेनिंग में चरण–I (42 सप्ताह), दो सप्ताह के लिए दिल्ली में अटैचमेंट [इनमें लोकतांत्रिक संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (पूर्ववर्ती बीपीएसटी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आरएंडएडब्ल्यू), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) शामिल हैं], सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अटैंचमेंट (02 सप्ताह), जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण (28 सप्ताह) और चरण–II प्रशिक्षण (13 सप्ताह)(विदेश का दौरा सहित) शामिल हैं।

8.4 72 (नियमित भर्ती) (2019 बैच) के चरण–I का बेसिक कोर्स प्रशिक्षण दिनांक 16.12.2019 से 30 सप्ताह की अवधि के लिए अकादमी में चल रहा है। इस समय अकादमी में 170 परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं (26 महिला आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा 20 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों सहित, जिनमें 05 महिला अधिकारी शामिल हैं)। विदेशी अधिकारियों का देश–वार ब्यौरा इस प्रकार है : भूटान– 06 प्रशिक्षु अधिकारी, नेपाल– 05, मालदीव– 04 और मॉरीशस– 05 ।

आंतरिक प्रशिक्षण

8.5 आंतरिक प्रशिक्षण में दंड विधि, जांच, मानवाधिकार और अपराध की जांच, लोक व्यवस्था प्रबंधन एवं विधि–विज्ञान जैसे सिमुलेशन अभ्यास शामिल थे। जेंडर, बच्चों, उपेक्षित समुदायों, समाज के कमजोर वर्गों और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) से संबंधित मामलों के बारे में प्रशिक्षुओं को जानकारी प्रदान करने के लिए माड्यूल्स संचालित किए गए। उन्हें आदर्श पुलिस स्टेशन में जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य–आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उसका मूल्यांकन भी किया गया। 71 (नियमित भर्ती) के आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए दिनांक 15.04.2019 से 08.05.2019 तक आदर्श पुलिस स्टेशन मॉड्यूल संचालित किया गया।

फील्ड प्रशिक्षण

8.6 फील्ड क्राफ्ट एवं युक्ति, विस्फोटकों एवं इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से निपटने, चट्टान पर चढ़ने (भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मसूरी के साथ अटैचमेंट के दौरान), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स (सीएसडब्ल्यूटी) और हैदराबाद में ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट (जीएच), निःशस्त्र मुठभेड़ (यूएसी), इक्विटेशन, स्कूबा डाइविंग, रीवर राफ्टिंग (भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऋषिकेश के साथ अटैचमेंट के दौरान) का आउटडोर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को दिनांक 22.07.2019 से 25.07.2019 तक आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के तरीके भी सिखाए गए।

चरण–II

8.7 11 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों (भूटान से 06 प्रशिक्षु अधिकारी और नेपाल से 05 प्रशिक्षु अधिकारी) सहित 69 और 70 (नियमित भर्ती) (2016 और 2017 बैच) के कुल 121 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने दिनांक 27.05.2019 से 24.08.2019 तक अकादमी में संचालित तेरह सप्ताह की अवधि वाले चरण–II के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था संबंधी व्यवहारों के प्रति एक्सपोजर के रूप में चरण–II के प्रशिक्षण के दौरान 1 सप्ताह की अवधि (यात्रा के समय को छोड़कर) के विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण संचालित किया गया। चरण–II के प्रशिक्षु अधिकारियों ने दिनांक 29.07.2019 से 02.08.2019 तक सिंगापुर में इस विदेशी घटक से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया। 69 और 70 (नियमित भर्ती) के आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों ने दिनांक 24.08.2019 को जनता की सेवा में पहला कदम रखा।



श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री दिनांक 24.08.2019 को 70 (नियमित भर्ती) के दीक्षांत समारोह की समीक्षा करते हुए

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

वरिष्ठ पाठ्यक्रम

8.8 829 प्रतिभागियों ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में शामिल होने वाले राज्य पुलिस सेवा (एसपीएस) के अधिकारियों के लिए 03 समावेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (06 सप्ताह) और दक्षिण सूडान पुलिस कार्मिकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सुरक्षा पर जोर देते हुए 'नवोन्मेषी नेतृत्व के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता' पर दक्षिण सूडान के पुलिस कार्मिकों (02 सप्ताह) तथा 25 श्रीलंकाई अधिकारियों के लिए 05 पाठ्यक्रमों (प्रत्येक पाठ्यक्रम में 05 अधिकारी) सहित विस्तृत श्रेणी के 24 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

8.9 हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की चुनिंदा राज्य पुलिस अकादमियों के सहयोग से सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इन अकादमियों में विभिन्न विषयों अर्थात मानवाधिकार, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, वार्ता कौशल, गुमशुदा बच्चे और बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। स्कीम के अनुसार, इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रशिक्षक तैयार करना है। अब तक, 05 राज्य पुलिस अकादमियों में प्रशिक्षण के 05 चक्र सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। कुल 684 पुलिस अधिकारियों ने उपर्युक्त विषयों पर पाठ्यक्रमों को पूरा किया है। राज्य पुलिस अकादमी में प्रत्येक चक्र पूरा होने के पश्चात, एसवीपी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा प्रत्येक राज्य के शीर्ष दस प्रदर्शनकर्ताओं को चुनकर प्रशिक्षण पद्धति एवं सुविधा कौशल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तद्नुसार, अब तक इस तरह के 05 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) सफलतापूर्वक पूरा किया गया है तथा कुल 193 पुलिस अधिकारियों को "प्रमाणित प्रशिक्षक" के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।

8.10 फील्ड के विशेषज्ञों के साथ बेहतर सेवाकालीन कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने "विजिटिंग फैकल्टी प्रोग्राम" शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ पुलिस के सेवारत अधिकारियों और पुलिस के बाहर के विशेषज्ञों की पहचान विजिटिंग फैकल्टी के रूप में की जा रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में, अकादमी ने दिनांक 23.09.2019 से 27.09.2019 तक पुलिस की ब्रांड इमेज निर्माण पाठ्यक्रम (15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया) संचालित किया है।



41वां इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स दिनांक 02.12.2019 से 10.01.2020 तक आयोजित किया गया

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

सूचना प्रौद्योगिकी

8.11 अकादमी का कम्प्यूटर अनुभाग अपनी परियोजना राष्ट्रीय डिजिटल अपराध संसाधन प्रशिक्षण केन्द्र (एनडीसीआरटीसी) के माध्यम से डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जांच, मोबाइल फॉरेंसिक तथा सोशल मीडिया के विश्लेषण में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस केंद्र के माध्यम से, लगभग 700 विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को साइबर अपराधों की जांच तथा फॉरेंसिक के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अकादमी ने विभिन्न विचार–विमर्शों/सम्मेलनों में भाग लिया है और अलग–अलग राज्यों की पुलिस यूनिटों और अकादमिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

8.12 राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 186 पुलिस अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 'विशेष युक्ति' में प्रशिक्षित किया गया है। अकादमी ने मुम्बई में विस्फोटक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) एवं पोस्ट ब्लास्ट प्रोसिजर पर 13वां पाठ्यक्रम, आतंकवाद–रोधी दस्ता (एटीएस), शहरी अभियानों के संबंध में 14वां पाठ्यक्रम और विस्फोटक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एवं पोस्ट ब्लास्ट प्रोसिजर पर 14वां पाठ्यक्रम, युक्तियों पर 58वां पाठ्यक्रम तथा शिलांग, मेघालय में शहरी अभियानों के संबंध में 15वां पाठ्यक्रम संचालित किया।

आईपीएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.13 भारतीय पुलिस (वेतन), नियम, 2007 में यह निर्धारित किया गया है कि आईपीएस अधिकारियों को चरण–।।। की समाप्ति के पश्चात कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और चरण–IV के मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) की समाप्ति के पश्चात इन अधिकारियों को द्वितीय सुपर टाइम वेतनमान (पुलिस महानिरीक्षक रैंक) में नियुक्त किया जाएगा। 28 वर्ष की सेवा और उसके पश्चात अगली वार्षिक वेतन–वृद्धि प्राप्त करने के लिए चरण–V को पूरा करना अनिवार्य है।

8.14 अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम डा. त्रिनाथ मिश्र, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम(एमसीटीपी) के विभिन्न चरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं	चरण	अवधि	प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण	सेवा के वर्ष
(1)	चरण-III	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 04 सप्ताह का प्रशिक्षण	पुलिस अधीक्षक से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक	7 से 9 वर्ष की सेवा, वर्ष 2000 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
(2)	चरण-IV	04 सप्ताह (03 सप्ताह भारत में और 01 सप्ताह विदेश में)	उप पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक तक	14 से 16 वर्ष की सेवा, वर्ष 1991 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य
(3)	चरण-V	किसी विदेश घटक के बिना भारत में 02 सप्ताह का प्रशिक्षण	28 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन-वृद्धि प्राप्त करने के लिए	24 से 26 वर्ष की सेवा, वर्ष 1981 के बैच और उसके बाद के बैच के लिए अनिवार्य

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

8.15 अप्रैल, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक अनिवार्य मध्यसेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न चरणों में, 264 सहभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

8.16 **अकादमी में महत्वपूर्ण कार्यक्रमः** अकादमी में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :–

i) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के बारे में अकादमी के कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अकादमी में दिनांक 26.07.2019 और 27.08.2019 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ii) भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई ने दिनांक 10.08.2019 को ''आधुनिक लोकतंत्र में कानून का शासन'' विषय पर 33वां सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक व्याख्यान दिया।



भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, 33वां सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

iii) अकादमी के कर्मचारियों ने दिनांक 20.08.2019 को सद्भावना दिवस के अवसर पर शपथ ली।

iv) स्वच्छता ही सेवा – 2019 अभियान दिनांक 11.09.2019 से 02.10.2019 तक आयोजित किया गया। अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए : –

क) सभी बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को एकत्र करना;

ख) जागरूकता अभियानों के माध्यम से सड़कों, नालियों और तंग गलियों की सफाई;

ग) सभी उद्यानों और लॉन की विशेष सफाई अभियान।

v) नए अधिकारी मेस का उद्घाटन।





श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 24.08.2019 को नए अधिकारी मेस का उद्घाटन

(स्रोतः एसवीपी एनपीए, हैदराबाद)

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा), शिलांग, मेघालय

8.17 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नेपा) की स्थापना डॉ. एम. एस. गोरे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण समिति की सिफारिश पर पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1978 में मेघालय के री–भोई जिले के उमसाव गांव में की गई थी। इसने शुरू में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के तहत क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के बनाए जाने के पश्चात, इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग के अंदर लाया गया। मई 1980 में संस्थान का नाम बदलकर पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी कर दिया गया और अकादमी को पेशेवर सूचनाओं की सुविधा के लिए दिनांक 01.04.2017 को गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। नीतिगत निर्णय लेने के लिए अकादमी का एक परामर्शी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष सचिव (सीमा प्रबंधन) हैं।

प्रशिक्षण

8.18 नेपा का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप पुलिस अधीक्षकों और उप–पुलिस निरीक्षकों के लिए बेसिक इंडक्शन कोर्स का संचालन करना और देश भर के कार्मिकों के लिए सेवाकालीन कोर्स तैयार एवं संचालित करना है।

बेसिक कोर्स

8.19 53 महिला अधिकारियों सहित 203 प्रशिक्षुओं के साथ बेसिक कोर्स का 46वां बैच दिनांक 07.01.2019 को शुरू हुआ। इनमें से, 196 प्रशिक्षु (14 उप–पुलिस अधीक्षक, 169 उप निरीक्षक और 13 सहायक उप निरीक्षक) अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 21 दिसंबर, 2019 को पास आउट हुए। ये प्रशिक्षु नागालैंड (उप पुलिस अधीक्षक–14, एसआई–21, एएसआई–11), मणिपुर (एसआई–20, एएसआई–2), मेघालय (एसआई–114), त्रिपुरा–(एसआई–1) और मिजोरम (एसआई–13) के हैं। प्रशिक्षु जुलाई में 7 दिवसीय (13 जुलाई से 21 जुलाई) भारत दर्शन के लिए गए। इस वर्ष अलग–अलग समूहों के प्रशिक्षु भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, बेंगलुरू, मैसूर, कोलकाता, पटना, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, आगरा, अहमदाबाद, गंगटोक, कलिंमपोंग एवं सिलीगुड़ी गए। इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण के अलावा, बेसिक कोर्स के 180 प्रशिक्षुओं ने सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर से "पुलिस प्रशासन एवं अन्वेषण" में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया।

21 दिसम्बर को, 196 प्रशिक्षुओं ने नेपा से बेसिक कोर्स उत्तीर्ण किया। मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड के. संगमा, पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि थे।

8.20 उप पुलिस अधीक्षक (पी) सिंगापुर पुलिस कंसल्टेंसी सर्विस, सिंगापुर में एक सप्ताह के विदेश अटैचमेंट (16.09.2019 से 20.09.2019 तक) पर गए थे, जबकि कैडेट एसआई और एएसआई को सीमा चौकसी और सीमा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करने के लिए असम राइफल्स एवं बीएसएफ के साथ अटैच किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुओं को मई 2019 में लोक सभा चुनावों के दौरान बन्दोबस्त ड्यूटियों के लिए मेघालय पुलिस के साथ अटैच किया गया था। उन्हें गुवाहाटी कारावास, उमरोई हवाई अड्डा, मेघालय और केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) गुवाहाटी के फील्ड विजिट पर भी भेजा गया।

सेवाकालीन कोर्स

8.21 वर्ष 2019 में म्यांमार (28) और बांग्लादेश (87) के 115 अधिकारियों सहित 1,817 प्रतिभागियों के साथ 51 सेवाकालीन कोर्स संचालित किए गए और अधिकारियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इसकी स्थापना से लेकर दिनांक 31.12.2019 तक, पूर्वोत्तर से 13,721 प्रशिक्षुओं और 262 विदेशी अधिकारियों सहित 23,789 सेवारत कार्मिकों ने नेपा में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। न्यायपालिका, अभियोजन, पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), सीमा शुल्क, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सीडैक), नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नेसकॉम), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज (यूएनएचसीआर), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (आईसीआरसी), राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), शिलांग, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल, गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएफएसयू), रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (आरएसयू), केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), विश्वविद्यालयों एवं गैर सरकारी संगठनों के अलावा राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ से संकाय सहायता के साथ पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।



46वें बेसिक कोर्स नेपा–2019 का आउटडोर प्रशिक्षण (दिनांक 7.1.2019 से 21.12.2019 तक)



46वें बेसिक कोर्स नेपा–2019 की इंडोर क्लास (दिनांक 7.1.2019 से 21.12.2019 तक)



सिमुलेशन अभ्यास 46वां बेसिक कोर्स–2019, नेपा (दिनांक 7.1.2019 से 21.12.2019 तक)



बेसिक आर्मरर कोर्स 2019, नेपा (14 जनवरी – 6 अप्रैल, 2019)

(स्रोतः नेपा)

अवसंरचना

8.22 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 9 निर्माण परियोजनाओं के लिए 86.57 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी, जिसमें से 6 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और निम्नलिखित 3 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं:–

(i) 60– बिस्तरों वाला प्रशिक्षु अधिकारी मेस– पूरा हो चुका है, हैण्डिंग/टेकिंग ओवर की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) 120–बिस्तरों वाला महिला कैडेट बैरक– निर्माण कार्य चल रहा है।

(iii) 20– बिस्तरों वाला वरिष्ठ अधिकारी मेस– पूरा हो चुका है, हैंडिंग/टेकिंग ओवर की प्रक्रिया चल रही है।

कुल 86.57 करोड़ रुपए की राशि में से, दिनांक 31.03.2018 तक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा 46.22 करोड़ रुपए और जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (डब्ल्यूएपीसीओएस) द्वारा 33.89 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2019–20 के दौरान, बजट अनुमान (बीई) में 13.50 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से सीपीडब्ल्यूडी को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए 3.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा 20 बिस्तर वाले वरिष्ठ अधिकारी मेस की ओर जाने के लिए संपर्क सड़क के निर्माण हेतु 3.33 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और मौजूदा सड़क की मरम्मत के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 3.46 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं और यह राशि सीपीडब्ल्यूडी को चरण–वार जारी की जाएगी।



60 बिस्तरों वाला ट्रेनी ऑफिसर्स मेस, नेपा



120 बिस्तरों वाला महिला कैडेट्स मेस, नेपा



20 बिस्तरों वाला सीनियर ऑफिसर्स मेस, नेपा

(स्रोतः नेपा)

विविध

8.23 (क) नेपा कार्मिकों तथा सेवाकालीन कोर्स के साथ–साथ बेसिक कोर्स के प्रशिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी के साथ नियमित आधार पर स्वच्छता अभियान और श्रमदान आयोजित किये जाते हैं। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल–कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करके गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाए गए। बच्चों तथा स्टाफ के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल–कूद कार्यक्रमों के साथ 21 जुलाई को नेपा का स्थापना दिवस मनाया गया। अकादमी में अन्य कार्यक्रमों जैसे कि सतर्कता सप्ताह, संस्मरण दिवस परेड, सद्भावना दिवस, राजभाषा पखवाड़ा, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदि का भी आयोजन किया गया। सामुदायिक सेवा गतिविधियों के भाग के रुप में, प्रशिक्षुओं ने नेपा तथा आस–पास के गावों में 05 जून को पौधारोपण किया, केन्द्रीय विद्यालय, नेपा के 11 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की वार्षिक स्कूल फीस स्पांसर की और फर्नेण्डो मूक–वधिर स्कूल के बच्चों के लिए फन एण्ड गेम दिवस का आयोजन किया।

(ख) स्वंतत्रता दिवस, 2019 के दौरान घोषित, वर्ष 2017–18 हेतु पुलिस प्रशिक्षण (इनडोर) के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का उत्कृष्टता पदक डॉ. संजीव गोगोई, सीएमओ (एनएफएसजी) को प्रदान किया गया।

(ग) स्वतंत्रता दिवस, 2019 के दौरान घोषित, वर्ष 2017–18 हेतु पुलिस प्रशिक्षण (आउटडोर) के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का उत्कृष्टता पदक नेपा के कांस्टेबल रुपदीप नाथ को प्रदान किया गया।

8.24 पुलिस पदक

दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित पदक प्रदान किये गयेः–

(क) "वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएमजी)" संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों को समुचित रूप से ध्यान में रखकर जोखिमों का आकलन करते हुए जान और संपत्ति की रक्षा करने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने

में अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस–2019 के अवसर पर, 01 सीआरपीएफ कार्मिक एवं 01 जम्मू और कश्मीर पुलिस कार्मिक (मरणोपरांत) तथा 01 सीआरपीएफ कार्मिक (सेवारत) को पीपीएमजी प्रदान किया गया।

(ख) "वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)" अदम्य वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2019 के अवसर पर कुल 177 पदक प्रदान किये गए।

(ग) "विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पीपीएम)" पुलिस सेवा में अथवा केंद्रीय पुलिस/सुरक्षा संगठनों में विशेष असाधारण रिकॉर्ड अथवा कठिन चुनौतीपूर्ण स्थिति में पुलिस सेवा या केन्द्रीय पुलिस की यूनिटों/सुरक्षा संगठन को संगठित करने अथवा संगठनों के अनुरक्षण में सफलता के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/ सीपीओ/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2019 के अवसर पर कुल 89 पदक प्रदान किये गए।

(घ) "सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएम)" लम्बी सेवा अथवा सक्षमता एवं मेरिट सहित कर्तव्य निर्वहन के लिए समर्पण भावना से प्रमाणित बहुमूल्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस–2019 के अवसर पर कुल 680 पदक प्रदान किये गए।

(ङ) "प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक" ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रदान किये जाने हेतु शुरू किया गया था, जिन्होंने मानव जीवन की रक्षा करके अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया हो।

वर्ष 2018 के लिए "प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक" 14 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है।

(च) "अन्वेषण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक" अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए राज्य/केंद्रीय आसूचना एजेंसियों के कुल 94 अधिकारियों को ''अन्वेषण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक'' प्रदान किये गये हैं।

(छ) "केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक" विशेष अभियान में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए विभिन्न राज्य पुलिस/सीएपीएफ/सीपीओ के कुल 160 अधिकारियों को दिनांक 31.10.2019 को "केन्द्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक" प्रदान किया गया।

(ज) "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" असाधारण प्रदर्शन, अदम्य और साहसिक खुफिया सेवा के लिए दिया जाता है। विभिन्न राज्य पुलिस/संगठन के कुल 180 अधिकारियों को दिनांक 23.12.2019 को वर्ष 2019 के लिए "असाधारण आसूचना कुशलता पदक" प्रदान किया गया।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

8.25 गृह मंत्रालय के अधीन पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल (सीपीएमएफ) नामतः असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से, असम राइफल्स , सीमा सुरक्षा बल, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल "सीमा चौकसी बल'' हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लोक व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सिविल प्रशासन की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अंतरिक्ष संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी

भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों सहित राष्ट्रीय/रणनीतिक महत्व वाले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण–रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित एक विशेषज्ञता प्राप्त प्रहार बल है। इसे अधिक जोखिम वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य भी सौंपा जाता है और यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुरक्षा के लिए स्काई मार्शल के रूप में भी कार्य करता है।

असम राइफल्स (एआर)

8.26 "पूर्वोत्तर के लोगों के मित्र' के रूप में सम्मानित, असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में "काचर लेवी" के रूप में किया गया था और यह देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्यालय शिलांग में है और इस बल को विद्रोह–रोधी (सीआई) भूमिका तथा 1,643 किमी. लंबी भारत–म्यांमार सीमा (आईएमबी) की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) में तैनात किया गया है। इस बल में एक महानिदेशालय, तीन महानिरीक्षक मुख्यालय, 12 सेक्टर मुख्यालय, 46 बटालियनें, एक प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशासनिक घटक शामिल हैं और इसके कार्मिकों की कुल प्राधिकृत संख्या 65,143 है।

8.27 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक पूर्वोत्तर में विद्रोह के विरुद्ध अपनी लड़ाई में, असम राइफल्स की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	कार्रवाई	संख्या/राशि
<u>विद्रोही</u>		
(क)	मारे गए	03
(ख)	गिरफ्तार किए गए	576
(ग)	आत्मसमर्पण कर दिया	04
<u>अन्य गिरफ्तारियां</u>		
(घ)	सिविलियन	280
(ङ)	शस्त्र विक्रेता एवं मादक पदार्थ विक्रेता	173
(च)	म्यांमार के नागरिक	31
<u>युद्ध जैसे भंडारों की बरामदगी</u>		
(छ)	मिश्रित हथियार	253
(ज)	मिश्रित गोलाबारूद	8928
(झ)	मिश्रित मैगजीन	122
(ञ)	हैण्ड ग्रेनेड/चीन निर्मित हैण्ड ग्रेनेड	54
(ट)	आइईडी	05
(ठ)	डेटोनेटर्स	582
<u>निषिद्ध मदों की बरामदगी</u>		
(ड)	गांजा (किग्रा.)	165.8
(ढ)	अफीम (किग्रा.)	22.67
(ण)	हेरोइन (किग्रा.)	10.093
(त)	ब्राउन शुगर (किग्रा.)	352.419

(थ)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (गोलियां)	86,66,538
(द)	प्रतिबंधित मादक पदार्थ (किग्रा.)	276.747
(ध)	अवैध शराब (बोतल)	1,70,609
(न)	जिनसेंग (किग्रा.)	859
(प)	मेरिजुआना (किग्रा.)	126.75
(फ)	पैंगोलिन शेल (किग्रा.)	99.8
(ब)	अवैध देशी शराब (लीटर)	3,536
(भ)	सोना (किग्रा.)	25.807
(म)	जाली करेंसी (रूपए)	18,12,000
(य)	म्यांमार की नकली करेंसी	75,250
(र)	नकद (₹) (भारतीय)	41,71,874

(स्रोतः असम राइफल्स)



एसएस मेजर जनरल यंगांग कोन्याक उर्फ एमओपीए सहित तीन एनएससीएन (के–वाईए) काडरों को असम राइफल्स के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया



चंदेल, मणिपुर से एक ड्रग स्मगलर को असम राइफल्स के जवानों द्वारा गिरफ्तार किया गया

(स्रोतः असम राइफल्स)

8.28 अवधि के दौरान, कर्तव्य का पालन करते हुए असम राइफल्स के दो कर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और चार घायल हुए।

वीरता और अन्य पुरस्कार

8.29 बल के सदस्यों को निम्नलिखित वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गएः–

क्र. सं.	पदक/पुरस्कार	संख्या
(क)	सेना पदक (वीरता)	05
(ख)	वीरता के लिए पुलिस पदक	01
(ग)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	01
(घ)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	26

(स्रोतः असम राइफल्स)

बाढ़ राहत अभियान

8.30 **बाढ़ राहत ड्यूटीः** नागरिक प्रशासन द्वारा की गई मांग के अनुसार, असम राइफल्स के निम्नालिखित दस्तों को बाढ़ राहत ड्यूटी के लिए तैनात किया गया :–

क्र.सं.	तिथि	राज्य	स्थान	संख्या	उद्देश्य	टिप्पणी
(क)	23-24 मई, 2019	त्रिपुरा	जिला उनाकोटि कैलाशहर और जिला उत्तरी त्रिपुरा धर्मनगर	चार अधिकारी, आठ जूनियर कमीशंड अधिकारी और 98 अन्य रैंक	चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ राहत और बचाव कार्य करना	288 आम नागरिकों को बचाया
(ख)	14 जुलाई, 2019	त्रिपुरा	जिला पश्चिम त्रिपुरा खायेरपुर जिरानिया सब डिवीजन	चार अधिकारी, आठ जूनियर कमीशंड अधिकारी और 120 अन्य रैंक	चिकित्सा सहायता प्रदान करने और नदी तटबंध की बहाली के लिए बाढ़ राहत और बचाव कार्य करना	नदी के तटबंध की मरम्मत की गई

(स्रोतः असम राइफल्स)

8.31 समाज के विभिन्न वर्गों से भिन्न विचारों का एकीकरण करके मणिपुर में शांति और समृद्धि का विश्लेषण और उस पर चर्चा करने तथा भारत की एक्ट– ईस्ट पॉलिसी की धुरी बनने के लिए मणिपुर में सुगम वातावरण का सृजन करने हेतु दिनांक 05.12.2019 को इम्फाल में 'पूर्वोत्तर में बदलते सुरक्षा प्रतिमान–निहितार्थ और अनिवार्यता' विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।



मणिपुर के माननीय राज्यपाल के साथ प्रतिष्ठित अतिथि वक्ता

(स्रोतः असम राइफल्स)

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी)

8.32 अभियानों में श्रेष्ठता साबित करने के अलावा, असम राइफल्स नागरिक कार्य संबंधी अनेक परियोजनाओं (सीएपी) के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों के लाभ के लिए सुनियोजित एवं संकेन्द्रित विषय आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करके राष्ट्र को अत्यंत उपयोगी सेवा प्रदान कर रहा है। इस सीएपी कार्यक्रम के तहत कुछ पहलों में चिसवेमा (नागालैंड) में 80 लाख लीटर जल संचयन योजना शुरू करना, तुएनसांग (नागालैंड) में गहन देखभाल इकाई की स्थापना और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में उखरूल (मणिपुर) के दूर–दराज के क्षेत्रों से 109 युवाओं (लड़कों और लड़कियों) को प्रशिक्षण और रोजगार दिलाने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।



चिसवेमा (नागालैंड) में वर्षा जल संचयन

(स्रोतः असम राइफल्स)

खेल–कूद संबंधी उपलब्धियां

8.33 असम राइफल्स की स्पोर्ट्स टीमों ने विभिन्न खेलों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जो निम्नानुसार हैः

(क) **बॉक्सिंग**

(i) रिक्रूट/जीडी, गोविंद साहनी ने मार्च, 2019 में हेलसिंकी, फिनलैंड में एलीट पुरुष बॉक्सिंग जीईई–बीईई टूर्नामेंट में रजत पदक जीता।



रिक्रूट/जीडी गोविंद साहनीः हेलसिंकी, फिनलैंड में रजत पदक

(स्रोतः असम राइफल्स)

(ii) रिक्रूट/जीडी (महिला), जमुना बोरो ने जुलाई, 2019 में इंडोनेशिया में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक और अक्तूबर, 2019 में रूस में एआईबीए विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता।

(ख) **फुटबाल**

रिक्रूट/जीडी (महिला), एस. रंजना चानू भारतीय राष्ट्रीय फुटबाल टीम की सदस्य हैं।

(ग) **वुशु**

असम राइफल्स कर्मियों समेत भारतीय दल ने काठमांडू, नेपाल में अंतरराष्ट्रीय कुंग–फू चैम्पियनशिप–2019 में पांच देशों अर्थात नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच प्रथम स्थान हासिल किया, जिसमें असम राइफल्स के खिलाड़ियों ने 09 स्वर्ण और 01 रजत पदक जीता।

(घ) **क्रॉस कंट्री**

असम राइफल्स के क्रॉस कंट्री दल ने विशाखापटनम में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस एक्वाटिक एंड क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप–2018 में 26 दलों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया।

(ङ) **वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, चेंग्डू, चीन (08–18 अगस्त, 2019)**

असम राइफल्स के चार खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड स्क्वॉड का प्रतिनिधित्व किया और तीरंदाजी में 05 स्वर्ण, 03 रजत और 01 कांस्य पदक तथा निशानेबाजी प्रतियोगिता में 1 कांस्य पदक जीता।



असम राइफल्स की स्पोर्ट्स टीम के विजेताः 7वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता

(स्रोतः असम राइफल्स)

पुरूष एवं महिला सैनिकों का संयुक्त दस्ता

8.34 गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर असम राइफल्स के प्रथम समस्त महिला दस्ते को मैदान में उतारने से, दिनांक 21.10.2019 को अखिल भारतीय पुलिस स्मारक संस्मरण समारोह में पहले पुरूष एवं महिला सिपाहियों के संयुक्त दस्ते को मैदान में उतार कर एक और उपलब्धि हासिल की गई। इन दस्तों ने न केवल महिला

सशक्तिकरण के प्रति असम राइफल्स की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया बल्कि किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव का त्याग करते हुए सैनिकों के बीच आपसी तालमेल और सौहार्द का प्रदर्शन भी किया।





गणतंत्र दिवस, 2019

असम राइफल्स का समस्त महिला दस्ता : गणतंत्र दिवस, 2019

संयुक्त पुरूष और महिला दस्ता

(स्रोतः असम राइफल्स)

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

8.35 सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय 04 एनडीआरएफ बटालियनों सहित इसकी 193 बटालियनें हैं। बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 02 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्वी कमान) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिमी कमान) तथा 01 एडीजी (कमान मुख्यालय (विशेष ऑपरेशन) रायपुर, 13 फ्रंटियर्स और 46 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग, एयर विंग एवं अन्य सहायक इकाइयां हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार बीएसएफ की कुल स्वीकृत पद संख्या 2,65,173 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.36 आतंकवाद/वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध अपनी लड़ाई में, बीएसएफ ने दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान 15 आतंकवादियों/माओवादियों को गिरफ्तार किया और 12 आतंकवादियों/माओवादियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 52 हथियारों, गोला–बारूद के 1359 राउण्ड, 59 आईईडी और 54.847 किग्रा. विस्फोटकों की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध की रोकथाम के अपने सतत प्रयासों में, बीएसएफ ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 1037.01 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियां जब्त कीं, 3343 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 23 तस्करों/ घुसपैठियों/भगोड़ों को मार गिराया। इस अवधि के दौरान, अभियानों में बी.एस.एफ. के 13 कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 154 कार्मिक घायल हुए।

8.37 वर्ष 2018–19 (दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2019 तक) के दौरान, बल के सदस्यों को निम्नलिखित शौर्य एवं अन्य पदक प्रदान किए गएः–

(क)	वीरता के लिए पुलिस पदक	05
(ख)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	05
(ग)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	46

विदेश में तैनाती

8.38 सीमा सुरक्षा बल की एक गठित पुलिस इकाई दिनांक 28.11.2005 से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमओएनयूएससीओ) में तैनात है। 07 अधिकारियों, 07 अधीनस्थ अधिकारियों एवं 126 अन्य रैंकों के कुल 140 कार्मिकों वाली 13वीं टुकड़ी कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक शांति प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां अपने समस्त कर्तव्य क्षेत्र में अनुकरणीय तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं।

8.39 खेल–कूद संबंधी उपलब्धियां

(क) अखिल भारतीय पुलिस खेल

➢ वर्ष 2019–20 के लिए अखिल भारतीय पुलिस खेल चल रहे हैं और अब तक निम्नलिखित अखिल भारतीय पुलिस खेलों का समापन हुआ है। इन खेलों के अंतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

- ❖ **वाटर स्पोर्ट्स** : कायकिंग स्पर्धाओं में प्रथम स्थान
- ❖ हॉकी– द्वितीय स्थान
- ❖ तीरंदाजी – पुरूष टीम – द्वितीय स्थान, महिला टीम– तृतीय स्थान
- ❖ गोल्फ– सकल श्रेणी– प्रथम स्थान।

(ख) अंतरराष्ट्रीय

➢ **बॉक्सिंग** : केंद्रीय बॉक्सिंग टीम की निम्नलिखित महिला/कांस्टेबलों ने दिनांक 20 से 24 मई, 2019 तक गुवाहाटी में आयोजित दूसरे ओपन भारत अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लिया और रजत पदक हासिल किए:

- ❖ महिला/ कांस्टेबल, वनलल दुआती– रजत पदक– 51 किग्रा. भार वर्ग
- ❖ महिला / कांस्टेबल, संध्यारानी देवी–रजत पदक–54 किग्रा. भार वर्ग

➢ **जूडो** : कांस्टेबल विशाल रुहिल ने दिनांक 25 से 29 सितम्बर, 2019 तक ब्रिटेन में आयोजित राष्ट्र मंडल जूडो चैम्पियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।

➢ **पैरा स्पोर्ट्स** : बीएसएफ के निम्नलिखित पैरा–साइकिलिस्टों ने उज़बेकिस्तान में दिनांक 23 से 28 अप्रैल, 2019 तक आयोजित 8वीं एशियाई पैरा रोड साइकिलिंग चैम्पिनशिप में भाग लिया और कांस्य पदक जीते :–

- ❖ कांस्टेबल गुरूलाल सिंह– 01 कांस्य पदक
- ❖ कांस्टेबल सुधाकर मराठे–01 कांस्य पदक

➢ **वाटर स्पोर्ट्स** : निम्नलिखित वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों/बीएसएफ टीम के कोच ने दिनांक 23 से 25 मार्च, 2019 तक भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), भोपाल में आयोजित ओपन अंतरराष्ट्रीय कनोय स्प्रिंट चैम्पियनशिप में भाग लिया और प्रत्येक के नाम के समक्ष उल्लिखित पदक जीते :–

- ❖ महिला/कांस्टेबल इनोचा देवी – 02 स्वर्ण
- ❖ महिला/ कांस्टेबल थाजा देवी – 01 रजत
- ❖ महिला/ कांस्टेबल अंजली देवी – 01 कांस्य
- ❖ महिला/ कांस्टेबल जीना देवी – 01 कांस्य

चेंग्डू, चीन में 08 से 18 अगस्त 2019 तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 का आयोजन किया गया और उसमें नीचे उल्लिखित विभिन्न प्रतियोगिताओं में

प्रतिभागियों को निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:–

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पदक
1.	तीरंदाजी	02- स्वर्ण
2.	एथलेटिक	05- स्वर्ण, 07-रजत और 04-कांस्य
3.	मुक्केबाजी	03- स्वर्ण, 01-रजत और 01-कांस्य
4.	जूडो	01- स्वर्ण और 01- कांस्य
5.	शूटिंग	03-स्वर्ण, 03-रजत और 02-कांस्य
6.	तैराकी	12-स्वर्ण, 06-रजत और 01-कांस्य
7.	कुश्ती	05-स्वर्ण
कुल- 31 स्वर्ण, 17-रजत और 09 कांस्य पदक		

(स्रोतः बीएसएफ)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

8.40 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) 347 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है जिनमें 61 घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 103 औद्योगिक इकाइयों को अग्नि–सुरक्षा कवर शामिल हैं। चार दशकों की अवधि में, बल की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ, सीआईएसएफ अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केंद्रित संगठन नहीं रह गया है। इसके बजाय, यह देश का एक प्रमुख बहु–कौशल सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, अन्तरिक्ष संस्थापनाओं, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाहों, भारी इंजीनियरिंग, स्टील संयंत्रों, उर्वरक इकाइयों, हवाई अड्डों, जल विद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों तथा विरासती स्मारकों (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। सीआईएसएफ का उद्देश्य देशभर में विभिन्न श्रेणियों के सुरक्षा प्राप्त अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना भी है।



जेएनपीटी, नवी मुम्बई में समुद्र के अग्र भाग में पैट्रोलिंग करती हुई सीआईएसएफ

(स्रोतः– सीआईएसएफ फोटो सेल)

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.41 सीआईएसएफ देश में सबसे बड़े अग्नि संरक्षण सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह 8023 कार्मिकों की स्वीकृत नफरी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 103 उपक्रमों को अग्नि से संरक्षण और अग्नि–सुरक्षा कवर प्रदान करता है। वर्ष 2019 में (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019) तक आग लगने से संबंधित कुल 2101 घटनाओं की कॉल (जिनमें आग की 13 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) पर कार्रवाई की गई और कुल 46.24 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया। सीआईएसएफ ने वर्ष 2019 (01.04.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान आंतरिक सुरक्षा संबंधी ड्यूटी के लिए 128 कंपनियां और चुनाव ड्यूटी के लिए 347 कंपनियां तैनात कीं।

8.42 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी–814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य वर्ष 2000 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 61 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शामिल हैं। अंतिम इंडक्शन दिनांक 17.10.2018 को कन्नूर (केरल) हवाई अड्डों का किया गया था। वर्ष 2019 (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने हवाई अड्डों पर 44.50 करोड़ रू. की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 36.22 करोड़ रू. की संपत्ति यात्रियों को सौंप दी गई, जबकि 8.28 करोड़ रू. की संपत्ति हवाई अड्डा संचालकों को सौंप दी गई। सीआईएसएफ कार्मिकों ने विभिन्न हवाई अड्डों पर हथियार और गोला–बारुद के 178 मामलों, जाली ई–टिकट पर एंट्री के 102 मामलों एवं प्रतिबंधित सामग्रियों (मादक पदार्थों) के 22 मामलों का भी पता लगाया। सीआईएसएफ कर्मचारियों ने हवाई अड्डों पर दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के बीच 84.119 किग्रा. सोना, 8.074 किग्रा. चांदी और 29.78 करोड़ रू. नकदी का भी पता लगाया और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस सूचना को संबंधित एजेंसियों को भेज दिया।



सीआईएसएफ का "बम खोजी और निपटान दस्ता" आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली में एक रोबोट की मदद से संदिग्ध बैग को सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करता हुआ

(स्रोतः– सीआईएसएफ फोटो सेल)

8.43 सीआईएसएफ का वीआईपी सुरक्षा विंग, जिसे विशेष सुरक्षा ग्रुप (एसएसजी) कहा जाता है, वीवीआईपी/वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में, देश के विभिन्न राज्यों में 70

वीवीआईपी/वीआईपी को विभिन्न श्रेणियों में एसएसजी/ सीआईएसएफ द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। सीआईएसएफ नई दिल्ली में 45 संवदेनशील और अति–संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा भी करता है। वर्ष 1999 में, सीआईएसएफ को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी, जहाँ सीआईएसएफ की तैनाती नहीं की गई थी, भुगतान के आधार पर तकनीकी और अग्निशमन परामर्शी सेवाओं का विस्तार करने के लिए अधिकृत किया गया था। सीआईएसएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 202 ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और कुल 12.87 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया है। सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम वाले औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

8.44 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को दिनांक 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की सेवा में लगाया गया था और इसके कार्मिकों की वर्तमान संख्या 12,528 है। डीएमआरसी एक उच्च संवेदनशील इकाई है और इसमें सीआईएसएफ की सबसे बड़ी इकाई शामिल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 248 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 30–35 लाख है। वर्ष 2019 (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक) के दौरान, सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो में 66.37 लाख रू. की खोया–पाया संपत्ति बरामद की, जिसमें से 57.3 लाख रु. की संपत्ति वास्तविक मालिक को सौंप दी गई, जबकि 9.07 लाख रु. की संपत्ति डीएमआरसी को सौंप दी गई। इस अवधि के दौरान गुमशुदा बच्चों के 137 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 69 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से पुनः मिलवा दिया गया और शेष मामलों को दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस (डीएमआरपी) को सौंप दिया गया। सीआईएसएफ कार्मिकों ने 15 यात्रियों को आत्महत्या करने से भी बचाया।

विदेश में तैनाती

8.45 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक टुकड़ी, जो दिनांक 17.08.2008 से हेती में युनाइटेड नेशन्स स्टेबिलाइजेशन मिशन (एमआईएन यूएसटीएएच)/यूनाइटेड नेशंस मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट (एमआईएनयूजेयूएसटीएएच) हेतु तैनात थी, दिनांक 31.12.2018 को भारत लौट आयी है। वर्तमान में, 151 सीआईएसएफ कार्मिक भारत से बाहर (नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के विभिन्न मिशनों में तैनात किए गए हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

8.46 शुरु में दिनांक 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर दिया गया था। तब से, बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसकी स्वीकृत क्षमता 239 बटालियनों की है तथा इसके पास 43 ग्रुप सेन्टर, 20 प्रशिक्षण संस्थान, 7 शस्त्र कार्यशालाएं तथा 03 केन्द्रीय शस्त्रागार, 05 सिग्नल बटालियनें, 01 पीडीजी (पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप) और 01 एसडीजी (स्पेशल ड्यूटी ग्रुप) हैं। इस बल में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित बल मुख्यालय अर्थात महानिदेशालय के अलावा, 4 जोनों (केंद्रीय, पूर्वोत्तर, दक्षिणी एवं जम्मू और कश्मीर) में 4 स्पेशल डीजी जोन, 21 आईजी (प्रशा.) सेक्टर, 02 आईजी (ऑपरेशन) सेक्टर, 39 रेंज, 17 ऑपरेशन रेंज और 100 बिस्तर वाले चार (04) कम्पोजिट अस्पताल तथा 50 बिस्तर वाले अठारह (18) कम्पोजिट अस्पताल के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संगठन भी हैं। यह बल इस समय देश भर में कानून एवं व्यवस्था, विद्रोह–रोधी, उग्रवाद–रोधी और नक्सल–रोधी अभियानों सहित विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने और नक्सलियों/उग्रवादी समूहों/विद्रोहियों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की 06 महिला बटालियनें और 15 आरएएफ बटालियनों में प्रत्येक में 106 महिलाओं वाली 01 महिला टुकड़ी भी है तथा नक्सलवाद से लड़ने के लिए गठित बस्तरिया बटालियन में विभिन्न रैंकों में 279 महिला कार्मिक भी तैनात हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार इस बल के स्वीकृत कार्मिकों की संख्या 3,24,340 है।

ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां

8.47 दिनांक 31.12.2019 तक सीआरपीएफ की ऑपरेशन संबंधी प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

1	मारे गए माओवादी/आतंकवादी	120
2	गिरफ्तार किए गए माओवादी /आतंकवादी	894
3	आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी/आतंकवादी	212
4	बरामद किए गए हथियार	342
5	बरामद किए गए गोला-बारुद	10522
6	बरामद किए गए विस्फोटक (किग्रा.)	388.95
7	बरामद किए गए ग्रेनेड (सं.)	107
8	बरामद किए गए बम	62
9	बरामद की गई आईईडी	176
10	बरामद किए गए डेटोनेटर	2253
11	बरामद की गई जिलेटिन स्टिक	2518
12	बरामद की गई नकदी (रु.)	22,85,48,450
13	बरामद किए गए स्वापक पदार्थ (किग्रा.में)	6767.768

(स्रोतः सीआरपीएफ)

8.48 रिपोर्ट की अवधि के दौरान अर्थात दिनांक 31.12.2019 तक 14 सीआरपीएफ कार्मिकों ने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।

8.49 सीआरपीएफ में एक एकीकृत अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) सॉफ्टवेयर सेलो कार्य कर रहा है और इसका प्रयोग यूनिट स्तर तक सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। यह कार्मिक सूचना प्रणाली, पे रोल, बजट और सूची (इनवेंटरी) प्रबंधन संबंधी आवश्यकताएं सरलता से पूरा करता है। इस ईआरपी (इंटरप्राइज रिसोर्स प्रोजेक्ट) के सेलो–2 में स्तरोन्नयन की प्रक्रिया चल रही है।

8.50 प्रावधान/खरीद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ एक विशिष्ट नवीन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एनएफएमएस) विकसित की गई है। सीआरपीएफ में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार इस एप्लीकेशन का आवधिक स्तरोन्नयन भी किया जा रहा है। सीआरपीएफ के सभी कार्यालयों में बजट के संवितरण और व्यय की मानीटरिंग के लिए एक विशिष्ट नवीन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एनएफएमएस) जोड़ी गई है। इस एप्लीकेशन को भारत सरकार की परियोजना लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत कर दिया गया है। कागज रहित संकल्पना को सुगम बनाने के लिए एनएफएमएस को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करते हुए डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के साथ ई–बिल की संकल्पना को शुरू करने का एक नया प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

8.51 सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों तथा पीएओ द्वारा *भविष्य* का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। *भविष्य* के उपयोग से पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान की ट्रैकिंग बहुत कारगर हो गई है। यह एक उपयोगी तंत्र है जिसमें सभी पेंशन मामलों की स्थिति की केंद्रीय तौर पर निगरानी की जा सकती है।

सीआरपीएफ में त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ)

8.52 वर्ष 1992 में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया था और इन्हें त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की 4–4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया था। आरएएफ के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों और इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवदेनशील स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को स्वतंत्र पद्धति से संगठित किया गया है और ये एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य कर रही हैं।

8.53 आरएएफ की कंपनियां विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, शांति बनाए रखने आदि के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्पावधिक आधार पर तैनात की जाती हैं। आरएएफ बटालियनों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में सीआरपीएफ की 05 और कार्यकारी बटालियनों को आरएएफ बटालियनों में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान

किया है। बल में अब 15 आरएएफ बटालियनें हैं।

8.54 सीआरपीएफ की ये आरएएफ बटालियनें निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:–

क्रम सं.	राज्य	स्थान	यूनिट
1.	राजस्थान	जयपुर	83 आरएएफ
2.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	91 आरएएफ
3.	कर्नाटक	शिमोगा	97 आरएएफ
4.	तेलंगाना	रंगारेड्डी	99 आरएएफ
5.	गुजरात	अहमदाबाद	100 आरएएफ
6.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101 आरएएफ
7.	महाराष्ट्र	मुम्बई	102 आरएएफ
8.	दिल्ली	वजीराबाद	103 आरएएफ
9.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	104 आरएएफ
10.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	105 आरएएफ
11.	झारखंड	जमशेदपुर	106 आरएएफ
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	107 आरएएफ
13.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	108 आरएएफ
14.	बिहार	हाजीपुर वैशाली	114 आरएएफ
15.	हरियाणा	नूह	194 आरएएफ

(स्रोतः सीआरपीएफ)

सीआरपीएफ में कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा)

8.55 कठोर कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा), एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है, जिसका गठन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए किया गया है। यह जंगल वैरियर्स के रूप में भी जानी जाती है। वर्ष 2008–11 के बीच 10 (दस) कोबरा बटालियनों का गठन किया गया था। आयु और अन्य शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सीआरपीएफ के कार्मिकों में से ही चयन करके इन बटालियनों का गठन किया गया है। उन्हें प्रशिक्षित, सुसज्जित और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और असम तथा मेघालय में भी तैनात किया गया है। जंगलों में रहने, लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित देश की यह एक श्रेष्ठ कमांडो यूनिट है। जंगल युद्ध कौशल एवं युक्ति में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए एक कोबरा विद्यालय भी संचालन में है और बल कार्मिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.56 दिनांक 31.12.2019 तक ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियों के लिए कोबरा बल को वीरता के लिए 20 पदक, 01 पराक्रम पदक, 01 जीवन रक्षा पदक और 492 डीजी डिस्क प्रदान किए गए हैं।

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी)

8.57 आईटीबीपी का गठन वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात 4 बटालियनों की मामूली संख्या के साथ किया गया था। इसका गठन मूलतः आपूर्ति, संचार एवं आसूचना संग्रहण के मामले में आत्मनिर्भर एक एकीकृत "गुरिल्ला–सह–आसूचना–सह–लड़ाकू बल" के रूप में किया गया था। यह बल समय के साथ परंपरागत सीमा प्रहरी बल के रूप में विकसित हो गया। आज, आईटीबीपी 3,488 किमी. लम्बी भारत–चीन सीमा की रक्षा करती है और लद्दाख में कराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेप ला तक भारत–चीन सीमा के पश्चिमी,

मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र में 9,000 फुट से लेकर 18,750 फुट की ऊंचाई वाले हिस्सों में 180 सीमा चौकियों (बीओपी) का संचालन कर रही है। आईटीबीपी की 08 बटालियनें छत्तीसगढ़ के माओवादी–प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। आईटीबीपी 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 सर्विस बटालियनों, 04 स्पेशलाइज्ड बटालियनों, 02 एनडीआरएफ बटालियनों और 14 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और इसकी कुल स्वीकृत कार्मिक संख्या 89,567 है। कैडर समीक्षा के कार्यान्वयन के पश्चात, अपर महानिदेशक (एडीजी) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व वाले पश्चिमी कमान और पूर्वी कमान नामक दो नए कमान अस्तित्व में आएंगे।

कैलाश मानसरोवर यात्रा

8.58 पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएम) की योजना दो मार्गों, अर्थात वर्ष 1981 से उत्तराखंड में लिपुलेख पास और वर्ष 2015 से सिक्किम में नाथुला के मार्ग से बनाई जा रही है। 1238 तीर्थयात्रियों (940 पुरुष और 298 महिलाएं) वाले 28 बैचों ने, लिपुलेख पास से 18 बैचों और नाथुला पास से 10 बैचों ने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। आईटीबीपी ने पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों को प्रशासनिक, चिकित्सा, संचार एवं सुरक्षा कवर प्रदान किया। 50 आईटीबीपी कार्मिक, नाथुला मार्ग के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ सहायक स्टाफ के रूप में भी उपलब्ध कराए गए थे।





कैलाश मानसरोवर यात्रा

(स्रोतः आईटीबीपी)

नक्सल–रोधी अभियान

8.59 आईटीबीपी को नक्सल–रोधी अभियानों के लिए वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ में 01 सीमांत मुख्यालय, 02 सेक्टर मुख्यालय और 08 बटालियनें अर्थात राजनंदगांव में 04 बटालियनें, कोंडागांव में 02 बटालियनें और नारायणपुर जिले में 02 बटालियनें तैनात हैं। 01 नक्सली को पकड़ा गया और 01 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.12.2019 तक 08 हथियार, 05 गोला–बारूद और 09 आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) भी बरामद किए गए।

विदेश में तैनाती

8.60 **अफगानिस्तान में तैनाती**

- आईटीबीपी काबुल स्थित भारतीय दूतावास तथा अफगानिस्तान में जलालाबाद, कंधार, हेरात और मज़ार–ए–शरीफ स्थित 04 अन्य वाणिज्य दूतावासों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।
- इस कार्य के लिए कुल 349 कार्मिकों अर्थात 07–जीओ, 07–एसओ, 335–ओआर तथा 03 ईडी (एक्सप्लोजिव डिटेक्टर) श्वानों का उपयोग किया जाता है।

बचाव एवं राहत अभियान

8.61 आईटीबीपी को हिमालयी क्षेत्र में प्रथम कार्रवाई बल के रूप में नामित किया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में 03 (कुल्लू, सराहन, रिकांगपियो), उत्तराखंड में 03 (मतली, गौचर और पिथौरागढ़) तथा सिक्किम में 01 (गंगटोक) आरआरसी समेत 07 आरआरसी (क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र) की स्थापना करने वाला पहला बल था। आईटीबीपी के सैन्य दस्तों ने अपने उत्तरदायित्व वाले क्षेत्र में घटित सभी प्रकार की आपदाओं में अनगिनत बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। आईटीबीपी ने भानु, हरियाणा में एक प्रशिक्षण केंद्र "राष्ट्रीय, खोज, बचाव एवं आपदा प्रतिवाद प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएसआरडीआर) की स्थापना भी की है, जो आईटीबीपी और अन्य सीएपीएफ/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। 02 आईटीबीपी यूनिटों को एनडीआरएफ यूनिटों में परिवर्तित किया गया है और वे ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) तथा भटिंडा (पंजाब) से कार्य संचालन कर रही हैं।

8.62 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, आईटीबीपी के सैन्य दलों ने 12 बचाव अभियान (09 उत्तराखंड, 01 चंडीगढ़, 01 सिक्किम तथा 01 जम्मू और कश्मीर) चलाए, जिनमें 434 अनमोल मानव जीवन की रक्षा की गई और 13 शव बरामद किए गए।

पदक/पुरस्कार

8.63 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, 05 आईटीबीपी कार्मिकों को दिनांक 25.10.2017 को एएनओ सभागार, जहां अभियान के दौरान 03 कट्टर नक्सलियों को मार गिराया गया था, में सफल कार्रवाई करने के लिए "वीरता के लिए पुलिस पदक (पीएमजी)" प्रदान किया गया।

8.64 08 आईटीबीपी कार्मिकों, जो विद्रोह–रोधी अभियानों (सीआई ऑपरेशन)/नक्सल–रोधी अभियानों में कार्रवाई के दौरान प्रत्यक्ष आतंकवादी/नक्सली हमले के फलस्वरूप घायल हो गए थे, को "पराक्रम पदक" प्रदान किया गया है।

8.65 उत्तराखंड में दिनांक 11.06.2019 से 07.07.2019 तक चलाए गए "डेयरडेविल" कूटनाम वाले खोजी अभियान में अपार सफलता के लिए 16 अधिकारियों और कार्मिकों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया है, जिसमें बचाव दल ने नंदादेवी अभियान दल के लापता विदेशी पवर्तारोहियों के शव बरामद किए थे।

नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम

8.66 वर्ष 2019–20 के दौरान सीमावर्ती गांवों के लोगों के दिलों और दिमाग को जीतने के लिए नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम (सीएपी) के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं:–

क) 16 चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 1757 ग्रामीण लाभान्वित हुए। 28 पशु चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए गए और 12109 पशुओं का इलाज किया गया।





नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम के तहत चिकित्सा और पशुचिकित्सा शिविर

(स्रोतः आईटीबीपी)

ख) 07 **रक्तदान शिविरों** का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीबीपी के **163** कार्मिकों ने रक्तदान किया।

ग) राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के अनुसार **पल्स पोलियो शिविरों** का आयोजन किया गया, जिसमें 3,459 बच्चों को दवा पिलाई गई।

घ) एएनओ में 04 रोगी नोडों में **टेली मेडिसिन सुविधा** सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। आर.एच, ग्रेटर नोएडा में एक नई विशेषज्ञ नोड कार्यशील हो गयी है।

ङ) सिविक एक्शन एवं भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 शैक्षिक भ्रमणों को आयोजन किया गया, जिसमें लेह (लद्दाख), उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के 90 बच्चे शामिल थे। भ्रमण के दौरान इन बच्चों ने दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, बरेली और गोवा की यात्रा की।





शैक्षिक भ्रमण

(स्रोतः आईटीबीपी)

च) लेह (लद्दाख) के सुदूर गांवों में 04 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनसे 1530 गांववासी लाभान्वित हुए।





सांस्कृतिक कार्यक्रम

(स्रोतः आईटीबीपी)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)

8.67 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1984 में किया गया था। यह हमलावर बल सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के चुनिंदा कार्मिकों का एक विशिष्ट संगठन है। दिनांक 26.11.2008 के मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात, कार्रवाई संबंधी मैट्रिक्स को कम करने और पूरे भारत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय हब (मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता) स्थापित किए गए थे। वर्ष 2016 में, गांधीनगर में पांचवां हब अस्तित्व में आया।

8.68 फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स के रूप में, एनएसजी को अपनी श्रेष्ठता की परिपाटी के साथ कई सफल आतंकवाद–रोधी अभियानों का श्रेय प्राप्त है। विगत कुछ वर्षों में, एनएसजी ने अपनी प्रशिक्षण एवं ऑपरेशनल कार्यक्षमता के उच्च मानदण्डों की वजह से 'सर्वोत्कृष्ट' होने की स्पृहणीय प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अपने समर्पण, साहस, सर्जिकल ऑपरेशन संबंधी क्षमताओं की वजह से इस विशिष्ट बल के कमांडो 'ब्लैक कैट' के रूप में जाने जाते हैं।

ऑपरेशन

(क) **तत्काल बैकअप सुरक्षा ऑपरेशन (आईबीयूएस)**– एनएसजी कार्य बलों (टीएफ) को गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भाग के रूप में आईबीयूएस ऑपरेशनों के लिए तैनात किया जाता है। वर्ष के दौरान, दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक एनएसजी द्वारा 50 आयोजनों को कवर किया गया है।

(ख) **ऑपरेशन कोमेट** – एनएसजी कमांडो को पूरे देश में संवेदनशील हवाई मार्गों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में तथा मैत्रीपूर्ण विदेशी राष्ट्रों में किसी भी प्रकार के विमान अपहरण के खतरे का मुकाबला करने के लिए स्काई मार्शल के रूप में तैनात किया जाता है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक एनएसजी द्वारा कुल 9,401 घरेलू और 2,079 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कवर किया गया है।

(ग) **असुरक्षित क्षेत्रों/संवेदनशील स्थानों/हवाई अड्डों की टोह** – एनएसजी देश भर में संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों/हवाई अड्डों की नियमित टोह लेता है। टोह लेने के दौरान, अपने अभियानों की योजना बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों/प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान 43 संवेदनशील स्थांनों/प्रतिष्ठानों की टोह ली गई।

(घ) **क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स** – क्लोज प्रोटेक्शन ड्यूटी के लिए विशिष्ट अभिविन्यास, सामरिक कौशल और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अब तक बल के 754 कर्मियों ने क्लोज प्रोटेक्शन फाउंडेशन और रिफ्रेशर कोर्स किया है। सीपीएफ ने राज्यों के क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में प्रॉक्सिमेट सुरक्षा ड्यूटी करने वाले राज्य पुलिस बलों के 180 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है। लोक सभा 2019 के आम चुनावों के दौरान, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की 1800 से अधिक राजनीतिक रैलियां एनएसजी द्वारा करवाई गईं। इन रैलियों में कोई प्री–पोजीशनिंग नहीं की गईं और न ही सुरक्षा संबंधी कोई घटना हुई।

प्रशिक्षण

8.69 **प्रशिक्षण संबंधी विदेश यात्रा**

(क) एनएसजी के सदस्य काउंटर टेररिज्म से संबंधित संयुक्त कार्य दल का अंतर्निहित भाग बन गए हैं, जो आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने, संयुक्त अभ्यास तथा क्षमता निर्माण में सहायता के लिए मित्र राष्ट्रों के साथ आयोजित किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष में, 05 अधिकारी ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ब्राजील, इटली और उजबेकिस्तान जाने वाले ऐसे प्रतिनिधिमंडलों का भाग रह चुके हैं।

(ख) 55 एनएसजी अधिकारियों एवं कार्मिकों को आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए समकालीन कौशल और कार्य पद्धति सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु विदेशी एक्सपोजर प्रदान किया गया।

8.70 **एनएसजी ब्लैक कैट माउंट एवरेस्ट अभियान**– एनएसजी ब्लैक कैट माउंट एवरेस्ट अभियान (8848 मीटर ऊंचाई) दिनांक 16.05.2019 से 22.05.2019 के बीच पूरा किया गया। इस अभियान में 02 अधिकारियों, 04 सहायक कमांडेट और 06 रेंजरों सहित 12 एनएसजी कर्मियों ने भाग लिया। अभियान के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने दिनांक 29.07.2019 को एनएसजी, मानेसर स्थित निरंजन सभागार में एनएसजी माउंट एवरेस्ट अभियान दल को हरी झंडी दिखाई।





एनएसजी ब्लैक कैट माउंट एवरेस्ट अभियान 2019

(स्रोतः एनएसजी)

8.71 **साइकिल रैली**– महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के स्मरणोत्सव पर, व्यापक स्तर पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 50 कार्मिकों वाले एक एनएसजी दस्ते ने भी भाग लिया। साइकिल रैली दिनांक 07.09.2019 को पोरबंदर, गुजरात से शुरू होकर दिनांक 02.10.2019 को राजघाट, नई दिल्ली पर समाप्त हुई।





एनएसजी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर साइकिल रैली में भाग लिया

(स्रोतः एनएसजी)

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

8.72 वर्ष 1962 में भारत–चीन संघर्ष के पश्चात विशेष सेवा ब्यूरो का गठन वर्ष 1963 के प्रारंभ में सीमा पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़–फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए मौजूदा सशस्त्र सीमा बल के पूर्ववर्ती बल के रूप में किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके कर्तव्यों के चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत–नेपाल तथा भारत–भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.73 एसएसबी की तैनाती 1,751 किमी. लंबे क्षेत्र में भारत–नेपाल सीमा पर और 699 किमी. लंबी भारत–भूटान सीमा पर की गई है। वर्तमान में, बल के पास 78,812 कार्मिकों की नफरी तैनात है। इस बल में 01 बल मुख्यालय, 06 फ्रंटियर, 18 सेक्टर, 73 बटालियनें, 04 आरटीसी (रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र), 02 केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, 01 आसूचना प्रशिक्षण स्कूल, 01 वायरलेस और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, 01 एसएसबी अकादमी, 01 सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, 01 डॉग ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 03 कम्पोजिट अस्पताल, 02 केन्द्रीय भंडार डिपो एवं कार्यशाला (सीएसडीएंडडब्ल्यू) और 01 चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र तथा 01 काउंटर इंसरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल (सीआईएंडजेडब्ल्यूएस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बल न केवल भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं की चौकसी में संलग्न है, बल्कि यह आतंरिक सुरक्षा एवं विद्रोह–रोधी अभियानों से संबंधित कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहा है। इसने अपने कार्मिकों की तैनाती जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों तथा छत्तीसगढ़, झारखण्ड और बिहार के एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित क्षेत्रों में की है।

8.74 **ऑपरेशन संबंधी उपलब्धियां (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक)**

क्र.सं.	तारीख	रैंक और नाम	टिप्पणी
01	02.06.2019	सीटी (जीडी) नीरज छेत्री, 35वीं बटालियन	दिनांक 02.06.2019 को, ग्राम कथलिया, थाना-रामेश्वर, जिला-दुमका (झारखंड)के पास स्थित वन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ राज्य पुलिस दुमका (झारखंड) के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान गोलीबारी में 35वीं बटालियन दुमका के सीटी (जीडी) नीरज छेत्री शहीद हो गए।

(स्रोतः एसएसबी)

जब्ती / गिरफ्तारी

दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के लिए जब्ती/गिरफ्तारी की रिपोर्ट						
क्र.सं.	मद	मामलों की संख्या	मात्रा किग्रा. में	मात्रा संख्या में	मूल्य रु. में	गिरफ्तारियों की संख्या
1	नार्कोटिक्स	219	4448.36	0	1,50,32,73,712	279
2	एफआईसीएन	12	0.00	0	10,58,000	19

3	भारतीय मुद्रा	142	0.00	0	3,04,06,087	219
4	अन्य मुद्राएं	75	0.00	0	1,29,74,796	119
5	निषिद्ध सामग्री/वर्जित वस्तुएं	2940	0.00	0	1,06,31,79,469	3215
6	वन उत्पाद	277	0.00	0	21,24,15,771	179
7	वन्य जीव उत्पाद	42	0.00	0	2,24,42,700	52
8	मवेशी	422	0.00	5750	7,19,28,800	356
9	सोना	8	3.53	0	37,123,941	16
10	चांदी	17	67.87	0	31,18,890	27
11	साइकोट्रोपिक सिंथेटिक ड्रग्स	11	0.00	6478	3,72,796	13
कुल		4165	4519.76	12,228	2,95,82,94,962	4494

	हथियार	मामलों की संख्या	मात्रा संख्या में	गिरफ्तारियों की संख्या
1	फैक्ट्री में निर्मित हथियार	16	40	32
2	देश में निर्मित हथियार	70	118	32
कुल		86	158	64

	गोला-बारूद विस्फोटक आदि	मामलों की संख्या	मात्रा संख्या/किग्रा. में	गिरफ्तारियों की संख्या
1	कारतूस (संख्या में)	66	1763	98
2	विस्फोटक (किलोग्राम में)	2	18.60 किग्रा.	2
3	डेटोनेटर (संख्या में)	10	544	6
4	बम (संख्या में)	1	2	7
5	गन पाउडर (किलोग्राम में)	4	20.355 किग्रा.	7
6	आइईडी	9	10/80 किग्रा.	4
7	ग्रेनेड	4	4	3
8	स्टिक्स इंडियन पॉवर जेल	1	41	0
9	निओजेल/जिलेटिन स्टिक्स	5	324 किग्रा. और 12.5 किग्रा.	9

10	प्रेशर कुकर बम	2	1 और 50 किग्रा.	0
	गिरफ्तारियां			
1	माओवादी/माओवादी लिंकमैन	117		
2	उग्रवादी/आतंकवादी	2		
3	एनडीएफबी कैडर/लिंकमैन	3		
4	अवैध घुसपैठिए (विदेशी)	39		
5	कार्बी पीपल लिबरेशन टाइगर (केपीएलटी)	1		
6	पीएलएफआई	4		
7	अन्य अपराधी/असामाजिक तत्व	4594		
कुल		4760		

(स्रोतः एसएसबी)

8.75 **खेल–कूद संबंधी उपलब्धियां**

(क) दिनांक 10.06.2019 से 14.06.2019 तक कन्मिंग, चीन में आयोजित एशियाई सेपक टकरॉ चैम्पियनशिप में 06 सेपक टकरॉ खिलाड़ियों ने भाग लिया और 01 स्वर्ण पदक (डबल मेन इवेंट) एवं 01 कांस्य पदक (रेगू वुमन इवेंट) जीता।

(ख) केन्द्रीय एसएसबी ताइक्वाण्डो टीम ने दिनांक 11.06.2019 से 16.06.2019 तक हैदराबाद में आयोजित दूसरी भारतीय ओपन अंतर्राष्ट्रीय विश्व रैंकिंग ताइक्वाण्डो चैम्पियनशिप 2019 में भाग लिया और 01 स्वर्ण पदक जीता।

(ग) एसएसबी के 06 सेपक टकरॉ खिलाड़ियों ने दिनांक 08.07.2019 से 12.07.2019 तक क्विंगदाउ, चीन में आयोजित एशियाई बीच सेपक टकरॉ चैम्पियनशिप में भाग लिया और टीम इवेंट में 03 कांस्य पदक जीते।

(घ) 20 खिलाड़ियों (12 महिला एवं 08 पुरूष) ने दिनांक 08.08.2019 से 18.08.2019 तक चेंग्डू, चीन में आयोजित 18वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 में भारतीय पुलिस दस्ते का प्रतिनिधित्व किया और इस आयोजन में निम्नलिखित पदक जीतेः

क्र.सं.	आयोजन	स्वर्ण	रजत	कांस्य	**कुल**
1	एथलेटिक्स	07	03	01	11
2	मुक्केबाज़ी	02	02	-	04
3	जूडो	01	-	01	02
4	कुश्ती	02	01	-	03
5	तीरंदाजी	01	01	02	04
6	तायक्वांडो	02	03	01	06
	कुल	15	10	05	30

(स्रोतः एसएसबी)

(ङ) एसएसबी की 01 महिला सीटी/जीडी ने निम्नलिखित श्रेणियों में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 03 रिकार्ड तोड़ेः–

i. 100 मीटर – 11.8 सेकण्ड

ii. 200 मीटर – 24.5 सेकण्ड

iii. 4X100 मीटर रिले दौड़ – 49.21 सेकण्ड

(च) एसएसबी के 11 सेपक टकरॉ खिलाड़ियों (पुरूष– 06 एवं महिला– 05) ने दिनांक 24.08.2019 से 01.09.2019 तक बैंकाक (थाईलैण्ड) में आयोजित 34वें किंग्स वर्ल्ड कप 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और रेगू इवेंट पुरूष वर्ग में 01 स्वर्ण पदक जीता।

(छ) एसएसबी, वुशु खिलाड़ी ने दिनांक 03.09.2019 से 09.09.2019 तक लांगझोंग सिचुअई, चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन अंतर्राष्ट्रीय वुशु सांडा चैम्पियनशिप में भाग लिया और रजत पदक जीता।

(ज) एसएसबी योग खिलाड़ी ने दिनांक 05.09.2019 से 08.09.2019 तक योसू, दक्षिण कोरिया में आयोजित 9वीं एशियाई योग खेल चैम्पियनशिप में भाग लिया और रजत पदक जीता।

(झ) 02 साइकिलिस्टों ने दिनांक 09.09.2019 से 11.09.2019 तक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित 6ठीं एशियाई साइकिलिंग ट्रैक चैम्पियनशिप 2019 में भाग लिया और 01 रजत तथा 01 कांस्य पदक जीते।

(ञ) एचसी (जीडी) (एफ) पूनम को दिनांक 17.10.2019 से 24.10.2019 तक शंघाई, चीन में आयोजित 15वीं विश्व वुशु चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए खेल मंत्री, श्री किरेन रिजिजू द्वारा 14.00 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(ट) एसएसबी के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी ने दिनांक 31.10.2019 से 04.11.2019 तक निंग्बू (चीन) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कनोइंग फेडरेशन (आईसीएफ) ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप–2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 01 कांस्य पदक जीता।

(ठ) एसएसबी के केंद्रीय खेल दल के 07 खिलाड़ियों (फुटबॉल–01, हैंडबॉल–01, वुशु–04, साइकिलिंग–01) ने दिनांक 01.12.2019 से 10.12.2019 तक पोखरा, काठमांठू (नेपाल) में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेल वुशु चैम्पियनशिप–2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 06 स्वर्ण पदक (फुटबॉल–01 स्वर्ण, हैंडबॉल–01 स्वर्ण, वुशु–04 स्वर्ण) जीते।

सीएपीएफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.76 वर्ष 2011–12 से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबलों की भर्ती योजना को संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार हैः–

क. सभी सीएपीएफ और असम राइफल्स के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। उम्मीदवारों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख. एमएचए और एसएससी के बीच हस्ताक्षरित कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2018 के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, देश भर के सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदनों को मंगाने तथा परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छांटे गए अभ्यर्थियों के संबंध में नोडल बल द्वारा पीएसटी/पीईटी आयोजित किया जाता है और पीएसटी/पीईटी में सफल हुए अभ्यर्थियों के संबंध में परिणाम घोषित होने के पश्चात,

अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए बुलाया जाता है। तद्नुसार, देश के सभी भागों विशेषकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर राज्यों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं ताकि उन्हें परीक्षा के मानदंडों की जानकारी प्राप्त हो सके।

ग. पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा) अब केवल अर्हक प्रकृति की है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

घ. भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सभी भर्तियों के लिए एसओपी जारी की गई हैं।

8.77 सीमावर्ती और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:–

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा चौकसी बलों (नामतः असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है, जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) सीमा चौकसी बलों (बीजीएफ) में 20% रिक्तियां, समय–समय पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

घ) सीमा चौकसी बलों से भिन्न बलों में, 40% रिक्तियां समय–समय पर यथा अधिसूचित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

ङ) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी काफी अधिक संख्या में पद खाली रह जाते हैं, वहां गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार उस विशिष्ट राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रदेश (प्रदेशों) में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियां चलाने का निदेश देता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विमान सहायता

8.78 गृह मंत्रालय के संरक्षण में बीएसएफ का एयरविंग, हताहतों को निकालने के लिए सीएपीएफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च, स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल–रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों के लिए पर्याप्त विमान सहायता का प्रावधान प्रदान करने, कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने–ले–जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सीएपीएफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए दिनांक 01.05.1969 को अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग हैं। इस समय, इसके बेड़े में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्ज़ीक्यूटिव जेट, 02 एवीआरओ एचएस– 748, 06 एमआई–17 1वी, 08 एमआई–17 वी5, 06 एएलएच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

सीएपीएफ का आधुनिकीकरण

8.79 सीएपीएफ को अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार हथियार, उपकरण, वर्दियां, वाहन और अन्य स्टोर्स की खरीद के लिए सामान्य प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। सीएपीएफ ने वर्ष 2018–19 के दौरान सामान्य प्रावधान बजट शीर्ष के अंतर्गत 3070.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वर्ष 2019–20 में सीएपीएफ को निम्नलिखित वितरण के अनुसार सामान्य प्रावधान बजट शीर्षों के अंतर्गत 3315.37 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं :–

(करोड़ रुपये में)

सीएपीएफ का नाम	बजट अनुमान 2019-2020
एआर	393.90
बीएसएफ	759.34
सीआईएसएफ	170.22
सीआरपीएफ	1201.60
आईटीबीपी	394.11
एनएसजी	158.83
एसएसबी	237.37
कुल	**3315.37**

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

8.80 सीएपीएफ के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

क) सुरक्षात्मक उपकरण समाधान

ख) सर्विलांस सॉल्यूशंस

ग) नाइट फाइटिंग डॉमिनेंस

घ) बेहतर फायर पावर

ङ) गैर–घातक दंगा नियंत्रण उपकरण

च) फूलप्रूफ संचार

छ) रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायता : विविध उपकरण

8.81 सीएपीएफ की ऑपरेशनल क्षमता में वृद्धि करने के लिए, सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त वर्ष 2018–20 की अवधि के लिए कुल 1053 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आधुनिकीकरण योजना–III भी कार्यान्वित की जा रही है। पहले, वर्ष 2002–12 के दौरान कुल 4185 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले 3499.09 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012–18 के दौरान कुल 11009.19 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले 726.60 करोड़ रुपए के व्यय के साथ आधुनिकीकरण योजना–II का कार्यान्वयन किया गया था।

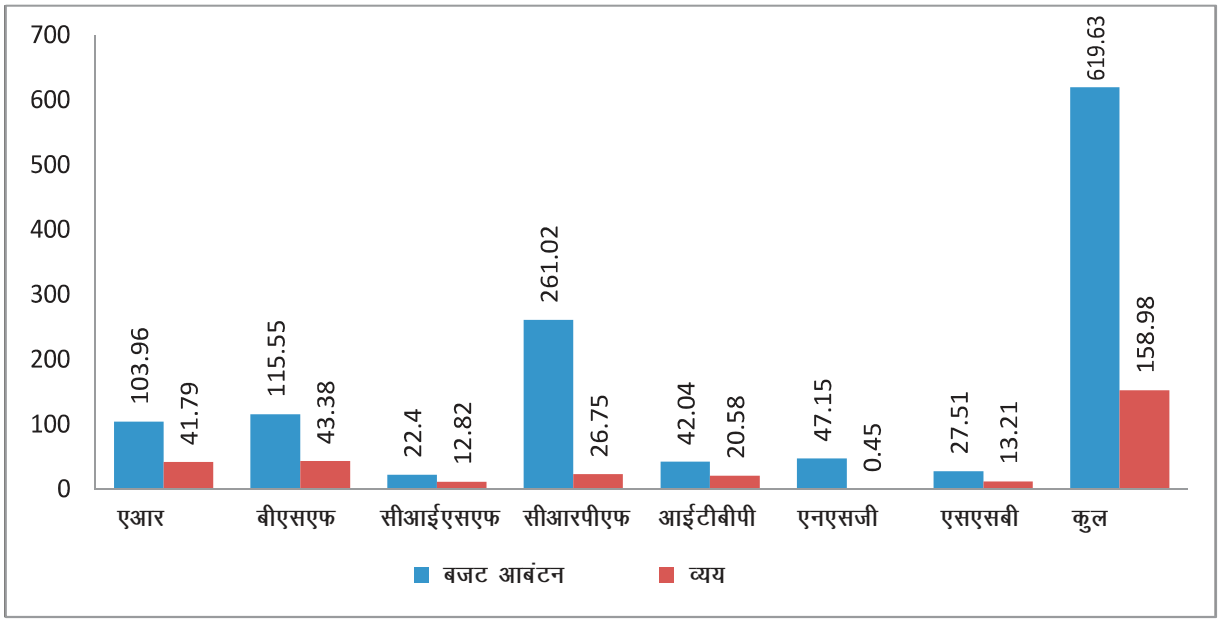
8.82 आधुनिकीकरण योजना–III के तहत सीएपीएफ–वार स्वीकृत परिव्यय, आबंटित निधि और उनके उपयोग की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रु. में)

क्र सं.	सीएपीएफ का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपए में)	कुल आबंटन (2018-19 और 2019-20) (बजट अनुमान)	दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय
1	एआर	140.78	103.96	41.79
2	बीएसएफ	282.47	115.55	43.38
3	सीआईएसएफ	104.35	22.40	12.82
4	सीआरपीएफ	302.23	261.02	26.75
5	आईटीबीपी	102.02	42.04	20.58
6	एनएसजी	49.22	47.15	0.45
7	एसएसबी	71.93	27.51	13.21
	कुल	**1053.00**	**619.63**	**158.98**

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

(करोड़ रुपये में)



8.83 इस योजना के अंतर्गत सीएपीएफ द्वारा खरीदे गए प्रमुख हथियार और उपकरण एसॉल्ट राइफलें, अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर, हैंड हेल्ड सैटेलाइट फोन, बीपी मोर्चा, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, मानव रहित एरियल वाहन, कम्पोजिट इनडोर शूटिंग रेंज, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, पैसिव नाइट विजन मोनोकुलर आदि हैं।

सीएपीएफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.84 आतंरिक सुरक्षा को कायम रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा निष्पादित की जा रही अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्च जोखिम वाली भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट प्रावधानों में उसी के अनुरूप वृद्धि की जा रही है जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए पिछले 10 वित्तीय वर्षों के वास्तविक व्यय के आंकड़ों से देखा जा सकता है:

वर्ष 2010-11 से 2019-20 (दिनांक 31.12.2019 तक) की अवधि के दौरान सीएपीएफ पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	एआर	बीएसएफ	सीआईएसएफ	सीआरपीएफ	आईटीबीपी	एनएसजी	एसएसबी	कुल
2010-11	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-12	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-13	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-14	3651.21	10904.74	4401.49	11903.70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-15	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42288.04
2015-16	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86

2016-17	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-18	5318.39	16968.28	7889.67	19517.83	5663.50	1131.68	5275.17	61764.52
2018-19	5899.67	19469.77	9220.91	23126.24	1190.72	1115.72	6050.39	7143.42
2019-20*	4455.30	16539.52	8402.53	20551.67	5210.90	820.45	5179.98	60980.35

*व्यय दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

अवसंरचना का विकास

8.85 वर्ष 2019–20 (दिनांक 30.12.2019 तक) के दौरान, सीएपीएफ हेतु अवसंरचना के निर्माण के लिए 2394.27 करोड़ रु. और भूमि के अधिग्रहण के लिए 634.27 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं।

8.86 भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य तथा नक्सल–रोधी अभियानों हेतु वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में तैनात किए गए सीएपीएफ कार्मिकों के लिए मौजूदा आरएचए को हाल ही में बढ़ा दिया है। भत्तों में वृद्धि तैनाती के क्षेत्रों के आधार पर अधिकारियों के लिए 2987/– रुपये प्रति माह से लेकर 11,987/– रुपये तथा अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए 2231/– रुपये प्रति माह से लेकर 9831/– रुपये प्रति माह तक अलग–अलग है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी)

8.87 सीएपीएफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 17.05.2007 को एक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूएआरबी) स्थापित किया गया था। डब्ल्यूएआरबी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि/सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में, सीएपीएफ कार्मिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण देश में 06 केन्द्रीय कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), 30 राज्य कल्याण अधिकारी (एसडब्ल्यूओ) और 155 जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) कार्यरत हैं।

8.88 सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी), रक्षा मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे की तर्ज पर केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर एक तीन स्तरीय सीएपीएफ और असम राइफल्स कल्याण संगठन तथा कल्याण समिति की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

8.89 सीएपीएफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी–कभी, किसी आतंकवाद–रोधी/नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग–भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं।

इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सीएपीएफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं अपनी अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई हैं। इन सबके अलावा, दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी (एनओके) को एकमुश्त अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए 48.08 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस)

8.90 गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सीएपीएफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय

पुलिस बल कैंटीन प्रणाली (सीपीएफसीएस) शुरू की गई थी। आज की तारीख तक, 119 मास्टर कैंटीनें और 1836 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीएफसीएस को जीएसटी से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है।

8.91 सीपीएफसी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रूझान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसका टर्नओवर, वर्ष 2017–18 में 1530.31 करोड़ रुपए की तुलना में 1845.26 करोड़ रु. था।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

8.92 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन ड्यूटी के दौरान अपने परिवार से दूर रहते हैं और वे अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते। उनके बच्चे माता–पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (सीएपीएफ और एआर) कार्मिकों के आश्रित बच्चों एवं विधवाओं को उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री मेरिट छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से लड़कों के लिए छात्रवृत्ति की 2000/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 2500/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की 2250/– रुपये प्रतिमाह की मौजूदा दर को बढ़ाकर 3000/– रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह योजना आतंकी/नक्सली हमले में शहीद होने वाले विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई है।

सीएपीएफ कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

8.93 सीएपीएफ के कार्मिक अपनी ड्यूटी कठिन परिस्थितियों के अधीन असुविधाजनक वातावरण में निष्पादित करते हैं और उन्हें सीमाओं पर ऊँचाई वाले स्थानों पर अथवा नक्सलियों एवं आतंकवादियों के विरूद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सीएपीएफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त–दुरुस्त रहना होता है। सीएपीएफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने हेतु, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, सीएपीएफ ने अपने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं:–

क) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यूनिटों में उसके एकीकृत हिस्से के रूप में इन्डोर सुविधाओं के साथ एक यूनिट अस्पताल उपलब्ध है। प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ हैं और वह अपेक्षित उपकरणों से लैस है।

ख) सम्पूर्ण देश में पचास बिस्तर वाले 33 कम्पोजिट अस्पतालों, सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों और ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) में 200 बिस्तर वाले एक रेफरल अस्पताल की स्थापना करके सीएपीएफ के लिए चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया गया है।

ग) इन कम्पोजिट अस्पतालों और रेफरल अस्पताल के माध्यम से, कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

घ) किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सभी सीएपीएफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सीएपीएफ के कम्पोज़िट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

ङ) सरकार ने मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में 500 बिस्तर वाले सामान्य अस्पताल, एक 300 बिस्तर वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और एक पैरामेडिक्स स्कूल सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) की स्थापना की भी स्वीकृति प्रदान की है।

च) दिनांक 01.03.2019 तथा 18.06.2019 को सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी की बटालियनों के 10 और 20 बिस्तर वाले अस्पतालों के स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी/मानकीकरण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रुप में जम्मू और कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और

एसएसबी की बटालियनों में चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिक स्टॉफ के 1719 पदों के सृजन तथा विभिन्न पैरामेडिक स्टॉफ के 600 पदों को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की थी। इन 10 और 20 बिस्तरों वाले अस्पतालों के कार्यनिष्पादन और विशेषकर महत्वपूर्ण एवं जरूरी मामलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर इसके प्रभाव के आधार पर प्रायोगिक परियोजना को प्राप्त अनुभव के आधार पर और आगे कार्यान्वित करने पर विचार किया जाएगा।

सीएपीएफ और असम राइफल्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

8.94 महिला सशक्तिकरण समिति (2010–11) ने अपनी छठीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) और नौवीं रिपोर्ट में 'अर्ध सैनिक बलों में महिलाएं' विषय पर सिफारिशें दी हैं। समिति की उपर्युक्त रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों एवं टिप्पणियों की जांच की गई है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

8.95 महिला पुलिस अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, सिलेबस का पुनर्विन्यास करने, अधिकाधिक महिलाओं को अभियान संबंधी ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

क. सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित की हैं। इन समितियों की अध्यक्ष पर्याप्त रूप से वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित रूप से गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध न होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठनों से अध्यक्ष की तैनाती कराने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ख. सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच–पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। उन्हें यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की जांच में शामिल किया जाता है। अर्ध सैनिक बलों में अन्य अनुशासनिक मामलों के साथ–साथ, यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनिक मामलों की मानीटरिंग, आवधिक विवरणियों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी से उनका निपटान किया जा सके।

ग. महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने एवं सरकारी सेवाओं में इसके प्रभाव के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं और इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेशकों का एक प्रशिक्षित पूल तैयार करने के उद्देश्य से, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी संचालित किया जाता है।

घ. सभी बलों द्वारा अपने स्थायी स्थानों/परिसरों में आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में, जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं, महिला कर्मचारियों के उपयोग के लिए छोटे तंबू के भीतर कमोड लगाकर उन्हें शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। चूंकि वाहनों में परिवर्तन करना संबंधित महानिदेशकों की वित्तीय शक्तियों के भीतर शामिल है, इसलिए जरूरत के आधार पर पर्याप्त संख्या में वाहनों में तदनुसार बदलाव किया जा सकता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही और पिकेट की ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से महिला कार्मिकों की जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल शौचालयों का भी प्रावधान किया जा सके।

ङ. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आवश्यकता के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए 'क्रेच' और 'डे केयर सेंटर्स' की सुविधा प्रदान की गई है और क्रेच से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को नियमित आधार पर पृथक बजटीय आवंटन का प्रावधान किया गया है।

च. कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के मामले में महिला पुलिस की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए और बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाने के लिए भी, सरकार ने सीआरपीएफ में वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 2 पुरुष बटालियनों की बजाय 2 महिला बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

छ. दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की वर्तमान संख्या निम्नानुसार है:–

बल	कुल संख्या	महिलाओं की संख्या
सीआरपीएफ	324340	8209
बीएसएफ	265173	5215
सीआईएसएफ	162541	8629
आईटीबीपी	89567	2067
एसएसबी	97244	2056
एआर	65143	900
कुल	**10,04,008**	**27,076**

(स्रोतः पुलिस–II प्रभाग)

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.96 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात किया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा की स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों और उप–चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन में भी सहायता प्रदान की है।

8.97 वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों (अर्थात कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय और तेलंगाना) में उप–चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इकट्ठा कर तैनात किया गया था। भारी संख्या में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस/इंडिया रिजर्व बटालियन/ बार्डर विंग होम गार्ड को आम चुनाव–2019 और महाराष्ट्र, हरियाणा एवं झारखंड में विधान सभा चुनाव–2019 के लिए भी इकट्ठा करके तैनात किया गया था।

8.98 वर्ष 2019–20 के दौरान (दिनांक 31.12.2019 तक), सीएपीएफ ने आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में पूर्वोत्तर के राज्यों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को सहायता देना भी जारी रखा। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ सीआई ग्रिड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी अतिरिक्त सीएपीएफ उपलब्ध कराए गए।

8.99 अनेक राज्यों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, मणिपुर, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए भी सीएपीएफ/त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) को तैनात किया गया।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.100 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सीएपीएफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें (आईआर बटालियनें) गठित किए जाने की एक योजना शुरू की गई थी।

8.101 अब तक, 191 आईआर बटालियनों की मंजूरी दी जा चुकी है और राज्यों द्वारा 144 बटालियनों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2016 से 2018 के बीच हाल में मंजूर की गई 40 आईआर बटालियनों का गठन किया जा रहा है। 08 स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) को दिनांक 27.08.2018 के गृह मंत्रालय के पत्र द्वारा आई आर बटालियन में परिवर्तित किया गया है।

8.102 आईआर बटालियनों के लिए वर्तमान निधिकरण की पद्धति निम्नानुसार है:–

i) एक आईआर बटालियन के गठन की मानक लागत 34.92 करोड़ रु. है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को इसके 75% राशि (26.19 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्यों द्वारा अपने हिस्से के रूप में शेष 25% राशि का वहन स्वयं किया जाएगा।

ii) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार वास्तविक व्यय के आधार पर 25.00 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आईआर बटालियनों की अवसंरचना लागत के 50% हिस्से की प्रतिपूर्ति करेगी। बटालियनों के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जानी है।

iii) इस प्रकार, एक आईआर बटालियन के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 51.19 करोड़ रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।

8.103 बजट अनुमान 2019–20 में, आईआर बटालियनों के गठन की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत 80.00 करोड़ रू. और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत 5.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को अनुदान सहायता के तहत 80.00 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है/उपयोग किया गया है। ऋण एवं अग्रिम के तहत राज्यों को 0.81 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है/उपयोग किया गया है।

8.104 सरकार द्वारा वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग के घटक के साथ विशेषज्ञता प्राप्त इंडिया रिजर्व बटालियन (एसआईआरबी) की एक योजना इस लक्ष्य के साथ अनुमोदित की गई थी कि ये एसआईआरबी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में ग्रामीण सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे छोटे विकास कार्यों को निष्पादित करेंगी।

8.105 वर्तमान में 03 एसआईआरबी मौजूद हैं (छत्तीसगढ़– 02 और मध्य प्रदेश– 01), जिन्हें राज्यों द्वारा इंजीनियरिंग घटक के साथ गठित किया गया है।

8.106 बजट अनुमान 2019–20 में, एसआईआरबी के गठन की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान–सहायता के अंतर्गत 15.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य को 15.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है।

8.107 सरकार ने दिनांक 01.11.2019 के आदेश के माध्यम से आरएएफ लोक व्यवस्था अकादमी (आरएपीओ), मेरठ (201 पद) और आईईडी प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), पुणे (42 पद) की स्थापना के लिए सीआरपीएफ में 243 पदों के सृजन तथा मैचिंग सेविंग के रूप में 15 आरएएफ बटालियनों से कांस्टेबल (जीडी) के 296 पदों को समाप्त करने का अनुमोदन प्रदान किया है।

*****

अध्याय-9 अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1 देश में पुलिस की जरूरतों और समस्याओं का पता लगाने के लिए दिनांक 28.08.1970 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की स्थापना की गई थी। इसे पुलिस के लिए अनुसंधान और विकासात्मक नीतियां एवं अभ्यास शुरू करके उत्कृष्टता और सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा देने, सुधारात्मक प्रशासन, संवर्धित कार्य निष्पादन हेतु प्रौद्योगिकी की पहचान करने, प्रशिक्षण के माध्यम से कारागार और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने, पुलिस व्यवस्था एवं कारागार में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करने तथा राज्यों, केंद्रीय पुलिस और कारागार संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने का शासनादेश प्राप्त है।

ड्यूटियों का चार्टर

9.2 विभिन्न प्रकार के अपराध और पुलिस को प्रभावित करने वाली सामान्य प्रकृति की समस्याओं का अध्ययनः

- विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति और कारण।
- अपराध रोकथाम के उपाय, उनकी प्रभावकारिता और विभिन्न प्रकार के अपराधों के साथ संबंध।
- वैज्ञानिक सहायता से जांच–पड़ताल की पद्धतियों में सुधार, उसकी उपयोगिता और परिणाम।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय।
- व्यावसायिक हित वाले क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना।
- अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन आयोजित करना और साथ ही अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा समन्वय करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से पुलिस सुधार लागू करने के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों और मानकों की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना तथा उनका प्रसार करना।
- पुलिस और कारागार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण और अध्ययन करना तथा सामान्य प्रशासन की समस्याएं।
- पुलिस और सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में सूचना एकत्र करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उसका प्रसार करना।
- अखिल भारतीय कारागार ड्यूटी शिखर सम्मेलन और कारागार प्रमुखों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना।
- क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थानों (आरआईसीए) और सुधारात्मक प्रशासन के अन्य शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययनों का समन्वय करना।

9.3 ब्यूरो के नियंत्रण में विभिन्न विषयों पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए छह इकाइयां हैं। विविध विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, ये संस्थान निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त हैं:

क	केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (सीएपीटी)	राज्य सरकार के सीधी भर्ती अधिकारियों के लिए कारागार प्रशासन, यातायात प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तथा अभियोजन में बेसिक प्रशिक्षण
ख	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	संगठित अपराध
ग	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद	पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर अपराध केंद्र
घ	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध पर ध्यान देने के साथ सामुदायिक पुलिस व्यवस्था
ङ	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद	आतंकवाद-रोधी, विद्रोह-रोधी और संबद्ध मामलों का उत्कृष्टता केंद्र
च	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	अपराध जांच में प्रशिक्षण

9.4 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत प्रशासनिक प्रभाग; विशेष पुलिस प्रभाग; अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग; प्रशिक्षण प्रभाग; आधुनिकीकरण प्रभाग और राष्ट्रीय पुलिस मिशन नामक 6 प्रभाग निहित हैं।

अनुसंधान अध्ययन

9.5 कानून सुधार, पुलिस संसाधन प्रबंधन, पुलिस कार्यप्रणाली, यातायात, पुलिस – पब्लिक संबंध, सुधारात्मक प्रशासन, आपराधिक न्याय प्रणाली आदि क्षेत्रों में अब तक 285 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं। 21 अनुसंधान परियोजनाएं और फेलोशिप चल रही हैं। इनकी रिपोर्ट और सिफारिशें स्टेकहोल्डरों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु सम्प्रेषित की गई हैं।

9.6 **सम्मेलन/सेमिनार/व्याख्यान/कार्यशालाएं**

(क) "21वीं सदी में भारतीय पुलिस – राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक नीति" विषय पर दिनांक 15.11.2019 को द आनंदस्वरूप गुप्ता मेमोरियल लेक्चर – 2019 आयोजित किया गया।

(ख) अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने दिनांक 26–27 फरवरी, 2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार प्रमुखों का द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(ग) अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने दिनांक 12–13 सितम्बर, 2019 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में "जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरवाद, कैदियों और जेल कर्मचारियों की संवेदनशीलता और उनकी सुरक्षा" के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।



श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय गृह राज्य मंत्री दिनांक 12.09.2019 को बीपीआरएंडडी मुख्यालय, महिपालपुर, नई दिल्ली में "जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरवाद, कैदियों और जेल कर्मचारियों की संवेदनशीलता और उनकी सुरक्षा" के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

(घ) दिनांक 04.09.2019 से 06.09.2019 तक छात्र पुलिस कैडेट (एसपीजी) कार्यक्रम के तहत मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एक तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 40 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता का आकलन उन 11,705 स्कूलों से किया जा सकता है जो एसपीसी कार्यक्रम चला रहे हैं।



महानिदेशक, बीपीआरएंडडी छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

(ङ) अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने दिनांक 18–19 सितम्बर, 2019 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में जेलों में कैदियों की सकारात्मक सहभागिता पर सम्मेलन आयोजित किया।



श्री जय राम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 19.09.2019 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में सम्मेलन के दौरान "हर हाथ को कामः ए गेम चेंजर" नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

(च) अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने दिनांक 28–29 नवम्बर, 2019 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 47वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन (एआईपीएससी) आयोजित किया।



श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 47वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडडी)

(छ) अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग ने दिनांक 19–20 दिसम्बर, 2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में कारागार प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।



श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को भोपाल, मध्य प्रदेश में कारागार प्रशासन में वर्दीधारी महिलाओं पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए

(स्रोतः बीपीआरएंडी)

(ज) दिनांक 29.11.2019 को बीपीआरएंडी मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध और सोशल मीडिया विषयों पर आयोजित युवा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता श्री वी एच देशमुख, अपर महानिदेशक, बीपीआरएंडी द्वारा की गई।

पुलिस में महिला विषय पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी)

9.7 झारखंड पुलिस के सहयोग में बीपीआरएंडी द्वारा नवम्बर 19–20, 2018 को रांची में पुलिस में महिला विषय पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 'पुलिस व्यवस्था' के नए आयामों के बीच कार्य के सशक्त क्षेत्रों और कार्य अनुकूल वातावरण' विषय पर आयोजित किया गया।



माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड द्वारा दिनांक 09 नवम्बर, 2018 को पुलिस में महिला विषय पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया

(स्रोतः बीपीआरएंडी)

9.8 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने दिनांक 26.09.2019 को बीपीआरएंडडी, मुख्यालय में ड्रोन–रोधी प्रौद्योगिकी के संबंध में एक राष्ट्र स्तरीय सेमिनार–सह–प्रदर्शनी का आयोजन किया और दिनांक 27.09.2019 को बीएसएफ कैंपस भोंडसी, गुरुग्राम में फील्ड डिमोस्ट्रेशन किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और अन्य संगठनों के अधिकारियों को गलत इरादे वाले ड्रोनों को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी गई। 130 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ड्रोन–रोधी उपकरण से संबंधित विनिर्माताओं/डेवलेपर्स/आपूर्तिकर्ताओं आदि को इस कार्यक्रम में अपने उपक्रम प्रदर्शित करने और उनके बारे में बताने के लिए उन्हें अभिरूचि प्रकटीकरण (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किया गया था।

अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण (एआईसीएसपीएस)

9.9 बीपीआरएंडडी ने "नेशनल काउंसिल ऑफ अप्पलाईड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर)", नई दिल्ली के माध्यम से अब तक का पहला "अखिल भारतीय पुलिस सेवा नागरिक सर्वेक्षण (एआईसीएसपीएस)" किया है। इसका उद्देश्य अपराध की घटना और इसकी रिकॉर्डिंग के संबंध में पूरे देश में 1.2 लाख गृहस्वामियों से मौजूदा आंकड़े सम्पूरित करना तथा सुरक्षा की धारणा और पीड़ित किए जाने की सीमा के संबंध में आंकड़े प्राप्त करना है। इससे अपराध की वास्तविक घटना और पुलिस की तैयारी का आकलन करने तथा उपयुक्त नीतियां तैयार करने और प्रशासनिक मामलों में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई)

9.10 वर्तमान में, बीपीआरएंडडी के तत्वाधान में पांच केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) कार्य कर रहे हैं जो चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित हैं। ये प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न राज्यों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, सीएपीएफ और विभिन्न विदेशी मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों को अपराधिक जांच में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को उपयोग में लाने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 347 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 6,628 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, 31.12.2019 तक 147 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 3,158 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल

9.11 केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल राज्यों के सीधी भर्ती वाले उप–पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों को कारागार प्रशासन, अभियोजन एवं फॉरेंसिक विज्ञान के संबंध में बेसिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। भोपाल में सीएपीटी का निर्माण कार्य दिनांक 31.05.2018 को पूरा हो गया था। यह अकादमी पेपरलेस/ई–ऑफिस और जीरो वेस्ट व्यवस्था के साथ कार्य कर रही है।

प्रशिक्षण

9.12 वर्ष 2018–19 के दौरान, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल ने 39 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1,335 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक), 60 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 1,486 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

होमलैंड सुरक्षा वार्ता/अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम

9.13 वर्ष 2018–19 के दौरान दो पाठ्यक्रम अर्थात (i) "सीमा सुरक्षा और प्रतिबंध (बीएसआई) को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले हथियार" विषय पर रक्षा जोखिम न्यूनीकरण अभिकरण (डीटीआरए) के अंतर्गत सीएपीटी भोपाल में दिनांक 10 से 14 सितम्बर, 2018 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 23 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया है और (ii) "आसूचना उपकरण में इंटरनेट का प्रयोग" (आईएनटीआईएनटी) विषय पर कनाडियन पुलिस कॉलेज (सीपीसी), ओटावा, कनाडा में दिनांक

22–24 अगस्त, 2018 तक आयोजित किया गया था, जिसमें 07 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

महिला सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम

9.14 गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों का व्यापक रूप से निराकरण करने के लिए दिनांक 25.05.2018 को महिला सुरक्षा प्रभाग नाम का एक नया प्रभाग बनाया है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों विशेषकर बलात्कार के मामलों से पूर्णरूप से और समयबद्ध ढंग से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 5,000 जांचकर्ताओं, 1,000 अभियोजकों और 700 अधिकारियों (प्रशिक्षकों) को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह लक्ष्य मार्च, 2020 तक प्राप्त किया जाना है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीडीटीआई द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु 79 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 2,117 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अभियोजकों के प्रशिक्षण पर 16 पाठ्यक्रम चलाये गए, जिनमें 81 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीडीटीआई द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जांचकर्ताओं और अभियोजकों के प्रशिक्षण हेतु 152 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 4,054 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करने की स्कीम के तहत विदेश में प्रशिक्षण

9.15 विशेषज्ञ जांचकर्ता तैयार करने की स्कीम के अंतर्गत गृह मंत्रालय विदेशी विषय पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसके अन्तर्गत भारत में आयोजित इन पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विदेशी एक्सपोजर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक, दो बैच सिंगापुर भेजे गये हैं, जिनमें कुल 43 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया हैं।

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस)

न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) के बारे में

9.16 न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय (डीएफएसएस) देश में फॉरेंसिक विज्ञान के संवर्धन एवं विकास के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन नोडल एजेंसी है। इसका गठन गृह मंत्रालय द्वारा 31 दिसम्बर, 2002 को किया गया था और यह उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं पेशेवरता बरतते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अन्वेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं

9.17 गृह मंत्रालय ने न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय के तत्वाधान में 6 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएं भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं।

9.18 सीएफएसएल की स्वतंत्र भूमिका फॉरेंसिक विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) संबंधी गतिविधियां करना, फॉरेंसिक विश्लेषण हेतु मूलभूत विज्ञान में नवीनतम विकास को अपनाना और इस प्रकार की सूचना को अन्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, सीएफएसएल को निम्नलिखित मामलों में अपराध के सबूतों का फॉरेंसिक विश्लेषण करना भी अनिवार्य होता है:

(क) केंद्र सरकार के सभी मामले।

(ख) उन राज्यों के मामले जहां कोई फॉरेंसिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

(ग) विधिक न्यायालयों द्वारा भेजे गए मामले।

(घ) राज्य की प्रयोगशालाओं द्वारा भेज गए अत्यधिक जटिल मामले, जिनके लिए राज्य में विशेषज्ञ मौजूद नहीं हैं।

(ङ) पड़ोसी देशों द्वारा भेजे गये मामले।

9.19 **सीएफएसएल का क्षेत्राधिकारः** दिनांक 26 जुलाई, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, छः सीएफएसएलएस निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं:

– सीएफएसएल, भोपालः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़।

– सीएफएसएल, पुणेः महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण एवं दीव , दादरा और नगर हवेली।

– सीएफएसएल, गुवाहाटीः असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा।

– सीएफएसएल, कोलकाता : ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।

– सीएफएसएल, हैदराबादः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, पुडुचेरी।

– सीएफएसएल, चंडीगढ़ः जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा।

9.20 तथापि, सीएफएसएल किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मामले स्वीकार कर सकती हैं।

9.21 डीएफएसएस और सीएफएसएल की ड्यूटियों का चार्टर निम्नानुसार है:–

(क) आपराधिक न्याय प्रदायगी प्रणाली हेतु समय पर उच्च गुणवत्ता युक्त फॉरेंसिक विज्ञान सेवाएं प्रदान करना

(ख) आपराधिक न्याय प्रणाली में सहायता करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना और नए वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन करना

(ग) अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के साथ संबंध स्थापित करना

(ङ) फॉरेंसिक परीक्षण में गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाना

(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार–प्रसार और संवर्धन करना

(छ) फॉरेंसिक विज्ञान में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना तथा नीतियां तैयार करना

(ज) विभिन्न फॉरेंसिक सूचकांकों के संबंध में राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करना

(झ) पुरस्कार और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाकर फॉरेंसिक विज्ञान तथा अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता बढ़ाना

(ञ) सभी फॉरेंसिक विज्ञान के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देना ।

सीएफएसएल के नए विषयः

9.22 डीएफएसएस के अंतर्गत सीएफएसएल को सात विषयों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विस्फोटक पदार्थ, विष विज्ञान, दस्तावेज और बेलिस्टिक के अनुसार संगठित किया गया हैं। परंपरागत प्रभागों के अलावा, डीएफएसएस की छः सीएफएसएल में निम्नलिखित नए प्रभाग स्थापित किए गए हैं/स्थापित किए जा रहे हैं:–

(क) **डिजिटल फॉरेंसिक विज्ञान प्रभाग** (फॉरेंसिक इलैक्ट्रॉनिक): यह प्रभाग साइबर अपराध, कंप्यूटर अपराध, मोबाइल फोन फॉरेंसिक, जीपीएस फॉरेंसिक, इंटरनेट फॉरेंसिक, मालवेयर फॉरेंसिक, हार्डवेयर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो सत्यापन और इमेज प्रोसेसिंग का फॉरेंसिक विश्लेषण करेगा।

(ख) **फॉरेंसिक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड** (डीएनए) प्रभागः यह प्रभाग यौन हमलों और बलात्कार के मामलों, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, पितृत्व संबंधी विवादों, आपदा पीड़ितों की पहचान से संबंधित मामलों, ऑटोसोमल डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विश्लेषण और लापता व्यक्तियों की पहचान के मामलों की जांच करेगा।

(ग) **फॉरेंसिक इंजीनियरिंग प्रभागः** यह प्रभाग बड़ी बीमा जालसाजियों की जांच, औद्योगिक आगजनी

की जांच, नकली भवन सामग्री की जांच, मानव जनित और प्राकृतिक सड़क/रेल दुर्घटनाओं, प्लेन क्रैश, बोट क्रैश आदि की जांच करेगा।

(घ) **स्वापक मादक पदार्थ प्रभागः** यह प्रभाग स्वापक मादक पदार्थों और मनोःप्रभावी सामग्री से संबंधित सभी प्रकार के मामलों की जांच करेगा।

(ङ) **फॉरेंसिक आसूचना प्रभागः** यह प्रभाग सभी प्रकार के निवारणात्मक अथवा एहतियाती फॉरेंसिक कार्यों, स्याही, टेक्सटाइल फाइबर, ऑटोमोटिव पेंट एण्ड पॉलीमर, वायस प्रिंट, फायरआर्म डाटाबेस, डीएनए प्रोफाईल डाटाबेस के क्षेत्रों में फॉरेंसिक डाटाबेस तैयार करने से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करेगा।

(च) **फॉरेंसिक मनोविज्ञान प्रभागः** यह प्रभाग पोलीग्राफ परीक्षण, मस्तिष्क, अंगुलीछाप, आक्रामक और गैर आक्रामक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक जांचे करेगा।

9.23 उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएफएसएस की प्रयोशालाओं द्वारा आंतरिक क्षमताओं के माध्यम से डीएनए विश्लेषण, कंप्यूटर फॉरेंसिक, ऑडियो–वीडियो सत्यापन, वक्ता की पहचान, एसईएम–ईडीएक्सए का प्रयोग करते हुए शूटर की पहचान, स्वचालित आग्नेयास्त्र/गोलाबारूद डाटाबेस पहचान प्रणाली, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण इत्यादि में नई प्रौद्योगिकियां हासिल की गई हैं।

9.24 अन्य उपलब्धियां

(क) **मामले की जांच संबंधी कार्यः** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक; डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत छः सीएफएसएल में 1,80,378 अपराध सबूतों के साथ 7,735 आपराधिक मामलों की जांच की है। ये प्रयोगशालाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक जटिलता वाले उन मामलों की जांच करती हैं जिनमें विशेषज्ञ की पेशेवर राय और उच्च स्तर के अध्ययन की आवश्यकता होती है।

(ख) **एसओपी और कार्यपद्धति मैनुअल की समीक्षा और इन्हें अंतिम रूप प्रदान करनाः**– एकसमान रिपोर्टिंग के लिए डीएफएसएस द्वारा निम्नलिखित विषयों पर मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया गया हैः

• जीव विज्ञान	• कंप्यूटर फॉरेंसिक
• डीएनए	• ओडियो-वीडियो टेप सत्यापन
• दस्तावेज	• मोबाइल फॉरेंसिक
• रसायन विज्ञान	• इमेज प्रोसेसिंग
• स्वापक मादक पदार्थ	• बैलेस्टिक
• भौतिक विज्ञान	• मनोविज्ञान
• विष विज्ञान	
• विस्फोटक पदार्थ	

(ग) **न्यायालयी साक्ष्यः** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान छः सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधिक न्यायालयों में 715 न्यायालयी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

(घ) **अपराध दृश्यः** उक्त अवधि के दौरान सीएफएसएल के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों ने 53 अपराध दृश्यों की जांच की।

(ङ) **सीएफएसएल और एसएफएसएल के संबंध में स्वापक मादक पदार्थों की जांच हेतु मानक संदर्भ सामग्री (एसआरएम) की खरीद के लिए डीएफएसएस को प्राधिकृत करनाः** स्वापक मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 67(ख) में राज्य और केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा मादक पदार्थों के परीक्षण हेतु अपेक्षित मानक संदर्भ सामग्री की खरीद, प्रभाव और आपूर्ति का कार्य डीएफएसएस को सौंपा गया है। इस प्रकार नए और उभरते हुए स्वापक मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के लिए फॉरेंसिक परीक्षण की बेहतर संभावनाएं पैदा होंगी। नियमावली में इस संशोधन के लिए सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2019 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है।

(च) **प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और उनका आयोजन करनाः** दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, छः

सीएफएसएल के वैज्ञानिकों ने अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करने के लिए नेशनल एकेड्रिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (एनआईसीएफएस), करेंसी नोट प्रेस नासिक, आईएसटीएम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और उपकरण प्रशिक्षण जैसी विभिन्न विधि प्रवर्तन और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 30 प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों ने 61 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया/व्याख्यान दिए, जिनमें विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

(छ) **यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और उन्हें लाने ले जाने से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करना:** डीएफएसएस, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीएफएसएस चंडीगढ़ ने यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और उन्हें लाने ले जाने से संबंधित दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(ज) **यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किट (एसएईसी किट):** डीएफएसएस ने यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किट (एसएईसी किट) के लिए विनिर्देशन तैयार कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया तथा एसएईसी किट अब गवर्मेंट ई–मार्किट प्लेस पर उपलब्ध हैं। निर्भया कोष के अंतर्गत अनुकूलन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 3,120 एसएईसी किट वितरित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित करने के लिए एसएईसी किट की खरीद शुरू कर दी गई है।

पुणे, भोपाल और असम में नई सीएफएसएल की स्थापना तथा मौजूदा सीएफएसएल (चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता) का आधुनिकीकरण:

9.25 यह इस निदेशालय की एक चालू परियोजना है जिसके अंतर्गत भोपाल और असम की दो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण और वहां शिफ्टिंग कार्य पूरा किया गया है। पुणे के भवन का 96% निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। जून, 2019 तक, 12.92 करोड़ रु. की कीमत का उपकरण भी स्थापित किया गया है। चालू वित्त वर्ष, 2019–20 में सीएफएसएल के लिए 12.92 करोड़ रु. की लागत पर निम्नलिखित उपकरण खरीदे गए हैं:

क्र.सं.	खरीदे गए उपकरण/मशीनें	मात्रा
1.	हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल कंपेरेटर	03
2.	ओटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेक्सन सिस्टम	06
3.	जेनेटिक एनालाइजर	06
4.	गैस क्रोमेटोग्राफी- मास स्पेक्ट्रोमैट्री	06
5.	गैस क्रोमेटोग्राफी	06
6.	हाई पर्फोरमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी	06
7.	फोरियर ट्रांसफार्म इंफ्रा-रेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	06
8.	अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	06

चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशालाः

9.26 गृह मंत्रालय, ने निर्भया कोष के अंतर्गत 99.76 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से सीएफएसएल, चंडीगढ़ में "सखी सुरक्षा आधुनिक डीएनए फॉरेंसिक प्रयोगशाला" की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। आधुनिक अवसंरचना एवं उपकरण के साथ अत्याधुनिक फॉरेंसिक प्रयोगशाला दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को कार्यशील की गई है।



सीएफएसएल चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए एनालिसिस सुविधा में लगाए गए मॉडर्न जेनेटिक एनेलाइजर

(स्रोतः सीएफएसएल चंडीगढ़)



माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय द्वारा जीवविज्ञान और डीएनए में कार्यपद्धति मैनुअल जारी किया गया

(स्रोतः सीएफएसएल चंडीगढ़)

9.27 इस आधुनिक फॉरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला के अंतर्गत, चार यूनिट स्थापित की गई हैं: (1) यौन हमला यूनिट; (2) पितृत्व यूनिट; (3) मानव पहचान यूनिट; (4) माइटोकोंड्रियल यूनिट। मामलों के तेजी से निपटान के लिए इन यूनिटों को नवीनतम अवसंरचना और संवर्धित ओटोमेशन से सुसज्जित किया जाता है। सांख्यिकी विश्लेषण और डाटा प्रबंधन के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर के साथ–साथ डिजिटल ओटोक्लेव, बायो–इंक्यूबेटर्स, टीशू लाइजर्स, आटो–एक्सट्रेक्शन उपकरण, जेल डाक्टूमेंटेशन सिस्टम, रियल–टाइम पोलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, थर्मल साइक्लर्स, डीएनए सीक्वेंसर्स की स्थापना हेतु बड़े प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन को शामिल किया गया है।

9.28 नई स्थापित आधुनिक फॉरेंसिक डीएनए प्रयोगशाला महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के मामलों में अधिक स्वीकार्य, सटीक और पुख्ता फॉरेंसिक प्रमाण की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। यह अपेक्षा है कि इस प्रयोगशाला की मामला निपटान क्षमता वर्तमान में 250 मामले/1,250 सबूत प्रतिवर्ष से बढ़कर 2,000 मामले/10,000 सबूत प्रतिवर्ष हो जाएगी, जिससे आउटपुट में वृद्धि होगी और इससे देश के उत्तरी क्षेत्र में कमियां पूरी होंगी।

राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (ई), हैदराबाद की स्थापना:

9.29 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम स्कीम (सीसीपीडब्ल्यूसी) के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 37.66 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से एक स्कीम अर्थात् हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रयोगशाला का गठन महिलाओं और बच्चों के प्रति भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम का एक भाग है। इस कार्य को तत्काल शुरू करने के लिए, भौतिक अवसंरचनात्मक के विकास और छोटे उपकरण की खरीद हेतु गृह मंत्रालय द्वारा 23.61 करोड़ रु. की राशि को पहले ही वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के माध्यम से 24 फॉरेंसिक पेशेवरों (संविदा आधार पर) की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण:

9.30 डीएफएसएस की ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, यह लगातार विभिन्न नए और मौजूदा प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, प्रमाणन कार्य, एसओपी प्रदान करने, प्रौद्योगिकी के अंतरण आदि में राज्य एफएसएल को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान, डीएफएसएस ने साइबर और डीएनए प्रभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत 13 राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन किया। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय ने इन राज्यों को निर्भया स्कीम के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आवंटित की हैं। डीएफएसएस भी इन राज्यों की प्रगति का समन्वय और निगरानी कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग

9.31 डीएफएसएस की ड्यूटियों के चार्टर के अनुसार, डीएफएसएस ने राज्य एफएसएल के साथ–साथ अन्य देशों की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को भी नियमित तौर पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। वर्ष के दौरान, सीएफएसएल के तीन विशेषज्ञों अर्थात् श्री आर सुरेश, सहायक निदेशक, श्री ई साई प्रसाद, सहायक निदेशक और डॉ. शिवानी शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने साओ पाउलो, ब्राजील और कोलंबो, श्रीलंका का दौरा किया तथा डिजिटल फॉरेंसिक एवं बैलिस्टिक्स के संबंध में इंटरपोल की बैठकों में भाग लिया।

9.32 इसके अतिरिक्त, डॉ. एस के जैन, निदेशक – सह – मुख्य फॉरेंसिक वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय और श्री एम सी जोशी, उप निदेशक, सीएफएसएल, चंडीगढ़ को नामित किया गया और

उन्होंने दिनांक 17–18 सितम्बर, 2019 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित 7वें शंघाई सहयोग संगठन के विशेषज्ञ कार्य समूह की पहली तैयारी बैठक में भाग लिया।

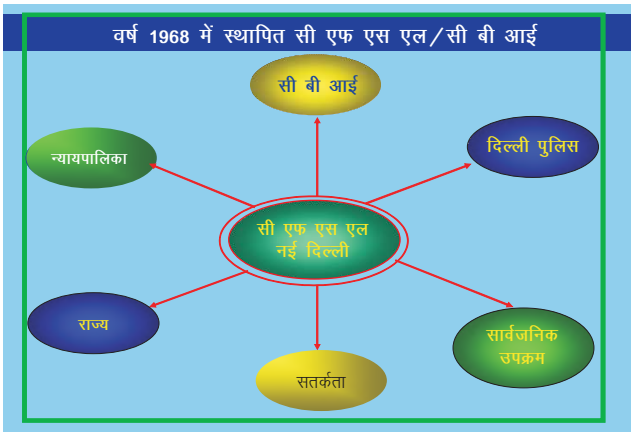
केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो), नई दिल्ली

प्रस्तावना

9.33 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, (सीबीआई), नई दिल्ली की स्थापना अपराध की जांच–पड़ताल करने में वैज्ञानिक सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैज्ञानिक विभाग के रूप में वर्ष 1968 में की गई थी। यह प्रयोगशाला सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, सीएफएसएल की वैज्ञानिक सहायता इकाई भी है, जो चेन्नई तथा मुम्बई में सीबीआई के शाखा कार्यालयों में स्थित है।

क्षेत्राधिकार

9.34 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय, के समग्र नियंत्रण के अधीन एक वैज्ञानिक विभाग है। यह सीएफएसएल, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और मंत्रालयों एवं उपक्रमों के सतर्कता विभागों तथा राज्य/केंद्र सरकार के विभागों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सीएफएसएल के विशेषज्ञ जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए अपराध के सबूतों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। वास्तविक सुराग का पता लगाने के लिए सीबीआई द्वारा पूरे भारत में अपराध के घटना स्थल पर भी इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक/विशेषज्ञ सीबीआई के अधिकारियों तथा राज्य और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह प्रयोगशाला फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।



न्यायालय में उपस्थिति और अपराध के घटना स्थलों का दौरा

9.35 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दिल्ली एवं भारत के अन्य हिस्सों में न्यायालयों में 600 मामलों में विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत किए और दिल्ली एवं इसके बाहर अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए अपराध के 191 घटना स्थलों की जांच की है।

मामलों से संबंधित आंकड़े

9.36 **वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के मामलों से संबंधित आंकड़े**

1.	दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित मामले	:	**1193**
2.	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक प्राप्त मामले	:	**1933**

9.37 **वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) में सूचित मामले**

1.	सीबीआई	–	1069
2.	दिल्ली पुलिस	–	451
3.	अन्य	–	460
	कुल	–	**1980**

लंबित मामले
दिनांक 31.12.2019 की स्थिति
के अनुसार – 1146

खरीदे गए महत्वपूर्ण नवीनतम उपकरण

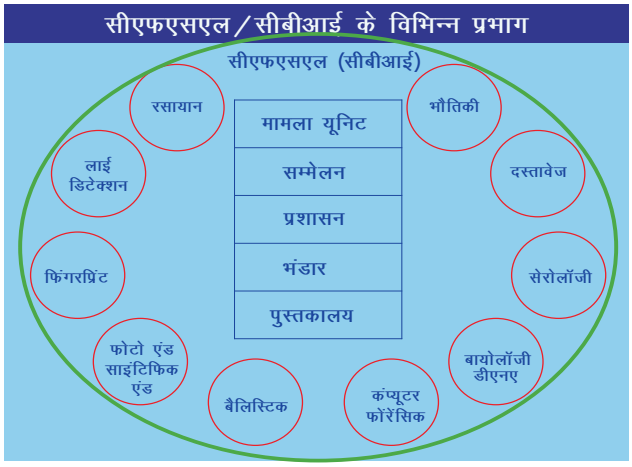
9.38 वर्ष 2019 के दौरान, नवीनतम उपकरण नामतः लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (ईसीसीओ–2) पर आधारित एलीमेंटल कंपोजिशन कंपेरेटर, 03 वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर–8000, डिजिटल कोल्ड रूम एंड यूवी – विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खरीदे गए और सीएफएसएल (सीबीआई) नई दिल्ली के विभिन्न प्रभागों में लगाए गए।

गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में पहल

9.39 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सीबीआई, नई दिल्ली अपने सभी प्रचालनात्मक विषयों के संबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली को आईएसओ आईईसी 17025 तथा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) 113 के अनुरूप गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रयोगशाला ने इसके प्रत्येक प्रभाग को भेजे गए अपराध के विभिन्न सबूतों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षण किए जाने के लिए विस्तृत गुणवत्ता मैनुअल और कार्य पद्धति मैनुअल तैयार किए हैं। वर्ष के दौरान 1,086 मामलों (लगभग) में अनुरूपता संबंधी जांचें की गई थी। एनएबीएल की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता मैनुअल में संशोधन किया गया था। प्रयोगशाला में नया मानक प्रारूप अर्थात् आईएसओ आईईसी 17025 – 2005 शुरू किया गया है। अपराध के सबूतों के विश्लेषण कार्य में प्रयुक्त उपकरणों को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से केलिब्रेट किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला के प्रबंधन तथा दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सीएफएसएल के सभी प्रभागों में नामोदिष्ट आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। चालू गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। यह प्रयोगशाला किसी भी प्रकार के अपराध के मामलों की फॉरेंसिक जांच करने और न्याय की उपयुक्त व्यवस्था से संबंधित जटिलताओं के प्रभावशाली उपचारात्मक समाधान करने के लिए अपनी गुणवत्ता नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के साथ–साथ सामान्य लोगों को प्रमाणित मानदंडों की भरोसेमंद गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सके।

मौजूदा जांच सुविधाएं

9.40 सीएफएसएल (सीबीआई), नई दिल्ली में 11 पूर्ण सुसज्जित प्रभाग हैं जो अपराध के सबूतों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और अपराध के घटना स्थलों से भौतिक सबूतों के संग्रह/पहचान करने में विभिन्न जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक सहायता संबंधी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। ये बैलेस्टिक, बायोलॉजी और डीएनए प्रोफाइलिंग यूनिट, रसायन, दस्तावेज, फिंगरप्रिंट, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फोटो, भौतिकी, सेरॉलोजी, कंप्यूटर फॉरेंसिक और वैज्ञानिक सहायता एकक हैं।



9.41 इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने फॉरेंसिक कौशल को उन्नत करने तथा नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधिविज्ञान संस्थान (एलएनजेएन एनआईसीएफएस)

9.42 इस संस्थान की स्थापना आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 1972 में की गई थी। स्थापना से अब तक, लगभग 18 देशों और भारत के पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, रक्षा बलों, बैंकों और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के 46,342 अधिकारियों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशिष्ट पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.43 वर्ष 2019–20 के दौरान, इस संस्थान ने अब तक पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, सुधारात्मक प्रशासन, रक्षा सेवाओं, एफएसएल आदि के कुल 2,313 प्रशिक्षुओं जिनमें 6 विदेशी प्रशिक्षु (नेपाल के) भी शामिल है, के लिए 113 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित (31.12.2019 तक) किए हैं। वर्ष 2018–19 में भारत के विभिन्न भागों के 2,518 अधिकारियों और 20 विदेशी अधिकारियों ने अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान में 91 पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

(क) **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम**

संस्थान वर्ष 2004 से अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान में एम.ए./एम.एससी. पाठ्यक्रम चला रहा है, जो गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।

एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम हाल ही में संशोधित किए गए हैं जिसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान के एक विशिष्ट मिश्रण पर बल दिया गया है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए इसका स्तरोन्नयन किया गया है। इसमें अनुसंधान क्षमता का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) की एक संयुक्त टीम द्वारा संस्थान के एमए/एमएससी शिक्षण का प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है।

यह संस्थान 'श्रेणी क' संस्थान है और यह एनएएसी से मान्यता प्राप्त है।

(ख) **स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम**

चालू शैक्षणिक वर्ष से गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता में (i) साइबर अपराध एवं कानून, (ii) सुरक्षा प्रबंधन और (iii) पीड़ित विज्ञान एवं पीड़ित सहायता में एक–वर्ष की अवधि के 3 नए पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

डिजिटल फॉरेंसिक प्रभाग के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, इस वर्ष से (i) 'प्रवेशकों के लिए सूचना सुरक्षा एवं साइबर फॉरेंसिक' और (ii) मोबाइल फॉरेंसिक में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। फॉरेंसिक भौतिकी प्रभाग द्वारा 'फॉरेंसिक ऑडियो, फॉरेंसिक फोटोग्राफी एंड वीडियो टेक्नोलॉजी' में एक नया सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैलेस्टिक और दस्तावेज प्रभागों द्वारा क्रमशः 'फॉरेंसिक बैलेस्टिक में उभरती हुई चुनौतियां' और 'फॉरेंसिक दस्तावेज जांच में उभरती हुई चुनौतियां' के संबंध में नई कार्यशालाएं शुरू की गई है।

(ग) **यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक जांच से संबंधित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

गृह मंत्रालय के आदेश पर चालू वर्ष में जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए 'यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक जांच' से संबंधित एक नया प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य इन टीओटी कार्यक्रमों के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 1,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है।

फॉरेंसिक साइकोलॉजी एप्टीट्यूड एण्ड कैलिबर टेस्ट (एफ–पैक्ट 2019)

9.44 गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, एलएनजेएन

एनआईसीएफएस फॉरेंसिक मनोविज्ञान में स्नातकों और पेशेवरों की बेंचमार्किंग के उद्देश्य से एनआईईएलआईटी के सहयोग से एक अखिल–भारतीय ऑनलाइन परीक्षा नामतः फॉरेंसिक साइकोलॉजी एप्टीट्यूड एण्ड कैलिबर टेस्ट (एफ–पैक्ट और एफ–पैक्ट प्लस 2019) आयोजित कर रहा है। ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 24.11.2019 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 30.11.2019 को घोषित किया गया था। एफ–पैक्ट 2019 के सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र दिनांक 16.12.2019 को जारी कर दिए गये हैं।

पहलें

9.45 गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, संकाय के लिए 80 कमरों वाले एक नये छात्रावास ब्लॉक, एक नये 6–मंजिला पुस्तकालय ब्लॉक और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नए आवासीय मकानों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। एनबीसीसी, जो इन परियोजनाओं का कार्य निष्पादन कर रही है, द्वारा शीघ्र ही निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने और नए परिसर संस्थान को सौंपे जाने की प्रत्याशा है

एनआईसीएफएस छात्रवृत्तियां

9.46 एनआईसीएफएस ने गृह मंत्रालय के अनुमोदन से वर्ष 2016–17 से एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम शुरू की थी। वर्ष 2018–19 में, एमए अपराध विज्ञान और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान में 8–8 विद्यार्थियों को मैरिट छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी, जबकि एमए अपराध विज्ञान में 8 विद्यार्थियों और एमएससी फॉरेंसिक विज्ञान में 16 विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिए अनुदान दिया गया था।

राष्ट्रीय एकता दिवस

9.47 एलएनजेएल एनआईसीएफएस ने दिनांक 31.10.2019 को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाया जो हमारे राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रति वास्तविक और गंभीर खतरों का सामना करने में हमारे राष्ट्र के परंपरागत सामर्थ्य और क्षमता को पुनः दृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। श्री वाई.एम. उपाध्याय, डीआईजी (प्रशासन) द्वारा शपथ दिलाई गई।

स्वच्छता पखवाड़ा/हिंदी पखवाड़ा

9.48 एनआईसीएफएस ने दिनांक 02.10.2019 को एक स्वच्छता अभियान/सफाई अभियान आयोजित किया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाना शामिल था। कार्यक्रमों के दौरान सफाई वालों/स्वीपरों को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

9.49 संस्थान के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच राजभाषा (हिंदी) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में दिनांक 14 से 29 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। इसमें निबंध लेखन, भाषण आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल थी। हिंदी पखवाड़े की अवधि के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

9.50 एलएनजेएन एनआईसीएफएस ने दिनांक 21.06.2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने कर्मचारियों, विद्यार्थियों और प्रशिक्षुओं के लिए योग विज्ञान संस्थान, दिल्ली के सहयोग से एक योग कक्षा आयोजित की।

'भारत में फॉरेंसिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' विषय पर 2–दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

9.51 एलएनजेएल एनआईसीएफएस द्वारा दिनांक 15–16 अक्टूबर, 2019 को 'भारत में फॉरेंसिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' के संबंध में एक 2–दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। माननीय केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला द्वारा इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इसमें 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें फॉरेंसिक विज्ञान के प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रैक्टिशनर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा चिकित्सा – विधिक विशेषज्ञ शामिल थे।



श्री अजय कुमार भल्ला, आईएएस, केंद्रीय गृह सचिव 'भारत में फॉरेंसिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' विषय पर 2–दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः एनआईसीएफएस)

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू)

9.52 देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में, पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू) पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय तथा राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में विभिन्न गतिविधियां संपादित करता है। राज्य/केंद्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के बीच संदेशों के आदान–प्रदान के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, यह निदेशालय, राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे क्रिस्टोग्राफिक दस्तावेजों और डिवाइसों के लिए केंद्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.53 यह निदेशालय कानून एवं व्यवस्था, वीवीआईपी/वीआईपी आवागमन आदि से संबंधित संदेशों के आदान–प्रदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के साथ पुलिस संचार नेटवर्क का अनुरक्षण कर रहा है। साल भर में लगभग 8 लाख संदेशों के कुल ट्रैफिक को निपटाया जाता है। सभी अंतर राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जाता है।

सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क

9.54 डीसीपीडब्ल्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में स्थापित आईएसपीडब्ल्यू, राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर एवं सीएपीएफ के स्थानों के बीच एक सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क (पोलनेट) का अनुरक्षण कर रहा है।

9.55 सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अंतर्गत सुदूर स्थलों पर अति लघु अपरचर टर्मिनल (वीसैट) और नई दिल्ली स्थित पोलनेट हब शामिल हैं। यह नेटवर्क

जीसैट 17 सैटेलाइट के 36 मेगाहार्ट्ज बैंडविड्थ के सी–बैंड ट्रांसपोंडर पर परिचालित होता है। यह नेटवर्क वर्ष 2004 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में यह नेटवर्क आईएसबीएन और डीवीबी–एस प्रौद्योगिकी पर आधारित है तथा डीसीपीडब्ल्यू, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों और सीएपीएफ द्वारा इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। डीसीपीडब्ल्यू स्पेक्ट्रम को बेहतर क्षमता के साथ और इष्टतम उपयोग के लिए, मल्टी फ्रीक्वेंसी टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस (एमएफटीडीएमए) प्रौद्योगिकी के साथ डिजिटल वीडियो ब्राडकास्टिंग सेटेलाइट वर्जन–2 (डीवीबी–एस2) को शामिल करके सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क को अपग्रेड और उसका संवर्धन करने का कार्य कर रहा है। सैटेलाइट आधारित संचार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए निविदा जारी कर दी गई है और नई प्रणाली स्थापित करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है तथा नेटवर्क की स्थापना और इसकी कमीशनिंग का कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा किए जाने की आशा है। यह नया नेटवर्क लेह, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और लक्षद्वीप के साथ–साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह जैसे देश के दूरस्थ भागों को देश के अन्य किसी भाग से डाटा, वायस और वीडियो जैसी सेवाओं प्रदान करने में सक्षम होगा।

हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार का सुदृढ़ीकरण

9.56 डीसीपीडब्ल्यू नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर राष्ट्र स्तर पर अपने हाई फ्रीक्वेंसी (एचएफ) संचार नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में प्रक्रियारत है ताकि आपातकाल/आपदा के समय देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित अपने आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों से संचार के एक वैकल्पिक माध्म के रूप में सेवाएं प्रदान की जा सके । इस उद्देश्य से, "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत सभी आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों एवं डीसीपीडब्ल्यू मुख्यालय में लगाने के लिए 100 वाट के चालीस डिजिटल एचएफ सेट और रग्ड लैपटॉप खरीदे गए हैं।

देश में रेडियो नेटवर्क की मॉनीटरिंग

9.57 गृह मंत्रालय ने रेडियो संचार सुरक्षा की चूक का पता लगाने और उसे कम करने के लिए व्यापक पुलिस रेडियो नेटवर्कों अर्थात् एचएफ, वीएचएफ और यूएचएफ की मॉनीटरिंग करने की भूमिका डीसीपीडब्ल्यू को सौंपी है। अपेक्षित नवीनतम मॉनीटरिंग उपकरण के विनिर्देशन तैयार कर लिए गए हैं और इस कार्य के कार्यान्वयन की आगामी प्रक्रिया चल रही है।

समन्वय विंग

9.58 डीसीपीडब्ल्यू, संचार मंत्रालय की "फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए)" का एक सदस्य है। यह निदेशालय राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना के निर्माण/संशोधन में सक्रिय रूप से शामिल है। निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी एपी एफ)के रेडियो संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संचार मंत्रालय के "वायरलेस नियोजन एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)" विंग के साथ समन्वय कर रहा है।

9.59 डीसीपीडब्ल्यू ने डिजिटल सेटेलाइट टर्मिनल (डीएसपीटी) सेवाओं के विफल होने के पश्चात गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ समन्वय किया और डीओटी के यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से उपभोक्ता सीएपीएफ संगठनों को 496 इनमारसेट सेटेलाइट फोन निशुल्क वितरित किए तथा कल्याणकारी उपाय के रूप में अत्यधिक दुर्गम स्थानों, जहां संचार के अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं हैं, पर तैनात जवानों को 1 रुपये प्रति मिनट की दर से सब्सिडाइज्ड कॉल चार्ज पर घर में अपने परिवारों के साथ बातचीत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

9.60 पूरे देश में 5 स्पॉट बीम्स के माध्यम से मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेस (एमएसएस) प्रदान करने के लिए जीसैट–06 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। रिमोट सैटकॉम टर्मिनल एस–बैंड में संचालित होंगे, जबकि हब, सी–बैंड में सैटेलाइट के साथ संपर्क करेंगे। गृह मंत्रालय को सीएपीएफ, राज्य पुलिस और गृह मंत्रालय के अन्य संगठनों के उपयोग के लिए

जीसैट–06 सैटेलाइट के 25% संसाधन आवंटित किए गए हैं।

9.61 डीसीपीडब्ल्यू प्रथम चरण में कुल 2,367 नग जीसैट–06 सैटेलाइट टर्मिनलों के नेटवर्क के लिए जीसैट–6 हब स्थापित करेगा। टर्मिनलों का ब्यौरा इस प्रकार है– 200 मैनपैक सैटकॉम टर्मिनल (एमएसटी), 1,367 हैंडहेल्ड सैटकॉम टर्मिनल (एचएसटी) और 800 सैटकॉम मैसेजिंग टर्मिनल (एसएमटी)।

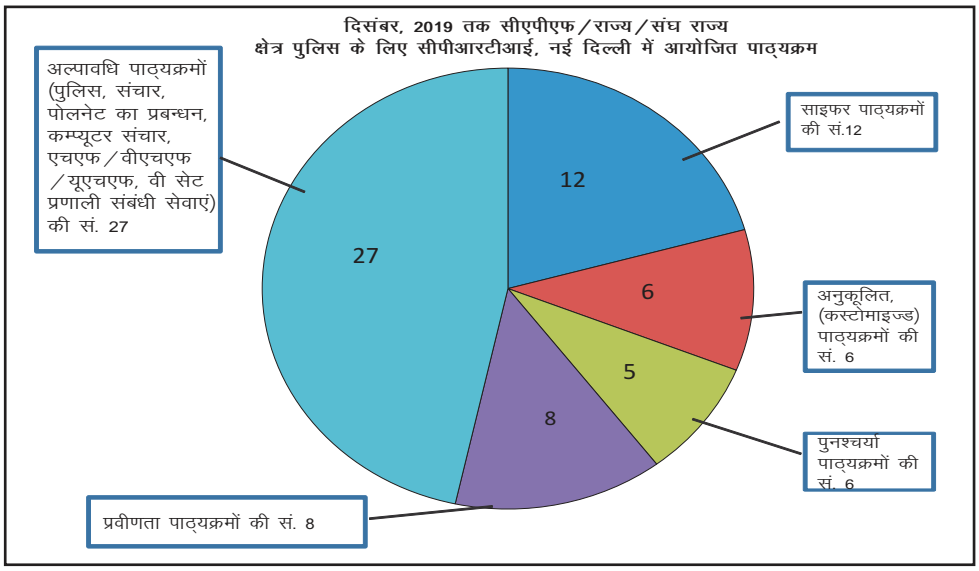
साइफर विंग

9.62 डीसीपीडब्ल्यू का साइफर प्रभाग वर्गीकृत संदेशों की निकासी करता है और अन्तर–राज्य सुरक्षित संचार को बनाए रखता है। केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण (सीडीए) की भूमिका साइफर दस्तावेज/उपकरण प्राप्त करना और क्रिप्टो सिस्टम का प्रयोग करके सुरक्षित संचार की सुविधा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों तथा आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों को वितरित करना है। क्रिप्टोग्राफी के सभी पहलुओं पर सीएपीएफ तथा राज्य पुलिस रेडियो संगठनों के अधिकारियों/कार्मिकों को भी साइफर विंग द्वारा केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई), डीसीपीडब्ल्यू में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। दिनांक 31.12.2019 तक 24 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कुल 246 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। डीसीपीडब्ल्यू क्रिप्टो संचार नेटवर्क में एक पी.सी. आधारित साइफर सिस्टम शामिल किया गया है और इस सिस्टम को 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों में शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

9.63 केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान पुलिस (सीपीआरटीआई), नई दिल्ली को पुलिस संचार के क्षेत्र में देश के पुलिस समुदाय को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अधीन डीसीपीडब्ल्यू का एक प्रमुख संस्थान है। सीपीआरटीआई पुलिस संचार के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करता है ताकि अधिकारियों को आधुनिक पुलिस संचार प्रणालियों और तकनीकों से परिचित कराया जा सके। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रवीणता स्तर और कौशल विकास के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस और सीएपीएफ के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों/संस्थानों में प्रशिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, डीसीपीडब्ल्यू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुलिस संगठनों के सुरक्षित संचार के प्रतिष्ठानों के प्रभावी प्रबंधन को सुकर बनाने के उद्देश्य से सीपीआरटीआई ने दिनांक 31.12.2019 तक अधिकारियों सहित पुलिस कार्मिकों के लिए तकनीकी और साइफर दोनों विषयों में 57 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 780 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान (आरपीडब्ल्यूटीआई), चंडीगढ़, जो जुलाई, 2019 से प्रचालन में है, ने भी दिनांक 31.12.2019 तक कुल 04 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं और 100 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

9.64 वर्तमान और भविष्य की संचार चुनौतियों को पूरा करने के लिए सीपीआरटीआई का स्तरोन्नयन करने की प्रक्रिया जारी है। एमपीएफ की अम्ब्रेला स्कीम के तहत चंडीगढ़ (जुलाई, 2019 से प्रचालित) और कोलकाता में क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में क्षेत्रीय पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान खोलने का एक और प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान राज्य पुलिस/संघ राज्य क्षेत्रों/सीएपीएफ को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने की आसान सुविधा प्रदान करेंगे



अंतर–राज्य पुलिस वायरलेस (आईएसपीडब्ल्यू) स्टेशनों के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण

9.65 स्थापनाओं की सुरक्षा के संबंध में डीसीपीडब्ल्यू के सम्मुख आने वाली समस्या तथा किराए के भवनों/राज्य सरकार के आवास में संचार उपकरणों के समुचित रूप से कार्य करने में एंटीना के संबंध में आने वाली बाधाओं पर विचार करते हुए, रायपुर, देहरादून एवं रांची में आईएसपीडब्ल्यू स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया। गृह मंत्रालय ने "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की अम्ब्रेला योजना के तहत 12 करोड़ रुपये अनुमोदित किये हैं। आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन रायपुर के लिए 73,81,391/– रुपये से कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। कार्यालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन है।

9.66 आईएसपीडब्ल्यू रायपुर के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद से संबंधित प्रस्ताव, जिसमें 1,82,49,990/– रु. का व्यय और 3,65,000/– रु. की राशि का 2% प्रीमियम शामिल है, को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

9.67 आईएसपीडब्ल्यू स्टेशन देहरादून हेतु कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता से संबंधित प्रस्ताव गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

कार्यशाला और तकनीकी मूल्यांकन

9.68 निदेशालय की केन्द्रीय कार्यशाला में, वायरलेस और अन्य उपकरण तथा अन्य सहायक सामग्री जो कि कुल मिलाकर लगभग 16,112 मद है, के संबंध में लगभग 513 परीक्षण/मरम्मत कार्य किए गए।

9.69 कार्यशाला ने सीएपीएफ को तकनीकी प्रस्तावों के संबंध में उपयुक्त परामर्शी सेवाएं भी प्रदान की हैं। गृह मंत्रालय ने कुछ मदों, जो उच्च तकनीकी प्रकृति के हैं, के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए डीसीपीडब्ल्यू को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है।

वायरलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों का आरक्षित भंडार

9.70 आपदाओं, आम चुनावों आदि जैसी ऑपरेशनल आवश्यकताओं के दौरान केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस संगठनों को उधार के आधार पर वायलेस उपकरणों और सहायक उपकरणों की सहायता प्रदान करना इस निदेशालय की एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निदेशालय ने लोक सभा, विधान सभा चुनावों, पंचायत चुनावों के दौरान/आपदा से निपटने के उद्देश्य से 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 01 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लिए 33,022 आवश्यक रेडियो सेट और सहायक उपकरण जारी किए हैं।

इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो 2019

9.71 निदेशालय ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो में दिनांक 03.10.2019 से 05.10.2019 तक भाग लिया है। डीसीपीडब्ल्यू ने पुलिस संगठनों और डीसीपीडब्ल्यू में उपयोग होने वाले संचार उपकरणों जैसे डाटा टर्मिनल के रूप में रग्ड लैपटॉप के साथ–डिजिटल एंड एनालॉग एचएफ रेडियो, डिजिटल एंड एनालॉग वीएचएफ रेडियो और फिक्स्ड पॉलनेट 2.0 तथा खरीदे जा रहे वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण के साथ फ्लाई–अवे टर्मिनल को प्रदर्शित करने के लिए एक पवेलियन लगाया। आगंतुकों को पवेलियन में ऑन–साइट मोर्स लर्निंग ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक पृथक मोर्स की ट्रेनिंग डेस्क भी स्थापित किया गया था और विद्यार्थियों तथा केंद्र और राज्य पुलिस के अधिकारियों सहित इच्छुक सहभागियों के लिए 100 से अधिक सहभागिता ई–प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। जानकारी का प्रसार करने के लिए पवेलियन में एक सूचना कियोस्क स्थापित किया गया। सीएपीएफ, राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय एवं अन्य सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पवेलियन का दौरा किया और पवेलियन के प्रदर्शन की प्रशंसा की।



डीसीपीडब्ल्यू ने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपो – 2019 मे भाग लिया

(स्रोतः डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय)

राष्ट्रीय एकता दिवस पुलिस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी–2019

9.72 निदेशालय ने दिनांक 31.10.2019 से 06.11.2019 तक केवड़िया, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस पुलिस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी– 2019 में भाग लिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दिनांक 31.10.2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। डीसीपीडब्ल्यू ने पुलिस संगठनों और डीसीपीडब्ल्यू में उपयोग होने वाले संचार उपकरणों जैसे डाटा टर्मिनल के रूप में रग्ड लैपटॉप के साथ–डिजिटल एंड एनालॉग एचएफ रेडियो, डिजिटल एंड एनालॉग वीएचएफ रेडियो और फिक्स्ड पॉलनेट 2.0 और खरीदे जा रहे वीडियो

कांफ्रेंसिंग उपकरण के साथ फ्लाई–अवे टर्मिनल को प्रदर्शित करने के लिए एक पवेलियन लगाया। आगंतुकों को पवेलियन में ऑन–साइट मोर्स लर्निंग ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक पृथक मोर्स की ट्रेनिंग डेस्क भी स्थापित किया गया था। सीएपीएफ, राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पवेलियन का दौरा किया और पवेलियन के डिस्पले की प्रशंसा की। इस प्रदर्शनी को आम जनता के लिए दिनांक 01.11.2019 को खोला गया था। युवा छात्रों ने मोर्स कोड सीखने में रूचि दर्शाई और वे दो–तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर इंटरेक्ट करने पर खुश हुए। विद्यार्थियों तथा केंद्र और राज्य पुलिस के अधिकारियों सहित इच्छुक सहभागियों को प्रोत्साहन हेतु ई–सर्टिफिकेट भी जारी किए गए।



डीसीपीडब्ल्यू ने केवड़िया, गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस पुलिस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी–2019 में भाग लिया

(स्रोतः डीसीपीडब्ल्यू, गृह मंत्रालय)

सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) के प्रमुखों का सम्मेलन

9.73 डीसीपीडब्ल्यू ने दिनांक 20–21 जनवरी, 2020 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (पीपीडीआर) के प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राहत कमिश्नर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी और देश की पुलिस, सीएपीएफ, एनडीआरएफ/एसडीआरएफ, अग्निशमन, चिकित्सा सेवा सहित सभी पीपीडीआर एजेंसियों के एडीजी ने भाग लिया।

9.74 इस सम्मेलन के दौरान, अत्याधुनिक डीवीबीएस–2 प्रौद्योगिकी के साथ पोलनेट 2.0 का उद्घाटन मुख्य आकर्षण था, जिसके बाद राज्य पुलिस बलों के लिए राष्ट्रीय संचार मानक जारी किए गए। इसके अलावा, नीति–निर्माताओं (गृह मंत्रालय और प्रौद्योगिकी विभाग) पीपीडीआर एजेंसियों, उद्योग और अकादमियों के वक्ताओं को शामिल करके विभिन्न तकनीकी और नीतिगत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

9.75 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की स्थापना,

मादक पदार्थों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एनसीबी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों और राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एनसीबी, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र समझौतों, 1961, 1971, 1988 (जिनमें भारत हस्ताक्षरकर्ता है) के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।

9.76 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक के कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके 13 जोनल यूनिटें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इंदौर, बेंगलुरू और पटना में स्थित हैं, 12 सब–जोन कोच्चि, हैदराबाद, गोवा, मंदसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरै, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में स्थित हैं तथा संगठन के विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए एक प्रवर्तन इकाई के अतिरिक्त 5 सेल अर्थात इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल एनसीबी मुख्यालय के अंतर्गत मौजूद हैं।

9.77 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, एनसीबी ने कार्यालय–सह–आवासीय परिसरों/कार्यालयों परिसरों/आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू की थी। मंत्रालय ने दिनांक 20.08.2019 को गुवाहाटी, असम में 43.48 करोड़ रु. की कार्यालय–सह–आवासीय (ओसीआर) परियोजना, दिनांक 18.11.2019 को इंदौर, मध्य प्रदेश में 8.49 करोड़ रु. की कार्यालय परिसर (ओसीआर) परियोजना, दिनांक 18.11.2019 को बेंगलुरु में 13.31 करोड़ रु. की कार्यालय परिसर परियोजना और दिनांक 13.08.2019 को भुवनेश्वर में 4.09 करोड़ रु. की कार्यालय परिसर परियोजना जैसी 04 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

9.78 अहमदाबाद और चंडीगढ़ में क्रमशः 18.99 करोड़ रु. और 19.34 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2016 के दौरान स्वीकृत की गई कार्यालय–सह–आवासीय परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी कर ली जाएंगी।

9.79 जम्मू, अमृतसर, रांची और दिल्ली में भूमि खरीद ली गई है और अधिग्रहण के पश्चात की औपचारिकताएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय में स्थान की कमी के कारण, गृह मंत्रालय ने कार्यालय में स्थान की कमी को पूरा करने के लिए हुडको, नई दिल्ली में किराए पर कार्यालय का स्थान लेने का अनुमोदन दे दिया है।

9.80 **प्रवर्तन के प्रयास**

(क) दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और देश में विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

मादक पदार्थ का नाम	सभी एजेंसियों द्वारा भारत में जब्त मादक पदार्थ अनंतिम आंकड़े (किग्रा.में)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा. में)
स्वापक पदार्थ		
हेरोइन	1983.37	108.283
अफीम	2235.43	256.633
मार्फिन	100.56	20.605

गांजा	168754.08	16198.429
हशीश	976.96	264.481
कोकीन	45.11	37.445
मेथाक्वालोन	375.80	374.350
एमफेटामाइन्स	241.3	26.284
मनःप्रभावी पदार्थ		
मनःप्रभावी पदार्थ	टेबलेट = 20481871+ 177.94 कि.ग्रा. इंजेक्शन = 242407	टेबलेट = 256053+7.817 कि.ग्रा. इंजेक्शन = 765
उत्तेजक रसायन		
इफेड्रिन/स्यूडो-इफेड्रिन	2513.8 कि.ग्रा.	2170.065 कि.ग्रा.

(ख) **पोस्त और भांग की अवैध खेती को नष्ट करना**

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 2,226 एकड़ भूमि पर फैली अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया है। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में 11,070 एकड़ में फैली अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया है।

(ग) **दोषसिद्धि**

एनसीबी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान 28 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

(घ) **मादक पदार्थों का निपटान**

उपर्युक्त अवधि के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा निम्नलिखित मादक पदार्थों का निपटान किया गयाः

102.556 किग्रा. हेरोइन, 332.664 किग्रा. हशीश, 382.260 किग्रा. अफीम, 7032.949 किग्रा. गांजा, 4625.620 किग्रा. पॉपी स्ट्रा, 26.9 लीटर और 49094 बॉटल फेंसिडिल कफ सिरप, 20141 किग्रा. मेथाम्फेटामाइन, 14.293 किग्रा. कोकीन, 80.562 किग्रा. और 1508410 एफेड्राइन/स्यूडो एफेड्राइन के टेबलेट्स, 0.145 किग्रा. मॉर्फीन, 2275 किग्रा. एसेटिक एन्हाईड्राइड, 32.290 किग्रा. एलप्राजोलम टेबलेट्स और 48.121 किग्रा. एफेड्राइन, 68.719 किग्रा. स्यूडो एफेड्राइन, मनःप्रभावी पदार्थों के 20479 इंजेक्शन और 59.260 किग्रा. खाट पत्ते।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.81 गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्वापक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने में उनकी प्रवर्तन संबंधी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु प्रारंभ में पांच वर्षों के लिए दिनांक 24.10.2004 को 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना शुरू की गई थी। राज्यों के लिए इस स्कीम को 21.00 करोड़ रु. के अनुमानित बजट के साथ तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017–18

से 2019–20 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 31.12.2019 तक 4.77 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

9.82 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) मादक पदार्थ संबंधी कानून लागू करने पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में इस प्रकार के 204 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, सीमा–शुल्क, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 9,128 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस आदि के लिए 34 कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी) कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे जिनमें कुल 153 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

मांग में कमी

9.83 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को "मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसरण में, यह दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। मादक पदार्थ की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एनसीबी मुख्यालय तथा इसकी जोनल इकाइयों ने विभिन्न राज्य मादक पदार्थ–रोधी कार्यबलों, राज्य एवं केन्द्रीय एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर इसकी मांग में कमी संबंधी लगभग 313 गतिविधियों का आयोजन किया। 26 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अतिरिक्त, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) जनता को जागरूक बनाने के लिए नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने देश भर में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 313 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 59,063 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

9.84 अंतरराष्ट्रीय दायित्व/समन्वय

(क) बांग्लादेश के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताएं

मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति पर चर्चा करने और सक्रिय मादक पदार्थ दुर्व्यापार सिंडिकेट के बारे में दोनों देशों के बीच आसूचना का आदान–प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए महानिदेशक (डीजी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नेतृत्व में 06 सदस्यों के भारतीय शिष्टमंडल ने दिनांक 10–11 अक्टूबर, 2019 को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच 6वीं डीजी स्तरीय बैठक में भाग लिया।

(ख) सिंगापुर के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताएं

मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने नई दिल्ली में दिनांक 30–31 अक्टूबर, 2019 को सिंगापुर के साथ दूसरी डीजी स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की। 06 सदस्यों वाले सिंगापुर के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

(ग) म्यांमार के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताएं

मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने नई दिल्ली में दिनांक 09–10 जुलाई, 2019 को म्यांमार के साथ चौथी डीजी स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की। 05 सदस्यों वाले म्यांमार के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

(घ) अन्य महत्वपूर्ण बैठकें और सम्मेलन

उपर्युक्त द्विपक्षीय बैठकों के अलावा, दिनांक 15–17 अप्रैल, 2019 को बाकू, अजरबेजान, में 36वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन (आईडीईसी), दिनांक 8–9 अप्रैल, 2019 को थिम्फू, भूटान में भारत–भूटान वार्ता, दिनांक 22–23 अप्रैल, 2019 को बिस्केक में आयोजित स्वापक नियंत्रण एजेंसियों की बैठक और उतेजक एवं नए मनोःप्रभावी पदार्थों के संबंध में वाशिंगटन डीसी, यूएसए में कार्यबलों की आईएनसीबी बैठकों, दिनांक 25–26 अप्रैल, 2019 को बिस्केक, किर्गिस्तान में स्वापक नियंत्रण एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक; दिनांक 27–28 जून, 2019 को नई दिल्ली में अवैध वित्तीय प्रवाह के संबंध में पेरिस पैक्ट विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक; दिनांक 7.8.2019 को नई दिल्ली में बांग्लादेश के साथ गृह मंत्री स्तरीय वार्ताएं; दिनांक 28–30 अगस्त, 2019 को वियना, आस्ट्रिया में मादक पदार्थों के आंकड़ों और एआरक्यू में सुधार संबंधी विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक; दिनांक 11–13 सितम्बर, 2019 तक वियना, आस्ट्रिया में गैर–चिकित्सीय सिंथेटिक ओपिओयड की तस्करी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूहों की दूसरी बैठक (ईजीएम); दिनांक 16–18 अक्टूबर, 2019 को वियना, आस्ट्रिया में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक; दिनांक 22–25 अक्टूबर, 2019 को बैंकॉक, थाईलैंड में एचओएनएलईए, एशिया और द पेसिफिक की 43वीं बैठक आदि में भाग लेने के लिए वरिष्ठ रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए।



दिनांक 27–28 मई, 2019 को यूएनओडीसी और आईएनसीबी के समन्वय में भारत, घाना और नाइजीरिया के बीच त्रिपक्षीय बैठक

(स्रोतः एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली)



दिनांक 09–10 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में एनसीबी, भारत और सीसीडीएसी, म्यांमार के बीच चौथी डीजी स्तरीय वार्ता

(स्रोतः एनसीबी मुख्यालय, नई दिल्ली)

*****

अध्याय-10

आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत विश्व में क्षेत्र–वार सातवां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या–वार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश तथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण–पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण–पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए इस देश की भू–सीमा एशिया क्षेत्र के छः देशों से और समुद्री सीमा चार देशों से मिलती है। अलग–अलग कृषिगत जलवायु और जलीय मौसम विज्ञानी जैव मंडल के साथ–साथ पर्वतों, समतल भूमि और तराई की विविधता के फलस्वरूप भारत बड़े पैमाने पर आपदाओं के प्रति प्राकृतिक रूप से संवेदनशील है। सामान्य रूप से अनुभव की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बादल फटना, लू चलना, भू–स्खलन, मृदा–स्खलन और हिम–स्खलन, दावानल, समुद्री तट कटाव और जल भराव, सुनामी, बिजली गिरना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विश्व में किसी अन्य देश की तरह भारत भी रासायनिक, जैविक, रेडियोएक्टिव और आणविक (सीबीआरएन) आपात स्थितियों जैसी नई और उभरती हुई आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। मानवजनित आपदाओं में आतंकवाद और भगदड़ भी नई आपदाएं हैं।

10.2 भारत में आपदा का जोखिम जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती सहित तेजी से शहरीकरण, पर्यावरण क्षति, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवासन और पशु व्यापार के कारण उत्पन्न महामारी और वैश्विक महामारी इत्यादि के परिणामस्वरूप और अधिक बढ़ जाता है। आपदाएं हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या और सतत् विकास के राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रभाव डालती हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.3 आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की दशा में लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। लॉजिस्टिक सहायता में वायुयानों, नावों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सशस्त्र बलों के विशेष दलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवसंरचनागत सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है।

10.4 सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण में आदर्शवादी परिवर्तन लाकर राहत–केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आपदा प्रबंधन के पूरे परिवेश, रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि आपदा न्यूनीकरण को विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

10.5 भारत सरकार ने आपदाओं और उससे संबंधित अथवा तत्संबंधी मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम, 2005) अधिनियमित किया था। इसमें आपदा

प्रबंधन की योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र निर्धारित किया गया है जिससे आपदाओं के प्रभाव को रोकने और उन्हें कम करने तथा आपदा की किसी भी परिस्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के संबंध में सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय किया जाना सुनिश्चित होता है। अधिनियम के कार्यान्वयन में अवरोधों/ अड़चनों के बारे में विभिन्न हितधारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, गृह मंत्रालय ने विद्यमान अधिनियमों और विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अध्ययन के लिए एक कार्य बल का गठन किया था ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की जा सके। मंत्रालय द्वारा कार्य बल की सिफारिशों पर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक समग्र संशोधन प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन है।

गृह मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत अभियान का समन्वय

10.6 राष्ट्रीय आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि और कीट हमला, जिसकी देखरेख कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाती है, को छोड़कर) के प्रबंधन के लिए भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्रभाग (डीएम प्रभाग) यह कार्य करता है।

10.7 प्रत्येक आपदा की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने में प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग भारत सरकार की लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता के रूप में समय पर हस्तक्षेप करते हुए आपदा और आपदा जैसी स्थिति की गहन निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए, एक ओर प्रभावित राज्यों के साथ और दूसरी ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन संपर्क स्थापित किया जाता है।

10.8 भारत ने अपने सतत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के संबंध में अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है। हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में विकास आयोजन के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की योजनाओं को शामिल करने की आवश्यकता का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय योजना में एक सुरक्षित और आपदा–रोधी भारत का निर्माण करने की कोशिश की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन पद्धतियों, तैयारी, निवारण और कार्यवाही तंत्र में काफी सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान होने वाली मौतों में भारी कमी हुई है।

10.9 आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी आपात स्थिति के दौरान समय पर कार्रवाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने एक वाट्सअप ग्रुप बनाया है, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, पूर्व चेतावनी एजेंसियों, कार्रवाई बलों के अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी/सावधानियों को समय पर जारी करने और बचाव एवं राहत प्रयासों का समन्वय करने में यह ग्रुप बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

10.10 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय ने अनेक बचाव और राहत अभियानों का समन्वय किया। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक देश के विभिन्न भागों में आई बड़ी आपदाओं और गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क. **वर्ष 2019 के दौरान बाढ़ की स्थिति:–**

10.11 मानसून की शुरूआत से पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्री–पोजीशनिंग प्लान, प्रभावशाली कार्रवाई हेतु परिचालनात्मक तैयारी जैसे तैयारी के उपायों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 21–22 मई, 2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत कमिशनरों/सचिवों का एक दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान, देश के

विभिन्न भागों में भारी वर्षा से असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और गोवा राज्य भारी वर्षा/भूस्खलन और बाढ़ों से प्रभावित हुए थे। राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके मानसून–2019 की शुरूआत से पहले ही बाढ़ प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 83 टीमों की पूर्व तैनाती की गई थी। जब कभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुरोध किया गया, तो एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गई थीं। जब बाढ़ की स्थिति अपने चरम पर थी, तो गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ की 175 टीमें तैनात की थी।

10.12 गृह मंत्रालय में 24X7 आधार पर बाढ़ की स्थिति की निगरानी उच्च स्तर पर की गई थी। गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत प्रयासों का समन्वय किया तथा जब कभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुरोध किया गया, तो बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायु सेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक के संसाधनों की तैनाती/मॉबलाइजेशन किया गया। बहाली और राहत कार्य चलाकर राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी सक्रिय किया गया।

10.13 नियमित आधार पर स्थिति की लगातार समीक्षा के अतिरिक्त, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 11.08.2019 को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एक हवाई सर्वेक्षण किया। देश में बाढ़ के मद्देनजर किए गए बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 09.08.2019 को माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

ख. चक्रवात

(i) अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान 'फनी':–

10.14 अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान 'फनी' (फोनी के रूप में उच्चारित) दिनांक 3 मई, 2019 को ओडिशा के तट से टकराया जिसमें हवा की गति लगभग 175–185 किमी./घंटा थी और 205 किमी./घंटा की गति से हवा के झोंके लग रहे थे। इस चक्रवात ने तीन राज्यों नामतः ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। गृह मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों को पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता पहुंचाई जिसमें तत्काल बचाव, निकासी और राहत उपायों के लिए आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 71 टीमों (ओडिशा में 50 टीमों, आंध्र प्रदेश में 12 टीमों और पश्चिम बंगाल में 09 टीमों) की तैनाती शामिल थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और नौसेना के संसाधनों की तैनाती का भी समन्वय किया। वायुसेना और सेना के अतिरिक्त संसाधनों को स्टेंडबाय रखा गया था। मानव जीवन की क्षति को रोकने के लिए, ओडिशा में 15,57,170 व्यक्तियों, आंध्र प्रदेश में 17,460 व्यक्तियों और पश्चिम बंगाल में 2,34,801 व्यक्तियों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा में 64 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई तथा मकान, विद्युत, दूरसंचार, सड़क एवं यातायात, अवसंरचना और कृषि जन्य फसलें इत्यादि बुरी तरह से प्रभावित हुई।

10.15 गृह मंत्रालय ने राज्यों को राहत उपायों में सहायता प्रदान करने तथा विद्युत, जल आपूर्ति, सड़क, संचार आदि जैसी सेवाओं को बहाल करने के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों यथा विद्युत मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय को भी सक्रिय किया। हेल्पलाइन नम्बर 1938 भी शुरू किया गया। पूर्व सावधानी और तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य सरकार को नियमित एडवाइजरी जारी की गई थीं।

10.16 माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 02.05.2019 को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चक्रवात फनी से निपटने के लिए सभी एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की। चक्रवात 'फनी' के दौरान, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने दिनांक 29 अप्रैल से 10 मई, 2019 तक दैनिक आधार पर 11 बैठकें आयोजित की तथा स्थिति की निगरानी और

समन्वय किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सभी प्रभावित राज्यों को नियमित सटीक भविष्यवाणियां एवं चेतावनी बुलेटिन जारी किये।

10.17 चक्रवात 'फनी' के दौरान राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत निर्मित चक्रवात संबंधी आश्रय और पूर्व चेतावनी प्रणाली अत्यधिक मददगार सिद्ध हुई।

10.18 भारत की पूर्व चेतावनी प्रणालियों और इसके द्वारा 15.5 लाख से अधिक लोगों की शीघ्र निकासी, जिसने भीषण चक्रवात से जीवन की क्षति को कम करने में सहायता पहुंचाई, के लिए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विभिन्न देशों तथा क्षेत्र विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है। वर्ष 1999 में, इसी ओडिशा राज्य से एक भीषण सुपर–चक्रवात टकराया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस बार केंद्र एवं राज्य सरकार के भलीभांति–समन्वित प्रयासों, बेहतर भविष्यवाणी मॉड्यूलों, पूरी तट रेखा पर बनाए गए चक्रवात आश्रयों सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश, लोक जागरूकता अभियानों और निकासी के अच्छे अभ्यास इत्यादि के कारण भारत फनी के प्रकोप के बुरे प्रभाव से राज्य को बचाने में सफल हुआ।

10.19 केंद्र सरकार ने चक्रवात फनी से प्रभावशाली ढंग से निपटने में राज्य को अपेक्षित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान की। राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 29.04.2019 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से 1086 करोड़ रु. की सहायता का अपना अंशदान (ओडिशा को 340.875 करोड़ रु., आंध्र प्रदेश 200.25 करोड़ रु., पश्चिम बंगाल को 235.50 करोड़ रु. और तमिलनाडु को 309.375 करोड़ रु.) अग्रिम रूप में जारी किया है।

10.20 इसके अतिरिक्त, चक्रवात 'फनी' के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई ओडिशा की यात्रा के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने दिनांक 07.05.2019 को ओडिशा राज्य सरकार को 'खाते के आधार पर' एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से अतिरिक्त 1000 करोड़ रु. जारी किए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्राप्ति से पहले ही एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) गठित की। आईएमसीटी ने चक्रवात 'फनी' से हुई क्षतियों का मौके पर आकलन करने के लिए राज्य का दो बार दौरा किया।



15.27 02 मई, 19. ट्विटर फॉर आईफोन

चक्रवात फनी से संबंधित तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री

(स्रोतः प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट)

10.21 आईएमसीटी की रिपोर्ट तथा एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के मौजूदा दिशानिर्देशों और मदों एवं मानदण्डों की शर्तों के आधार पर, केंद्र सरकार ने चक्रवात 'फनी' के लिए एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता के रूप में 3338.22 करोड़ रु. की राशि का अनुमोदन प्रदान किया।

(ii) चक्रवात 'वायु'

10.22 जून, 2019 में, बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान 'वायु' से गुजरात राज्य के तट के प्रभावित होने की संभावना थी। इस स्थिति की 24X7 आधार पर गृह मंत्रालय में शीर्ष स्तर पर समीक्षा की गई। पूर्व सावधानी और तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए राज्य को गृह मंत्रालय द्वारा नियमित एडवाइजरी जारी की गईं। 52 एनडीआरएफ टीमों (गुजरात में 47 टीमों और दीव में 05 टीमों) की पूर्व तैनाती की गई तथा वायुसेना, नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के संसाधनों को अलर्ट रखा गया था। एनडीआरएफ दलों ने लोगों को संवेदनशील स्थानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में गुजरात और दीव प्रशासन की सहायता की।

10.23 चक्रवात (वायु) के बारे में सभी संबंधितों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा नियमित भविष्यवाणी बुलेटिन जारी किए गए थे। गृह मंत्रालय ने राहत सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को सक्रिय किया। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबंधित एजेंसियों के तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव जीवन की कोई क्षति न हो, महत्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति कम से कम हो और चक्रवात के बाद सभी आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली हो। मंत्रिमंडलीय सचिव ने दिनांक 11.06.2019 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक की अध्यक्षता की और संबंधित राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियों की तैयारी की समीक्षा की। गृह सचिव ने दिनांक 12.06.2019 को राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

10.24 चक्रवात वायु कमजोर पड़ गया और गहरे अवसाद के रूप में सौराष्ट्र तथा कक्ष के तटीय क्षेत्र में पहुंचा। गुजरात राज्य सरकार और दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस चक्रवात के कारण मानव जीवन और सम्पत्ति की कोई क्षति नहीं हुई।

(iii) चक्रवात महा

10.25 अक्तूबर, 2019 में, मालदीव कोमोरिन क्षेत्रों के ऊपर एक वायु दबाव बना, जो चक्रवाती तूफान में बदल गया। चक्रवात की शुरूआत से ही, गृह मंत्रालय द्वारा 24X7 आधार पर स्थिति की निगरानी की गई। चेतावनी प्राप्त होने पर, तैयारी और प्रतिक्रियात्मक उपाय करने के लिए सभी संबंधितों को नियमित एडवाइजरी जारी की गई थीं। दिनांक 31.10.2019 को यह चक्रवात लक्षद्वीप से गुजरा और लक्षद्वीप में थोड़ी सी क्षति पहुंचाई। तत्पश्चात, यह चक्रवात दोबारा घूम गया और इसके गुजरात के दक्षिणी तट से टकराने की संभावना की परिकल्पना करते हुए गृह मंत्रालय ने गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दमण एवं दीव में एनडीआरएफ की 40 टीमें तैनात की। चक्रवात के शांत हो जाने पर आवश्यक सेवाओं की बहाली और राहत उपाय करने में प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को सक्रिय किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थिति से निपटने के लिए तटरक्षक सहित सैन्य बलों की टीमों को भी सतर्क किया गया था। तट पर पहुंचने से पहले दिनांक 07.11.2019 को इस चक्रवात का दबाव अत्यधिक कम हो गया। इस चक्रवात से जीवन की कोई क्षति नहीं हुई।

(iv) चक्रवात बुलबुल

10.26 दिनांक 09.11.2019 को भीषण चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' ने सुंदरबन ढांची जंगल के निकट पश्चिम बंगाल तट को पार किया, जिससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के विभिन्न भागों में भारी वर्षा हुई। गृह मंत्रालय ने चक्रवात के शुरूआत से ही स्थिति को मॉनीटर

किया और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्य सरकारों को नियमित तौर पर एडवाइजरी और चेतावनी जारी की। बचाव और राहत कार्यों में राज्य प्रशासन की सहायता करने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 16 टीमों की पूर्व तैनाती की गई। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) की आपदा कार्रवाई टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। महत्वपूर्ण सेवाओं की बहाली के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता पहुंचाने हेतु संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी सक्रिय किया गया। प्रारंभिक अनुमान के आधार पर, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 11 मानव जीवन की क्षति तथा कृषीय फसलों, संचार, विद्युत और अवसंरचना के नुकसान की सूचना दी है। ओडिशा राज्य सरकार ने मानव जीवन के किसी नुकसान की सूचना नहीं दी है।

इस वर्ष के दौरान आपदाओं से हुई क्षति

10.27 वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चक्रवाती तूफानों/तेज बाढ़/बाढ़ों/भूस्खलनों/बादल फटने आदि से अलग–अलग मात्रा में हुई क्षति की सूचना दी है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर और अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी हैं। वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, देश में हुई क्षति की मात्रा (अनंतिम) निम्नानुसार है:

मानव जीवन क्षति की संख्या	2391
प्रभावित जानवरों की संख्या	15,729
क्षतिग्रस्त मकान	8,00,067
प्रभावित फसलीय क्षेत्र (लाख हेक्टे.)	63.975 लाख हेक्टे.

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत कमिश्नर और सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

10.28 दक्षिण–पश्चिमी मानसून, 2019 हेतु तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत कमिश्नर/सचिवों का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 18.05.2019 और 19.05.2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आपातकालीन सहायता संबंधी कार्य करने वाले विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।

10.29 सम्मेलन में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर और भविष्यवाणी करने वाली एजेंसियों अर्थात भारतीय मौसम विज्ञान (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारतीय भू–सर्वेक्षण (जीएसआई), एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ गहन समन्वय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वित्तीय तंत्र

10.30 राहत संबंधी व्यय के वित्तपोषण की स्कीम उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्तमान स्कीम, जो वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक लागू है, चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों पर आधारित है। एफएफसी ने यह सिफारिश की है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए हिमस्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकंप, सुनामी, आगजनी, बाढ़, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, कीट हमलों और शीतलहर/ पाला पड़ने को प्राकृतिक आपदा माना जाए। भारत सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गठन तथा प्रशासन के बारे में दिनांक 30.07.2015 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मानदंड वेबसाइट www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.31 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने एसडीआरएफ के संचालन हेतु राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य राहत निधियों के लिए आवंटन, उत्तरवर्ती वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। विभिन्न राज्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु निधियों का आवंटन करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाता है, उनमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राज्य की सुभेद्यता, राज्य की आर्थिक स्थिति और लगभग पिछले 10 वर्षों के दौरान राहत अभियानों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय इत्यादि शामिल है। वर्तमान में, एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 33,580.93 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015–16 से 2019–20 के लिए सभी राज्यों के राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) में 61,220 करोड़ रु. (केंद्रीय अंश के रूप में 47,029.50 करोड़ रु. और राज्य अंश के रूप में 14,190.50 करोड़ रु.) के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) की स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय अंश को जून और दिसम्बर माह में दो बराबर किश्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2015–20 की अवधि के लिए एसडीआरएफ में राज्य–वार और वर्ष–वार आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक–IX में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

10.32 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी चुनौतीपूर्ण आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.09.2010 को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.33 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, एक अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीम, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, गठित की जाती है। इस टीम की रिपोर्ट की जांच राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप समिति द्वारा की जाती है। उप समिति की सिफारिशों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उनके विचार हेतु और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से निधियों के अनुमोदन हेतु रखा जाता है।

10.34 सरकार ने गंभीर प्रकृति की किसी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप और राज्य सरकार से ज्ञापन की प्राप्ति से पहले ही अंतर–मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के शीघ्र गठन के लिए दिनांक 19.08.2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी, ताकि हुई क्षतियों और राज्य प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत कार्य का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके। इससे पहले, आईएमसीटी ज्ञापन की प्राप्ति के पश्चात प्रभावित राज्य का दौरा करती थी।

10.35 वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की राज्य आपदा मोचन निधि की कुल मात्रा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार है। प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ के कुल वार्षिक आवंटन में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75:25 और पूर्वोत्तर (एनई) एवं पहाड़ी राज्यों हेतु 90:10 है।

10.36 वर्ष 2019–20 के लिए, एसडीआरएफ में आवंटन 13,465.00 करोड़ रु. है जिसमें से 10343.50 करोड़ रु. भारत सरकार का केंद्रीय अंश है और 3121.15 करोड़ रु. राज्य सरकारों का अंश है। वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान, 27 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश के रूप में प्रथम किस्त की 6147.655 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के केंद्रीय अंश की 1920.68 करोड़ रु. की दूसरी किस्त 08 राज्यों को जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 08 राज्यों को एनडीआरएफ से 11708 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा

मोचन निधि से जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला एक राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–X में दिया गया है।

केंद्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य करने वाले नोडल अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला

10.37 माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों पर, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में आपदा प्रबंधन से संबंधित नोडल अधिकारियों की जागरूकता हेतु एक दो–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी, जिसका आयोजन दिनांक 10 और 11 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में हुआ था। लगभग 120 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ तथा एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) सहित तकनीकी संस्थान और प्रीमियम प्रशिक्षण संस्थान शामिल थे।



कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान उच्च पदाधिकारी
दाएं से बाएं: श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए, ले. जन. (सेवानिवृत्त), एन.सी. मारवाह, सदस्य, एनडीएमए, श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए, श्री संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) और मे. जन. मनोज के. बिंदल कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

(स्रोतः आपदा प्रबंधन प्रभाग)

10.38 इस कार्यशाला का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी आपदा प्रबंधन के ढांचे; सेंडाई फ्रेमवर्क के बीच सामंजस्य, निरंतर विकास संबंधी लक्ष्य (एसडीजी) और पेरिस समझौते; आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक दृष्टिकोण और मंत्रालय विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के बारे में नोडल अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना था। इन योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण के उपाय, क्षमता निर्माण संबंधी तैयारी और आपदाओं के प्रभावशाली प्रबंधन हेतु कार्रवाई शामिल होगी।

10.39 एनडीएमए, एनआईडीएम के सदस्यों और पेशेवरों तथा आपदा जोखिम और उपशमन, उपकरणों और रणनीतियों के विभिन्न पहलुओं का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुतिकरण और उनकी चर्चाओं का लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारियों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को समझने में सक्षम बनाना था। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रतिरोध, भवन और संरचना संबंधी सुरक्षा, मानव–निर्मित आपदाओं, प्रशासन और वित्तीय लिखतों, सहभागिता दृष्टिकोण और सरकार की योजनाओं तथा स्कीमों में आपदा प्रबंधन को शामिल करने इत्यादि मामलों पर चर्चा की गई।

संस्थागत तंत्र

I. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

10.40 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उद्देश्य हेतु स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं। इसमें नौ सदस्यों तक का प्रावधान है, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जा सकता है। वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नलिखित चार सदस्य शामिल हैं – (1) श्री जी.वी.वी. शर्मा, सदस्य सचिव, एनडीएमए (2) ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मारवाह, सदस्य, (3) डॉ. डी.एन. शर्मा, सदस्य और (4) श्री कमल किशोर, सदस्य।

10.41 एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा प्रबंधन पर नीतियां निर्धारित करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी अपनी योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा प्रबंधन को समेकित करने के लिए उन्हें दिशानिर्देश जारी करने सहित अनेक कार्य/पहलें करता है। यह उन दिशानिर्देशों को भी निर्धारित करता है जिनका अनुपालन राज्यों द्वारा अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने, योजना तैयारियों, आपदा न्यूनीकरण उपाय करने और क्षमता वृद्धि हेतु पहल करने के लिए किया जाना है।

10.42 एनडीएमए ने, अपने गठन के समय से लेकर अब तक, आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर 30 दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों की सूची अनुलग्नक–XI में दी गई है। यह एनडीएमए की वेबसाइट (www.ndma.gov.in) पर "एनडीएमए दिशानिर्देश" लिंक के तहत उपलब्ध है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाएं

10.43 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 01.06.2016 को जारी की गई थी। एनडीएमपी में आपदा प्रबंधन के सभी चरण शामिल हैं: निवारण, न्यूनीकरण, कार्रवाई और रिकवरी। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्दई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) से सम्बद्ध है। यह दस्तावेज "नीति एवं योजना–राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना" लिंक के तहत एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एसएफडीआरआर, एसडीजी और सीओपी21 के बीच सामंजस्य बनाने और मुख्य धारा में शामिल करने तथा समावेशी डीआरआर के लिए इसमें व्यापक संशोधन किया गया है। संशोधित योजना को एनडीएमए द्वारा अक्टूबर, 2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया था और यह एनडीएमए की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

10.44 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं (एसडीएमपी) तैयार की हैं और एनडीएमए के साथ साझा की हैं।

10.45 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीएमपी) की तैयारी को सुविधाजनक बनाने हेतु, एनडीएमए ने "भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए आपदा प्रबंधन हेतु सुझाई गई संरचना" तैयार की है जो "नीति एवं योजना–केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की आपदा प्रबंधन योजना" लिंक के तहत एनडीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएमपी की तैयारी से संबंधित मामले पर (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 37 के अनुसार) उनके साथ नियमित आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

10.46 भारत सरकार के 32 मंत्रालयों/विभागों अर्थात् (i) पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, (ii) रेल मंत्रालय, (iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), (iv) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), (v) विद्युत मंत्रालय, (vi) इस्पात मंत्रालय, (vii) खान मंत्रालय, (viii) भारी उद्योग विभाग, (ix) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), (x) नागर विमानन मंत्रालय, (xi) परमाणु ऊर्जा विभाग, (xii) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, (xiii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, (xiv) दूरसंचार विभाग (डीओटी), (xv) अंतरिक्ष विभाग, (xvi) न्याय विभाग, (xvii) कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग, (xiii) आयुष मंत्रालय, (xix) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमओआईएंडबी) (xx) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, (xxi) उर्वरक विभाग, (xxii) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, (xxiii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), (xxiv) युवा कार्यक्रम विभाग, (xxv) पेयजल और स्वच्छता विभाग, (xxvi) संस्कृति मंत्रालय, (xxvii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), (xxviii) गृह मंत्रालय, (xxix) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (xxx) वाणिज्य विभाग, (xxxi) कोयला मंत्रालय, (xxxii) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपनी–अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं (डीएमपी) तैयार कर ली हैं।

एनडीएमए का 15वां स्थापना दिवसः

10.47 एनडीएमए ने दिनांक 27.09.2019 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय अग्नि सुरक्षा था। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

10.48 इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:

i. भारत में अग्नि जोखिम

ii. अग्नि निवारण और उपशमन

iii. संस्थागत चुनौतियां और मुद्दें

10.49 स्टेकहोल्डरों ने देश में अग्नि जोखिम, इसके निवारण और उपशमन, अग्नि जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संस्थागत चुनौतियों तथा आगे की कार्रवाई पर चर्चा की।



श्री जी. किशन रेड्डी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

(स्रोतः एनडीएमए)

10.50 इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज/सामग्री जारी की गईः

- दिव्यांगता निहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु दिशानिर्देश
- अस्थायी आश्रयों संबंधी दिशानिर्देश
- भूकंप और चक्रवात सुरक्षा के लिए गृह स्वामी का मार्गदर्शन
- "गाजा" चक्रवात– 2018 के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट
- 100 शहरों के लिए हीट वेव के प्रारम्भिक अनुमान का अध्ययन
- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति
- क्या करें और क्या नहीं करें, की पॉकिट बुक
- भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक
- भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके किसी आपदा में कैसे बचा जाए के बारे में सुझाव संबंधी वीडियो की एक श्रृंखला
- विभिन्न आपदाओं के बारे में क्या करें और क्या नहीं करें, से संबंधित पॉकिट बुक

10.51 एनडीएमए ने मूक और बधिर व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए विभिन्न आपदाओं के संबंध में ऑडियो–वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाने वाली अपनी सामग्री में सांकेतिक भाषा को शामिल किया है।



डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने इस अवसर पर समापन भाषण दिया

(स्रोतः एनडीएमए)

II. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

10.52 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.10.2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा सहित क्षमता संवर्धन, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति नियोजन की नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनांक 16.10.2003 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र से अपग्रेड होकर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सभी स्तरों पर निवारण और तैयारी की कार्यनीति को विकसित और प्रोत्साहित करके आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने तथा एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उभरने के अपने मिशन को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं तथा इसके शासी निकाय की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के उपाध्यक्ष करते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

10.53 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, एनआईडीएम, नई दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने 74 फेस–टू–फेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 3,457 सहभागियों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने राष्ट्रीय स्तिर पर 24 कार्यशालाएं/सेमिनार/अन्य गतिविधियां भी आयोजित कीं, जिनमें 1,357 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार, 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे हो गए हैं और 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान एनआईडीएम द्वारा संचालित कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुलग्नक–XII में दिए गए हैं।

III. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

10.54 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने आपदाओं अथवा आपदा जैसी स्थितियों के प्रति विशेष कार्रवाई के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का गठन किया है। एनडीआरएफ को वर्ष 2006 में शुरू में 08 बटालियनों के साथ गठित किया गया था जिन्हें संवेदनशीलता के प्रोफाइल के आधार पर देश के भिन्न–भिन्न भागों में तैनात किया गया था। वर्ष 2010 में 2 और बटालियनें बनाई गईं और वर्ष 2015 में 02 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गई हैं। अब तक, एनडीआरएफ में 12 बटालियनें हैं जिनमें प्रत्येक में 1,149 कार्मिक हैं। यह बल, रासायनिक, जैविक, रेडियो–धर्मी, आणविक (सीबीआरएन) आपदाओं सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप में सक्षम, ओजस्वी, बहु–कौशलयुक्त, उच्च तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र बल के रूप में उभरा है। ये 12 बटालियनें भटिंडा (पंजाब), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), वडोदरा (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), अराक्कोनम (तमिलनाडु), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), मुंडाली (ओडिशा), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और दोइमुख (अरुणाचल प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीमों को आपदाओं के मामले में कार्रवाई के समय को कम करने के लिए 23 भिन्न–भिन्न रणनीतिक स्थानों में तैनात किया गया है। सरकार ने अगस्त, 2018 में एनडीआरएफ की चार (04) अतिरिक्त बटालियनों के गठन का अनुमोदन प्रदान किया है।

एनडीआरएफ द्वारा खोज और बचाव अभियान

10.55 दिनांक 01.04.2019 से 30.12.2019 तक की अवधि के दौरान, एनडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न आपदाओं/आपातकालीन स्थिति के दौरान बचाव अभियान चलाए और 1,07,309 बहुमूल्य जानें (16,069 लोगों को बचाया गया और 91,240 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया) और 3,149 पशुओं को बचाया गया तथा 601 शव बरामद किए।



त्रिपुरा बाढ़ में बाढ़ राहत अभियान के दौरान एनडीआरएफ (स्रोतः एनडीआरएफ)

एनडीआरएफ की अभियान संबंधी उपलब्धि का घटना–वार सार

(दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019)

क्र.सं.	घटनाओं के प्रकार	उपलब्धियां			
		बचाए गए	निकाले गए	शव	पशु
1.	बाढ़	15923	83039	197	617
2.	डूबने के मामले	8	3	284	1
3.	भूस्खलन	0	20	5	0
4.	ट्रेन दुर्घटनाएं	1	0	0	0
5.	भवन ढहना तलाशी और बचाव (सीएसएसआर)/भवन ढहना	14	0	40	0
6.	नाव पलटना	3	0	34	0
7.	बोर-वेल की घटनाएं	2	0	3	0
8.	मेला/उत्सव	5	0	0	0
9.	आगजनी की घटना	0	0	6	0
10.	वाहन संबंधी घटनाएं	2	0	21	0
11.	चक्रवात	81	8166, इसके अतिरिक्त, चक्रवात "फनी" के दौरान 15.5 लाख प्रभावित व्यक्तियों को बचाकर निकालने में ओडिशा के राज्य प्राधिकारियों की मदद की और "चक्रवात" "वायु" के दौरान गुजरात में 2.78 लाख लोगों की सहायता करना।	1	2491
12.	अन्य घटनाएं	30	12	10	40
कुल		16069	91240	601	3149

IV. नागरिक सुरक्षा

10.56 नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत भारत या इसके किसी भू–भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, उसके दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं। इसमें आपदा प्रबंधन हेतु किए गए उपाय भी शामिल हैं।

10.57 कुछ वेतन भोगी स्टाफ और संस्थापना, जिसमें आपातस्थिति में वृद्धि की जाती है, को छोड़कर, नागरिक सुरक्षा का आयोजन बुनियादी तौर पर स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। इस समय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाने का लक्ष्य 14.11 लाख रखा गया है, जिसमें से 5.38 लाख नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाए जा चुके हैं।

10.58 देश में नागरिक सुरक्षा नीति तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अपनी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण तथा उपस्कर के लिए अधिकृत वस्तुओं पर उनकी राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति और असम सहित अन्य राज्यों द्वारा किये गए व्यय के 25% की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों के अनुसार अनुदान सहायता के रूप में करती है।

10.59 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ने नागरिक सुरक्षा के गठन, उपस्कर और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में 8.00 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी)

10.60 नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीसीडी) की स्थापना तत्कालीन राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के कार्यों सहित नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी नीतिगत और योजनागत मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय में 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पदनाम बदलकर अब महानिदेशक (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) (डीजी – एफएस, सीडी एंड एचजी) कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नागपुर का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, अकादमी में विलय हो गया, जो इस समय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

होमगार्ड

10.61 'होमगार्ड' एक स्वैच्छिक बल है, जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में नागरिक अशांति एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों का होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक बल में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक–आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों के निर्वहन में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में कार्य करना होमगार्डों की भूमिका है।

10.62 होमगार्ड दो प्रकार के हैं– ग्रामीण और शहरी। सीमावर्ती राज्यों में, सीमा विंग होमगार्ड (बीडब्ल्यूएचजी) की बटालियनें भी गठित की गईं हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार देश में होमगार्डों की कुल अनुमानित संख्या 5.74 लाख है, जबकि इसकी गठित नफरी 4.43 लाख है। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.63 केन्द्र सरकार होमगार्ड्स संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करती है। सामान्य तौर पर होमगार्ड्स को गठित करने, प्रशिक्षित करने और सुसज्जित करने के लिए अधिकृत वस्तुओं पर निर्धारित दरों के अनुसार होने वाला व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में प्रतिपूर्ति आधार पर विभाजित किया जाता है। असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी का पैटर्न 50:50 के अनुपात में है। तथापि, होमगार्ड के सीमा विंग के संबंध में अधिकृत वस्तुओं पर होने वाले व्यय को पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 100:0 के अनुपात में वहन किया जाता है।

V. अग्निशमन सेवा

10.64 अग्निशमन सेवाओं का संचालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

10.65 भारत के संविधान की XII अनुसूची में अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) के अंतर्गत अग्नि शमन एक नगरपालिका संबंधी कार्य है जिसमें नगरपालिका को अग्नि शमन सुरक्षा के संबंध में योजनाएं तैयार करने की शक्ति प्रदान की गई है और अग्निजन्य दुर्घटना से जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की होती है।

10.66 गृह मंत्रालय महानिदेशक–एफएस, सीडी एंड एचजी के माध्यम से अग्नि सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए एक परामर्शी भूमिका निभाता है।

10.67 गृह मंत्रालय में वर्ष 1958 में आदर्श अग्निशमन बल विधेयक परिचालित किया था। उपर्युक्त आदर्श विधेयक के आधार पर, अधिकतर राज्यों ने अपने अग्निशमन सेवा अधिनियम अधिनियमित किए हैं और नियम तैयार किए हैं।

10.68 समय के साथ–साथ अग्निशमन सेवाओं की भूमिका में परिवर्तन आया है। अग्निशमन स्थायी परामर्शी परिषद (एसएफएसी) ने अपनी 22वीं बैठक में एक उप समिति नामतः "आग रोकथाम और विधान समिति" गठित की थी। अगस्त, 2005 में आयोजित अग्निशमन स्थायी परामर्शी परिषद (एसएफएसी) की 31वीं बैठक के दौरान, आदर्श अग्निशमन बल विधेयक को अपडेट करने की नितांत आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था ताकि बहु–जोखिम कार्रवाई यूनिट के रूप में आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका समेत अग्निशमन सेवाओं से संबंधित सभी मुद्दों का निराकरण किया जा सके और राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियम में भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता का प्रावधान किया जा सके।

10.69 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्टेकहोल्डरों के साथ एक परामर्शी प्रक्रिया शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवाएं अधिनियम की समीक्षा भी की गई थी। स्टेकहोल्डरों के साथ किये गये विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के रख–रखाव के संबंध में एक आदर्श विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम/नियमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तैयार/अपडेट करने के लिए दिनांक 16.09.2019 को परिचालित किया गया था।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज (एनएफएससी)

10.70 अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। इस कॉलेज के अग्निशमन इंजीनियरों को आग की रोकथाम और आग से सुरक्षा के कार्य हेतु भारत और विदेश में रखा जाता है। यह कॉलेज आपदा प्रबंधन के लिए अग्निशमन ग्राउंड अभियानों, पराचिकित्सीय और वास्तविक जीवन स्थितियों पर भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कॉलेज में आग की रोकथाम और आग से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकारों, नगर निगमों, फायर ब्रिगेडों, पोर्ट ट्रस्टों, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन इंजीनियरों/अधिकारियों का अतिथि संकाय पैनल है। वर्ष के दौरान, समस्त भारत से 735 सेवारत अग्निशमन कार्मिकों और इंजीनियरिंग छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण दिया गया। अपनी स्थापना के समय से इस कॉलेज ने 20,574 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया है। यह कॉलेज फायर इंजीनियरिंग विज्ञान में एक चार वर्षीय बी.ई. डिग्री कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त है और राष्ट्र–संत तुकादोजी महाराज (आर.टी.एम.) नागपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 में संचालित किए जाने के लिए जोखिमपूर्ण सामग्री (हजमत) पर अल्पावधिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम, आपातकालीन कार्रवाई पाठ्यक्रम, कार्रवाई करने वालों के लिए मेडिकल लाइफ स्पोर्ट पाठ्यक्रम और आपदा प्रबंधन के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम इत्यादि की योजना बनाई गई है। इस कॉलेज में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में 400 उप–अग्निशमन अधिकारियों के अतिरिक्त व्यवसायिक

पाठ्यक्रमों में 246 फायर इंजीनियरों और 150 अग्निशमन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है।

10.71 राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर के स्तरोन्नयन के लिए 205 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक योजना जून, 2010 में आरंभ की गई थी। इस योजना की संशोधित अनुमानित लागत 235.99 करोड़ रु. है। इस योजना का समग्र उद्देश्य अग्नि रोकथाम, अग्नि–सुरक्षा और अग्निशमन, बचाव, आपदा की स्थिति में विशेषीकृत आपातकालीन कार्रवाई इत्यादि पहलुओं पर विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉलेज की क्षमता को बढ़ाना और इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रलेखन तथा परामर्शी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। यह योजना लगभग पूरी हो गई है।

अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और सिविल डिफेंस हेतु पदक

10.72 अग्निशमन सेवाओं, सिविल डिफेंस और होम गार्ड कार्मिकों के असाधारण योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वर्ष में दो बार अर्थात् गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और सेवा पदक प्रदान करती है। स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर, अग्निशमन सेवा, होम गार्डों और सिविल डिफेंस कार्मिकों को 99 पदक प्रदान किए गए थे।

क्र.सं.	पदक का प्रकार	अग्निशमन सेवा पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या		होमगार्ड और सिविल डिफेंस पदक प्राप्तकर्ताओं की संख्या	
		गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस	गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस
i	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पदक	-	-	-	-
ii	वीरता के लिए पदक		01		0
iii	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक	-	08	-	08
iv	सराहनीय सेवा के लिए पदक	-	46	-	36
	कुल	**-**	**55**	**-**	**44**

आपदा प्रबंधन परियोजनाएं/क्रियाकलाप

क. **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी)**

10.73 भारत सरकार ने भारत के चक्रवात के खतरे की संभावना वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभावों को कम करने और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के अनुरूप लोगों और अवसंरचना को आपदा–रोधी बनाने के समग्र उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) का अनुमोदन किया था। इस परियोजना के चार घटक हैं अर्थात् (i) घटक 'क': अंतिम मील कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करते हुए पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणालियां; (ii) घटक 'ख': चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण अवसंरचना जैसेकि बहु प्रयोजनीय चक्रवात आश्रय (निकासी/पहुंच मार्ग/पुलों, सैलाइन एम्बार्कमेंट तथा अंडरग्राउंड केबलिंग); (iii) घटक 'ग': बहु आयामी जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण और (iv) घटक 'घ': परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता। घटक क, ग और घ का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त–पोषण किया जाता हैं और घटक ख का वित्त–पोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में

किया जाता है। केंद्र सरकार के घटक का वित्त–पोषण विश्व बैंक सहायता (ऋण) के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। इस परियोजना का अनुमोदन निम्नलिखित दो चरणों में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में किया गया था।

10.74 एनसीआरएमपी के प्रथम चरण का अनुमोदन 1496.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए जनवरी, 2011 में किया गया था, जिसे 5 वर्षों में पूरा किया जाना है। वर्ष 2013 में चक्रवात फैलिन से प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप अतिरिक्त अवसंरचना को शामिल करके एनसीआरएमपी चरण–। के लागत अनुमान को संशोधित करके जुलाई, 2015 में 2331.71 करोड़ रुपए कर दिया गया था और इसे पूरा करने की तारीख को संशोधित करके 31.03.2018 तक कर दिया गया था। परियोजना राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद, परियोजना लागत में मई, 2017 में पुनःसंशोधन करके उसे 2541.60 करोड़ रुपए कर दिया गया था, जिसके पूरा होने की तारीख 31.12.2018 है।

10.75 एनसीआरएमपी के चरण–।। का अनुमोदन गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2361.35 करोड़ रुपए की लागत से जुलाई, 2015 में प्रदान किया गया था और परियोजना को पूरा करने की तारीख 31.03.2020 रखी गई थी। परियोजना की लागत को संशोधित करके 2691 करोड़ रु. कर दिया गया है, जिसकी पूरा होने की तारीख दिनांक 15.03.2021 है।

10.76 एनसीआरएमपी के चरण–। के अधीन, दिनांक 31 मार्च, 2019 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 1983.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2019–20 के दौरान राज्यों को कोई निधियां जारी नहीं की गईं, क्योंकि एनसीआरएमपी चरण–। दिनांक 31.12.2018 को पूरा हो गया है। एनसीआरएमपी के चरण–।। के अधीन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक केंद्र के अंशदान के रूप में राज्यों को 1030.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्यों को 146.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

10.77 दोनों चरणों में, दिनांक 31.02.2019 तक 711 बहु–प्रयोजनीय चक्रवात–रोधी आश्रय स्थल, 1290.02 कि.मी. लंबी सड़कें, 88.12 कि.मी. लवण तटबंध तथा 34 पुल बनाए गए थे। वर्ष 2019–20 के दौरान, 38 बहु–प्रयोजनीय चक्रवात–रोधी आश्रय स्थलों, 30 कि.मी. लंबी सड़कों और 01 पुल का निर्माण किया गया था।

ख. राष्ट्रीय आपातकालीन संचार योजना (चरण–।।)

10.78 ओडिशा में वर्ष 1999 में आए भंयकर चक्रवात तथा गुजरात में 2001 में आए भूकंप से बड़े पैमाने पर हुई तबाही से यह पाया गया था कि दूर संचार व्यवस्था खराब हो जाने के परिणामस्वरूप प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संसाधनों को जुटाने में मूल्यवान समय की बर्बादी हुई थी। तदनुसार, विभिन्न स्तरों के निर्णयकर्ताओं और आपदा स्थल पर तैनात कार्रवाई दल के बीच विश्वसनीय संचार संपर्कों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल संचार योजना (एनईसीपी) तैयार की गई थी, जिसका कार्यान्व्यन दो चरणों में किया जाना था। राष्ट्रीय आपातकालीन कार्रवाई केंद्र (एनईओसी) और एनडीआरएफ बटालियनों के बीच ध्वनि/डाटा/वीडियो संचार की व्यवस्था करने के लिए एनईसीपी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को उपग्रह आधारित अनिवार्य दूर संचार उपस्करों से लैस करने की व्यवस्थाए हैं, जिनमें वीएसएटी, ट्रांसपोंडर्स, सेटेलाइट फोन आदि शामिल हैं। एनईसीपी के पहले चरण का अनुमोदन 11.28 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2004 में किया गया था। एनईसीपी के द्वितीय चरण का अनुमोदन एनडीआरएफ की 10 बटालियनों के लिए 76.789 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2011 में किया गया था।

10.79 इस दौरान वर्ष 2015 में एनडीआरएफ की दो नई बटालियनों का गठन किया गया। तदनुसार, वर्ष 2017 में एनईसीपी चरण–।। के प्रावधान को 16.4372 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय से नवगठित इन बटालियनों पर भी लागू किया गया था। एनईसीपी चरण–।। के अंतर्गत दिनांक 31.12.2019 तक 70.5783 करोड़ रु. जारी किए गए थे।

ग. अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओडीएमपी)

(i) राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी), एनडीएमए की एक केंद्र प्रायोजित निदर्शन परियोजना

10.80 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ साझेदारी में एनडीएमए द्वारा 48.47 करोड़ रु. के कुल बजटीय परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसपी)", जो भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित निदर्शन परियोजना है, का कार्यान्वयन किया गया था। आपदा संबंधी तैयारी और सुरक्षा उपायों के बारे में बच्चों और स्कूल समुदाय को अवगत कराने के लक्ष्य के साथ इस परियोजना में भूकंप जोन IV एवं V में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 चयनित जिलों में प्रत्येक जिले के 200 स्कूल (कुल 8600 स्कूल) शामिल हैं। यह परियोजना दिनांक 31.03.2019 तक परिचालन में थी।

(ii) "भारत में 25 राज्यों के चयनित 30 सर्वाधिक बाढ़ संभावित जिलों में आपदा कार्रवाई के संबंध में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र)" की योजना

10.81 एनडीएमए ने मई, 2016 में 15.47 करोड़ रु. की कुल लागत से एक केंद्रीय सेक्टर की योजना (सीएसएस) को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य भारत के 25 राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 30 सर्वाधिक बाढ़ संभावित जिलों में आपदा कार्रवाई में 6,000 समुदायिक स्वयंसेवकों (200 स्वयंसेवक प्रति जिला) को प्रशिक्षित करना है। इस परियोजना की कार्यान्वयन अवधि अब दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रथम किस्त और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दूसरी/अंतिम किस्त जारी कर दी गई है।

10.82 अब तक, 23 परियोजना राज्यों द्वारा कुल 5,116 सामुदायिक स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए गए हैं (आंध्र प्रदेश–102, अरुणाचल प्रदेश–91 असम–400, बिहार–400, गुजरात–200, हरियाणा–50, हिमाचल प्रदेश– 200, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र–200, कर्नाटक–200, केरल–200, मध्य प्रदेश–150, महाराष्ट्र–200, मणिपुर–200, मेघालय–200, मिजोरम–200, नागालैंड–200, ओडिशा–400, सिक्किम–174, तमिलनाडु–200, त्रिपुरा–200, उत्तर प्रदेश–349, उत्तराखंड–200, और पश्चिम बंगाल– 400)।

10.83 राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, एनडीएमए इस योजना को अखिल भारत में विस्तारित करने की योजना भी बना रहा है। इसकी तैयारी चल रही है और इस परियोजना के आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में शुरू होने की प्रत्याशा है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/राज्य के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई है और इसकी पहली बैठक दिनांक 24.10.2019 को आयोजित हुई। अवधारणा पत्र और कार्यकारी सार समेत एसएफसी तैयार करके आवश्यक अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(iii) सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार:

10.84 सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार नामक एक वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रति वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को की जानी होती है।

10.85 वर्ष 2020 के लिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु एक पोर्टल तैयार किया गया है और इस पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्तियों/संस्थानों से दिनांक 15.10.2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित मूल्यांकन मैट्रिक्स मानदंडों के अंतर्गत सभी नामांकनों की जांच की गई और इसे निर्णायक समिति की दिनांक 27.12.2019 को आयोजित बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।

(iv) भारत में 5 राज्यों के बहु–जोखिम संभावित 10 जिलों में "आपदा जोखिम में सतत कमी" की परियोजना

10.86 एनडीएमए पांच राज्यों अर्थात् असम, बिहार, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सहभागिता से 607.40 लाख रु. की कुल लागत से जून, 2016 से "आपदा जोखिम में सतत् कमी" संबंधी परियोजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य इन 5 निर्धारित राज्यों के 10 अत्यधिक बहु–जोखिम संभावित जिलों, अर्थात् प्रत्येक में 02–02 जिलों, में समुदाय और स्थानीय स्व–शासन की तैयारी और कार्रवाई को सुदृढ़ बनाना है। इस परियोजना को अब दिनांक 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

10.87 वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 में सभी राज्यों को निधियों की पहली और दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को निधियों की तीसरी/अंतिम किस्त की आंशिक राशि जारी कर दी गई है।

10.88 इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे कि आपदा प्रबंधन दलों के गठन; सीबीडीएम के बारे में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन; जिला विशिष्ट कार्य योजना तैयार करना; डीडीएमपी और एसडीएमपी का अपडेशन; डीडीआर के संबंध में स्टेकहोल्डरों का प्रशिक्षण; डीआरआर/रिकवरी की योजना तैयार करना; विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम; सीबीडीएम संबंधी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सरकारी कार्मचारियों, एनजीओ, आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण; और मॉक ड्रिल का आयोजन सम्पादित किया गया है।

(v) एलबीएसएनएए, मसूरी में आईएएस और केंद्रीय सेवा के अधिकारियों के प्रयोजनार्थ आपदा प्रबंधन के संबंध में क्षमता संवर्धनः

10.89 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से कुल 189.36 लाख रु. की लागत से जनवरी, 2018 में एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), एलबीएसएनएए में 2,850 (लगभग) आईएएस/केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस आशय से, दिनांक 12.02.2018 को आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) और एनडीएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

10.90 इस परियोजना के अंतर्गत, सीडीएम, एलबीएसएनएए को 1,69,49,152/– रु. जारी किए गए हैं। अब तक कुल 2,655 अधिकारियों (वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 में 2,115 अधिकारियों तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 540 अधिकारियों) को प्रशिक्षित किया गया है। केरल बाढ़–2018 : कारणों और जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना का पता लगाना तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेव प्रबंधन : हीट वेव संबंधी दिशानिर्देशों और कार्ययोजनाओं की प्रभावकारिता से संबंधित दो मामलागत अध्ययन जारी हैं और इनके फरवरी, 2020 तक पूरा होने की प्रत्याशा है।

(vi) भूस्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)

10.91 एनडीएमए ने भूस्खलन संभावित राज्यों में स्थान विशिष्ट भूस्खलन उपशमन के लिए एसडीएमए/डीडीएमए के आपदा जोखिम प्रशासन में सुधार के अंतर्गत "भूस्खलन जोखिम उपशमन स्कीम (एलआरएमएस)" शुरू की है। यह भूस्खलन निगरानी, जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण संवर्धन/प्रशिक्षण आदि के साथ–साथ भूस्खलन उपशमन उपायों के लाभों को बताने के लिए एक पायलट स्कीम है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों (एसडीएमए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस स्कीम की कुल लागत 43.92 करोड़ रु. है। इसमें से 13.17 करोड़ रु. सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड

और उत्तराखंड राज्यों को प्रथम किस्त के रूप में जारी किए गए।

(vii) राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबधन कार्यनीति

10.92 दिनांक 27.09.2019 को आयोजित एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन कार्ययोजना का दस्तावेज जारी किया गया है। कार्ययोजना दस्तावेज विशेषज्ञों के कार्यबल द्वारा तैयार किया गया था।

(viii) 50 शहरों और 1 जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक (ईडीआरआई)

10.93 ईडीआरआई रिपोर्ट एनडीएमए के 15वें स्थापना दिवस, 2019 को जारी की गई है। एनडीएमए द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है ताकि संबंधित भूकंप जोखिम और जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में संबंधित शहर के अधिकारियों को जागरूक बनाया जा सके।

(ix) इंजीनियरिंग/वास्तु शास्त्र कॉलेजों में भूकंप इंजीनियरिंग संकायों की संसाधन मैपिंग

10.94 भूकंप इंजीनियरिंग के संसाधनों का मानचित्र 23.5 लाख रु. की लागत से मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर के माध्यम से तैयार किया जाना है। एनडीएमए और एमएनआईटी जयपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 18.10.2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं। पहली किस्त अर्थात 9.4 लाख रू. जारी किए गए हैं।

(x) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वर की स्थापना और जिओ डाटाबेस का निर्माण

10.95 इस परियोजना का लक्ष्य बड़े पैमाने पर लोगों की सुरक्षा हेतु जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के संबंध में निर्णायकों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक मानकीकृत स्थानिक डाटाबेस, डाटा लेयर, मानचित्र और वेब आधारित जीआईएस समाधानों का विकास करना था। इस परियोजना को 3.30 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से आज की तारीख में 2.61 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं:

(क) एनडीएमए में जीआईएस प्रयोगशाला स्थापित की गई है और इसे परिचालित कर दिया गया है तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भर्ती किए गए है।

(ख) एमपी सर्वर और जीओ सर्वर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

(ग) जीआईएस प्लेटफार्म में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के डाटा लेयर जोड़े जा रहे हैं।

(घ) प्रयोक्ता स्तर पर डाटा प्राप्त करने के लिए वेब सर्विस प्रदान की गई है।

(ङ) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सर्वेइंग एंड मैपिंग (आईआईएसएम) हैदराबाद, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस) देहरादून और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (एनईएसएसी), शिलांग में आपदा प्रबंधन में जीआईएस के उपयोग के क्षेत्र में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(xi) बंदरगाह आपातकाल हैंडलर्स के लिए सीबीआरएन आपातकाल प्रबंधन पर बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.96 सीबीआरएन आपात स्थितियों के समय कार्रवाई करने तथा बंदरगाहों पर रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु सामग्री के उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए एनडीएमए ने बंदरगाह आपातकाल हैंडलर्स की तैयारी में वृद्धि हेतु एक बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय बंदरगाह एसोसिएशन (आईपीए), परमाणु औषधि और संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएनएमएएस) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 69.15 लाख रु. है। अप्रैल–अक्टूबर, 2019 के दौरान जेएनपीटी, कांडला, मुम्बई और तूतीकोरिन में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए।

(xii) मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)

10.97 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति की निगरानी और प्रबंधन के बारे में एक परियोजना "मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम (एमआरडीएस)" शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत पुलिस कार्मिकों को रेडिएशन मापने वाले उपकरणों, रेडिएशन सुरक्षा किट और रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरण लगे हुए वाहन प्रदान किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में किसी रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति की प्रभावशाली निगरानी और प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 50 से अधिक शहरों के पुलिस कार्मिकों को पहले ही उपकरण प्रदान कर दिए हैं। 387 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जो पहले से तैयार की गई एसओपी के अनुसार अन्य पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(xiii) बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करना

10.98 एनडीएमए द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में जिला–वार बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करने का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग (एनआरएससी) को सौंपा गया है। ओडिशा का बाढ़ जोखिम मानचित्र जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश का बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

घ. मॉक अभ्यास (एमई)

10.99 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अब तक पूरे देश में 893 मॉक अभ्यास किए गए हैं। राज्य/जिले की आपदा कार्रवाई योजनाओं की पर्याप्तता और प्रभावकारिता का पता लगाने के मुख्य उद्देश्य से सभी स्टेकहोल्डरों के लिए एनडीएमए द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित प्रमुख मॉक अभ्यास किए गए:–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 4 जिलों और 3 जिलों में जून, 2019 में एक साथ भूकंप संबंधी बहु–राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास किए गए। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में जुलाई, 2019 में भूकंप संबंधी एक मेगा मॉक अभ्यास आयोजित किया गया।

(ii) जम्मू और कश्मीर में गांदरबल जिले के बालटाल में और अनंतनाग जिले के पहलगाम में जून, 2019 माह के दौरान अमरनाथ यात्रा, 2018 के संबंध में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास किए गए।

(iii) उत्तर प्रदेश में मानसून शुरू होने से पहले जुलाई, 2019 में बाढ़ की तैयारी के संबंध में राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास किए गए, जिसमें अत्यधिक बाढ़ प्रभावित 40 जिलों ने भाग लिया।

(iv) गांधीनगर, गुजरात में सितम्बर, 2019 में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा पर प्रथम राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास किया गया, जिसमें गुजरात के 227 उद्योगों और छह जिलों ने भाग लिया।

(v) कपूरथला, अमृतसर में अक्टूबर, 2019 में भारी भीड़ एकत्र होने के संबंध में मॉक अभ्यास किया गया।

(vi) नागालैंड राज्य में दिनांक 21 और 22 नवम्बर, 2019 को 'खराब मौसम के दौरान घटना–वार कार्रवाई' के बारे में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

(vii) त्रिपुरा राज्य में दिनांक 27 और 28 नवम्बर, 2019 को भूकंप के संबंध में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित किया गया।

10.100 एनडीएमए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर पर मॉक अभ्यास आयोजित करने के लिए सहयोग भी प्रदान कर रहा है।

ङ आपदा प्रबंधन में मानव रहित विमान (यूएवी)/ड्रोन की भूमिका पर उसके कार्यक्षेत्र का अध्ययन करने का प्रस्ताव:

10.101 एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन में यूएवी/ड्रोन की भूमिका पर उसके कार्यक्षेत्र अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक नये तरीके के रूप में ड्रोन का प्रयोग करके आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। यह अध्ययन करने के लिए एक एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

*****

अध्याय-11 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.1 प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार ने पारदेशीय एवं वैश्विक रूप ले लिया है जिसका देश की शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन उभरते हुए खतरों का आकार तथा जटिलता भागीदारी को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा अनेक साधनों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें आरंभ करने और इन्हें जारी रखने हेतु सतत रूप से अनेक देशों को शामिल करने के लिए अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) को राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, "दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन–सहन के स्तर में सुधार करने; आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन करने" के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, सार्क के आठ सदस्य देश हैं; नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का सचिवालय काठमांडू (नेपाल) में स्थित है।

11.3 सार्क आंतरिक/गृह मंत्रियों की आठवीं बैठक दिनांक 11.07.2017 को आयोजित की गई थी। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 10.10.2017 को सार्क सचिवालय, काठमांडू में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भाग लेने के लिए गृह मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अधिकारियों को नामित किया गया था। सार्क आव्रजन और वीजा विशेषज्ञों के कोर ग्रुप की तीसरी बैठक दिनांक 18.04.2019 को काठमांडू में आयोजित की गई थी। गृह मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) से अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.4 पारदेशीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी/द्विपक्षीय ढांचे के अंतर्गत आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधियां (एमएलएटी), सुरक्षा संबंधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग संबंधी लिखत तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण संबंधी करार शामिल हैं, जिन पर भारत और अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, धनशोधन, भारतीय मुद्रा नोटों की जालसाजी, आदि का सामना करने में भारत को समर्थ

बनाने हेतु सहयोग और सहायता प्राप्त की जा सके।

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधियां/करार

11.5 आपराधिक मामलों पर परस्पर विधिक सहायता संधि/करार, आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में विधिक सहायता प्रदान/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है।

11.6 दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 40 देशों नामतः ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, चीन जनवादी गणराज्य का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हाँगकाँग, इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कजाकिस्तान, किरगिज गणराज्य, कुवैत, मालदीव मॉरीशस, मलेशिया, मेक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, ओमान, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंग्डम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है। कंबोडिया और मोरक्को के साथ परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं परंतु इन देशों द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की गई है। परस्पर विधिक सहायता संधियों के तहत प्रदान की गई सहायता के अंतर्गत विधि प्रवर्तन एजेंसियां अनेक संविदाकार राष्ट्रों के साथ अनुरोधों पर कार्रवाई करती रही हैं। इसी प्रकार, एमएलएटी उपबंधों के तहत ऐसी सहायता के लिए संविदा करने वाले पक्षों के अनुरोधों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

11.7 भारत और मालदीव के बीच आपराधिक मामलों के संबंध में परस्पर विधिक सहायता संधि पर दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।

11.8 भारत ने वर्ष 2008 में अन्य सार्क देशों के साथ 'आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता' पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत ने अब समझौते की पुष्टि कर दी है। समझौता सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा पुष्टिकरण किए जाने के बाद प्रभाव में आयेगा।

11.9 आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संधि पर विषय–वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए भारत और जर्मनी के बीच अंतिम समझौता बैठक दिनांक 3–4 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रासायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और इनसे संबंधित अपराधों को रोकने और इनका मुकाबला करने तथा सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन

11.10 भारत ने सुरक्षा सहयोग, स्वापक औषधियों तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, भूटान, बुल्गारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी संघ गणराज्य, ईरान, इजराइल, इटली, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, ताज़िकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), युनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज्बेकिस्तान और जांबिया के साथ 42 द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

11.11 ये करार/समझौता ज्ञापन, पारदेशीय संगठित

अपराध से निपटने, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनियमन और मादक पदार्थों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने में देशों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाने में संचालन की दृष्टि से काफी उपयोगी रहे हैं। इन द्विपक्षीय समझौतों से दोनों देशों में अपराधों की रोक, जांच, अभियोजन तथा अपराधों का शमन करने में प्रभावकारिता बढ़ती है और प्रतिभागी देशों की आसूचना एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बना रहता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करार/समझौता ज्ञापन उन नोडल अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों के बारे में भागीदार देशों को अवगत कराने में भी उपयोगी हैं जिनसे अपराध, मादक पदार्थों के दुर्व्यापार संबंधी रियल टाइम आसूचना को साझा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है और ये प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग तथा दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के बीच एजेंसी स्तर की बातचीत को भी सुकर बनाते हैं।

11.12 भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दिनांक 29.10.2019 को भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ सऊदी अरब की सरकार के बीच सुरक्षा सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

11.13 भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दिनांक 29.10.2019 को भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ सऊदी अरब के बीच स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और रसायनिक उत्प्रेरकों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

11.14 उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामलों संबंधी माननीय मंत्री की भारत में यात्रा के दौरान दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को "पारदेशीय संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद" का मुकाबला करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय और उज्बेकिस्तान गणराज्य के आंतरिक मामले मंत्रालय के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मानव तस्करी पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

11.15 भारत ने बांग्लादेश, यूएई और कम्बोडिया की सरकारों के साथ मानव तस्करी पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 27.02.2020 को म्यांमार के साथ भी मानव तस्करी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और यूएई के संयुक्त कार्यबल की बैठक दिनांक 4–5 अगस्त, 2019 को यूएई में आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मानव तस्करी संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करना था।

11.16 भारत वैश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए सार्क सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने पारदेशीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी) और इसके प्रोटोकॉल नामतः (i) व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने, समाप्त करने और दण्ड व्यवस्था करने तथा (ii) यूएनसीटीओसी के अनुपूरण में जमीन, हवा और समुद्र द्वारा प्रवासियों के दुर्व्यापार के विरूद्ध प्रोटोकॉल, का पुष्टिकरण किया है।

सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र

11.17 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी हिस्सा अपने ही देश में काटने के लिए उन्हें उनके देश की जेल में स्थानान्तरित किए जाने हेतु कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2004 को प्रभावी हुआ। सजा प्राप्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक देशों के साथ एक द्विपक्षीय करार हस्ताक्षरित किया जाता है। भारत सरकार ने अभी तक 31 देशों, नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, इस्टोनिया, फ्रांस, हांगकांग, ईरान, इजराइल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन,

श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

11.18 भारत ने सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए दो बहुपक्षीय समझौतों नामतः विदेशों में आपराधिक सजा काटने के संबंध में अंतर–अमेरिका समझौते तथा सजा प्राप्त व्यक्तियों के हस्तांतरण पर यूरोप परिषद् समझौते को भी सहमति दी है, जिसके आधार पर कोई सजा प्राप्त व्यक्ति अपनी बाकी सजा अपने देश में काटने का अनुरोध कर सकता है।

भारत–बांग्लादेश संबंध

11.19 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। वार्ता का पहला स्तर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बार्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के स्तर पर है, दूसरा दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) है और तीसरा गृह सचिव स्तर है। दोनों देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए त्रि–स्तरीय तंत्र के अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की वार्ता भी आयोजित की जाती है।

11.20 भारत–बांग्लादेश "गृह मंत्री स्तरीय वार्ता (एचएमएलटी)" की 7वीं बैठक दिनांक 07.08.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एचएमएलटी की सह–अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री, श्री अमित शाह और बांग्लादेश के गृह मंत्री श्री असदुज्जमां खान द्वारा की गई थी। बैठक में सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, बाड़ लगाने, सीमा निर्धारित करने, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित विभिन्न करारों/समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन आदि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।



नई दिल्ली में दिनांक 7.8.2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच गृह मंत्री स्तर की 7वीं वार्ता

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

भारत–म्यांमार संबंध

11.21 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन–चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत और म्यांमार में प्रत्येक वर्ष बारी–बारी से दोनों देशों के बीच संयुक्त सचिव और गृह सचिव स्तर की वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

11.22 भारत और म्यांमार के बीच 24वीं क्षेत्र स्तरीय बैठक दिनांक 23–24 सितम्बर, 2019 को म्यांमार में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्री सत्येंद्र गर्ग, संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने किया और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री यू खेंग तून ऊ, महानिदेशक, गृह मंत्रालय, म्यांमार सरकार ने किया। बैठक के दौरान आतंरिक सुरक्षा में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रबंधन, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में सहयोग, वन्य–जीवों की तस्करी और पारस्परिक सरोकारों के मुद्दों पर चर्चा की गई।



म्यांमार में दिनांक 23–24 सितंबर, 2019 को आयोजित भारत और म्यांमार के बीच 24वीं क्षेत्र स्तरीय बैठक

(स्रोतः विदेश मंत्रालय)

सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11.23 एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी)/भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) की अवसंरचना संबंधी उप–समूह की दूसरी बैठक दिनांक 18–20 जुलाई, 2019 को सिलीगुड़ी, भारत में आयोजित की गई थी, जिसके साथ चंग्राबंध और फुलबारी भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित) का दौरा भी किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री ए.के. बंबा, अध्यक्ष, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। बांग्लादेश पक्ष का नेतृत्व, श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, अध्यक्ष, बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटी, पोत परिवहन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार द्वारा किया गया था।

11.24 आईसीपी/एलसीएस की अवसंरचना संबंधी उप–समूह की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के अलावा, पेट्रापोल–बेनापोल भूमि पत्तनों,

अगरतला–अखौरा भूमि पत्तनों, सीमा के दोनों तरफ आईसीपी की प्रगति, बिरोल–राधिकापुर और दोरशोना–गिडि में भूमि मार्ग के विकास/इसकी शुरूआत तथा हिल्ली (हिल्ली), चंग्राबंध (बुरीमारी) और अगरतला (अखौरा) में क्वारेंटीन सुविधाओं और परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने आदि से जुड़े मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे और बैठकें

11.25 आप्रवासन महानिदेशालय, गृह मामले और नागरिकता (डीजी गृह), यूरोपीय संघ की महानिदेशक, सुश्री पी. मिचू के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने साइबर अपराध पर राजनीतिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में सचिव (बीएम), गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

11.26 श्री अजहरी एसआईपी के नेतृत्व वाले आकेह, इंडोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव के आयोग–। (विधि, राजनीति और सरकार) के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली, केंद्र–राज्य संबंधों, सुशासन, लोक सेवाओं और नौकरशाही सुधार संबंधी जानकारी एकत्रित करने के लिए दिनांक 15.07.2019 को नई दिल्ली, में विशेष सचिव (सीएस) गृह मंत्रालय के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

11.27 सिंगापुर गणराज्य के माननीय कानून मंत्री श्री के. शनमुगम के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 31.08.2019 को नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।



नई दिल्ली में दिनांक 31.08.2019 को माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारत सरकार (जीओआई) के प्रतिनिधिमंडल और सिंगापुर गणराज्य के गृह एवं कानून मंत्री, श्री के. शनमुगम के नेतृत्व वाले सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)



सिंगापुर गणराज्य के गृह एवं कानून मंत्री, श्री के. शनमुगम का स्वागत करते हुए माननीय गृह मंत्री

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

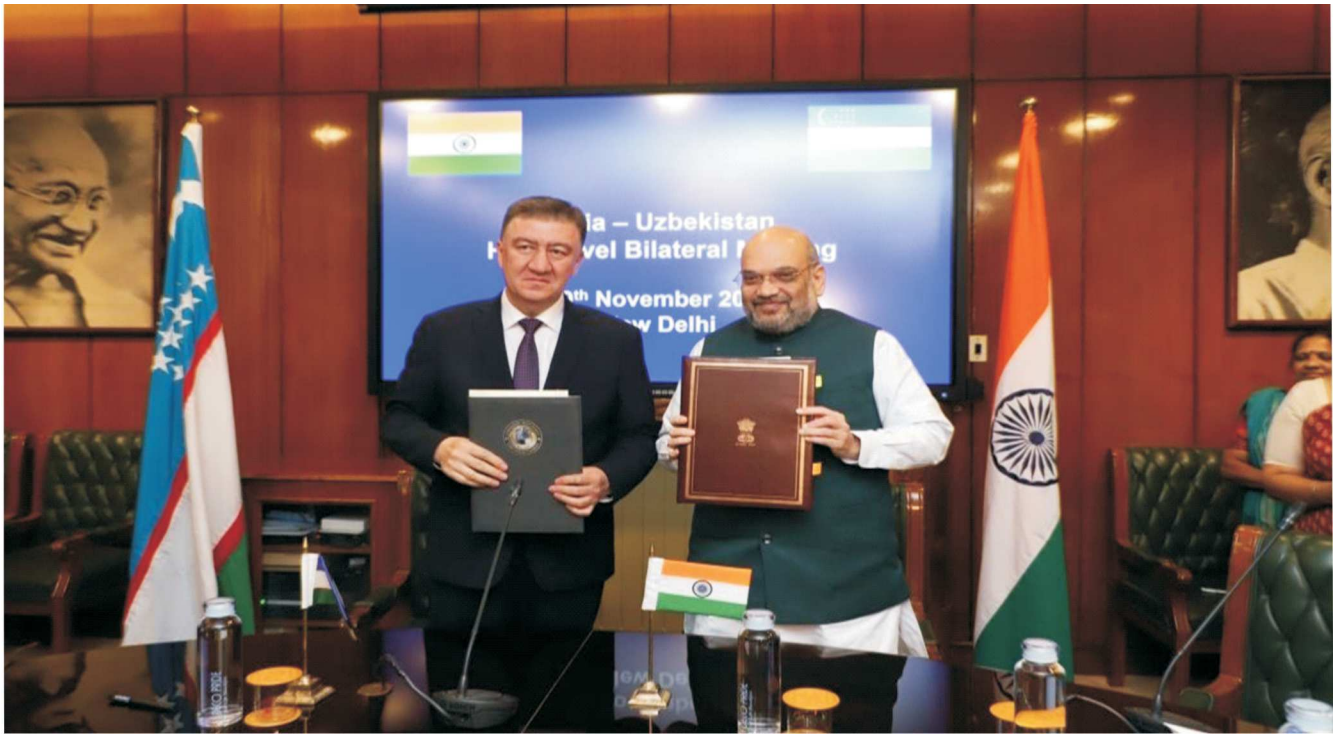
11.28 विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रो. (डॉ.) गुंटूर क्रिंग्स, संसदीय राज्य सचिव (राज्य मंत्री), आंतरिक मंत्रालय, संघीय गणराज्य जर्मनी के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमण्डल और केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन दिनांक 01.11.2019 को नई दिल्ली में किया गया।

11.29 सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री, माननीय पुलट बोबोजोनोव के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक द्विपक्षीय बैठक दिनांक 20.11.2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।



दिनांक 20.11.2019 को नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल और उज्बेकिस्तान के आंतरिक मामले मंत्री, मि. पुलट बोबोजोनोव के नेतृत्व में उज्बेक प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)



दिनांक 20 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच "पारदेशीय संगठित अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में सहयोग करार" का आदान–प्रदान

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

11.30 क्षमता निर्माण

(क) गृह मंत्रालय न केवल अपने पुलिस बलों के लिए बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में मित्र देशों यथा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, मॉरीशस, मालदीव, मोजाम्बिक, जाम्बिया, दक्षिण सूडान और अन्य देशों के 429 विदेशी पुलिस कार्मिकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

(ख) दिनांक 14.06.2019 को किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(ग) महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, यामेथिन, म्यांमार का उन्नयन करने में सहयोग तथा साथ ही मॉरीशस के कोट डी' ओर, में नई पुलिस अकादमी की आयोजना, डिजाइन और निर्माण के लिए भारत द्वारा सहायता का कार्यक्रम भी चल रहा है।

11.31 संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की सरकार ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के अन्तर्गत भारत में पुलिस अधिकारियों के लिए आतंकवाद–रोधी सहायता (एटीए) पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान 163 अधिकारियों ने द्विपक्षीय समझौते के तहत आतंकवाद–रोधी सहायता (एटीए) कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

वैश्विक शांति परिरक्षण

11.32 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति बनाये रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है, तब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर गठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू) की भी नियमित तैनाती की जाती है। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 19 इंडियन असेसमेंट फार मिशन सर्विस (एएमएस) योग्यता प्राप्त सिविलियन पुलिस (सिवपोल) अधिकारियों को यूएन शांति रक्षक मिशनों पर दक्षिण सूडान और साइप्रस में तैनात किया गया। वर्तमान में 30 एएमएस योग्यता प्राप्त अधिकारी दक्षिण सूडान और साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा, यूएन शांति ऑपरेशनों में सहयोग करने के लिए एजीएमयूटी कॉडर से एक महिला पुलिस अधिकारी पुलिस डिवीजन, यूएन मुख्यालय, न्यूयार्क में पी–V लेवल पर सेकंडमेंट पद पर हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक मिशनों में निम्नलिखित गठित पुलिस टुकड़ियों (एफपीयू) को भी तैनात किया गया है:–

क) डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से एक गठित पुलिस टुकड़ी।

ख) डीआर कांगो (एमओएनयूएससीओ) में एसएसबी से एक महिला एंगेजमैंट टीम (एफईटी)।

दिनांक 20–24 मई, 2019 को विएना, ऑस्ट्रिया में आयोजित अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग (सीसीपीसीजे) के 28वें सत्र में संबोधन

11.33 संयुक्त सचिव (केंद्र–राज्य) की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 20–24 मई, 2019 को विएना, ऑस्ट्रिया में आयोजित अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग (सीसीपीसीजे) के 28वें सत्र में भाग लिया। सत्र के दौरान अप्रैल, 2020 में क्योटो (जापान) में आयोजित की जाने वाले अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर 14वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की तैयारी पर और "सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग की भूमिका को बढ़ाने" के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 73/186 के

कार्यान्वयन पर फोकस किया गया। प्लेनरी में एक कंट्री स्टेटमेंट भी की गई थी, जिसमें अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ–साथ सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), 2030 पर आगे कार्य करने पर की गई विभिन्न पहलों पर फोकस किया गया है।



श्री एस.के. शाही, संयुक्त सचिव (सीएस), गृह मंत्रालय अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग को संबोधित करते हुए

(स्रोतः प्रोटोकॉल अनुभाग, गृह मंत्रालय)

आपदा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता

क. सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी)

11.34 सार्क मंत्रिपरिषद (सीओएम) की पोखरा, नेपाल में हुई 37वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चार क्षेत्रीय संस्थापनाओं नामतः सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र (एसडीएमसी – नई दिल्ली, भारत); सार्क मौसम विज्ञान केंद्र (एसएमआरसी – ढाका, बांग्लादेश); सार्क वानिकी केंद्र (एसएफसी– थिम्फू , भूटान); तथा सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र (एससीजेडएमसी – माले, मालदीव) को सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में मिला दिया जाएगा, जो कि भारत में स्थित होगा।

11.35 सार्क आपदा प्रबंधन केन्द्र (एसडीएमसी) की अभिकल्पना सार्क क्षेत्र में आपदा जोखिम के समग्र प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह नीतिगत सलाह, प्रणाली के विकास में तकनीकी सहायता, क्षमता–निर्माण सेवाएं और प्रशिक्षण मुहैया कराके सदस्य देशों की सहायता करता है। यह केन्द्र, विशेषकर पारदेशीय आपदाओं की स्थिति में आपदा जोखिम के प्रभावी और दक्ष प्रबंधन के लिए सूचना और विशेषज्ञता के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। आवश्यकता के अनुसार, एसडीएमसी को सार्क सचिवालय के अधीन कार्य करना होता है जहां सभी अन्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) सदस्य हैं।

11.36 भारत ने विशेषीकृत संस्थानों के बड़े नेटवर्क से प्राप्त विशेषज्ञता के व्यापक क्षेत्र, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई

बल (एनडीआरएफ) जैसे तंत्रों के माध्यम से अन्य देशों में आपदा राहत कार्य से जुड़े अनुभव और केन्द्र की अवस्थिति, जिसके कारण प्रतिक्रिया में सर्वाधिक कम समय लगेगा, को देखते हुए नए केन्द्र को भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

11.37 इस बीच, अप्रैल, 2016 में सार्क सदस्य देशों के अनुमोदन से एक नए केन्द्र ने एक अंतरिम इकाई के तौर पर काम करना आरंभ कर दिया है। सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा औपचारिक अनुमोदन के पश्चात अंतरिम दर्जा समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार किए गए एसडीएमसी के ब्लूप्रिंट पर सार्क विशेषज्ञ समूह की बैठक में विचार–विमर्श किया गया तथा सदस्य देशों द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। अंतरिम इकाई (आईयू) को शुरूआत में एनआईडीएम, नई दिल्ली में स्थान दिया गया था और बाद में इसे गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (जीआईडीएम) परिसर, गांधीनगर, गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एसडीएमसी (आईयू) ने अभी तक 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिनमें सभी सार्क देशों से प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

ख. आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन

11.38 वर्ष 2016 में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) में, माननीय प्रधान मंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10–सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की। एजेंडा मदों में से एक यह था कि क्षेत्र में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र में एक गठबंधन बनाने के लिए भारत भागीदार देशों और प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर काम करेगा। यह अवसंरचना वित्तपोषण में एकीकृत जोखिम न्यूनीकरण के लिए खतरा जोखिम मूल्यांकन तथा आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के बारे में नई जानकारी सृजित करने में मदद करेगा।

11.39 वर्ष 2017 में, भारत सरकार ने एक वैश्विक स्तर पर एक "आपदा रोधी अवसंरचना हेतु गठबंधन (सीडीआरआई)" स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता और योजना का आकलन करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया। कार्य बल रिपोर्ट ने गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना की सिफारिश की और उस पर विस्तृत निष्कर्ष और सिफारिशें कीं।

11.40 इस तरह के वैश्विक गठबंधन को स्थापित करने और इसका नेतृत्व करने के एजेंडे पर आगे कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पहली और दूसरी "आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला (आईडब्ल्यूडीआरआई)" नई दिल्ली में क्रमशः जनवरी 2018 और मार्च 2019 में आयोजित की। आईडब्ल्यूडीआरआई 2019 के आउटकम डॉक्यूमेंट, जिसे 34 प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श से तैयार किया गया था, के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन के प्रस्ताव और इसमें भारत सरकार की नेतृत्वकारी भूमिका के प्रति व्यापक–तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सराहना और समर्थन को स्वीकारा गया है।

11.41 भारत सरकार ने सीडीआरआई सोसाइटी के लिए नॉन–लेप्सेबल आधार पर गृह मंत्रालय से अनुदान के रूप में कार्पस निधि हेतु 480 करोड़ रुपये (लगभग 70 मिलियन अमरीकी डॉलर) के परिव्यय से एक अंतर्राष्ट्रीय "आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)" की स्थापना करने संबंधी स्थायी वित्त समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया है। इन सिफारिशों में सतत आधार पर तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, सचिवालयी कार्यालय की स्थापना करना और वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक पांच वर्ष की अवधि के आवर्ती खर्च को पूरा करना शामिल है।

11.42 सीडीआरआई सोसाइटी सीडीआरआई के अंतरिम सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। संगम ज्ञापन (एमओए) तथा उप–नियम में समन्वय हेतु एक तंत्र और सीडीआरआई के लक्ष्यों का कारगर ढंग से कार्यान्वायन निर्धारित किया गया है।

11.43 भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 23.09.2019 को न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में एक विश्व स्तरीय "आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)" की घोषणा की। 35 से अधिक देशों के साथ परामर्श के माध्यम से विकसित, सीडीआरआई के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(क) सीडीआरआई एक ऐसे मंच के रूप में काम करेगा, जहाँ अवसंरचना के आपदा और जलवायु रोधकता होने के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी तैयार और साझा की जायेगी।

(ख) यह कई स्टेकहोल्डरों से तकनीकी विशेषज्ञता को एक साथ लाएगा। ऐसा करते समय यह देशों को अपने जोखिम संदर्भ और आर्थिक जरूरतों के अनुसार अवसंरचना का विकास करने में उनकी क्षमताओं और पद्धतियों को अपग्रेड करने के लिए इन देशों की सहायता हेतु एक तंत्र विकसित करेगा।

(ग) सीडीआरआई का कार्य प्रासंगिक विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें चार प्रमुख थीम (i) प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के लिए बहु स्तरीय जोखिम मूल्यांकन; (ii) प्रवर्तन के लिए मानक, विनियमन और तंत्र; (iii) आपदा रोधकता को बढ़ावा देने में वित्त की भूमिका; और (iv) प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में आपदा से उबरने के लिए सहयोग हेतु अनुमान तंत्र (प्रिडेक्टेबल मैकेनिज्म)।

(घ) उपरोक्त विषयगत क्षेत्रों में ज्ञान और अभ्यास में कमी आपदा–रोधी अवसंरचना के विकास में बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। यह गठबंधन विकास के सभी चरणों में देशों को अन्य सदस्य देशों से ज्ञान और संसाधनों को प्राप्त करने और एक दूसरे की अवसंरचना को आपदा रोधी बनाने में योगदान करने के लिए एक मंच/फोरम प्रदान करेगा।

11.44 सीडीआरआई के चार्टर को जी 20 और गैर–जी 20 देशों सहित 38 देशों के साथ साझा किया गया है। अभी तक 14 देशों यथा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, जर्मनी, इटली, जापान, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिखित रूप से सीडीआरआई में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

11.45 गठबंधन भारत को जलवायु कार्रवाई और आपदा रोधकता पर एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का पूरक होगा और अनुकूलन और आपदा रोधकता हेतु कार्य करेगा। सीडीआरआई अफ्रीका, एसआईडीएस और एशिया में आपदा–रोधी अवसंरचना के लिए भारत के सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह हमारे अवसंरचना डेवलपर्स के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकास प्राप्त करने में भी मदद करेगा तथा भारतीय अवसंरचना और प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए विदेशों में सेवाओं का विस्तार करने के लिए अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा।

ग. आपदा जोखिम न्यूनीकरण और रिकवरी हेतु वैश्विक सुविधा (जीएफडीआरआर) के सलाहकार समूह (सीजी) की सह–अध्यक्षता

11.46 जीएफडीआरआर, "आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर)" 2015–2030 के कार्यान्वयन में कार्यनीतिक सलाह, समन्वय, साझेदारी विकास और प्रगति की समीक्षा के लिए एक वैश्विक मंच है। एसएफडीआरआर को मार्च, 2015 में जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में 187 देशों द्वारा अपनाया गया था।

11.47 भारत को सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2020 के लिए "आपदा जोखिम न्यूनीकरण और रिकवरी हेतु वैश्विक सुविधा (जीएफडीआरआर)" के सलाहकार समूह (सीजी) के सह–अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह निर्णय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दिनांक 14.05.2019 को

आयोजित जीएफडीआरआर की सीजी बैठक के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक मंच (जीपीडीआरआर) 2019 के 6वें सत्र में लिया गया था।

11.48 यह देश को वर्ष के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को आगे बढ़ाने की दिशा में संकेंद्रित योगदान के साथ जीएफडीआरआर के सदस्य राष्ट्रों और संगठनों के साथ काम करने का अवसर देगा।

11.49 भारत ने दिनांक 01.07.2019 से जीएफडीआरआर के सीजी के सह–अध्यक्ष का पदभार संभाला है।

घ. जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दिनांक 13–17 मई 2019 के दौरान आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक प्लेटफार्म (जीपीडीआरआर) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी

11.50 प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 13–17 मई 2019 के दौरान जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित "आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक प्लेटफार्म (जीपीडीआरआर)" में भाग लिया, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) द्वारा बुलाया और आयोजित किया गया था और इसकी मेजबानी स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा की गई थी।

11.51 जीपीडीआरआर के दौरान, भारत और यूएनडीआरआर ने संयुक्त रूप से दिनांक 17.05.2019 को "आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई)" के संबंध में एक बैठक की मेजबानी की। बैठक में, यूरोपीय संघ सहित 13 देशों, बहुपक्षीय बैंकों और वैश्विक संगठनों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में मार्च, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा–रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद, गठबंधन शुरू करने के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों सहित आगे कार्रवाई पर चर्चा की गई। बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा और सुश्री ममी मिजोटोरी एसआरएसजी, यूएनडीआरआर ने किया।

11.52 भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नेपाल रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

ड. शंघाई सहयोग संगठन

11.53 वर्ष 2017 में, भारत शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पूर्णकालिक सदस्य बना और माननीय प्रधानमंत्री ने जून, 2017 में अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की वार्षिक बैठक में भाग लिया। एससीओ में भारत की सदस्यता मिलने से एससीओ के फ्रेमवर्क के भीतर लोगों और क्षेत्रों को आपातकालीन स्थितियों से बचाने के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास में नये सिरे से बल प्रदान करने के नये अवसर प्राप्त होंगे तथा इससे क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में गुणात्मक दृष्टि से नई स्थितियां बनेंगी।

11.54 तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किर्गिज गणराज्य में दिनांक 24–25 अगस्त, 2017 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राष्ट्रों में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम एवं उन्मूलन से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों की नौवीं बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक के दौरान तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने सामूहिक तैयारी में सुधार के लिए एससीओ सदस्य राष्ट्रों के लिए संयुक्त शहरी भूकंप खोज एवं बचाव अभ्यास का आयोजन करने तथा वर्ष 2019 में आपदा रोकथाम पर कार्य करने वाले एससीओ विभाग प्रमुखों की अगली बैठक की मेजबानी करने का भी प्रस्ताव दिया। गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों प्रस्तावों को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

11.55 उपरोक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारत सरकार ने नई दिल्ली में 4–7 नवंबर, 2019 के दौरान सामूहिक तैयारियों में सुधार के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राष्ट्रों के लिए एक संयुक्त शहरी भूकंप खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया। शंघाई सहयोग संगठन

के सभी सदस्य राष्ट्रों यथा चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इस अभ्यास में भाग लिया तथा मंगोलिया ने एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, इंटरनेशनल सर्च एंड रेसक्यू एडवाइजरी ग्रुप (आईएनएसएआरएजी), यूएनडीपी, युनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेन्सी फंड (यूनीसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और राज्य आपदा कार्रवाई बल (एसडीआरएफ) के प्रतिनिधियों ने भी इस सिमुलेशन अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास के दौरान, प्रतिभागी आपदा प्रबंधन की कार्रवाई का अभ्यास करते हैं तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करते हैं। यह अभ्यास बड़ी तीव्रता वाले भूकंप में बहु–एजेंसी संचालन कार्य में समन्वय और सहयोग को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

11.56 शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य–राष्ट्रों में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम एवं उन्मूलन से संबंधित कार्रवाई वाले विभागों के प्रमुखों की दसवीं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक, नई दिल्ली में दिनांक 08.11.2019 को आयोजित की गई। इस आयोजन की अध्यक्षता भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य–राष्ट्रों में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम एवं उन्मूलन से संबंधित कार्रवाई वाले विभागों के मंत्रियों और प्रमुखों, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य और ताजिकिस्तान गणराज्य के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों तथा एससीओ सचिवालय ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान पक्षों ने आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने और सहायता प्रदान करने के अपने संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

च. मल्टी सेक्टोरल तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

11.57 अगस्त, 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने दूसरे बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास और बिम्सटेक राष्ट्रों के एनडीएमए/एनडीएमओ के विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी वर्ष 2019–2020 में भारत में करने का प्रस्ताव रखा। ।

11.58 उपरोक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप, दूसरे मल्टी सेक्टोरल तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल और आपदा प्रबंधन अभ्यास (बिम्सटेक डीएमईएक्स–2020) की तैयारी बैठक का आयोजन दिनांक 14–15 नवंबर, 2019 के दौरान पुरी, ओडिशा में किया गया। तैयारी बैठक का मुख्य उद्देश्य पहले से ही बिम्सटेक डीएमईएक्स–2020 के तौर–तरीकों और जरूरतों का आकलन करना था। सभी सात बिम्सटेक राष्ट्रों यथा बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने तैयारी बैठक में भाग लिया।

11.59 मुख्य दूसरे 'बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास–2020' का आयोजन 11–13 फरवरी, 2020 को पुरी, ओडिशा में किया गया। बिम्सटेक डीएमईएक्स का मुख्य फोकस सांस्कृतिक विरासत स्थल पर किसी भयानक भूकंप परिदृश्य और बाढ़ अथवा तूफान के दौरान आपात स्थिति में समन्वित तरीके से अधिसूचना, तैयारियों और कार्रवाई के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का परीक्षण करना था। इस अभ्यास के तहत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय एजेंसियों की संलिप्तता वाले एक आपदा परिदृश्य में बहु–हितधारकों के समन्वय का परीक्षण किया गया।

छ. मंगोलिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.60 मंगोलिया सरकार की नेशनल इमर्जेंसी मैनेजमैंट एजेंसी (एनईएमए) और भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर दिनांक 20.09.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

*****

अध्याय-12

प्रमुख पहलें और स्कीमें

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अंब्रैला स्कीम (एमपीएफ)

12.1 केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह ने, वर्ष 2015 में अनुशंसा की थी कि "कानून और व्यवस्था" तथा "न्याय प्रदायगी प्रणाली" की स्कीमों को कोर राष्ट्रीय विकास एजेंडा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस अनुशंसा के अनुसरण में, भारत सरकार (नीति आयोग) ने अपने दिनांक 17.08.2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, 66 मौजूदा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाकर 6 'कोर अ फ द कोर' स्कीमों, 20 'कोर' स्कीमों तथा 2 'वैकल्पिक' स्कीमों को अंतिम रूप देते हुए "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रैला स्कीम को एक 'कोर' स्कीम के रूप में शामिल किया है।

12.2 इन स्कीमों के अंतर–संबंध तथा पूरकताओं का दोहन करके कार्यक्रम संबंधी परिणामों को हासिल करने के लिए, गृह मंत्रालय ने स्कीमों और परियोजनाओं को एक अंब्रैला स्कीम के अंतर्गत समेकित किया है। इसका उद्देश्य, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहयोग तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने वाली सभी संगत स्कीमों को केंद्रीय बजट में एक जगह लाना है।

12.3 25,061 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से, वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा दिनांक 27.09.2017 को "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रैला स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इस कुल परिव्यय में से, अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय 18,636 करोड़ रुपये है तथा राज्यों का हिस्सा 6,425 करोड़ रुपये है। इस 'कोर' स्कीम के अंतर्गत, जम्मू और कश्मीर (जेएंडके), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर (एनई) राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं तथा राज्यों को 10% निधियां उपलब्ध करानी होती हैं। शेष राज्यों के मामले में, केंद्रीय हिस्सा 60% है तथा राज्यों को 40% हिस्से का योगदान करना होता है।

12.4 मौटे तौर पर, इस अंब्रैला स्कीम में दो स्कीमें शामिल हैं, नामतः राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम तथा जम्मू और कश्मीर (जेएंडके), पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की स्कीम। इन दो मुख्य शीर्षों (वर्टिकलों) के तहत बनी 17 उप–स्कीमें निम्नानुसार हैं:

- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) I : राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)**
- **केंद्रीय क्षेत्र की तीन उप–स्कीमें**
  - (i) अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस)
  - (ii) अंतर–राज्यीय पुलिस वायरलेस के अंतर्गत परियोजनाएं
  - (iii) ई–कारागारों का कार्यान्वयन
- **राज्य क्षेत्र की दो उप–स्कीमें**
  - (i) पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता
  - (ii) पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता
- **मुख्य शीर्ष (वर्टिकल) II : जम्मू और कश्मीर/पूर्वोत्तर/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)**

- **केंद्रीय क्षेत्र की सात उप–स्कीमें**
  - (i) वामपंथी उग्रवाद के प्रबंधन हेतु केंद्रीय एजेंसियों तथा अन्य को सहायता
  - (ii) सिविक कार्रवाई योजना (सीएपी) (एलडब्ल्यूई)
  - (iii) मीडिया योजना (विज्ञापन तथा प्रचार) (एलडब्ल्यूई)
  - (iv) 35 सबसे ज्यादा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता
  - (v) एसआरई (एलडब्ल्यूई) (केंद्रीय क्षेत्र)
  - (vi) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)–राहत तथा पुनर्वास
  - (vii) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)–सुरक्षा वातावरण
- **राज्य क्षेत्र की पांच उप–स्कीमें**
  - (i) एसआरई (जम्मू और कश्मीर)– पुलिस
  - (ii) एसआरई (पूर्वोत्तर)
  - (iii) एसआरई (एलडब्ल्यूई)
  - (iv) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 250 किलेबंद पुलिस थानों के निर्माण सहित विशेष अवसंरचना स्कीम
  - (v) केंद्रीय अधिनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की स्कीम (पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम)

उद्देश्य

12.5 यद्यपि 'पुलिस' तथा 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, तथापि, चूंकि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य अपने पुलिस बलों को वांछित स्तर तक आधुनिकी त तथा सुसज्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए गृह मंत्रालय वर्ष 1969–70 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को कार्यान्वित करके राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग कर रहा है। इस स्कीम को 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता' के नए नाम से जारी रखा गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पुलिस के कार्यकरण के विभिन्न क्षेत्रों में पता लगाई गई कमियों को दूर करना और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर निर्भरता को कम करना है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम को वर्ष 2016–17 के बाद भी जारी रखना

12.6 वर्ष 2012–13 और 2016–17 की अवधि हेतु अनुमोदित स्कीम के अनुसार, निर्माण कार्यकलापों तथा हथियारों एवं विभिन्न उपकरणों आदि की खरीद के लिए निधियां आबंटित और जारी की जानी थीं। निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियां वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान जारी की गई थीं। इसके पश्चात, चूंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में से राज्यों को हस्तांतरण को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था और राज्यों द्वारा निर्माण कार्यकलापों के लिए और अधिक निधियां आबंटित करना अपेक्षित था, इसलिए निर्माण कार्यकलापों के लिए निधियन को बंद कर दिया गया था। इस स्कीम को नए नाम "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" के साथ वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक तीन और वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है। यह "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ)" की अंब्रेला स्कीम के अंतर्गत एक उप–स्कीम है। राज्य पुलिस द्वारा अपेक्षित मदों जैसे कि हथियारों, उपस्करों आदि के लिए उप–स्कीम के तहत निधि प्रदान की जाती है। लक्षित पहलों की सुविधा के लिए, केवल विशेष क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'मोबिलिटी' तथा 'आवास सहित पुलिस अवसंरचना के निर्माण' के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 'मोबिलिटी' शीर्ष के अंतर्गत मदों का उपयोग केवल फील्ड स्तर के पुलिस कार्यालयों के सु ढ़ीकरण के लिए किया जाएगा, राज्य स्तर के पुलिस कार्यालयों के लिए नहीं। वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान तीन वर्ष के लिए इस स्कीम के अंतर्गत समग्र रूप से 7380 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को निधियों का वार्षिक आबंटन वित्त मंत्रालय द्वारा

किसी निर्दिष्ट वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए वास्तविक बजटीय संसाधनों पर निर्भर होगा।

स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

12.7 निधियन के उद्देश्य से राज्यों को दो श्रेणियों नामतः श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गी त किया गया है। 'क' श्रेणी के राज्य नामतः पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा 8 पूर्वोत्तर राज्य यथा अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा 90% केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेष 10% निधि राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2014–15 से राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत श्रेणी 'क' के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक–XIII में दिया गया है। शेष राज्य 'ख' श्रेणी में हैं और इन राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा 40% निधियां राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जानी होती है। वर्ष 2014–15 से 'ख' श्रेणी के राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक– XIV में दिया गया है।

अनुमोदन प्रणाली

12.8 इस स्कीम हेतु केन्द्रीय बजट में किए गए आबंटन को पूर्व–निर्धारित अंतर–राज्यीय वितरण अनुपात के आधार पर, केंद्रीय हिस्से के रूप में, आगे सभी राज्यों के बीच वितरित/आबंटित किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को आनुपातिक राज्य अंश (40% अथवा 10%) देना होता है और राज्यों को अपनी कार्यनीति प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर अपनी राज्य कार्रवाई योजनाएं (एसएपी) तैयार करनी होती हैं। इन एसएपी का अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर स्कीम को देख रही संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा किया जाता है। राज्य कार्रवाई योजनाओं के अनुमोदन चक्र को पूर्व तिथि के लिये निर्धारित (प्रीपोन) किया गया है तथा संशोधित अनुमोदन चक्र के अनुसार एसएपी को फरवरी तक, अर्थात वित्त वर्ष के शुरू होने से एक माह पहले अनुमोदित किया जाना होता है और राज्य 1 अप्रैल से निधियां जारी किए जाने का लाभ उठा सकते हैं। राज्यों को समय से निधियां जारी करने के लिए ऐसा किया गया है।



दिनांक 01.08.2019 को पंचकुला में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

(स्रोतः डीजीपी, हरियाणा का कार्यालय/ पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)



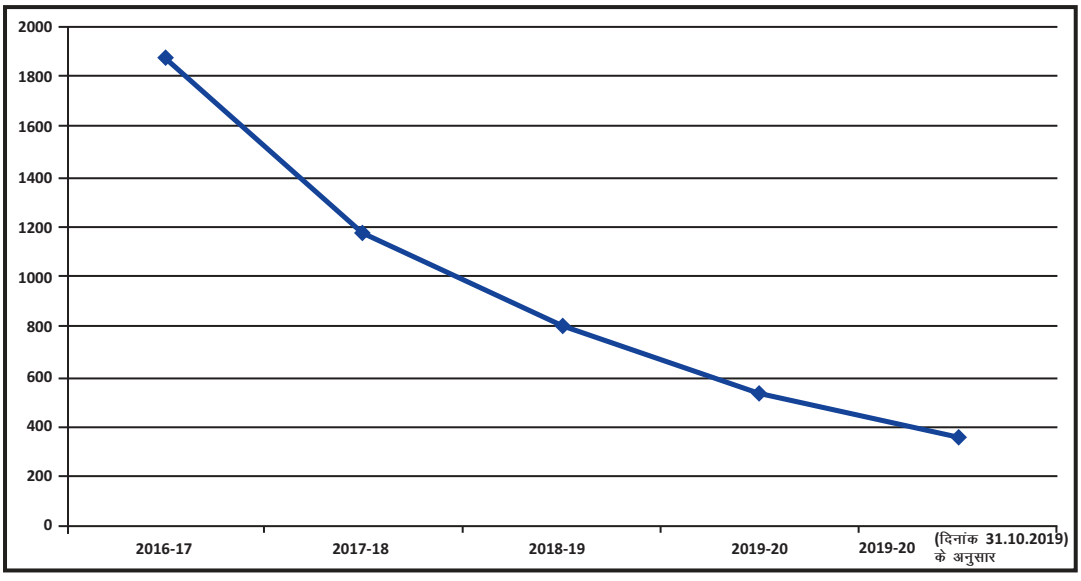
दिनांक 15.02.2019 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या में कमी लाने में हुई प्रगति

12.9 निधियों के उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने में देरी इस योजना के अंतर्गत निधियों के निर्गम को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे थे, जिनका परिणामी प्रभाव राज्यों के आधुनिकीकरण की योजनाओं पर पड़ा। गृह मंत्रालय के लगातार और कठिन प्रयासों के कारण, राज्यों के आधुनिकीकरण की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है और लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या काफी कम हो गई है, जैसाकि निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

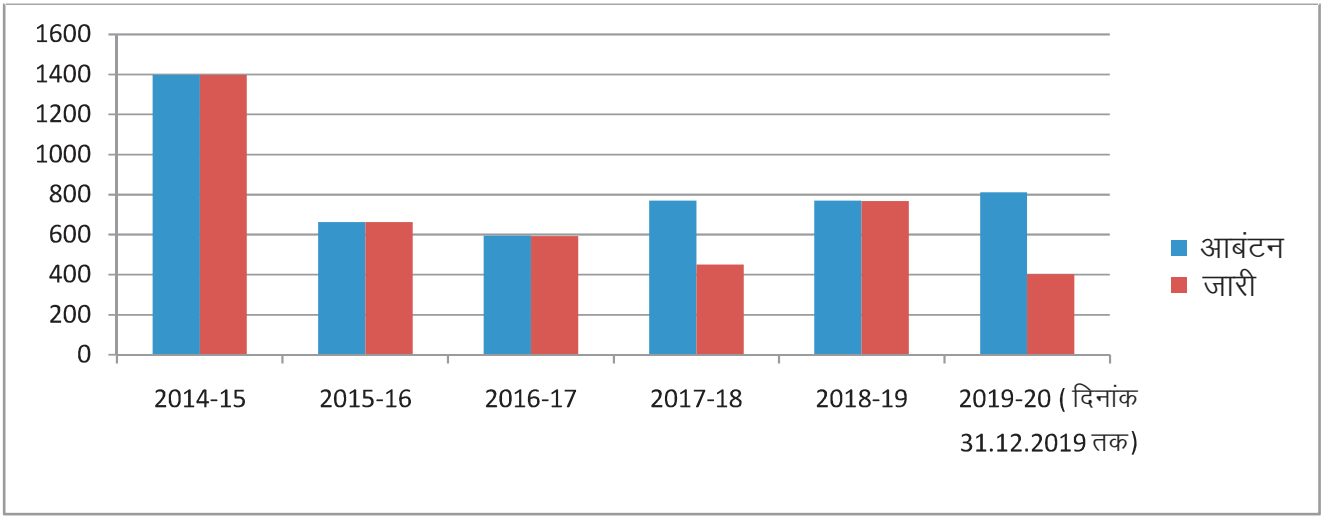
(करोड़ रु. में)



योजना के अंतर्गत आबंटन और निर्गम

12.10 वित्त वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम (पूर्ववर्ती राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम) का वास्तविक आबंटन और राज्यों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)



मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था

12.11 मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था (एमसीपी) "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" (पूर्ववर्ती एमपीएफ स्कीम) का उप भाग है। अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा बेंगलुरू शहरों के लिए एमसीपी योजनाओं को गृह मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया था। इन योजनाओं में इन शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, कमांड और कंट्रोल सेंटर, ड यल 100 सुविधाएं स्थापित करना, राजमार्गों की गश्त, मानवरहित वायुयान (यूएवी) और अन्य प्रौद्योगिकी घटक शामिल हैं। आज की तारीख तक, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	मेगा सिटी	आबंटन			वर्ष 2016-17 तक जारी निधियां					वर्ष 2016-17 के बाद जारी निधियां			कुल जारी निधियां
		2013-14	2014-15	कुल	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	2017-18	2018-19	2019-20	
1	**अहमदाबाद**	5.02	10.03	**15.05**	5.02	10.03	0.00	-	15.05	-			**15.05**
2	**मुंबई**	45.74	91.47	**137.21**	0.00	0.00	45.00	-	44.997	-		**32.025**	**77.022**
3	**चेन्नई**	29.49	58.98	**88.47**	0.00	0.00	29.49	58.91	88.40	-			**88.40**

4	**हैदराबाद**	16.03	32.07	**48.10**	-	22.34	0.00	-	22.34	-	25.76		**48.10**
5	**कोलकाता**	31.92	63.85	**95.77**	0.00	0.00	31.92	-	31.92	45.00	17.19		**94.11**
6	**बेंगलुरु**	16.10	32.20	**48.30**	0.00	40.73	0.00	7.57	48.30	-			**48.30**
	कुल	144.30	288.6	**432.90**	5.02	73.10	106.41	66.48	251.01	45.00	42.95	32.025	**370.982**

स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा

12.12 केंद्रीय गृह सचिव तथा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जोनल परिषदों की बैठकों में राज्यों के विभिन्न मुद्दों तथा सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है तथा प्रत्येक राज्य को जारी निधियों के उपयोग की प्रगति की म नीटरिंग की जाती है।

"पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" की उप–स्कीम

12.13 "पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन हेतु विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता" एमपीएफ की अंब्रैला स्कीम के अंतर्गत एक उप–स्कीम है, जिसके तहत राज्य सरकारों को फ रेंसिक प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों और उनमें उपस्करों सहित पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए विशेष परियोजना/कार्यक्रमों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक की अवधि के दौरान तीन वर्षों के लिए उप–स्कीम के अंतर्गत कुल 587 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। निम्नलिखित परियोजनाओं को 60:40/90:10 के निधियन पैटर्न में निधियां प्रदान की गई हैं:

क) गुजरात फ रेंसिक विज्ञान वि वविद्यालय, गांधीनगर के स्तरोन्नयन हेतु गुजरात सरकार को सहायता।

ख) जयपुर में "सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फ र सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसरजेंसी" की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार को सहायता।

ग) अमरावती में एक नई हाई–टेक राज्य फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता।

घ) फ रेंसिक प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों सहित पुलिस अवसंरचना के स्तरोन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं/कार्यक्रमों हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता। इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं:

(i) कुछ महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा मणिपुर में महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों और निगरानी प्रणाली की स्थापना [कुल लागतः 5.50 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 4.95 करोड़ रुपये]

(ii) नागालैंड में बीट पैट्रोलिंग सिस्टम का सु ढ़ीकरण [कुल लागतः 5.0375 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 4.53 करोड़ रुपये]

(iii) अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और नाहरलागुन में प्रमुख जगहों को कवर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कैपिटल क म्प्लेक्स में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की सीपना [कुल लागतः 5.00 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 4.50 करोड़ रुपये]

(iv) कानून एवं व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया समय को कम

करने हेतु मिजोरम पुलिस निगरानी प्रणाली की सीापना [कुल लागतः 7.00 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 6.30 करोड़ रुपये]

(v) पूर्वोत्तर पुलिस नेटवर्क (एनईपीओएल) के लिए असम को सहायता [कुल लागतः 1.16 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 1.04 करोड़ रुपये]

(vi) स्मार्ट रिस्पाँस यूनिट हेतु विशेष परियोजना के लिए असम को सहायता [कुल लागतः 7.02 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्साः 6.32 करोड़ रुपये]

(vii) 6ठी एमएलपी बटालियन क म्प्लेक्स, री भोई जिला में कमांडेंट कार्यालय के निर्माण हेतु मेघालय को सहायता [कुल लागतः 6.5470 करोड़ रुपए, केन्द्रीय हिस्सा : 5.89 करोड़ रुपये]

12.14 इस उप–योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018–19 के दौरान, 62 करोड़ रुपये की राशि आबंटित और जारी की गई थी तथा वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 100 करोड़ रुपये के आबंटन में से दिनांक 31.12.2019 तक 80.21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)

12.15 गृह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध से निपटने के लिए 223.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

i. अ नलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

ii. साक्ष्य के प्रयोजन के लिए साइबर फ रेंसिक प्रयोगशाला

iii. विधि प्रवर्तन एजेंसियों, लोक अभियोजकों तथा न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण

iv. अनुसंधान तथा विकास

v. जागरूकता सृजन

सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत कार्यकलाप

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आरंभ

12.16 महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) स्कीम के भाग के रूप में, "साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in)" शुरू किया गया था, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। यह पोर्टल नागरिकों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम) से संबंधित सामग्री अथवा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) जैसी कामुकता दर्शाने वाली सामग्री की अ नलाइन सूचना देने के लिए एक केंद्री त मंच उपलब्ध कराता है। रिपोर्ट की गई शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर और इससे संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

12.17 क्षमता निर्माण

i. गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष विधि प्रवर्तन एजेंसियों, लोक अभियोजकों तथा न्यायाधीशों के लिए विकसित 3–दिवसीय, 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के लिए एडवांस्ड साइबर अपराध जांच हेतु 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं। यह पाठ्यचर्या साइबर अपराध जांच तथा फ रेंसिक में बेसिक से लेकर एडवांस अवधारणाओं को कवर करती है, जिससे प्रतिभागियों को साइबर अपराधों तथा कंप्यूटर फ रेंसिक की प्र ति को समझने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी। अब तक, 9000 से अधिक पुलिस कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों को प्रशिक्षित किया गया है।

ii. राष्ट्रीय अपराध रिक र्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दिनांक 12–13 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में विधि प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए साइबर अपराध

रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के कार्यकरण पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट की गई शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सभी प्रतिभागियों को हैंड्स–अ न प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। "चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी), बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम)/ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) अथवा अन्य अश्लील सामग्री'' से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कानून के तहत प्रावधानों" तथा "यौन अपराधों और पोर्नोग्राफी पर पुलिस कार्मिकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम" पर भी सत्र आयोजित किए गए थे।



राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनसीआरपी पर दिनांक 13–14 नवम्बर, 2019 को आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला

(स्रोतः एनसीआरबी)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फ रेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

12.18 गृह मंत्रालय ने साइबर फ रेंसिक–सह–प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण और उन्हें हायर करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 95.77 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका को हैंड्स–अ न प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। पिछले वित्त वर्ष में शुरू की गई चार साइबर फ रेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी ये प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं।

12.19 जागरूकता

i महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए साइबर अपराधों के खिलाफ रक्षोपायों पर जागरूकता से संबंधित संदेशों के प्रसार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल (@CyberDost) शुरू किया गया है। यह हैंडल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से शिकायत करने की प्रक्रिया के संबंध में नागरिकों को मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है। इस ट्विटर हैंडल के 1.40 लाख से अधिक फालोअर्स हैं।

ii राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है।

iii जन–जन के बीच साइबर अपराधों की रोकथाम पर संदेश के प्रसार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

iv 'किशोरों/छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा पर पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका की साफ्ट कापी www.cybercrime.gov.in और http://mha.gov.in/documents/downloads पर उपलब्ध कराई गई है। यह पुस्तिका सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित की गई है।

अनुसंधान और विकास

12.20 साइबर स्पेस में अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने के लिए प्रभावी उपकरण विकसित करने और इन उपकरणों में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, देश में अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने की आवश्यकता है। "महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध को रोकने और नियंत्रित करने" के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु एक अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई थी। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आधार पर आरएंडडी अनुदान जारी करने के लिए प्रस्तावों को चिन्हित कर लिया गया है। चुने गए संस्थानों को सौंपी गई आरएंडडी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिक र्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्ति

12.21 साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के संचालन और रख–रखाव का कार्य राष्ट्रीय अपराध रिक र्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को सौंपा गया है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी) तथा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के लिए इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। दिनांक 01.04.2019 से, एनसीआरबी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी) और बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री को हटाने के लिए पांच नोटिस सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थों को सात नोटिस जारी किए हैं।

नेशनल सेंटर फ र मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

12.22 एनसीएमईसी से अ नलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा बाल यौन उत्पीड़न सामग्री पर टिपलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के संबंध में, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के पश्चात, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिक र्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), भारत तथा नेशनल सेंटर फ र मिसिंग एंड एक्सप्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 31.12.2019 तक 23,306 साइबर टिपलाइन रिपोर्टें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई हैं और 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी)

12.23 साइबर अपराध से समन्वित तथा व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी)' की स्थापना की गई है। आई4सी द्वारा निम्नलिखित कार्य करने की अभिकल्पना की गई है:

- साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करना।
- साइबर अपराधों का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
- तेजी से बदलते हुए वातावरण, प्रौद्योगिकी तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ तालमेल बनाए

रखने के लिए साइबर कानून में संशोधनों, यदि आवश्यक हो, का सुझाव देना।

- गृह मंत्रालय में संबंधित नोडल प्राधिकारी के परामर्श से अन्य देशों के साथ साइबर अपराधों से संबंधित परस्पर विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) के कार्यान्वयन से जुड़ी गतिविधियों का समन्वयन करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

12.24 भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (आई4सी) के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

(क) राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण

(ख) राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

(ग) राष्ट्रीय साइबर अपराध ईकोसिस्टम प्रबंधन

(घ) राष्ट्रीय साइबर अपराध फ रेंसिक प्रयोगशाला ईकोसिस्टम

(ङ) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र

(च) राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान तथा नवाचार केंद्र

(छ) संयुक्त साइबर अपराध जांच टीम हेतु प्लेटफार्म

12.25 भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10.01.2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) का उद्घाटन

(स्रोतः गृह मंत्रालय)

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

12.26 दिनांक 30.08.2019 को भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की शुरूआत की गई। सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के अंतर्गत साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के पुराने संस्करण में केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी (सीपी)/बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित साइबर अपराध शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा

उपलब्ध थी। इस पोर्टल के नये संस्करण में महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की सूचना देने की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10.01.2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।



राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का होम पेज

(स्रोतः गृह मंत्रालय)

राष्ट्रीय साइबर अपराध ईकोसिस्टम का प्रबंधन

12.27 भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केन्द्र (आई4सी) संबंधी स्कीम के तहत गृह मंत्रालय के वित्तपोषण की सहायता से सेंटर फ र डेवलपमेंट अ फ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी–डैक) द्वारा साइबर सुरक्षा और संरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम संबंधित राज्य पुलिस विभागों के गहन सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

12.28 जागरूकता सप्ताह दिनांक 16 से 20 सितम्बर, 2019 तक भोपाल में और 24 से 30 सितम्बर, 2019 तक अहमदाबाद में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जागरूकता सप्ताह में "मास्टर्स ट्रेनर" प्रशिक्षण कार्यक्रम; स्कूलों/क लेजों/वि वविद्यालयों, म लों, सिनेमाघरों, भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यशालाएं; पुलिस तथा सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) टीम के विशेषज्ञों द्वारा आकाशवाणी एफएम रेडियो/कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम; रोड शो और मास्टर ट्रेनर्स के लिए जागरूकता संबंधी पुस्तकें, पोस्टर, स्टिकर, बैनर, टी– ार्ट का वितरण इत्यादि शामिल था।



भोपाल में टिप्स के साथ ओटीपी धोखाधड़ियों, ओएलएक्स धोखाधड़ियों पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन

(स्रोतः सीडैक)

12.29 राष्ट्रीय साइबर अपराध फ रेंसिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में कार्यशील की गई है।

12.30 सूचना सुरक्षा संबंधी पहलें

(क) राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति एवं दिशानिर्देशों (एनआईएसपीजी) को अनुमोदित किया गया है और सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाने, यदि कोई हों, तथा आईसीटी नेटवर्क में किसी भी सुभेद्यता के दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना सुरक्षा नियंत्रण को सशक्त बनाने हेतु त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मई, 2019 में सभी सरकारी विभागों में सूचना सुरक्षा ढांचे की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) समय–समय पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की आईटी अवसंरचना की सुभेद्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) सूचना सुरक्षा संबंधी श्रेष्ठतम पद्धतियों के बारे में एक पुस्तिका तैयार की गई है और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ) गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) जनसामान्य द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(च) इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी–इन) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय की आईटी अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

12.31 कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण

भारत के कारागार कार्मिकों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान कारागार तथा कारागार के कैदियों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर विभिन्न राज्यों के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान ने पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार अन्य विषयों और म ड्यूलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, जिसमें महिला कैदियों और कारागार कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन

12.32 एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) 26 देशों यथा, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई दारूशलाम, कम्बोडिया, कनाडा, चीन, फिजी, हांगकांग(चीन), भारत, इंडोनेशिया, जापान, किरिबाती, कोरिया, मकाऊ, मलेशिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनीआ, फिलीपीन्स, सिंगापुर, सोलोमन द्वीपसमूह, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वानुआतु और वियतनाम का संगठन है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। वर्ष 2008 से, भारत इस संगठन के शासी बोर्ड का चयनित सदस्य है।

12.33 सदस्य देशों द्वारा बारी–बारी से वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के सुधारात्मक प्रशासक, एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में कारागार सुधारों से संबंधित नवीनतम और श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह सम्मेलन सुधारात्मक अधिकारियों को अपनी जानकारी को साझा करने और विभिन्न देशों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ पद्धतियों का आदान–प्रदान करने का अवसर देता है। वर्ष 2013 में, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। 39वें एशियाई एवं प्रशांत सुधारात्मक प्रशासक सम्मेलन (एपीसीसीए) की मेजबानी मंगोलिया द्वारा सितम्बर 2019 में की गई थी।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.34 प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कारागार प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाते हैं:

i) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

ii) उत ष्ट सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

iii) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक

iv) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक

12.35 ये पदक सुधारात्मक सेवा, विशेष कठिनाई में प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने और दक्षता से अनुकरणीय सेवा प्रदान करने आदि के संबंध में विशिष्ट रिक र्ड के लिए प्रदान किए जाते हैं। शौर्य के लिए पदक कैदियों को पकड़ने के लिए दिखाए गए असाधारण शौर्य अथवा कैदियों को भागने से रोकने आदि के लिए प्रदान किया जाता है।

12.36 सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने संबंधी राष्ट्रपति की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 05.04.1999 को जारी की गई थी। पहली बार इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष 2000 के गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक मेडल और स्क्रोल प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस पुरस्कार का अलंकरण राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

12.37 किसी वर्ष में दिए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और उत ष्ट सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

साक्षी सुरक्षा योजना, 2018

12.38 गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श

करके "साक्षी सुरक्षा योजना, 2018" तैयार की है। इस योजना में खतरे के आकलन के आधार पर गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 की रिट याचिका (आपराधिक) सं 156 में दिनांक 05.12.2018 के अपने निर्णय में इस योजना का समर्थन किया है। इस योजना को कार्यान्वयन एवं अनुपालन के लिए दिनांक 14.01.2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में समर्थित साक्षी सुरक्षा योजना, 2018 भारतीय भूभाग के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तनीय है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

12.39 आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के गठन के लिए वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (एपीआर अधिनियम, 2014) अधिनियमित किया गया था। उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य की कम्पनियों/निगमों आदि की सम्पत्तियों और देनदारियों के विभाजन का कार्य किया जा रहा है। एपीआर अधिनियम, 2014 के अधिकांश प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। एपीआर अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ अवसंरचना परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण की अवधि लम्बी है, जिनके लिए अधिनियम में दस वर्षों की समयावधि निर्धारित की गई है।

राज्यपालों की नियुक्ति

12.40 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन से संबंधित मामले गृह मंत्रालय को आबंटित किए गए हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्तलिखित एवं मुहरबद्ध वारंट के तहत की जाती है। वर्ष 2019–2020 के दौरान, 11 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और 5 राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया है और उन्हें अन्य राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है।

राज्यपालों का सम्मेलन

12.41 राज्यपालों के 50वें सम्मेलन का आयोजन दिनांक 23 एवं 24 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रपति भवन में किया गया। 49वें राज्यपाल सम्मेलन की कार्रवाई योग्य सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस सम्मेलन में प्रस्तुत की गई।

गावों, कस्बों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन

12.42 गृह मंत्रालय गावों, शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम में परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनापत्ति प्रदान करता है। वर्ष 2019–2020 के दौरान, 15 प्रस्तावों को 'अनापत्ति' प्रदान की गई है।

पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन

12.43 विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए, मूलरूप में "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की स्कीम के कुल वार्षिक आवंटन का 10% रखने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019–20 से इस प्रोत्साहन निधि को बढ़ाकर '20% तक' कर दिया गया है। इस प्रकार उन राज्यों, जिन्होंने इसके लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं, को पुलिस सुधारों हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 158.26 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वर्ष 2019–2020 के लिए, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा:

- ग्रामीण पुलिस प्रणाली की समीक्षा/सुधार
- अपराध का निःशुल्क पंजीकरण
- गिरफ्तारियों की संख्या में कमी
- पदोन्नति को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना
- डीजी/पुलिस आयुक्तों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

- परिधीय एवं गैर–पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग
- स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय

12.44 जिन मानदंडों/संकेतकों पर राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा, उनके बारे में राज्यों को अवगत करा दिया गया है। प्रोत्साहन निधि का आधा भाग सभी पात्र राज्यों के बीच समान रूप से संवितरित किया जाएगा। शेष भाग को इनमें से प्रत्येक सुधार के लिए शीर्ष रैंकिंग वाली तीन राज्य सरकारों को 50%, 30% और 20% के अनुपात में दिया जाएगा। यदि किसी स्थान (प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय) पर एक से अधिक राज्य हों, तो प्रोत्साहन राशि उनके बीच समान रूप से संवितरित की जाएगी।

स्मार्ट पुलिस व्यवस्था

12.45 दिनांक 30.11.2014 को 49वें डीजी/आईजी वार्षिक सम्मेलन के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने स्मार्ट (एस.एम.ए.आर.टी.) पुलिस की संकल्पना से परिचित कराया था। इसका अर्थ है: एस–संवेदनशील और सख्त; एम–आधुनिक और सचल; ए–सतर्क और जवाबदेह; आर–वि वसनीय और प्रतिक्रियात्मक तथा टी–प्रशिक्षित और प्रौद्योगिकी–सक्षम। इस संबंध में अप्रैल–मई, 2015 में बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/पुलिस द्वारा अपनाए गए कई नवीन विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां प्रस्तुत की गईं और उनका विश्लेषण किया गया। 'स्मार्ट' पुलिस व्यवस्था के दस गुणों के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का चयन कर लिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा भुज, गुजरात में दिनांक 19.12.2015 से 20.12.2015 तक की अवधि के दौरान आयोजित महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों का एक संकलन जारी किया गया था।

12.46 इस संबंध में, गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुलिस स्टेशन स्तर अथवा जिला स्तर या इससे निचले स्तर पर किसी अन्य पुलिस कार्यालय के सकारात्मक वृत्तांतों/उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्य की पहचान करने और इसे जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना और वेबसाइटों से एकत्र की गई सूचना के अनुसार, पूरे देश में जिलों और पुलिस जिलों की अपनी अलग वेबसाइटें हैं। कुछ राज्यों ने जिला–वार सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए हैं और कुछ ने इसे अपनी राज्य पुलिस की वेबसाइटों पर अपलोड किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक वेबसाइटों पर 35,556 सकारात्मक वृत्तांत अपलोड किए गए हैं।

छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम

12.47 राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिनांक 21.07.2018 को गुरूग्राम में माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में किया गया था। समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 6,000 कैडेटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के छात्रों में स्कूलों में कक्षाओं के माध्यम से तथा स्कूलों के बाहर उनके मन में मूल्यों और नैतिकता की भावना पैदा करके उनके माध्यम से पुलिस और वृहत समुदाय के बीच एक संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा VIII और IX के छात्रों पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे छात्रों के कार्य का बोझ न बढ़े। इस कार्यक्रम को मोटे तौर पर दो प्रकार के विषयों को कवर करना है: (i) अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण तथा (ii) मूल्य और नैतिकता। पहले भाग के अंतर्गत आने

वाले विषय हैं– सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आपदा प्रबंधन। दूसरे भाग के अंतर्गत आने वाले विषय हैं – मूल्य और नैतिकता, बड़ों के प्रति सम्मान, परानुभूति और सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, प्रवृत्ति, टीम भावना और अनुशासन। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2019 तक कुल 38,163 एसपीसी कक्षाएं आयोजित की गई थीं।

राज्य विधायन

12.48 भारत के राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेशों/पूर्व स्वी ति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायन (संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत) से संबंधित प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। संविधान के अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी हेतु विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–। के परंतुक के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुदेशों हेतु अध्यादेश और संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम इस श्रेणी में आते हैं।

12.49 भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके शीघ्र अनुमोदन के लिए विधायन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जाती है। परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा मुद्दों का समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/सहमति को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकें करके समय–समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

12.50 पहले से लंबित राज्यों के विधायन संबंधी प्रस्तावों के अलावा, गृह मंत्रालय को दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रपति की सहमति/पूर्व अनुदेशों/पूर्व स्वी ति के लिए राज्यों से 28 नए विधायन संबंधी प्रस्ताव अर्थात् 22 विधेयक, 05 अध्यादेश और 01 पूर्व मंजूरी संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विवरण	संख्या
I.	संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी सहमति वाले विधेयक	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए गए विधेयक	33
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश के साथ राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	00
	(iii) विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति रोक लेना	00
	(iv) संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	07
	(v) संबंधित राज्य सरकार को वापस किए गए विधेयक	02

II.	संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेशों हेतु अध्यादेश	
	(i) अध्यादेश के प्रख्यापन हेतु राष्ट्रपति के अनुदेश की सूचना देना	02
	(ii) बंद किए गए अध्यादेश	02
III.	संविधान के अनुच्छेद 304(ख) के तहत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति हेतु विधेयक	00
IV.	संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 4(3) के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विनियम	00
	कुल	46

12.51 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के विधायी पहलुओं से है। इन्हें देश के बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक परि श्य के अनुरूप बनाने के लिए इन संहिताओं में समय–समय पर संशोधन किया जाता है। ये संशोधन भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों, इस संबंध में गठित आयोगों/समितियों की सिफारिशों और न्यायालयों के आदेशों के आधार पर भी किए जाते हैं।

12.52 गृह मंत्रालय ने भारतीय विधि आयोग से इसकी जांच करने और दंड विधि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है ताकि बदल रहे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सीआरपीसी/आईपीसी में व्यापक संशोधन किए जा सकें। विधि आयोग ने विचार किए जाने हेतु फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। वर्तमान परिवर्तनों और नए भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस कार्य का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि आम आदमी के लिए 'जीवन को असान बनाना' सुनिश्चित हो सके। इस संदर्भ में, माननीय गृह मंत्री ने राज्यपालों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संघ राज्य क्षेत्रों के उप–राज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित दिनांक 07.09.2019 के अपने पत्र के माध्यम से उनसे आईपीसी, सीआरपीसी, आईईए और एनडीपीएस अधिनियम में व्यापक संशोधनों के बारे में सुझाव देने का अनुरोध किया है। माननीय गृह मंत्री ने समकालीन जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तथा एक ऐसा कानूनी ढ़ांचा सृजित करने के उद्देश्य से, जो नागरिक केंद्रित हो और जीवन की सुरक्षा तथा मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करता हो, न्यायपालिका, बार काउंसिलों तथा विधि संस्थानों से भी सुझाव मांगे हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीएंडआरडी) को भी सीआरपीसी तथा आईपीसी की समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दया याचिकाएं

12.53 गृह मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई माफी संबंधी दया याचिकाओं आदि को भी देखता है। मंत्रालय शीघ्र निपटान हेतु इन दया याचिकाओं पर कार्रवाई करता है।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' का शुभारंभ

12.54 भारत में निजी सुरक्षा उद्योग रोजगार की ष्टि से सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। निजी सुरक्षा उद्योग क्षेत्र के विनियमन/विकास के लिए, गृह मंत्रालय ने निजी सुरक्षा

एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निजी सुरक्षा एजेंसियों को अ नलाइन नया लाइसेंस जारी करने/लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' विकसित किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 24.09.2019 को ड . अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में किया गया। इस पोर्टल को अन्तर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) डाटाबेस के साथ जोड़ा गया है, जो आवेदकों/गार्डों/पर्यवेक्षकों आदि के चरित्र और पूर्ववृत्तों के तत्काल सत्यापन को सुगम बनाता है। इस पोर्टल में एजेंसी के कार्यालय की जियो–टैगिंग के साथ–साथ इसके कार्यालय परिसर का चित्र अपलोड करने, नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा अधिक प्रभावशाली निगरानी, आवेदकों से अ नलाइन प्रश्न (यदि कोई हो) पूछने और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए आवेदकों से प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति तथा अ नलाइन लाइसेंस बनाने की सुविधाएं शामिल की गई हैं। अ नलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली से आवेदनों के शीघ्र निपटान, प्रणाली में पारदर्शिता, आवेदकों द्वारा आसानी से ट्रैकिंग के साथ–साथ उद्योग के लिए लागत में कमी जैसे लाभ होते हैं। अ नलाइन लाइसेंसिग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(क) निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदकों और कर्मचारियों/गार्डों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु आपराधिक पूर्ववृत्तों की अखिल भारतीय अ नलाइन जांच।

(ख) सभी राज्यों हेतु आवेदन प्राप्त करने तथा लाइसेंस जारी करने के लिए कामन अ नलाइन पोर्टल। इससे लाइसेंस जारी करने वाले सभी प्राधिकरण अर्थात् संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जुड़े हुए हैं।

(ग) पेमेंट गेटवे के साथ जुड़े एक केंद्रीय तौर पर प्रायोजित पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस शुल्क प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का पहला अ नलाइन पोर्टल।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' का शुभारंभ

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रिंट मीडिया विज्ञापन अभियान का शुभारंभ

12.55 'निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' के शुभारंभ समारोह के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केवल उन निजी सुरक्षा एजेंसियों, जिन्हें निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार से वैध लाइसेंस प्राप्त है, की सेवाएं प्राप्त करने के बारे में लोगों/प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट मीडिया विज्ञापन अभियान की शुरूआत की। अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर पर एक अ डियो–वीडियो मीडिया विज्ञापन अभियान चलाने की योजना भी है। इस विज्ञापन अभियान का उद्देश्य सामान्य लोगों, उद्योग और अन्य संस्थानों अर्थात् स्कूलों, अस्पतालों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), म ल आदि को अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए सुरक्षा गार्ड केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों से लेने और बिना लाइसेंस वाली सुरक्षा एजेंसियों तथा अवैध पद्धतियों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सूचना प्रदान करना है।



माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रिंट मीडिया विज्ञापन अभियान का शुभारंभ

(स्रोतः पीएम प्रभाग, गृह मंत्रालय)

निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय म डल नियमावली, 2006 में संशोधन

12.56 आधुनिक समय में निजी सुरक्षा उद्योग सुरक्षा और संरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के कारण निजी सुरक्षा एजेंसी क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 90 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारियों के माध्यम से निजी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय यह अधिनियम लागू करता है और इसके अंतर्गत

म डल नियमावली तैयार करता है। मुख्य अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के ब्यौरे निर्धारित करने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय म डल नियमावली, 2006 तैयार की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने पृथक नियम अधिसूचित करते हुए इन नियमों को लागू किया। गृह मंत्रालय में म डल नियमावली में संशोधन करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि डिजिटल युग में प्रौद्योगिकीय प्रगति के आलोक में अधिनियम का और अधिक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा कार्य करने की सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके। निजी सुरक्षा एजेंसी केंद्रीय म डल नियमावली, 2006 में किए जाने वाले संशोधनों के आशय निम्नलिखित हैं:

(क) प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में बदलावों को शामिल करना।

(ख) मैनुअल सत्यापन के स्थान पर पूर्ववृत्तों के डिजिटल सत्यापन के लिए इसे अंतर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के साथ जोड़ना।

(ग) म डल नियमावली को भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.12.2018 से अनिवार्य बनाए गए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाना।

(घ) उन कतिपय प्रावधानों को डिजिटल बनाना, जिन्हें पहले केवल अ फलाइन पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता था।

(ङ) बैंकर्स चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के साथ–साथ फीस का इलेक्ट्र निक रूप में भुगतान करने में सक्षम बनाना।

(च) इन एजेंसियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करके एक से अधिक राज्यों में कार्यरत निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सुगमता से कार्य करने में सुधार करना।

पुलिस व्यवस्था संबंधी प्रमुख और गैर–प्रमुख गतिविधियां

12.57 पुलिस सुधारों की जांच–पड़ताल करने वाले अनेक पुलिस आयोगों और समितियों ने पुलिस संरचना में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। ऐसा एक क्षेत्र पुलिस व्यवस्था संबंधी गैर–प्रमुख गतिविधियों की पहचान करना है ताकि पुलिस संगठनों को अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करने के मामले में अधिक प्रभावशाली और सक्षम बनाया जा सके। हाल ही में ऐसा एक अध्ययन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया है। बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय में एक ऐसी सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है जो सभी राज्य सरकारों के लिए स्वीकार्य हो ताकि पहचान की गई गैर–प्रमुख गतिविधियां अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की सूची में न रहें। हाल के वर्षों में, आउटसोर्सिंग के लिए माहौल अनुकूल है क्योंकि जनशक्ति उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों के साथ–साथ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस प्रकार की आउटसोर्सिंग से जनशक्ति की बचत होगी और आधुनिकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। राज्य सरकारों और राज्य पुलिस संगठनों को एक मसौदा परिचालित किया गया है।

राष्ट्रीय मानदंडों का निर्माण

12.58 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते, राज्य पुलिस बल अपनी संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। तथापि, गृह मंत्रालय इन बलों को सहायता प्रदान करने के अलावा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है और इन बलों की आधुनिकीकरण संबंधी विभिन्न साझा आवश्यकताओं के संबंध में राज्य पुलिस बलों को सहायता भी प्रदान करता है। राज्य पुलिस बलों द्वारा सीएपीएफ की गुणात्मक आवश्यकताओं और परीक्षण निर्देशों को अपनाना अथवा पुलिस के क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में एसओपी परिचालित करना ऐसे ज्ञान के आदान–प्रदान के कुछ उदाहरण हैं। इससे पुलिस बलों, विशेषकर छोटे राज्यों के पुलिस बलों के लिए मार्गदर्शन के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यह प्रयासों के दोहराव को भी दूर करता है और इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को भी आंशिक रूप से दूर करता है कि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न पुलिस बल प्रत्येक घटक में आधुनिकीकरण के अलग–अलग चरणों में

हैं। इसलिए, प्रत्येक घटक में न्यूनतम आवश्यक बेंचमार्क निर्धारित करना आवश्यक है ताकि जो राज्य पीछे हैं, वे न्यूनतम प्रत्याशित प्रौद्योगिकीय उन्नति कर सकें। इस दिशा में, गृह मंत्रालय ने हथियार और गोलाबारूद, फ रेंसिक उपकरण और वायरलेस संचार आदि के लिए राष्ट्रीय मानदंड तैयार करने का कार्य शुरू किया है। गृह मंत्रालय ने फ रेंसिक के क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित राज्य स्तरीय अवसंरचना पहले ही परिचालित कर दी है। राज्य पुलिस बलों के संचार आदि के क्षेत्र में राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग

12.59 वर्ष 2015 में, माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन तथा साथ ही साथ नागरिकों के फीडबैक के आधार पर उनकी ग्रेडिंग के लिए पैरामीटर निर्धारित करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, देश में दस सर्वोत ष्ट पुलिस स्टेशनों और किसी विशिष्ट राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत ष्ट पुलिस स्टेशन की पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वोत ष्ट पुलिस स्टेशन स्कीम का वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया गया था। पूरे देश में लगभग 15,579 पुलिस स्टेशनों में से, चयन (श र्ट लिस्ट) करने का कार्य सीसीटीएनएस पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया गया था;

क) 750+ पुलिस स्टेशनों वाले राज्यों से 03

ख) अन्य सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 02

ग) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 01

12.60 पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन महिलाओं और अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रति अपराध तथा संपत्ति संबंधी अपराधों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए श र्ट लिस्ट किए गए पुलिस स्टेशनों का स्थल पर सर्वेक्षण किया गया है। देश में सर्वोत ष्ट पुलिस स्टेशन को चुनने का मानदंड मुख्यतः अपराध को रोकने, जांच तथा मामलों के निपटान, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में उनके प्रदर्शन पर आधारित था। इस उद्देश्य हेतु पुलिस स्टेशनों की अवसंरचना और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाता है।

12.61 वर्ष 2019 के लिए दस सर्वोत ट पुलिस स्टेशन इस प्रकार हैं:

रैंक	राज्य	जिला	पुलिस स्टेशन
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान	अबरदीन
2.	गुजरात	महिसागर	बालासिनोर
3.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	अजाक बुरहानपुर
4.	तमिलनाडु	थेनी	एडब्ल्यूपीएस-थेनी
5.	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग वैली	अनीनी
6.	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	बाबा हरिदास नगर, द्वारका
7.	राजस्थान	झालावाड़	बाकनी
8.	तेलंगाना	करीमनगर	चोप्पाडंडी (एम)
9.	गोवा	उत्तरी गोवा	बिचोलिम
10.	मध्य प्रदेश	श्योपुर	बरगवां

12.62 वर्ष 2019–2020 के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक

क्र. सं.	विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक	प्रस्तुत करने की तारीख	लोक सभा में पारित होने की तारीख	राज्यसभा में पारित होने की तारीख	राष्ट्रपति द्वारा सहमति की तारीख
1	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	24.06.2019 (लोक सभा)	28.06.2019	01.07.2019	09.07.2019
2	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 (लोक सभा)	19.07.2019	22.07.2019	27.07.2019
3	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 (लोक सभा)	15.07.2019	17.07.2019	24.07.2019
4	विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019	08.07.2019 (लोक सभा)	24.07.2019	02.08.2019	08.08.2019
5	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019	05.08.2019 (राज्य सभा)	06.08.2019	05.08.2019	09.08.2019
6	विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019	25.11.2019 (लोक सभा)	27.11.2019	03.12.2019	09.12.2019
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) विधेयक, 2019	26.11.2019 (लोक सभा)	27.11.2019	03.12.2019	09.12.2019
8	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019	29.11.2019 (लोक सभा)	09.12.2019	10.12.2019	13.12.2019
9	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019	09.12.2019 (लोक सभा)	10.12.2019	11.12.2019	12.12.2019

*****

अध्याय-13

विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक तथा नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय (एमएचए) आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवेश करने, यहां ठहरने, उनकी आवाजाही और देश से प्रस्थान करने आदि का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित होता है। जहां सभी विदेशी राष्ट्रिकों को सभी प्रकार का भारतीय वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा भौतिक अथवा स्टिकर स्वरूप में दिया जा सकता है, वहीं बीओआई 171 देशों के पांच श्रेणियों के विदेशी राष्ट्रिकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान करता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

13.3 कैलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान 1,09,23,084 विदेशी राष्ट्रिकों (39,018 पाकिस्तानी नागरिकों सहित) ने भारत की यात्रा की। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सबसे अधिक विदेशी राष्ट्रिक बांग्लादेश (25,71,131) से थे, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (15,11,967), यूनाइटेड किंगडम (10,00,287), श्रीलंका (3,30,858), कनाडा (3,51,846), अ स्ट्रेलिया (3,67,208), मलेशिया (3,34,543), चीन (3,39,428), जर्मनी (2,64,960) और रूसी संघ (2,51,314) का स्थान था। विदेशी राष्ट्रिकों के कुल आगमन में 67.05% हिस्सा इन 10 देशों से था, जबकि शेष 32.95% आगमन अन्य देशों से हुआ है।

विदेशी राष्ट्रिकों का निर्वासन

13.4 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) द्वारा कुल 1,233 विदेशी राष्ट्रिकों का भारत से निर्वासन किया गया था। उनमें सर्वाधिक संख्या नाइजीरिया (547) से थी, जिसके बाद बांग्लादेश (230) और अफगानिस्तान (94) का स्थान था।

भारत में वीजा व्यवस्था का उदारीकरण, सरलीकरण और यौक्तिकरण

13.5 गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत के वीजा तंत्र को उदार, सरली त और तर्कसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि वीजा जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और उन विदेशी राष्ट्रिकों को सुविधा प्रदान की जा सके, जो पहले से ही वैध वीजा पर भारत में रह रहे हैं। वर्ष 2019 के दौरान वीजा नीति में किए गए मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:–

(क) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2019 के आदेश के द्वारा ई–पर्यटक वीजा और ई–व्यापार वीजा की अवधि को दो बार प्रवेश के साथ 60 दिनों से बढ़ाकर बहु–प्रवेश के साथ एक वर्ष कर दिया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के आदेश के माध्यम से, ई–पर्यटक वीजा की दो नई उप–श्रेणियां अर्थात एक बहु–प्रवेश सुविधा के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए और दूसरी दो बार प्रवेश के साथ एक महीने की अवधि के लिए शुरू की गई थीं। अ फ–सीजन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अप्रैल से जून की अवधि के लिए एक महीने के

ई–पर्यटक वीजा शुल्क को 25 अमेरिकी डालर से घटाकर 10 अमेरिकी डालर करने का निर्णय भी लिया गया था।

(ख) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत भारत द्वारा प्रदान किये जाने वाले वीजा की मुख्य श्रेणियों और उप–श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाया है। वीजा की कुछ मुख्य श्रेणियों और उप–श्रेणियों को आपस में मिलाकर वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या को 26 से घटाकर 21 कर दिया गया था और उप–श्रेणियों की संख्या को 104 से घटाकर 65 कर दिया गया था।

(ग) गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 2019 के आदेश के द्वारा कुछ वीजा पर अनुमति प्रदान किए गए कार्यकलापों को उदार बनाया था और भारत में आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को प्रदान की जाने वाली वीजा संबंधी विभिन्न सेवाओं को भी सरल बनाया था, जैसाकि नीचे स्पष्ट किया गया है:–

(i) पर्यटक वीजा पर आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

(ii) प्रवेश (X–1) वीजा पर आने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अथवा भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवनसाथी/बच्चों/ ओसीआई कार्डधारक को X–1 वीजा को वीजा की उपयुक्त श्रेणी में परिवर्तित कराए बिना रोजगार अथवा व्यापार अथवा अध्ययन अथवा अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

(iii) स्थानीय भाषाओं, संगीत, नृत्य, कला एवं शिल्प, कुकिंग, मेडिसिन आदि पर अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों (अधिकतम 6 माह की अवधि के पाठ्यक्रम, जिसमें अर्हक प्रमाणपत्र/डिप्लोमा आदि शामिल नहीं है) और अल्प अवधि के स्वैच्छिक कार्य (अधिकतम एक माह की अवधि के लिए, जिसमें किसी प्रकार का मौद्रिक भुगतान अथवा जिसके बदले में किसी प्रकार का प्रतिफल शामिल नहीं है) को शामिल करने के लिए पर्यटक वीजा तथा ई–पर्यटक वीजा के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कार्यकलापों का विस्तार किया गया था।

(iv) वेब शो/सीरीज और स्थान (लोके न) संबंधी दौरों को शामिल करने के लिए फिल्म वीजा प्रदान किया गया था तथा फिल्म वीजा के संबंध में पंजीकरण की आवश्यकता को व्यापार वीजा के समतुल्य बनाया गया था।

(v) स्कूली शिक्षा के लिए छात्र–वीजा पर आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के माता–पिता अथवा विधिक संरक्षकों और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए छात्र–वीजा पर आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के आश्रित माता–पिता को X–विविध वीजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(vi) लम्बी अवधि के X–2 वीजा वाले अ रोविले के निवासियों को उनके X–2 वीजा पर अ रोविले की यूनिटों के अंदर रोजगार अथवा व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने, अ रोविले के बाहर योग कार्यशालाओं में भाग लेने, संगीत, नृत्य आदि जैसी प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, X–2 वीजा पर अ रोविले में रह रहे बच्चों को अपने छात्र–वीजा को X–2 वीजा में परिवर्तित कराए बिना स्नातक स्तर तक अध्ययन करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

(vii) वीजा सेवाओं से संबंधित शक्तियां विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) और आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) को सौंपी गई थीं। इनमें विदेशी बौद्ध भिक्षुओं के X–2 वीजा को 10 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाना, रोजगार वीजा पर रोजगार के स्थान में परिवर्तन, राजनयिक/सरकारी वीजा धारकों के आश्रितों के राजनयिक/सरकारी वीजा को छात्र–वीजा में परिवर्तित करना, वीजा की श्रेणी को व्यापार वीजा से रोजगार वीजा एवं रोजगार वीजा को व्यापार

वीजा में परिवर्तित करना, जब विदे ाी राष्ट्रिक भारत में हों, तो उस समय ई–वीजा की विभिन्न उप–श्रेणियों को आपस में मिलाना, दीर्घ अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्रिकों को विभिन्न वीजा संबंधी सेवाएं प्रदान करना जैसे कि प्रस्थान की अनुमति, यात्रा के माध्यम में परिवर्तन, दीर्घ अवधि के वीजा का एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण करने की मंजूरी प्रदान करना, पाकिस्तान के राष्ट्रिकों को अल्प अवधि के वीजा पर वीजा संबंधी सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल था।

(घ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 04 जून, 2019 के आदेश के द्वारा व्यक्तिगत विदेशी पर्यटकों (पूर्व संदर्भ की श्रेणी वाले देशों के अलावा) को संरक्षित एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्थित उन स्थानों, जो पर्यटन के लिए खुले हुए हैं, में जाने के लिए अनुमति प्रदान करने की अपनी शक्तियां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के गृह विभागों और एफआरआरओ के अतिरिक्त संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त को प्रत्यायोजित कर दी थीं।

(ङ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 13 अगस्त, 2019 के आदेश (दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के आदेश के तहत यथा संशोधित) के द्वारा पवर्तारोहण एवं ट्रेकिंग अभियानों के लिए विदेशी नागरिकों को पर्वतारोहण वीजा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा सिक्किम में स्थित 123 अतिरिक्त पर्वत चोटियों को खोल दिया है।

(च) गृह मंत्रालय ने दिनांक 14 अगस्त, 2019 के आदेश के तहत से निजी क्षेत्र द्वारा आयोजित किये जाने वाले सम्मेलनों/सेमिनारों/ कार्यशालाओं हेतु ई–क न्फ्रेंस वीजा की सुविधा का विस्तार किया है।

(छ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के आदेश के द्वारा उन विदेशी नागरिकों, जो किसी भी प्रकार के वीजा पर भारत में पहले से ही रह रहे हैं, द्वारा चिकित्सा उपचार लेने के संबंध में एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की थी। इस प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विदेशी राष्ट्रिक, जो भारत में किसी भी प्रकार के वीजा पर पहले से रह रहा है, को 180 दिनों की अवधि के लिए अथवा वीजा पर उल्लिखित ठहरने की निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, अथवा प्राथमिक वीजा की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए प्राथमिक वीजा को चिकित्सा वीजा में परिवर्तित कराये बिना चिकित्सालयों/उपचार केंद्रों आदि में इंडोर चिकित्सा उपचार कराने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, पूर्व में निर्धारित चिकित्सा परमिट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया था।

(ज) गृह मंत्रालय ने दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के आदेश के द्वारा बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के लिए दो और भूमि आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) अर्थात त्रिपुरा में अगरतला (अखौरा) और पश्चिम बंगाल में घोजादंगा से प्रवेश और प्रस्थान के प्रतिबंध को हटा दिया है।

(झ) गृह मंत्रालय ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 के आदेश के द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से, जब पिछला वीजा मैनुअल जारी किया गया था, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों/शासकीय अनुदेशों में निहित सभी अनुदेशों को शामिल करते हुए एक नया वीजा मैनुअल, 2019 संबंधित प्राधिकारियों को परिचालित किया है। इस नए वीजा मैनुअल में वीजा ढांचे को सरल बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय भी शामिल किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

(i) विदेशी नागरिक के पासपोर्ट की अल्प वैधता अवधि के बावजूद पूर्ण डिफ़ ल्ट अवधि (पांच वर्ष या दस वर्ष) के लिए वीजा प्रदान करने की सुविधा।

(ii) विदेशी नागरिक को दोहरा वीजा अर्थात छात्र, रोजगार, व्यापार वीजा आदि जैसे लंबी अवधि के वीजा के साथ–साथ पर्यटक, मेडिकल, ट्रांजिट, ई–वीजा आदि जैसे अल्प अवधि वाले वीजा रखने की भी अनुमति है।

(iii) अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने के

दौरान या उसके बाद ऐसे वीजा की अनुमति देकर भारत में इंटर्नशिप करने के लिए वीजा को उदार बनाना और इस प्रकार का वीजा अधिकतम दो बार प्रदान करने के प्रतिबंध को हटाना।

(iv) भारत में व्यापार वीजा के विस्तार के उद्देश्य से 2 वर्षों की पूर्व समय–सीमा के मुकाबले 4 वर्षों में भारत में 1 करोड़ रुपए की कुल बिक्री/टर्नओवर की प्राप्ति की अनुमति प्रदान करके व्यापार वीजा को उदार बनाना।

(v) जिन मामलों में, विदेशी नागरिक ने अपने अधिवास के मूल देश से भिन्न स्थान पर वीजा के लिए आवेदन किया है, उनमें विदेशी नागरिक के मूल अधिवास देश में स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट से परामर्श करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(vi) विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले वीज़ा की श्रेणी अर्थात रोज़गार अथवा व्यापार वीजा में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, यह व्यवस्था करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल किया गया था कि रोज़गार वीज़ा उन सभी मामलों में दिया जाएगा, जहाँ विदेशी नागरिक को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान भारत में किया जाता है और व्यापार वीजा उन मामलों में दिया जाएगा, जहां विदेशी नागरिक को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान भारत के बाहर किया जाता है।

ई–वीजा

13.6 पांच उप–श्रेणियों अर्थात ई–टूरिस्ट वीजा, ई–बिजनेस वीजा, ई–क न्फ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के साथ ई–वीजा की सुविधा 171 देशों के राष्ट्रिकों को भारत में 28 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करने के लिए प्रदान की गई है। तथापि, कोविड 19 की स्थिति की वजह से, ई–वीजा की सुविधा मार्च, 2020 से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जब कभी यह सुविधा बहाल की जाएगी, तब इन 171 देशों के राष्ट्रिक भारत आने की प्रत्याशित तारीख से 120 दिन पहले विश्व में कहीं से भी 3 ई–वीजा उप–श्रेणियों यथा–ई–कांफ्रेंस वीजा, ई–मेडिकल वीजा तथा ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए अ नलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और भुगतान अ नलाइन कर सकते हैं। ई–टूरिस्ट और ई–बिजनेस वीजा के मामले में, आवेदक ऐसे किसी प्रतिबंध के बिना अ नलाइन आवेदन कर सकते हैं और इन मामलों में इलेक्ट्र निक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए) वीजा की वैधता की अवधि के साथ समाप्त होगा। ई–वीजा निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:–

(क) ई–टूरिस्ट वीजा तीन विकल्पों के तहत दिया जाता है अर्थात कई बार प्रवेश के साथ 5 वर्ष के लिए, कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए और दो बार प्रवेश के साथ एक महीने के लिए।

(ख) ई–बिजनेस वीजा कई बार प्रवेश के साथ एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

(ग) ई–मेडिकल वीजा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा तीन बार प्रवेश के साथ 60 दिन तक की अवधि के लिए दिया जाता है।

(घ) ई–क न्फ्रेंस वीजा एक बार प्रवेश के साथ 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है।

13.7 इसके अलावा, एफआरआरओ तथा गृह मंत्रालय द्वारा ई–मेडिकल वीजा, ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई–क न्फ्रेंस वीजा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

आगमन पर वीजा की योजना

13.8 ई–वीजा सुविधा के अलावा, भारत सरकार ने जापानी और दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए 'आगमन पर वीजा' की योजना भी क्रमशः दिनांक 01.03.2016 और 01.10.2018 से लागू की है, जिसमें व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भारत में 06 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के जरिये अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए दो बार प्रवेश किया जा सकता है। हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को भी दिनांक 07.11.2019 से आगमन पर वीजा की सुविधा प्रदान की गई

है। यह सुविधा उन यूएई राष्ट्रिकों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहले भारत के लिए ई–वीजा अथवा सामान्य पेपर वीजा प्राप्त किया हो, चाहे उस व्यक्ति ने भारत की यात्रा की हो अथवा न की हो।

13.9 इसके अलावा, अटारी में भारत–पाकिस्तान सीमा को पैदल पार करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के पाकिस्तानी नागरिकों को भी कुछ शर्तों के अधीन एक बार प्रवेश के साथ 45 दिनों तक ठहरने के लिए 'आगमन पर वीजा' प्रदान किया जाता है।

ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने विदेशी राष्ट्रों में शरण ले ली थी तथा शरणार्थी बन गए थे, वीजा सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

13.10 ऐसे व्यक्तियों के लिए नियमित वीजा सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 30.11.2016 को आदेश जारी किये हैं, जिन्होंने गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना अपने विदेशी पासपोर्ट के आधार पर विदेशी राष्ट्र में शरण ले ली थी तथा शरणार्थी बन गए थे (जिनके खिलाफ कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो)। इसके अलावा, शरणार्थियों की वे सभी श्रेणियां, जो दीर्घ अवधि का वीजा जारी करने हेतु पात्र हैं, ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगी, जिनके पास दो वर्ष की अवधि के लिए सामान्य वीजा रहा हो और उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया हो।

आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) के संबंध में मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)

13.11 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकी त अ नलाइन प्रदायगी ढांचा विकसित और कार्यान्वित करना है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को सु ढ़ करने के साथ–साथ वीजा जारी करने और आप्रवासन की प्रक्रियाओं के दौरान विदेशी राष्ट्रिकों सहित वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। प्रभावी संचार, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता की सहायता वाले स्थानों की अवसंरचना/कनेक्टिविटी की तैयारी के अनुरूप स्कीम का कार्यान्वयन योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.12 मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) में वैश्विक पहुँच निहित है क्योंकि परियोजना के दायरे में विदेश में 188 भारतीय मिशन, 107 आप्रवासन जांच चौकियां (आईसीपी), 12 विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और देश भर में जिला मुख्यालयों में 712 विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) तथा सभी राज्य सरकारें शामिल हैं। परियोजना के तहत सत्रह विभिन्न म ड्यूल पहले ही लागू किए जा चुके हैं। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, विदेशों में 177 भारतीय मिशनों, 12 एफआरआरओ, 674 एफआरओ, 98 आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) और देश भर में 23 राज्यों/गृह विभागों में एकी त अ नलाइन वीजा आवेदन प्रणाली लागू की गई है। वीजा आवेदकों के बायोमीट्रिक लक्षणों को कैप्चर करने के लिए विदेशों में 179 भारतीय मिशनों में बायोमीट्रिक नामांकन स फ्टवेयर लागू किया गया है। अ नलाइन भुगतान प्रणाली को ई–वीजा और दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी) के साथ जोड़ा गया है और वीजा आवेदन फ र्म को भी मानकी त किया गया है।

13.13 रोजमर्रा के प्रश्नों के समाधान हेतु विदेशी राष्ट्रिकों, विदेश स्थित भारतीय मिशनों और संपूर्ण देश में एफआरआरओ/एफआरओ की सहायता के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय आईवीएफआरटी कार्यालय शुरू किया गया है। डाटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) भी स्थापित किया गया है।

13.14 आप्रवासन संबंधी कार्य को सुगम बनाने के लिए, कुल 107 ऐसे सीमा पार करने के प्वाइंट्स हैं, जिन्हें प्राधि त आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2019 के दौरान, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर (पंजाब) और इंदौर (मध्य प्रदेश) को प्राधि त आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) के रूप में अधिसूचित किया गया था।

13.15 करतारपुर, पंजाब में डेरा बाबा नानक आईसीपी में आप्रवासन संबंधी कार्य करने के लिए वर्ष 2019 के

दौरान आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) में विभिन्न स्तरों पर कुल 164 पदों के सृजन की मंजूरी जारी की गई।

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दीर्घ अवधि वीजा (एलटीवी)

13.16 कैलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्रमशः कुल 8,684 और 285 तथा 19 दीर्घ अवधि वाले वीजा मामलों का निपटान किया गया है।

पाकिस्तानी कैदियों का प्रत्यावर्तन

13.17 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक, अपनी सजा पूरी कर चुके 25 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 04 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया।

पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए भारतीय कैदियों और भारतीय मछुआरों को वापस लाना

13.18 दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक, 09 भारतीय सिविल कैदियों और 355 भारतीय मछुआरों को भारत वापस लाया गया है।

प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना

13.19 प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड योजना दिनांक 02.12.2005 से शुरू की गई थी। इस कार्ड से विदेशी राष्ट्रिकों को अन्य बातों के साथ–साथ, षि/बागान संबंधी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर जीवन–पर्यन्त वीजा, एफआरआरओ के पास पंजीकरण कराने से छूट तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के समान सुविधा प्राप्त होती है। राजनीतिक तथा लोक रोजगार अधिकारों के क्षेत्र में उन्हें ऐसी समानता की अनुमति नहीं है।

13.20 कुल 35,93,963 विदेशी राष्ट्रिकों को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजी त किया गया है और पीआईओ कार्ड के बदले 4,05,102 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत स्थापित किए गए नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के अलावा, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों को केंद्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) में शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया है। पहले जारी किए गए पीआईओ कार्डों को दिनांक 31.12.2020 तक भारतीय आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) के माध्यम से प्रवेश/निकास के लिए वैध माना जाएगा। तथापि, यदि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा कोई समय–सीमा अधिसूचित की जाती है, जिसके द्वारा हस्तलिखित पीआईओ कार्ड अवैध हो जाते हैं, तो यदि वे अपने कार्ड को ओसीआई कार्ड में परिवर्तित नहीं कराते हैं, तो पीआईओ कार्ड धारकों को भारतीय मिशनों से उपयुक्त वीजा प्राप्त करना होगा। सेवारत अथवा सेवानिवृत्त विदेशी सेना/पुलिस कार्मिकों के बच्चों तथा जीवनसाथी को ओसीआई कार्डधारकों के रूप में पंजीकरण के लिए विचार किये जाने हेतु पात्र बनाया गया है। इसी तरह की छूट निजी सुरक्षा एजेंसियों, गृह कार्यालयों, कारागारों, राष्ट्रीय प्रोबेशन सेवा और गृह कार्यालय अथवा सैन्य संस्थानों से जुड़ी कंपनियों अथवा संगठनों में काम करने वाले विदेशी नागरिकों अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सीधे तौर पर सेना अथवा पुलिस में कार्यरत नहीं होते हैं, को भी ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजी त होने के लिए छूट प्रदान की गई है। एफआरआरओ/भारतीय मिशनों/पोस्टों को विवाह के बिना अथवा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के जरिए पैदा हुए नाबालिग बच्चों के मामलों/सरोगेसी के मामलों तथा गोद लेने के मामलों में निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन मामलों को पहले गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा था। पात्र नाबालिग बच्चों को

ओसीआई कार्ड की सुविधा देने के लिए, एक अधिसूचना जारी की गई है कि नाबालिग के ओसीआई आवेदन पत्र पर माता–पिता में से किसी के भी द्वारा अथवा उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें नाबालिग की कानूनी अभिरक्षा प्रदान की गई है अथवा ऐसे नाबालिग के कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

नागरिकता

13.21 अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में आए थे और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा या उसके अधीन छूट प्रदान की गई थी अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश को लागू किए जाने से छूट प्रदान की गई थी, को नागरिकता प्रदान करने के कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 (सीएबी) पेश किया गया था। नागरिकता (संशोधन) विधेयक दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा द्वारा तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। संसद के इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के रूप में अधिनियमित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम को दिनांक 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी होने के लिए अधिसूचित किया गया है।

सीएए एक सुधारात्मक कानून है, जो एक स्पष्ट विनिर्दिष्ट तारीख तक भारत में प्रवास करने वाले तीन देशों के पूर्वोक्त विशिष्ट समुदायों के विदेशी नागरिकों द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कतिपय छूट प्रदान करता है।

सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। वे इससे पूरी तरह से अप्रभावित हैं। इसके अलावा, सीएए किसी भी देश के किसी भी धर्म के वैध प्रवासियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे प्रवासी पंजीकरण अथवा देशीकरण के तरीके के माध्यम से कानून में पहले से उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

भारत के संविधान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छठीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। सीएए के दायरे में संविधान की छठीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

13.22 गृह मंत्रालय के दिनांक 28.05.2019 के आदेश के माध्यम से, जिला कलेक्टर, उत्तरी गोवा और जिला कलेक्टर, दक्षिण गोवा को गोवा राज्य के निवासियों द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के मुद्दे की जांच करने और नागरिकता नियमावली, 2009 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी।

13.23 विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित निर्दिष्ट अधिकरण के समक्ष असम में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के संदर्भ में दावों और आपत्तियों के परिणाम के विरूद्ध अपील करने की समयावधि को साठ दिनों से बढ़ाकर एक सौ बीस दिन कर दिया गया था।

13.24 दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2020 तक, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों (गृह मंत्रालय तथा 7 राज्यों और 16 जिलों में केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित शक्तियों वाले प्राधिकारियों) द्वारा कुल 1214 नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसमें से, 1072 विदेशी नागरिकों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा और 142 लोगों को धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की गई थी।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010)

13.25 एफसीआरए, 2010 राष्ट्रीय हित और उससे जुड़े मामलों के लिए हानिकारक गतिविधियों हेतु ऐसे अंशदानों के किसी भी उपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारत में व्यक्तियों/संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करता है।

13.26 एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत, किसी निश्चित सांस्तिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से मना किया गया है। किसी निश्चित सांस्तिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम के लिए विदेशी अभिदाय की मांग करने वाले संगठन अपने क्रियाकलापों एवं लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण प्रस्तुत करके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देने के पश्चात विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से या तो पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। केवल उन संगठनों का पंजीकरण किया जाता है, जिनका विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य के चयनित क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है और पंजीकरण के पश्चात ऐसे संगठन अपने वर्णित उद्देश्यों के लिए किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। संगठन तथा उसके पदाधिकारियों के क्रियाकलापों एवं पूर्ववृत्त की संपूर्ण सुरक्षा संबंधी जांच के पश्चात ही पंजीकरण किया जाता है अथवा पूर्व अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.27 एक अनलाइन एफसीआरए पोर्टल शुरू किया गया था। दिनांक 14.12.2015 से सभी एफसीआरए सेवाओं जैसेकि पंजीकरण, पूर्व अनुमोदन, पंजीकरण का नवीनीकरण, गैर–सरकारी संगठनों के ब्यौरे का परिवर्तन, विदेशी आतिथ्य की मंजूरी (कुछ अपवादों के साथ) को अनलाइन बनाया गया था। पोर्टल को अपग्रेड किया गया है, ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और ज्यादा अनुकूल तथा जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।

13.28 दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक पंजीकरण, नवीनीकरण और पूर्व अनुमोदन तथा आतिथ्य से संबंधित एफसीआरए आवेदनों के निपटान का पूर्ण ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सेवाएं	प्रदान किए गए	मना किए गए	बंद
1	पंजीकरण	341	1753	57
2	नवीनीकरण	283	366	38
3	पूर्व अनुमति	61	254	13
4	आतिथ्य	4186	250	204
	कुल	4871	2623	312
	समग्र निपटान	7806		

13.29 गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के प्रवाह को प्रभावी ढंग से मनीटर करने के लिए, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में गैर–सरकारी संगठनों के विदेशी अभिदाय (एफसी) खातों को सार्वजनिक वित्तीय निगरानी प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीत किया गया है। आज की तारीख तक, 62 वाणिज्यिक बैंकों को पीएफएमएस के साथ एकीत करके लगभग सभी निर्दिष्ट एफसी खातों को कवर किया गया है।

13.30 उन संघों/गैर–सरकारी संगठनों, जिनके प्रमाणपत्र केवल वार्षिक रिपोर्टें (एआर) दाखिल न करने के कारण निरस्त किए गए थे, द्वारा बार–बार दिए गए अभ्यावेदनों के कारण, उन्हें नोटिस जारी किए जाने से तीन माह के भीतर नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने लिए धारा 14(3) की प्रतिबंधात्मक शर्त से दिनांक 01.08.2019 के पब्लिक नोटिस के तहत एक बारगी छूट देने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने यह निर्णय भी लिया था कि मिसिंग वार्षिक रिपोर्ट को अपलोड करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एफसीआरए, 2010 के अन्य प्रावधानों के उल्लंघनों के मामले में, जो दिनांक 27.07.2018 के शुद्धि–पत्र के साथ पठित दिनांक 05.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार प्रशमनीय हैं, संघों/गैर–सरकारी संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजीकरण या पूर्व अनुमोदन के लिए नया आवेदन करने से पहले, वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत न किये जाने के मामलों को छोड़कर, इन उल्लंघनों का प्रशमन करा लिया जाए।

13.31 दिनांक 18.03.2020 के नोटिस के तहत लोकहित में, उन 1808 संघों, जिनके पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे, को एफसीआरए, 2010 की धारा 14(3) के प्रावधान से छूट प्रदान करके उन्हें बड़ी राहत प्रदान की गई।

13.32 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 16.09.2019 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 में पुनः संशोधन किया है, जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 कहा जाता है।

13.33 भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 01.07.2011 के का.आ.सं.1492(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित आदेश का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्रशासनिक आदेश या कार्यकारी आदेश द्वारा गठित या स्थापित उन सभी संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (जो कोई राजनैतिक दल न हों) और जो पूर्ण रूप से संबंधित सरकार के स्वामित्व में हों तथा जिनके लिए अपने लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) या सीएजी की किसी एजेंसी से करवाना अनिवार्य है, को भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.01.2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के सभी प्रावधानों के लागू होने से छूट प्रदान की है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.34 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा, जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजना

13.35 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में 'पूर्व–अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। वर्ष 1972 में, भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" नामक एक नियमित योजना शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारी त करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। वित्त वर्ष 2017–18 से, इस योजना के नाम को बदलकर "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" कर दिया गया है। "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना" की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई हैं।

13.36 **पात्रताः** इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:–

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण छह माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था और बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसा व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दस या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

13.37 **आश्रितः** इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति (विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (तीन तक) तथा माता या पिता इसी क्रम में पात्र हैं। किसी एक समय पर, उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

13.38 **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायतः** पेंशन की मंजूरी की पात्रता के मानदंड में कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.39 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:–

(क) स्वतंत्रता सेनानी/उनकी विधवा/विधुर के लिए एक साथी के साथ उसी श्रेणी में आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (दूरन्तो में 2/3 ए.सी., राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी सहित किसी भी गाड़ी में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी ए.सी.);

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं और लोक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(ग) यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन का कनेक्शन;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए अपनाई गई सामान्य चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों (पीएच), बेहतरीन खिलाड़ियों (ओएसपी) और स्वतंत्रता सेनानियों (एफएफ) के लिए 'मिश्रित श्रेणी' के अंतर्गत 4% आरक्षण का प्रावधान;

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल का

रिहाइशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर)। स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी/पति को स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के पश्चात उस आवास को छह माह की अवधि तक अपने पास रखने की अनुमति दी गई है;

(च) स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों के लिए नई दिल्ली में ट्रांजिट आवास (निवास एवं भोजन) उपलब्ध कराने के लिए एक पूर्णरूपेण सुसज्जित और वृद्धावस्था के अनुकूल स्वतंत्रता सेनानी गृह है; और

(छ) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, पूर्व–अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी पत्नियों/पतियों को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई है।

पेंशन की राशि

13.40 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 1972 में निर्धारित पेंशन की आरंभिक राशि 200/– रु. प्रति माह थी। तदनंतर, मूल पेंशन और महंगाई राहत को समय–समय पर संशोधित किया गया है। दिनांक 15.08.2016 से, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत प्रणाली, जिसे अभी तक वार्षिक आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों पर लागू किया जाता था, समाप्त कर दी गई है और उसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार लागू महंगाई भत्ता प्रणाली से बदल दिया गया है। इसे "महंगाई राहत" का नाम दिया गया है, जो पेंशनरों के मामले में उपयुक्त शब्द है। दिनांक 01.07.2019 से 15% अतिरिक्त महंगाई राहत के साथ मासिक पेंशन की दर निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	दिनांक 15.08.2016 से मूल पेंशन (रु. प्रति माह)	दिनांक 01.07.2019 से 15% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (रु. प्रति माह)
1.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी/पति/पत्नी	30,000	4500	34,500
2.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी/पति/पत्नी	28,000	4200	32,200
3.	आई एन ए सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी/ पति/पत्नी	26,000	3900	29,900
4.	आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 पुत्रियां)	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात् 13,000/- रु. से 15,000/- रु. तक	1950/- रु. से 2250/- रु. तक	स्वतंत्रता सेनानी को देय राशि के 50% की सीमा तक अर्थात 14,950/- रु. से 17,250/- रु. तक

13.41 गृह मंत्रालय के आंतरिक अ डिट विंग ने लेखापरीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि बैंकों द्वारा अपनायी गई कुछ प्रक्रियाएं इस स्कीम के लिए लागू नहीं होती हैं। बैंकरों के बीच भ्रम का प्राथमिक कारण यह था कि उन्होंने इस पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों की किसी अन्य सिविल पेंशन के रूप में समझ लिया था। इसके परिणामस्वरूप 6ठें वेतन आयोग का लाभ देने, चिकित्सा लाभ देने, वृद्धावस्था लाभ देने तथा कुछ मामलों में केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनर्स से टीडीएस काटने जैसी अनेक विसंगतियां हो गई थीं। ये त्रुटियां अनिवार्य रूप से इसलिए हुईं क्योंकि बैंकों ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के सामान्य दिशानिर्देश केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में लागू कर दिए थे। मौजूदा नियमों में स्पष्टता लाने और योजना के दुरुपयोग की संभावना को दूर करने हेतु, केंद्रीय सम्मान पेंशन के वितरण के लिए संशोधित नीतिगत दिशानिर्देश दिनांक 06.08.2014 के पत्र संख्या 45.03.2014–एफएफ (पी) के माध्यम से जारी किए गए थे।

13.42 इसके अतिरिक्त, सभी प्राधि त बैकों को यथा संभव शीघ्र स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ना सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए थे। वर्तमान में, केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के लगभग 86.57% बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.43 वित्त वर्ष 2019–20 हेतु गृह मंत्रालय के स्वी त बजट में पेंशन के भुगतान के लिए 937.50 करोड़ रुपये, केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को जारी निःशुल्क कार्ड पास के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान हेतु 15 करोड़ रुपये तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा स्वतंत्रता सेनानी गृह की मरम्मत हेतु प्रतिपूर्ति के लिए 17 लाख रुपये का प्रावधान है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों की संख्या

13.44 योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2019 तक 1,71,644 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वी त की गई है। उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों, जिन्हें सम्मान पेंशन स्वी त की गई है, का राज्य–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या, जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आन्ध्र प्रदेश	15,285
2	तेलंगाना	
3	असम	4,442
4	बिहार	24,905
5	झारखंड	
6	गोवा	1508
7	गुजरात	3,599
8	हरियाणा	1,690
9	हिमाचल प्रदेश	633

10	जम्मू और कश्मीर	1,807
11	लद्दाख	
12	कर्नाटक	10,100
13	केरल	3,420
14	मध्य प्रदेश	3,488
15	छत्तीसगढ़	
16	महाराष्ट्र	17,965
17	मणिपुर	63
18	मेघालय	86
19	मिजोरम	4
20	नागालैंड	3
21	ओडिशा	4,196
22	पंजाब	7,041
23	राजस्थान	814
24	तमिलनाडु	4,134
25	त्रिपुरा	888
26	उत्तर प्रदेश	18,000
27	उत्तराखंड	
28	पश्चिम बंगाल	22,523
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
30	चंडीगढ़	91
31	दादरा और नगर हवेली	83
32	दमण और दीव	33
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,048
34	पुदुचेरी	320
35	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,472
	कुल	**1,71,644**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.45 परम्परा के अनुसार, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 09.08.2019 को राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह– 'ऐट होम' आयोजित किया और विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को *अंगवस्त्रम* से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त, आमंत्रित स्वतंत्रता सेनानियों को श ल और छोटे उपहार से सम्मानित किया गया। देश के विभिन्न भागों से आए 78 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।





दिनांक 09.08.2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'ऐट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति

(स्रोतः राष्ट्रपति सचिवालय)

13.46 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत, ऐसे 40 स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हैं, जिन्हें केंद्रीय सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है। उपर्युक्त 40 आंदोलनों में से, दो नवीनतम आंदोलनों यथा हैदराबाद मुक्ति आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.47 वर्ष 1947–48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र बनाया गया था। तद्नुसार, हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान भूमिगत यातनाओं के दावों पर विचार करने के उद्देश्य से 98 सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता दी गई थी। इसके पश्चात, गृह मंत्रालय ने दावों पर विचार करने के लिए, जुलाई, 2004 में 18 अतिरिक्त सीमावर्ती कैम्पों को मान्यता प्रदान की थी।

13.48 गृह मंत्रालय ने वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए दिनांक 10.9.2009 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.49 गोवा की मुक्ति के आंदोलन के दौरान, जो कि कई वर्षों तक चला, बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों कड़ी सजा मिली थी। गोवा मुक्ति आंदोलन निम्नानुसार तीन चरणों में फैला था:

चरण–I	1946 से 1953 तक
चरण–II	1954 से 1955 तक
चरण–III	1955 से 1961 तक

13.50 गोवा मुक्ति आंदोलन को पहले से ही एसएसएस योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त थी और आंदोलन के वे प्रतिभागी जो विभिन्न चरणों के दौरान योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते थे और जिनके मामलों में पीड़ा संबंधी रिक र्ड उपलब्ध थे, उन्हें भारत सरकार द्वारा पेंशन प्रदान कर दी गई थी। तथापि, चरण–II (1954–55) के दौरान के प्रतिभागियों के संबंध में, तत्कालीन पुर्तगाली प्राधिकारियों की नीति के अनुसार, जत्था नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तथा सत्याग्रहियों (आंदोलन के प्रतिभागियों) को पीटा गया था और गोवा की सीमाओं से बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए, उनकी गिरफ्तारी या कारावास का सवाल ही नहीं उठता था। इस प्रकार उनके पास पीड़ा का कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए इस तरह के प्रतिभागियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन के चरण–II के उन स्वतंत्रता सेनानियों को एसएसएस योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी थी, जिन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 01.08.2002 से पहले अथवा इस तारीख तक राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की गई थी।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

13.51 भारत सरकार ने दिनांक 04.07.2018 को "प्रवासियों और प्रत्यावर्तितों के राहत और पुनर्वास" की सर्वसमावेशी स्कीम के तहत 3182.91 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ मौजूदा आठ योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। ये आठ योजनाएं निम्नलिखित हैं:–

(क) तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।

(ख) तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण संबंधी खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को अनुदान सहायता।

(ग) भारत और बांग्लादेश के बीच एन्क्लेवों के आदान–प्रदान के बाद वापस आने वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज तथा बांग्लादेशी एन्क्लेवों और कूच बिहार जिले का अवसंरचनात्मक उन्नयन।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर में बसे हुए पाकिस्तान अधि त जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) तथा छम्ब के क्षेत्रों के 36,384 विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता ।

(ङ) त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू लोगों के गुजारे के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता (पूर्वोत्तर प्रभाग)।

(च) ब्रू/रियांग परिवारों के त्रिपुरा से मिजोरम में पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को अनुदान सहायता (पूर्वोत्तर प्रभाग)।

(छ) 1984 के सिख–विरोधी दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के लिए, प्रति मृतक 5.00 लाख रूपये की बढ़ी हुई राहत की मंजूरी (यूटी प्रभाग)।

(ज) भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी और माइन/आईईडी विस्फोट के सिविलियन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवारों हेतु केंद्रीय सहायता योजना (ब्यौरा अध्याय 2 में दिया गया है)।

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.52 श्रीलंका में जातीय हिंसा और अशांत माहौल के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.53 भारत सरकार का ष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है, परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी आते हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.54 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि, मार्च, 1995 के पश्चात कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा खुद ही दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, 59,506 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 107 शरणार्थी शिविरों में और ओडिशा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के अनुसार, लगभग 35,000 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.55 प्रत्यावर्तन होने तक, इन्हें मानवता के आधार पर कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा–देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1021 करोड़ रूपये (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

13.56 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1987 के भारत–श्रीलंका समझौतों के अंतर्गत भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, उनकी प्रा तिक वृद्धि सहित, भारतीय नागरिकता प्रदान करने तथा श्रीलंका से उनका प्रत्यावर्तन स्वीकार करने की सहमति प्रदान की थी। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 1,16,152 परिवारों के 3.35 लाख व्यक्तियों को 1.26 लाख की उनकी प्रा तिक वृद्धि सहित अक्तूबर, 1964 से दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित किया गया था। श्रीलंका में अशांत माहौल के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, स्वयं भारत आने वाले कुछ प्रत्यावासियों को तमिलनाडु में विभिन्न स्कीमों के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आरईपीसीओ) (रेपको), चेन्नई

13.57 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे

बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 (2002 की संख्या 39)) के तहत वर्ष 1969 में रेपको बैंक की स्थापना एक समिति के रूप में की गई थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधि त पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी की राशि 155.50 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. का योगदान किया है। पांच दक्षिणी राज्यों नामतः तमिलनाडु (7.13 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.04 करोड़ रु.), तेलंगाना (74.88 लाख रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। प्रत्यावासियों ने 69.47 करोड़ रु. का योगदान किया है। इसके उप–नियमों के अनुसार, इस समय रेपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2018–19 में 20% की दर से लाभांश के रूप में 15.26 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल), पुनालूर, केरल

13.58 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः बसाने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है, जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि, बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आरपीएल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

तिब्बती शरणार्थी

13.59 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ–साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्‍ तिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.60 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) द्वारा करायी गई नवीनतम जनगणना 2019 के अनुसार, दिनांक 25.09.2019 की स्थिति के अनुसार भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनसंख्या 73,404 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व–रोजगार के माध्यम से या षि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (21,922), हिमाचल प्रदेश (16,146), अरुणाचल प्रदेश (4,708), उत्तराखंड (4,654), पश्चिम बंगाल (3,006) तथा जम्मू और कश्मीर (7,041) में है। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक शेष आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

13.61 देश के विभिन्न भागों में बसे तिब्बती शरणार्थियों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं में एकरुपता लाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 जारी की है।

13.62 भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 36 तिब्बती आवासन कार्यालयों के प्रशासनिक एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2015–16 से शुरू करके वर्ष 2019–20 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए धर्मगुरू दलाई लामा की केन्द्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को 40 करोड़ रू. की अनुदान सहायता प्रदान करने की एक योजना मंजूर की है। 40 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास और भारत में भूतपूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों एवं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में अवसंरचना का सृजन तथा उन्नयन

13.63 भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करते समय सोलहवीं लोक सभा की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति (2014–15) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, यह सिफारिश की थी कि सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से पुनर्वास एवं मुआवजे के मुद्दे का निराकरण करते हुए भारत में बांग्लादेशी एन्क्लेवों के विकास एवं एकीकरण के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए। तदनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों में बांग्लादेश में पूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले लगभग 1000 व्यक्तियों के अस्थायी एवं स्थायी पुनर्वास की परिवर्तनशील लागत और पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों के साथ–साथ कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए नियत लागत भी शामिल है। भारत सरकार ने 1005.99 करोड़ रू. की लागत से बांग्लादेश में भूतपूर्व भारतीय एन्क्लेवों से वापस आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और भारत में पूर्व बांग्लादेशी एन्क्लेवों तथा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन की योजना अनुमोदित की है। इसमें से, दिनांक 31.12.2019 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 775.48 करोड़ रू. की राशि जारी कर दी गई है।

शत्रु संपत्ति

13.64 वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के मद्देनजर, डिफेंस अ फ इंडिया रूल्स, 1962 के अंतर्गत चीन के नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति को अधिकार में रखने के उद्देश्य से अभिरक्षक को भारत में चीनी परिसम्पत्तियों का प्रभार लेने के लिए कहा गया था। इसके बाद वर्ष 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ने के साथ, वर्ष 1977 तक अभिरक्षक द्वारा उन नागरिकों/निवासियों की चल और अचल संपत्तियों को अधिकार में लेना जारी रहा। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) के अधिकार में रखी गई उन शत्रु संपत्तियों को आगे भी अधिकार में रखने का प्रावधान करने के उद्देश्य से दिनांक 20.08.1968 को डिफेंस अ फ़ इंडिया रूल्स, 1962 के अंतर्गत शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में वर्ष 1977 और 2017 में आगे और संशोधन किए गए थे। वर्ष 2017 के संशोधन के माध्यम से शत्रु संपत्ति के निपटान संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

13.65 भारतीय शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत एक सांविधिक पद है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) का कार्यालय शत्रु संपत्ति अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के तहत कार्य करता है। सीईपीआई का मूल कार्य, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों/आदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इसका निपटान किए जाने तक संपत्ति की पहचान करना, उसे अपने अधिकार में रखना, उसका परिरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर नियंत्रण रखना है।

13.66 वर्ष 2017 में प्रधान अधिनियम में किए गए संशोधन के पश्चात, दिनांक 21.03.2018 की अधिसूचना के माध्यम से शत्रु संपत्ति नियमावली, 2015 में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखने संबंधी सीईपीआई के आदेश से प्रभावित मामलों पर विचार करने के लिए अचल और चल शत्रु संपत्ति के निपटान हेतु दिशानिर्देश और आदेश जारी किए गए हैं। सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध दोनों प्रकार के शत्रु शेयरों के निपटान के लिए, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के माध्यम से दिनांक 18.02.2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा, सोने और चांदी के आभूषणों के निपटान के लिए, दिनांक 16.12.2019 के आदेश के द्वारा भारत सरकार टकसाल, मुम्बई के माध्यम से सीईपीआई को उसका निपटान करने हेतु प्राधि त किया गया है।

13.67 भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) के कार्यालय के साथ शत्रु संपत्ति विषय को दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना संख्या 1/22/4/2007–कैब के मार्फत वाणिज्य मंत्रालय से गृह मंत्रालय को

हस्तांतरित कर दिया गया था। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में स्थित 03 शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है।

13.68 पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) ने बड़ी संख्या में शत्रु नागरिकों/फर्मों से संबंधित संपत्तियों को अपने अधिकार में रखा है। इन संपत्तियों को चल शत्रु संपत्ति यथा शेयरों, सोने/चांदी के आभूषणों तथा अचल शत्रु संपत्ति यथा जमीन और इमारतों (वाणिज्यिक, आवासीय, आवासीय–सह–वाणिज्यिक), जल निकायों, दुकानों आदि के रूप में वर्गी त किया जा सकता है।

13.69 गृह सचिव एवं वित्त सचिव के बीच दिनांक 01.01.2018 को हुई बैठक में क रपस निधि से किए गए खर्च को समाप्त करने और बांड, सिक्योरिटीज के रूप में प्राप्त राशि और ईपी से प्राप्त आय को भारत की समेकित निधि में जमा करने का निर्णय लिया गया था। तब से, सीईपीआई द्वारा भारत की समेकित निधि में 461.71 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है, जिसमें से चालू वर्ष में दिसम्बर, 2019 तक 14.03 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।

13.70 शत्रु संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीईपीआई ने 20,323 शेयरहोल्डरों की 996 कंपनियों (नवंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार) के लगभग 6.5 करोड़ शेयरों को अपने अधिकार में रखा है। इन शेयरों की बिक्री की प्रक्रिया और तंत्र को दिनांक 18.02.2019 को अधिसूचित किया गया है। तब से, 114 कंपनियों के 1,74,08,542 शेयर वर्ष 2018–19 में 875.63 करोड़ रुपये में बेचे गए थे। इसके अलावा, नवंबर, 2019 तक 130 कंपनियों के 5,73,80,037 शेयर, 1788.75 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। शेयरों की संख्या में वृद्धि बोनस शेयर जारी करने के कारण हुई है। इन शेयरों का निपटान निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के माध्यम से किया गया है।

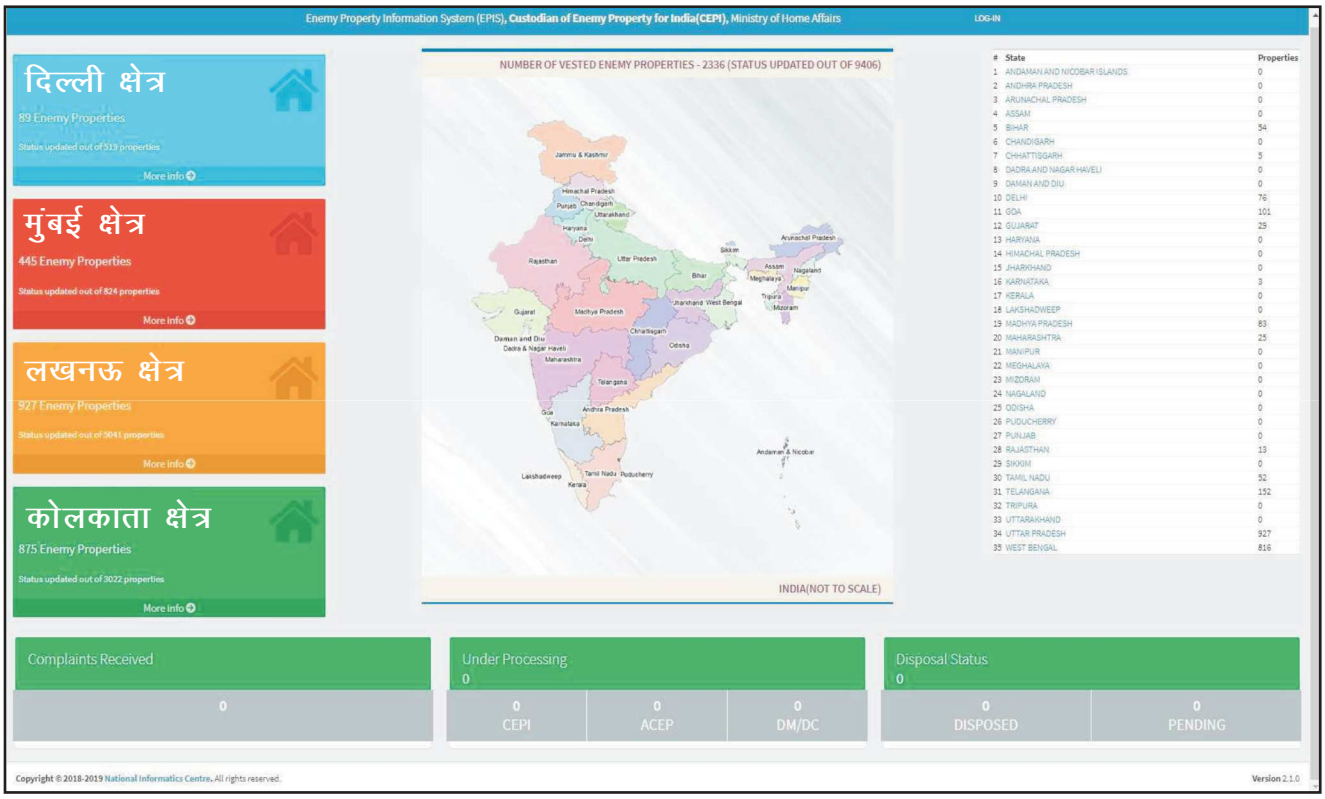
13.71 विगत कुछ वर्षों में सीईपीआई ने 2.0264 किलोग्राम सोना और 45.3334 किलोग्राम चांदी के आभूषणों को अपने अधिकार में रखा है। शत्रु संपत्ति निपटान समिति की सिफारिश पर, सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार टकसाल के माध्यम से इन वस्तुओं के निपटान का अनुमोदन प्रदान किया है।

13.72 पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीईपीआई ने 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 12,426 (12,300 पाकिस्तानी तथा 126 चीनी) अचल शत्रु संपत्तियों को भी अपने अधिकार में रखा है। कुछ और संपत्तियों की पहचान शत्रु संपत्तियों के रूप में की गई है और अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार इनकी घोषणा की प्रक्रिया चल रही है। अचल शत्रु संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

13.73 अचल शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नवीनतम सर्वेक्षण और मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई है। प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने हेतु, उपर्युक्त मामले में समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मंत्रालय नोडल अधिकारियों और संबंधित डीएम/डीसी के माध्यम से राज्यों के साथ इस मुद्दे को उठा रहा है।

13.74 अधिकार में रखी गई शत्रु संपत्तियों की कड़ी निगरानी को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) की वेबसाइट सक्रिय है और जनता के लिए खुली है। वेबसाइट https://enemyproperty.mha.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

13.75 शत्रु संपत्ति के प्रभावी परिरक्षण, प्रबंधन और शीघ्र निपटान के लिए, शत्रु संपत्ति सूचना प्रणाली का विकास किया गया है। यह इस विषय से संबंधित कार्य कर रहे सभी धारकों के लिए उपलब्ध है। इस प्रणाली से शत्रु संपत्ति की पहचान करने और उसे अपने अधिकार में रखने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।



शत्रु संपत्ति सूचना प्रणाली का डैश–बोर्ड

*****

अध्याय-14

महिला सुरक्षा

14.1 गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को सु ढ़ बनाने और पूर्ण रूप से न्याय के शीघ्र और प्रभावशाली क्रियान्वयन तथा साथ ही, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के माध्यम से उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए दिनांक 28 मई, 2018 को एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया है। यह प्रभाग क्षमता संवर्धन और फ रेंसिक विज्ञान के आधुनिकीकरण; महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के प्रति अपराधों की रोकथाम से संबंधित मामलों; व्यक्तियों का दुर्व्यापार और प्रवासियों की तस्करी; कारागार सुधारों, सुधारात्मक प्रशासन, कारागार/ कैदियों संबंधी विधान; विष अधिनियम, 1919; और राष्ट्रीय अपराध रिक र्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से संबंधित मामलों सहित उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता हेतु नीति निर्माण करने, आयोजना करने, समन्वय करने, परियोजनाओ/ स्कीमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें:

(क) निर्भया कोष स्कीम के एक भाग के रूप में आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के अंतर्गत एक सिंगल पैन–इंडिया 112 आपातकालीन नम्बर शुरू करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना। यह सेवा अठाईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है।

(ख) गृह मंत्रालय ने इस वित्त वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षित शहर परियोजनाओं हेतु 478.99 करोड़ रु. जारी किए हैं। वर्तमान में इन शहरों में परिसम्पत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी सुरक्षित शहर कार्यान्वयन म नीटरिंग पोर्टल (एससीआईएम) के माध्यम से की जा रही है।

(ग) 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) में फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर–फ रेंसिक और संबद्ध फ रेंसिक सुविधाओं के सु ढ़ीकरण की परियोजनाओं को निर्भया कोष स्कीम के भाग के रूप में 131.09 करोड़ रु. की कुल लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया था। मशीनों और उपकरण के खरीद की प्रक्रिया जारी है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मौजूदा मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयां (एएचटीयू) को सु ढ़ बनाने के साथ–साथ नई एएचटीयू स्थापित करने हेतु गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत 100 करोड़

रु. की लागत से एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है। एएचटीयू मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने हेतु समन्वित कार्रवाई करेंगी और छुड़ाने के बाद उनकी देखरेख तथा उन्हें राहत प्रदान करेंगी। एएचटीयू दुर्व्यापार के सभी पहलुओं अर्थात् दुर्व्यापार की रोकथाम, पीड़ित की सुरक्षा और अपराधियों के अभियोजन के कार्यों को देखेगी।

(ङ) इस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में 100 करोड़ रु. की कुल लागत से महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित करने/उनके सु ढ़ीकरण को भी अनुमोदन प्रदान किया है। यह परियोजना संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। महिला हेल्प डेस्क, पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र स्थान होंगे। कानूनी सहायता, परामर्श, शरण, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि को सुगम बनाने के लिए इन हेल्प डेस्कों में वकील, मनोचिकित्सक और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) जैसे विशेषज्ञों का पैनल जोड़ा जाएगा।

(च) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) और अंतर–प्रचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) परियोजना के अंतर्गत, निम्नलिखित विशिष्ट समाधान किए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय स्वचालित अंगुलछाप पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) एप्लीकेशन शुरू की गई है, जिससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय अंगुलछाप कोष से तलाश/मिलान करने में सुविधा होगी।

(ii) एनसीआरबी ने अपराधों के समय पर निवारण करने में विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की सहायता के लिए अपराध आंकड़ा विश्लेषण और कार्रवाई योग्य ष्टिकोण उत्पन्न करने से संबंधित एमआईएस रिपोर्टिंग और डेशबोर्ड के लिए राष्ट्रीय केंद्र पर संबंधी सीओजीएनओएस व्यापारिक आसूचना टूल शुरू किया है।

(iii) एनसीआरबी ने एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एडीआरआईएन) के सहयोग से 6 राज्यों में चरण–। में अपराध मैपिंग, स्थानीय विश्लेषण, समाचार, अपराध/अपराधी विश्लेषण, अपराध डाटा विश्लेषण हेतु भविष्य सूचक विश्लेषण म ड्यूल इत्यादि के लिए सीसीटीएनएस पर टूल का निर्माण शुरू किया है।

(iv) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपराध और अंतर–राज्य अपराधियों के बारे में चेतावनियां/सूचना पहुंचाने के लिए क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (सी–मैक) के विकास का कार्य शुरू हो गया है।

(v) सेकंड–हैंड वाहनों की खरीद/पंजीकरण के समय वाहनों के लिए एनसीआरबी ने दिनांक 29.01.2020 को "लापता व्यक्ति की तलाश" और "वाहन की एनओसी बनाना" नामक केंद्रीय नागरिक सेवा पोर्टल शुरू किया है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

अंतर–परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) तथा "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस)"

14.2 अपराधों और अपराधियों से संबंधित सूचना की उपलब्धता न केवल अपराधिक जांच में समयबद्धता और कार्य कुशलता के लिए एक योगदान देने वाला कारक है अपितु, यह अपराध की रोकथाम के संबंध में अपराध विश्लेषण, अनुसंधान और नीति–निर्माण के उद्देश्य से इस डाटाबेस के उपयोग को भी सुविधाजनक बनाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों और अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र करने और इसके आदान–प्रदान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस को एक साझा प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए गृह

मंत्रालय ने वर्ष 2004 में शुरू की गई क मन इंटिग्रेटेड पुलिस एप्लिकेशन (सीआईपीए) परियोजना के एक विस्तार के रूप में वर्ष 2009 में सीसीटीएनएस परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। जहां सीआईपीए पुलिस स्टेशनों में एकल आधार पर डाटा के कंप्यूटरराइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई थी, वहीं, सीसीटीएनएस एक कदम और आगे बढ़ गई और इसके अंतर्गत एक साझा प्लेटफार्म पर अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के संग्रहण और आदान–प्रदान के लिए सभी पुलिस स्टेशनों और उच्च पुलिस कार्यालयों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना है। इस परियोजना को 2000 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस स फ्टवेयर एप्लीकेशन, कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण के संबंध में केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

14.3 सीसीटीएनएस परियोजना के विस्तृत उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) अपराध और अपराधिक डाटा का एकल संग्रह तैयार करना।

(ख) जांचकर्ता को सशक्त बनाने के लिए उसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक एवं पैरामिट्री त अनुसंधान के विकल्प प्रदान करना तथा पता लगाने और समाधान करने के कार्य को परस्पर जोड़ना।

(ग) नागरिकों को अ नलाइन पुलिस शिकायतें दर्ज करने और पूर्ववृत्त के सत्यापन संबंधी अनुरोध आदि जैसी पुलिस सेवाओं की सुगम डिजिटल पहुंच प्रदान करना।

(घ) नीति के बारे में सूचित करना और समय पर अपराध प्रवृत्तियों और आपराधिक रिपोर्टों के माध्यम से बेहतर निगरानी करना।

14.4 सीसीटीएनएस के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य डाटा केंद्र (एसडीसी) और अनुवर्ती जिला समन्वय केंद्र (डीसीसी) स्थापित किए गए हैं। उल्लिखित उद्देश्यों के बड़े भाग की प्राप्ति के पश्चात, वर्तमान में यह परियोजना परिचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) चरण में है, जो दिनांक 31.03.2022 तक वैध है। सीसीटीएनएस का कार्यान्वयन एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है।

14.5 इसी बीच, वर्ष 2015 से सीसीटीएनएस परियोजना का दायरा अपराध और आपराधिक रिक र्ड संबंधी एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने से आगे बढ़कर न्याय प्रदायगी को सु ढ़ बनाने की ष्टि से कारागारों, न्यायालयों, अभियोजन, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस और अंगुलीछाप से आंकड़े समेकित करके एक अंतर–परिचालनात्मक दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना करने तक विस्तारित हो गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने आईसीजेएस प्रणाली के लिए एक डेसबोर्ड तैयार किया है जिसमें विषय–वस्तु की स्वतंत्र छानबीन करने की सुविधा तथा पुलिस, कारागार और न्यायालय डाटाबेस में किसी आरोपी की खोज करने की क्षमता मौजूद है। वर्तमान में आईसीजेएस सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है। यह न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा स्मार्ट पुलिस व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए न्याय के सभी स्तंभों के एकीकरण को सुगम बनाती है। आईसीजेएस के अंतर्गत डोमेन लिंकेज के साथ–साथ अन्य बड़े डाटाबेसों के साथ एकीकरण का कार्य किया जा रहा है।

14.6 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नागरिक केंद्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करके अपने राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) भी शुरू किए हैं जो सीसीटीएनएस और आईसीजेएस से जुड़े हुए हैं। सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में राज्य नागरिक पोर्टल में नौ शासनादेशित महत्वपूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और इसमें शिकायतों का अ नलाइन पंजीकरण, शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना, एफआईआर, गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों के ब्योरों की प्रतियां प्राप्त करना, पंजी त शिकायतों की प्रगति का पता लगाना, सम्पत्ति की चोरी की सूचना देना, लापता व्यक्तियों से संबंधित आंकड़ों को जानना एवं उनकी

सूचना देना और विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रों के जारी/नवीनीकरण संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल हैं। इन शासनादेशित सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण पीड़ितों अथवा दर्शकों में से सहायता करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा समान रूप से आनलाइन शिकायत किये जाने की व्यवस्था है। रोजगार पूर्व सत्यापन के लिए अनुरोध करने के लिए भी नागरिक राज्य नागरिक पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।



महाराष्ट्र पुलिस द्वारा प्रदान की गई नागरिक सेवाओं का एक स्क्रीन शॉट

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्धियां

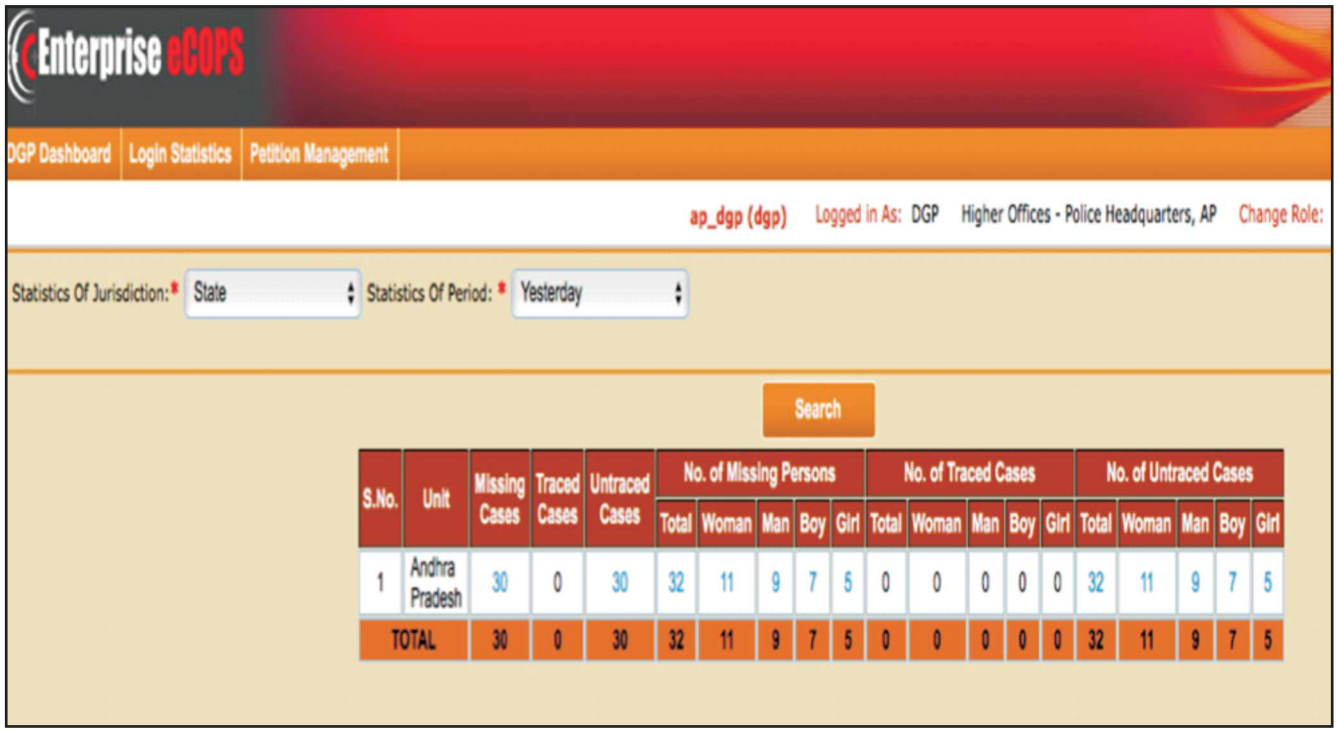
14.7 सीसीटीएनएस ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों में पहुंच, क्नेक्टिविटी और प्रयोग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। राज्यों को भी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य नागरिक पोर्टल (एससीपी) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। परियोजना के प्रयोग में प्रगति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	गतिविधि/अभियानों का क्षेत्र	स्थिति (दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)	उपलब्धियां (दिनांक 31.12.2019 के अनुसार)
1.	कुल पुलिस स्टेशन	15824	15985
2.	पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस शुरू करना	14841	15152
3.	पुलिस स्टेशनों में क्नेक्टिविटी	15045	15224
4.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जहां एनडीसी के साथ एसडीसी जुड़ी हुई है	34	36

5.	सीएएस स्टेट एप्लीकेशन में एफआईआर (100%) दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या	14788	14992
6.	सीसीटीएनएस में पंजीकृत एफआईआर की संख्या	2.69 करोड़	2.86 करोड़
7.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जहां सभी 9 नागरिक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं	33	34
8.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जिन्होंने राज्य नागरिक पोर्टल शुरू किया है	35	37
9.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नागरिक पोर्टल से प्राप्त अनुरोधों की संख्या	3.05 करोड़	4.66 करोड़

आरंभ में 14,306 पुलिस स्टेशनों को सीसीटीएनएस में शामिल किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रति वर्ष नए पुलिस स्टेशन जोड़े जाते हैं।

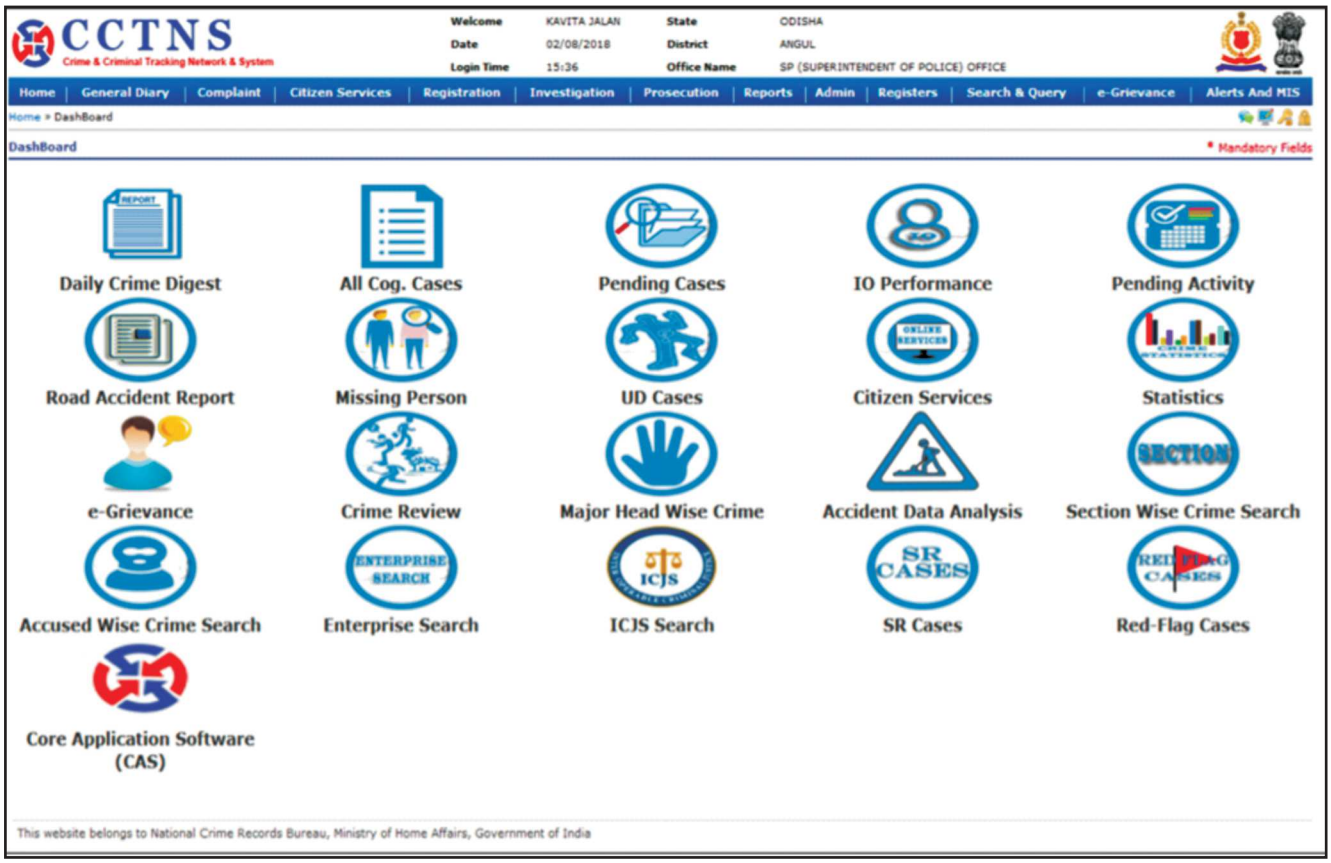
14.8 विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में, शीघ्र पहचान और कठोर सजा की निश्चितता को एक व्यवहार्य निवारण के रूप में कार्य करते हुए देखा गया है। सीसीटीएनएस परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों से न केवल पीड़ित व्यक्तियों को अपने घरों से अ नलाइन शिकायतें पंजी त करने में सहायता मिलती है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप जांच अधिकारी सूचना तथा मानक पुलिस प्रक्रियाओं के द्वारा मामलों में शीघ्र पहचान और समय पर अभियोजन कर पाते हैं जिस कारण, यह महिलाओं की सुरक्षा और बचाव को सु ढ़ करने में एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है।



लापता व्यक्तियों की निगरानी करने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस द्वारा प्रयोग की गई एमआईएस का एक स्क्रीन शॉट

NAME	AGE	FIR NO	FIR DT	ACTS & SEC	PS	DISTRICT	CASE PROGRESS	IMAGE
Cheemalamarri Nikitha	14	255/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Dargamitta	Sri Potti Sri Ramulu Nellore	Case Progress	
Jami Sai Kumari	17	545/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Nallapadu PS	Guntur Urban	Case Progress	
Pedalamgari Prathyusha	17	97/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Vakadu	Sri Potti Sri Ramulu Nellore	Case Progress	
V V Soujanya	14	323/2018	06/10/2018	Girl Missing Person	Alipiri	Tirupathi Urban	Case Progress	
				Girl Missing			Case	

आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा यथा प्रयुक्त लापता व्यक्तियों (लड़कियों) के संबंध में सीसीटीएनएस की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार के टूल तेलंगाना में भी प्रयोग किये जाते हैं।



ओडिशा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक स्तर पर यथा प्रयुक्त सीसीटीएनएस एमआईएस डैशबोर्ड



सीसीटीएनएस परियोजना के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस द्वारा विकसित विशेष जांच उपकरण

सीसीटीएनएस के अच्छे कार्य

1. पूर्ववृत्त का सत्यापन – एक बंदूक लाइसेंसधारी अपराधिक मामले में संलिप्त पाया गया था। कन्याकुमारी जिले के एक व्यक्ति ने गन लाइसेंस के सत्यापन के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन सत्यापन हेतु अरेनियल पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया था, जहां पुलिस डाटा एंट्री अ परेटर ने सीसीटीएनएस पोर्टल पर आवेदक के पूर्ववृत्त की जांच की। यह पाया गया कि आवेदक आपराधिक मामलों में संलिप्त था।

2. जुलाई, 2019 के पहले 15 दिन के दौरान तमिलनाडु राज्य पुलिस को पासपोर्ट जारी करने से पूर्व सत्यापन हेतु 28,800 से अधिक अनुरोध प्राप्त हुए। तमिलनाडु पुलिस ने सीसीटीएनएस पोर्टल का प्रयोग किया और 80 आवेदकों की आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाया। उन 80 प्रोफाइल में से 3 हत्या के मामलों में, 39 मारपीट के मामलों में, 5 चोरी के मामलों में और शेष 33 प्रोफाइल छोटे–मोटे अपराधों में संलिप्त पाए गए।

3. ओडिशा पुलिस ने अप्रैल, 2019 में राज्य में आईसीजेएस का कार्यान्वयन शुरू कर दिया। वर्ष 2005 से, ओडिशा में 11.89 लाख एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी मामलों को अब उनके संबंधित न्यायिक मामलों से जोड़ दिया गया है और अधिकारी अब सीसीटीएनएस का प्रयोग करके वर्तमान स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अब उनकी राज्य फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को पूर्ण रूप से सीसीटीएनएस से जोड़ दिया गया है। ओडिशा में एफआईआर और चार्जशीट से संबंधित आंकड़े के लाइव ट्रांसफर के लिए अब भारत के उच्चतम न्यायालय की ई–समिति के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

14.9 वर्तमान में 33 राज्यों के डाटा को ई–न्यायालय और 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डाटा को ई–प्रिजन के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। देश की 116 प्रयोगशालाओं में से 101 फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में ई–फोरेंसिक स फ्टवेयर शुरू किया गया है। 14 अभिज्ञात राज्यों के 245 अभियोजन कार्यालयों में ई–अभियोजन का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। अब पुलिस, कारागारों, न्यायालयों, फ रेंसिक और अभियोजन के संबंध में इंटर पिल्लर से जुड़ी सूचना को उपयोग में लाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच इसकी अंतर–परिचालनीयता विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है।

ई–कारावास परियोजना

14.10 गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ई–कारावास सूट शुरू किए हैं। ई–कारावास परियोजना का उद्देश्य देश की सभी जेलों के कार्यकरण को कंप्यूटरी त बनाना है, जिसमें एक इलेक्ट्र निक प्लेटफार्म में कैदी के डाटा (दोषसिद्ध व्यक्ति, विचाराधीन कैदी, बंदी आदि) का डिजिटिलाईजेशन और उनकी उपलब्धता शामिल है, जो कि केंद्रीय और राज्य सरकार के सभी नामित प्राधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य जेल के कार्यो के संचालन के लिए एंड–टू–एंड आईटी समाधान विकसित करना है। ई–कारावास सूट कैदियों का उनकी पहचान, गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के साथ एक केंद्रीय त मानक सूचना डेटाबेस तैयार करने में उपयोगी है। यह एक कलाउड आधारित राष्ट्रीय प्लेटफ र्म है, जो कैदियों के लिए सूचना और सेवा प्रदान करने हेतु एक इंटरएक्टिव पोर्टल है। यह पोर्टल तुरंत सूचना और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। यह पोर्टल कैदियों के अपराध और आपराधिक इतिहास के बारे में एकी त आंकड़े की उपलब्धतता भी प्रदान करता है।

14.11 केंद्र सरकार परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आई.टी. हार्डवेयर, स फ्टवेयर एप्लीकेशन विकास, कस्टोमाईजेशन, कनेक्टिविटी बनाने और तकनीकी सहायता के लिए सहयोग प्रदान कर रही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले तीन वर्षों में कुल 100.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

14.12 केंद्रीय ई–कारावास परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ही ई–कारावास सूट आज की तारीख में 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़ा प्राप्त कर रहा है। कारावास, ई–कारावास सूट में कैदियों की परिसंपत्तियों के आंकड़ों की प्रविि ट कर रहे हैं, जिससे यौन–अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस मजबूत हो रहा है, जो कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहज रूप से उपलब्ध है और इससे देश में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यौन अपराधों के मामलों का प्रभावी तरीके से पता लगाने और उनकी जांच करने में सहायता मिलेगी।

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस

14.13 आईसीजेएस प्लेटफार्म को अधिक सक्षम बनाने के लिए सितम्बर, 2018 को यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ज्ञात और अभ्यस्त यौन अपराधियों की पहचान के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा रोकने पर सकारात्मक प्रभाव डालना और उनमें कमी लाना है। एनडीएसओ सभी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध है तथा यह यौन अपराधों के मामले में व्यक्तियों के पूर्ववर्ती सत्यापन और शीघ्र पहचान को सक्षम बनाता है। 7.4 लाख से अधिक अपराधियों का आंकड़ा एनडीएसओ पर उपलब्ध है।

यौन अपराधियों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ)

14.14 विशेषतौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 1860 (बलात्कार) के मामले में, जहां भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम रिपोर्ट की तारीख से 2 माह के भीतर जांच पूरी करने को अनिवार्य किया है, गृह मंत्रालय ने सीसीटीएनएस डाटा और आवधिक एमआईएस पर आधारित यौन अपराधों की पहचान और

उनके समाधान ने प्रगति का पता लगाने के लिए एक पोर्टल बनाया है। यौन अपराधियों संबंधी जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पोर्टल जोकि एक अंतर–परिचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अंतर्गत एक म ड्यूल है, को दिनांक 19.02.2019 को शुरू किया गया था। यह एक क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक पोर्टल है जो राष्ट्रीय स्तर से एफआईआर स्तर तक ड्रिल–डाउन सुविधा के साथ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एल.ई.ए.) के लिए उपलब्ध है। इसका प्रयोग पुराने मामलों के संबंध में रिपोर्टें तथा डेसबोर्ड तैयार करने के लिए किया जा सकता है और इसमें मामलों में शीघ्र समाधान के लिए जिला तथा पुलिस स्टेशन स्तर पर विलम्ब को समाप्त करने की क्षमता विद्यमान है।

14.15 इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने सीसीटीएनएस परियोजना में प्रौद्योगिकीय क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न नई पहले अभिज्ञात की हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) तथा जांचकर्ता और पुलिस के निर्णय संबंधी पदक्रम को सशक्त बनाने के लिए डाटा विश्लेषण शामिल है ।

14.16 गृह मंत्रालय ने रैंकिंग की प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्लेषण का एक स्तर शुरू करके देश में सर्वोत्त्म पुलिस स्टेशनों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किया है। सीसीटीएनएस का डाटा इनपुट इस चयन प्रक्रिया का मूल भाग बन गया है जिससे जमीनी सर्वेक्षण और नागरिक आकलन किया जा सकता था। चयन के निर्धारित मानदंड में महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराधों की रिक र्डिंग और पंजीकरण के 60 दिन के भीतर उनका समाधान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की रिक र्डिंग एवं उनका समाधान तथा सम्पत्ति संबंधी अपराध शामिल थे। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अभ्यास में भाग लिया। वर्ष 2019–20 के लिए देश में शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों के रूप में अबरदीन पुलिस स्टेशन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके बाद बालासिनोर पुलिस स्टेशन, गुजरात और अजक बुरहानपुर पुलिस स्टेशन, मध्य प्रदेश शामिल हैं।

आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) परियोजना

14.17 विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपात कार्रवाई सेवाओं को सु ढ़ बनाने में प्रौद्योगिकी के सक्रिय प्रयोग को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, गृह मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत 385.69 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार (दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय) ने सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश में 112 को आपातकालीन नं. के रूप में अधिसूचित किया है। ईआरएसएस का अधिदेश ऐसा परिचालानात्मक प्लेटफार्म प्रदान करना है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं को आपातकालीन नम्बर 112 से जोड़ने में सहायता करेगा। इस परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

(क) डायल 100, 108 आदि जैसे सभी मौजूदा नम्बरों को एकी त करके एक सुगम तथा मानक 'एकल आपात कार्रवाई नम्बर–112' प्रदान करना।

(ख) व यस क ल, एसएमएस, ईमेल, फोन में पैनिक बटन, लोक परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों आदि सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए चौबीसों घंटे की क्षमता प्रदान करना।

(ग) घटना के स्थान पर निम्नलिखित ढंग से क्षेत्रीय संसाधनों (पुलिस, एम्बुलेंस आदि) को पहुंचाने के लिए चौबीस घंटे वाली प्रणाली प्रदान करना:

(i) संकटग्रस्त व्यक्ति के स्थान की पहचान।

(ii) संकट की तीव्रता को कम करने अथवा इसे रोकने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रीय संसाधनों (एक अथवा अधिक जीपीएस युक्त आपात कार्रवाई वाहन) को कम्प्यूटर की सहायता से समय पर पहुंचाना।

(घ) पैन–इंडिया फुटप्रिंट के साथ मोबाइल एप आदि जैसी मानकी त, आसान प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद उपलब्ध कराना।

(ङ) अन्य आपात प्रणालियों के साथ एकीकरण।

14.18 ईआरएसएस परियोजना के तहत, गृह मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 112 परिचालित करने अथवा 112 के साथ मौजूदा प्रणालियों को एकी त करने, आवश्यक हार्डवेयर एवं स फ्टवेयर खरीदने तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 पर आधारित आपातकालीन कार्रवाई को संभव बनाने के लिए जीपीएस युक्त मोबाइल डिवाइस टर्मिनल (एमडीटी) से सुसज्जित आपात कार्रवाई (ईआर) वाले वाहनों को सीमित संख्या में खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।



कार्रवाई की स्थिति को अपडेट करने के विकल्प के साथ मामले के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक मोबाइल डाटा टर्मिनल (एमडीटी)

(स्रोतः सीडीएसी)

14.19 कार्यान्वयन को सरल और कारगर बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक क न्टेक्ट सेंटर स ल्यूशन स्टेक विकसित और लागू करने के लिए सी–डैक को एक समग्र सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में नियुक्त किया है। इस स्टेक में कम्प्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन (सीटीआई), अ टोमैटिक क ल डिस्ट्रीब्यूशन (एसीडी), कम्प्यूटर एडिट डिस्पेच (सीएडी) और केस रिक र्ड मैनेजमेंट (सीआरएम) सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, सी–डैक ने एक '112 इंडिया मोबाइल ऐप' तैयार किया है, जिसमें स्थान संबंधी सूचना के साथ संकट के संकेत लगातार भेजने (गतिशील डिवाइज का पता लगाने के लिए), स्वयंसेवकों के लिए पुकार की सुविधा और अपेक्षित बैक–एंड स फ्टवेयर जैसी सुविधाएं निहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्धियां

14.20 यह सेवा देश के 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील हो गई है।

वे राज्य और जिले जहां ईआरएसएस शुरू की गई है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ये जिले जिनमें ईआरएसएस शुरू की गई
1.	हिमाचल प्रदेश	सभी जिले
2.	नागालैंड	कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग

3.	महाराष्ट्र	मुंबई
4.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर शहरी, गुंटूर ग्रामीण, कुरनूल
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, कबीरधाम, बस्तर (जगदलपुर सिटी), सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और महासमुंद।
6.	गुजरात	अरावली, बनास कांठा, गांधीनगर, महेसाणा, महिसागर, पाटन, साबरकांठा
7.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, अवंतीपोरा, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम
8.	लद्दाख	सभी जिले
9.	केरल	सभी जिले
10.	पंजाब	सभी जिले
11.	राजस्थान	सभी जिले
12.	तमिलनाडु	सभी जिले
13.	तेलंगाना	सभी जिले
14.	उत्तराखंड	सभी जिले
15.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	सभी जिले
16.	पुदुचेरी	पुडुचेरी
17.	मध्य प्रदेश	सभी जिले
18.	दादरा और नगर हवेली	सभी जिले
19.	दमण और दीव	सभी जिले
20.	उत्तर प्रदेश	सभी जिले
21.	लक्षद्वीप	सभी जिले
22.	मिजोरम	सभी जिले
23.	अरुणाचल प्रदेश	पापुम्पारे शहर, पापुम्पारे ग्रामीण - यूपिया, ईस्टसियांग, पासीघाट
24.	चंडीगढ़	सभी जिले
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सभी जिले
26.	गोवा	सभी जिले
27.	कर्नाटक	सभी जिले
28.	त्रिपुरा	सभी जिले



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 20.09.2019 को चंडीगढ़ में ईआरएसएस 112 प्रणाली की शुरूआत

(स्रोतः चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र)



माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा दिनांक 25.09.2019 को दिल्ली में ईआरएसएस 112 प्रणाली की शुरूआत

(स्रोतः दिल्ली पुलिस)

ईआरएसएस/112 के लिए जागरूकता गतिविधियां

14.21 गृह मंत्रालय ने प्रिंट, इलैक्ट्र निक और डिजिटल मीडिया में ईआरएसएस और '112 इंडिया मोबाइल एप' के प्रयोग का प्रचार–प्रसार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके लाभों का प्रचार–प्रसार करने की सलाह दी है। इसमें सभी समाचार चैनलों पर न्यूज टिकर, 112 जागरूकता एसएमएस अभियान, ट्विटर पर सोशल मीडिया पोस्ट, डीडी नेशनल ट कशो– न्यू इंडिया संकल्प, संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के साथ दिल्ली मेट्रो अभियान– येलो लाइन मेट्रो के बाहरी आवरण और भीतरी पैनलों के विज्ञापन, केवड़िया, गुजरात में पुलिस प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में 112 सेवा को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई स्ट ल, यू ट्यूब चैनल पर उपलब्ध 112 प्रमोशनल वीडियोज, दिल्ली के मिरांडा हाउस और लेडी श्री राम क लेज की छात्राओं के साथ संवाद और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां ईआरएसएस कार्यशील है, द्वारा प्रिंट और इलैक्ट्र निक मीडिया में चलाई जाने वाली क्षेत्रीय प्रमोशनल गतिविधियां शामिल हैं।



गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव (महिला सुरक्षा), श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव, रेजीडेंट कॉर्डिनेटर, श्रीमती शोको नोडा और संयुक्त राष्ट्र महिला उप राष्ट्र प्रतिनिधि, श्रीमती निष्ठा सत्यम दिनांक 15.11.2019 को महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने के लिए 112 सेवा को बढ़ावा देने हेतु # ओरेंज द वर्ल्ड मेट्रो रैप्ड को झंडा दिखाते हुए

(स्रोतः संयुक्त राष्ट्र महिला)

14.22 आज, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 112 सेवाएं प्रदान की जाती हैं और परिणामस्वरूप इसमें इसकी शुरूआत से ही प्रतिमिनट 1 से अधिक प्रेषण किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हासिल कुछ नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं अधोलिखित हैं।

14.23 **तेलंगाना**

क) क फ्रेंस कालिंग सुविधा के माध्यम से 112 ईआरसी से बहुएजेंसियों को जोड़ दिया गया है। वर्तमान में इसमें 101 (अग्निशमन सेवाएं), 108 (चिकित्सा सेवाएं) और 181 (महिला हेल्पलाइन) शामिल हैं।

ख) ओला, टोरा, मुव इंन सिंक और प्रायडो जैसी निजी कैब सेवाओं में लगे हुए पैनिक बटनों के साथ इंटीग्रेशन। तेलंगाना पर्यटन विभाग द्वारा संचालित बसों में लगे हुए पैनिक बटन भी दबाए जाने पर 112 पर क ल करते हैं।

ग) व्यस्त समय में सेवाओं की मांग में वृद्धि से निपटने के लिए पुलिस कार्मियों की 1,000 से अधिक मोटर बाइकों द्वारा कार्रवाई हेतु फेरे बढ़ाने के लिए 112 फर्स्ट रिसप न्डर स्मार्ट फोन एप का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश

14.24 लखनऊ से बाहर संचालित "यूपी डायल 112 ईआरसी" क्षेत्रीय भाषाओं में भाषाई प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ताकि पूरे राज्य में मुसीबत के समय नागरिकों के लिए स्पष्ट संदेश, समयपूर्वक प्रेषण और सहायता सुनिश्चित की जा सके।

चंडीगढ़

14.25 चंडीगढ़ 112 ई–बीट एप प्रयोग करने वाले संबंधित बीट अधिकारियों को घटनाओं के बारे में तत्काल सूचना प्रदान कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप दो तरह के लाभ हुए हैं– सिस्टम में उपलब्ध पूर्व जानकारी को साझा किया जा सकता है और साथ ही कार्य पर नजर रखी जा सकती है जिससे सहायता की समय पर सुपुर्दगी और फॉलोअप कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

दिल्ली

14.26 एफआईआर का समय पर पंजीकरण करने और जांच शुरू किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए अपराधों की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को निरंतर सीसीटीएनएस पर उपलब्ध कराया जाता है।

छत्तीसगढ़

14.27 पुलिस स्टेशनों के जरिये 112 और इसकी आकस्मिक सेवाओं को बढ़ावा देना, 112 की सभी क लों की रूटिंग सुनिश्चित करने के लिए इसके अधिकारियों के नेटवर्क का पता लगाना और आवश्यकता के समय फील्ड में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हुए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी का भाव लाना।

14.28 112 द्वारा प्राप्त की गई कुछ सफलताओं को निम्नलिखित वास्तविक कहानियों में दर्शाया गया है:

(क) अंडमान एवं निकोबार में, इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का एक दल अपने मार्ग से भटक गया और एलीफेंटा बीच में फंस गया। इस दल में 05 बच्चे और 02 महिलाएं थी। उन्हें 2 घंटों के भीतर बोट द्वारा बचा लिया गया, जबकि ईआरसी ने तनाव और चिंता को कम करने के लिए लगातार संपर्क बनाए रखा।

(ख) तेलंगाना में स्वर्णलता ने रात्रि 11:42 बजे यह सूचित करने के लिए 112 पर क ल किया कि उसका पति उसे एक लोहे की र ड से मारना चाहता था, जो दुर्घटनावश उसकी बुढ़ी मां को लग गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई। रात्रि 11:43 बजे एक वाहन भेजा गया और बचाव एवं चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता के लिए 181 (महिला हेल्पलाइन) पर भी सूचित किया गया। दल 12 मिनट में स्वर्णलता के पास पहुंचा और उसने दोनों महिलाओं को बचाया।

(ग) केरल बाढ़ के दौरान, एक गांव में अलग–थलग जगह पर स्थित 14 सदस्यों का एक परिवार जो, कोझिकोड जिले के एक घर में फंसा हुआ था, ने सहायता एवं बचाव के लिए 112 पर क ल किया। केरल 112 ने वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों सहित परिवार के सभी 14 सदस्यों का समय पर बचाव सुनिश्चित करने के लिए जिला आपदा एवं बचाव बल (कोझिकोडे) के साथ समन्वय स्थापित किया।



आपात कार्रवाई केंद्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में लोकेशन आधारित ट्रैकिंग का प्रयोग करते हुए कॉल टेकर्स

(स्रोतः डब्ल्यूएस डिवीजन)

(घ) अमृतसर में शीतलामाता की सुश्री कोमल ने 112 पर सूचित किया कि उसके मां–बाप ने उसकी मर्जी के विरुद्ध शादी के लिए उसे बेच दिया है। वह एक नाबालिग थी, जिससे यह मानव दुर्व्यापार का एक मामला बनता है। उसे समय पर बचा लिया गया और नारी निकेतन में भेज दिया गया जबकि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई और इस मामले को शीतला माता पुलिस स्टेशन को अंतरित करने के पश्चात सभी आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुरक्षित शहर परियोजना

14.29 गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु शहरी अवसंरचना को बढ़ाने की ष्टि से 8 बड़े शहरों यथा अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की हैं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संवेदनशील सीनों की पहचान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को तैयार किया गया है, ताकि इस ष्टि से अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण करने सहित शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संपदा विकसित की जा सके। इन परियोजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में वित्तपोषित किया जा रहा है जिसमें केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिए निर्भया फंड और गृह मंत्रालय के बजट से निधियां प्रदान करके कुल 3,080.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

14.30 सुरक्षित शहर परियोजनाएं तैयार करते समय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्र निकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से परामर्श किया है। ये परियोजनाएं पुलिस आयुक्तों द्वारा नगरपालिका आयुक्तों से परामर्श करके तैयार की गई हैं

और इससे शहर एवं शहर में निवास करने वाले समुदायों के लिए मिश्रित समाधान शामिल हैं। सुरक्षित शहर परियोजना की पहल के अंतर्गत विकसित/समर्थित की जा रही कुछ संपदाओं में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) शहर के बुनियादी ढांचे के अंतर्गत **चल और अचल परिसम्पत्तियों का एकीकृत दृष्टिकोण** जैसे कि अपराध वाले संवेदनशील स्थानों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईसी) से जुड़ी मैपिंग करना, स्थानों में अंधेरा हटाने के लिए स्मार्ट एलईडी से सड़क प्रकाश व्यवस्था करना, अ टोमेटिड नंबर प्लेट रिक ग्निशन (एएनपीआर) कैमरों की क्षमता से लैस आधुनिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कर उन्हें कमांड/कंट्रोल सेंटर से जोड़ना, शौचालय बनाने सहित अपराध के संवेदनशील स्थलों में सुरक्षित जोन कलेक्टर का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और यातायात के साधनों में पैनिक बटन लगाने, अन्य के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए ट्रांजिट शयनागार इत्यादि। विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र में कमियों का समाधान करने और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में योजनाओं को समेकित करने के लिए भी कुछ संपदाओं को शामिल किया गया है।

(ख) **महत्वपूर्ण मानव संसाधन संपदा,** जैसे कि एसएचई टीमों के समान सर्व महिला गश्ती दलों का विकास एवं उनकी तैनाती, अहमदाबाद में अभयम वेन के समान फर्स्ट रिस्पांडर व्हीकल के लिए टीम, सर्व महिला पुलिस स्टेशनों का विकास और उन्हें संसाधन युक्त बनाना, सुलभता एवं सहानुभूति के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला काउंसलर की तैनाती। हैदराबाद के सफल भरोसा म डल के आधार पर अन्य शहरों में ऐसे वन स्ट प क्राइसिस सेंटर की स्थापना को समर्थन दिया जा रहा है। कुछ शहरों में जांच के बेहतर संसाधनों यथा फ रेंसिक एवं साइबर क्राइम सेल को भी शामिल किया गया है।

(ग) **क्रिटिकल सॉफ्ट संपदाएं** जैसे कि यौन संवेदीकरण जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान और क्षमता निर्माण तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को कुछ शहरों में समुदाय और नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग से शामिल किया गया है।

राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में डीएनए की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

14.31 डीएनए विश्लेषण अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली समय परीक्षित वैज्ञानिक फ रेंसिक प्रौद्योगिकियों में से एक है तथा यह यौन अपराधों और अन्य जघन्य अपराधों के मामलों में अत्यधिक प्रासंगिक है। जांच कार्यों में अधिकाधिक कार्यकुशलता को सुविधाजनक बनाने और यौन अपराधों के मामलों में अधिकाधिक दोष सिद्धि हासिल करने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार ने न केवल अपनी केंद्रीय फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) का आधुनिकीकरण शुरू किया है, बल्कि सरकार एक मिशन मोड़ के रूप में फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं के क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रही है।

14.32 गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि स्कीम के भाग के रूप में परियोजना के चरण–1 में 131.09 करोड़ रुपए की कुल लागत से 13 राज्यों में डीएनए विश्लेषण की सुविधाओं को सु ढ़ बनाने के लिए योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। मामलों के लंबित रहने की अवधि के आधार पर राज्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। निम्नलिखित स्थानों में फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है:

क. तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरै;

ख. उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ;

ग. मुंबई, महाराष्ट्र;

घ. कोलकाता, पश्चिम बंगाल;

ङ. सागर, मध्य प्रदेश;

च. शिमला और धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश;

छ. मोहाली, पंजाब;

ज. श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर;

झ. अगरतला, त्रिपुरा;

ञ. पांगी, मणिपुर;

ट. आइजोल, मिजोरम;

ठ. जयपुर, राजस्थान;

ड. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

14.33 इन परियोजनाओं का वित्त पोषण निर्भया फंड स्कीम से किया जा रहा है। इस सहायता से राज्य नवीनतम विकसित वैज्ञानिक उपकरणों को प्राप्त कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल कर सकेंगे तथा अपनी अवसंरचना का विकास कर सकेंगे। अनुमोदित परियोजना के तहत जिन मदों को फ रेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में जोड़ा जाना है, वे राज्यों द्वारा स्वयं कमी–विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात की गई हैं और इसमें एकत्र नमूनों से डीएनए को अलग करने के लिए अ टोक्लेव एवं अ टोमेटिड डीएनए एक्सट्रैकर सिस्टम, डीएनए सीक्वेंगसर, सेंट्रफ्यूज, रियल टाइम पीसीआर, जांच के दौरान पहचान को सुविधाजनक बनाने और नमूनों का एकत्रण तथा साक्ष्य के साथ मिलान करने के लिए जेनेटिक विश्लेषक उपकरण इत्यादि शामिल हैं। यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अपराध के विश्लेषण हेतु परियोजना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है।

*****

अध्याय-15 जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग

15.1 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के बाद, जम्मू एवं कश्मीर विभाग का भी पुनर्गठन किया गया है और इसका नाम बदलकर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विभाग कर दिया गया है।

15.2 जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख विभाग, विशेषकर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित किए गए विषयों/मामलों को छोड़कर, जम्मू एवं कश्मीर के अंदर आतंकवाद–रोधी गतिविधियों और ऐसे विषयों/मामलों के बारे में समन्वय करने सहित जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह विभाग, भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और व्यक्तिगत लाभार्थी केन्द्रित योजनाओं तथा जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में प्रधानमंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी) सहित आर्थिक महत्व की प्रमुख परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है।

संवैधानिक प्रावधानों–अनुच्छेद 35क तथा अनुच्छेद 370 में बदलाव

15.3 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किए जाने के समय से, अनुच्छेद 370 में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अंतर्विष्ट अस्थायी प्रावधानों के अनुसार, इस राज्य में केवल अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के प्रावधान ही लागू किए गए थे। तथापि, अनुच्छेद 370 (1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के आधार पर, उक्त पूर्ववर्ती राज्य में, समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श अथवा सहमति, जैसा भी मामला हो, के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आदेश जारी करके भारतीय संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों को भी लागू किया गया था। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी मौलिक अधिकारों, राज्यों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, सहकारी समितियों, सेवाओं, चुनावों आदि से संबंधित भारतीय संविधान के कई प्रावधान या तो लागू नहीं किए गए थे या फिर इन्हें अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को उन विभिन्न संवैधानिक अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया, जिनका लाभ देश के बाकी नागरिक उठा रहे थे।

15.4 इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 370(1) के तहत 14 मई, 1954 को जारी किए गए संवैधानिक आदेश के द्वारा एक नए अनुच्छेद 35क के जोड़े जाने से जहां जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी निवासियों को राज्य सरकार के अधीन रोजगार, राज्य में अचल संपत्ति के अधिग्रहण, राज्य में बसने अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अधिकार तथा ऐसी किसी अन्य सहायता, जो राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी जाए, का लाभ प्राप्त करने हेतु विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गईं, वहीं अन्य नागरिकों पर पाबंदियां लागू कर दी गई थीं। अनुच्छेद 35क सहित इन सभी संवैधानिक अस्पष्टताओं के कारण, जम्मू एवं कश्मीर के लोगों का बाकी देश के साथ संपूर्ण एकीकरण बाधित हो गया था तथा इससे एक अलगाववादी मानसिकता का पोषण हुआ, जिसके कारण वहां आतंकवाद पनपा, जिसे

सीमा पार से समर्थन और बढ़ावा मिला तथा भारत सरकार से निरंतर और भारी सहायता के बावजूद वहां की समग्र उन्नति और विकास अवरूद्ध रहा।

15.5 भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति के आधार पर अनुच्छेद 370(1) के अंतर्गत दिनांक 05 अगस्त, 2019 को जारी किए गए संवैधानिक आदेश से लंबे समय से लंबित पड़े इन मुद्दों का समाधान हुआ। सभी पूर्ववर्ती संवैधानिक आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, इस आदेश से जम्मू एवं क मीर राज्य में संविधान के समस्त प्रावधान भी इसके समस्त संशोधनों के साथ बिना किसी बदलाव अथवा अपवाद के लागू किए गए, जिससे सभी प्रकार की संवैधानिक अस्पष्टताएं दूर हो गईं।

15.6 साथ ही, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने यह सिफारिश करते हुए एक संकल्प पारित किया कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत एक घोषणा जारी करें। संसद द्वारा की गई इस सिफारिश के आधार पर, भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 अथवा इसके किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 के सभी खण्डों के प्रचालन पर पाबंदी लगाते हुए तथा भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए 06 अगस्त, 2019 को एक घोषणा जारी की। इस घोषणा के जारी होने तथा अन्य अनुवर्ती कदम उठाने के बाद, संपूर्ण देश में अब एक संविधान और एक ध्वज है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

15.7 लद्दाख के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर विचार करते हुए, संसद ने 05 और 06 अगस्त, 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 भी पारित किया था। दिनांक 09 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति की स्वी ति प्राप्त होने के बाद, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के द्वारा पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य से विधान मंडल रहित एक नए संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख तथा विधानमंडल सहित एक नए संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर का गठन किया गया। केन्द्र सरकार ने 9 अगस्त, 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2019 एक ऐसी निर्धारित तारीख के रूप में अधिसूचित की गई, जिस दिन से ये दोनों नए संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आएंगे। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम तथा अन्य अनुवर्ती कदमों के माध्यम से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन संभव हुआ है और दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में उपयुक्त संशोधनों के साथ सभी केन्द्रीय कानून लागू किए गए हैं, जबकि तदनुरूपी राज्य कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को उप राज्यपाल ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

15.8 चूंकि, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का गठन परिसीमन के उपरांत किया जाना है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत घोषणा पत्र जारी किया है।

15.9 भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों तथा भौगोलिक पहलुओं पर विचार करते हुए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह जिले के क्षेत्रफल को दिनांक 2 नवम्बर, 2019 को परिभाषित किया गया था। इसके मौजूदा क्षेत्रफल के अतिरिक्त, लेह जिले में अब उस समय विद्यमान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के चार जिलों अर्थात् गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हस और जनजातीय भूभाग, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में हैं, को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित संशोधित नक्शे http:/www.SurveyofIndia.gov.in/pages/display/235-political-map-of-india पर उपलब्ध हैं।

जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति

15.10 जम्मू एवं कश्मीर आतंकवादी तथा अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। वर्ष 1990 में जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने से लेकर दिसम्बर, 2019 तक 14,054 सिविलियनों और 5,294 सुरक्षा बल कार्मिकों ने अपनी जानें गंवाईं हैं। पिछले कुछ वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:–

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2014	222	47	28	110
2015	208	39	17	108
2016	322	82	15	150
2017	342	80	40	213
2018	614	91	39	257
2019	594	80	39	157

15.11 जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति विस्तृत रूप से सीमा पार से होने वाली आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2014 से घुसपैठ की कोशिशों तथा कुल घुसपैठ के आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:–

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	2019
घुसपैठ की कोशिशें	222	121	371	419	328	216
कुल अनुमानित घुसपैठ	65	33	119	136	143	138

15.12 जम्मू एवं कश्मीर में आतंक के वित्तपोषण और आतंक से जुड़ी अन्य गतिविधियों के विरुद्ध सक्रिय तथा संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2019 में मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर फाइनेंसिंग म निटरिंग ग्रुप (टीएमजी) का गठन किया गया था।

15.13 जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की निगरानी और समीक्षा जम्मू एवं कश्मीर सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय भी जम्मू एवं कश्मीर सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा की स्थिति की गहन और सतत निगरानी करता है। भारत सरकार ने सीमा–पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु–आयामी ष्टिकोण अपनाया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर बहु–स्तरीय तैनाती, सीमा बाड़ का निर्माण, उन्नत इंटेलीजेंस और अ परेशनल समन्वय, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियारों से लैस करना और घुसपैठियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई करना शामिल है।

15.14 भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) योजना के अंतर्गत इसके आरंभ से 8192.29 करोड़ रुपये (वर्ष 2019–20 में दिनांक 31.12.2019 तक 786.64 करोड़ रु. सहित) प्रदान किए हैं।

कौशल संवर्धन तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना

15.15 इस योजना के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर में 'उड़ान' नाम की विशेष औद्योगिक पहल को सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसके तहत 48,584 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया, 44,369 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, 38,798 अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया तथा 23,902 अभ्यर्थियों को कार्पोरेट क्षेत्र में नौकरियां दी गईं। 'उड़ान' योजना के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में, 458 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया, 403 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 158 अभ्यर्थियों को कार्पोरेट क्षेत्र में नौकरियां दी गईं। इस योजना को दो बार आगे बढ़ाया गया था और अंततः यह योजना 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हुई थी।

15.16 ''उड़ान योजना'' के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, अब स्कूल ड्र प आउट युवाओं सहित ग्रामीण तथा शहरी युवाओं को विभिन्न सेक्टरों जैसे– आईटीईएस, बिक्री एवं ग्राहक सेवा तथा आतिथ्य सत्कार आदि के क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों के लिए चलायी जा रही 'हिमायत' योजना के तहत ज ब–ओरिएन्टेड प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 'हिमायत' योजना के तहत प्रयासों में तेजी लाने के लिए, प्रधानमंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी) 2015 के तहत इस योजना के चरण–।। को कार्यान्वित किया जा रहा है। 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि को वर्ष 2022 तक आगे बढ़ाया गया है और कुल परिव्यय को बढ़ाकर 1781.66 करोड़ रुपये किया गया है। वर्ष 2019–22 की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में 1,43,299 युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक 13,728 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, 7,801 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 4,968 युवाओं को रोजगार मिल चुका है।

15.17 जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत युवकों के लिए कौशल तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ष, आटोमोटिव, वस्त्र, मेक–अप एवं गृह सज्जा, सौंदर्य और आरोग्य, बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, पूंजीगत माल, निर्माण कार्य, घरेलू कामगार आदि से संबंधित विभिन्न अन्य पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम

15.18 भारत की सामाजिक और सांस्तिक विविधता के बारे में युवकों को जानकारी देने और उन्हें देश के अन्य भागों में हो रहे सांस्तिक तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बारे में अवगत कराने के लिए, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सहायता से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भारत दर्शन/वतन को जानो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दिनांक 31.12.2019 तक इस कार्यक्रम में लगभग 9,829 युवकों ने भाग लिया है, जिनमें से 4,617 बच्चों/युवकों ने वर्ष 2018–19 में भाग लिया था।

महिला सशक्तिकरण

15.19 भारत सरकार ने 'सेवा' (एसईडब्ल्यूए) की मदद से कुपवाड़ा जिले में एक केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र में 5,102 महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं, जिनमें विभिन्न आजीविका शिल्पों में 1,570 मास्टर प्रशिक्षक शामिल हैं। 4,500 महिलाओं तथा 590 मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए गांदरबल तथा लेह में दो और केन्द्र तथा कारगिल में एक उप–केन्द्र भी अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 1,913 महिलाओं तथा 250 मास्टर प्रशिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सीमावर्ती जनसंख्या

15.20 सीमा पार से गोलीबारी/सीमा पार से युद्ध विराम के उल्लंघनों के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु, सीमा पर रहने वाले लोगों को राहत/मुआवजा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

क) भारत सरकार द्वारा पांच सीमावर्ती जिलों– कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पूंछ में 14,460 बंकरों के निर्माण के लिए 415.73 करोड़ रुपये की राशि स्वी त की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 369.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है तथा 6,769 बंकरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 1,332 बंकरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

ख) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अनुरूप मकान, षि, पशुधन आदि के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति अनुमोदित की गई है।

ग) दुधारू पशुओं की संख्या की कोई सीमा निर्धारित किए बिना ऐसे दुधारू पशुओं के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 50,000/–रुपये कर दी गई है।

घ) मृत्यु होने की दशा में पीड़ित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को या 50% से अधिक अशक्तता वाले पीड़ित व्यक्तियों को राहत के रूप में 5 लाख रुपये की नकद अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को इसकी प्रतिपूर्ति भी की जा रही है।

15.21 सीमा पार से क्रास बार्डर गोलाबारी होने के कारण, अन्तरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी बार–बार अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा और रोजगार के अवसर खोने पड़ते हैं। तदनुसार, जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 को संशोधित किया गया ताकि नियंत्रण रेखा के निकट रहने वाले लोगों के साथ–साथ अन्तरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों को 3% आरक्षण के दायरे में शामिल किया जा सके।

15.22 सीमावर्ती लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु दो नई सीमा बटालियनों तथा सीमावर्ती जिलों से 2,000 नए एसपीओ की भर्ती की स्वी ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, 5 नई इंडिया रिजर्व बटालियनों तथा 2 नई महिला बटालियनों की भर्ती में सीमावर्ती जिलों से 60% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

प्रवासियों, विस्थापित व्यक्तियों तथा शरणार्थियों के लिए सहायता

15.23 1990 के दशक के आरंभ में आतंकवाद की शुरूआत होने के कारण, कुछ सिख तथा मुस्लिम परिवारों सहित 64,827 कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में चले गए। इसी तरह, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों से लगभग 1,054 परिवार जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में चले गए। राहत और प्रवासी आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध पंजीकरण के रिक र्डों के अनुसार, इस समय, 43,618 कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू में पंजी त हैं। लगभग 1,054 जम्मू प्रवासी जम्मू में भी रह रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 19,338 परिवार दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और 1,995 परिवार देश के कुछ अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बस गए हैं।

15.24 राहत तथा पुनर्वास की योजना के अंतर्गत, गृह मंत्रालय जम्मू एवं कश्मीर के पात्र प्रवासियों को प्रति परिवार 13,000/– रुपये की अधिकतम सीमा के साथ प्रति व्यक्ति 3,250/– रुपये की नकद मासिक राहत के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों के मामले में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रति व्यक्ति 1,000/– रुपये की नकद मासिक राहत साझा करती है, जबकि इस मंत्रालय द्वारा प्रति व्यक्ति 2,250/– रुपये के शेष व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

15.25 राज्य सरकार की नौकरियां प्राप्त करने वाले कश्मीरी प्रवासी युवाओं का व्यवस्थापन करने के उद्देश्य से, कश्मीरी प्रवासियों की वापसी और पुनर्वास हेतु प्रधानमंत्री के पैकेज (पीएमआरपी), 2008 के अंतर्गत नियोजित 3000 कश्मीरी प्रवासियों को ठहराने के लिए तथा पीएमडीपी – 2015 के अंतर्गत 3000 अतिरिक्त कश्मीरी प्रवासियों के लिए 920 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6,000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, कुलगाम और बडगाम जिलों में 865 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है तथा 208 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

15.26 जम्मू एवं कश्मीर में बसे पाक अधि त जम्मू एवं कश्मीर तथा छम्ब के 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 5.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी वितरित की जा रही है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक 30,455 लाभार्थियों को कुल 1321.80 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। भारत सरकार ने पाक अधि त जम्मू एवं कश्मीर 1947 के 5,300 विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों में से उन विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) के परिवारों को शामिल करने के लिए इसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुमोदित की है, जिन्होंने शुरू में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बाहर जाने का विकल्प दिया था, किंतु बाद में वे जम्मू एवं कश्मीर में वापस आ गए और वहीं बस गए। तदनुसार, उपर्युक्त 1321.80 करोड़ रूपये के संवितरण में से, ऊपर उल्लिखित 5,300 विस्थापित व्यक्तियों की नई श्रेणी के अंतर्गत 85 विस्थापित व्यक्तियों को 4.42 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई थी।

15.27 5,764 ऐसे परिवारों, जो 1947 के बंटवारे के पश्चात पश्चिमी पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से आकर जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बस गए थे, के लिए भी भारत सरकार द्वारा 317.02 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है।

जम्मू एवं कश्मीर में बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना

15.28 जम्मू एवं कश्मीर में हाल में हुए चुनाव कई मायने में ऐतिहासिक ष्टि से महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय निकायों का निर्वाचन कराए जाने से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में बुनियादी स्तर पर चिरलंबित लोकतंत्र की पुनःस्थापना हुई है। पंचायतों के सरपंचों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रावधान को भी बहाल कर दिया गया है ताकि जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों जैसी संस्थाओं सहित सभी कार्य और पदाधिकारी पंचायतों को अंतरित कर दिए गए हैं।

15.29 4,483 सरपंचों तथा 35,029 पंचों के लिए पंचायत चुनाव सात वर्ष के पश्चात कराए गए। 79 नगर पालिकाओं के 1,145 शहरी स्थानीय निकाय वार्डों में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 13 वर्ष के पश्चात कराए गए। 74 प्रतिशत मतदाताओं (कुल 58 लाख मतदाताओं में से) ने इन शांतिपूर्ण पंचायत चुनावों में मतदान किया। अपेक्षा त अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान करते हुए, इन स्थानीय निकायों को अपेक्षित निधियां भी सौंपी जा रही हैं।

15.30 316 खण्ड विकास परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव पहली बार कराया गया और 307 अध्यक्ष, निर्वाचक मंडल में से लगभग 98% मतदान से चुने गए।

चुस्त–दुरुस्त, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की व्यवस्था

15.31 नव गठित पंचायतों को निधियां, कार्य और कार्मिक प्रदान करने तथा जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए, **"बैक टू विलेज"** कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी गांवों का दौरा करते हैं।

15.32 अधिकाधिक पारदर्शिता लाने की ष्टि से, भ्रष्टाचार–रोधी ब्यूरो (एसीबी) की स्थापना की गई है। दोनों नए संघ राज्य क्षेत्रों ने गवर्नमेंट ई–मार्किटप्लेस (जीईएम) के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी सरकारी खरीदों में गवर्नमेंट ई–मार्किटप्लेस (जीईएम) का पूर्ण प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

15.33 जम्मू एवं कश्मीर सरकार की विभिन्न सेक्टरों के अंतर्गत 6,653 करोड़ रुपये की धनराशि वाली 2,263 विभिन्न परियोजनाएं कई वर्षों से अपूर्ण पड़ी हैं। इनमें से, 250 करोड़ रुपये की धनराशि वाली 209 परियोजनाओं को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)

15.34 माननीय प्रधानमंत्री ने सड़क, विद्युत, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, खेल, शहरी विकास, रक्षा, वस्त्र आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 63 प्रमुख परियोजनाओं के लिए 80,068 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की।

15.35 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा 63,092 करोड़ रुपये की धनराशि स्वी त की गई है और इस पैकेज के अंतर्गत 32,285 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 63 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पूर्ण/काफी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विकास संबंधी अन्य पहलें

15.36 सांबा और अवन्तीपोरा में स्थापित किए जा रहे दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अलावा, 500 अतिरिक्त सीटों वाले 5 नए मेडिकल क लेज आरंभ किए गए हैं। सभी चिकित्सालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसका परिव्यय 900 करोड़ रुपये का है।

15.37 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लद्दाख विश्वविद्यालय, 2 नए डिग्री क लेजों, एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल और जिला अस्पताल के उन्नयन का काम शुरू हो गया है। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, 5 नए पर्यटक सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग मार्ग भी खोले गए हैं।

श्री अमरनाथजी यात्रा

15.38 श्री अमरनाथजी यात्रा, 2019 दिनांक 01.07.2019 को शुरू हुई और दिनांक 02.08.2019 तक चली। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई। वर्ष 2018 में 2,85,006 यात्रियों की तुलना में वर्ष 2019 में कुल 3,42,883 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए।

रियायती हेलीकाप्टर सेवाएँ

15.39 जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीक प्टर सेवाओं की वर्तमान योजना दूरदराज के उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जहां सड़क मार्ग से जाना दुर्गम है या सड़क मार्ग से जुड़े होने पर भी, वे भारी बारिश/बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान कटे रहते हैं। इस योजना के अनुसार, भारत सरकार सब्सिडी का 75% वहन करती है और सब्सिडी का शेष 25% हिस्सा संबंधित सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

15.40 भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 1,22,67,013 है। कुल 22 जिले हैं, जिनमें से पुंछ, रियासी, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और सांबा जम्मू डिवीजन में हैं और मुजफ्फराबाद, मीरपुर, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गांदरबल, श्रीनगर, बडग म, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम कश्मीर डिवीजन में हैं।

अर्थव्यवस्था

15.41 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017–18 में 83,717 रुपये की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 92,263 रुपये अनुमानित है, जो 10.21% की वृद्धि दर्शाता है। मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2017–18 के लिए 1,38,487.63 करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में वर्ष 2018–19 के लिए 1,54,441.41 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष के दौरान 11.52% की वृद्धि दर्शाता है।

उद्योग

15.42 उद्योग क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के आर्थिक विकास और बेरोजगार युवाओं के लिए प्रमुख रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग सार्वजनिक लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है, जो निम्नानुसार हैं:–

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयनः** यह स्कीम नए स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए इस स्कीम के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25.00 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **केंद्रीय/राज्य प्रोत्साहन पैकेज को लागू करना:** औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी, 3% केंद्रीय ब्याज सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी जैसे केंद्रीय पैकेज प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। राज्य पैकेज के तहत, औद्योगिक इकाइयों को इकाइयों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रियायती दरों पर भूमि, 30% पूंजी निवेश सब्सिडी और 3% ब्याज सब्सिडी आदि प्रदान की जाती है।

- **एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना:** एमएसई–सीडीपी के तहत चिन्हित किए गए उत्पादों के लिए एमएसएमई क्लस्टरों, यथा क/क्रिकेट बैट, ख/ऊन, ग/खाद्य प्रसंस्करण, घ/ल न्ड्री और ङ/बांस की स्थापना के लिए विभिन्न स्थानों की पहचान की गई है।

- **नई औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों की स्थापना:** उद्योग और वाणिज्य विभाग नई औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों के विकास के लिए भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में है। चालू वर्ष 2019–20 के दौरान, विभाग नई औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों के प्रयोजन के लिए लगभग 32,167 कनाल भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

- **व्यापार करने में आसानी:** विभाग का लक्ष्य इलेक्ट्र निक सिस्टम के माध्यम से व्यापार करने में आसानी के तहत डीपीआईआईटी द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया को जारी रखना है।

- **जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेकेआरईजीपी):** सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादक उद्यम की स्थापना के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का दोहन करने और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेकेआरईजीपी) को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र:** जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विशेष वस्त्रों जैसेकि पश्मीना, कानी और राफल श ल, कंबल, लोइस, चश्मे बुलबुल कंबल, क टन, अरबी रूमाल, मफलर, ट्वीड, लिनन और रेशम के वस्त्रों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अपने हथकरघे की बारीकी और सुंदरता के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। विभाग, बुनकरों की सहायता करने के अलावा, उन्हें राज्य के स्वामित्व वाले बिक्री केन्द्रों और राष्ट्रीय स्तर की विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान करता है।

कृषि

15.43 वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की ष्टि से, ष को एक सतत एवं लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए एक रणनीति तैयार करने और क्षेत्र विशि ट फसल प्रणाली के संवर्धन हेतु उत्पाद आधारित अवधारणा अपनाने के लिए ष उत्पादन विभाग में एक उच्च स्तरीय कार्य बल समिति गठित की गई है।

15.44 षक समुदाय के कल्याण के लिए जैविक खेती के संवर्धन, अनाज, सब्जी, केशर, शहद आदि में बाजार की मध्यस्थता और मृदा परीक्षण के माध्यम से परिशुद्ध मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और वितरण तथा एकी त खेती प्रणाली को उपयोग में लाया जा रहा है। केशर के उत्पाद और उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इसके उत्पाद को ई–मार्केटिंग के माध्यम से जोड़ने के अतिरिक्त ड्रिप प्रणाली के जरिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

15.45 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना खेती की आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में एक कदम है। वर्ष 2019–20 के दौरान, दिनांक 31 जनवरी 2020 तक 58,014 मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) वितरित किए गए हैं। ष मशीनीकरण स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2019–20 के दौरान 16,262 किसानों को ष मशीनरी वितरित की गई हैं।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण

15.46 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग ने

पौधारोपण के अंतर्गत 20.29 लाख पौधे लगाए हैं, जिसमें लगभग 4657.17 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

- दिनांक 08 जुलाई, 2019 को, विभाग ने ''ग्रीन जम्मू एंव कश्मीर ड्राइव'' के अंतर्गत एक एकी त पौधारोपण पहल शुरू की है, जिसमें पंचायतें, सिविल सोसाइटी, शैक्षणिक संस्थान, अर्ध सैनिक बल शामिल थे और जम्मू क्षेत्र में अब तक कुल लगभग 20.07 लाख पौधे लगाए गए हैं।

- खानपुर, नगरोटा–जम्मू में अत्याधुनिक चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। इस परियोजना के जम्मू आने वाले पर्यटकों, विशेषकर श्री माता वैष्णो देवी जी की तीर्थयात्रा पर आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन जाने की प्रत्याशा है।

- वर्ष 2019–20 और 2020–21 से संबंधित दो वर्षीय कार्य योजना के अनुसार 200.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विश्व प्रसिद्ध ताजा पानी की वुलर झील के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया है।

- ईको–टूरिज्म पहल के अंतर्गत, आजीविका में सुधार करने और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए वन्य जीवन संबंधी क्षेत्रों में ट्रेकिंग के माध्यम से ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में 11 ट्रेकिंग रूट अभिनिर्धारित किए गए हैं।

- वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा तीन नए क्षेत्रों नामतः ''त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, बनी वन्यजीव अभ्यारण्य और गंभीर मुगलन वन्यजीव संरक्षण रिजर्व'' को "वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों" के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगभग 305.69 क्विंटल प्रतिबंधित पोलीथीन जब्त की गई है।

- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पोलीथीन की तस्करी और अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों के खतरे को रोकने के लिए लखनपुर वन जांच चौकी का उद्घाटन किया गया है।

कल्याण

15.47 सरकार ने समाज के सीमांत और कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। वर्ष 2019–20 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों और 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों हेतु सभी 20 जिलों में 100% पेंशन कवरेज की परिकल्पना की गई है। उपलब्ध शेष कोटे में, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

15.48 जम्मू एवं कश्मीर सरकार संकटग्रस्त 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को विधवा पेंशन के रूप में 1000/– रु. प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार, उन लड़कियों (18 वर्ष से अधिक आयु की) को 25,000/– रु. + 5 ग्राम सोने की कीमत (अधिकतम 40,000/– रु. के अध्यधीन) का एक बारगी अनुदान प्रदान किया जाता है, जिनकी शादी शीघ्र की जानी है और जिनके परिवार की आय 75,000/– रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

15.49 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 1,000/– रु. प्रति माह पेंशन दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों (40% अ क्तता के साथ 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों) को 1,000/– रु. प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अंतर्गत, अकेले रोजी–रोटी कमाने वाले व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 20,000/– रु. की एक बारगी सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा

15.50 वैश्विक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लैंगिक तथा सामाजिक अंतरालों को दूर करने, बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाने तथा समावेशी शिक्षा के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं:–

- राज्य में अनेक प्री–प्राइमरी स्कूल (किंडरगार्टन) खोले जा रहे हैं।

- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए शैक्षणिक अवसरों का समान स्तर उपलब्ध

कराने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और वर्तमान में 19,511 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यू एसएन) को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में नामांकित किया गया है।

- खानाबदोश आबादी के 30,142 बच्चों को 1,417 मौसमी केंद्रों (सीजनल सेंटर) में शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई।
- ''जम्मू एवं कश्मीर न लेज नेटवर्क (जेकेकेएन)'' जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु उन्हें इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान की दुनिया से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत, 500 से अधिक स्कूलों को पूरे विश्व में दुतरफा संवादात्मक व्याख्यान के लिए जोड़ा जाएगा।
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (28,327 स्कूल) को जीआईएस मैपिंग के अंतर्गत कवर किया गया है।

उच्चतर शिक्षा

15.51 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं को जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बाहर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, शैक्षणिक वर्ष 2011–12 में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) शुरू की गई थी।

15.52 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं को प्रतिस्पर्धा करने और शैक्षणिक एवं भरण–पोषण प्रभार पर आने वाले खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उनके क्षमता निर्माण हेतु प्रति वर्ष 5,000 नई छात्रवृत्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

15.53 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

- भारत सरकार ने 120.00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू में एक राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना करने की मंजूरी दी है और जमीनी स्तर का कार्य शुरू हो गया है।
- बेमिना में एक 500 बिस्तर वाले बालरोग चिकित्सालय तथा गांधीनगर, जम्मू में 200 बिस्तरों वाले प्रसूति चिकित्सालय को कार्यशील बनाया जा रहा है।
- अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा और कठुआ में पांच (05) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील कर दिए हैं और चार महाविद्यालयों में पहले वर्ष के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जम्मू एवं कश्मीर में एम.बी.बी.एस. में प्रवेश क्षमता 500 से बढ़कर 985 हो गई है।
- आयुष्मान भारत– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, 11.46 लाख लाभार्थियों को लाभार्थी पहचान प्रणाली पर पंजी त किया गया है, 11.45 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं, 230 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है और 78,000 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू, उधमपुर, राजौरी, कठुआ, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा और डोडा में डायलिसिस केन्द्र स्थापित किए गए थे/कार्यशील बनाए गए थे।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दस (10) चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग क लेजों, पैरामेडिकल क लेजों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए जम्मू और श्रीनगर में एक–एक अर्थात् कुल दो (02) चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।
- जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में हेल्थकेयर अवसंरचना की स्थापना करने के लिए निजी पार्टियों

और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में हेल्थ केयर निवेश नीति 2019 को अपनाया गया था। जम्मू एवं कश्मीर प्रत्येक में एक अर्थात् कुल दो (02) मेडी–सिटी स्थापित की जा रही हैं, जिसके लिए क्रमशः विजयपुर (साम्बा) तथा अवंतीपोरा (पुलवामा) में 300 कैनाल जमीन की पहचान की गई है। प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

- विजयपुर, जम्मू तथा अवंतीपोरा, कश्मीर में क्रमशः वर्ष 2023 तथा 2025 तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की जाएगी, जबकि इन संस्थानों में मेकशिफ्ट व्यवस्था के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से एम.बी.बी.एस. की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

- शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने एक कार्य योजना तैयार की है, ताकि शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2022 तक घटाकर एक अंक तक लाया जा सके।

विद्युत

15.54 **ऊझ बहु–उद्देशीय परियोजनाः** 5,850.00 करोड़ रुपए की ऊझ बहु–उद्देशीय परियोजना का लक्ष्य कांडी बेल्ट में लगभग 31,380 हेक्टेयर की सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा तथा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को 196 मेगावाट विद्युत प्रदान करना है। विगत वर्षों में इस परियोजना को अनुमोदन/स्वी ति देने के लिए कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। जलशक्ति मंत्रालय, जलसंसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार की सलाहकार समिति ने दिनांक 07.01.2019 को हुई अपनी 139वीं बैठक में इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया था।

15.55 **शाहपुर कंडी बांधः** पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर तथा पंजाब सरकार के बीच दिनांक 08.09.2018 को हस्ताक्षरित नए समझौते के बाद लंबे समय से रूकी शाहपुर–कंडी बांध परियोजना को दुबारा शुरू किया गया। 2,793 करोड़ रुपए की परियोजना का कार्य पिछले कुछ वर्षों से रूका पड़ा था, जिसके पूरा होने पर जम्मू एवं कश्मीर को 53,927 हेक्टेयर की सुनिश्चित सिंचाई तथा कम लागत पर प्रति वर्ष 470 एमयू बिजली प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे।

15.56 **हर घर नल से जलः** अब जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को पाइप द्वारा जलापूर्ति के साथ जोड़ने की परिकल्पना की है। शेष 10.35 लाख कार्यशील हाउसहोल्ड (एचएच) कनेक्शनों को पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रदान करने के लिए, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने तीन चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली 10,245 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 2.93 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील हाउसहोल्ड कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से जोड़ा गया।

ऊर्जा

15.57 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में सभी के लिए चौबीसों घंटे सातों दिन (24X7) गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के मद्देनजर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युतीकरण, ट्रांसमिशन तथा वितरण क्षेत्र के सु ढ़ीकरण एवं सुधार के लिए निम्नलिखित केंद्र प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं:–

- सौभाग्य योजना अथवा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 31.03.2019 को 799.64 करोड़ रुपए की लागत से 175138 गैर–विद्युती त घरों में 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए "सौभाग्य उत ष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

शहरी विकास

15.58 स्वच्छ भारत मिशनः जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य

क्षेत्र के सभी 78 शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

15.59 स्मार्ट सिटी मिशनः दो स्मार्ट शहरों यथा श्रीनगर और जम्मू को क्रमशः 3,815.98 करोड़ रुपये और 3,654.00 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।

15.60 प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)–एचएफए (यू) के अंतर्गत, 52,210 घरों के लिए स्वी ति प्रदान की गई है, 43,281 घरों को मिशन के एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है, 26,381 घरों को जिओ–टैग किया गया है/उन पर कार्य शुरू किया गया है और 4,237 घरों का कार्य पूरा किया गया है।

15.61 जम्मू और श्रीनगर शहर में कम बिजली खपत वाली एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना, इंटेलीजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम की स्थापना, उधमपुर में देविका नदी को प्रदूषण मुक्त करना और अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले सयंत्र की स्थापना इत्यादि कुछ ऐसे अन्य कदम हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर में शहरी विकास के लिए उठाए गए हैं।

सड़क संपर्क

15.62 **लैंग्विशिंग प्रोग्राम (जेकेआईडीएफसी):** इस कार्यक्रम के तहत, मार्च 2020 के अंत तक 130 परियोजनाएं, जिनमें 62 पुल, 63 सड़कें और 5 भवन शामिल हैं, पूरी कर ली गई हैं और इन पर 252 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

15.63 **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):** वर्ष 2019–20 के दौरान, 145 बस्तियों को कवर करते हुए कुल 1,159 किलोमीटर सड़क बनाई गई है और 880 किलोमीटर सड़क को तारकोल से पक्का किया गया है।

पुल कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019–20 के दौरान 70 पुलों को पूरा किया गया है। पीएमजीएसवाई के अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रमों जैसे कि यूटी स्कीम, नाबार्ड, सीआरएफ आदि के तहत कुल 1241 किलोमीटर सड़क को तारकोल से पक्का किया गया है।

15.64 **नई पहलः** पीएमजीएसवाई –II के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 133 सड़क और पुल परियोजनाओं को स्वी ति प्रदान की है, जिसमें 790.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 704.55 किलोमीटर का अपग्रेडे ान शामिल है।

परिवहन विभाग

15.65 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने 15 साल से अधिक पुरानी बसों को बदलने के लिए एक सब्सिडी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत, प्रति बस 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

15.66 सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह/आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 08–01–2020 को सड़क दुर्घटना पीड़ित कोष बनाया गया है।

15.67 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मोटर वाहन विभाग ने वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस आदि के लिए **वाहन और सारथी** पोर्टलों पर कार्य करना शुरू कर दिया है, जो वेब–सक्षम अ नलाइन एप्लिकेशन पोर्टल हैं।

ग्रामीण विकास

15.68 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के इतिहास में पहली बार अक्टूबर, 2019 में खंड विकास परिषदों (द्वितीय स्तर) के चुनाव आयोजित कराये गए और इसके परिणामस्वरूप 276 खंड विकास परिषदों का गठन हो गया है। पंचायतों के गठन के तीन महीने के भीतर ही, पंचों और सरपंचों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

15.69 खंड विकास परिषदों के अध्यक्षों के लिए दिनांक 02–12–2019 से 15,000/– रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) के मासिक मानदेय (देश में सबसे अधिक) की स्वी ति प्रदान की गई है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सरपंचों का मासिक मानदेय दिसम्बर 2019 से

2,500/– रुपये से बढ़ाकर 3,000/– रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

15.70 जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी किस्म का पहला महत्वाकांक्षी **"बैंक टू विलेज" (बी2वी1)** कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का एक राजपत्रित अधिकारी आवंटित किया गया है।

15.71 **"बैंक टू विलेज" (बी2वी2)** कार्यक्रम का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक हलका पंचायत के लिए एक राजपत्रित अधिकारी तैनात किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि उन हल्का पंचायतों में चुनाव कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं, जिनका गठन जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है।

15.72 **हिमायतः** जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में, 90,792 युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ 65 परियोजनाओं को स्वी ति प्रदान की गई है। 79 ऐसे सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें 21,889 अभ्यर्थी नामांकित किये गए थे। इस कार्यक्रम के तहत, 14,539 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में 'मन की बात' कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए 'हिमायत कार्यक्रम' की उपलब्धियों की सराहना की, जिसके तहत जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के युवाओं के कौशल का संवर्धन करके उन्हें रोजगार प्रदान किया गया है।

15.73 **स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम–जी):** राज्य को 15 सितंबर, 2018 को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों के लिए 15,81,085 आईएचएचएल का निर्माण किया गया है। एसबीएम (जी) के तहत, 2903 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है।

15.74 **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी):** वर्ष 2019–20 के दौरान (मार्च 2020 तक), कुल 32 करोड़ रुपये की धनराशि से विभिन्न प्र ति के 828 कार्य निष्पादित/पूरे किये गए हैं।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

15.75 लद्दाख दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को एक संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका के बिना) बन गया। यह क्षेत्रफल की ष्टि से देश का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है और 2300 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र देश का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और विरल आबादी वाला क्षेत्र है। शीतकाल में यहाँ हमेशा कड़ाके की ठंड होती है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है, क्योंकि जोजिला और रोहतांग दर्रे के बंद हो जाने के कारण श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश से सड़क संपर्क टूट जाता है। द्रास शहर दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। वर्षा अत्यंत कम और नगण्य है, जो इस क्षेत्र को ठंडा रेगिस्तान बना देती है। इस क्षेत्र में 18000 फीट से लेकर 26000 फीट तक की ऊंचाई वाली चोटियां नामशः कराकोरम और जांस्कर पर्वतमालाओं की बनावट समानांतर दिखती है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लेह और कारगिल नामक दो जिले शामिल हैं। लद्दाख 02 राजमार्गों अर्थात एनएच 03 – लेह–मनाली राजमार्ग तथा एनएच1डी– लेह–श्रीनगर राजमार्ग द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 2,74,289 है। लद्दाख के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं लद्दाखी/ बोटी, बाल्टी, पुरगी और दर्दी/शीना हैं। लद्दाख की अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजाति अर्थात बाल्टी, बेडा, बोट, ब्रोक्पा, चांग्पा, गर्रा, मोन और पुरिग्पा हैं ।

उद्योग और वाणिज्य

15.76 जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), लेह और कारगिल की स्थापना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका उद्देश्य औद्योगिक अवसंरचना में सुधार करना, कौशल विकास को बढ़ावा

देना और भावी उद्यमियों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। लद्दाख में 4 औद्योगिक सम्पदाएं स्थापित हैं, जहाँ 256 उद्यमियों को भूमि आबंटित की गई है।

हस्तशिल्प और हथकरघा

15.77 हस्तशिल्प और हथकरघा स्थानीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भाग हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग लद्दाख के विभिन्न शिल्पों अर्थात्– लकड़ी पर नक्काशी, लद्दाखी परिधान निर्माण, कशीदाकारी, थांका पेंटिंग, क्ले मोल्डिंग, हाथ से बुनाई, कालीन बुनाई, नमदा मेकिंग, पापू शू मेकिंग, सिल्वर फिलिग्री, प टरी आदि में प्राथमिक/उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कौशल उन्नयन प्रदान करता है।

एमजी–एनआरईजीए

15.78 ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पंजी त परिवारों को 35,300 ज ब कार्ड जारी किए हैं। मार्च, 2020 तक 6775.93 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 20.50 लाख श्रम–दिवस के लक्ष्य की तुलना में 19.03 लाख श्रम–दिवस सृजित किए गए हैं, जिनमें से 11.54 लाख श्रम–दिवस महिलाओं के लिए हैं। अब तक विभिन्न प्र ति के 4,150 कार्यों को पूरा किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

15.79 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में तथा सुरक्षित एवं टिकाऊ मकान की आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई–एफएमएस के जरिए लाभार्थियों के खाते में सीधे 1,533 लाख रुपये अंतरित किए गए हैं। 1,278 मकान बनाने के लक्ष्य की तुलना में कुल 1,223 मकानों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, कुल 2,330 मकानों की मांग की तुलना में 1,777 मकान स्वी त किए गए थे और 342 मकानों का निर्माण किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन

15.80 लद्दाख के दोनों जिलों ने वर्ष 2016–17 के दौरान ''खुले में शौच से मुक्त'' (ओडीएफ) का दर्जा हासिल कर लिया है और छूटे हुए लाभार्थी (एलओबी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को भी वर्ष 2019–20 के दौरान पूरा कर लिया है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अब ठोस एवं तरल अपि ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और ओडीएफ+ का दर्जा प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, लद्दाख में एसएलडब्ल्यूएम की 7 परियोजनाएं हैं।

शिक्षा

15.81 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 1,017 स्कूल हैं, जिनमें से 113 प्राइवेट स्कूल हैं और इन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 56,765 विद्यार्थी नामांकित हैं। इन स्कूलों में विशेष आवश्यकताओं वाले 780 बच्चे नामांकित किए गए हैं। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1,247 विद्यार्थी नामांकित किए गए हैं। 38 स्कूल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कार्यक्रम चला रहे हैं तथा 108 प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग (सीएएल) सेंटर हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र में छः डिग्री क लेज, दो प लीटेक्निक क लेज तथा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। लद्दाख विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है, जिसके साथ इसके घटक क लेजों के रूप में मौजूदा छः (06) डिग्री क लेज, लेह और कारगिल जिले में प्रत्येक में तीन (03) क लेज संबद्ध हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

15.82 खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राशन तथा एलपीजी, मिट्टी के तेल आदि जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विभाग को बर्फीले क्षेत्रों में, विशेष रूप से शीतकाल के दौरान पर्याप्त राशन का स्टाक रखने और राशन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विभाग सभी विक्रय केन्द्रों में विक्रय मशीन पाइंट (पीओएस) तथा इलेक्ट्र निक तुला लगाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।

पीने का पानी

15.83 इस समय लेह और कारगिल शहर में क्रमशः 9 एमएलडी और 5.50 एमएलडी पीने के पानी की मांग है, जिसकी सप्लाई पाइप वाले पानी और टैंकर सेवाओं के द्वारा की जा रही है। 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत, जल संसाधनों में सुधार और वृद्धि करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जानी हैं। प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में तथा गुणवत्तायुक्त नल का पानी प्रदान किया जाना है।

रोजगार

15.84 वर्ष 2019 के दौरान, रोजगार विभाग ने स्कूलों में 1,750 छात्रों की कैरियर संबंधी काउंसलिंग की और नौकरी चाहने वाले 5,699 लोगों का पंजीकरण किया है। भावी उद्यमियों को भी सब्सिडीयुक्त ऋण के रूप में संस्थागत वित्तीय सहायता और क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

कृषि

15.85 डीआईएचएआर (डिफेंस इंस्टीट्यूट अ फ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च), एचएमएएआरआई (हाई माउंटेन एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट), केवीके और सीएजेडआरआई (सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इंस्टीट्यूट) जैसे अनुसंधान संस्थान किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने, नई तकनीकों की शुरूआत करने, सटीक पैदावार वाली खेती (प्रिसिशन फार्मिंग) और ग्रीन हाउस की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

15.86 लद्दाख में जैविक खेती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, षि विभाग ने षक समुदाय हेतु वर्मी–कम्पोस्ट/कम्पोस्ट खाद जैसी जैविक खाद की खरीद और वितरण का कार्य शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी फसल के रूप में मटर की आर्किल किस्म की सब्जी का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है।

पशु एवं भेड़ पालन

15.87 लद्दाख में, ऊन का वार्षिक उत्पादन 293 मीट्रिक टन है जबकि दुनिया के सबसे बढ़िया पश्मीना का उत्पादन 51.8 मीट्रिक टन है और दूध का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 300 लाख लीटर है। डबल हम्प वाले ऊंट, ज़ांस्करी घोड़े, य क और पश्मीना के जर्मप्लाज्म का संरक्षण और आनुवंशिक उन्नयन किया जा रहा है।

15.88 पशुधन पालने वालों की आजीविका को बढ़ाने और दूध तथा डेयरी उत्पादों के मामले में लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डीईडीएस (डेयरी उद्यमिता विकास योजना), पशुधन बीमा जैसी विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाएं लागू की जा रही हैं। पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (पीवीसीएफ) और बैकयार्ड मुर्गीपालन (पोल्ट्री) की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो मुर्गीपालन और अंडे के माध्यम से प्रोटीन के स्रोत प्रदान करती हैं।

15.89 लद्दाख को भारत में याक की अधिकतम संख्या होने का भी श्रेय प्राप्त है।

नागर विमानन

15.90 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की स्थला ति, क्षेत्र और जलवायु की स्थिति बहुत विषम और अलग प्रकार की है, क्योंकि यह लगभग 6 माह देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। इसलिए, लद्दाख में पूरे साल हवाई कनेक्टिविटी का होना पर्यटकों और स्थानीय आबादी दोनों के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है।

15.91 वर्तमान में, लद्दाख का प्रमुख हवाई अड्डा लेह में है। सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में पर्यटकों और स्थानीय आगंतुकों के बड़ी तादाद में आने की वजह से, अब एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 फरवरी, 2019 को किया गया था।

15.92 कारगिल में एक छोटा हवाई अड्डा है और वर्तमान में, भारतीय वायु सेना सिविलियन यात्रियों के लिए एएन–32 विमान का संचालन कर रही है। जोनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान) के तहत, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने सिविल एयरक्र फ्ट के संचालन के लिए जिला कारगिल और थोइज़ (नुब्रा घाटी) के हवाई अड्डों का अनुमोदन प्रदान किया है, जो कारगिल और नुब्रा के लोगों के लिए और मददगार साबित होगा।

वन

15.93 छिट–पुट जुनिपर पैचों और मौसमी जड़ी बूटियों को छोड़कर, लद्दाख क्षेत्र प्रा तिक पेड़ों से रहित है। सामुदायिक वृक्षारोपण, विभागीय वृक्षारोपण, संस्थागत वृक्षारोपण और वन एवं चरागाह के तहत वनरोपण संबंधी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। इन घटकों के तहत सामुदायिक भूमि और वन/राज्य भूमि पर विलो, पोपलर, रोबिनिया और सीबकथ र्न के रोपण का कार्य किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं

15.94 लद्दाख में 02 जिला अस्पताल, 03 उप–जिला अस्पताल और 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत पात्र लाभार्थियों को 41,156 गोल्डन स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

विद्युत विकास

15.95 वर्ष भर चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति मुहैया कराने के लिए, द्रास (50 एमवीए), कारगिल (100 एमवीए), खालसी (50 एमवीए) और लेह (100 एमवीए) में जीआईएस सब स्टेशनों के साथ 220 केवी एस/सी की 334 केएम ट्रांसमिशन लाइन चालू की गई और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी, 2019 में इसका उद्घाटन किया गया।

बागवानी विकास

15.96 लद्दाख में, 3091.09 हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र में फल के पेड़ उगाए जाते हैं। खुबानी, सेब, नाशपाती और अखरोट की खेती लंबे समय से की जाती रही है। हाल के वर्षों में, लद्दाख में अधिक पैदावार वाले सेब, आड़ू, बेर, बादाम, अंगूर, स्ट्राबेरी जैसे अन्य फल भी उगाए जा रहे हैं। लद्दाख का वार्षिक अनुमानित फल उत्पादन 20015.38 मीट्रिक टन ताजे फल और 247.06 मीट्रिक टन ड्राई फ्रूट का है, जिसका वार्षिक अनुमानित कारोबार 8,509 लाख रूपए है।

15.97 बागान के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, 35,000 फल के पौधों की खरीद की गई है और विभिन्न उन्नत किस्म के पौधे लाभार्थियों को वितरित किये गये हैं।

15.98 षि और किसान कल्याण तथा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा लद्दाख में म डल अ र्चर्ड सह नर्सरी में सीबकथ र्न और समशीतोष्ण फलों के लिए एक उत ष्टता केंद्र की स्थापना हेतु दिनांक 17.01.2019 को 789.33 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

15.99 लेह और कारगिल जिलों में सोलर ड्रायर्स–कम–स्पेस हीटिंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं।

पर्यटन

15.100 द्रास घाटी, कारगिल टाउन, सुरू घाटी, ज़ांस्कर घाटी, नुब्रा घाटी, लेह टाउन, आर्यन घाटी, चांगथांग क्षेत्र, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलें आदि लद्दाख के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। वर्ष 2019 के दौरान, 2,79,937 पर्यटकों ने लद्दाख की यात्रा की, जिनमें से 38,429 विदेशी थे।

15.101 एनबीसीसी के माध्यम से स्वदेश दर्शन के तहत 3,585.08 लाख रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कन्वेंशन सेंटर और ट्रांस हिमालयन सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है।

15.102 इसके अलावा, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में शीतकालीन खेलों से संबंधित कार्यकलाप भी आयोजित किए जा रहे हैं।

*****

अध्याय-16

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

16.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय निदेशालय और मुख्यालय नई दिल्ली पर स्थित है। ओआरजीआई मुख्यालय के लिए जनगणना भवन नाम से नया कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने ओआरजीआई के कार्यालय भवन की आधारशिला 23.09.2019 को रखी थी। वर्तमान में कार्यालय एनडीसीसी–II भवन से कार्य कर रहा है।



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह 2 ए, मान सिंह रोड, नई दिल्ली पर जनगणना भवन की आधारशिला रखते हुए।

(स्रोतः ओ.आर.जी.आई.)

16.2 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(क) **मकानों तथा जनसंख्या की गणनाः** भारत के जनगणना आयुक्त एक ऐसे सांविधिक प्राधिकारी हैं

जिन्हें जनगणना अधिनियम, 1948 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत भारत में मकानों एवं जनसंख्या की गणना करवाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त पर फील्ड संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाने, समन्वय, पर्यवेक्षण; आंकड़ा संसाधन; जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन और प्रसार का उत्तरदायित्व है ।

(ख) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, जिसमें जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है, के अंतर्गत भारत के जनगणना आयुक्त को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है । इस भूमिका में, वह देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सिविल रजिस्ट्रीकरण और जीवनांक प्रणाली के कार्य का समन्वय करते हैं ।

(ग) **सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस):** अर्द्धवार्षिक आधार पर जन्म एवं मृत्यु संबंधी घटनाओं का वृहद सैम्पल सर्वे अर्थात सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी ओआरजी एण्ड सीसीआई का है । एसआरएस देश में राज्य स्तर पर जन्म–दर, मृत्यु–दर, शिशु मृत्यु–दर तथा मातृ मृत्यु–दर जैसी जन्म एवं मृत्यु दरों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(घ) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** नागरिकता (संशोधित) अधिनियम, 2003, में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, देश में सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचना एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।

(ङ) **मातृभाषा सर्वेक्षण:** यह परियोजना मातृभाषा का सर्वेक्षण करती है, जोकि दो और अधिक जनगणना दशकों में लगातार पायी जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम चयनित मातृ भाषाओं के भाषाई विशेषताओं का दस्तावेज़ बनाता है ।

(च) 'वित्त अनुभाग" के नाम से एक आंतरिक वित्त इकाई(आईएफ़यू) का सृजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय में किया गया है, जो देशभर में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों और ओआरजीआई के वित्तीय प्रस्तावों की जांच करने के लिए है। यह गृह मंत्रालय के वित्त प्रभाग द्वारा नियुक्त आईएफए के तहत कार्य कर रहा है जो कि एमएचए में निर्धारित नियमों और शर्तों के सख्त निगरानी के तहत है।

जनसंख्या की जनगणना

16.3 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है। पिछली जनगणना 2011 में करवाई गई थी । अगली दशकीय जनगणना 2021 में करवाई जानी है जो कि 1872 से सतत क्रम में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 8वीं जनगणना है। वर्ष 2021 के दौरान जनगणना करने की मंशा भारत के राजपत्र में पहले ही मार्च, 2019 में अधिसूचित की जा चुकी है। जनगणना 2021 के लिए संदर्भ तिथि, बर्फ से ढके अतुल्यकालिक क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर, मार्च, 2021 के प्रथम दिन का 00.00 समय होगा। जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके अतुल्यकालिक क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तिथि अक्तूबर, 2020 के प्रथम दिन का 00.00 समय होगा।

16.4 जनसंख्या की गणना देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है। पिछली जनगणनाओं की तरह, जनगणना 2021 दो चरणों में की जाएगी, अर्थात (क) अप्रैल–सितम्बर, 2020 के दौरान मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा (ख) 9 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान जनसंख्या की गणना, और तत्पश्चात 1 मार्च से 5 मार्च, 2021 तक रिविजन रांउड। मकानसूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना के दूसरे चरण हेतु स्पष्ट ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा आवासों की

स्थिति, परिवारों के पास सुविधाओं और परिसंपत्तियों की उपलब्धता के संबंध में अत्यंत उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराएगा। दूसरे चरण में, जनसांख्यिकीय, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक मापदण्डों के साथ प्रवास और वैयक्तियों के प्रजननता संबंधी अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं।

16.5 विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों संबंधी योजना बनाने में उपयोग करने हेतु देश के संबंध में परिणाम तैयार करने वाली प्रत्येक जनगणना के दौरान एकत्र किए गए वृहत आंकड़ों का समय पर संसाधन करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है । विगत में प्रत्येक जनगणना के दौरान जनगणना के आंकड़ों का शीघ्रता से संसाधन और संकलन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों/प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक हो गया। हालांकि जनगणनाओं के दौरान फील्ड से आंकड़ों का एकत्रण शत–प्रतिशत था लेकिन 1991 तक कुछ मानकों के संबंध में इसके कम्प्यूटरीकरण का स्तर 5% से 45% तक रहा । ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओएमआर)/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर)/इन्टेलिजेन्ट कैरेक्टर रिकॉग्निशन (आईसीआर) इत्यादि जैसे अत्याधुनिक आईटी साधनों के आविष्कार के पश्चात, 2001 की जनगणना के समय पहली बार इन आईटी साधनों के माध्यम से लगभग 100% आंकड़े एकत्र किए गए और जनगणना 2011 के लिए उसी को जारी रखा गया।

16.6 भारत में दशकीय जनगणना करना एक विशाल कार्य है इसलिए, जनगणना 2021 के लिए विभिन्न प्रारंभिक कार्य पहले से ही किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं:

(क) जनगणना 2021 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित विभागों के परामर्श के साथ जनगणना 2011 के बाद हुए क्षेत्राधिकार परिवर्तनों को संकलित किया जा चुका है;

(ख) पिछली जनगणनाओं की प्रश्नावली की समीक्षा और उसी को 2021 हेतु अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों के साथ चर्चा की गई है ।

(ग) स्मार्ट फोन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आंतरिक मोबाइल ऐप विकसित किए गए।

(घ) जनगणना संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों की प्रबंधन एवं निगरानी हेतु जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

(ङ) जनगणना प्रश्नों (i) मुखिया से संबंध (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, (iii) मातृ भाषा और अन्य ज्ञात भाषाएँ, (iv) व्यवसाय, (v) उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति (vi) जन्म स्थान/अंतिम निवास स्थान, पर वर्णनात्मक उत्तरों को रोकने के लिए लिए, एक 'कोड निर्देशिका" बनाई गई है जिससे कि प्रगणक फील्ड में आंकड़ो को कोडीकृत कर सके और आंकड़े प्रसंस्कृत किए जा सके और कम समय में जारी हो सके,

(च) जनगणना 2021 से संबंधित विभिन्न मदों/मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति(टीएसी) का गठन हुआ था, जिसमें विषय के विशेषज्ञ, जनसांख्यिकी, संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। टीएसी और "जनगणना प्रश्नावली का विकास" और "'जनगणना 2021 में प्रौद्योगिकी का उपयोग' पर गठित टीएसी की उप–समितियां जनगणना 2021 के लिए प्रश्नावली और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने के लिए कई बार मिल चुकी हैं।

(छ) आगामी जनगणना 2021 के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति, सारणीकरण और प्रस्तावित प्रश्न से संबंधित गहन विचार–विमर्श संबंधी मुख्य कार्यसूची के साथ 9–10 अप्रैल, 2019 को एक आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन(डाटा यूजर सम्मेलन) आयोजित

किया गया था। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, एनजीओ के प्रतिनिधियों, आंकड़े प्रयोगकर्ता और अन्य पर्णधारकों ने सम्मेलन में भाग लिया। आंकड़ा प्रयोक्ता सम्मेलन के दौरान, मंत्रालयों और टीएसी/टीएसी की उप–समितियों के सदस्यों से, प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर जनगणना 2021 के लिए प्रारूप जनगणना प्रश्नावली बनाई गई।

(ज) भारत की जनगणना, 2021 की पूर्व–परीक्षण करने के लिए, एस.ओ.सं.2221(ई) दिनांक 25 जून, 2019 के माध्यम से एक अधिसूचना भारत के राजपत्र में 28.06.2019 को प्रकाशित हुई थी। अधिसूचित अवधि के अंदर अर्थात 12.08.2019 से 30.09.2019 के दौरान, सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में 30 लाख जनसंख्या को शामिल करते हुए 50000 से अधिक चयनित गणना ब्लॉक में पूर्व–परीक्षण किया गया। चूंकि पूर्व–परीक्षण मुख्य जनगणना का फुल–ड्रेस पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) था, आंतरिक विकसित मोबाइल ऐप, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली(सीएमएमएस) पोर्टल, कार्यपद्धति और जनगणना 2021 के लिए प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावली अभ्यास के दौरान जाँचे गए। पूर्व–परीक्षण के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक थे; 95% प्रगणकों ने डिजिटल आंकड़े जमा किए। पूर्व–परीक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और वास्तविक समय आधार पर फील्ड गतिविधियों की निगरानी को सीएमएमएस पोर्टल ने सुविधाजनक बनाया।

16.7 तत्पश्चात, टीएसी ने मोबाइल ऐप, सीएमएमएस पोर्टल, पूर्व–परीक्षण परिणामों, पद्धति और जनगणना प्रश्नावली से संबंधित मदों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30.09.2019 को बैठक की और जनगणना प्रश्नावली और पद्धति को अंतिम रूप दिया।

16.8 पूर्व–परीक्षण अभ्यास के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर, अगली जनगणना हेतु जनगणना आंकड़ों को शीघ्र जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्न नए कदम अपनाए जा रहे हैं:

(क) आंकड़े एकत्रित करने के लिए मिश्रित–प्रणाली: आगामी जनगणना में आंकड़ो को मिश्रित–प्रणाली तरीके से एकत्रित करने की योजना है। प्रगणक अपने स्मार्ट फोन का प्रयोग करते हुए, मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे आंकड़ो को एकत्रित और जमा कर सकते हैं, या वे आंकड़े एकत्रित करने के लिए कागज अनुसूची का प्रयोग कर और उसे मोबाइल ऐप से जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, प्रगणक आंकड़ो को एकत्रित करने और जमा करने के लिए केवल कागज अनुसूची का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिवार, जो मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के प्रथम चरण के दौरान अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए दूसरे चरण के दौरान (जनसंख्या गणना) स्वयं–गणना का ऑनलाइन विकल्प प्रदान करने की योजना है ;

(ख) आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रगणकों को अपने स्वयं के स्मार्ट फोन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना;

(ग) सीएमएमएस पोर्टल को जनगणना संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसेकि जनगणना कार्यकर्ताओं सहित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और कार्य का आबंटन की निगरानी एवं प्रबंधन, जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन, वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक प्रगणक द्वारा फील्ड में कार्य की प्रगति, कुछ जनगणना रिकार्ड/सार का ऑटो–जेनेरेशन, जनगणना कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता/मानदेय के भुगतान हेतु प्रसंस्करण आदि के लिए प्रयोग की योजना है;

(घ) फील्ड में कुछ प्रश्नो से संबंधित वर्णनात्मक उत्तरों को कोडीकृत करने के लिए प्रगणकों द्वारा एक कोड निर्देशिका का प्रयोग किया जाएगा जोकि

जनगणना 2021 आंकड़ों को जारी करने के लिए समय सीमा को कम करेगा;

(ङ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित जनगणना अधिकारियों के बैंक खातों में सभी प्रकार के भुगतान का ऑनलाइन हस्तांतरण होगा;

(च) जनगणना –एक –सेवा के रूप में –(सीएएएस) आम जनता को जानकारी–आधारित आंकड़ा पुनःप्राप्ति हेतु एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) और आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य फ़ारमैट में आंकड़े उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों की मांग– पर साफ़सुथरा, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में आंकड़े उपलब्ध/प्रदान करेगी।

16.9 केंद्रीय मंत्रीमंडल ने भारत की जनगणना 2021 के कार्य हेतु 8754.23 करोड़ रुपए के व्यय की अनुमति दी है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग करते हुए जनगणना मानचित्रण

16.10 जनगणना आयोजित करने के लिए दो प्रकार के मानचित्रण क्रियाकलाप नामतः क) जनगणना से पहले के मानचित्रण क्रियाकलाप और ख) जनगणना के पश्चात के मानचित्रण क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में गांवों, नगरों और नगरों में वार्डों को दर्शाते हुए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिलों, उप–जिलों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है ताकि देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र को उपयुक्त रूप से समाहित करना सुनिश्चित किया जा सके। जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण से संबंधित कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों और आंकड़ा प्रसार के लिए जनगणना आंकड़ों पर आधारित प्रशासनिक और थीमैटिक मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है।

16.11 मानचित्र संसाधनों में सभी स्तरों के प्रशासनिक मानचित्र शामिल हैं जो कि शासकीय गतिविधियों हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आगामी जनगणना 2021 में भू–संदर्भित मानचित्रों का उपयोग किया जाएगा। तदनुसार, देश भर के ग्राम स्तर तक डिजिटल आंकड़ों को भू–संदर्भित डाटाबेस को तैयार कर लिया गया है। इसके लिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों को आधार के रूप में उपयोग किया गया है। इस भू–संदर्भित प्रशासनिक डाटाबेस का उपयोग भविष्य में सभी अन्य मानचित्र संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

16.12 गाँवों को दिखाने वाले उप–जिला स्तर तक 2011 के प्रशासनिक आंकड़ो के इस भू–संदर्भीकरण कार्य के सम्पन्न होने के पश्चात, वर्तमान में निम्नलिखित मानचित्रण संबंधित परियोजनाएं/गतिविधियां चल रही हैं:

(क) कुछ राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के जनगणना कार्य निदेशालयों में डिजिटल डाटाबेस की जांच का कार्य चल रहा है।

(ख) पूरे देश में डाटाबेस की एकरूपता और तुल्यकालिक राज्य सीमाओं को कायम रखने के लिए जनगणना 2021 के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गांव की (2011) की सीमाओं को दर्शाने वाले उप–जिला स्तरीय मानचित्रों को तैयार किया जा रहा है और इस कार्य की गुणवत्ता जांच भी प्रगति पर हैं।

(ग) जनगणना 2011 के पश्चात हुए प्रशासनिक क्षेत्राधिकार संबंधित परिवर्तनों को भू–संदर्भित डाटाबेस में सर्वोच्च प्राथमिकता पर अद्यतन किया जा रहा है ताकि जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक ढांचे का अद्यतन कवरेज सुनिश्चित हो।

(घ) जनगणना एटलस 2011 की ई–बुक तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ङ) भाषा एटलस तैयार करने के लिए हाल ही में जारी जनगणना 2011 के भाषाई डाटाबेस का विश्लेषण किया जा रहा है।

16.13 जनगणना 2021 के दौरान जनगणना संबंधित मानचित्रण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, त्वरित पुनर्प्राप्ति,

विभिन्न स्थानिक मानदण्डों की समीक्षा और निरूपण तथा किसी प्रकार के दोहराव अथवा चूक से बचने के लिए भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) उपकरण का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

16.14 भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–2017) की एक नियोजित योजना है। यह परियोजना 576 मातृभाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ सफलतापूर्वक पूरी हो गई है । कुछ शेष बचे मदों का कार्य किया जा रहा है।

16.15 प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने और विश्लेषण करने के लिए, यह योजना है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) पर एक वेब–अभिलेखागार स्थापित किया जाए। इस प्रयोजन हेतु, आंतरिक भाषाविदों द्वारा भाषाई आंकड़ों के ठीक प्रकार से सम्पादन का कार्य प्रगति पर है।

(क) भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई)

छठी पंचवर्षीय योजना से आज तक भारत का भाषाई सर्वेक्षण इस कार्यालय की नियमित अनुसंधान गतिविधि है। इस परियोजना के तहत पिछले प्रकाशन की निरंतरता में, एलएसआई–बिहार एवं झारखंड का खंड पूरा होने के करीब है।

(ख) विविध

निम्नलिखित के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर(डॉ.) चैत्र पुत्तास्वामी, कोलकाता के सी–डेक विशेषज्ञ और आईआईटी, गुवाहाटी तथा सीआईआईएल, मैसूर से प्रोफेसर के साथ बैठकें हुईः

(i) वृहत भाषाई सूचना के भंडार को जनता के बीच उपलब्ध कराने के लिए,

(ii) श्रव्य –दृश्य भाषाई/मातृभाषा आंकड़ों के रखरखाव और अभिलेखीकरण, पुनःप्राप्ति संबंधी उचित प्रबंधन करने के लिए,

(iii) कम्प्यूटरीकृत भाषाई क्षेत्रों जैसेकि आंकड़ो के प्रसंस्करण में कृत्रिम बुद्धिमता में प्रयोग के लिए,

(iv) उन्नत स्तर पर आंकड़ों के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त वाक से पाठ रूपान्तरण प्रणाली प्रयोग के लिए,

(v) भाषा प्रभाग में भाषण/वाक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जानकारी इकट्ठा करना

एमटीएसआई आंकड़ों का प्रलेखन और परिरक्षण

16.16 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम (एनएफडीसी) इस विभाग के सर्वेक्षित मातृ भाषायी आंकड़ों के दस्तावेजीकरण और उन्हें दृश्य–श्रृव्य माध्यम में संरक्षित करने में सराहनीय योगदान प्रदान कर रही हैं । संग्रहीत करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के मुख्य सर्वर पर मातृभाषाओं के वीडियोग्राफ्ड स्पीच आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं ।

आंकड़ा प्रसार

16.17 गणना कार्य और आंकड़ा संसाधन के पूरा हो जाने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों, अध्येताओं, विद्यार्थियों और अन्य डाटा उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इन परिणामों का प्रसार करना है । भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय इसी प्रयोजन से जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, साक्षरों, कर्मियों और गैर–कर्मियों, मलिन बस्ती डाटा, आयु संबंधी डाटा और मकानों, परिवार संबंधी सुविधाओं और परिसम्पत्तियों संबंधी डाटा की उपयोगिता और जारी किए जाने के बारे में आंकड़ा उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए एक विस्तृत आंकड़ा प्रसार योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ।

16.18 निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए ये डाटासेट भारत की जनगणना वेबसाइट http://www.censusindia.gov.in पर जारी कर किए जाते हैं । ये काम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और कुछ मामलों में

मुद्रित खण्डों में भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ।

16.19 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक और प्रमुख नवाचारी कदम जनगणना से सैम्पल माइक्रो–आंकड़े लेकर उन पर अनुसंधान करने हेतु वर्कस्टेशनों की स्थापना करना है । भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान के प्रयोजन से जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के सैम्पल माइक्रो–आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाने की अनुमति देने की है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए, पूरे देश में 18 भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस श्रृंखला में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्थापित अंतिम वर्कस्टेशन है जिसका दिनांक 19.06.2019 को उद्घाटन हुआ था।

16.20 ये वर्कस्टेशन जनगणना से प्राप्त सैम्पल माइक्रो आंकड़ों संबंधी अनुसंधान विषयक सभी सुविधाओं से लैस हैं। ये पूर्णतया वातानुकूलित हैं तथा आंकड़ों तक पहुंच के लिए इनमें कम्प्यूटर टर्मिनलों का नेटवर्क है। इन वर्कस्टेशन में 1991 से 2011 जनगणना तक प्रकाशित सभी सारणी सॉफ्ट प्रति फ़ारमैट में, जनगणना 2011 हेतु जनगणना 2001 और 2011 से संबन्धित मकानसूचीकरण के सूक्ष्म नमूना आंकडें (राष्ट्रीय स्तर पर 1% और राज्य/संघ क्षेत्र/जिला स्तर पर 5%) और जनगणना 2011 के लिए जनसंख्या गणना (सीमित पैरामीटर) पर उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय/संस्थान का एक पदाधिकारी संबंधित वर्कस्टेशन पर तैनात किया जाता है जोकि अनुसंधानकर्ताओं को उनके अनुसंधान के लिए संचालन समूह से उसके अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात उन्हें वर्कस्टेशन में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध करवाता है। अनुसंधानकर्ता को सारणीकरण के लिए उपलब्ध समाज विज्ञान संबंधी सांख्यिकी पैकेज (एसपीएसएस) और सांख्यिकीय आंकड़ा विश्लेषण (एसटीएटीए) साफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। अनुमोदित जानकारियों के मुद्रण के लिए वर्कस्टेशनों के पास हाई स्पीड डूप्लेक्स कलर लेजर प्रिंटर हैं ।

16.21 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने भावी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए 1872 से प्रकाशित सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों को डिजिटाइज करने और अभिलेखबद्ध करने संबंधी एक अन्य प्रमुख पहल की है । इन पुरानी जनगणना रिपोर्टों के 26 लाख से अधिक पृष्ठों को डिजिटाइज किया गया है और निःशुल्क रूप से डाउनलोड करने के लिए इन्हें जनगणना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इनको संपूर्ण भारत में जनगणना निदेशालयों और विश्वविद्यालयों/संस्थानों में वर्कस्टेशनों पर भी उपलब्ध करवाया गया है ।

16.22 ओआरजीआई और जनगणना कार्य निदेशालयों (डीसीओ) ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित 11 राज्य स्तरीय पुस्तक मेलों, नामतः एनबीटी अजमेर पुस्तक मेला, एनबीटी धर्मशाला पुस्तक मेला, दिल्ली पुस्तक मेला, एनएसएस गवर्नमेंट अचीवमेंट एवं एक्स्पो, दिल्ली, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कलिंगा पुस्तक मेला, भुवनेश्वर पुस्तक मेला, उज्जैन पुस्तक मेला, पटना पुस्तक मेला, उदयपुर पुस्तक मेला और पुणे पुस्तक मेला में भाग लिया है ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

16.23 भारत में दशकीय जनगणना कार्य वर्ष 1872 से नियमित रूप से किए जाते हैं। इतने विशाल और वैविध्ययुक्त देश में सफलतापूर्वक जनगणना करवाने में प्राप्त विशेषज्ञता से हमें अपने अनुभवों को अन्य देशों तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों नामतः सिंफोनिका, संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, (यूएनईएससीएपी) और यूनिसेफ़ और अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों इत्यादि के साथ साझा करने में सहायता मिली है । वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण आयोजन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय तथा अन्य देशों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चित्रित करते हैं:

(क) सांख्यिकीविदों के लिए 2–21 सितंबर, 2019 के दौरान सिंफोनिका, टोकियों, जापान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस कार्यालय से श्रीमती वी.ए.वराडे, संयुक्त निदेशक, ने भाग लिया था। भागीदारी सिंफोनिका द्वारा वित्तपोषित था।

(ख) सिविल रजिस्ट्रीकरण एवं जीवनांक(सीआरवीएस) के लिए संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग(यूएनईएससीएपी) द्वारा 17–19 सितंबर, 2019 के दौरान बैंकॉक, थाइलैण्ड में आयोजित क्षेत्रीय संचालन समूह (आरएसजी) की पाँचवी बैठक में इस कार्यालय से, अपर महारजिस्ट्रार, श्री जनार्दन यादव और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रेणु शेखावत ने भाग लिया था। इस बैठक हेतु अधिकारियों की सहभागिता के व्यय का वहन भारत सरकार एवं यूएनईएससीएपी द्वारा किया गया ।

(ग) दक्षिण एशिया सिविल रजिस्ट्रीकरण (सीआर8) की बैठक, संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एवं यूनिसेफ़ के क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण एशिया यूनिसेफ़–आरओएसए द्वारा कुरुम्बा रिज़ॉर्ट, मालदीव में 26–28 नवम्बर, 2019 के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें अपर सचिव एवं आरजी व सीसीआई, डॉ. विवेक जोशी और उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस) श्रीमती संध्या सिंह ने भाग लिया था। इस बैठक हेतु अधिकारियों की सहभागिता के व्यय का वहन भारत सरकार एवं यूएनईएससीएपी द्वारा किया गया था।

आंतरिक प्रशिक्षण

16.24 अप्रैल, 2018 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय की प्रशिक्षण नीति प्रकाशित की गई । तदनुसार, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय और विभिन्न जनगणना कार्य निदेशालयों में तैनात कर्मियों को इनडक्शन / प्रोन्नति / सेवाकालीन / विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है ।

16.25 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की मंशा विद्यमान अधिकारियों की क्षमता को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सुदृढ़ करना है । इस मंशा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रानिक माध्यम से एक गहन प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) करवाया गया था। टीएनए द्वारा सौंपे गए कार्य और कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रशासन एवं स्थापना और सांख्यिकीय / जनसांख्यिकीय उपकरण एवं तकनीक पर सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान की गई थी ।

16.26 2019 (अप्रैल–दिसंबर) में निम्नलिखित प्रशिक्षण करवाए गए जहां 136 अधिकारियों / कर्मियों को बुनियादी और सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण करवाया गया । इन बैचों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सहभागियों का स्तर	अवधि		सहभागियों की संख्या
			से	तक	
1.	अनिवार्य पदोन्नति प्रशिक्षण (3 सप्ताह)	सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-1(समूह "ख' राजपत्रित)	26.08.2019	13.09.2019	29
			11.11.2019	29.11.2019	35
			09.12.2019	27.12.2019	52
2.	इन्डक्शन प्रशिक्षण (4 सप्ताह)	भूगोलविद(समूह "ख" अराजपत्रित)	01.07.2019	26.07.2019	20

जनगणना 2021 से संबंधित प्रशिक्षण

16.27 भारत की जनगणना 2021, पिछली जनगणनाओं की तरह, दो चरणों में होगी नामतः मकानसूचीकरण एवं मकान गणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (2020 में) का अद्यतनीकरण और जनसंख्या गणना (2021 में)। जनगणना कार्यकर्ताओं के लिए विस्तृत प्रशिक्षण प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। शीर्षस्थ स्तर पर, 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक होंगे, जिनके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), ग्रेटर नोएडा और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), दिल्ली में प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। उन्हें जनगणना एवं प्रशिक्षक विकास कौशल (टीडीएस) दोनों पर ही प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे अलगे स्तर अर्थात मुख्य प्रशिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। जनगणना 2021 के लिए लगभग 1900 मुख्य प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं और उन्हें नवम्बर–दिसंबर 2019 के महीनों में देश भर के 20 विभिन्न राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं(एटीआई) में जनगणना के प्रथम चरण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जनगणना एवं प्रशिक्षक विकास कौशल (टीडीएस) दोनों पर ही प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे क्रम में नीचे के प्रशिक्षकों अर्थात फील्ड प्रशिक्षकों (एफ़टी) को प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। अंतिम और जमीनी स्तर के फील्ड कार्यकर्ताओं अर्थात प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए लगभग 43,500 फील्ड प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा। इन एफ़टी के लिए, जोकि आमतौर पर महाविद्यालयों में व्याख्याता और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, जिला स्तर पर फरवरी–मार्च, 2020 के महीनों में जनगणना के प्रथम चरण पर प्रशिक्षण होगा । जनगणना और टीडीएस पर पूरी तरह प्रशिक्षित होने पर, एफ़टी, उप–जिला स्तर पर मार्च–जून, 2020 के दौरान लगभग 30 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

16.28 जनगणना 2021 करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को संचालित किया गया है, जहां जनगणना पद्धति और टीडीएस पाठ्यक्रम पर ओआरजीआई और राज्य सरकारों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन बैचों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	प्रतिभागियों का स्तर	अवधि		प्रतिभागियों की संख्या
			से	तक	
1	जनगणना पद्धतियों पर राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	समूह क अधिकारी	13.05.2019	17.05.2019	98
			14.10.2019	18.10.2019	
			21.10.2019	25.10.2019	
2	विकास कौशल प्रशिक्षण (टीडीएस) पर राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	समूह क अधिकारी	07.05.2019	11.05.2019	98
			21.10.2019	25.10.2019	
			28.10.2019	01.11.2019	
3	जनगणना पद्धतियों एवं टीडीएस पर मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	ओआरजीआई के समूह ख एवं ग अधिकारी	03.06.2019	18.06.2019	177 (छः बैचों में)

4	जनगणना प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षक	06.08.2019	09.08.2019	6,800(लगभग 200 बैच)
5	जनगणना पद्धतियों एवं टीडीएस पर मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	राज्य सरकार अधिकारी	18.11.2019	31.12.2019	1,610 (साठ बैच में)

जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट

16.29 जनसंख्या प्रक्षेपण उपलब्ध समय का एक विशेष बिन्दु का उपयोग कर कुछ मान्यताओं के तहत भविष्य की आबादी परिदृश्य में झाँकने का एक वैज्ञानिक प्रयास है। उनके सच होने की संभावना के साथ, किए गए अनुमान, इस गणितीय प्रयास में एक महत्वपूर्ण जानकारी बनाते हैं। मानव प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर के भविष्य के पाठ्यक्रम की भविष्यवाणी करना आसान कार्य नहीं है, विशेष रूप से समय के आगे देखते हुए, चूंकि यह चिकित्सा और स्वास्थ्य हस्तक्षेप रणनीतियों, खाद्य उत्पाद और इसके समान वितरण, जलवायु परिस्थिति, सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनैतिक–आर्थिक परिस्थितियाँ और जनसंख्या की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से प्रभावित होने के लिए बाध्य है। जनसंख्या प्रक्षेपण उपलब्ध कराने के लिए, जोकि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, नीति आयोग और अन्य पर्णधारकों द्वारा उपयोग की जा सके, भारत और इसके राज्यों हेतु 2011–2036 की अवधि का जनसंख्या प्रक्षेपण तैयार करने के लिए, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में एक जनसंख्या प्रक्षेपण तकनीकी समूह (टीजीपीपी) का गठन किया गया है। तदनुसार, भारत और राज्यों के लिए 2011–36 टीजीपीपी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

16.30 उपर्युक्त रिपोर्ट बनाते समय, ओआरजीआई ने घटक प्रणाली को अपनाया था, जोकि जनसंख्या प्रक्षेपण बनाने के लिए वैश्विक रूप से स्वीकार्य पद्धति है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का प्रजनन शक्ति, मृत्यु–दर और प्रवास दर से पता लगाया जा सकता है। इक्कीस राज्यों और एक संघ क्षेत्र के लिए घटक प्रणाली को लागू किया गया है। ये आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र), झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है । कोहोर्ट घटक प्रणाली का प्रयोग करते हुए समग्र रूप में सात उत्तर–पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) का प्रक्षेपण भी किया जा चुका है। जम्मू एवं कश्मीर(राज्य) और जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) के प्रक्षेपित जनसंख्या के शेष के आधार पर, जिसके लिए कोहोर्ट घटक प्रणाली का प्रयोग किया गया है, लद्दाख संघ क्षेत्र का प्रक्षेपण किया गया है। शेष राज्य अर्थात गोवा और सभी संघ क्षेत्रों के लिए, गणितीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किए गए आंकड़े भारत की जनगणना 2011 और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) है । एसआरएस प्रजनन शक्ति और मृत्यु–दर के समय शृंखला आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिसे उनके भविष्य के स्तर को अनुमानित करने के लिए प्रयोग किया गया है।

जीवनांक

सिविल रजिस्ट्रीककरण प्रणाली (सीआरएस)

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम,1969 का कार्यान्वयन

16.31 देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी)

अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का महारजिस्ट्रार राज्यों को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के संबंध में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अनुसरण में सामान्य निदेश/दिशानिर्देश भी जारी करता है।

16.32 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है । देश में जन्म का पंजीकरण स्तर 2008 के 76.4% से बढ़कर 2017 में 84.9% हो गया है। दूसरी ओर मृत्यु के पंजीकरण का स्तर 2008 के 66.4% से बढ़कर 2017 में 79.6% हो गया है ।

16.33 गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्रों अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को छोड़कर अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल मृत्यु पंजीकरण स्तर जन्म के पंजीकरण की तुलना में कम है । मृत्यु के पंजीकरण के कम स्तर का कारण आंशिक रूप से निवास–स्थान पर हुई मृत्यु और महिला एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट न करना हो सकता है ।

निर्धारित समय–सीमा के भीतर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण

16.34 पंजीकरण करने की अवधि के अनुसार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । इस प्रयोजनार्थ ली गई चार समयावधि निम्नानुसार हैं: i) निर्धारित समय–सीमा के भीतर (21 दिन तक), ii) 21 दिन के बाद पर 30 दिन के भीतर, iii) 30 दिन के बाद पर 1 वर्ष के भीतर, iv) घटना के 1 वर्ष बाद। वर्ष 2017 के दौरान जन्म के 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर किए गए पजीकरण संबंधी आंकड़े 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मृत्यु के संबंध 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए हैं। बिहार और झारखण्ड ने जन्म एवं मृत्यु के समयान्तर पर आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएं हैं जबकि हरियाणा ने मृत्यु के आंकड़ों का समय अंतराल प्रदान नहीं किया है और निर्धारित समय सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा नहीं किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और केरल ने जन्म के लिए केवल आंशिक आंकड़े उपलब्ध होने के कारण केवल आंशिक आंकड़े दिए हैं, अतः आंकड़ों को समेकित करते समय उन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

16.35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2017 में निर्धारित समय–सीमा के भीतर कुल पंजीकरण में से प्राप्त पंजीकरण का प्रतिशत निम्नानुसार है:–

विवरण: निर्धारित समय–सीमा (21 दिन) के भीतर किया गया पंजीकरण

स्तर (%)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
	जन्म	मृत्यु
90% से अधिक	लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चण्डीगढ़ गुजरात, दादरा और नगर हवेली, मिजोरम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु (13)	लक्षद्वीप, चण्डीगढ़, मिजोरम, गोवा, दिल्ली, पुदुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली (10)

80% से अधिक पर 90% से कम या बराबर	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान(4)	आंध्र प्रदेश, ओड़ीशा, दमन एवं दीव, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय(8)
50% से अधिक पर 80% से कम या बराबर	जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, मेघालय(8)	जम्मू एवं कश्मीर, छतीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, असम, उत्तराखंड(9)
50% से कम या बराबर	उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश(3)	नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश(2)

16.36 उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकृत कुल जन्म का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया है । इसके अतिरिक्त, 21 दिन की समय–सीमा में जन्म पंजीकरण पूरा करने के संबंध में 4 राज्य 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 8 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 3 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं ।

16.37 मृत्यु के पंजीकरण के मामले में, उपर्युक्त विवरण दर्शाता है कि 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर पंजीकृत कुल मृत्यु का 90% से अधिक पंजीकरण किया है। 21 दिन की निर्धारित समय–सीमा में मृत्यु पंजीकरण करने के संबंध में 8 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक पर 90 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं, 9 राज्य 50 प्रतिशत से अधिक पर 80 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी में हैं और शेष 2 राज्य 50 प्रतिशत से कम या बराबर की श्रेणी के अंतर्गत हैं ।

16.38 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में वृद्धि लाते हुए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की सार्वत्रिक प्राप्ति के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 2018 से मासिक आधार पर पंजीकरण दरों की निगरानी करने और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, जिला और राज्य स्तर पर सी.आर.एस. आंकड़ों के माध्यम से जन्म–मृत्यु दरों का परिकलन करने का भी निर्णय लिया है। सी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त जन्म–मृत्यु दर सटीक हैं और वास्तविक आंकड़े पंजीकरण प्राधिकारी से सत्यापित हैं। मुख्य रजिस्ट्रार से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रार माह–वार आंकड़ों का परिकलन करें और उसकी एक प्रति जनगणना कार्य निदेशालय (डीसीओ) को भी भेज दें। जनगणना कार्य निदेशालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु का कार्यालय पंजीकृत जन्म और मृत्यु की मासिक रिपोर्ट भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय को प्रेषित करते हैं ।

16.39 जीवनांक जिला–वार और राज्य–वार रूप से सृजित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों के समेकन के लिए एकीकृत आईटी एप्लीकेशन/पोर्टल की आवश्यकता है और तदनुसार सी.आर.एस. में सुधार किया जा रहा है ताकि वास्तविक रिपोर्टिंग, निगरानी और समेकन हो सके ।

भारत में सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस) में सुधार

16.40 सी.आर.एस. को समयबद्धता, दक्षता और एकरूपता के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में जन्म और मृत्यु का विलम्बित और कम कवरेज हो रही है। आम जनता को त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने में प्रणाली के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण हेतु न्यूनतम मानवीय भागीदारी सहित एक आईटी सक्षम तंत्र के माध्यम से देश की सिविल पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ये परिवर्तन प्रक्रिया को स्वचालित करने के रूप में होंगे ताकि समयबद्ध, एक समान और भेदभाव रहित सेवा उपलब्ध हो सके । ये परिवर्तन स्थाई, मापन योग्य तथा स्थान की सीमाओं से परे होंगे। यह परियोजना स्वरूपतः मॉड्युलर होगी जिसमें

परिवर्तन के रोडमैप की संकल्पना, कार्यान्वयन सहित आईटी अनुप्रयोग का विकास, क्षमता निर्माण और रखरखाव शामिल होगा ।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन (एमसीसीडी)

16.41 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण के चिकित्सीय प्रमाणन संबंधी योजना (एमसीसीडी) में मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाती है जोकि जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। निर्धारित फार्मों में प्राप्त आंकड़े रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संशोधन (आईसीडी–10) पर आधारित मृत्यु के कारणों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार सारणीकृत किए जाते हैं । एमसीसीडी 2017 रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है और एमसीसीडी 2018 रिपोर्ट के लिए आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं ।

16.42 वर्ष 2017 के लिए "मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणन" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत कुल 64,26,595 मृत्यु में से कुल 14,11,060 मृत्यु (8,73,368 पुरुष और 5,37,692 महिला) के चिकित्सीय रूप से प्रमाणित होने की सूचना दी गई है ।

16.43 इस समय एमसीसीडी का दायरा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनिन्दा अस्पतालों/सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित है। राज्यों द्वारा एमसीसीडी का विस्तार सभी चिकित्सीय संस्थानों तक किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

16.44 राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों का विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के संबंध में सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) एक बड़े पैमाने का जनांकिकी सर्वेक्षण है। एसआरएस एक दोहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है जिसमें अंशकालिक निवासी प्रगणकों द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत गणना और पर्यवेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण किया जाना शामिल है । इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को फील्ड में पुनः सत्यापित किया जाता है। यह सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्तों के कार्यालय द्वारा 1964–65 में कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया था; जो लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969–70 में पूरी तरह से क्रियाशील हो गया। जीवनांक दरों में परिवर्तनों की निगरानी करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है । तात्कालिक एसआरएस सैंपल में 8850 सैम्पल इकाइयां (4961 ग्रामीण और 3,889 शहरी) थीं, जिनके दायरे में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे जो 2011 जनगणना पर आधारित है और 01.01.2014 से प्रभावी हैं। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रूप से एसआरएस बुलेटिन, एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट और एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका निकाली जाती है।

16.45 वर्ष 2017 के संबंध में जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के आकलनों वाले एसआरएस बुलेटिन 2017 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से जारी कर दिए गए हैं, जोकि अनुलग्नक–XV पर दिए गए हैं । वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

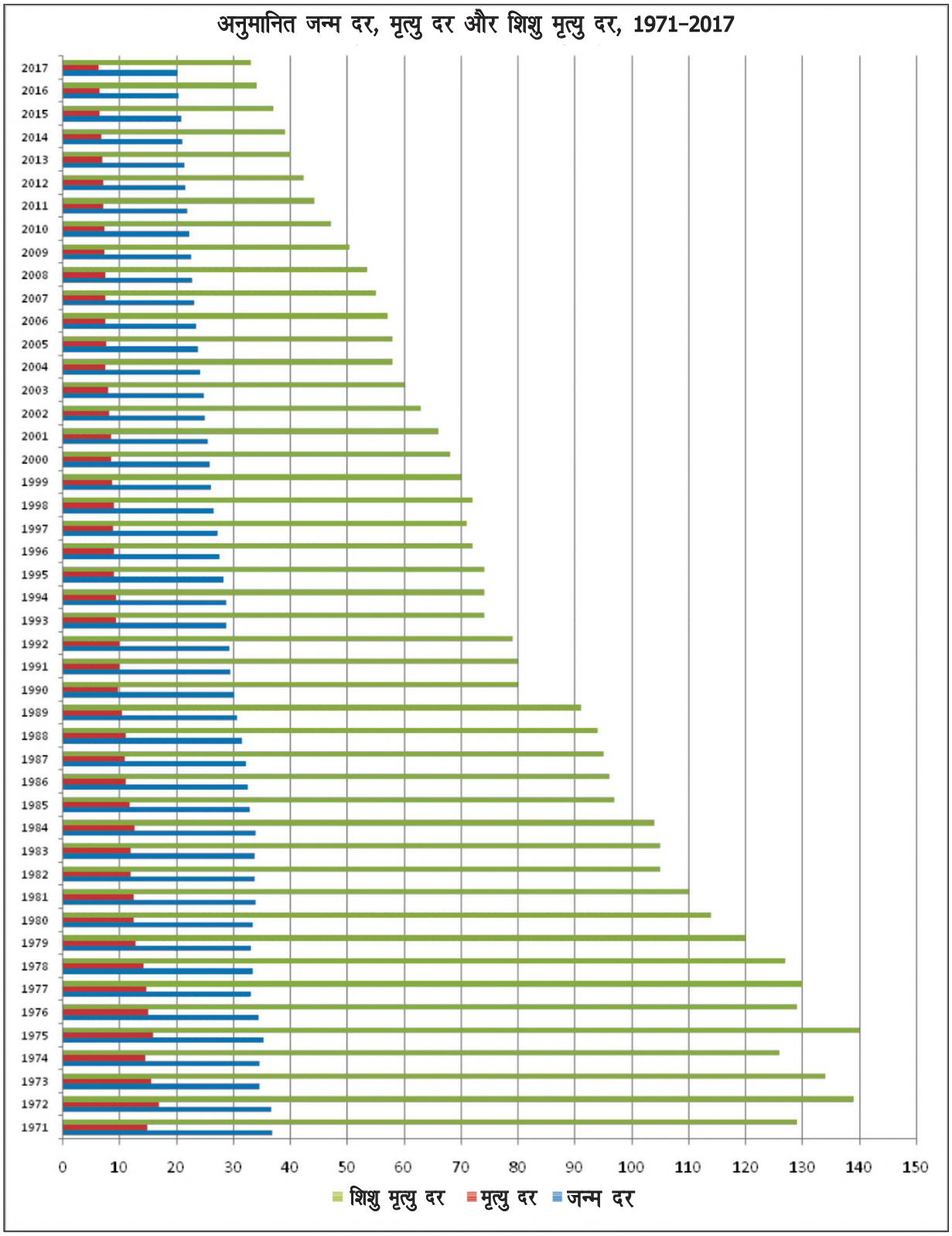
(i) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित जन्म दर (सीबीआर) 20.2 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 21.8 और शहरी क्षेत्रों के लिए 16.8 है । बड़े राज्यों में, सीबीआर सबसे कम (14.2) केरल में और सबसे अधिक (26.4) बिहार में है ।

(ii) अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 1000 जनसंख्या के लिए अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 6.3 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.9 और शहरी क्षेत्रों के लिए 5.3 है । बड़े राज्यों में दिल्ली में सबसे कम (3.7) दर्ज किया गया और छतीसगढ़ में सबसे अधिक (7.5) दर्ज हुआ ।

(iii) नवजात (< एक वर्ष) मृत्यु दर (आईएमआर) अखिल भारत के लिए प्रति 1000 जीवित जन्म के लिए 33, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 37 और शहरी क्षेत्रों के लिए

23 है । बड़े राज्यों में केरल में सबसे कम (10) और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (47) आईएमआर संख्या दर्ज हुई है ।

16.46 निम्नलिखित ग्राफ भारत की 1971 से 2017 तक की अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दिखाता है:



16.47 उपर्युक्त के अलावा, एसआरएस सांख्यिकीय रिपोर्ट – 2017 जारी कर दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पांच वर्ष की आयु से कम मृत्यु दर (यू5एमआर), जन्म के समय लिंगानुपात, कुल प्रजननता दर दी गई है। वर्ष 2017 के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर पायी गई मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

- 2017 में देश में यू5एमआर के संबंध में 2016 की तुलना में 2 अंक (2016 में 39 की तुलना में 2017 में 37) की कमी आयी है ।
- देश में जन्म के समय लिंगानुपात 2014–16 में 898 की तुलना में 2015–2017 में 896 अनुमानित किया गया ।
- देश में कुल प्रजननता दर (टीएफआर) पिछले चार वर्षों से 2013 से 2016 तक 2.3 पर स्थिर रहने के बाद 2017 में नीचे 2.2 पर आ गया। 2017 में, बिहार में सबसे अधिक टीएफआर (3.2) दर्ज किया गया जबकि दिल्ली में सबसे कम टीएफआर (1.5) दर्ज हुआ । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिस्थापन स्तर टीएफआर, अर्थात 2.1 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्राप्त कर लिया है अर्थात दिल्ली (1.5), पश्चिम बंगाल (1.6), तमिलनाडु (1.6), आन्ध्र प्रदेश (1.6), जम्मू एवं कश्मीर (1.6), पंजाब (1.6), हिमाचल प्रदेश (1.6), तेलंगाना (1.7), महाराष्ट्र (1.7), केरल (1.7), कर्नाटक (1.7), उत्तराखण्ड (1.9) और ओडिशा (1.9)। औसतन, राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला (जिसका टीएफआर 2.5 है) शहरी महिला (जिसका टीएफआर 1.7 है) की तुलना में एक अधिक बच्चे को जन्म देती है ।

16.48 सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत भारत की 2015–17 हेतु मातृ मृत्यु–दर से संबन्धित विशेष बुलेटिन जारी की जा चुकी है। भारत की मातृ मृत्यु दर अनुपात 2014–16 में 130 से घटकर 2015–2017 में 122 हो गई है।

16.49 2013–17 के लिए एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणियां भी जारी कर दी गई हैं । इस अवधि के लिए भारत और बड़े राज्यों के संबंध में लिंग और निवास के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा **अनुलग्नक–XVI** पर दी गई है । पिछले चार दशकों के दौरान 19.3 वर्ष की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.0 वर्ष है। जन्म के समय पुरूषों के लिए प्रत्याशा 67.8 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए 70.4 यह वर्ष है । बड़े राज्यों में जीवन प्रत्याशा केरल में सबसे अधिक (75.2 वर्ष) और उत्तर प्रदेश में सबसे कम (65.0 वर्ष) है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष है, पुरूषों के लिए यह 66.4 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.0 वर्ष। शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 72.2 वर्ष है, पुरूषों के लिए यह 71.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 73.7 वर्ष ।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर (एनपीआर)

16.50 सरकार ने देश में 2010 में सभी "समान्य निवासियों" की विशिष्ट जानकारी एकत्रित करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार किया। एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत निरूपित नागरिकता नियमावली, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। 2015 में, कुछ मदों जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं स्थान, निवास स्थान और पिता और माता के नाम को अपडेट किया गया था और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड संख्या एकत्रित किए गए थे। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण आए बदलावों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अद्यतित करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, केंद्र सरकार ने असम राज्य को छोड़कर पूरे देश में जनगणना 2021 की मकानसूचीकरण चरण के साथ अप्रैल से सितंबर, 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों की सुविधानुसार, एनपीआर डाटाबेस को अद्यतन करने का निर्णय लिया है। एनपीआर डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए तीन माध्यम होंगे, अर्थात; (i) स्वयं अद्यतनीकरण, जिसमें निवासियों को अपने स्वयं के डाटा फील्ड को कुछ प्रामाणिक प्रोटोकॉल का पालन कर वेब पोर्टल में अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, (ii) एनपीआर आंकड़ों का कागज फ़ारमैट में अद्यतनीकरण और

(iii) मोबाइल मोड से। एनपीआर डाटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए दिनांक 31.07.2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है। जनगणना के पूर्व–परीक्षण के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित क्षेत्रों में एनपीआर अद्यतनीकरण पर पूर्व–परीक्षण किया जा चुका है प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरणों को एनपीआर के अपडेशन कार्य के दौरान एकत्र/अद्यतित किया जाना है। 2020 में एनपीआर के अद्यतनीकरण के दौरान कोई दस्तावेज़ या बायोमेट्रिक एकत्रित नहीं किए जाएंगे।

16.51 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतनीकरण के लिए केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 3941.35 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) का अद्यतनीकरण

16.52 नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003, के नियम 4ए(4) के अंतर्गत बनाई गई अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार असम में एनआरसी का अद्यतनीकरण किया जा रहा है । एनआरसी असम का सम्पूर्ण कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

16.53 इस योजना का उद्देश्य असम राज्य में एनआरसी 1951 का अद्यतन करना है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम 24.03.1971 मध्यरात्रि तक की किसी भी मतदाता सूची अथवा नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 में उनके और उनके वंशजों के नाम शामिल हों ।

16.54 एनआरसी परियोजना को वित्तपोषित कर रही भारत सरकार ने असम राज्य में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी), 1951 अद्यतन करने संबंधी स्कीम को अनुमोदित किया है। असम में एनआरसी अद्यतनीकरण की अनुमोदित लागत 1602.66 करोड़ रूपए है और इस प्रयोजनार्थ 1388.13 करोड़ रुपए की राशि 2019–20 में जारी हो चुकी है ।

16.55 असम में एनआरसी, 1951 के अद्यतनीकरण के चरण हैं – पूर्व के आंकड़े प्रकाशित करना अर्थात 1971 तक की निर्वाचन सूची तथा एनआरसी 1951, सभी निवासियों से आवेदन की प्राप्ति, जांच टीमों द्वारा फील्ड जांच तथा निवासियों द्वारा उनके आवेदन फार्मों के साथ संलग्न दस्तावेजों की कार्यालयी जांच, सभी रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण और असम में एक नागरिक रजिस्टर तैयार करना, एनआरसी के अद्यतन प्रारूप का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उनका विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा निस्तारण करना और अंतिम एनआरसी का प्रकाशन ।

16.56 कुल 2,89,83,677 व्यक्ति 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित मसौदा एनआरसी में शामिल किए जाने के पात्र पाए गए हैं। मसौदा एनआरसी के प्रकाशन के पश्चात नागरिकता नियमावली, 2003 में निर्धारित है कि दावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया जाए और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मसौदा एनआरसी में शामिल नहीं किया गया है, वह अपने नाम को शामिल करने हेतु दावा कर सकता है। इसी प्रकार, त्रुटिवश यदि कोई नाम शामिल है, तो कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध भी आपत्ति उठा सकता है। मसौदा एनआरसी पर दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया 25.09.2018 को शुरू की गई और 31.12.2018 को पूरी हुई ।

16.57 36,26,630 लाख व्यक्तियों के लिए दावें और 1,87,633 लाख व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दावों और आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया दिनांक 15.02.2019 को शुरू हुई और अगस्त 2019 तक जारी रही। दावों और आपत्तियों के सत्यापन के समय सुनवाई के दौरान व्यक्तियों के बायोमेट्रिक भी लिए गए।

16.58 1,02,462 व्यक्तियों को शामिल करते हुए, एक अतिरिक्त मसौदा अपवर्जन सूची, जिनके नाम

दिनांक 30.07.2018 को प्रकाशित मसौदा एनआरसी में शामिल थे, लेकिन बाद में अयोग्य पाए गए, दिनांक 26.06.2019 को प्रकाशित हुई थी।

16.59 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.01.2019 के आदेश के निर्देशानुसार, दावों और आपत्तियों के निपटान के पश्चात, एनआरसी सेवा केन्द्रों, सर्कल कार्यालयों और राज्य के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची की हार्ड कॉपी और शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों की परिवार–वार सूची ऑनलाइन 31.08.2019 को प्रकाशित की जा चुकी है। 19,06,657 व्यक्तियों को छोड़कर कुल 3,11,21,004 व्यक्ति शामिल किए जाने के पात्र पाए गए हैं।

16.60 कोई व्यक्ति अगर दावों और आपत्तियों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विदेशी नागरिकता (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत गठित विदेशी नागरिकता अधिकरण के समक्ष 120 दिन के अंदर अपील कर सकता है। असम राज्य में भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में, जैसा भी मामला हो, अधिकरणों द्वारा अपील के निपटान के पश्चात नामों को शामिल अथवा हटाया जाएगा।

*****

अध्याय-17 विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

17.1 वर्ष 1954 में शुरू किया गया भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा/उच्चकोटि के कार्यनिष्पादन के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। तीन भारत रत्न की घोषणा दिनांक 25.01.2019 को गई थी और ये अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), डॉ. भूपेन्द्र कुमार हजारिका (मरणोपरांत) और श्री प्रणब मुखर्जी को दिनांक 08.08.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक अलंकरण समारोह में दिए गए थे। अब तक, यह पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया गया है।

पद्म पुरस्कार

17.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों वाले क्षेत्रों यथा कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं। पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है; पद्म भूषण उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

17.3 वर्ष 2016 से पहले, पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑफलाइन माध्यम अर्थात हार्ड कॉपी द्वारा प्राप्त किए जाते थे। आम नागरिक के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से, वर्ष 2016 से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के कारण प्राप्त नामांकनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में प्राप्त 2311 नामांकनों के मुकाबले वर्ष 2019 में 46,555 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अब, पद्म पुरस्कार पाने वालों की अधिकांश संख्या देश के प्रत्येक कोने से चयनित गुमनाम नायकों की है।

17.4 सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (यूटी), केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों से भी प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं उनकी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

17.5 इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और

राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

17.6 गणतंत्र दिवस, 2019 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों के अलंकरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 11.03.2019 और 16.03.2019 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो समारोहों में 112 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए गए थे, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

वीरता पुरस्कार

17.7 रक्षा मंत्रालय की देखरेख में अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दो बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इस संबंध में सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

17.8 भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2019 के अवसर पर कुल मिलाकर 6 नागरिक सम्मान दिए जाने का अनुमोदन किया, जिसमें एक (1) कीर्ति चक्र और पांच (5) शौर्य चक्र शामिल हैं।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

17.9 जीवन रक्षा पदक श्रेणी के पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे। जैसा कि पुरस्कार के नाम से ही प्रतीत होता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

17.10 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, नामतः सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है; उत्तम जीवन रक्षा पदक, जो जान बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए दिया जाता है और जीवन रक्षा पदक, जो किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली का झटका लगने, भूस्खलन, पशु आक्रमण इत्यादि से जान बचाने के मानवीय कार्य या कार्यों में जान बचाने वाले व्यक्ति के गम्भीर रूप से घायल होने की परिस्थितियों में साहस और तत्परता के लिए दिया जाता है।

17.11 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

17.12 इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में किया जाता है, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 2,00,000/–रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1,50,000/– रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 1,00,000/– रूपए की दर से एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

17.13 वर्ष 2018 के लिए, राष्ट्रपति ने 08 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 15 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 25 जीवन रक्षा पदक प्रदान करने का अनुमोदन प्रदान किया है। पदक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

17.14 भारत सरकार ने वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत की है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए योगदान देने के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने तथा एक मजबूत एवं एकजुट भारत के

मूल्य को सशक्त करने के लिए भारत के नागरिकों/संस्थानों/संगठनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायक योगदान को सम्मान देना है।

सतर्कता तंत्र

17.15 गृह मंत्रालय (मुख्य) के सतर्कता तंत्र के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी हैं, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य करते हैं। एक उप सचिव, एक अवर सचिव और दो अनुभाग अधिकारियों तथा सहायक कर्मचारियों वाले एक सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय (मुख्य) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यों में उनकी सहायता की जाती है।

17.16 इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक संगठन में अलग से सतर्कता प्रभाग है। संगठनों के संबंधित प्रमुखों को सहायता प्रदान करने के लिए इन सतर्कता प्रभागों के प्रमुख विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) केंद्रीय सतर्कता आयोग का अतिरिक्त हाथ होने के नाते केंद्रीय सतर्कता आयोग और मंत्रालय एवं इसके अधीन संगठनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है।

17.17 गृह मंत्रालय में अनुशासनात्मक/सर्तकता गतिविधियों के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ, मुख्य रूप से जिम्मेदार है जिसमें मंत्रालय में पदस्थापित अधिकारियों की वार्षिक प्रोपर्टी रिटर्न, वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट इत्यादि के रखरखाव से संबंधित मामले शामिल हैं। यह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के साथ सत्यनिष्ठा समेत सतर्कता गतिविधियों का समन्वय भी करता है, ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में अनुशासन, कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा बनाए रखी जा सके। सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने व्यापक रूप से निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

क) प्रभाग प्रमुखों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखा जाता है, ताकि इन प्रभागों में कार्यरत अधिकारियों की गतिविधियों पर गहन निगरानी रखना सुनिश्चित किया जा सके।

ख) 'संवेदनशील' पदों पर पदस्थापित अधिकारियों को नियमित आधार पर रोटेट किया जाता है। 'संवेदनशील' पदों की पहचान करने के लिए नए सिरे से प्रयास किया गया है। मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा ऐसे ही प्रयास किए गए हैं।

ग) संवेदनशील काम करने वाले अधिकारियों और सदस्यों के संबंध में, आसूचना एजेंसियों के माध्यम से 'पोजिटीव वेटिंग' कराई जा रही है।

घ) 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूचियां और 'सहमति सूची' रखी जाती है। संबंधित संगठनों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ विचार–विमर्श कर उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

ङ) मंत्रालय के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों के सतर्कता अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से ''सत्यनिष्ठा'' से संबंधित विषयों पर निगरानी रखी जाती है। इस संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक मासिक रिपोर्ट भी भेजी जाती है।

च) व्यवस्थागत सुधार और निवारणात्मक उपाय के एक भाग के रूप में, जहां कहीं आवश्यक हो, डिजिटल लेन–देन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

छ) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे संगठनों ने भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग में गति लाने के लिए वाट्सएप संख्या (9868505018), निःशुल्क हेल्प–लाइन संख्या (1903) शुरू की है। जागरूकता लाने के लिए एसएसबी में सोशल

मीडिया प्लेटफार्म भी शुरू किये गये हैं।

ज) मंत्रालय में शिकायतों, रिपोर्टों, आंतरिक जांच इत्यादि के तहत सृजित होने वाले सर्तकता/अनुशासनात्मक मामलों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले उनके संवर्ग प्राधिकारियों को संबंधित सेवा नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु भेजे जाते हैं। इसी प्रकार, जिन मामलों में मंत्रालय कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम है, उनमें सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

17.18 दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया। केंद्रीय सर्तकता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, दिनांक 28.10.2019 को गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को एक "शपथ" दिलाई गई। "ईमानदारी– जीवन जीने का एक तरीका" विषय पर दिनांक 01.11.2019 को एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। गृह मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

17.19 वर्ष 2019–20 के दौरान (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक) गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में निपटाए गए सर्तकता और अनुशासन संबंधी मामले तालिकाबद्ध रूप में संलग्न हैं (**अनुलग्नक–XVII**)।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

17.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत, आरटीआई से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल आरटीआई अनुभाग स्थापित किया गया था। यह अनुभाग आवेदनों का संग्रहण, वितरण करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने से संबंधित आवेदन को विषय से संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/लोक प्राधिकारियों को भेजता है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान संबंधी तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करता है।

क) मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ–साथ इसके कार्यों आदि के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर डाले गए हैं, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अपेक्षित है।

ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत उप सचिव/निदेशक स्तर के सभी अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

ग) अधिनियम की धारा 19 (1) के अनुसार संयुक्त सचिवों और इससे उपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

घ) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय के सभी चार भवनों नामतः नॉर्थ ब्लॉक, एनडीसीसी–।। भवन, एमडीसी नेशनल स्टेडियम और जैसलमेर हाउस के स्वागत कक्ष पर आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अनुभाग द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को आगे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

ङ) वर्ष 2019–20 के दौरान अर्थात् दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक, इस मंत्रालय में 3485 आवेदन और 232 प्रथम अपीलें व्यक्तिगत रूप से तथा 7211 आवेदन और 545 प्रथम अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं। इन्हें आवेदकों को सूचना

उपलब्ध कराने के लिए तत्काल संबंधित लोक प्राधिकारियों/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को हस्तांतरित/अग्रेषित कर दिया गया था।

च) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के का.ज्ञा. सं. 1/5/2011–आईआर के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार, यह मंत्रालय आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों के उत्तरों को नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

17.21 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एसएसओ) नोडल एजेंसी है। इस समय, गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर में आने वाले ऐसे 56 भवन हैं, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

17.22 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश–नियंत्रण का कार्य सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 149 कार्मिक तैनात हैं, जो 39 सरकारी भवनों में स्थित 58 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है, जहां से आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि, आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

17.23 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ–साथ सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) के सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया जाता है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर, सीआईएसएफ अथवा एसएसएफ के सुरक्षा कार्मिकों को इन भवनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। रेल भवन की सुरक्षा गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा की जा रही है। विशेष रूप से, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी भवनों की सशस्त्र सुरक्षा हेतु सीआईएसएफ में "सरकारी भवन सुरक्षा" (जीबीएस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट बनाई गई है। सीआईएसएफ की जीबीएस यूनिट 'ए' (अति संवदेनशील) और 'बी' (संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:–

(क) प्रवेश नियंत्रण – यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल इस मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान–पत्र धारक प्रामाणिक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पास धारक आगन्तुकों को प्रवेश की अनुमति उनके बैगों/ब्रीफकेसों आदि की जांच सहित उनकी जांच/तलाशी के बाद ही दी जाती है।

(ख) आतंकवाद–रोधी उपाय– भवनों में आतंकवाद–रोधी उपायों के लिए मुख्य रूप से बल उत्तरदायी हैं।

(ग) बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण– इन भवनों में किसी भी बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलपूर्वक प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ प्रथम कार्रवाई के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) बिना आज्ञा प्रवेश– भवन में किसी भी प्रकार के बिना आज्ञा प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ) निकास नियंत्रण– भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना।

17.24 सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) गृह मंत्रालय का 1251 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या वाला असैनिक निःशस्त्र बल है, जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एसएसएफ इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' (कम संवेदनशील) श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देख–रेख कर रहा है। कांस्टेबलों की 447 रिक्तियों की सूचना सीटी/जीडी परीक्षा–2018 द्वारा भरने के लिए सीआरपीएफ के माध्यम से एसएससी को दी गई है।

राजभाषा

17.25 राजभाषा प्रभाग गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथा संशोधित) के प्रावधानों और समय–समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों को कार्यान्वित करने में तथा सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है तथा गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और अनुभागों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद उपलब्ध कराता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

17.26 संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और सभी उप सचिव/निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन बैठकों में समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारी उपाय सुझाए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

17.27 राजभाषा अधिनियम, 1963 (वर्ष 1967 में यथा संशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जा रहे हैं। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों तथा आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा निरीक्षण

17.28 वर्ष के दौरान, हिंदी के प्रयोग की स्थिति का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के संयुक्त निदेशक और सहायक निदेशकों के निरीक्षण दलों ने गृह मंत्रालय के अधीन 956 कार्यालयों में से दिल्ली में एक कार्यालय और दिल्ली के बाहर स्थित 26 कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान, राजभाषा विभाग ने कुल कार्यालयों के 25% के निरीक्षण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा–2019

17.29 मंत्रालय में दिनांक 01.09.2019 से 15.09.2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, 11 हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें मंत्रालय के हिन्दी भाषी और गैर–हिन्दी भाषी अनेक अधिकारियों/कार्मिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में, कुल 65 प्रतिभागियों ने नकद पुरस्कार जीते और उन्हें प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए हैं।



श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय द्वारा पुरस्कार वितरण

(स्रोतः सीआईसी प्रभाग, गृह मंत्रालय)

हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

17.30 गृह मंत्रालय में, कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के कुल 37 स्वीकृत पदों में से 16 पदों पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक पदस्थ हैं और वर्तमान में उनमें से 12 हिंदी टंकण में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। साथ ही साथ, वरिष्ठ सचिवालय सहायक के कुल 98 स्वीकृत पदों में से 56 पर वरिष्ठ सचिवालय सहायक पदस्थ हैं और वर्तमान में उनमें से 03 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसके अलावा, सहायक अनुभाग अधिकारियों के कुल 359 स्वीकृत पदों में से 311 भरे हुए हैं और वर्तमान में उनमें से 12 हिंदी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार, आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों के कुल 197 स्वीकृत पदों में से 153 भरे हुए हैं और 37 हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। गृह मंत्रालय ने कुल 50 वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों/वरिष्ठ निजी सचिवों को हिंदी आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किया है।

हिंदी कार्यशाला

17.31 मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने तथा मूल रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 13.09.2019 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में समग्र रूप से 36 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।



हिंदी पखवाड़ा, 2019 के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशाला

(स्रोतः सीआईसी प्रभाग, गृह मंत्रालय)

हिंदी सलाहकार समिति

17.32 इस मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 05.11.2019 को समाप्त हो चुका है। नई लोक सभा के गठन के बाद, इस समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

हिंदी टिप्पण और प्रारूप–लेखन प्रोत्साहन योजना

17.33 गृह मंत्रालय में सरकारी कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2018–19 के दौरान हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किया गया था, जिसमें 12 कर्मचारियों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। मूल्यांकन के बाद, 02 कर्मचारियों को 5000–5000/– रु. के प्रथम पुरस्कार, 02 कर्मचारियों को 3000–3000/– रु. के द्वितीय पुरस्कार और 05 कर्मचारियों को 2000–2000/– रु. के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विभागीय लेखा संगठन (डीएओ)

17.34 गृह मंत्रालय के डीएओ का मुखिया प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक होता है और मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक, उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक/सहायक निदेशक (ए/सी) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त स्कंध के एक अभिन्न अंग के रूप में, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की कुशल व्यावस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। डीएओ के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय तथा देश में विभिन्न भागों में स्थित 46 वेतन एवं लेखा कार्यालय और 26 आंतरिक ऑडिट पार्टी निहित हैं।

17.35 डीएओ गृह मंत्रालय के अधीन सीएपीएफ और अन्य संगठनों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के आकस्मिक बिलों, वेतन एवं व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान, लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों के जीपी निधि खातों के रख–रखाव तथा लगभग 6,50,000 खाताधारकों के लिए एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के कार्यान्व्यन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के मासिक और वार्षिक खातों जैसे कि विनियोजन और वित्त खातों के समेकन और महालेखा नियंत्रक को इसकी प्रस्तुति के लिए भी उत्तरदायी होता है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, लेखांकन और निपटान के लिए, डीएओ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) नामक एक वेबसाइट आधारित प्लेाटफार्म का उपयोग करते हुए एक कंप्यूटरीकृत परिवेश में कार्य करता है।

17.36 इसके अतिरिक्त, डीएओ मंत्रालय के विभिन्न व्यय इकाइयों/डीडीओ (लगभग 1800) और योजनाओं/कार्यक्रमों की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के लिए विश्वव्यापी मुख्य साधनों में से एक है, जो सिस्टम की कमियों और कमजोर कड़ियों का आत्मनिरीक्षण करता है और उपचारी उपायों की सलाह देता है। डीएओ के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध (आईएडब्ल्यू) को इस मंत्रालय और इसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक ऑडिट करने और गृह मंत्रालय के गृह सचिव, जो मुख्य लेखा प्राधिकारी है, को महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के कार्यों में गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित होने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि, पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई), सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीपी), राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) इत्यादि की योजनागत लेखापरीक्षा करना तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा करना शामिल है। जहां तक अनुपालन लेखापरीक्षा का संबंध है, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध सीएपीएफ, सीपीओ और गृह मंत्रालय के संगठनों के 1800 से अधिक यूनिटों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरादायी है।

17.37 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान, आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध द्वारा निम्नलिखित लेखा–परीक्षाएं की गईं:

क. बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित लेखा–परीक्षा।

ख. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) स्कीम से संबंधित लेखा–परीक्षा।

ग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा कश्मीरी प्रवासियों को राहत एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अस्थायी मासिक राहत (एएमआर) के संबंध में लेखापरीक्षा।

घ. आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा से पीड़ित आम नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय स्कीम के संबंध में लेखा–परीक्षा।

ङ. जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में रियायती हेलीकॉप्टर सेवा के संबंध में लेखा परीक्षा।

च. सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई)– सुरक्षा संबंधी खर्च की लेखा–परीक्षा अर्द्धवार्षिक आधार पर की जाती है। 19 राज्य इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं और सभी राज्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018–19 तक लेखा–परीक्षा पूरी कर ली गई है।

छ. पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमओपीएफ)– पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत आने वाले 28 राज्यों की लेखा–परीक्षा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक/अर्द्धवार्षिक आधार पर कर ली गई है।

17.38 प्रारंभ में व्यय की लेखा–परीक्षा करने के पश्चात, लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो समय पर इन टिप्पणियों का निपटान करने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी), संसद को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी रिपोर्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा पैराग्राफ तैयार करते हैं, जिन पर मंत्रालय को "की गई कार्रवाई नोट" तैयार करना होता है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों का समय पर निपटान करने हेतु, लेखापरीक्षा समिति द्वारा लम्बित पैराग्राफों की स्थिति की निगरानी की जाती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफों की प्राप्ति और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 06 लेखापरीक्षा पैराग्राफ लंबित थे। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, कोई नया पैराग्राफ प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से, इस अवधि के दौरान 06 पैराग्राफों में से 03 का निपटान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार ऐसे 03 पैराग्राफ लंबित रह गए हैं।

17.39 दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरों की संख्या 7248 थी। दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 की अवधि के दौरान, प्राप्त तथा निपटान किए गए निरीक्षण पैरा की कुल संख्या क्रमशः 687 और 731 थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या 7204 थी। प्रत्येक संगठन की स्थिति **अनुलग्नक–XVIII** में दी गई है।

17.40 गृह मंत्रालय की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में ''की गई कार्रवाई नोट'' (एटीएन) की स्थिति **अनुलग्नक–XIX** में दर्शाई गई है।

16.41 बजट

डीएओ इस मंत्रालय के बजट प्रभाग की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है। बजट प्रभाग गृह मंत्रालय की 02 अनुदान मांगों, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की 08 अनुदान मांगों और मंत्रिमंडल की 01 अनुदान मांग के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। इन अनुदान मांगों में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) (विधानमंडल वाले और उसके बिना), मंत्रिमंडल इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। बजट प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्निलिखित हैं :

(क) वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बजट अनुमान (बीई) का निरूपण, संशोधित अनुमान (आरई), अनुपूरक मांगों की तैयारी, पुनर्विनियोजन आदेश जारी करना।

(ख) आउटपुट आउटकम लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग के सहयोग से इस मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में आउटपुट आउटकम मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना।

(ग) पीएसी पैरा और सीएंडएजी ऑडिट पैरा की निगरानी।

17.42 आईटी पहल

(क) बिल और व्यक्तिगत दावों के भुगतान, पेंशन मामलों के समाधान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का समाधान तथा लेखों के समेकन के लिए पीएफएमएस का कार्यान्वयन।

(ख) इस मंत्रालय के गैर–सीएपीएफ कार्मिकों के वेतन के भुगतान के लिए पीएफएमएस के कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) मॉड्यूल का कार्यान्वयन।

(ग) कार्यालय के प्रमुखों से पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के भविष्य पोर्टल का कार्यान्वयन।

(घ) जीपीएफ ब्रॉडशीट का डिजिटल मोड में संरक्षण के लिए सीजीए कार्यालय में कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

(ङ) इस मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के व्यय की निगरानी के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के ऑनलाइन ई–लेखा प्लेटफॉर्म का प्रयोग।

(च) इस मंत्रालय के रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए नॉन–टैक्स रिसिप्ट पोर्टल (एनटीआरपी) का कार्यान्वयन।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

17.43 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन (वाईडब्ल्यूसीए) की एक सदस्य और गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं।

17.44 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित सेवा संबंधी मामलों के लिए, निदेशक स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

17.45 दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ

(क) केन्द्र सरकार ने बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में 4% आरक्षण निर्धारित किया है।

(ख) गृह मंत्रालय (मुख्य) में 09 नेत्रहीन, 06 बधिर और 12 शारीरिक रूप से दिव्यांग और 01 प्रमस्तिष्कीय घात युक्त व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ग) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. सं. 21/05/2017–ई.।।(बी) के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सामान्य दर का दोगुना दिया जाता है।

जेंडर बजटिंग

17.46 गृह मंत्रालय में महिलाओं के लाभ के लिए की गई पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)

17.47 सीआईएसएफ ने महिलाओं के लाभ के लिए रिज़र्व बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अपनी सभी संस्थापनाओं में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रों में विशेष रूप से महिला कार्मिकों के उपयोग के लिए अलग मेस/बैरक का निर्माण किया जा रहा है।

17.48 रांची में 1.49 करोड़ रुपये की लागत से महिला कल्याण केंद्र का निर्माण किया गया है। अराक्कोनम में 9.47 करोड़ रुपये की लागत से एक अलग महिला एसओ हॉस्टल का निर्माण किया गया है। महिपालपुर, दिल्ली में 3.78 करोड़ रुपये की लागत से 450 की क्षमता वाले एक महिला बैरक का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरू में 2.46 करोड़ रुपये की लागत से एक नया परिवार कल्याण केंद्र निर्माणाधीन है।

17.49 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
49	1183	7395	8627

17.50 सीआईएसएफ के संबंध में वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमों और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
"अन्य प्रभार" शीर्ष के अंतर्गत क्रेच-सुविधाए	0.31	0.31	0.31

आज की तिथि में सीआईएसएफ में 14 क्रेच काम कर रहे हैं।

सीआईएसएफ में कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण की शिकायतों को दूर करने के लिए दो स्तरों पर शिकायत समिति बनाई गई है तथा निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय समिति और सेक्टर स्तर पर सेक्टर स्तरीय समिति।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)

17.51 भारत सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान सीआरपीएफ की पहली महिला बटालियन को अनुमोदित किया था। आज की तिथि के अनुसार, ऐसी छह बटालियनों (88वीं बटालियन, 135वीं बटालियन, 213वीं बटालियन, 232वीं बटालियन, 233वीं बटालियन और 240वीं बटालियन) को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इस समय 240वीं बटालियन बेंगलुरू में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। आपरेशनल महिला बटालियनें दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों को ग्रुप सेंटरों, त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) और 241वीं बटालियन (बस्त्रिया बटालियन) में तैनात किया जाता है और वे अन्य लिपिकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पुलिस व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। ये महिला बटालियनें देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सीआरपीएफ के प्रयास में प्रभावी रूप से योगदान कर रही हैं।

17.52 दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार सीआरपीएफ में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
358	910	6926	8194

(महिला कर्मचारियों की अनुमानित वार्षिक वेतन लागत लगभग 276.00 करोड़ रु. है।)

17.53 महिला कार्यबल द्वारा सहज रूप से अपनी ड्यूटी के निर्वहन के लिए, सीआरपीएफ ने विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चल प्रसाधन आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। फील्ड में तैनाती के दौरान भी, महिला कर्मचारियों की सुविधा के लिए यूनिट वाहनों में पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि पहनने से छूट प्रदान की गई है।

17.54 सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित अंतराल पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। नियमित विचार–विमर्श और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

17.55 125 महिला फार्म्ड पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली भारतीय महिला फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफएफपीयू) दिनांक 30.01.2007 को लाइबेरिया पहुंची और उन्होंने दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कान्फ्रेंस सेंटर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा टुकड़ी का पिछला बैच (एमएफपीयू– 7वां बैच) फरवरी, 2017 के दौरान वापस भारत लौट आया।

17.56 महिला कर्मचारियों के अलावा, सीआरपीएफ बल कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा है। बल ने सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से नए कौशल सीखने और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से परिवार की महिला सदस्यों के लिए परिवार कल्याण केन्द्र का निर्माण किया है और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्यान्वयन बल स्तर पर किया जाता है। महिला कर्मचारियों और बल कार्मिकों के परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं:–

i) महिला छात्रावास।

ii) विशेष रूप से महिलाओं हेतु शारीरिक गतिविधियां।

iii) महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम और टीवी आदि का प्रावधान।

iv) व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं आदि।

v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा सहित डे केयर सेंटर/क्रेच।

vi) अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रूप से महिलाओं को कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

17.57 सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए क्रेच सुविधाएं चलाने हेतु 0.55 करोड़ रू. और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 0.60 करोड़ रु. प्रदान किए हैं। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
क्रेच सुविधाएं, (अन्य प्रभार)	00.55	00.55	0.60

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

17.58 एसएसबी में, कार्मिकों की प्राधिकृत स्वीकृत नफरी 97,117 है, जिसमें से 2029 महिला कार्मिकों की नफरी हैं। एसएसबी ने दिनांक 07.08.2014 के मंजूरी आदेश के तहत 21 महिला कंपनियां अर्थात् 2,772 कार्मिकों के लिए महिला बटालियन गठित किये जाने हेतु मंजूरी प्रदान की थी।

17.59 सशस्त्र सीमा बल में विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं चल रही हैं:–

(क) सीमा चौकियों में तैनात महिलाओं के लिए प्रसाधन, बाथरुम, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल की सुविधा सहित अलग आवास।

(ख) सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं।

(ग) कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन।

(घ) सेवारत महिलाओं के लिए अलग मनोरंजन सुविधाएं अर्थात म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एवं डीवीडी आदि और मनोरंजन कक्ष/पुस्तकालय में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।

(ङ) कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, का शीघ्रता से निपटान करने हेतु एसएसबी में बल मुख्यालय/फ्रंटियर मुख्यालय स्तर एक पर एक समिति है।

17.60 महिलाओं के लिए उदार स्थानांतरण नीति:– जहां तक संभव हो, सभी महिला कार्मिकों को उनके मूल स्थान के नजदीक स्थित यूनिटों/फ्रंटियर में तैनात किया जायेगा तथा यदि पति और पत्नी दोनों एसएसबी कर्मचारी हैं, तो उन्हें एक स्थान पर तैनात किया जाएगा।

17.61 दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
35	77	1917	2029

17.62 सशस्त्र सीमा बल के संबंध में वर्ष 2019–20 और 2020–21 के दौरान विशेष रूप से महिलाओं के लाभ वाली स्कीमें और उनके लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं:

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
कोड शीर्ष 50 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत क्रेच-सुविधाएं	0.25	0.25	0.25

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)

17.63 आईटीबीपी की महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही हैं:–

(i) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस की सभी सेवारत महिलाओं को 05 फ्रंटियर मुख्यालयों, 01 प्रशिक्षण जोन, 15 सेक्टर मुख्यालयों, 56 यूनिटों (बटालियन मुख्यालयों), 14 प्रशिक्षण केन्द्रों और लॉजिस्टिक एंड कम्यूनिकेशन, सेक्टर हेड क्वार्टर (एल एण्ड सी एसएचक्यू) की 04 विशिष्ट बटालियनों में प्रसाधन, रसोई घर एवं डाइनिंग हाल युक्त पृथक महिला बैरक में रखा जाता है।

(ii) पुस्तकालय और कॉमन स्टाफ रूम में महिला केन्द्रित पत्रिकाएं और जर्नल अधिक संख्या में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(iii) महिलाओं को शारीरिक व्यायाम आदि के लिए जिम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iv) महिला बैरकों और डाइनिंग हालों में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टीवी और डीवीडी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए आया उपलब्ध कराने सहित डे केयर सेंटर/क्रेच। सेवारत महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्थानों पर कुल 09 क्रेच/डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं:

क्र.सं.	स्थान
1.	सेक्टर मुख्यालय, जिला – देहरादून (उत्तराखंड)
2.	आईटीबीपी अकादमी, मसूरी, जिला– देहरादून (उत्तराखंड)
3.	एम एंड एसआई औली, डाकघर-जोशीमठ, जिला – चमोली (उत्तराखंड)
4.	टीपीटी बटालियन, डाकघर-विमानपत्तन, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)
5.	11वीं बटालियन, पेगोंग (सिक्किम), 56 एपीओ
6.	12वीं बटालियन, डाकघर – मातली, जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखंड)
7.	50वीं बटालियन, रामगढ़, जिला-पंचकुला (हरियाणा)
8.	सेक्टर मुख्यालय (बरेली), डाकघर-बुखारा कैम्प, जिला-बरेली (उ.प्र.)
9.	35वीं बटालियन, डाकघर-महीनडांडा, जिला-उत्तरकाशी (उत्तराखंड)

(vi) अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से कढ़ाई और सिलाई की मशीनें उपलब्ध कराना।

17.64 महिलाओं को पृथक विश्राम कक्ष और चल प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी पृथक प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, शर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं को उनके महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाता है। साक्षात्कार, रोल कॉल और सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार–विमर्श करने के अतिरिक्त, फील्ड अधिकारी अपने कमान के अधीन महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजदीकी नजर रखते हैं। महिला अधिकारियों और जवानों के यौन–उत्पीड़न के मामलों के निपटान के लिए एक समिति गठित की गई है।

17.65 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:–

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
100	227	1740	2067

17.66 इस समय, आईटीबीपी से 05 महिला कार्मिक कांगो/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

17.67 वर्ष 2019–20 के दौरान आईटीबीपी के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के नाम और उनमें से प्रत्येक के लिए किए गए बजट प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
कोड शीर्ष 50 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत क्रेच-सुविधाएं	0.06	0.06	0.06

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

17.68 दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के दौरान महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं बीएसएफ द्वारा पूरी/स्वीकृत की गई हैं :

25 बटालियन बीएसएफ, छावला कैंप, नई दिल्ली (पूरा कर लिया गया)

(क) महिला बैरक :– 20 महिला के लिए संख्या 01

(ख) महिला बैरक :– 200 महिला के लिए संख्या 01

(ग) महिला बैरक में परिवर्तित पुराना बैरक :– 40 महिला के लिए संख्या 01

(घ) महिला शौचालय ब्लॉक :– 200 महिला के लिए संख्या 01

17.69 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित फ्रंटियरों (एफटीआर) के अंतर्गत सीमा चौकियों (बीओपी) में 08 बेड वाले महिला बैरकों को स्वीकृति प्रदान की गई है :

क) एफटीआर मुख्यालय जम्मू : 06 संख्या

ख) एफटीआर मुख्यालय पंजाब : 02 संख्या

ग) एफटीआर मुख्यालय गुजरात : 11 संख्या

घ) एफटीआर मुख्यालय राजस्थान : 11 संख्या

ड.) एफटीआर मुख्यालय दक्षिण बंगाल : 11 संख्या

च) एफटीआर मुख्यालय उत्तरी बंगाल : 08 संख्या

छ) एफटीआर मुख्यालय गुवाहाटी : 08 संख्या

ज) एफटीआर मुख्यालय शिलांग : 08 संख्या

झ) एफटीआर मुख्यालय एमएंडसी : 08 संख्या

(ञ) एफटीआर मुख्यालय त्रिपुरा : 10 संख्या

17.70 विभिन्न समूहों में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:

समूह क	समूह ख	समूह ग	कुल
122	443	4671	5226

17.71 वर्ष 2019–20 के दौरान बीएसएफ के संबंध में विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीम और उनके लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु. में)

स्कीमों का ब्यौरा	बजट अनुमान 2019-20	संशोधित अनुमान 2019-20	बजट अनुमान 2020-21
''अन्य प्रभार''शीर्ष के अंतर्गत क्रेच-सुविधाएं	0.60	0.60	0.60

17.72 बीएसएफ ने भी कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर और बल मुख्यालय स्तर पर एक समिति गठित की है।

*****

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
[संदर्भ पैरा 1.2]

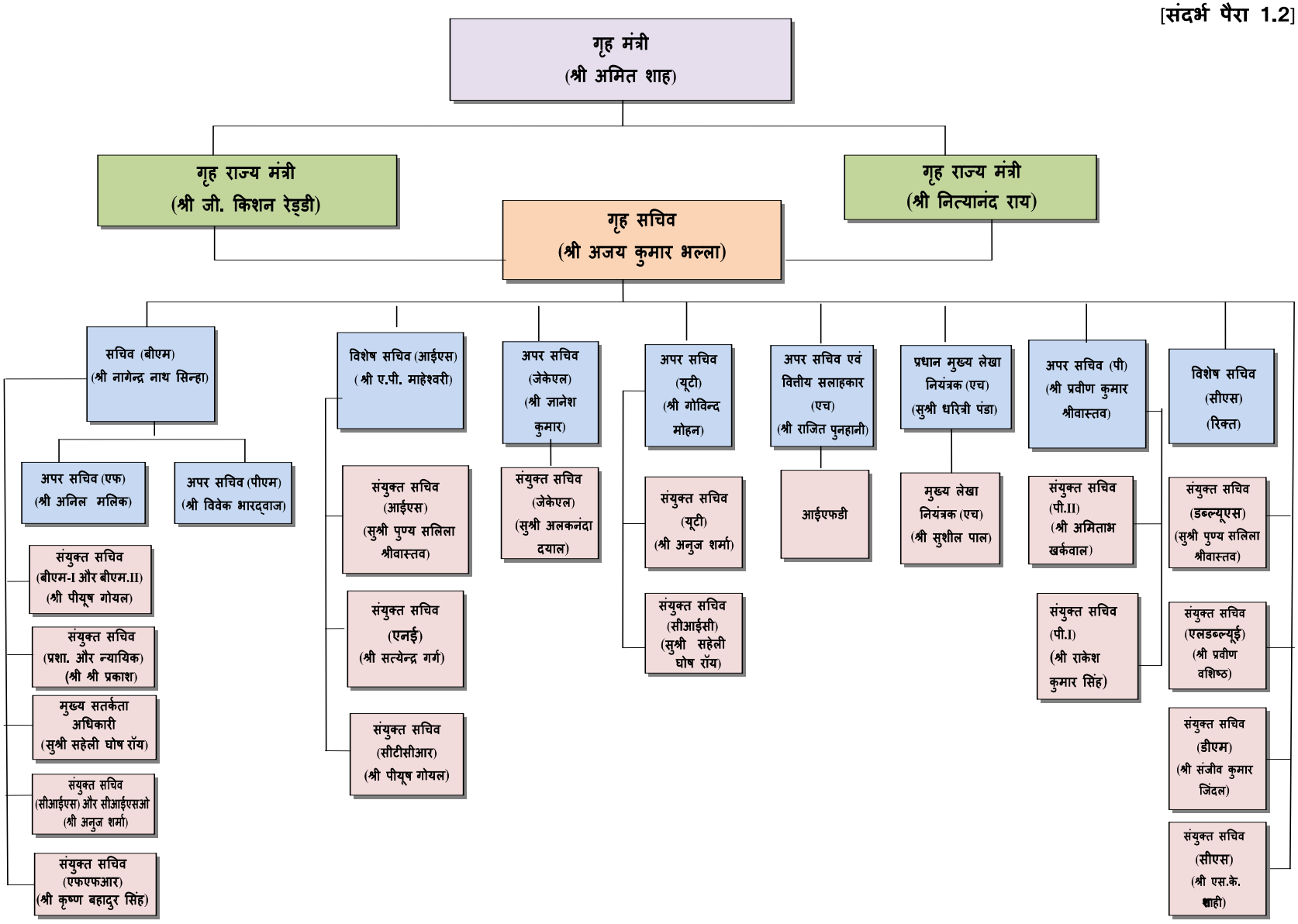
गृह मंत्रालय

वर्ष 2019-20 (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार) के दौरान गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री अमित शाह (दिनांक 30.05.2019 से) श्री राजनाथ सिंह (दिनांक 29.05.2019 तक)	गृह मंत्री
श्री नित्यानंद राय (दिनांक 30.05.2019 से) श्री जी. किशन रेड्डी (दिनांक 30.05.2019 से) श्री हंसराज गंगाराम अहीर (दिनांक 29.05.2019 तक) श्री किरेन रिजिजू (दिनांक 29.05.2019 तक)	गृह राज्य मंत्री
श्री अजय कुमार भल्ला (दिनांक 23.08.2019 से) श्री राजीव गौबा (दिनांक 23.08.2019 तक)	गृह सचिव
श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा (दिनांक 24.10.2019 से) श्री बी.आर. शर्मा (दिनांक 24.10.2019 तक)	सचिव (सीमा प्रबंधन)
श्री ए.पी. माहेश्वरी	विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा)
श्री भूपेन्द्र सिंह (दिनांक 31.12.2019 तक)	विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
श्री सतपाल चौहान (दिनांक 30.11.2019 तक)	विशेष सचिव (सीएस)
श्री ज्ञानेश कुमार श्री विवेक भारद्वाज (दिनांक 10.04.2019 से) श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव श्री गोविन्द मोहन श्री अनिल मलिक (दिनांक 24.10.2019 से)	अपर सचिव
श्री सत्येन्द्र गर्ग श्री प्रवीण वशिष्ठ सुश्री सहेली घोष रॉय श्री श्री प्रकाश	संयुक्त सचिव

श्री संजीव कुमार जिंदल श्री अनुज शर्मा श्री कृष्ण बहादुर सिंह श्री एस.के. शाही सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव श्री पीयूष गोयल श्री अमिताभ खर्कवाल श्री राकेश कुमार सिंह (दिनांक 02.08.2019 से) सुश्री अलकनंदा दयाल (दिनांक 13.11.2019 से) श्री एस.सी.एल. दास (दिनांक 31.12.2019 तक) सुश्री निधि खरे (दिनांक 01.08.2019 तक) श्री ए.वी. धर्म रेड्डी (दिनांक 09.07.2019 तक) श्री डेनियल ई. रिचर्ड्स (दिनांक 17.06.2019 तक)	
डॉ. एन.के. सिन्हा (दिनांक 30.11.2019 तक)	आर्थिक सलाहकार
सुश्री धरित्री पंडा	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
श्री सुशील पाल	मुख्य लेखा नियंत्रक

अनुलग्नक-II
[संदर्भ पैरा 1.2]

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)



अनुलग्नक-III
(संदर्भ पैरा 2.41)

वर्ष 2009-2019 के दौरान सुरक्षा की राज्य-वार स्थिति

अरुणाचल प्रदेश									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	हथियार बरामद	अपहृत व्यक्ति
2009	53	19	32	--	03	57	37	08	30
2010	32	11	53	--	02	52	39	12	15
2011	53	21	51	--	06	23	18	18	28
2012	54	14	66	--	05	17	11	28	17
2013	21	07	49	01	02	02	02	32	09
2014	33	09	86	--	02	07	--	46	49
2015	36	05	55	03	01	03	01	17	33
2016	50	07	59	02	--	04	02	49	25
2017	61	09	44	--	03	03	01	43	27
2018	37	12	69	02	01	02	--	60	17
2019	36	02	106	02	12	02	--	44	34
असम									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	हथियार बरामद	अपहृत व्यक्ति
2009	424	194	359	22	152	706	329	373	91
2010	251	109	370	12	53	547	200	302	72
2011	145	46	378	14	18	118	77	183	72
2012	169	59	412	05	27	757	240	201	79

2013	211	52	348	05	35	92	72	180	125
2014	246	102	315	04	168	102	43	265	94
2015	81	49	645	--	09	30	17	413	27
2016	75	51	366	04	29	15	05	298	14
2017	33	16	204	03	06	13	02	120	05
2018	28	05	133	01	07	13	03	92	06
2019	17	--	131	--	--	49	22	85	10
मणिपुर									
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए उग्रवादी**	**गिरफ्तार उग्रवादी**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए आम नागरिक**	**आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी**	**समर्पित किए गए हथियार**	**हथियार बरामद**	**अपहृत व्यक्ति**
2009	659	336	1532	19	81	28	07	832	52
2010	367	108	1458	06	33	60	56	586	43
2011	298	28	1365	10	26	284	264	625	34
2012	518	65	1286	08	21	350	342	778	57
2013	225	25	918	05	28	513	329	610	22
2014	278	23	1052	08	16	80	37	515	29
2015	229	41	805	24	15	04	02	252	26
2016	233	09	518	11	11	--	--	116	25
2017	167	22	558	08	23	74	10	127	40
2018	127	10	404	07	08	--	--	99	30
2019	126	09	476	--	07	--	--	92	15
मेघालय									
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए उग्रवादी**	**गिरफ्तार उग्रवादी**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए आम नागरिक**	**आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी**	**समर्पित किए गए हथियार**	**हथियार बरामद**	**अपहृत व्यक्ति**
2009	12	06	41	--	03	20	01	09	04

2010	29	14	78	--	04	27	11	40	11
2011	56	11	57	08	12	39	15	20	23
2012	127	16	92	01	36	20	06	37	64
2013	123	21	75	07	30	10	03	51	33
2014	179	35	173	06	24	733	20	97	110
2015	123	25	121	07	12	78	45	53	87
2016	68	15	59	--	08	205	78	57	52
2017	28	06	13	--	02	37	14	12	18
2018	15	03	17	01	04	19	10	103	01
2019	02	--	06	--	01	01	--	04	--
मिजोरम									
वर्ष	**घटनाएं**	**मारे गए उग्रवादी**	**गिरफ्तार उग्रवादी**	**मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक**	**मारे गए आम नागरिक**	**आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी**	**समर्पित किए गए हथियार**	**हथियार बरामद**	**अपहृत व्यक्ति**
2009	01	--	--	--	01	--	--	--	--
2010	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2011	01	--	04	--	--	02	02	24	02
2012	--	--	02	--	--	--	--	19	06
2013	01	--	03	--	--	--	--	75	06
2014	03	--	--	--	--	03	--	31	14
2015	02	--	04	03	--	--	--	19	13
2016	-	-	02	-	-	--	--	05	01
2017	-	-	05	-	-	--	--	16	--
2018	03	-	-	-	-	114	44	02	--
2019	--	--	--	--	--	--	--	13	--

नागालैंड									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	हथियार बरामद	अपहृत व्यक्ति
2009	129	15	185	--	16	06	02	105	35
2010	64	05	247	--	--	12	08	114	42
2011	61	08	267	--	07	--	--	102	59
2012	151	66	275	--	08	04	--	178	93
2013	145	33	309	--	11	01	--	232	100
2014	77	12	296	--	01	--	--	150	65
2015	102	29	268	09	09	13	01	74	78
2016	58	05	198	--	--	16	03	80	51
2017	19	04	171	01	03	02	--	87	12
2018	42	04	181	03	03	--	--	64	63
2019	42	01	217	02	01	16	01	74	49

त्रिपुरा									
वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए आम नागरिक	आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित किए गए हथियार	हथियार बरामद	अपहृत व्यक्ति
2009	19	01	14	01	08	292	44	30	18
2010	30	--	07	02	02	148	37	03	31
2011	13	--	19	--	01	25	05	01	32
2012	06	02	12	--	--	47	13	03	13
2013	06	--	10	--	01	22	10	--	12
2014	08	--	08	02	01	40	15	--	08
2015	01	--	02	--	--	15	03	--	03
2016	--	--	--	--	--	27	05	--	--
2017	--	--	--	--	--	01	--	--	--
2018	--	--	--	--	--	13	01	--	--
2019	--	--	--	--	--	90	44	--	--

अनुलग्नक-IV
(संदर्भ पैरा 2.57)

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत "विधि-विरुद्ध एसोसिएशनों और/अथवा "आतंकवादी संगठनों" के रूप में घोषित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्रोही/उग्रवादी संगठनों की सूची

समूह का नाम		के रूप सूचीबद्ध/घोषित
असम		
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(iii)	कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ)	आतंकवादी संगठन
मणिपुर		
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)	तदैव
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके)	तदैव
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)	तदैव
(v)	कांगलेई योल कान्बा लूप (केवाईकेएल)	तदैव
(vi)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आरपीएफ)	विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(vii)	कोऑर्डिनेशन कमिटि [कोर-कॉम]	तदैव
(viii)	अलाएंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेईपाक (एएसयूके)	तदैव
(ix)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)	आतंकवादी संगठन
मेघालय		
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी)	विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)	आतंकवादी संगठन
त्रिपुरा		
(i)	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा (एनएलएफटी)	तदैव
नागालैंड		
(i)	द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन/के]	आतंकवादी संगठन और विधिविरुद्ध एसोसिएशन

अनुलग्नक-V

(संदर्भ पैरा 2.64)

वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान सुरक्षा संबंधी खर्च (एसआरई) स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को उपलब्ध करायी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

जारी की गई निधियां	असम	नागालैंड	मणिपुर	त्रिपुरा	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश	कुल
2012-13	112.86	69.36	20.62	11.32	-	50.74	264.90
2013-14	159.18	42.50	25.01	42.18	16.60	4.53	290.00
2014-15	106.69	57.88	37.76	27.23	12.61	18.83	261.00
2015-16	140.07	67.61	45.78	12.98	12.63	0.93	280.00
2016-17	148.70	61.48	31.86	36.62	9.19	12.15	300.00
2017-18	287.74	13.16	34.02	21.82	16.19	32.07	405.00
2018-19	137.05	42.34	32.35	9.05	11.74	17.48	250.00
2019-20	210.86	12.82	34.26	39.22	9.69	13.15	320.00

अनुलग्नक-VI
(संदर्भ पैरा 2.65)

वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किये गये सीएपीएफ/सेना को जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रु. में)

संगठन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बीएसएफ	230.00	262.50	50.00	150.00	150.00	150.00	300.00	400.00
सीआरपीएफ	150.00	-	27.00	150.00	150.00	150.00	250.00	270.00
आईटीबीपी	100.00	68.00	75.00	100.00	80.00	100.00	80.00	80.00
एसएसबी	150.00	17.76	69.00	70.00	70.00	70.00	140.00	150.00
असम राइफल्स	200.00	350.00	200.00	350.00	350.00	550.00	330.00	350.00
आर्मी	120.00	150.00	179.00	180.00	180.00	180.00	68.00	50.00
कुल	950.00	848.26	600.00	1000.00	980.00	1200.00	1168.00	1300.00

अनुलग्नक –VII
(संदर्भ पैरा 7.2)

संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	603	5,86,956
4.	लक्षद्वीप	32	64,429
5.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,67,53,235
6.	पुदुचेरी	479	12,44,464
7.	जम्मू एवं कश्मीर	--	1,22,67,013
8.	लद्दाख	--	2,74,289
	कुल	10,960 (जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर)	3,26,25,016

अनुलग्नक-VIII

(संदर्भ पैरा 7.2)

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और वास्तविक, वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान दर्शाता हुआ तुलनात्मक विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2017-18			2018-19			2019-20		2020-21
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4263.28	4819.93	4791.05	4593.86	4659.60	4653.91	4887.58	5029.16	5234.26
2.	चंडीगढ़	4312.40	4692.75	4628.24	4511.91	4536.57	4430.07	4753.12	4868.99	5138.10
3.	दादरा और नगर हवेली	1075.62	1018.38	1016.54	1121.34	1087.04	1084.21	1184.89	1188.24	3520.52
4.	दमण एवं दीव	1585.06	1585.06	1579.34	1675.49	1637.80	1644.52	1918.48	2061.27	
5.	लक्षद्वीप	1248.91	1223.41	1210.75	1397.31	1286.62	1247.58	1303.49	1324.61	1376.46
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	758.00	757.99	752.98	790.00	867.49	861.25	1112.00	1037.00	1116.00
7.	पुदुचेरी	1483.01	1483.00	1500.69	1476.00	1525.61	1525.60	1601.00	1601.00	1703.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	--	--	--	--	--	--	--	--	30757.00
9.	लद्दाख	--	--	--	--	--	--	--	--	5958.00

(स्रोत: प्लानिंग सेल, यूटी प्रभाग)

अनुलग्नक -IX

(संदर्भ पैरा 10.31)

वर्ष 2015-2020 के दौरान राज्य आपदा राहत निधि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल 2015-20
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	440	462	485	509	534	2430
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	55	57	60	63	287
3.	असम	460	483	507	532	559	2541
4.	बिहार	469	492	517	543	570	2591
5.	छत्तीसगढ़	241	253	265	278	292	1329
6.	गोवा	4	4	4	4	4	20
7.	गुजरात	705	740	777	816	856	3894
8.	हरियाणा	308	323	339	356	374	1700
9.	हिमाचल प्रदेश	236	248	260	273	287	1304
10.	जम्मू एवं कश्मीर	255	268	281	295	310	1409
11.	झारखंड	364	382	401	421	442	2010
12.	कर्नाटक	276	290	305	320	336	1527
13.	केरल	185	194	204	214	225	1022
14.	मध्य प्रदेश	877	921	967	1016	1066	4847
15.	महाराष्ट्र	1483	1557	1635	1717	1803	8195
16.	मणिपुर	19	20	21	22	23	105

17.	मेघालय	24	25	27	28	29	133
18.	मिजोरम	17	18	19	20	20	94
19.	नागालैंड	10	10	11	11	12	54
20.	ओडिशा	747	785	824	865	909	4130
21.	पंजाब	390	409	430	451	474	2154
22.	राजस्थान	1103	1158	1216	1277	1340	6094
23.	सिक्किम	31	33	34	36	38	172
24.	तमिलनाडु	679	713	748	786	825	3751
25.	तेलंगाना	274	288	302	317	333	1514
26.	त्रिपुरा	31	33	34	36	38	172
27.	उत्तर प्रदेश	675	709	744	781	820	3729
28.	उत्तराखंड	210	220	231	243	255	1159
29.	पश्चिम बंगाल	516	542	569	598	628	2853
	कुल	11081	11635	12214	12825	13465	61220

अनुलग्नक -X

(संदर्भ पैरा 10.36)

वर्ष 2018-2019 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आबंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडीआरएफ से जारी निधियां
		केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	400.50	133.50	534	200.25	--	570.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.70	6.30	63.00	28.35	--	--
3.	असम	503.10	55.90	559.00	251.55	--	--
4.	बिहार	427.50	142.50	570.00	417.37	213.75	400.00
5.	छत्तीसगढ़	219.00	73.00	292.00	67.80	--	--
6.	गोवा	3.00	1.00	4.00	--	--	--
7.	गुजरात	642.00	214.00	856.0	565.80	--	--
8.	हरियाणा	280.50	93.50	374.00	86.85	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	258.30	28.70	287.00	68.08	129.15	234.09
10.	जम्मू एवं कश्मीर	279.00	31.00	310.00	405.00	--	--
11.	झारखंड	331.50	110.50	442.00	165.75	--	--
12.	कर्नाटक	252.00	84.00	336.00	78.00	126.00	2744.26
13.	केरल	168.75	56.25	225.00	52.275	--	--

14.	मध्य प्रदेश	799.50	266.50	1066.00	247.35	399.75	1000.00
15.	महाराष्ट्र	1352.25	450.75	1803.00	676.125	600.00	2474.29
16.	मणिपुर	20.70	2.30	23.00	9.90	--	--
17.	मेघालय	26.10	2.90	29.00	12.60	--	--
18.	मिजोरम	18.00	2.00	20.00	--	--	--
19.	नागालैंड	10.80	1.20	12.00	5.40	5.40	--
20.	ओडिशा	681.75	227.25	909.00	340.875	211.125	3114.46
21.	पंजाब	355.50	118.50	474.00	313.05	--	--
22.	राजस्थान	1005.00	335.00	1340.00	502.50	--	1164.99
23.	सिक्किम	34.20	3.80	38.00	17.10	--	--
24.	तमिलनाडु	618.75	206.25	825.00	309.375	--	--
25.	तेलंगाना	249.75	83.25	333.00	237.75	--	--
26.	त्रिपुरा	34.20	3.80	38.00	17.10	--	--
27.	उत्तर प्रदेश	615.00	205.00	820.00	541.80	--	--
28.	उत्तराखंड	229.50	25.50	255.00	114.75	--	--
29.	पश्चिम बंगाल	471.00	157.00	628.00	414.90	235.50	--
	कुल: -	10343.85	3121.15	13465.00	6147.655	1920.68	11703.00

अनुलग्नक -XI

(सन्दर्भ पैरा 10.42)

एनडीएमए द्वारा जारी राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का ब्यौरा

क्रम सं .	निम्नलिखित पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश	तैयार करने/जारी करने का मास और वर्ष
1.	भूकंप प्रबंधन	अप्रैल 2007
2.	रासायनिक आपदा (औद्योगिक)प्रबंधन	अप्रैल 2007
3.	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी	जुलाई 2007
4.	चिकित्सा तैयारी प्रबंधन और व्यापक हताहत प्रबंधन	अक्तूबर 2007
5.	बाढ़ प्रबंधन	जनवरी 2008
6.	चक्रवात प्रबंधन	अप्रैल 2008
7.	जैविक आपदा प्रबंधन	जुलाई 2008
8.	नाभिकीय और विकिरण आपात स्थिति प्रबंधन	फरवरी 2009
9.	भू-स्खलनों और हिमस्खलनों का प्रबंधन	जून 2009
10.	रसायनिक (आतंकवाद) आपदाओं का प्रबंधन	जून 2009
11.	आपदा में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं	दिसंबर 2009
12.	दुर्घटना कार्रवाई तंत्र	जुलाई 2010
13.	सुनामी का प्रबंधन	अगस्त 2010
14.	आपदा के परिणामस्वरूप मरने वालों का प्रबंधन	अगस्त 2010
15.	शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रबंधन	सितंबर 2010
16.	सूखा प्रबंधन	सितंबर 2010
17.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना एवं संचार प्रणाली	फरवरी 2012
18.	अग्निशमन सेवाओं के लिए स्केलिंग, उपस्कर का प्रकार और प्रशिक्षण	अप्रैल 2012

19.	त्रुटिपूर्ण भवनों और अवसंरचनाओं की भूकंपीय रिट्रोफिटिंग	जून 2014
20.	स्कूल सुरक्षा नीति	फरवरी 2016
21.	अस्पताल की सुरक्षा	फरवरी 2016
22.	राहत शिविरों में आश्रय, भोजन, पानी, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा के लिए न्यूनतम मानक	फरवरी 2016
23.	संग्रहालय	मई 2017
24.	सांस्कृतिक विरासत स्थल और परिसर	सितंबर 2017
25.	नाव सुरक्षा	सितंबर 2017
26.	कार्य योजना की तैयारी -गरज और प्रकाश/आंधी/ धूल भरी ओलावृष्टि और तेज हवा की रोकथाम और प्रबंधन	मार्च 2019
27.	आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थाई आश्रय	सितंबर 2019
28.	विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम में कमी	सितंबर 2019
29.	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति	सितंबर 2019
30.	कार्य योजना की तैयारी - लू की स्थिति की रोकथाम और प्रबंधन	अप्रैल 2016 (वर्ष 2019 में संशोधित)

अनुलग्नक-XII

(सन्दर्भ पैरा 10.53)

दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान एनआईडीएम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	कार्यक्रम स्थल	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
अप्रैल, 2019					
1.	पीआरआई सेक्टर में डीआरआर को मुख्यधारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	24-27 अप्रैल, 2019	शेखर चतुर्वेदी	23
2.	ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में डीआरआर और सीसीए का एकीकरण	जीएसडीएमए, गुजरात	24-27 अप्रैल, 2019	सुषमा गुलेरिया	23
3.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रतिरोध	एनआईडीएम, नई दिल्ली	22-26 अप्रैल, 2019	सूर्य प्रकाश	43
4.	शिक्षा क्षेत्र में डीआरआर को मुख्यधारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	30 अप्रैल -2 मई, 2019	अजिन्दर वालिया	17
5.	अस्पताल आपदा प्रबन्धन योजना में डीआरआर को मुख्यधारा में लाना	जीएसडीएमए, गुजरात	30 अप्रैल -2 मई, 2019	आमिर अली खान	16
मई, 2019					
6.	आपदोत्तर आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) एवं दीर्घावधिक रिकवरी	एनआईडीएम, साउथ कैम्पस	01-03 मई, 2019	संतोष कुमार और शेखर चतुर्वेदी	81
7.	आईआरएस: बेसिक और इंटरमीडिएट	आईएलडीएम, केरल	6-10 मई, 2019	शेखर चतुर्वेदी और संतोष कुमार	44
8.	पूर्व चेतावनी और संचार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13-17 मई, 2019	सूर्य प्रकाश	30

9.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	खनन मंत्रालय,दिल्ली वाईएमसीए	23 मई, 2019	सूर्य प्रकाश	10
10.	जलवायु और आपदा प्रतिरोध (एन. ढाका कार्पोरेशन के अधिकारियों के लिए)	एआईआईएलएसजी (चेन्नई)	20-24 मई, 2019	अनिल कुमार गुप्ता	13
11.	बच्चों के लिए आपदा जागरूकता कार्यशाला	एपीएचआरडी, बापतला	24 मई, 2019	कुमार राका और बालु आई.	80
12.	ग्राम पंचायत योजनाओं के साथ आपदा प्रबंधन योजना को एकीकृत करना	जीआईडीएम एंड एनआईआरडी, हैदराबाद	27-31 मई, 2019	सुषमा गुलेरिया	46
13.	जेंडर और डीएम	एटीआई नैनीताल	27-31 मई, 2019	अजिन्दर वालिया	32
14.	भूकंप जोखिम शमन, आपदा प्रबंधन में टेक्नो रेजिम और इंजीनियरों, वास्तुकारों और नगर योजनाकारों के लिए उप- नियम बनाना	मणिपुर	28-29 मई, 2019	आमिर अली खान	40
जून, 2019					
15.	भूकंप जोखिम शमन	एचआईपीए, शिमला	10-14 जून, 2019	आमिर अली खान	29
16.	जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय क्षेत्र विकास और भूस्खलन प्रबंधन	केरल , केएसडीएमए	10-14 जून, 2019	सूर्य प्रकाश	36
17.	आईआरएस: बेसिक और इंटरमीडिएट	यशदा, पुणे	17-21 जून, 2019	शेखर चतुर्वेदी और संतोष कुमार	27
18.	सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के लिए आपदा प्रबंधन योजना	वाईएमसीए, नई दिल्ली	18-20 जून, 2019	चन्दन घोष और आमिर अली खान	26
19.	आईडीएएस अधिकारियों के लिए	एनएएफएम एंड आरटीसी, पुणे	24 जून, 2019	संतोष कुमार	19
20.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/ वीवीजीएनएलआई, नोएडा	24-28 जून, 2019	सूर्य प्रकाश	26
21.	स्कूल सुरक्षा योजना और सुरक्षा जांच	जेएंडके	24-28	आमिर अली खान	34

	संबंधी लेखापरीक्षा	एसडीएमए, जम्मू-कश्मीर	जून, 2019		
22.	आईआरएस: बेसिक और इंटरमीडिएट	एमजीएसआईपीए	25-28 जून, 2019	शेखर चतुर्वेदी	34
23.	जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतिरोध	डीएआईसी, दिल्ली	26-28 जून, 2019	अनिल कुमार गुप्ता	28
जुलाई, 2019					
24.	सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपदा प्रबंधन योजना	अगरतला	3-5 जुलाई, 2019	चन्दन घोष	26
25.	कृषि आपदा प्रबंधन योजना एचआरवीए कार्यशाला	कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	12 जुलाई, 2019	ए.के. गुप्ता, ए.डी. कौशिक और सुषमा गुलेरिया	26
26.	सूखा प्रबंधन संबंधी लेखापरीक्षा	एपीएचआरडीआई, विशाखापट्टनम	16-18 जुलाई, 2019	सूर्य प्रकाश	55
27.	स्कूल सुरक्षा आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	22-24 जुलाई, 2019	रितु राज	95
28.	जेंडर और आपदा प्रबंधन	नई दिल्ली	22-26 जुलाई, 2019	अजिन्दर वालिया	41
29.	शहर विकास योजनाओं(शहरी प्रतिरोध) में डीआरआर को मुख्यधारा में लाने पर टीओटी	जीएसडीएमए, गांधीनगर गुजरात	24-26 जुलाई, 2019	ए.के. गुप्ता	23
अगस्त, 2019					
30.	जलवायु और आपदा लचीलापन के लिए प्रकृति आधारित समाधान पर कार्यशाला	एनआईडीएम, नई दिल्ली	5 अगस्त, 2019	ए.के. गुप्ता	17
31.	डीआरआर और जलवायु प्रतिरोध में वानिकी क्षेत्र	टीएफआरआई, जबलपुर	5-9 अगस्त, 2019	ए.डी. कौशिक और ए.के. गुप्ता	45
32.	सीसीडीआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओएसडीएमए, ओडिशा	6-7 अगस्त, 2019	कुमार राका और बालु आई	44

33.	ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति का विकास	एसआईपीएआरडी अगरतला	6-8 अगस्त, 2019	रितु राज	27
34.	जलवायु परिवर्तन और अत्यंत खराब मौसम की घटनाएं	एनआईडीएम, नई दिल्ली	6-8 अगस्त, 2019	सूर्य प्रकाश	74
35.	शहर विकास योजनाओं में डीआरआर को मुख्यधारा में लाना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	19-21 अगस्त, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय और शेखर चतुर्वेदी	23
36.	स्कूल सुरक्षा योजना और सुरक्षा जांच ऑडिट	एसडीएमए, त्रिपुरा	19-21 अगस्त, 2019	आमिर अली खान	40
37.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएचआरडीआई बापतला	20-21 अगस्त, 2019	अशारोसे, कुमार राका और बालु आई.	48
38.	"एशिया-प्रशांत आपदा सुभेद्यता: आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिरोध समावेशन और सशक्तिकरण के लिए मार्ग" पर कार्यशाला	नई दिल्ली	23 अगस्त, 2019	संतोष कुमार	27
39.	बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान "फनी" के प्रबंधन प्राप्त हुई शिक्षा और आगे का रास्ता पर कार्यशाला	ओडिशा, भुवनेश्वर	26 अगस्त, 2019	संतोष कुमार और शेखर चतुर्वेदी	91
40.	चक्रवात "फनी" के प्रबंधन प्राप्त हुई शिक्षा और आगे का रास्ता पर कार्यशाला	ओडिशा, भुवनेश्वर	27 अगस्त, 2019	संतोष कुमार और शेखर चतुर्वेदी	134
41.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	यशदा, पुणे	27-28 अगस्त, 2019	कुमार राका और बालु आई.	59
42.	चक्रवात "फनी" के प्रबंधन प्राप्त हुई शिक्षा और आगे का रास्ता पर कार्यशाला	ओडिशा, भुवनेश्वर	28 अगस्त, 2019	संतोष कुमार और शेखर चतुर्वेदी	103
43.	स्कूल सुरक्षा	एचसीएम-आरआईपीए	28-30 अगस्त, 2019	रितु राज और ए.डी. कौशिक	56

सितम्बर, 2019					
44.	तटीय आपदा जोखिम में कमी और प्रतिरोध	एपीएचआरडीआई, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम	03-05 सितम्बर, 2019	सूर्य प्रकाश	120
45.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	नोएडा	11-12 सितम्बर, 2019	सूर्य प्रकाश	46
46.	शहरी जोखिम शमन: शहरों को प्रतिरोधी बनाना	टीएनआईयूएस, कोयंबटूर	12-14 सितम्बर, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय	69
47.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ एमसीआर एचआरडीआई, तेलंगाना	16-17 सितम्बर, 2019	बालु आई.	50
48.	डीआरआर में स्कूल शिक्षा को मुख्यधारा में लाना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	16-18 सितम्बर, 2019	अजिन्दर वालिया	43
49.	वानिकी, वन्यजीव और डीआरआर	एफआरआई, देहरादून	16-20 सितम्बर, 2019	ए.डी. कौशिक और अनिल कुमार गुप्ता	20
50.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन पर उन्मुखीकरण कार्यशाला	एनआईडीएम, नई दिल्ली	19 सितम्बर, 2019	सुषमा गुलेरिया	35
51.	स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पोर्ट ब्लेयर	19-21 सितम्बर, 2019	रितु राज	80
52.	सांस्कृतिक विरासत स्थलों और संग्रहालयों के आपदा जोखिम उपशमन पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	यशदा, पुणे	23-26 सितम्बर, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय	44
53.	आपदा के बाद की जरूरत के आकलन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (पीडीएनए)	नई दिल्ली	23 सितम्बर, 2019	संतोष कुमार	92
54.	"डीआरआर- नवीनतम विकास और क्षमता विकास कार्यनीतियों" पर कार्यशाला (नेपाल सरकार के प्रतिनिधिमंडल के लिए)	एनआईडीएम, नई दिल्ली	24 सितम्बर, 2019	अनिल कुमार गुप्ता	05

55.	सीसीडीआरआर पर संकाय विकास कार्यक्रम	यशदा, पुणे रैपिड विजुअल	24-25 सितम्बर, 2019	कुमार राका	71
56.	भूकंप संभावित क्षेत्र में मौजूदा शहरी प्रतिष्ठान में रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस)	एसडीएमए, शिलांग	25-27 सितम्बर, 2019	आमिर अली खान	51
57.	कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (ओडीएमपी) की तैयारी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-27 सितम्बर, 2019	सुषमा गुलेरिया	50
58.	सतत विकास के लिए आपदा प्रतिरोध और हरित विकास	कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	26-27 सितम्बर, 2019	अनिल कमार गुप्ता	222
अक्तूबर, 2019					
59.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएलडीएम, केरल	3-4 अक्तूबर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	49
60.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना	जीआईपीएआरडी, गोवा	3-5 अक्तूबर, 2019	अजिन्दर वालिया	43
61.	अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना	एचपी एसडीएमए	9-11 अक्तूबर, 2019	आमिर अली खान और सुषमा गुलेरिया	23
62.	भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय रेल आपदा प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु	14-16 अक्तूबर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	110
63.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल क्षेत्र डीआरआर	एनआईएच, रुड़की	14-18 अक्तूबर, 2019	ए.डी. कौशिक और अनिल के. गुप्ता	40
64.	विकलांगता-समावेशी डीआरआर (डीआईडीआरआर) के लिए क्षमता निर्माण पर परामर्शी कार्यशाला बैठक: कार्रवाई के लिए एक फ्रेमवर्क	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18 अक्तूबर, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय	34
65.	आपदोत्तर आवश्यकता मूल्यांकन(पीडीएनए) एवं दीर्घावधिक वसूली	एचसीएम आरआईपीए	21-23 अक्तूबर, 2019	संतोष कुमार	45

नवम्बर, 2019					
66.	स्वास्थ्य प्रतिरोध और क्षमता निर्माण पर कार्यशाला	मैरियट द्वारा होटल फेयर फील्ड, लखनऊ में	01 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	30
67.	स्वास्थ्य प्रतिरोध और क्षमता निर्माण पर कार्यशाला	होटल ताज विवांता ईएम बाईपास, कोलकाता	04 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	30
68.	आपदा के दौरान प्रसारण प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यशाला	एनएबीएम-पी, रेडियो कॉलोनी, किंग्सवे, दिल्ली-09	04-06 नवम्बर, 2019	सूर्य प्रकाश	22
69.	वनीय आग जोखिम प्रबंधन और कार्रवाई	एफआरआई, देहरादून	04-08 नवम्बर, 2019	ए.डी. कौशिक और अनिल के. गुप्ता	35
70.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एपीएचआरडीआई, विशाखापत्तनम	06-08 नवम्बर, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय	106
71.	ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों तथा पीआरआई क्षेत्र में डीआरआर का एकीकरण करना	एचआईपीए, शिमला	06-08 नवम्बर, 2019	सुषमा गुलेरिया	41
72.	आपदा जागरूकता	के.बी.एन. कॉलेज (क) विजयवाडा	09 नवम्बर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	107
73.	चीनी सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने एनआईडीएम का दौरा किया	एनआईडीएम, नई दिल्ली	11 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	7
74.	बड़ी सभा में भीड़ का प्रबंधन	आईएलडीएम, केरल	11-13 नवम्बर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	54
75.	अवसंरचना में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना और आपदा प्रतिरोध निर्माण प्रौद्योगिकी	एटीआई, छत्तीसगढ़	13-15 नवम्बर, 2019	आमिर अली खान	25

76.	आपदा जागरूकता पर कार्यशाला	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटुर,आंध्र प्रदेश	14 नवम्बर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	157
77.	राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर-भारत में आपदा प्रतिरोधी कृषि पर परामर्श कार्यशाला और राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना कार्य समूह-दूसरी बैठक	आईसीएआर, हैदराबाद	15 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	32
78.	स्वास्थ्य प्रतिरोध और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	होटल मरक्यूर, हैदराबाद केसीपी, हैदराबाद	14 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	26
79.	आईआरएस: संचालन अनुभाग प्रमुख	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-20 नवम्बर, 2019	शेखर चतुर्वेदी और संतोष कुमार	13
80.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	पोर्ट ब्लेयर	20-22 नवम्बर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	75
81.	आपदोत्तर आवश्यकता मूल्यांकन(पीडीएनए) एवं दीर्घावधिक रिकवरी	एटीआई नैनीताल, उत्तराखंड	21-23 नवम्बर, 2019	संतोष कुमार	108
82.	"समझ और नवाचार के माध्यम से जलवायु प्रतिरोध" पर संगोष्ठी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता, आशिष कुमार पांडा,सुषमा गुलेरिया और ए.डी.कौशिक	35
83.	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26-28 नवम्बर, 2019	संतोष कुमार और चांदरानी बंद्योपाध्याय	49
84.	स्वास्थ्य प्रतिरोध और क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला	अहमदाबाद	27 नवम्बर, 2019	अनिल के. गुप्ता	38
85.	पंचायती राज क्षेत्र में डीआरआर को मुख्यधारा में लाना	डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ, उ.प्र.	27-29 नवम्बर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	37
86.	भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण एंव प्रतिरोध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	अशोक होटल, नई दिल्ली	28 नवम्बर, 2019	सूर्य प्रकाश	176

दिसंबर, 2019					
87.	ग्रामीण विकास में डीआरआर और सीसीए का एकीकरण	यूआईआरडी, रुद्रपुर, उत्तराखंड	04-06 दिसंबर, 2019	सुषमा गुलेरिया	42
88.	स्कूल सुरक्षा योजना और सुरक्षा जांच	एटीआई, मैसूर	04-06 दिसंबर, 2019	आमिर अली खान	30
89.	सीसीडीआरआर पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमएटीआई, शिलांग	05-06 दिसंबर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	40
90.	जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय क्षेत्र विकास और भूस्खलन प्रबंधन	आईआईटी, रुड़की	05-07 दिसंबर, 2019	सूर्य प्रकाश	49
91.	एसडीजी 11: शहरों और समुदायों में भवन प्रतिरोध	यशदा, पुणे	11-13 दिसंबर, 2019	चांदरानी बंद्योपाध्याय	50
92.	प्रथम जिम्मेदार के लिए डीआरआर	जीएए, ओडिशा	11-13 दिसंबर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	40
93.	सीसीडीआरआर पर संकाय विकास कार्यक्रम	एमसीआरएचआर डीआईटी, हैदराबाद	12-13 दिसंबर, 2019	कुमार राका और बालु आई.	35
94.	आपदा प्रबन्धन में मनोसामाजिक देखभाल	यशदा, पुणे	16-18 दिसंबर, 2019	अजिन्दर वालिया	38
95.	स्कूल आपदा प्रबंधन योजना	डॉ. एमसीआर एचआरडी इन्स्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना	17-19 दिसंबर, 2019	आमिर अली खान	31
96.	प्रथम जिम्मेदार के लिए डीआरआर	एचसीएम-आरआईपीए, राजस्थान	18-20 दिसंबर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	23
97.	गुड गवर्नेंस और डीआरआर	सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, हैदराबाद	18-20 दिसंबर, 2019	संतोष कुमार	30
98.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	26-28 दिसंबर, 2019	शेखर चतुर्वेदी	50
	कुल				4814

अनुलग्नक-XIII

(संदर्भ पैरा 12.7)

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	9.69	3.05	2.69	3.42	1.03	0.00
असम	43.29	62.59	4.68	5.48	5.67	0.00
मणिपुर	28.45	7.79	8.37	1.98	5.99	6.73
मेघालय	6.98	8.28	0.67	2.60	3.66	0.69
मिजोरम	19.03	5.41	8.12	6.13	8.38	3.58
नागालैंड	31.39	13.78	18.05	13.88	18.88	8.05
सिक्किम	3.57	0.22	1.96	2.39	0.36	0.00
त्रिपुरा	22.69	7.00	1.40	1.63	7.08	4.97
जम्मू और कश्मीर	105.17	35.88	34.54	48.00	32.69	40.2032
हिमाचल प्रदेश	5.75	0.44	5.58	4.09	3.35	2.44
उत्तराखंड	8.81	3.74	8.53	4.35	13.60	2.528
कुल	**284.82**	**148.18**	**94.59**	**93.95**	**100.69**	**69.1912**

अनुलग्नक-XIV

(संदर्भ पैरा 12.7)

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (नया नाम 'पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता') के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.12.2019 के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	54.17	32.56	41.10	31.62	50.81	18.34
तेलंगाना	68.13	16.32	29.40	22.60	64.17	13.3374
बिहार	49.08	26.57	19.15	5.73	13.18	9.42
छत्तीसगढ़	37.36	14.24	1.73	2.02	8.56	7.29
गोवा	1.86	0.13	0.18	0.21	0.21	0.00
गुजरात	72.65	23.75	43.22	33.06	52.62	19.185
हरियाणा	28.25	14.74	19.29	14.04	12.95	8.61
झारखंड	34.52	22.44	1.64	1.91	9.91	6.91
कर्नाटक	103.65	39.45	72.04	17.13	11.39	9.949
केरल	42.00	2.01	11.09	16.12	17.78	11.39
मध्य प्रदेश	58.18	26.80	21.86	30.47	37.97	14.45
महाराष्ट्र	76.65	50.88	12.80	9.78	9.58	55.4298
ओडिशा	42.92	19.46	26.22	19.87	35.10	11.70
पंजाब	38.13	20.67	27.60	20.07	36.52	28.3991

राजस्थान	102.50	34.18	34.54	40.38	62.59	23.3256
तमिलनाडु	85.74	63.90	89.24	15.54	68.87	26.6606
उत्तर प्रदेश	169.23	69.99	35.80	28.20	118.67	47.39
पश्चिम बंगाल	47.40	35.52	12.31	48.94	46.93	21.675
कुल	1112.42	513.61	499.21	357.69	657.81	333.4615

अनुलग्नक-XV

(संदर्भ पैरा 16.45)

सारणी 1: अनुमानित जन्मदर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और नवजात मृत्यु दर, 2017

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			प्राकृतिक वृद्धि दर			नवजात मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	20.2	21.8	16.8	6.3	6.9	5.3	13.9	15.0	11.6	33	37	23
बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र												
1. आंध्र प्रदेश	16.2	16.5	15.5	7.2	8.1	5.3	8.9	8.4	10.2	32	36	23
2. असम	21.2	22.4	14.7	6.5	6.7	5.3	14.7	15.7	9.4	44	46	21
3. बिहार	26.4	27.2	20.9	5.8	5.9	5.4	20.6	21.3	15.6	35	36	31
4. छतीसगढ़	22.7	24.1	18.0	7.5	8.1	5.6	15.1	16.0	12.4	38	40	32
5. दिल्ली	15.2	16.5	15.2	3.7	4.2	3.7	11.5	12.4	11.5	16	12	16
6 गुजरात	19.9	21.8	17.6	6.2	6.9	5.5	13.7	14.9	12.1	30	36	22
7. हरियाणा	20.5	21.9	18.2	5.8	6.3	5.0	14.7	15.6	13.2	30	32	25
8. जम्मू एवं कश्मीर	15.4	17.1	11.6	4.8	5.1	4.3	10.5	12.0	7.4	23	24	19
9. झारखंड	22.7	24.2	18.2	5.5	5.8	4.6	17.2	18.3	13.6	29	30	24
10. कर्नाटक	17.4	18.2	16.1	6.5	7.6	4.9	10.9	10.6	11.3	25	27	22
11. केरल	14.2	14.1	14.2	6.8	7.2	6.5	7.3	6.9	7.7	10	9	10
12. मध्य प्रदेश	24.8	26.8	19.4	6.8	7.3	5.5	18.0	19.5	13.9	47	51	32
13. महाराष्ट्र	15.7	16.0	15.4	5.7	6.6	4.6	10.1	9.4	10.9	19	23	14
14. ओडिशा	18.3	19.3	13.5	7.4	7.7	6.0	10.9	11.6	7.5	41	42	32
15. पंजाब	14.9	15.5	14.1	7.0	7.7	6.0	7.9	7.8	8.1	21	22	19
16. राजस्थान	24.1	25.0	21.5	6.0	6.3	5.1	18.1	18.7	16.3	38	42	28
17. तमिलनाडु	14.9	15.0	14.9	6.7	7.6	5.9	8.3	7.4	9.0	16	19	14
18. तेलंगाना	17.2	17.5	16.8	6.6	8.0	4.5	10.6	9.5	12.3	29	33	23
19. उत्तर प्रदेश	25.9	27.0	22.6	6.7	7.2	5.4	19.2	19.9	17.2	41	44	33
20. उत्तराखंड	17.3	17.6	16.4	6.7	7.1	5.6	10.6	10.5	10.8	32	33	30
21. पश्चिम बंगाल	15.2	16.7	11.7	5.8	5.7	6.0	9.4	11.0	5.7	24	24	22
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	18.3	18.8	15.5	6.1	6.4	4.9	12.1	12.4	10.6	42	44	34
2. गोवा	12.5	12.1	12.9	6.2	7.2	5.4	6.4	4.9	7.5	9	10	8
3. हिमाचल प्रदेश	15.8	16.3	10.3	6.6	6.8	4.0	9.2	9.4	6.3	22	23	15
4. मणिपुर	14.6	14.8	14.1	5.3	5.3	5.3	9.3	9.5	8.8	12	13	9

5. मेघालय	22.8	24.8	13.7	6.1	6.3	4.8	16.7	18.5	8.8	39	41	25
6. मिज़ोरम	15.0	17.7	12.2	4.0	4.0	4.1	11.0	13.8	8.0	15	20	7
7. नागालैंड	13.5	14.0	12.7	3.6	4.2	2.7	9.9	9.8	9.9	7	7	7
8. सिक्किम	16.4	15.2	18.3	4.5	5.3	3.4	11.9	9.9	14.9	12	13	9
9. त्रिपुरा	13.0	14.1	10.3	5.2	5.2	5.2	7.8	9.0	5.1	29	28	32
संघ राज्यक्षेत्र												
1. अंडमान और निकोबार	11.4	12.1	10.3	5.1	5.8	4.2	6.2	6.4	6.1	14	12	18
2. चंडीगढ़	13.5	19.1	13.4	4.5	2.7	4.5	9.1	16.4	8.9	14	3	14
3. दादरा और नगर हवेली	23.6	20.4	26.0	4.4	5.7	3.4	19.3	14.8	22.6	13	19	10
4. दमन एवं दीव	20.2	16.1	21.1	4.7	5.7	4.5	15.4	10.4	16.6	17	18	17
5. लक्षद्वीप	15.0	18.4	14.1	6.5	8.3	6.0	8.5	10.1	8.1	20	16	21
6. पुदुचेरी	13.2	13.7	13.1	7.3	7.8	7.1	5.9	5.9	5.9	11	13	10

नोट: छोटे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नवजात मृत्यु दर तीन वर्ष की अवधि 2015-17 पर आधारित है।

अनुलग्नक-XVI

(संदर्भ पैरा 16.49)

लिंग और आवास के आधार पर जन्म के समय अनुमानित जीवनकाल, भारत और बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, 2013-17, (e_0^0)

भारत एवं बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
भारत*	69.0	67.8	70.4	67.7	66.4	69.0	72.4	71.2	73.7
आंध्र प्रदेश	69.7	68.3	71.2	68.4	66.8	70.3	72.6	71.8	73.4
असम	66.2	65.4	67.3	65.1	64.2	66.1	73.0	72.5	73.8
बिहार	68.9	69.2	68.6	68.5	68.8	68.2	71.7	72.0	71.4
छतीसगढ़	65.2	63.8	66.6	64.3	63.0	65.5	68.8	67.1	70.8
दिल्ली	74.7	73.3	76.3	71.8	70.0	-	74.9	73.4	76.5
गुजरात	69.7	67.6	72.0	68.2	65.3	71.5	71.8	70.8	72.9
हरियाणा	69.7	67.6	72.3	68.7	66.5	71.4	71.6	69.6	74.1
हिमाचल प्रदेश	72.6	69.8	75.6	72.2	69.3	75.4	77.1	75.1	79.7
जम्मू एवं कश्मीर	74.1	72.1	76.7	73.0	71.1	75.4	-	-	-
झारखंड	68.6	68.8	68.4	67.7	68.0	67.3	72.0	71.7	72.4
कर्नाटक	69.2	67.7	70.8	67.5	65.9	69.3	72.5	71.4	73.6
केरल	75.2	72.5	77.8	75.3	72.4	78.1	75.1	72.5	77.5
मध्य प्रदेश	66.0	64.2	67.9	64.7	62.8	66.8	70.1	68.7	71.8
महाराष्ट्र	72.5	71.2	73.9	71.0	69.9	72.2	74.4	72.8	76.3
ओडिशा	68.4	67.1	69.9	67.7	66.4	69.4	71.7	71.0	72.5
पंजाब	72.4	71.0	74.0	71.4	70.1	72.9	74.1	72.4	76.6

राजस्थान	68.5	66.3	70.9	67.5	64.9	70.3	71.8	71.2	72.6
तमिलनाडु	71.7	69.9	73.7	70.2	68.3	72.1	73.4	71.6	75.4
उत्तर प्रदेश	65.0	64.3	65.6	63.9	63.2	64.7	68.5	68.1	68.9
उत्तराखंड	71.0	68.0	74.2	70.6	67.3	74.2	71.8	69.9	74.0
पश्चिम बंगाल	71.2	70.4	72.2	70.2	69.1	71.3	73.4	72.9	74.1

*: आंकड़ों में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

नोट: आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल है।

अनुलग्नक-XVII

(संदर्भ पैरा 17.19)

दिनांक 31.12.2019 तक गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	178	190	1162	1149
2.	दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 तक शुरू किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	65	65	5196	5212
3.	दिनांक 31.12.2019 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	47	48	5256	5260
4.	दिनांक 31.12.2019 को सतर्कता/ अनुशासनिक मामले (1+2-3)	196	207	1102	1101
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के ब्यौरे के संदर्भ में)				
	(क) बर्खास्तगी	01	01	177	171
	(ख) निष्कासन	00	00	281	281
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	01	01	76	75
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	16	16	435	435
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	02	02	623	626
	(च) पदोन्नति रोकना	00	01	64	64
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश	00	00	1267	1268
	(ज) निंदा	01	01	1367	1378
	(झ) चेतावनी	07	07	266	267
	(ञ) असंतोष	2	02	07	06
	(ट) दोषमुक्ति	03	03	165	166
	(ठ) मामलों का स्थानांतरण	03	03	47	47

	(ड) कार्यवाही रोकी गई	05	05	33	33
	(ढ) पेंशन में कटौती	02	02	01	01
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	03	03	19	19
	(त) यूनिट में बंद	00	00	61	61
	(थ) क्वार्टर गार्ड में बंद	00	00	281	281
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	01	01	05	05
	(ध) प्रास्थगन	00	00	31	26
	(न) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	00	00	45	45
	(प) न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	00	00	05	05
	कुल (क से प)	47	48	5256	5260

अनुलग्नक-XVIII

(संदर्भ पैरा 17.39)

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में बकाया निरीक्षण पैरा (आईपी) का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन का नाम	दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान प्राप्त निरीक्षण पैरा की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2019 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण पैरा की सख्या	दिनांक 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण पैरा की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2073	210	217	2066
2	असम राइफल्स	188	35	123	100
3	बीपीआरएंडडी	24	0	0	24
4	बीएसएफ	390	101	73	418
5	सीआईएसएफ	427	49	75	401
6	सीआरपीएफ	249	27	13	263
7	चंडीगढ़	1635	102	82	1655
8	दादरा और नगर हवेली	193	9	0	202
9	राजभाषा विभाग	44	29	14	59
10	दमण और दीव	835	0	0	835
11	आसूचना ब्यूरो	116	32	16	132

12	आईटीबीपी	171	22	49	144
13	लक्षद्वीप	477	0	0	477
14	गृह मंत्रालय (मुख्य)	30	0	0	30
15	एनसीआरबी	12	0	4	8
16	एनआईसीएफएस	14	0	0	14
17	एनपीए	16	0	0	16
18	एनएसजी	84	0	8	76
19	आरजीआई	270	71	57	284
कुल		7248	687	731	7204

अनुलग्नक- XIX

(संदर्भ पैरा 17.40)

पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों की सं. जिनके संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद "की गई कार्रवाई नोट" (एटीएन) पीएसी को प्रस्तुत किया गया	उन पैरा/पीएसी रिपोर्टों का ब्यौरा, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या, जिन्हें मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया था, किन्तु टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखापरीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएन की संख्या, जिनका लेखा-परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है, किंतु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2016-17	0	0	0	1
2.	2017-18	0	0	0	0
3.	2018-19	16	0	1	1

टिप्पणियाँ :



भारत सरकार

गृह मंत्रालय

https://mha.gov.in/ पर भी उपलब्ध